

भारत गैर न्यायिक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
ई-स्टाम्प

प्रमाण पत्र संख्या	: IN-DL31370813851231T
प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि)	: 15-जनवरी-2021 03:06 PM
खाता विवरण	: IMPACC (IV) d1942203/DELHI/DL-DLH
विशिष्ट दस्तावेज संदर्भ	: SUBIN-DL942203658100924564177
क्रेता	: अडानी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
दस्तावेज का विवरण	: अनुच्छेद 5 सामान्य करार
संपत्ति विवरण	: लागू नहीं
प्रतिफल मूल्य (रु.)	: 0 (शून्य)
प्रथम पक्ष	: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
द्वितीय पक्ष	: अडानी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
स्टाम्प शुल्क भुगतानकर्ता	: अडानी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
स्टाम्प शुल्क राशि (रु.)	: 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र)

यह स्टाम्प पेपर लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अडानी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच 19.01.2021 को निष्पादित रियायत करार) का एक अभिन्न अंग है।

लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा हेतु

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं

अडानी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

के बीच

रियायत करार

दिनांक: 19 जनवरी, 2021

विषय-सूची

अनुच्छेद 1	परिभाषाएं एवं व्याख्या	6
अनुच्छेद 2	परियोजना का कार्यक्षेत्र	25
अनुच्छेद 3	रियायत प्रदान करना	26
अनुच्छेद 4	पूर्ववर्ती शर्तें	27
अनुच्छेद 5	रियायतग्राही के दायित्व	30
अनुच्छेद 6	प्राधिकरण के दायित्व	37
अनुच्छेद 7	अभ्यावेदन एवं वारंटियाँ	43
अनुच्छेद 8	अस्वीकरण	46
अनुच्छेद 9	निष्पादन प्रतिभूति	48
अनुच्छेद 10	मार्गाधिकार	50
अनुच्छेद 11	उपयोगिता सेवाएँ एवं वृक्ष	55
अनुच्छेद 12	विमानपत्तन का विकास एवं विस्तार	56
अनुच्छेद 13	निर्माण की निगरानी	60
अनुच्छेद 14	निर्माण चरण की पूर्णता	63
अनुच्छेद 15	वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश	66
अनुच्छेद 16	संक्रमणकालीन व्यवस्थाएँ	67
अनुच्छेद 17	कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन	69
अनुच्छेद 18	संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन	71
अनुच्छेद 19	संचालन एवं अनुरक्षण सेवाएँ	81
अनुच्छेद 20	आरक्षित सेवाएँ	87
अनुच्छेद 21	संचालन एवं अनुरक्षण की निगरानी	91
अनुच्छेद 22	यातायात विनियमन एवं जनगणना	95
अनुच्छेद 23	प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतक	96
अनुच्छेद 24	स्वतंत्र अभियंता	100
अनुच्छेद 25	शहर की ओर का विकास	102
अनुच्छेद 26	वित्तीय समापन	106
अनुच्छेद 27	रियायत शुल्क	107
अनुच्छेद 28	शुल्क	110
अनुच्छेद 29	एस्क्रो खाता	116
अनुच्छेद 30	बीमा	118
अनुच्छेद 31	लेखा एवं लेखापरीक्षा	120
अनुच्छेद 32	अप्रत्याशित घटना	123
अनुच्छेद 33	करार के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति	129
अनुच्छेद 34	रियायतग्राही के अधिकारों का निलंबन	130
अनुच्छेद 35	निलंबन	132
अनुच्छेद 36	अधिकारों एवं हितों का हस्तांतरण	137
अनुच्छेद 37	समाप्ति के पश्चात् दोषों के लिए दायित्व	139
अनुच्छेद 38	समनुदेशन एवं भार	141
अनुच्छेद 39	विनियामक दृष्टिकोण में परिवर्तन	143
अनुच्छेद 40	दायित्व एवं क्षतिपूर्ति	144
अनुच्छेद 41	विवाद समाधान	147
अनुच्छेद 42	प्रकटीकरण	149
अनुच्छेद 43	लोक शिकायतों का निवारण	150
अनुच्छेद 44	विविध	151

भाग ।

प्रारंभिक

रियायत करार

यह रियायत करार ("करार") 19 जनवरी, 2021 को नई दिल्ली में निष्पादित किया गया है।

द्वारा एवं मध्य :

1. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निगमित निकाय है, जिसका निगमित कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली- 110003, भारत में स्थित है (जिसे आगे "प्राधिकरण" कहा गया है, जब तक कि संदर्भ अथवा अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती सम्मिलित माने जाएंगे);

तथा :

2. **अडानी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत एक निगमित कंपनी है, जिसकी निगमित पहचान संख्या यू63030जीजे2019पीएलसी110032 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय अडानी निगमित हाउस, शांतिग्राम, वैष्णो देवी सर्कल के पास, एस. जी. हाईवे, खोडियार, अहमदाबाद 382421, गुजरात, भारत में स्थित है (जिसे आगे "रियायतग्राही" कहा गया है, अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ अथवा अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिती और प्रतिस्थानी सम्मिलित माने जाएंगे)।

जैसा कि संदर्भ के अनुसार अपेक्षित हो, प्राधिकरण और रियायतग्राही को इसके बाद व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" और सामूहिक रूप से "पक्षों" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

चूंकि :

क. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्राधिकरण के कार्यों एवं शक्तियों में भारत में विमानपत्तनों का विकास, अनुरक्षण तथा प्रबंधन सम्मिलित है, और उसी के अनुसरण में, प्राधिकरण ने असम राज्य के गुवाहाटी में विमानपत्तन का निर्माण किया है तथा उक्त अधिनियम के अधीन और उसके अनुसार इसका प्रचालन कर रहा है।

ख. भारत सरकार (जैसा कि नीचे परिभाषित है) ने आवश्यक निवेश जुटाने के अतिरिक्त सेवा वितरण में दक्षता, विशेषज्ञता, उद्यमशीलता और व्यावसायिकता लाने के उद्देश्य से सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर भा.वि.प्रा. के कुछ विमानपत्तनों के प्रचालन, प्रबंधन और विकास कार्यों हेतु बोलियाँ आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

ग. प्राधिकरण ने विमानपत्तन (जैसा कि नीचे परिभाषित है) के प्रचालन, प्रबंधन और विकास हेतु तकनीकी और वाणिज्यिक निबंधन और शर्तों को निर्धारित करते हुए, अपने प्रस्ताव आमंत्रण संख्या 2018 एएआई 19456 1 दिनांक 14 दिसंबर, 2018 (इसके बाद "प्रस्ताव आमंत्रण" या आरएफपी) के माध्यम से परियोजना (जैसा कि नीचे परिभाषित है) हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए।

घ. बोलीदाताओं से प्राप्त बोलियों के मूल्यांकन और गृह मंत्रालय, भारत सरकार से सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त होने के उपरांत, प्राधिकरण ने बोलीदाता 'अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड' ("चयनित बोलीदाता") की बोली स्वीकार की तथा चयनित बोलीदाता को दिनांक 01 सितंबर, 2020 का अधिनिर्णय पत्र संख्या एएआई/एसआईयू/पीपीपी/06 एपीटीएस/एलओए/गुवाहाटी/2020/365 जारी किया, जिसमें चयनित बोलीदाता को अन्य बातों के साथ-साथ, एक

विशेष प्रयोजन साधन/वाहन के माध्यम से आरएफपी में निर्धारित समयावधि के भीतर इस करार को निष्पादित करने की अपेक्षा की गई थी ।

इ. चयनित बोलीदाता ने आरएफपी की शर्तों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रियायतग्राही के रूप में ऐसे विशेष प्रयोजन साधन का गठन एवं निगमन किया है और उसने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि रियायतग्राही को उस इकाई के रूप में स्वीकार किया जाए जो एलओए के अंतर्गत दायित्वों का निर्वहन करेगी, जिसमें विमानपत्तन के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के निष्पादन हेतु इस करार में प्रवेश करने की बाध्यता भी शामिल है ।

च. दिनांक 16 जनवरी, 2021 के अपने पत्र द्वारा, रियायतग्राही ने यह अभ्यावेदन करते हुए कि उसे इस प्रयोजन के लिए चयनित बोलीदाता द्वारा प्रवर्तित किया गया है, प्राधिकरण से चयनित बोलीदाता के अनुरोध में सम्मिलित होते हुए प्राधिकरण से अनुरोध किया कि रियायतग्राही को ऐसी इकाई के रूप में स्वीकार किया जाए, जो चयनित बोलीदाता के दायित्वों का निर्वहन एवं अधिकारों का प्रयोग करेगी तथा उन दायित्वों में आशय-पत्र के अनुसरण में इस करार को निष्पादित करने का दायित्व भी शामिल है।

छ. प्राधिकरण ने चयनित बोलीदाता और रियायतग्राही के उक्त अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और तदनुसार, लोक-निजी भागीदारी के माध्यम से विमानपत्तन के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए रियायतग्राही के साथ यह करार करने के लिए सहमत हुआ है, जो कि इसके पश्चात् निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन तथा उनके अनुसार होगा।

अतः अब, उपर्युक्त बातों तथा इस करार में उल्लिखित संबंधित प्रसंविदाओं और करारों के प्रतिफलस्वरूप, जिनकी प्राप्ति और पर्याप्तता को एतद्वारा स्वीकार किया जाता है, और विधिक रूप से आबद्ध होने के आशय से, पक्षकार निम्नलिखित रूप से सहमत होते हैं:

अनुच्छेद 1: परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1 परिभाषाएँ

इस करार में, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जब तक कि संदर्भ या उनके अर्थ के प्रतिकूल न हो, क्रमशः निम्नलिखित अर्थ होंगे :

"भाविप्रा" या "प्राधिकरण" से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अधीन की गई है, जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2003 द्वारा संशोधित किया गया है, और इसमें इसके उत्तराधिकारी तथा विधि-सम्मत समनुदेशिनी शामिल होंगे।

"एएआईक्लास" से भाविप्रा कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड और इसमें इसके उत्तराधिकारी तथा अनुमत समनुदेशिनी शामिल हैं।

"स्वीकार करने वाले कर्मचारी" का अर्थ वही होगा जो खंड 6.5.7 में दिया गया है ।

"लेखा वर्ष" से किसी कैलेंडर वर्ष के अप्रैल के 1 (पहले) दिन से प्रारम्भ होकर अगले कैलेंडर वर्ष के मार्च के 31वें (इकतीसवें) दिन को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है। परंतु प्रथम लेखा वर्ष के प्रयोजनों के लिए, ऐसी अवधि सीओडी की तारीख से प्रारंभ होगी और उसके ठीक अगले 31 (इकतीस) मार्च को समाप्त होगी; तथा रियायत अवधि के अंतिम लेखा वर्ष के लिए, ऐसी अवधि 1 (पहले) अप्रैल से प्रारंभ होगी और रियायत अवधि के अंतिम दिन समाप्त होगी;

"एसीआई" का वही अर्थ होगा जो खंड 23.7.1 में दिया गया है;

"प्राधिकरण द्वारा नामित लेखापरीक्षक" से खंड 31.2.3 में उल्लिखित लेखापरीक्षक अभिप्रेत हैं;

"समायोजित अनुमानित प्रारंभिक आरएबी" का वही अर्थ होगा जो खंड 28.11 में दिया गया है;

"एरा" से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना एरा अधिनियम के अधीन की गई है, और इसमें लागू कानूनों के अनुसार गठित कोई उत्तरवर्ती संस्था भी शामिल होगी;

"एरा अधिनियम" से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 अभिप्रेत है, जिसमें समय-समय पर किए गए संशोधन, परिवर्तन तथा उसके स्थान पर लागू किए गए अधिनियम शामिल होंगे;

"वैमानिकी परिसंपत्तियाँ" से ऐसी परिसंपत्तियाँ अभिप्रेत हैं, जो विमानपत्तन पर वैमानिकी सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक या अपेक्षित हैं। इसमें ऐसी अन्य परिसंपत्तियाँ भी शामिल होंगी, जिन्हें रियायतग्राही इस करार के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर वैमानिकी सेवाओं के निष्पादन के लिए या उसके संबंध में प्राप्त कर सकता है। इसमें गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं होंगी;

"वैमानिकी प्रभार" से विनियामक द्वारा अनुमोदित ऐसे प्रभार अभिप्रेत हैं, जिन्हें वैमानिकी सेवाओं के प्रावधान के लिए रियायतग्राही द्वारा लगाया, वसूल और विनियोजित किया जा सकता है;

"वैमानिकी राजस्व" से विनियामक ढाँचे के अनुसार विनियामक द्वारा निर्धारित कुल राजस्व आवश्यकता अभिप्रेत है;

"वैमानिकी सेवाएँ" का वही अर्थ होगा जो एरा अधिनियम में दिया गया है;

“प्रभावित पक्ष” का वही अर्थ होगा जो खंड 32.1 में दिया गया है;

“करार” या “रियायत करार” से अभिप्रेत यह करार, इसकी प्रस्तावना, अनुसूचियाँ तथा इस करार में निहित उपबंधों के अनुसार किए गए इसके सभी संशोधन होंगे ;

“विमानपत्तन प्रकाश व्यवस्था प्रणाली” से अभिप्रेत विमानपत्तन पर रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच से संबंधित प्रकाश व्यवस्था प्रणालियों सहित वे सभी प्रकाश व्यवस्था प्रणालियाँ हैं, जो संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों में निहित उपबंधों के अनुसार विमान परिचालन के लिए आवश्यक हैं;

“विमानपत्तन” से अभिप्रेत साइट पर स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन है, जिसमें सिविल, यांत्रिक और विद्युत कार्य, टर्मिनल भवन, कार्गो सुविधाएँ, रनवे तथा विमानपत्तन के परिचालन और विस्तार के लिए आवश्यक और उससे संबंधित सभी परियोजना परिसंपत्तियाँ शामिल हैं;

“एओडीबी” का वही अर्थ होगा जो खंड 21.1 में निर्धारित किया गया है;

“लागू कानून” से अभिप्रेत भारत सरकार और/या राज्य सरकार, डीजीसीए, बीसीएएस, आईसीएओ की सभी विधियाँ, जिनमें दिशानिर्देश, परिपत्र, नियम, विनियम और अधिसूचनाएँ, निर्णय, डिक्री, निषेधाज्ञाएँ, रिट तथा किसी सक्षम अभिलेख न्यायालय के आदेश शामिल हैं, जो इस करार तथा इसके अंतर्गत पक्षकारों के संबंधित अधिकारों और दायित्वों के प्रयोग, निष्पादन और निर्वहन पर लागू हों और जो इस करार की अवधि के दौरान लागू एवं प्रभावी हों;

“लागू अनुमतियाँ” से अभिप्रेत सभी अनापत्तियाँ, लाइसेंस, परमिट, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, सहमतियाँ, अनुमोदन और छूट हैं, जिन्हें इस करार की अवधि के दौरान परियोजना के संबंध में लागू विधियों के अधीन प्राप्त करना अथवा बनाए रखना आवश्यक है;

“अनुमोदित मूल्यांकक” से अभिप्रेत आयकर विभाग द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त ऐसे मूल्यांकक हैं, जिन्हें प्रत्येक की ₹100,00,00,000 (रुपये एक सौ करोड़) से अधिक मूल्य वाली कम से कम 5 (पाँच) संपत्तियों के मूल्यांकन का अनुभव हो;

“अवार्ड” का वही अर्थ होगा जो खंड 41.3.3 में निर्धारित किया गया है;

“वास्तुशिल्पीय अभिकल्प” का वही अर्थ होगा जो खंड 12.4.1 में निर्धारित किया गया है;

“एसएमयू” का वही अर्थ होगा जो खंड 18.15.4 में निर्धारित किया गया है;

“एसक्यू” से अभिप्रेत विमानपत्तन सेवा गुणवत्ता है, जिसे खंड 23.7.1 में उल्लिखित एसीआई द्वारा किए गए उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित किया जाता है;

“सहयोगी या संबद्ध संस्था” से, किसी पक्षकार और/या चयनित बोलीदाता के संबंध में, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे पक्ष या चयनित बोलीदाता को नियंत्रित करता है, उसके द्वारा नियंत्रित है या उसके साथ समान नियंत्रण के अधीन है। इस परिभाषा में, “नियंत्रण” से, ऐसी संस्था, निगम या सीमित दायित्व भागीदारी फर्म के संबंध में, ऐसी संस्था के आर्थिक या मतदान अधिकारों के 50% (पचास प्रतिशत) से अधिक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व अभिप्रेत है; और जो व्यक्ति संस्था, निगम या सीमित दायित्व भागीदारी फर्म नहीं है, उसके संबंध में, चाहे विधि के संचालन द्वारा या करार द्वारा अथवा अन्यथा, ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन और नीतियों को निर्देशित करने की शक्ति अभिप्रेत है;

“एटीसी” से अभिप्रेत वायु यातायात नियंत्रण है;

“एटीसी सुविधा” से अभिप्रेत विमानपतन पर स्थित हवाई यातायात सेवा परिसर है, जिसमें एटीसी टावर, तकनीकी ब्लॉक तथा कार्यालय परिसर शामिल हैं, साथ ही इसके कार्मिकों के लिए संलग्न वाहन पार्किंग की सुविधा तथा वातानुकूलन और विद्युत एवं जल की सतत आपूर्ति की व्यवस्था है;

“प्राधिकरण की चूक” का वही अर्थ होगा जो खंड 35.2.1 में निर्धारित किया गया है;

“संतुलन भुगतान” का वही अर्थ होगा जो खंड 31.4.1 में निर्धारित किया गया है;

“बैंक” से अभिप्रेत भारत में निगमित ऐसा अनुसूचित बैंक है, जिसकी न्यूनतम निवल संपत्ति ₹1,000,00,00,000 करोड़ (रुपये एक हजार करोड़) हो, अथवा वरिष्ठ ऋणदाताओं को स्वीकार्य कोई अन्य बैंक हो, किंतु इसमें कोई सहकारी बैंक शामिल नहीं होगा ;

“बैंक रेट” का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 49 अथवा तत्समय प्रवृत्त उसके किसी प्रतिस्थापन के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ब्याज दर से है;

“बीसीएएस” का अर्थ नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो अथवा उसका कोई प्रतिस्थापित निकाय या उत्तराधिकारी है;

“बोली” का अर्थ चयनित बोलीदाता द्वारा अनुरोध प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में उसके प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत बोली में सम्मिलित दस्तावेजों से है;

“बोली सुरक्षा” का अर्थ अनुरोध प्रस्ताव के अनुसार बोली के साथ रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रदान की गई प्रतिभूति से है, जो निष्पादन प्रतिभूति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक प्रवृत्त रहेगी;

“कार्गो सुविधाओं” से आशय, यथास्थिति, आने वाले और जाने वाले माल (कार्गो) के प्रबंधन के लिए आवश्यक भवनों, संरचनाओं एवं उपकरणों, डॉकिंग स्थान, विमान पार्किंग, वाहनों की पार्किंग तथा उनसे संबद्ध भूमि से है, जिसमें ऐसे माल का अल्पकालिक भंडारण भी शामिल है।

“कानून में परिवर्तन” से अभिप्राय बोली की तारीख के पश्चात निम्नलिखित में से किसी घटना के घटित होने से है:

(क) किसी नए भारतीय कानून का अधिनियमन;

(ख) किसी मौजूदा भारतीय कानून का निरसन, संशोधन या पुनः-अधिनियमन;

(ग) किसी ऐसे भारतीय कानून का प्रवर्तन, जो बोली की तारीख तक प्रभावी नहीं हुआ था;

(ङ) किसी अभिलेख न्यायालय के ऐसे निर्णय द्वारा किसी भारतीय कानून की व्याख्या या उसके अनुप्रयोग में परिवर्तन, जो अंतिम, निर्णायक एवं बाध्यकारी हो गया हो, और जो बोली की तारीख से पूर्व किसी अभिलेख न्यायालय द्वारा की गई ऐसी व्याख्या या अनुप्रयोग की तुलना में भिन्न हो; या

(च) किसी भी ऐसे कर की दरों में कोई परिवर्तन, जिसका परियोजना पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो ;

“स्वामित्व में परिवर्तन” से अभिप्राय किसी शेयर या शेयरों में परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कानूनी या लाभकारी स्वामित्व के ऐसे हस्तांतरण से है, जिसके परिणामस्वरूप कुल इक्विटी में निम्नलिखित हिस्सेदारी कम हो जाए:

(क) यदि चयनित बोलीदाता एकल बोलीदाता है, तो सीओडी से 5 (पाँच) वर्ष की अवधि की समाप्ति तक, कुल इक्विटी में चयनित बोलीदाता की हिस्सेदारी 51% (इक्यावन प्रतिशत) से कम हो जाए; या

(ख) यदि चयनित बोलीदाता एक कंसोर्टियम है, तो चयनित बोलीदाता के प्रत्येक ऐसे सदस्य की, जिसका अनुभव तकनीकी क्षमता या वित्तीय क्षमता के लिए मूल्यांकित किया गया है, कुल इक्विटी में हिस्सेदारी सीओडी से 5 (पाँच) वर्ष की अवधि की समाप्ति तक 26% (छब्बीस प्रतिशत) से कम हो जाए;

“नियामक दर्शन में परिवर्तन” से अभिप्राय बोली की तारीख के पश्चात नियामक ढाँचे में परिवर्तन से है;

“कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन” का वही अर्थ होगा जो खंड 17.1.1 में निर्धारित किया गया है;

“कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन आदेश” का वही अर्थ होगा जो खंड 17.2.3 में निर्धारित किया गया है;

“कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन सूचना” का वही अर्थ होगा जो खंड 17.2.1 में निर्धारित किया गया है;

“चेक-इन सेवाएँ” का वही अर्थ होगा जो खंड 19.10.1 में निर्धारित किया गया है।

“शिकागो कन्वेंशन” से तात्पर्य शिकागो कन्वेंशन, 1944 से है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित और/या अनुपूरित किया गया हो, शिकागो कन्वेंशन के किसी “अनुलग्नक” के संदर्भ का अर्थ ऐसे अनुलग्नक से होगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित और/या अनुपूरित किया गया हो;

“सिटी साइड” से तात्पर्य साइट का वह अचल संपत्ति भाग है, जिसे अनुसूची ए में सिटी साइड के रूप में निर्धारित किया गया है।

“सिटी साइड विकास” का वही अर्थ होगा जो खंड 3.2 में दिया गया है।

“सं.दि.नि/वा.या.प्र करार” से तात्पर्य प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया जाने वाला ऐसा करार है, जो सारतः अनुसूची क्यू में दिए गए प्रारूप के अनुरूप होगा।

“सं.दि.नि/वा.या.प्र उपकरण” से तात्पर्य नामित सरकारी एजेंसी द्वारा सं.दि.नि/वा.या.प्र सेवाओं के निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी उपकरणों से है।

“सं.दि.नि/वा.या.प्र सेवाएँ” से तात्पर्य विमानपतन पर प्रदान की जाने वाली संचार, दिक्चालन और निगरानी तथा वायु यातायात प्रबंधन सेवाओं से है।

“सीओडी” या “वाणिज्यिक प्रचालन तिथि” का वही अर्थ होगा जो खंड 15.1.1 में दिया गया है।

“शिकायत रजिस्टर” का वही अर्थ होगा जो खंड 43.1.1 में दिया गया है।

“शिकायतकर्ता” का वही अर्थ होगा जो खंड 43.1.1 में दिया गया है।

“पूर्णता” का वही अर्थ होगा जो खंड 14.2 में दिया गया है।

“पूर्णता प्रमाण-पत्र” का वही अर्थ होगा जो खंड 14.2 में दिया गया है।

“पूर्णता रिपोर्ट” का वही अर्थ होगा जो खंड 14.2 में दिया गया है।

“रियायत” का वही अर्थ होगा जो खंड 3.1.1 में दिया गया है।

“रियायतग्राही” का वही अर्थ होगा जो पक्षकारों की सारणी में इसे दिया गया है।

“रियायत अवधि” से तात्पर्य COD से प्रारंभ होने वाली और हस्तांतरण तिथि को समाप्त होने वाली अवधि से है।

“रियायत वर्ष” से तात्पर्य 1 (एक) वर्ष की प्रत्येक अवधि से है, जो सीओडी से प्रारंभ होगी और प्रत्येक वर्ष में 365 दिनों की अवधि की समाप्ति पर समाप्त होगी, सिवाय अधिवर्ष के, जिसमें यह अवधि 366 दिनों की होगी; परंतु अंतिम रियायत वर्ष के मामले में उक्त अवधि हस्तांतरण तिथि को समाप्त होगी।

“रियायतग्राही की चूक” का वही अर्थ होगा जो खंड 35.1.1 में दिया गया है।

“पूर्ववर्ती शर्त” का वही अर्थ होगा जो खंड 4.1.1 में दिया गया है।

“निर्माण कार्य” से तात्पर्य इस करार के अनुसार किसी चरण को पूर्ण करने के लिए आवश्यक सभी कार्यों और गतिविधियों से है तथा इसमें विमानपतन-संबंधी परिसंपत्तियाँ, गैर-विमानपतन परिसंपत्तियाँ, परियोजना सुविधाएँ तथा रियायत अवधि के दौरान विमानपतन पर किए गए अन्य सभी निर्माण कार्य सम्मिलित होंगे।

“ठेकेदार” से तात्पर्य उस व्यक्ति या व्यक्तियों से है, जिनके साथ रियायतग्राही ने ईपीसी संविदाओं, ऑ&एम संविदाओं अथवा विमानपतन के प्रचालन, प्रबंधन और विकास या उससे संबंधित आनुषंगिक विषयों के लिए किसी अन्य महत्वपूर्ण करार या संविदा में प्रवेश किया है; परंतु इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा जिसने रियायतग्राही को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसी करार में प्रवेश किया हो।

“संविदाएँ” का वही अर्थ होगा जो खंड 5.6.2 में दिया गया है।

“कार्य की लागत” से तात्पर्य निम्नलिखित का कुल योग है:

(ए) रियायतग्राही द्वारा निर्धारित, चरण 1 के निर्माण, कार्यान्वयन और कमीशनिंग के संबंध में किए जाने हेतु अनुमानित पूंजीगत लागत;

(बी) अनुमानित मानी गई प्रारंभिक आरएबी;

(सी) खंड 6.4.5 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति की गई राशियाँ; और

(डी) अनुमानित प्रारंभिक गैर-विमानपतन निवेश ;

“प्रतिज्ञापन” का वही अर्थ होगा जो खंड 5.2.5 में दिया गया है।

“सीपीआई (आईडबल्यू)” से तात्पर्य भारत सरकार के श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से है और इसमें सीपीआई (आईडबल्यू) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाने वाला कोई भी सूचकांक सम्मिलित होगा। सीपीआई (आईडबल्यू) के किसी भी संदर्भ को, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, पूर्ववर्ती तिमाही पर समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रकाशित सीपीआई (आईडबल्यू) के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

“उपचार अवधि” से तात्पर्य इस करार में निर्दिष्ट उस अवधि से है, जिसके दौरान इस करार के किसी प्रावधान के उल्लंघन या चूक का उपचार उस उल्लंघन या चूक के लिए उत्तरदायी पक्ष द्वारा किया जाना है, और ऐसी अवधि:

(क) उस तारीख से प्रारंभ होगी, जिस तारीख को एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस दिया जाता है, जिसमें दूसरे पक्ष से उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट उल्लंघन या चूक का उपचार करने के लिए कहा जाता है;

(ख) इस करार के प्रावधानों अथवा लागू कानूनों के अंतर्गत किसी पक्ष की क्षतिपूर्ति या मुआवजा अदा करने की देयता से उस पक्ष को मुक्त नहीं करेगी; और

(ग) इस करार के अंतर्गत किसी निलंबन की अवधि के कारण किसी भी प्रकार से विस्तारित नहीं होगी; परंतु यह कि, यदि रियायतग्राही द्वारा किसी उल्लंघन का उपचार करने के लिए ऐसी युक्तियुक्त कार्रवाई अपेक्षित है, जिसके लिए इस करार के अंतर्गत प्राधिकरण की स्वीकृति आवश्यक है, तो लागू उपचार अवधि को प्राधिकरण द्वारा ऐसी स्वीकृति प्रदान करने में लिए गए समय की अवधि तक बढ़ाया जाएगा।

“क्षतिपूर्ति” का वही अर्थ होगा जो खंड 1.2.1 की उप-धारा (y) में दिया गया है।

“मानी गई प्रतिनियुक्ति अवधि” का वही अर्थ होगा जो खंड 6.5.1 में दिया गया है।

“मानी गई निष्पादन प्रतिभूति” का वही अर्थ होगा जो खंड 9.4 में दिया गया है।

“मानी गई प्रारंभिक विनियमित परिसंपत्ति आधार” का वही अर्थ होगा जो खंड 28.11 में दिया गया है।

“रक्षा बल” से तात्पर्य भारतीय थल सेना, नौसेना अथवा वायु सेना से है और इसमें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अर्धसैनिक बल भी सम्मिलित होंगे।

“कर्मचारियों की कमी” का वही अर्थ होगा जो खंड 6.5.10 में दिया गया है।

“कर्मचारियों की कमी से संबंधित लागत” का वही अर्थ होगा जो खंड 6.5.10 में दिया गया है।

“भारत सरकार की अधिकृत एजेंसी” से तात्पर्य भारत सरकार के नियंत्रणाधीन किसी विभाग या अन्य निकाय से है, जिसे विमानपतन के प्रचालन और प्रबंधन के संबंध में वैधानिक कार्य सौंपे गए हैं, जैसे सीमा शुल्क नियंत्रण, आव्रजन नियंत्रण, क्वारंटीन/संगरोध, वायु यातायात नियंत्रण, विमानपतन सुरक्षा, मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएँ, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ आदि।

“विकास योजना” का वही अर्थ होगा जो अनुसूची ए के अनुलग्नक II (अनुलग्नक II) में दिया गया है।

“विकास अवधि” से तात्पर्य वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ होने की तारीख से चरण 1 पूर्णता तिथि तक की अवधि से है तथा बाद के चरणों के संबंध में ऐसी अवधि उस तारीख से प्रारंभ होगी, जो रियायतग्राही द्वारा स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से निर्धारित की जाएगी और संबंधित चरण के पूर्ण होने की तारीख को समाप्त होगी।

“डीजीसीए” से तात्पर्य नागर विमानन महानिदेशालय या उसके स्थान पर कार्य करने वाले किसी उत्तराधिकारी/प्रतिस्थापित प्राधिकरण से है।

“विवाद” का वही अर्थ होगा जो खंड 41.1.1 में दिया गया है।

“विवाद समाधान प्रक्रिया” से तात्पर्य खंड 41.2 में निर्धारित विवादों के समाधान की प्रक्रिया से है।

“विनिवेश संबंधी अपेक्षाएँ” से तात्पर्य समाप्ति के संबंध में तथा उसके लिए रियायतग्राही के उन दायित्वों से है, जो खंड 36.1 में निर्धारित किए गए हैं।

“दस्तावेज़” या **“दस्तावेज़ीकरण”** से तात्पर्य मुद्रित या लिखित रूप में अथवा टेप, डिस्क, डाइंग, कंप्यूटर प्रोग्राम, लेख, रिपोर्ट, फोटोग्राफ, फिल्म, कैसेट अथवा किसी अन्य लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, श्रव्य या दृश्य रूप में अभिव्यक्त दस्तावेज़ीकरण से है।

“ड्रॉइंग/आरेख” से तात्पर्य विमानपत्तन से संबंधित सभी ड्रॉइंग, गणनाओं और दस्तावेजों से है, जैसा कि खंड 12.3 में निर्धारित किया गया है, और इसमें विमानपत्तन की “यथानिर्मित ड्रॉइंग” भी सम्मिलित होंगी।

“ईपीसी संविदा” से तात्पर्य रियायतग्राही द्वारा एक या अधिक ठेकेदारों के साथ की गई इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण संविदा से है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, इस करार के प्रावधानों के अनुसार विमानपत्तन की इंजीनियरिंग और निर्माण के लिए की गई हो।

“ईपीसी ठेकेदार” से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसके साथ रियायतग्राही ने ईपीसी संविदा की है।

“आपातकाल” से तात्पर्य ऐसी दशा या स्थिति से है जिससे विमानपत्तन पर या उसके आसपास जीवन अथवा संपत्ति की सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो अथवा जो किसी परियोजना परिसंपत्ति को महत्वपूर्ण क्षति पहुँचने का तत्काल खतरा उत्पन्न करती हो; और इसमें लोक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरा भी सम्मिलित होगा।

“दायित्व” से तात्पर्य, विमानपत्तन के संबंध में, किसी भी प्रकार के ऐसे दायित्व से है, जैसे बंधक, प्रभार, गिरवी, धारणाधिकार, हाइपोथिकेशन, प्रतिभूति हित, समनुदेशन, विशेषाधिकार या किसी भी प्रकार की प्राथमिकता, जिसका प्रभाव प्रतिभूति अथवा अन्य समान दायित्व उत्पन्न करने वाला हो। इसमें, जहाँ इस करार के अंतर्गत लागू हो, विमानपत्तन से संबंधित किसी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत हानि पूर्तिकर्ता या लाभार्थी का कोई नामांकन अथवा कोई समान व्यवस्था भी सम्मिलित होगी; परंतु खंड 11.1 में संदर्भित मौजूदा उपयोगिताएँ इसमें सम्मिलित नहीं होंगी।

“रोजगार प्रस्ताव” का वही अर्थ होगा जो खंड 6.5.6 में दिया गया है।

“इक्विटी” से तात्पर्य भारतीय रुपये में व्यक्त उस राशि से है, जो रियायतग्राही की चुक्ता इक्विटी शेयर पूंजी को दर्शाती है। इस करार के प्रयोजनों के लिए इसमें ऐसे परिवर्तनीय लिखत अथवा पूंजी के अन्य समान रूप भी सम्मिलित होंगे, जिन्हें अनिवार्य रूप से रियायतग्राही की इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तित किया जाना होगा।

“एस्करो खाता” से तात्पर्य ऐसे खाते से है, जिसे रियायतग्राही किसी बैंक में खोलेगा और बनाए रखेगा, जिसमें पूंजीगत एवं राजस्व प्राप्तियों तथा व्ययों से संबंधित सभी नकदी अंतर्वाह और बहिर्वाह, इस करार के प्रावधानों के अनुसार, यथास्थिति जमा और नामे किए जाएंगे। इसमें ऐसे एस्करो खाते के उप-खाते भी सम्मिलित होंगे।

“एस्करो करार” का वही अर्थ होगा जो खंड 29.1.2 में दिया गया है;

“एस्करो बैंक” का वही अर्थ होगा जो खंड 29.1.1 में दिया गया है;

“एस्करो डीड” का वही अर्थ होगा जो अनुसूची एम में दिया गया है;

“अनुमानित मानी गई प्रारम्भिक आरएबी” का वही अर्थ होगा जो खंड 28.11 में दिया गया है;

“छूटप्राप्त व्यक्ति” का अर्थ उन व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों से है जिन्हें नागरिक हवाईअड्डों पर प्रस्थान-पूर्व सुरक्षा जाँच से छूट प्राप्त व्यक्तियों के रूप में नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है;

“विद्यमान करार” का अर्थ अनुसूची टी में सूचीबद्ध करारों, जिनमें पट्टे भी शामिल हैं, से है;

“शुल्क” का अर्थ किसी उपयोगकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से किसी या सभी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लगाए जाने वाले और देय प्रभार से है—

- (क) विनियामक ढाँचे के प्रावधानों के अनुसार एरा द्वारा निर्धारित या संशोधित एवं अनुमोदित वैमानिक सेवाओं के लिए शुल्क; तथा
- (ख) गैर-वैमानिक सेवाओं के लिए शुल्क;

“वित्तीय क्षमता” का वही अर्थ होगा जो आरएफपी में दिया गया है;

“वित्तीय समापन” का अर्थ वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा वित्तपोषण करारों के अधीन निधियों के संवितरण के लिए तैयार होने की स्थिति से है;

“वित्तीय चूक” का वही अर्थ होगा जो अनुसूची पी में दिया गया है;

“वित्तपोषण करार” का अर्थ वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा ऋण, गारंटी, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर तथा अन्य ऋण लिखतों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में रियायतग्राही द्वारा निष्पादित करारों से है, जिसमें ऋण करार, गारंटी, नोट, डिबेंचर, बॉण्ड तथा अन्य ऋण लिखत, प्रतिभूति करार और कार्यों की लागत के वित्तपोषण (जिसमें पुनर्वित्तपोषण भी शामिल है) से संबंधित अन्य दस्तावेज शामिल हैं तथा खंड 52.3 के अनुसार किए गए संशोधन या परिवर्तन भी इसमें शामिल हैं;

“अप्रत्याशित घटना” का वही अर्थ होगा जो खंड 32.5 में दिया गया है;

“अप्रत्याशित घटना लागत” का वही अर्थ होगा जो संबंधित खंड में दिया गया है;

“जीओआई” का अर्थ भारत सरकार तथा उसके सभी विभागों, मंत्रालयों और एजेंसियों से है;

“उद्योग की उत्तम प्रथा” का अर्थ उन प्रथाओं, विधियों, तकनीकों, डिजाइन, मानकों, कौशल, परिश्रम, दक्षता, विश्वसनीयता एवं विवेक से है, जिसकी सामान्यतः और युक्तिसंगत रूप से उसी प्रकार के उपक्रम में संलग्न एक कुशल एवं अनुभवी संचालक से अपेक्षा की जाती है जैसा इस करार में परिकल्पित है तथा जिनसे रियायतग्राही द्वारा इस करार, लागू कानूनों एवं लागू अनुमतियों के अनुसार सुरक्षित, विश्वसनीय, किफायती और दक्ष तरीके से अपने दायित्वों का निष्पादन तथा सुरक्षित, किफायती, विश्वसनीय एवं दक्ष वैमानिक एवं गैर-वैमानिक सेवाओं का प्रावधान अपेक्षित है;

“सरकार” का अर्थ, जैसा लागू हो, राज्य सरकार अथवा भारत की संघ सरकार से है;

“सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्ति” का वही अर्थ होगा जो खंड 40.1.1 में दिया गया है;

“सरकारी निकाय” का अर्थ भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग, प्रभाग या उप-प्रभाग से है और इसमें भारत सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कोई आयोग, बोर्ड, प्राधिकरण, एजेंसी, नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकरण अथवा सांविधिक निकाय, जिसमें पंचायत भी शामिल है, जो हवाईअड्डे के संपूर्ण या किसी भाग अथवा इस करार के अधीन रियायतग्राही की सभी या किसी सेवा या दायित्व के निष्पादन पर अधिकारिता रखता हो, शामिल है।

“भूमि प्रबंधन सेवाएँ” का वही अर्थ होगा जो खंड 19.2 में दिया गया है;

“जीएसटी” का अर्थ वस्तु एवं सेवा कर अथवा भविष्य में वस्तु एवं सेवा कर के स्थान पर लागू होने वाला कोई अन्य कर है;

“आईएटीए” का अर्थ अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ है;

“आईएटीए सेवा स्तर - इष्टतम” का अर्थ आईएटीए के एयरपोर्ट विकास संदर्भ मैनुअल के 10वें संस्करण में “इष्टतम” श्रेणी के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न विमानपतन उप-प्रणालियों के लिए निर्धारित न्यूनतम सेवा आवश्यकताओं से है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित, परिवर्तित या अनुपूरित किया जा सकता है। संदेह से बचने के लिए, यदि आईएटीए द्वारा एयरपोर्ट विकास संदर्भ मैनुअल का प्रकाशन बंद कर दिया जाता है, तो इसका अर्थ किसी समान सेवा-स्तर ढाँचे से होगा;

“आईसीएओ” का अर्थ शिकागो अभिसमय द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन है;

“आईसीएओ दस्तावेज़ और अनुबंध” से आशय अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के दस्तावेजों और अनुबंधों से है, जिन्हें समय-समय पर संशोधित एवं प्रकाशित किया जाता है;

“आरंभ अवधि” का अर्थ इस करार की तारीख से प्रारंभ होकर वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तिथि के घटित होने तक की अवधि से है;

“क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार पक्ष” से आशय उस पक्ष से है, जो खंड 40.3 के अनुसार क्षतिपूर्ति का लाभ प्राप्त करने का हकदार है;

“क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष” से आशय उस पक्ष से है जो खंड 40.3 के अनुसार दूसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है;

“स्वतंत्र अभियंता” का वही अर्थ होगा जो खंड 24.1.1 में निर्धारित किया गया है;

“अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना” का वही अर्थ होगा जो खंड 32.3 में निर्धारित किया गया है;

“प्रारंभिक गैर-विमानन निवेश” का वही अर्थ होगा जो खंड 28.12 में निर्धारित किया गया है;

“निरीक्षण रिपोर्ट” का अर्थ खंड 13.2 के अनुसार स्वतंत्र अभियंता द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट से है;

“बीमा कवरेज” से आशय अनुच्छेद 30 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा लिए गए बीमों के अंतर्गत अधिकतम बीमित राशियों के कुल योग से है और इसमें खंड 30.2 के अधीन रियायतग्राही द्वारा ली जाने वाली अपेक्षित सभी बीमाएँ शामिल होंगी, चाहे वास्तव में ली गई हों या नहीं। किसी कार्य या घटना के संदर्भ में प्रयुक्त होने पर इसका अर्थ ऐसी कार्रवाई या घटना के संबंध में बीमित तथा देय अथवा बीमित और देय मानी गई अधिकतम बीमित राशियों के कुल योग से होगा;

“बौद्धिक संपदा” का अर्थ सभी पेटेंट, ट्रेडमार्क, सेवा चिह्न, लोगो, व्यापारिक रूप, व्यापार नाम, इंटरनेट डोमेन नाम, डिजाइन, ब्लूप्रिंट, कार्यक्रम और मैनुअल, प्रशिक्षण सामग्री, कॉपीराइट (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अधिकारों सहित), डेटाबेस अधिकार, अर्धचालक टोपोग्राफी अधिकार, उपयोगिता मॉडल, तकनीकी ज्ञान संबंधी अधिकार तथा अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों से है, चाहे वे पंजीकृत हों या अपंजीकृत, और इसमें पंजीकरण के लिए आवेदन तथा विश्व के किसी भी भाग में समान या समकक्ष प्रभाव वाले सभी अधिकार या संरक्षण के रूप शामिल हैं।

“संयुक्त प्रबंधन अवधि” का वही अर्थ होगा जो खंड 6.5.1(ii) में निर्धारित किया गया है।

“प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक” से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं।

“प्रमुख निष्पादन संकेतक” का वही अर्थ होगा जो खंड 23.1 में निर्धारित किया गया है।

“पुरस्कार पत्र” अथवा **“एलओए”** से तात्पर्य **प्रस्तावना डी** में उल्लिखित पुरस्कार पत्र से है।

“ऋणदाताओं का प्रतिनिधि” से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा इस करार से उत्पन्न होने वाले अथवा इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से कार्य करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है तथा इसमें उसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिनी और प्रतिस्थापित व्यक्ति भी शामिल होंगे।

“मास्टर प्लान” से तात्पर्य हवाईअड्डे के निर्माण के लिए रियायतग्राही द्वारा तैयार की गई उस योजना से है, जिसमें रियायत अवधि के दौरान विमानन सेवाओं तथा गैर-विमानन सेवाओं को सम्मिलित किया गया हो और जिसे परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर अद्यतन किया जाता हो।

“महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव” से तात्पर्य किसी कार्य या घटना के किसी पक्ष की इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों का इस करार के प्रावधानों के अनुसार पालन करने की क्षमता पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव से है, जिसके कारण उस पक्ष पर महत्वपूर्ण वित्तीय भार या हानि उत्पन्न होती है।

“मासिक रियायत शुल्क” का वही अर्थ होगा जो खंड 27.1.1 में निर्धारित किया गया है।

“मासिक विवरण” से तात्पर्य उस विवरण से है जिसे प्रत्येक माह की समाप्ति के **7 (सात) दिनों** के भीतर रियायतग्राही द्वारा **खंड 28.9** के अनुसार प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

“नामित कंपनी” से तात्पर्य उस कंपनी से है जिसे ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा चयनित किया गया हो और जिसे प्रतिस्थापन करार के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही के स्थान पर प्रतिस्थापन के लिए प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तावित किया गया हो।

“गैर-विमानन परिसंपत्तियां” से तात्पर्य उन परिसंपत्तियों से है जो हवाईअड्डे पर गैर-विमानन सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक या अपेक्षित हैं तथा इसमें ऐसी अन्य परिसंपत्तियां भी शामिल होंगी जिन्हें रियायतग्राही इस करार के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर गैर-विमानन सेवाओं के निष्पादन के लिए या उससे संबंधित प्रयोजन के लिए प्राप्त कर सकता है। इसमें विमानन परिसंपत्तियां शामिल नहीं होंगी।

“गैर-विमानन सेवाएं” से तात्पर्य विमानन सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाओं से है।

“गैर-राजनीतिक घटना” का वही अर्थ होगा जो खंड 32.2 में निर्धारित किया गया है।

“संचालन एवं अनुरक्षण (ओ&एम)” से तात्पर्य हवाईअड्डे के संचालन, प्रबंधन एवं अनुरक्षण से है तथा इसमें ऐसे संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक सभी विषय, सेवाओं एवं सुविधाओं का प्रावधान तथा इस करार के प्रावधानों के अनुसार शुल्क का संग्रहण शामिल होगा।

“संचालन एवं अनुरक्षण करार” से तात्पर्य उन संचालन, प्रबंधन एवं अनुरक्षण करारों से है जो रियायतग्राही और **संचालन एवं अनुरक्षण ठेकेदारों** के बीच रियायतग्राही के सभी या किसी संचालन एवं अनुरक्षण दायित्व के निष्पादन के लिए किए जा सकते हैं।

“संचालन एवं अनुरक्षण ठेकेदार” से तात्पर्य उस व्यक्ति या व्यक्तियों से है, यदि कोई हो/हों, जिनके साथ रियायतग्राही ने अपने संचालन एवं अनुरक्षण दायित्वों के निर्वहन के लिए अपनी ओर से संचालन एवं अनुरक्षण करार किए हैं।

“संचालन एवं अनुरक्षण व्यय” से तात्पर्य रियायतग्राही द्वारा या उसकी ओर से अथवा, यथास्थिति, प्राधिकरण द्वारा संचालन एवं अनुरक्षण के संबंध में किए गए सभी व्ययों से है, जिनमें शामिल हैं— (क) कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य पारिश्रमिक/प्रतिपूर्ति की लागत; (ख) सामग्री, आपूर्ति, उपयोगिताओं तथा अन्य सेवाओं की लागत; (ग)

बीमा के लिए देय प्रीमियम; (घ) संचालन एवं अनुरक्षण के लिए देय सभी कर तथा शुल्क; (ङ) सभी मरम्मत, प्रतिस्थापन, पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन, सुधार तथा अनुरक्षण की लागत; (च) संचालन एवं अनुरक्षण करार, शुल्क संग्रहण करार अथवा संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित या उसके आनुषंगिक किसी अन्य करार के अंतर्गत किए जाने वाले भुगतान; तथा (छ) लागू विधियों, लागू अनुज्ञप्तियों अथवा इस करार के अंतर्गत हवाईअड्डे के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए किए जाने वाले अन्य सभी आवश्यक व्यय।

“संचालन एवं अनुरक्षण निरीक्षण रिपोर्ट” का वही अर्थ होगा जो खंड 21.5 में निर्धारित किया गया है।

“सनदी लेखाकारों का पैनल” का वही अर्थ होगा जो खंड 31.2.1 में निर्धारित किया गया है।

“पार्किंग” का वही अर्थ होगा जो खंड 19.12 में निर्धारित किया गया है।

“पक्षकारगण” से तात्पर्य सामूहिक रूप से इस करार के पक्षकारों से है तथा “पक्षकार” से तात्पर्य इस करार के किसी एक पक्षकार से होगा।

“यात्री यातायात” से तात्पर्य हवाईअड्डे का उपयोग करने वाले यात्रियों की कुल संख्या से है, जिसमें प्रस्थान करने वाले तथा आगमन करने वाले यात्री दोनों शामिल होंगे।

“व्यस्ततम घंटा” से तात्पर्य उस घंटे से है जो पिछले लेखा वर्ष के उस घंटे के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें उक्त लेखा वर्ष के दौरान यात्री यातायात की दृष्टि से **30वां (तीसवां) सर्वाधिक व्यस्त घंटा** रहा हो।

“व्यस्ततम अवधि” से तात्पर्य एक दिन के दौरान उन 4 (चार) घंटों से है, जिनमें यात्री यातायात सर्वाधिक होता है; तथा दिन के शेष घंटों को “गैर-व्यस्ततम अवधि” माना जाएगा।

“व्यस्ततम घंटा यातायात” से तात्पर्य प्रत्येक दिन के व्यस्ततम घंटे के दौरान होने वाले यात्री यातायात से है।

“निष्पादन प्रतिभूति” का वही अर्थ होगा जो खंड 9.1.1 में निर्धारित किया गया है।

“निष्पादन गारंटी” का वही अर्थ होगा जो खंड 37.2.3 में निर्धारित किया गया है।

“चरण” से तात्पर्य इस करार की शर्तों के सामान्यतः और विशेष रूप से प्रमुख निष्पादन संकेतकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, मास्टर प्लान के अनुसार हवाईअड्डे की क्षमता के विस्तार के उद्देश्य से रियायतग्राही द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले निर्माण कार्यों से है।

“चरण I” से तात्पर्य खंड 4.1.3(एच) के अनुसार, मास्टर प्लान के अनुरूप रियायतग्राही द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित सभी निर्माण कार्यों से है और किसी संदेह के निवारण के लिए, इसमें वे प्रगतिरत कार्य भी शामिल होंगे जिन्हें प्राधिकरण द्वारा खंड 6.4.5 के अनुसार रियायतग्राही को सौंपा गया है।

“चरण I पूर्णता तिथि” से तात्पर्य उस तारीख से है जिस दिन अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के अंतर्गत, यथास्थिति, पूर्णता प्रमाण-पत्र अथवा अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

“चरण पूर्णता अनुसूची” से तात्पर्य संबंधित चरण की निर्धारित पूर्णता तिथि को या उससे पहले उक्त चरण की पूर्णता के लिए निर्धारित क्रमिक चरण माइलस्टोन से है।

“चरण माइलस्टोन” से तात्पर्य खंड 12.5.2 तथा अनुसूची एफ में परिभाषित क्रमिक माइलस्टोन से है।

“पुलिस” से तात्पर्य कानून प्रवर्तन एजेंसी से है और इसमें राज्य पुलिस अथवा ऐसी कोई अन्य संस्था शामिल होगी जिसे लागू विधियों के अंतर्गत सुरक्षा, अपराध की रोकथाम अथवा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार प्रदान किया गया हो।

“पुलिस सहायता चौकी” का वही अर्थ होगा जो खंड 20.4 में निर्धारित किया गया है।

“राजनीतिक घटना” का वही अर्थ होगा जो खंड 12.4 में निर्धारित किया गया है।

“प्रवर्तक एसपीवी” का वही अर्थ होगा जो खंड 5.3.3 में निर्धारित किया गया है।

“चयनित बोलीदाता” का वही अर्थ होगा जो प्रस्तावना डी में निर्धारित किया गया है और यदि कोई कंसोर्टियम चयनित बोलीदाता है, तो इसमें ऐसे कंसोर्टियम के सभी सदस्य शामिल होंगे।

“परिरक्षण लागत” का वही अर्थ होगा जो खंड 13.5.3 में निर्धारित किया गया है।

“परियोजना” से तात्पर्य इस करार के प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डे के संचालन, प्रबंधन एवं विकास से है तथा इसमें परियोजना के दायरे से संबंधित या उसके संबंध में किए जाने वाले सभी कार्य, सेवाएं और उपकरण शामिल होंगे।

“परियोजना करार” से तात्पर्य इस करार, वित्तपोषण करार, ईपीसी करार, संचालन एवं अनुरक्षण करार, सीएनएस-एटीएम करार, जीओएल के साथ करार ज्ञापन, हवाईअड्डा संचालक करार, तथा उप-पट्टा या उप-अनुज्ञप्ति और ऐसे किसी अन्य महत्वपूर्ण करार या संविदा से है, जिसे रियायतग्राही द्वारा किसी व्यक्ति के साथ परियोजना से संबंधित, उससे उत्पन्न होने वाले अथवा उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में किया जा सकता है और जिसका करार मूल्य वार्षिक अथवा संचयी रूप से ₹25,00,00,000/- (पच्चीस करोड़ रुपये) से अधिक हो; लेकिन इसमें एस्करो करार तथा प्रतिस्थापन करार शामिल नहीं होंगे।

“परियोजना परिसंपत्तियां” से तात्पर्य स्थल से संबंधित अथवा उसका भाग बनने वाली सभी भौतिक तथा अन्य परिसंपत्तियों से है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

- (क) पट्टे के रूप में साइट पर अधिकार, मार्गाधिकार या अन्यथा;
- (ख) विमानन परिसंपत्तियां तथा गैर-विमानन परिसंपत्तियां;
- (ग) सिविल कार्यों और उपकरणों जैसी मूर्त परिसंपत्तियां, जिनमें नींव, जल निकासी कार्य, विद्युत प्रणालियां, संचार प्रणालियां तथा प्रशासनिक कार्यालय शामिल हैं;
- (घ) “स्थल पर स्थित परियोजना सुविधाएं”
- (ङ) शहर-पक्ष विकास का भाग बनने वाली इमारतें तथा अचल स्थापनाएं या संरचनाएं;
- (च) परियोजना करारों के अंतर्गत रियायतग्राही के सभी अधिकार;
- (छ) वित्तीय परिसंपत्तियां, जैसे प्राप्य राशियां, प्रतिभूति जमा, सभी परक्राम्य लिखत आदि;
- (ज) बीमा के अंतर्गत प्राप्त धनराशि; तथा
- (झ) हवाईअड्डे से संबंधित अथवा उसके संबंध में लागू अनुज्ञप्तियां एवं प्राधिकरण।

“परियोजना सुविधाएं” से तात्पर्य स्थल पर स्थित उन सभी सुख-सुविधाओं एवं सुविधाओं से है जिनका वर्णन अनुसूची बी में किया गया है।

“संरक्षित दस्तावेज” से तात्पर्य उन दस्तावेजों, लिखतों और सूचनाओं से है जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के प्रावधानों के अंतर्गत अथवा समय-समय पर लागू किसी प्रतिस्थापित, संशोधित या परिवर्तित प्रावधान के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है।

“अनंतिम पूर्णता” का वही अर्थ होगा जो खंड 14.3.1 में निर्धारित किया गया है।

“शेष कार्य सूची” का वही अर्थ होगा जो खंड 14.3.1 में निर्धारित किया गया है।

"Re.", "Rs.", "Rupees", "INR" अथवा "Indian Rupees" से तात्पर्य भारत गणराज्य की विधिसम्मत मुद्रा से है।

"विनियामक" से आशय एईआरए अथवा लागू विधियों के अनुसार विमानपत्तन के वैमानिकी प्रभागों के निर्धारण हेतु भारत सरकार द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, नामित कोई अन्य संस्था से है;

"विनियामक ढाँचा" से आशय लागू विधियों के अनुसार विनियामक द्वारा अपनाए गए ढाँचे से है, जिसमें एरा अधिनियम तथा विमानपत्तन प्रचालकों के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु शर्तें एवं निबंधन संबंधी विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण दिशानिर्देश, 2011 शामिल हैं;

"प्रस्ताव हेतु अनुरोध" या "आरएफपी" का वही अर्थ होगा जो प्रस्तावना सी में निर्धारित किया गया है;

"आरक्षित क्षेत्र" से आशय खंड 19.8 और खंड 20.7 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण तथा नामित भारत सरकार की एजेंसियों के लिए आरक्षित स्थान एवं क्षेत्र से है;

"आरक्षित पार्किंग" का वही अर्थ होगा जो खंड 19.12.4 में निर्धारित किया गया है;

"आरक्षित सेवाएँ" का वही अर्थ होगा जो खंड 20.1.1 में निर्धारित किया गया है;

"मार्गाधिकार" से आशय सभी वे-लीव, सुखाधिकार, अप्रतिबंधित पहुँच तथा अन्य मार्गाधिकारों सहित, किसी भी रूप में वर्णित, स्थल पर रचनात्मक कब्जे से है, जो विमानपत्तन के परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए आवश्यक हैं;

"नियम" से आशय नई दिल्ली स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन के मध्यस्थता नियमों से है, जिन्हें समय-समय पर संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है;

"रनवे" से आशय विमानपत्तन पर स्थित उस भूमि-पट्टी से है, जिस पर वायुयान उड़ान भरेंगे और उतरेंगे तथा जो मानव-निर्मित सतह हो सकती है, जिसमें डामर, कंक्रीट अथवा दोनों के मिश्रण का उपयोग किया गया हो;

"सुरक्षा अपेक्षाएँ" का वही अर्थ होगा जो खंड 18.15 में निर्धारित किया गया है;

"निर्धारित पूर्णता तिथि" का चरण 1 के संबंध में वही अर्थ होगा जो खंड 12.5.1 में निर्धारित किया गया है और अन्य चरणों के संबंध में, निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व, संबंधित चरण के लिए स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से रियायतग्राही द्वारा निर्धारित की जाएगी;

"परियोजना का कार्यक्षेत्र" का वही अर्थ होगा जो खंड 2.1 में निर्धारित किया गया है;

"चयनित कर्मचारी" का वही अर्थ होगा जो खंड 6.5.1(i) में निर्धारित किया गया है;

"चयनित कर्मचारी लागत" का वही अर्थ होगा जो खंड 6.5.5 में निर्धारित किया गया है;

"वरिष्ठ ऋणदाता" से आशय वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, बहुपक्षीय ऋणदाता एजेंसियों, न्यासों, निधियों तथा डिबेंचर धारकों के अभिकर्ताओं या न्यासियों, जिसमें उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशित व्यक्ति भी शामिल हैं, से है, जिन्होंने किसी वित्तपोषण करार के अंतर्गत रियायतग्राही को वित्त प्रदान करने या उसके लिए वित्त की गारंटी देने पर सहमति दी है और जो उसके नियमों एवं शर्तों के अनुसार रियायतग्राही की परिसंपत्तियों, अधिकारों, हक एवं हितों पर समानुपाती (pari passu) प्रभार रखते हैं;

"सेवा गुणवत्ता अपेक्षाएँ" का वही अर्थ होगा जो अनुसूची एच के अनुबंध 1 में निर्धारित किया गया है;

"स्थल" का वही अर्थ होगा जो खंड 10.1 में निर्धारित किया गया है;

"विनिर्देश और मानक" से आशय विमानपत्तन की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता तथा अन्य आवश्यकताओं/मानदंडों से संबंधित उन विनिर्देशों और मानकों से है, जो अनुसूची सी में निर्धारित हैं, तथा उनमें किए गए कोई संशोधन अथवा उनमें की गई कोई वृद्धि भी इसमें शामिल होगी।

"राज्य" से आशय उस राज्य से है जिसमें प्राधिकरण का पंजीकृत कार्यालय स्थित है;

"राज्य सरकार" से आशय असम सरकार से है;

"सांविधिक लेखापरीक्षक" से आशय प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से है, जो समय-समय पर प्रवृत्त कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, जिसमें उसका कोई पुनः अधिनियमन या संशोधन भी शामिल है, के अंतर्गत रियायतग्राही के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करती है तथा जिसे खंड 31.2.1 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार नियुक्त किया गया है;

"अधीनस्थ ऋण" से आशय निम्नलिखित राशियों के कुल योग से है, जो भारतीय रुपये अथवा ऋण की मुद्रा में, जैसी भी स्थिति हो, व्यक्त की गई हों और अंतरण तिथि को बकाया हों:

(क) परियोजना लागत की पूर्ति के लिए ऋणदाताओं अथवा रियायतग्राही के शेयरधारकों द्वारा उपलब्ध कराई गई ऋण की मूलधन राशि, जो वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के अधीनस्थ हो; और

(ख) उपर्युक्त उप-खंड (क) में उल्लिखित ऋण पर अर्जित समस्त ब्याज, किंतु भारतीय रुपये में व्यक्त ऋणों के मामले में वास्तविक ब्याज दर तथा बैंक दर से 5% (पाँच प्रतिशत) अधिक की दर में से जो कम हो, तक सीमित तथा विदेशी मुद्रा में व्यक्त ऋणों के मामले में वास्तविक ब्याज दर तथा 6 (छह) माह की एलआईबीओआर (LIBOR) (लंदन इंटर-बैंक ऑफर्ड रेट) में 2% (दो प्रतिशत) जोड़कर प्राप्त दर में से जो कम हो, तक सीमित होगा; तथापि, इसमें वह कोई ब्याज शामिल नहीं होगा जो अंतरण तिथि से 1 (एक) वर्ष पूर्व देय हो गया था;

परंतु यह प्रावधान है कि, यदि अधीनस्थ ऋण का संपूर्ण या कोई भाग ऋणदाताओं और/या रियायतग्राही के शेयरधारकों के विकल्प पर इक्विटी में परिवर्तनीय है, तो इस करार के प्रयोजनों के लिए ऐसे परिवर्तन के पश्चात भी उसे अधीनस्थ ऋण माना जाएगा और उसकी मूलधन राशि के साथ इस प्रकार व्यवहार किया जाएगा मानो ऐसा परिवर्तन किया ही नहीं गया हो;

"प्रतिस्थापन करार" का वही अर्थ होगा जो खंड 38.3.1 में निर्धारित किया गया है;

"निलंबन" का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 34 में निर्धारित किया गया है;

"कर" से आशय भारत में लगाए जाने वाले ऐसे सभी करों से है, जिनमें उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, जीएसटी, मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, बिक्री कर, स्थानीय कर, उपकर तथा इसी प्रकार की प्रकृति का कोई अन्य कर या अधिभार (चाहे केंद्रीय, राज्य अथवा स्थानीय) शामिल है, जो विमानपत्तन में समाविष्ट और उसका हिस्सा बनने वाली वस्तुओं, सामग्रियों, उपकरणों और सेवाओं पर किसी सरकारी अभिकरण द्वारा लगाया, अधिरोपित या उद्गृहीत किया जाता है; किंतु इसमें किसी भी कारण से लगाए गए ऐसे करों से संबंधित ब्याज, दंड और अन्य राशियाँ शामिल नहीं होंगी। करों में निगमित आय पर लगाए जाने वाले कर शामिल नहीं होंगे;

"तकनीकी क्षमता" का वही अर्थ होगा जो आरएफपी में निर्धारित किया गया है;

"टर्मिनल भवन" से आशय स्थल पर स्थित स्वतंत्र और/या एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन तथा उससे संलग्न भूमि से है, जिसमें घरेलू यात्रियों और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए पृथक रूप से चिह्नित क्षेत्र, कर्बसाइड और पहुँच मार्ग शामिल हैं तथा इसमें मौजूदा टर्मिनल भवन भी शामिल है, जैसा कि अनुसूची ए के अनुबंध II में दिए गए परिप्रेक्ष्य योजना और/या मास्टर प्लान, जैसी भी स्थिति हो, में वर्णित और सीमांकित है;

"समाप्ति" (से आशय इस करार तथा इसके अधीन रियायत की अवधि की समाप्ति या इस करार तथा इसके अधीन रियायत के समापन से है;

"समाप्ति सूचना" से आशय इस करार के अनुसार एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को इस करार को समाप्त करने के लिए जारी की गई सूचना से है;

"समाप्ति भुगतान" से आशय उस राशि से है जो नीचे दिए गए उप-खंड (ए) के अनुसार निर्धारित राशियों के योग तथा नीचे दिए गए उप-खंड (बी) और उप-खंड (सी) के अनुसार निर्धारित राशियों में से कम राशि के योग के बराबर हो।

(ए) अंतरण तिथि को निम्नलिखित राशियों का योग:

(i) अनुमानित प्रारंभिक आरएबी की राशि, यदि कोई हो, जिसे विनियामक द्वारा वैमानिकी प्रभागों के अपने नवीनतम निर्धारण में शामिल किया गया हो और जिसके लिए विनियामक द्वारा विचार की गई/निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहास किया गया हो; और

(ii) वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तारीख से रियायतग्राही द्वारा किसी वैमानिकी परिसंपत्ति में किए गए निवेश का मूल्य (जो अनुमानित प्रारंभिक आरएबी का हिस्सा न हो), जिसे विनियामक द्वारा वैमानिकी प्रभागों के अपने नवीनतम निर्धारण में शामिल किया गया हो और जिसके लिए विनियामक द्वारा विचार की गई/निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहास किया गया हो।

(बी) अंतरण तिथि को स्वतंत्र अभियंता द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित राशियों का योग:

(i) रियायतग्राही द्वारा निर्मित, अर्जित या स्थापित किसी अतिरिक्त वैमानिकी परिसंपत्ति का मूल्य, जिसे विनियामक द्वारा वैमानिकी प्रभागों के अपने नवीनतम निर्धारण में शामिल नहीं किया गया हो (किंतु ऐसी किसी वैमानिकी परिसंपत्ति को छोड़कर जिसे विनियामक ने ऐसे निर्धारण में शामिल किया हो), और जिसका मूल्यहास विनियामक द्वारा विचार की गई/निर्धारित दरों के अनुसार किया गया हो;

(ii) प्रारंभिक गैर-विमानन निवेश का मूल्य, जिसका मूल्यहास रियायतग्राही की लेखा-पुस्तकों में प्रयुक्त दरों पर किया गया हो;

(iii) वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तारीख से रियायतग्राही द्वारा गैर-विमानन परिसंपत्तियों में किए गए निवेश का मूल्य (सिटी साइड डेवलपमेंट का हिस्सा बनने वाली परिसंपत्तियों और प्रारंभिक गैर-विमानन निवेश को छोड़कर), जिसका मूल्यहास रियायतग्राही की लेखा-पुस्तकों में प्रयुक्त दरों पर किया गया हो;

(iv) वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तारीख से रियायतग्राही द्वारा सिटी साइड डेवलपमेंट का हिस्सा बनने वाली सभी परियोजना परिसंपत्तियों में किए गए निवेश का मूल्य, जिसका मूल्यहास रियायतग्राही की लेखा-पुस्तकों में प्रयुक्त दरों पर किया गया हो; और

(v) अंतरण तिथि को रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को सौंपे गए निर्माणाधीन कार्यों पर रियायतग्राही द्वारा वास्तव में किए गए व्यय, उस सीमा तक जिस सीमा तक ऐसे व्यय को विनियामक द्वारा वैमानिकी प्रभागों के अपने नवीनतम निर्धारण में वैमानिकी परिसंपत्तियों के रूप में शामिल नहीं किया गया हो।

(सी) उप-खंड (बी) में उल्लिखित परिसंपत्तियों के मूल्यों और/या किए गए व्ययों, जैसी भी स्थिति हो, का योग, जैसा कि किसी अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ऐसे अनुमोदित मूल्यांकक का चयन और नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा अंतरण तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर की जाएगी और वह अपनी निर्धारिती/मूल्यांकन रिपोर्ट नियुक्ति की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा;

"परीक्षण" से आशय अनुसूची जी में निर्धारित उन परीक्षणों से है, जो इस करार के प्रावधानों, संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों तथा डीजीसीए द्वारा निर्धारित लागू दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णता निर्धारित करने के लिए किए जाते हैं तथा, आवश्यकतानुसार यथोचित परिवर्तन सहित, इस करार और मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार विमानपतन के विस्तार की पूर्णता निर्धारित करने के लिए किए जाने वाले समान परीक्षणों को भी इसमें शामिल माना जाएगा;

"अंतरण तिथि" से आशय उस तारीख से है जिस तारीख को इस करार तथा इसके अधीन रियायत की अवधि इस करार के प्रावधानों के अनुसार समाप्त होती है अथवा समाप्ति सूचना द्वारा इसे समाप्त किया जाता है;

"अप्रत्याशित घटना" का वही अर्थ होगा जो खंड 32.12.1 में निर्धारित किया गया है;

"उपयोगकर्ता" से आशय किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसमें कोई एयरलाइन, यात्री, आगंतुक या अन्य व्यक्ति शामिल है, जो शुल्क के भुगतान पर अथवा इस करार और लागू विधियों के प्रावधानों के अनुसार विमानपतन या उसके किसी भाग का, जिसमें कोई या सभी वैमानिकी सेवाएँ या गैर-विमानन सेवाएँ शामिल हैं, उपयोग करता है या उपयोग करने का इच्छुक है;

"उपयोगकर्ता चार्टर" का वही अर्थ होगा जो खंड 23.10 में निर्धारित किया गया है;

"उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण" का वही अर्थ होगा जो खंड 23.7.3 में निर्धारित किया गया है;

"निहितीकरण प्रमाणपत्र" का वही अर्थ होगा जो खंड 36.4 में निर्धारित किया गया है; और

"डब्ल्यूपीआई" से आशय भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक से है और इसमें डब्ल्यूपीआई के स्थान पर लागू होने वाला कोई भी सूचकांक शामिल होगा। डब्ल्यूपीआई के किसी भी संदर्भ को, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, पूर्ववर्ती माह के अंत तक की अवधि के लिए प्रकाशित डब्ल्यूपीआई के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

1.2 व्याख्या

1.2.1 इस करार में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) किसी विधि अथवा उसके किसी प्रावधान के संदर्भ में उस विधि अथवा उसके किसी प्रावधान में किया गया संशोधन, पुनः अधिनियमन या समेकन भी सम्मिलित होगा, जहां तक ऐसा संशोधन, पुनः अधिनियमन या समेकन इस करार के अंतर्गत किए गए किसी लेन-देन पर लागू होता है अथवा लागू होने में सक्षम है;

(ख) “लागू कानूनों” के संदर्भ में भारत के राज्यक्षेत्र में समय-समय पर लागू ऐसे कानून, अधिनियम, अध्यादेश, नियम, विनियम, उप-विधियां अथवा अधिसूचनाएं सम्मिलित होंगी, जिनमें समय-समय पर संशोधन, परिवर्तन, पूरक प्रावधान, विस्तार अथवा पुनः अधिनियमन किया जा सकता है;

(ग) “व्यक्ति” तथा किसी प्राकृतिक व्यक्ति को दर्शाने वाले शब्दों के संदर्भ में किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम, सोसाइटी, न्यास, सरकार, राज्य अथवा राज्य की किसी एजेंसी, या उपर्युक्त में से दो या अधिक के किसी संघ अथवा साझेदारी (चाहे उसका पृथक विधिक व्यक्तित्व हो अथवा न हो) का संदर्भ माना जाएगा तथा इसमें उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी भी सम्मिलित होंगे;

(घ) इस करार की विषय-सूची, शीर्षक अथवा उप-शीर्षक केवल संदर्भ की सुविधा के लिए हैं और इनका उपयोग इस करार के निर्माण अथवा व्याख्या के लिए नहीं किया जाएगा तथा न ही ये उसके निर्माण या व्याख्या को प्रभावित करेंगे;

(ङ) “सम्मिलित” तथा “जिसमें सम्मिलित है” शब्दों का अर्थ बिना किसी सीमा के लिया जाएगा और यह माना जाएगा कि उनके बाद “बिना किसी सीमा के” अथवा “परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं” शब्द आते हैं, चाहे ऐसे शब्द वास्तव में उनके बाद लिखे गए हों या नहीं;

(च) “निर्माण” अथवा “भवन-निर्माण” के संदर्भ में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अन्वेषण, अभिकल्पना, इंजीनियरिंग, खरीद, सुपुर्दगी, परिवहन, संस्थापन, प्रसंस्करण, निर्माण/फैब्रिकेशन, परीक्षण, कमीशनिंग, विस्तार तथा निर्माण से संबंधित अन्य आनुषंगिक गतिविधियां सम्मिलित होंगी और “निर्माण करना” अथवा “निर्माण करना/बनाना” का अर्थ तदनुसार लिया जाएगा;

(छ) “विकास” के संदर्भ में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निर्माण, विस्तार, नवीनीकरण, पुनरुद्धार/नवीनीकरण, संवर्धन, उन्नयन तथा उससे संबंधित अन्य आनुषंगिक गतिविधियां सम्मिलित होंगी और “विकसित करना” का अर्थ तदनुसार लिया जाएगा।

(ज) किसी समयावधि के किसी संदर्भ का अर्थ भारतीय मानक समय के अनुसार उस समयावधि से संबंधित संदर्भ होगा।

(झ) “घंटा” से अभिप्राय साठ मिनट की अवधि से होगा, जो घड़ी के पूरे घंटे अथवा आधे घंटे से प्रारंभ होगी। उदाहरणार्थ, पाँच बजे से प्रारंभ होने वाली अवधि 5.00, 6.00, 7.00 आदि बजे तक के घंटों के रूप में तथा 5.30, 6.30, 7.30 आदि बजे से प्रारंभ होने वाली अवधि आधे घंटे के अंतराल पर मानी जाएगी।

(ञ) “दिन” के किसी भी संदर्भ का अर्थ किसी कैलेंडर दिवस से संबंधित संदर्भ होगा।

(ट) “कारोबारी दिवस” के संदर्भ का अर्थ ऐसे दिन से होगा, जो रविवार के अतिरिक्त ऐसा दिन हो जिस दिन राज्य में बैंक सामान्यतः कारोबार के लिए खुले रहते हैं।

(ठ) माह या तिमाही के किसी भी संदर्भ का अर्थ ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कैलेंडर माह या कैलेंडर तिमाही से संबंधित संदर्भ होगा।

- (ड) किसी तारीख, अवधि या चरण-मील-पत्थर के संदर्भ में उस तारीख, अवधि या चरण-मील-पत्थर का अर्थ होगा तथा इसमें इस करार के अनुसार बढ़ाई गई ऐसी तारीख, अवधि या चरण-मील-पत्थर भी सम्मिलित होगा।
- (ढ) किसी निर्धारित दिन या तारीख से “से” प्रारंभ होकर किसी निर्धारित दिन या तारीख तक “तक” चलने वाली अवधि के किसी भी संदर्भ में दोनों ऐसे दिन अथवा तारीखें सम्मिलित होंगी; परंतु यदि इस करार के अंतर्गत गणना की गई अवधि का अंतिम दिन कारोबारी दिवस नहीं है, तो वह अवधि अगले कारोबारी दिवस के अंत तक चलेगी।
- (ण) एकवचन को दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन तथा बहुवचन को दर्शाने वाले शब्दों में एकवचन भी सम्मिलित माना जाएगा।
- (त) किसी भी लिंग के संदर्भ में अन्य लिंग तथा नपुंसक लिंग भी सम्मिलित माना जाएगा।
- (थ) “लाख” का अर्थ एक लाख तथा “करोड़” का अर्थ एक करोड़ होगा।
- (द) “ऋणग्रस्तता” का अर्थ इस प्रकार लिया जाएगा कि इसमें धन के भुगतान अथवा पुनर्भुगतान से संबंधित कोई भी दायित्व सम्मिलित हो, चाहे वह मूलधन के रूप में हो अथवा प्रतिभूति के रूप में, तथा चाहे वह वर्तमान हो अथवा भविष्य का, वास्तविक हो अथवा आकस्मिक।
- (ध) किसी कंपनी या निगम के “समापन”, “विघटन”, “दिवालियापन” अथवा “पुनर्गठन” के किसी भी संदर्भ का अर्थ ऐसे किसी भी समकक्ष या समान कार्यवाही से संबंधित संदर्भ भी होगा, जो उस न्यायक्षेत्र के कानून के अंतर्गत की गई हो जहाँ ऐसी कंपनी या निगम स्थापित है, अथवा ऐसे किसी भी न्यायक्षेत्र में जहाँ ऐसी कंपनी या निगम कारोबार करता है; इसमें परिसमापन, समापन, पुनर्गठन, विघटन, व्यवस्था, देनदारों के संरक्षण अथवा राहत से संबंधित कार्यवाही भी सम्मिलित होगी।
- (न) इस करार में अन्यथा उपबंधित होने के अतिरिक्त, किसी भी समय किसी करार, विलेख, लिखत, पट्टे, अनुज्ञप्ति या किसी भी विवरण के दस्तावेज के संदर्भ को उस समय लागू ऐसे करार, विलेख, लिखत, पट्टे, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, जैसा कि उसमें उस समय संशोधन, परिवर्तन, पूरक प्रावधान या प्रतिस्थापन किया गया हो; परंतु यह उप-खंड प्राधिकरण के अधीन अथवा उसके अनुसरण में उसके दायित्वों या बाध्यताओं को किसी भी प्रकार बढ़ाने के लिए लागू नहीं होगा।
- (प) किसी पक्ष द्वारा या उसकी ओर से इस करार के अंतर्गत या इसके अनुसरण में अपेक्षित कोई करार, सहमति, अनुमोदन, प्राधिकरण, सूचना, संचार, जानकारी या रिपोर्ट तभी वैध और प्रभावी होगी जब वह इस संबंध में विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से लिखित रूप में दी गई हो और अन्यथा नहीं।
- (फ) इस करार की अनुसूचियाँ तथा प्रस्तावनाएँ इस करार का अभिन्न अंग हैं और पूर्णतः प्रभावी रहेंगी तथा उनका वही प्रभाव होगा मानो उन्हें इस करार के मुख्य पाठ में स्पष्ट रूप से सम्मिलित किया गया हो।

(ब) इस करार में प्रस्तावनाओं, अनुच्छेदों, खंडों, उप-खंडों, परंतुकों अथवा अनुसूचियों के किसी भी संदर्भ का, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस करार की प्रस्तावनाओं, अनुच्छेदों, खंडों, उप-खंडों, परंतुकों अथवा अनुसूचियों या उनके किसी प्रावधान के संदर्भ के रूप में अर्थ लिया जाएगा।

(भ) किसी परिशिष्ट के संदर्भ को, उसमें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किसी विपरीत प्रावधान के अधीन रहते हुए, उस अनुसूची के परिशिष्ट के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा जिसमें ऐसा संदर्भ आता है; तथा किसी अनुच्छेद के संदर्भ को, उसमें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किसी विपरीत प्रावधान के अधीन रहते हुए, उस अनुसूची अथवा परिशिष्ट के अनुच्छेद के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, जैसा कि संदर्भ के अनुसार लागू हो।

(म) इस करार में निर्धारित किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय हर्जाना, चाहे वह प्रतिदिन के आधार पर हो अथवा अन्यथा, वास्तविक पूर्व-अनुमानित हानि और क्षति की वह राशि है, जो उस पक्ष को होने की संभावना है जो उसे प्राप्त करने का अधिकारी है, और यह किसी भी प्रकार का दंड नहीं है।

(य) “एतद्वारा”, “इसमें”, “इसके लिए” तथा “इसके अधीन” और समान अर्थ वाले शब्द, जब इस करार अथवा किसी अन्य परियोजना करार में प्रयुक्त हों, तो इस करार अथवा ऐसे अन्य परियोजना करार, जैसा भी मामला हो, को समग्र रूप से संदर्भित करेंगे, न कि इस करार अथवा ऐसे अन्य परियोजना करार के किसी विशिष्ट प्रावधान को।

(र) जब तक इसमें अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, इसमें प्रयुक्त सभी लेखांकन संबंधी पदों का अर्थ भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लिया जाएगा तथा वित्तीय मामलों से संबंधित सभी वित्तीय विवरण, प्रमाणपत्र और प्रतिवेदन उसी के अनुसार तैयार किए जाएंगे। सभी तकनीकी पदों और विवरणों का अर्थ उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार लगाया और लागू किया जाएगा।

(ल) कोई विशिष्ट प्रावधान, अभ्यावेदन अथवा आश्वासन किसी अधिक सामान्य प्रावधान, अभ्यावेदन अथवा आश्वासन की प्रयोज्यता को सीमित नहीं करेगा और पक्षकारों का आशय है कि इस करार में निहित प्रत्येक अभ्यावेदन, आश्वासन, प्रसंविदा, शर्त और करार को पूर्ण, पृथक तथा स्वतंत्र प्रभाव प्रदान किया जाएगा और ऐसे प्रावधान संचयी होंगे।

(व) पक्षकारों के अपने-अपने दायित्वों के निष्पादन में समय अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यदि इसमें निर्दिष्ट कोई समयावधि बढ़ाई जाती है, तो ऐसी बढ़ाई गई समयावधि भी समय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

1.2.2 जब तक इस करार में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को उपलब्ध कराए जाने अथवा प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित कोई भी दस्तावेजीकरण तीन भौतिक प्रतियाँ तथा एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति में बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराया जाएगा और यदि प्राधिकरण को ऐसा दस्तावेजीकरण अपनी टिप्पणियों और/अथवा अनुमोदन सहित वापस करना अपेक्षित हो, तो वह उसकी दो प्रतियाँ अपने पास रखने का अधिकारी होगा।

1.2.3 निर्माण के संबंध में कोई नियम, यदि लागू हो, जिसके अनुसार किसी करार की व्याख्या उसके प्रारूपण और तैयारी के लिए उत्तरदायी पक्षकारों के विरुद्ध की जानी चाहिए, लागू नहीं होगा।

1.2.4 खंड 1.2 में निहित व्याख्या के नियमों के अधीन रहते हुए, इस करार में प्रयुक्त किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का, जब तक इस करार में अन्यथा परिभाषित या अर्थान्वित न किया गया हो, सामान्य अंग्रेज़ी अर्थ होगा और इन प्रयोजनों के लिए सामान्य खंड अधिनियम, 1897 लागू नहीं होगा।

1.3 मापन एवं अंकगणितीय परिपाटियाँ

सभी मापन और गणनाएँ मेट्रिक प्रणाली में की जाएँगी तथा गणनाएँ दो दशमलव स्थानों तक की जाएँगी। तीसरा अंक पाँच या उससे अधिक होने पर उसे ऊपर की ओर पूर्णांकित किया जाएगा और पाँच से कम होने पर नीचे की ओर पूर्णांकित किया जाएगा।

1.4 समझौतों, खंडों और अनुसूचियों की प्राथमिकता

1.4.1 इस करार तथा इसमें उल्लिखित अथवा इसके अंग के रूप में सम्मिलित अन्य सभी समझौतों और दस्तावेजों को परस्पर व्याख्यात्मक माना जाएगा। जब तक इस करार में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, इस करार और इसमें उल्लिखित या इसके अंग के रूप में सम्मिलित अन्य दस्तावेजों अथवा समझौतों के बीच किसी भी विरोध की स्थिति में निम्नलिखित क्रम में प्राथमिकता होगी:

(ए) यह करार; तथा

(बी) इस करार के अंग के रूप में सम्मिलित अथवा इसमें उल्लिखित अन्य सभी करार और दस्तावेज; अर्थात् ऊपर के खंड (क) में उल्लिखित करार, खंड (ख) में उल्लिखित समझौतों और दस्तावेजों पर प्रभावी होगा।

1.4.2 खंड 1.4.1 के प्रावधानों के अधीन, इस करार के भीतर किसी अस्पष्टता अथवा विसंगति की स्थिति में निम्नलिखित लागू होगा:

(ए) इस करार के दो या अधिक खंडों के बीच, विचाराधीन विषय से संबंधित विशिष्ट खंड का प्रावधान अन्य खंडों के प्रावधानों पर प्रभावी होगा;

(बी) इस करार के खंडों और अनुसूचियों के बीच, खंड प्रभावी होंगे; तथा अनुसूचियों और परिशिष्टों के बीच, अनुसूचियाँ प्रभावी होंगी;

(सी) किसी भी दो अनुसूचियों के बीच, विचाराधीन विषय से संबंधित अनुसूची प्रभावी होगी;

(डी) चित्रों पर लिखित विवरण तथा विनिर्देशों और मानकों के बीच, बाद वाले अर्थात् विनिर्देश और मानक प्रभावी होंगे;

(ई) चित्र से मापे गए आयाम तथा उसके साथ लिखे गए विशिष्ट आयाम के बीच, बाद वाला अर्थात् लिखित विशिष्ट आयाम प्रभावी होगा; तथा अंकों में लिखे गए किसी भी मूल्य तथा शब्दों में लिखे गए उसी मूल्य के बीच, शब्दों में लिखा गया मूल्य प्रभावी होगा।

(एफ) अंकों में लिखे गए किसी भी मूल्य और शब्दों में लिखे गए उसी मूल्य के बीच विसंगति होने की स्थिति में, शब्दों में लिखे गए मूल्य को मान्य माना जाएगा ।

भाग ॥

रियायत

अनुच्छेद 2 — परियोजना का कार्य-क्षेत्र

2.1 परियोजना का कार्य-क्षेत्र

परियोजना का कार्य-क्षेत्र से अभिप्राय रियायत अवधि के दौरान हवाईअड्डे के निम्नलिखित कार्यों से है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

(क) स्थल पर चरणबद्ध तरीके से हवाईअड्डे की अभिकल्पना, विकास, वित्तपोषण, निर्माण, उन्नयन और विस्तार, जो अनुसूची क तथा अनुसूची ख में व्यापक रूप से निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार होगा, तथा अनुसूची ख में निर्दिष्ट संबंधित परियोजना सुविधाओं के प्रावधान सहित, अनुसूची ग में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप तथा लागू कानूनों और लागू अनुज्ञप्तियों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) इस करार, लागू कानूनों और लागू अनुज्ञप्तियों के प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डे का संचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन;

(ग) इस करार के प्रावधानों तथा विशेष रूप से अनुसूची क, अनुसूची ख और अनुसूची ग के अनुसार सिटी साइड का विकास, संचालन और अनुरक्षण; तथा

(घ) इस करार के प्रावधानों में लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के अनुसार, रियायतग्राही के अन्य सभी दायित्वों का निष्पादन और निर्वहन तथा इस करार के अंतर्गत रियायतग्राही के किसी एक अथवा सभी दायित्वों के निष्पादन के लिए उससे आनुषंगिक या आवश्यक विषय ।

अनुच्छेद 3 - रियायत प्रदान करना

3.1 रियायत

3.1.1 इस करार, लागू विधियों तथा लागू अनुज्ञप्तियों के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार, प्राधिकरण एतद्वारा रियायतग्राही को इस करार में निर्धारित रियायत प्रदान करता है, जिसमें हवाईअड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए अनन्य अधिकार, पट्टा तथा प्राधिकार शामिल हैं। यह रियायत वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तारीख से प्रारंभ होकर 50 (पचास) वर्षों की अवधि के लिए होगी। रियायतग्राही एतद्वारा उक्त रियायत को स्वीकार करता है और इस करार में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन तथा उनके अनुसार परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सहमत होता है।

3.1.2 इस करार, लागू विधियों तथा लागू अनुज्ञप्तियों के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार, एतद्वारा प्रदान की गई रियायत के परिणामस्वरूप रियायतग्राही को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे अथवा उस पर निम्नलिखित दायित्व होंगे, जैसा कि मामला हो-

(क) इस करार के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्रयोजन और सीमा तक स्थल के संबंध में मार्गाधिकार, प्रवेश का अधिकार तथा पट्टे का अधिकार प्राप्त करना;

(ख) हवाईअड्डे के विकास और विस्तार के लिए वित्तपोषण करना;

(ग) हवाईअड्डे का संचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन करना तथा तृतीय पक्षों द्वारा उसके उपयोग को विनियमित करना;

(घ) हवाईअड्डे अथवा उसके किसी भाग का उपयोग करने के लिए शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी उपयोगकर्ताओं से शुल्क की मांग करना, उसे वसूल करना तथा अपने पास रखना और यदि देय शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसे किसी उपयोगकर्ता को प्रवेश से मना करना;

(ङ) इस करार के अंतर्गत रियायतग्राही के सभी दायित्वों का इस करार के अनुसार पालन और निर्वहन करना;

(च) इस करार में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के सिवाय, इस करार के अंतर्गत रियायतग्राही के दायित्वों के निष्पादन से संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक सभी लागतों, व्ययों, करों और प्रभारों को वहन करना और उनका भुगतान करना; तथा

(छ) इस करार या एतद्वारा प्रदान की गई रियायत पर, अथवा हवाईअड्डे के संपूर्ण या किसी भाग पर, कोई समनुदेशन, अंतरण, ग्रहणाधिकार अथवा भार सृजित न करना और न ही उसे हस्तांतरित करना अथवा उसके संपूर्ण या किसी भाग का कब्जा/अलग कब्जा हस्तांतरित करना, सिवाय इसके कि इस करार या प्रतिस्थापन करार द्वारा स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति दी गई हो।

3.2 सिटी साइड विकास

इस करार तथा लागू विधियों के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार, एतद्वारा प्रदान की गई रियायत, खंड 3.1.2 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही को अनुसूची ए में निर्दिष्ट स्थल पर स्थित अचल संपत्ति का विकास, वित्तपोषण, संचालन और अनुरक्षण करने का अधिकार प्रदान करेगी। यह विकास अनुसूची बी तथा अनुसूची सी के अनुसार किया जाएगा और रियायतग्राही को ऐसे विकसित क्षेत्र का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का अधिकार होगा, जो अनुच्छेद 25 के प्रावधानों के अनुसार होगा, जिसमें परियोजना करारों

के माध्यम से उसके किसी या सभी भागों को उप-पट्टे पर देने और/या उप-अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अधिकार भी शामिल होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि सिटी साइड का अंतिम उपयोग इस करार के निष्पादन की तारीख को प्रवृत्त लागू विधियों के अनुसार होगा। रियायतग्राही को बाद में किए गए किसी पुनर्कथन, संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन के परिणामस्वरूप अनुमत किसी अतिरिक्त अंतिम उपयोग का लाभ केवल जीओएल की पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही लेने का अधिकार होगा।

4.1 पूर्ववर्ती शर्तें

4.1.1 इस अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान किए जाने के सिवाय, अथवा जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस करार के अंतर्गत पक्षकारों के संबंधित अधिकार और दायित्व इस खंड 4.1 (पूर्ववर्ती शर्तें) में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ण रूप से संतुष्टि के अधीन होंगे। परंतु यह प्रावधान है कि कोई पक्ष, खंड 4.1.2 अथवा खंड 4.1.3, जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों के अनुसार दूसरे पक्ष द्वारा किसी पूर्ववर्ती शर्त की पूर्ति से छूट प्रदान कर सकता है और ऐसी छूट की सीमा तक, उस पूर्ववर्ती शर्त को इस खंड 4.1.1 के प्रयोजनों के लिए पूर्ण माना जाएगा।

4.1.2 रियायतग्राही, अनुच्छेद 9 के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति प्राधिकरण को प्रदान करने के पश्चात, एक सूचना द्वारा प्राधिकरण से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह इस खंड 4.1.2 में निर्धारित किसी या सभी पूर्ववर्ती शर्तों को उक्त सूचना में निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करे। ऐसी अवधि उस अवधि से कम नहीं होगी जो रियायतग्राही को वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तारीख प्राप्त करने के लिए उपलब्ध है। प्राधिकरण द्वारा पूरी की जाने वाली पूर्ववर्ती शर्तों को उस समय पूर्ण माना जाएगा जब प्राधिकरण ने निम्नलिखित कार्य कर दिए हों-

(क) खंड 10.3 के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही के लिए स्थल तक मार्गाधिकार प्राप्त कर लिया हो;

(ख) मौजूदा करारों को, जहां तक ऐसा नवप्रवर्तन/अधिकार-हस्तांतरण संबंधित करारों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है, रियायतग्राही के पक्ष में नवप्रवर्तित कर दिया हो;

(ग) ऐसे मौजूदा करारों के संबंध में, जिन्हें किसी भी कारण से रियायतग्राही के पक्ष में नवप्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, वकालतनामा के माध्यम से रियायतग्राही को प्राधिकरण के अभिकर्ता के रूप में प्राधिकरण की ओर से कार्य करने का प्राधिकार प्रदान कर दिया हो।

(डी) निम्नलिखित संबंधित करारों का निष्पादन स्वयं अथवा, यथास्थिति, संबंधित संस्था द्वारा करा दिया हो, बशर्ते कि रियायतग्राही अपने संबंधित दायित्वों का अनुपालन कर रहा हो-

(i) अनुसूची एम में दिए गए प्रारूप के अनुसार एस्करो करार;

(ii) अनुसूची आर में दिए गए प्रारूप के अनुसार करार ज्ञापन; तथा

(iii) अनुसूची क्यू में दिए गए प्रारूप के अनुसार सं.दि.नि/वा.या.प्र करार;

रियायतग्राही द्वारा विधिवत निष्पादित प्रति प्राप्त होने तथा उक्त करारों के अंतर्गत निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन किए जाने पर, ऐसे संबंधित करारों के निष्पादन के लिए आवश्यकतानुसार, स्वयं अथवा, यथास्थिति, संबंधित संस्था द्वारा उक्त करारों का निष्पादन करा दिया हो।

4.1.3 इस करार में विशेष रूप से अन्यथा प्रावधान किए जाने के सिवाय, इस करार की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि के भीतर रियायतग्राही द्वारा पूरी की जाने वाली पूर्ववर्ती शर्तों को उस समय पूर्ण माना जाएगा जब रियायतग्राही ने, प्राधिकरण की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित कार्य कर दिए हों-

(क) खंड 9.1 के अनुसार प्राधिकरण को निष्पादन प्रतिभूति प्रदान कर दी हो;

(ख) परियोजना के प्रारंभ के लिए आवश्यक सभी लागू अनुज्ञप्तियां बिना किसी शर्त के प्राप्त कर ली हों; अथवा यदि ऐसी अनुज्ञप्तियां शर्तों के अधीन हों, तो उनमें विनिर्दिष्ट तारीख तक पूरी की जाने वाली सभी ऐसी शर्तों को पूर्ण रूप से पूरा कर दिया हो तथा ऐसी सभी लागू अनुज्ञप्तियां पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी हों;

(ग) अनुसूची एम में दिए गए प्रारूप के अनुसार एस्क्रो करार का निष्पादन किया हो तथा उसके निष्पादन की प्रक्रिया सुनिश्चित की हो और ऐसा एस्क्रो करार उसकी शर्तों के अनुसार प्रभावी हो गया हो;

(घ) अनुसूची क्यू में दिए गए प्रारूप के अनुसार सं.दि.नि/वा.या.प्र करार का निष्पादन किया हो तथा उसके निष्पादन की प्रक्रिया सुनिश्चित की हो और ऐसा करार उसकी शर्तों के अनुसार प्रभावी हो गया हो;

(ङ) आरपीएफ तथा इस करार की आवश्यकताओं के अनुसार रियायतग्राही की शेयरधारिता को बनाए रखा हो;

(च) चयनित बोलीदाता की ओर से प्राधिकरण को इस करार के खंड 7.1 के उप-खंड (ग), (घ), (छ), (झ), (ञ), (ट), (ण) और (प) में निर्धारित अभ्यावेदनों एवं आश्वासनों की शुद्धता की पुष्टि प्रदान की हो;

(छ) रियायतग्राही के विधिक परामर्शदाता से प्राधिकरण को इस संबंध में विधिक राय प्रदान की हो कि रियायतग्राही को इस करार में प्रवेश करने का विधिक अधिकार प्राप्त है तथा इस करार के प्रावधान उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं;

(ज) प्राधिकरण को निम्नलिखित प्रदान किया हो-

(क) प्रथम 7 (सात) रियायत वर्षों में किए जाने के लिए प्रस्तावित निर्माण कार्यों की सूची, जिसमें निम्नलिखित कार्यों को समुचित रूप से ध्यान में रखा गया हो-

(i) प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में कार्यान्वित किए जा रहे कार्य; तथा

(ii) करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख को प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्य, जैसा कि अनुसूची यू में निर्धारित है;

(ख) ऐसे निर्माण कार्यों को पूरा करने की निर्धारित तारीख;

(i) अनुसूची आर में दिए गए प्रारूप के अनुसार करार ज्ञापन का निष्पादन किया हो तथा उसके निष्पादन की प्रक्रिया सुनिश्चित की हो और ऐसा करार ज्ञापन उसकी शर्तों के अनुसार प्रभावी हो गया हो।

परंतु यह कि, रियायतग्राही द्वारा लिखित रूप में किए गए अनुरोध पर, प्राधिकरण अपने विवेकानुसार खंड 4.1.3 में निर्धारित किसी भी पूर्ववर्ती शर्त को सीओडी प्राप्त करने के प्रयोजन से माफ कर सकता है। प्राधिकरण अपने एकमात्र विवेकाधिकार से ऐसी छूट उन शर्तों के अधीन प्रदान कर सकता है जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

4.1.4 प्रत्येक पक्ष निर्धारित समय के भीतर पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के लिए सभी युक्तिसंगत प्रयास करेगा तथा दूसरे पक्ष को ऐसा युक्तिसंगत सहयोग प्रदान करेगा जिसकी उस पक्ष को उन पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने में सहायता के लिए आवश्यकता हो सकती है, जिनकी पूर्ति का दायित्व उस पक्ष का है।

4.1.5 पक्ष कम से कम माह में एक बार पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति में हुई प्रगति के संबंध में एक-दूसरे को लिखित रूप में सूचित करेंगे। प्रत्येक पक्ष, जिस पूर्ववर्ती शर्त की पूर्ति का दायित्व उसका है, उसके पूरा हो जाने पर दूसरे पक्ष को तत्काल सूचित करेगा।

4.2 रियायतग्राही द्वारा विलंब के लिए हर्जाना

यदि- (क) रियायतग्राही खंड 4.1.3 में निर्धारित अवधि के भीतर उसमें उल्लिखित किसी एक या सभी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति अथवा उनसे छूट प्राप्त करना सुनिश्चित नहीं कर पाता है; और (ख) ऐसा विलंब खंड 4.1.2 के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अपने दायित्वों की पूर्ति में विफलता, अथवा इस करार के प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी अन्य उल्लंघन के कारण, अथवा बलात् परिस्थिति के कारण नहीं हुआ है, तो रियायतग्राही, ऐसी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति होने तक, विलंब के प्रत्येक दिन के लिए निष्पादन प्रतिभूति की राशि के 0.3% (शून्य दशमलव तीन प्रतिशत) की दर से गणना की गई राशि का हर्जाना प्राधिकरण को भुगतान करेगा। हालांकि, इस प्रकार देय हर्जाने की अधिकतम राशि निष्पादन प्रतिभूति की राशि के 20% (बीस प्रतिशत) तक सीमित होगी। उक्त अधिकतम सीमा तक हर्जाना पहुंच जाने पर, प्राधिकरण अपने एकमात्र विवेकाधिकार से तथा खंड 9.2 के प्रावधानों के अधीन, इस करार को समाप्त कर सकता है। परंतु यह कि, यदि खंड 4.1.2 में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करने में प्राधिकरण की ओर से ऐसा विलंब होता है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव खंड 4.1.3 के अंतर्गत रियायतग्राही द्वारा पूरी की जाने वाली किसी पूर्ववर्ती शर्त की पूर्ति पर पड़ता है, तो प्राधिकरण द्वारा खंड 4.1.2 में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किए जाने की तारीख तक रियायतग्राही द्वारा इस खंड 4.2 के अंतर्गत कोई हर्जाना देय या भुगतान योग्य नहीं होगा। इस खंड 4.2 के अनुसार हर्जाने का भुगतान, इस करार के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत रियायतग्राही के दायित्वों से स्वतंत्र होगा। इस खंड के अंतर्गत देय हर्जाना, रियायतग्राही द्वारा किए गए विलंब के संबंध में प्राधिकरण को उपलब्ध एकमात्र उपचार होगा।

4.3 विलंब की स्थिति में मानी गई समाप्ति

4.3.1 खंड 4.2 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा खंड 9.1 और खंड 9.2 के प्रावधानों के अधीन, पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि यदि इस करार के निष्पादन की तारीख से 270 (दो सौ सत्तर) दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले, अथवा इस करार की शर्तों के अनुसार बढ़ाई गई किसी अवधि के भीतर, अथवा पक्षों के बीच अन्यथा सहमत किसी विस्तारित अवधि के भीतर, किसी भी कारणवश पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति नहीं होती है, तो इस करार के अंतर्गत या इससे उत्पन्न होने वाले रियायतग्राही के सभी अधिकार, विशेषाधिकार, दावे और हकदारी, रियायतग्राही की सहमति से, उसके द्वारा त्यागे हुए और समाप्त हो चुके माने जाएंगे तथा इस करार को पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से समाप्त माना जाएगा। परंतु यह कि, यदि पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति में विलंब ऐसे कारणों से हुआ है जो रियायतग्राही के लिए उत्तरदायी हैं, तो उपर्युक्त खंड 4.2 के प्रावधानों के बावजूद, रियायतग्राही की निष्पादन प्रतिभूति को प्राधिकरण द्वारा भुनाया जाएगा और उक्त विलंब के लिए हर्जाने के रूप में प्राधिकरण द्वारा अपने पास रख लिया जाएगा।

4.3.2 ऐसी समाप्ति के पश्चात्, चयनित बोलीदाता तथा रियायतग्राही में से प्रत्येक, यदि किसी भी रूप में कोई देयता उत्पन्न हुई हो, तो ऐसी सभी देयताओं का निर्वहन/निपटान ऐसी समाप्ति की तारीख से 7 (सात) दिनों के भीतर करेगा।

4.4 प्राधिकरण द्वारा विलंब के लिए हर्जाना

यदि - (i) प्राधिकरण खंड 4.1.2 में निर्धारित किसी एक या सभी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति उक्त शर्तों के संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर सुनिश्चित नहीं करता है; और (ii) ऐसा विलंब रियायतग्राही द्वारा इस करार के उल्लंघन के कारण अथवा बलात् परिस्थिति के कारण नहीं हुआ है, तो प्राधिकरण, ऐसी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति होने तक, विलंब के प्रत्येक दिन के लिए निष्पादन प्रतिभूति की राशि के 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) की दर से

गणना की गई राशि का हर्जाना रियायतग्राही को भुगतान करेगा। तथापि, इस प्रकार देय हर्जाने की कुल अधिकतम राशि निष्पादन प्रतिभूति की राशि के 20% (बीस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी।

अनुच्छेद 5 रियायतग्राही के दायित्व

5.1 रियायतग्राही के दायित्व

5.1.1 इस करार के प्रावधानों तथा इसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन, रियायतग्राही अपने स्वयं के खर्च एवं लागत पर वित्तपोषण की व्यवस्था करेगा तथा हवाईअड्डे का संचालन, प्रबंधन और विकास करेगा।

यह कार्य लागू अनुज्ञप्तियों, लागू विधियों तथा इस करार के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। रियायतग्राही इस करार में निर्धारित अथवा इससे उत्पन्न होने वाले अपने सभी दायित्वों का पालन, निर्वहन, अनुपालन और निष्पादन करेगा।

5.1.2 रियायतग्राही इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन में सभी लागू विधियों तथा लागू अनुज्ञप्तियों का अनुपालन करेगा, जिसमें आवश्यकता के अनुसार ऐसी अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण भी शामिल होगा।

5.1.3 रियायतग्राही, इस करार की अवधि के दौरान हर समय, हवाईअड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए आवश्यक लागू अनुज्ञप्तियों में निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करेगा।

5.1.4 इस करार अथवा, यथास्थिति, लागू विधियों में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के सिवाय, रियायतग्राही इस करार के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों के निर्वहन में हर समय उद्योग की सुस्थापित प्रथा के अनुरूप कार्य करेगा तथा उसका पालन करेगा।

5.1.5 रियायतग्राही समय-समय पर इस करार के प्रावधानों तथा उद्योग की सुस्थापित प्रथा के अनुसार विमानन परिसंपत्तियों तथा गैर-विमानन परिसंपत्तियों का विस्तार अथवा क्षमता-वृद्धि करेगा।

5.1.6 इस करार में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान किए जाने के सिवाय, रियायतग्राही इस करार की अवधि के दौरान हर समय हवाईअड्डे, किसी विमानन सेवा, गैर-विमानन सेवा तथा अन्य सेवाओं के संबंध में, अथवा वहां भंडारित सामग्री के संबंध में, किसी भी सरकारी निकाय द्वारा लगाए जाने वाले सभी करों तथा अन्य सभी वैधानिक प्रभारों, देयों, निर्धारणों अथवा देय भुगतानों का भुगतान करेगा।

5.1.7 रियायतग्राही, इस करार में अन्यत्र निर्धारित अपने दायित्वों के अतिरिक्त और उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने स्वयं के खर्च एवं लागत पर निम्नलिखित कार्य करेगा—

(क) लागू अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने के लिए संबंधित सरकारी निकायों के समक्ष आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करेगा अथवा प्रस्तुत करवाएगा, जिनमें आवश्यकतानुसार अपेक्षित विवरण एवं विशिष्टियां शामिल होंगी, तथा लागू विधियों के अनुरूप ऐसी लागू अनुज्ञप्तियां प्राप्त करेगा और उन्हें निरंतर प्रवृत्त एवं प्रभावी बनाए रखेगा;

(ख) हवाईअड्डे में प्रयुक्त अथवा समाविष्ट की गई सामग्रियों, विधियों, प्रक्रियाओं, तकनीकी जानकारी तथा प्रणालियों के संबंध में आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्वामित्वाधिकार, लाइसेंस, करार एवं अनुमतियां प्राप्त करेगा;

(ग) वित्तपोषण करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन और पालन करेगा;

(घ) इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन के संबंध में अपने द्वारा अथवा अपने ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मिकों के बीच सौहार्दपूर्ण एवं अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए युक्तिसंगत प्रयास करेगा;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा और सुनिश्चित करवाएगा कि उसके ठेकेदार, इस करार के अंतर्गत रियायतग्राही के किसी भी दायित्व का उनके द्वारा निष्पादन करते समय सभी लागू अनुज्ञप्तियों तथा लागू विधियों का अनुपालन करें;

(च) हर समय इस करार के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगा और जानबूझकर अथवा अन्यथा ऐसा कोई कार्य, कृत्य या कार्यवाही नहीं करेगा अथवा करने में विफल नहीं रहेगा, जिससे किसी भी प्रकार से इस करार के किसी प्रावधान का उल्लंघन हो।

(छ) यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डे के भीतर सभी सुविधाओं और सुख-सुविधाओं का संचालन एवं अनुरक्षण इस करार तथा उद्योग की सुस्थापित प्रथा के अनुसार किया जाए तथा यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोगकर्ताओं को इस करार, लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के प्रावधानों के अनुसार ऐसी सुविधाओं एवं सुख-सुविधाओं के उपयोग के लिए भेदभावरहित पहुंच उपलब्ध हो;

(ज) यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोगकर्ताओं के साथ उचित शिष्टाचार एवं समुचित विचार के साथ व्यवहार किया जाए तथा उन्हें सेवाओं और सूचनाओं तक सुगम एवं त्वरित पहुंच उपलब्ध कराई जाए;

(झ) इस करार, लागू विधियों तथा लागू अनुज्ञप्तियों के प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डे पर विमानन सेवाएं तथा गैर-विमानन सेवाएं प्रदान करेगा अथवा प्रदान करवाएगा;

(ञ) हवाईअड्डे पर आरक्षित सेवाओं के प्रावधान और संचालन के लिए, यथास्थिति, प्राधिकरण अथवा नामित भारत सरकार एजेंसी को सभी आवश्यक सहयोग एवं सहायता प्रदान करेगा;

(ट) खंड 18.12.1 के अधीन, हवाईअड्डे को विद्युत, दूरसंचार सेवाओं, जल तथा ऐसी अन्य उपयोगिता सेवाओं की आपूर्ति ऐसे स्तर पर सुनिश्चित करेगा जो इस करार की तारीख को उपलब्ध स्तर से कम न हो।

इसमें ऐसी उपयोगिता सेवाओं की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक/स्टैंडबाय व्यवस्था करना भी शामिल होगा, ताकि आपूर्ति बाधित होने या आपूर्ति विफल होने की स्थिति में विमानन सेवाओं तथा गैर-विमानन सेवाओं के अनुरक्षण के लिए आवश्यक उपयोगिता सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

साथ ही, लागू विधियों के अनुसार हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं तथा विभिन्न विमानन एवं गैर-विमानन सेवाओं के लिए ऐसी उपयोगिता सेवाओं की उपलब्धता की व्यवस्था भी करेगा।

परंतु यह कि, यह दायित्व सीओडी से 6 (छह) माह की अवधि पूर्ण होने की तारीख से ही प्रारंभ होगा। उक्त तारीख तक ऐसी उपयोगिता सेवाओं की आपूर्ति प्राधिकरण द्वारा की गई मौजूदा व्यवस्थाओं के अंतर्गत जारी रहेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त 6 (छह) माह की अवधि के दौरान ऐसी उपयोगिता सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में सभी भुगतानों के लिए रियायतग्राही उत्तरदायी होगा, बशर्ते कि संबंधित चालान प्राधिकरण द्वारा ऐसे चालान प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 7 (सात) दिनों के भीतर रियायतग्राही को उपलब्ध करा दिए जाएं;

(ठ) इस करार, लागू विधियों तथा लागू अनुज्ञप्तियों के प्रावधानों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन और संचालन में प्राधिकरण को सहयोग, सहकार एवं आवश्यक सुविधा प्रदान करेगा;

(ड) इस करार की समाप्ति होने पर, इस करार के प्रावधानों के अनुसार परियोजना परिसंपत्तियों को प्राधिकरण को हस्तांतरित करेगा; तथा

(ढ) मौजूदा हवाईअड्डा परिसंपत्तियों का संचालन, अनुरक्षण तथा, यदि आवश्यक हो, नवीनीकरण/पुनरुद्धार करेगा, जिसमें टर्मिनल भवन, रनवे, कार्गो टर्मिनल, कार पार्क, एप्रन, टैक्सीवे तथा अन्य हवाईअड्डा परिसंपत्तियां शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जैसा कि अनुसूची ए के परिशिष्ट 1 में प्रदान किया गया है।

5.2 परियोजना करारों से संबंधित दायित्व

5.2.1 रियायतग्राही इस करार की पूरी अवधि के दौरान इस करार के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार रहेगा, चाहे परियोजना करारों अथवा किसी अन्य करार में कुछ भी निहित क्यों न हो।

किसी भी परियोजना करार अथवा किसी अन्य करार के अंतर्गत किसी चूक के कारण रियायतग्राही इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों अथवा उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होगा।

इसी प्रकार, ऐसी किसी चूक के कारण प्राधिकरण पर कोई अतिरिक्त दायित्व अथवा उत्तरदायित्व अधिरोपित नहीं होगा।

5.2.2

इस करार की अनुसूची के रूप में संलग्न परियोजना करारों को छोड़कर, प्राधिकरण को समय-समय पर सभी परियोजना करारों के प्रारूपों अथवा उनमें किए गए किसी संशोधन या उनके स्थान पर किए गए किसी प्रतिस्थापन करार के प्रारूप तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार होगा, परंतु ऐसा करना प्राधिकरण का दायित्व नहीं होगा।

प्राधिकरण को यह अधिकार भी सुरक्षित रहेगा कि वह रियायतग्राही द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ परियोजना से संबंधित, उससे उत्पन्न होने वाले अथवा उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में किए गए सभी करारों, संविदाओं, उप-पट्टों, उप-अनुज्ञप्तियों तथा किसी अन्य महत्वपूर्ण करार या संविदा की सत्य प्रतियां मांग सके और प्राप्त कर सके, भले ही ऐसे करार या संविदा का प्रतिफल ₹25,00,00,000/- (पच्चीस करोड़ रुपये) प्रति वर्ष से कम हैं।

5.2.3 रियायतग्राही, प्राधिकरण को पूर्व लिखित सूचना दिए बिना, किसी भी वित्तपोषण करार में कोई वृद्धि, प्रतिस्थापन अथवा संशोधन नहीं करेगा।

5.2.4 इस करार में अन्यथा निहित किसी प्रावधान के अधीन रहते हुए, हवाईअड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास, जिसमें विमानन सेवाएं तथा गैर-विमानन सेवाएं शामिल हैं, के प्रयोजनों के लिए, रियायतग्राही किसी भी परियोजना परिसंपत्ति का समनुदेशन नहीं करेगा और न ही किसी भी प्रकार से उस पर कोई भार सृजित करेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह खंड सिटी साइड डेवलपमेंट पर लागू नहीं होगा और खंड 25.6 द्वारा शासित होगा।

5.2.5 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि उन परियोजना करारों को छोड़कर जिनमें प्राधिकरण अथवा कोई सरकारी निकाय पक्षकार है, प्रत्येक परियोजना करार में ऐसा प्रावधान सम्मिलित हो जिसके द्वारा समाप्ति अथवा निलंबन की स्थिति में प्राधिकरण को अपने एकमात्र विवेकाधिकार से, रियायतग्राही के स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित करते हुए, ऐसे करार में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हो ("वचनबद्धता/प्रतिबद्धता")। यह स्पष्ट रूप से सहमत है कि यदि हस्तांतरण तारीख से अधिकतम 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकरण उक्त प्रतिस्थापन अधिकार का प्रयोग नहीं करता है, तो परियोजना करारों को हस्तांतरण तारीख से ही प्रभावी एवं प्रवृत्त न रहने वाला माना जाएगा और इसके संबंध में प्राधिकरण पर किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा। वचनबद्धता में ऐसी स्थिति के लिए स्पष्ट प्रावधान किया जाएगा। रियायतग्राही स्पष्ट रूप से सहमत है कि वह ऐसे सभी परियोजना करारों में उक्त वचनबद्धता को सम्मिलित करेगा और यह वचन देता है कि ऐसे प्रत्येक परियोजना करार के संबंध में वह संबंधित परियोजना करार के प्रतिपक्षकार/प्रतिपक्षकारों से, प्राधिकरण को स्वीकार्य प्रारूप में, एक अभिस्वीकृति एवं वचनबद्धता प्राप्त कर प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगा। ऐसी अभिस्वीकृति एवं

वचनबद्धता के अंतर्गत संबंधित प्रतिपक्षकार/प्रतिपक्षकार - उक्त वचनबद्धता को स्वीकार करेंगे; उसके द्वारा बाध्य होने के लिए सहमत होंगे; तथा समाप्ति अथवा निलंबन की स्थिति में प्राधिकरण से किसी भी प्रकार की राहत या उपचार की मांग नहीं करेंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि सिटि साइड डेवलपमेंट से संबंधित, उससे उत्पन्न होने वाले अथवा उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में रियायतग्राही द्वारा किसी व्यक्ति के साथ किए जाने वाले सभी करारों, संविदाओं, उप-पट्टों, उप-अनुज्ञप्तियों तथा अन्य महत्वपूर्ण करारों या संविदाओं में उक्त को सम्मिलित करना आवश्यक नहीं होगा और ऐसे करार खंड 25.7 के अधीन होंगे।

5.2.6 परियोजना करारों के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली प्रतिभूति जमा की राशि संबंधित परियोजना करारों के अंतर्गत रियायतग्राही को प्राप्त होने वाले किराए तथा अन्य राजस्व धाराओं की कुल राशि से अधिक नहीं होगी, जिसकी गणना किसी भी 3 (तीन) लेखा वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रतिबंध रियायतग्राही द्वारा किसी व्यक्ति के साथ परियोजना से संबंधित, उससे उत्पन्न होने वाले अथवा उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में किए गए सभी करारों, संविदाओं, उप-पट्टों, उप-अनुज्ञप्तियों तथा अन्य महत्वपूर्ण करारों या संविदाओं पर लागू होगा, भले ही ऐसे करार का प्रतिफल ₹25,00,00,000/- (पच्चीस करोड़ रुपये) प्रति वर्ष से कम हो।

5.2.7 इस करार में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, रियायतग्राही सहमत होता है और स्वीकार करता है कि किसी भी या सभी ईपीसी ठेकेदारों अथवा संचालन एवं अनुरक्षण ठेकेदारों का चयन या प्रतिस्थापन तथा सभी ईपीसी करारों अथवा ओ&एम करारों का निष्पादन - लोकहित के दृष्टिकोण से प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति; तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से नामित भारत सरकार एजेंसी की पूर्व स्वीकृति के अधीन होगा। इस संबंध में प्राधिकरण तथा नामित भारत सरकार एजेंसी का निर्णय अंतिम, निर्णायक तथा रियायतग्राही पर बाध्यकारी होगा। रियायतग्राही यह वचन देता है कि ऐसी पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना वह ऐसे किसी चयन अथवा करार को प्रभावी नहीं करेगा। यह स्पष्ट रूप से सहमत है कि इस खंड के अंतर्गत नामित भारत सरकार एजेंसी की स्वीकृति केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण तक तथा प्राधिकरण की स्वीकृति केवल लोकहित के दृष्टिकोण तक सीमित होगी।

यह भी सहमति व्यक्त की जाती है कि ऐसे अनुमोदन को प्रदान किए जाने अथवा न दिए जाने के कारण प्राधिकरण किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा तथा ऐसा अनुमोदन प्रदान किया जाना या अस्वीकृत किया जाना, किसी भी प्रकार से, इस करार के अधीन रियायतग्राही अथवा उसके ईपीसी ठेकेदारों अथवा ओ एंड एम ठेकेदारों के किसी दायित्व या उत्तरदायित्व से उन्हें मुक्त नहीं करेगा ।

5.3 स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित दायित्व

5.3.1 रियायतग्राही, प्राधिकरण की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना, किसी भी प्रकार का स्वामित्व में परिवर्तन नहीं करेगा और न ही ऐसा करने की अनुमति देगा।

5.3.2 इस करार में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, रियायतग्राही सहमत होता है और स्वीकार करता है कि—

(क) किसी अर्जनकर्ता द्वारा, चाहे स्वयं अथवा उसके साथ समन्वित रूप से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के साथ मिलकर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें किसी इक्विटी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधिक अथवा लाभकारी

स्वामित्व या नियंत्रण के हस्तांतरण के माध्यम से किया गया अर्जन भी शामिल है, रियायतग्राही की कुल इक्विटी के 15% (पंद्रह प्रतिशत) या उससे अधिक इक्विटी का कुल अर्जन; अथवा

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे स्वयं अथवा उसके साथ समन्वित रूप से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ मिलकर, रियायतग्राही के निदेशक मंडल पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का नियंत्रण प्राप्त करना,

स्वामित्व में परिवर्तन माना जाएगा और इसके लिए लोकहित के दृष्टिकोण से प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति; तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से नामित भारत सरकार एजेंसी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। इस संबंध में प्राधिकरण तथा नामित भारत सरकार एजेंसी का निर्णय अंतिम, निर्णायक तथा रियायतग्राही पर बाध्यकारी होगा। रियायतग्राही यह वचन देता है कि प्राधिकरण की ऐसी पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना वह इक्विटी के ऐसे किसी अर्जन अथवा रियायतग्राही के निदेशक मंडल पर नियंत्रण के ऐसे किसी अर्जन को प्रभावी नहीं करेगा। इस खंड के अंतर्गत नामित भारत सरकार एजेंसी तथा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली स्वीकृति क्रमशः केवल राष्ट्रीय सुरक्षा तथा लोकहित के दृष्टिकोण तक सीमित होगी और प्राधिकरण ऐसे निर्णय को यथाशीघ्र सूचित करने का प्रयास करेगा। ऐसी स्वीकृति प्रदान किए जाने, उसमें विलंब होने अथवा अन्यथा किसी भी कारण से प्राधिकरण किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा तथा ऐसी स्वीकृति प्रदान किए जाने, उसमें विलंब होने, अस्वीकृति अथवा अन्यथा उसके संबंध में किसी भी स्थिति से रियायतग्राही इस करार के अंतर्गत अपने किसी भी दायित्व या उत्तरदायित्व से किसी भी प्रकार मुक्त नहीं होगा।

इस खंड 5.3.2 के प्रयोजनों के लिए:

(i) “अर्जनकर्ता”, “नियंत्रण” तथा “समन्वित रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति” अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011” अथवा उसके किसी वैधानिक पुनःअधिनियमन में दिया गया है, जो रियायतग्राही की इक्विटी अथवा, यथास्थिति, उसके निदेशक मंडल के नियंत्रण के अर्जन की तारीख को प्रवृत्त हो;

(ii) इक्विटी के विधिक या लाभकारी स्वामित्व का अप्रत्यक्ष हस्तांतरण या नियंत्रण का अर्थ ऐसी किसी कंपनी या कंपनियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभकारी स्वामित्व या नियंत्रण का हस्तांतरण होगा, चाहे ऐसी कंपनी या कंपनियां भारत में स्थित हों अथवा भारत के बाहर, जिसके परिणामस्वरूप अर्जनकर्ता रियायतग्राही के शेयरों अथवा उन शेयरों से संबंधित मताधिकार पर नियंत्रण प्राप्त कर ले; तथा

(iii) किसी ऐसी कंपनी के शेयरों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व या नियंत्रण के माध्यम से, चाहे वह करार के द्वारा हो अथवा नियंत्रण या शेयरों के अर्जन के आधार पर, जो कंपनी रियायतग्राही की इक्विटी को प्रत्यक्ष रूप से अथवा एक या अधिक कंपनियों के माध्यम से रखती हो, चाहे ऐसी कंपनी या कंपनियां भारत में स्थित हों अथवा भारत के बाहर, रियायतग्राही के निदेशक मंडल के अथवा ऐसी किसी कंपनी के निदेशक मंडल के कम से कम आधे निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त करना, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे भारत में स्थित हो अथवा भारत के बाहर, रियायतग्राही की 15% (पंद्रह प्रतिशत) या उससे अधिक इक्विटी पर अंतिम नियंत्रण रखती हो, रियायतग्राही के निदेशक मंडल पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण का अर्जन माना जाएगा।

5.3.3 रियायत-धारक इस बात से सहमत है कि यदि चुना गया बोलीदाता एक 'स्पेशल पर्पस व्हीकल' है जिसे मुख्य रूप से रियायत-धारक में इक्विटी रखने के मकसद से बनाया गया है (ऐसे चुने गए बोलीदाता को "प्रमोटर एसपीवी" कहा जाएगा), तो ऐसे प्रमोटर एसपीवी में किसी भी शेयरहोल्डिंग का ट्रांसफर, इस करार के मकसद से

प्रमोटर एसपीवी द्वारा इक्विटी का अप्रत्यक्ष ट्रांसफर माना जाएगा और यह इस करार में बताए गए शेयरों के ट्रांसफर पर लगी पाबंदियों के अधीन होगा।

5.3.4 पक्षकारों का यह आशय है कि यदि रियायतग्राही की विकास संबंधी वित्तपोषण आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हो, तो रियायतग्राही अपने शेयरों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और/या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करा सकता है। ऐसी कोई भी सूचीबद्धता खंड 5.3.1, 5.3.2 और/या 5.3.3 में निर्धारित दायित्वों को प्रभावित किए बिना होगी।

5.4 शेयरधारिता से संबंधित दायित्व

प्राधिकरण रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय रियायतग्राही की किसी पूंजीगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का समर्थन या गारंटी प्रदान नहीं करेगा।

5.5 डीजीसीए लाइसेंस से संबंधित दायित्व

5.5.1 रियायतग्राही डीजीसीए से लागू अनुमतियाँ प्राप्त करेगा और उन्हें प्रभावी बनाए रखेगा। यदि ऐसी लागू अनुमतियाँ किसी शर्त के अधीन जारी की जाती हैं, तो रियायतग्राही हर समय ऐसी सभी शर्तों का अनुपालन करेगा।

5.5.2 रियायतग्राही के अनुरोध पर प्राधिकरण, डीजीसीए के समक्ष रियायतग्राही द्वारा विधिवत और पूर्ण आवेदन दायर किए जाने की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर डीजीसीए से लागू अनुमति प्राप्त करने के लिए रियायतग्राही को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का प्रयास करेगा।

5.5.3 लागू अनुमतियों के नवीकरण पर, इस करार की समाप्ति तक, खंड 5.5.1 और 5.5.2 के प्रावधान, आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

5.6 वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति से संबंधित दायित्व

5.6.1 रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि वह हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए अनुबंधों, वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशल तरीके से तथा इस संबंध में किसी अनुचित पक्षपात या भेदभाव के बिना करेगा। इसके अनुसरण में, वाणिज्यिक परिचालन की तिथि (सीओडी) से 6 (छह) माह के भीतर, वह एक अधिप्राप्ति नीति तैयार करेगा जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए अनुबंध प्रदान करते समय अपनाए जाने वाले सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट किया जाएगा तथा सामान्य जनता और सभी इच्छुक पक्षों की जानकारी के लिए उक्त नीति को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। नीति में:

(क) हवाईअड्डे में निजी संस्थाओं को किसी स्थान, भवन, अधिकार या विशेषाधिकार के उप-पट्टे, उप-अनुज्ञप्ति अथवा अनुदान/आवंटन के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांत और प्रक्रियाएँ शामिल होंगी;

(ख) रियायतग्राही के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होगी।

5.6.2 ऐसी वस्तुओं, कार्यों, सेवाओं, उप-पट्टों, उप-अनुज्ञप्तियों अथवा किसी अन्य अधिकार या विशेषाधिकार की अधिप्राप्ति के लिए, जिनका प्रतिफल (उसके संबंध में किसी भी रूप में जमा राशि सहित) किसी लेखा वर्ष में ₹25,00,00,000/- (पच्चीस करोड़ रुपये) से अधिक है (सामूहिक रूप से “अनुबंध”), रियायतग्राही ई-निविदा के माध्यम से खुली प्रतिस्पर्धी बोली आमंत्रित करेगा और खंड 5.6.1 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट नीति के अनुसार सफल बोलीदाता का चयन करेगा।

5.6.3 यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित की जाएगी ताकि केवल अनुभवी और योग्य आवेदकों का चयन स्वतंत्र पक्षों के बीच के आधार पर, वाणिज्यिक रूप से विवेकपूर्ण तरीके से तथा उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए किया जाए।

5.6.4 रियायतग्राही सहमत होता है कि उसका किसी अन्य पक्ष के साथ कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्य समान प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी।

5.7 विदेशी नागरिकों के रोजगार से संबंधित दायित्व

रियायतग्राही स्वीकार करता है, सहमत होता है और वचन देता है कि रियायतग्राही और/या उसके ठेकेदारों तथा उनके उप-ठेकेदारों द्वारा विदेशी कार्मिकों का नियोजन आवश्यक विनियामक अनुमतियाँ और अनुमोदन प्राप्त किए जाने के अधीन होगा, जिनमें रोजगार, आवासीय वीज़ा और कार्य परमिट तथा, यदि आवश्यक हो, सुरक्षा मंजूरी शामिल हैं। ऐसे अनुमोदनों और परमिटों के लिए आवेदन करना तथा उन्हें प्राप्त करना सदैव रियायतग्राही का दायित्व होगा। इस करार में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, रियायतग्राही अथवा उसके किसी संविदाकार या उप-संविदाकार द्वारा ऐसे किसी अनुमोदन या परमिट को प्राप्त करने से इनकार किया जाना या उसे प्राप्त करने में असमर्थता, फोर्स मेज्योर घटना नहीं मानी जाएगी और किसी भी प्रकार से रियायतग्राही को इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के निष्पादन और निर्वहन से मुक्त नहीं करेगी।

5.8 प्रशिक्षित कार्मिकों के नियोजन से संबंधित दायित्व

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन में उसके द्वारा लगाए गए कार्मिक अपने-अपने कार्यों के लिए हर समय उचित रूप से प्रशिक्षित हों। रियायतग्राही स्थानीय कार्मिकों की नियुक्ति के संबंध में लागू कानूनों और लागू अनुमतियों का अनुपालन करेगा तथा परियोजना के कार्यान्वयन, विकास और प्रचालन के दौरान स्थानीय कार्मिकों को नियोजित करने का प्रयास करेगा।

5.9 सुरक्षा मंजूरी से संबंधित दायित्व

इस करार में किसी विपरीत प्रावधान के होते हुए भी, रियायतग्राही तथा उसके ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के कर्मचारियों, स्टाफ और कार्मिकों की नियुक्ति सदैव नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा, लागू कानूनों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार, सुरक्षा मंजूरी के अधीन होगी और केवल वैध सुरक्षा मंजूरी रखने वाले व्यक्तियों को ही स्थल पर प्रवेश की अनुमति होगी। यह सहमति है कि रियायतग्राही अथवा उसके किसी संविदाकार या उप-संविदाकार द्वारा ऐसे किसी परमिट या अनुमोदन को प्राप्त करने से इनकार या उसे प्राप्त करने में असमर्थता, फोर्स मेज्योर घटना नहीं मानी जाएगी और किसी भी प्रकार से रियायतग्राही को इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के निष्पादन और निर्वहन से मुक्त नहीं करेगी। तथापि, इसमें निहित प्रतिबंध साइट का भाग बनने वाले सिटी-साइट विकास पर लागू नहीं होगा।

5.10 भेदभावरहित पहुँच से संबंधित दायित्व

लागू अनुमतियों के अधीन, रियायतग्राही हवाई अड्डे का संचालन और प्रबंधन सामान्य उपयोगकर्ता के आधार पर करेगा तथा सभी एयरलाइनों, विमान और अन्य व्यक्तियों को इस करार के प्रावधानों के अनुसार भेदभावरहित पहुँच प्रदान करेगा और किसी भी उपयोगकर्ता या संभावित उपयोगकर्ता के विरुद्ध कोई अनुचित या भेदभावपूर्ण व्यवहार अपनाने से बचेगा।

5.11 चिकित्सीय सहायता से संबंधित दायित्व

उपयोगकर्ताओं को आपातकालीन चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए रियायतग्राही हवाई अड्डे पर एक चिकित्सा सहायता केंद्र स्थापित और संचालित करेगा, जो प्राथमिक उपचार प्रदान करने तथा आसपास के अस्पतालों से आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में सहायता करने के लिए सुसज्जित होगा।

5.12 हवाई अड्डे की सौंदर्य गुणवत्ता से संबंधित दायित्व

रियायतग्राही हवाई अड्डे की दिखावट और सौंदर्य गुणवत्ता में उच्च मानक बनाए रखेगा और उचित डिजाइन और सभी दृश्यमान तत्वों के संवेदनशील प्रबंधन के माध्यम से हवाई अड्डे को आसपास के परिदृश्य के गुणों के साथ एकीकृत करेगा। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठित पेशेवर वास्तुकारों और नगर नियोजकों की सेवाएँ लेगा कि हवाई अड्डे का डिजाइन उपर्युक्त सौंदर्य मानकों को पूरा करता हो।

5.13 शोर नियंत्रण से संबंधित दायित्व

रियायतग्राही लागू कानूनों और उत्तम उद्योग व्यवहार के अनुसार हवाई अड्डे से उत्पन्न होने वाले शोर तथा उसके उपयोगकर्ताओं और पड़ोस पर पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रित और कम करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करेगा।

5.14 रियायतग्राही का एकमात्र उद्देश्य

5.14.1 रियायतग्राही को इस करार के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करने तथा अपने दायित्वों और उत्तरदायित्वों का पालन एवं निष्पादन करने और हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन एवं विकास के एकमात्र उद्देश्य से स्थापित किया गया है। रियायतग्राही सहमत होता है कि उसकी किसी ऐसी इकाई में शेयरधारिता अथवा अन्य हित नहीं होगा, न ही किसी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई अन्य व्यवस्था होगी, जिससे उसे कोई अन्य व्यावसायिक गतिविधि करने या निष्पादित करने की अनुमति मिले।

5.14.2 रियायतग्राही सहमत होता है कि उसका किसी अन्य पक्ष के साथ कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्य समान प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी।

5.15 हवाईअड्डे की ब्रांडिंग

5.15.1 हवाईअड्डे या उसके किसी भाग की ऐसी किसी भी प्रकार से ब्रांडिंग नहीं की जाएगी जिससे रियायतग्राही या उसके शेयरधारकों का नाम या पहचान प्रतिकूल रूप से प्रदर्शित हो या परिलक्षित हो। सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान आवश्यक होने और सदैव प्राधिकरण के नाम के साथ किए जाने को छोड़कर, रियायतग्राही हवाई अड्डे के नाम या पहचान का उपयोग अपने स्वयं के नाम, ब्रांड इक्विटी या व्यावसायिक हितों, जिनमें उसके शेयरधारकों के हित भी शामिल हैं, के विज्ञापन या प्रदर्शन के लिए किसी भी प्रकार से नहीं करेगा।

5.15.2 हवाई अड्डे को हर समय केवल “लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा” नाम से जाना, प्रचारित, प्रदर्शित, विज्ञापित और ब्रांड किया जाएगा तथा रियायतग्राही किसी भी विज्ञापन, प्रदर्शन, परिलक्षण, ब्रांडिंग अथवा अन्य प्रयोजन के लिए हर समय हवाईअड्डे को इसी नाम से प्रदर्शित करेगा। यदि वह उन स्थानों पर अपने या अपने शेयरधारक के नाम को प्रदर्शित करना चाहता है जहाँ उपयोगकर्ताओं के लिए सार्वजनिक सूचनाएँ प्रदर्शित की जाती हैं, तो उसके पहले प्राधिकरण का नाम अंकित किया जाएगा।

5.15.3 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डे से संबंधित कोई भी विज्ञापन, प्रदर्शन अथवा अन्य सामग्री में प्राधिकरण का लोगो उस रूप और तरीके से सम्मिलित हो, जैसा प्राधिकरण समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।

5.16 दिव्यांगजन और वृद्ध व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों अथवा उनके स्थान पर लागू किसी मानक के अनुसार, रियायतग्राही हवाई अड्डे का उपयोग करने वाले दिव्यांगजनों और वृद्ध व्यक्तियों के लिए बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराएगा।

अनुच्छेद 6. प्राधिकरण के दायित्व

6.1 प्राधिकरण के दायित्व

6.1.1 प्राधिकरण अपने स्वयं के खर्च और व्यय पर इस करार में निर्धारित या इससे उत्पन्न होने वाले अपने सभी दायित्वों का निर्वहन, अनुपालन और निष्पादन करेगा।

6.1.2 प्राधिकरण रियायतग्राही को सहयोग प्रदान करने तथा इस करार और लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन एवं उनके अनुसार निम्नलिखित कार्यों का पालन, अनुपालन और निष्पादन करने के लिए सहमत एवं वचनबद्ध होता है:

- (क) रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर तथा लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन, हवाई अड्डे के प्रबंधन और विकास के लिए आवश्यक लागू अनुमतियाँ किसी सरकारी निकाय से प्राप्त करने हेतु उचित सहयोग और सहायता प्रदान करना;
- (ख) रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, जल और विद्युत सहित आवश्यक अवसंरचना सुविधाओं एवं उपयोगिताओं तक पहुँच प्राप्त करने में उचित सहायता प्रदान करना, ऐसी दरों और शर्तों पर जो समतुल्य सेवाएँ प्राप्त करने वाले समान उपयोगिता ग्राहकों के लिए सामान्यतः उपलब्ध शर्तों से रियायतग्राही के लिए कम अनुकूल न हों;
- (ग) किसी सरकारी निकाय या उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा हवाई अड्डे पर या उसके आसपास किसी अवरोध को खड़ा या स्थापित न किए जाने की व्यवस्था करना, सिवाय सुरक्षा आवश्यकताओं, आपात स्थिति, राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा विधि एवं व्यवस्था के कारणों के;
- (घ) लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अधीन एवं उनके अनुसार, साइट और हवाई अड्डे पर उपयोगकर्ताओं को विनियमित करने का अधिकार रियायतग्राही को प्रदान करना;
- (ङ) उपयोगकर्ताओं के विनियमन, अतिक्रमणकारियों को हटाने तथा हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए नामित भारत सरकार एजेंसी से सहायता प्राप्त करने में रियायतग्राही की सहायता करना;
- (च) ऐसा कोई कार्य, विलेख या कृत्य न करना जिससे इस करार के किसी प्रावधान का किसी भी प्रकार उल्लंघन हो;
- (छ) इस करार के प्रावधानों तथा लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अनुसार हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास में रियायतग्राही का समर्थन, सहयोग और सुविधा प्रदान करना;
- (ज) रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर तथा खंड 5.7 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही या उसके ठेकेदारों के प्रवासी/विदेशी कार्मिकों को इस करार और परियोजना करारों के अंतर्गत अपने-अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु लागू वीजा और कार्य परमिट प्राप्त करने में उचित सहायता प्रदान करना;

(झ) वाणिज्यिक परिचालन की तिथि (सीओडी) के 12 (बारह) सप्ताह के भीतर रियायतग्राही को उपकरणों की वारंटी और रखरखाव अनुबंधों के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में नामित करना तथा यदि किसी कारणवश ऐसा नामांकन संभव न हो, तो यह सुनिश्चित करना कि उपकरणों से संबंधित ऐसी वारंटी और रखरखाव अनुबंधों का कुशलतापूर्वक रखरखाव और प्रशासन किया जाए, ताकि उपकरण संबंधित वारंटी या अनुबंध के अनुसार बनाए रखे जाएँ;

(ञ) हवाई अड्डे के सभी उपलब्ध 'ऐज-बिल्ट' आरेख, जिनमें मौजूदा सुविधाओं, उपयोगिताओं और सेवाओं के विनिर्देश तथा उनके रखरखाव अभिलेख शामिल हैं, रियायतग्राही को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

6.2 वाणिज्यिक परिचालन की तिथि (सीओडी) से पूर्व रखरखाव संबंधी दायित्व

वाणिज्यिक परिचालन की तिथि (सीओडी) से पूर्व प्राधिकरण अपने स्वयं के खर्च और व्यय पर हवाई अड्डे का इस प्रकार रखरखाव करेगा कि उसकी स्थिति बोली की अंतिम तिथि से 7 (सात) दिन पूर्व की स्थिति की तुलना में किसी महत्वपूर्ण रूप से निम्नतर न हो। सामान्य टूट-फूट से अधिक किसी महत्वपूर्ण क्षति या गिरावट की स्थिति में, प्राधिकरण उसकी मरम्मत करेगा अथवा स्वतंत्र अभियंता द्वारा निर्धारित ऐसी मरम्मत की लागत और व्यय, वाणिज्यिक परिचालन की तिथि (सीओडी) के बाद ऐसी मरम्मत किए जाने के लिए रियायतग्राही को भुगतान करेगा। वाणिज्यिक परिचालन की तिथि (सीओडी) से पूर्व प्राधिकरण केवल नियमित रखरखाव करेगा और विशेष मरम्मत केवल हवाई अड्डे के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अथवा बाढ़ या मूसलाधार वर्षा जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण हुई अत्यधिक गिरावट या क्षति की स्थिति में करेगा।

6.3 आरक्षित सेवाओं से संबंधित दायित्व

6.3.1 इस करार, लागू कानूनों और लागू अनुमति के प्रावधानों के अधीन एवं उनके अनुसार, प्राधिकरण नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं, अनुच्छेद 20 के अनुसार सीएनएस/एटीएम सेवाओं की व्यवस्था में सहयोग प्रदान करेगा तथा हर समय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि हवाई यातायात को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए सशक्त नामित भारत सरकार एजेंसी लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और उत्तम उद्योग व्यवहार के अनुसार रनवे पर विमानों की आवाजाही सक्षम बनाए।

6.3.2 अनुच्छेद 20 के प्रावधानों के अधीन, प्राधिकरण इस करार, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के प्रावधानों के अनुसार सभी आरक्षित सेवाओं के निष्पादन में सहयोग प्रदान करेगा।

6.3.3 प्राधिकरण सहमत और वचनबद्ध होता है कि इस करार, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अंतर्गत रियायतग्राही को अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए प्राधिकरण अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक और उत्तम उद्योग व्यवहार के अनुसार निर्वहन करेगा।

6.4 मौजूदा अनुबंधों के संबंध में दायित्व

6.4.1 प्राधिकरण आरंभिक अवधि के दौरान मौजूदा अनुबंधों के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों का पालन और अनुपालन करेगा तथा अपने स्वयं के खर्च और व्यय पर ऐसे अनुबंधों और करारों का वाणिज्यिक परिचालन की तिथि (सीओडी) से प्रभावी होने और उनकी शेष अवधि तक प्रभावी रहने के लिए रियायतग्राही के पक्ष में नवोन्मेष सुनिश्चित करेगा। पक्षकार इस खंड के अनुसार मौजूदा अनुबंधों के नवोन्मेष के लिए आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करने पर सहमत हैं। ऐसे दस्तावेजों के संबंध में देय सभी स्टाम्प शुल्क रियायतग्राही वहन करेगा और भुगतान करेगा।

6.4.2 यदि प्राधिकरण उपर्युक्त के अनुसार किसी मौजूदा अनुबंध का नवोन्मेष कराने में असमर्थ रहता है (ऐसे अनुबंध “गैर-नवोन्मेषित अनुबंध” होंगे), तो वह वाणिज्यिक परिचालन की तिथि (सीओडी) से प्रभावी पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करेगा, जिसमें रियायतग्राही को अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, संबंधित गैर-नवोन्मेषित अनुबंधों की सीमा तक, सभी प्रयोजनों के लिए अपने अटॉर्नी और एजेंट के रूप में कार्य करने की शक्तियाँ प्रदान की जाएँगी। इसमें ऐसे गैर-नवोन्मेषित अनुबंधों के अंतर्गत समय-समय पर प्राधिकरण को प्राप्त होने वाले सभी लाभों का उपभोग करने तथा उन अनुबंधों की शर्तों के अनुसार उन्हें समाप्त करने की शक्ति भी शामिल होगी। ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में देय सभी स्टाम्प शुल्क रियायतग्राही वहन करेगा और भुगतान करेगा।

6.4.3 वाणिज्यिक परिचालन की तिथि (सीओडी) से और उसके बाद रियायतग्राही अपने जोखिम और लागत पर (i) नवोन्मेषित अनुबंधों के अंतर्गत सभी दायित्वों; तथा (ii) गैर-नवोन्मेषित अनुबंधों के अंतर्गत प्राधिकरण के सभी दायित्वों का, ऐसे पालन और अनुपालन करेगा मानो रियायतग्राही उन अनुबंधों का मूल पक्षकार हो। रियायतग्राही, सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की हानि, क्षति, लागत और व्यय के लिए दायर सभी मुकदमों, कार्यवाही, कार्रवाइयों, मांगों और दावों से क्षतिपूर्ति करने, बचाव करने, सुरक्षित रखने और हानिरहित रखने के लिए सहमत और वचनबद्ध है, जो किसी भी नवीकृत अनुबंध या गैर-नवीकृत अनुबंध के अंतर्गत या उसके संबंध में, अनुबंध की समाप्ति तिथि के बाद उत्पन्न होते हैं, सिवाय उन हानि, क्षति, लागत और व्यय के जो अनुबंध की समाप्ति तिथि के बाद उत्पन्न होते हैं लेकिन प्राधिकरण के अनुबंध की समाप्ति तिथि से पहले के किसी कार्य या चूक से संबंधित हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि, जब तक ऐसे करार उनकी शर्तों के अनुसार समाप्त नहीं किए जाते, नवोन्मेषित और गैर-नवोन्मेषित अनुबंध उनकी समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। ऐसे अनुबंध की समाप्ति या अवसान के बाद रियायतग्राही अपने विवेकानुसार संबंधित विषय-वस्तु के संबंध में किसी तीसरे पक्ष के साथ ऐसे नियमों और शर्तों पर अनुबंध कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

6.4.4 प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि (i) सीओडी से 6 (छह) माह के भीतर समाप्त होने वाले या आरंभिक अवधि के दौरान समाप्त हो चुके किसी मौजूदा अनुबंध का नवीनीकरण न करे; और/या (ii) रियायतग्राही की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष के साथ नए अनुबंध न करें, जिसे अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जब हवाई अड्डे के सुरक्षित, सुचारु और निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी मौजूदा अनुबंध का नवीनीकरण और/या एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना आवश्यक हो। हालांकि, यदि कोई नया अनुबंध प्रस्तावित है, जिसके लिए रियायतग्राही की पूर्व लिखित सहमति की आवश्यकता नहीं है या उपर्युक्त के अनुसार नहीं मांगी जाती है, तो ऐसा नया अनुबंध केवल आरंभिक अवधि के दौरान समाप्त या रद्द किए गए किसी भी मौजूदा अनुबंध के स्थान पर होगा, और ऐसे नए अनुबंध पर हस्ताक्षर होने पर, उसे एक मौजूदा अनुबंध माना जाएगा। इसके अलावा, यदि किसी मौजूदा अनुबंध का नवीनीकरण और/या नया अनुबंध करना प्रस्तावित हो और इस उप-खंड के अनुसार रियायतग्राही की पूर्व लिखित सहमति लेना आवश्यक न हो, प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि (i) ऐसे नवीनीकृत मौजूदा अनुबंध और/या नए अनुबंध की अवधि 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों से अधिक न हो; और (ii) मौजूदा अनुबंध के नवीनीकरण और/या नए अनुबंध के निष्पादन से पूर्व प्राधिकरण रियायतग्राही से परामर्श करे और उसकी टिप्पणियों पर विचार करे। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण रियायतग्राही को निम्नलिखित प्रत्येक के लिए 15 (पंद्रह) कार्य दिवस उपलब्ध कराएगा:

(क) नए या मौजूदा अनुबंध के प्रस्तावित प्रारूप की समीक्षा;

(ख) प्राधिकरण से स्पष्टीकरण माँगना; और

(ग) प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों सहित अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए रियायतग्राही की अंतिम टिप्पणियाँ प्रस्तुत करना।

6.4.5 निर्माणाधीन कार्य

इस खंड 6.4 में किसी विपरीत प्रावधान के होते हुए भी, रियायतग्राही अनुसूची में निर्दिष्ट निर्माणाधीन कार्यों से संबंधित अनुबंधों के संबंध में सीओडी तक प्राधिकरण द्वारा किए गए ऐसे खर्चों की राशियाँ प्राधिकरण को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। प्राधिकरण सीओडी के 30 (तीस) दिनों के भीतर सहायक दस्तावेजों और विवरणों सहित ऐसी राशियों की सूचना देगा और उसके बाद 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को ऐसी राशियाँ देय और भुगतान योग्य होंगी।

पक्षकार रियायतग्राही, प्राधिकरण और ऐसे अनुबंधों के प्रत्येक प्रतिपक्ष के प्रतिनिधियों से मिलकर एक समिति गठित करेंगे, यह समिति (क) भाविप्रा, रियायतग्राही और ऐसे अनुबंधों के प्रतिपक्षों के बीच किसी भी चर्चा और/या बातचीत को सुगम बनाने, जिसमें निर्माणाधीन कार्यों में किसी संशोधन के संबंध में चर्चा भी शामिल है; तथा (ख) ऐसे निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति के समन्वय, सुविधा और निगरानी के लिए उत्तरदायी होगी। सीओडी के बाद ऐसे निर्माणाधीन परिसंपत्तियों को पूरा करने के लिए होने वाली किसी भी अतिरिक्त लागत का वहन रियायतग्राही करेगा।

रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार निर्माणाधीन परिसंपत्तियों के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने और रियायतग्राही द्वारा निर्माणाधीन परिसंपत्तियों को पूरा करने पर, निर्माणाधीन परिसंपत्तियाँ हवाई अड्डे का हिस्सा बन जाएंगी।

रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति की गई राशियाँ तथा ऐसे निर्माणाधीन परिसंपत्तियों को पूरा करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किए गए अतिरिक्त खर्च, विनियामक द्वारा वैमानिकी शुल्क निर्धारित करने के प्रयोजन से ऐसी परिसंपत्तियों में रियायतग्राही द्वारा किए गए निवेश माने जाएँगे। यदि इस खंड 6.4.5 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति की गई राशि का कोई भाग प्राधिकरण के किसी कार्य या चूक के कारण विनियामक द्वारा पास-थ्रू के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, तो रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति की गई राशि और विनियामक द्वारा पास-थ्रू के लिए स्वीकार की गई राशि के बीच का अंतर, विनियामक द्वारा वैमानिकी शुल्क निर्धारित किए जाने के तुरंत बाद खंड 31.4 के अनुसार देय और भुगतान योग्य होने वाले संतुलन भुगतान के भाग के रूप में समायोजित किया जाएगा।

6.5 प्राधिकरण के कर्मचारी

6.5.1 इस खंड 6.5 के प्रयोजन के लिए:

- (i) “चयनित कर्मचारी” से आशय अनुसूची में उल्लिखित प्राधिकरण के उन कर्मचारियों से है, जो सहायक महाप्रबंधक और उससे नीचे के पद के हैं, प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे पर तैनात हैं और संयुक्त प्रबंधन अवधि तथा मानी गई प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान हवाई अड्डे पर तैनात किए जाएँगे।

चयनित कर्मचारियों की संख्या संयुक्त प्रबंधन अवधि या मानी गई प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान प्राधिकरण की सेवा से सेवानिवृत्त, मृत या अन्यथा अलग हो जाने वाले कर्मचारियों की सीमा तक कम हो जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि भाविप्रा द्वारा स्थानांतरित किए जाने वाले कर्मचारियों की सीमा तक चयनित कर्मचारियों की संख्या कम नहीं की जाएगी।

(ii) “संयुक्त प्रबंधन अवधि” से आशय सीओडी से प्रारंभ होकर सीओडी के 1 (एक) कैलेंडर वर्ष बाद समाप्त होने वाली अवधि से है।

(iii) “मानी गई प्रतिनियुक्ति अवधि” से आशय संयुक्त प्रबंधन अवधि की समाप्ति से प्रारंभ होकर उसके बाद 2 (दो) कैलेंडर वर्ष की अवधि तक चलने वाली अवधि से है।

6.5.2 चयनित कर्मचारियों को छोड़कर, हवाई अड्डे के संबंध में कार्यरत प्राधिकरण के मौजूदा कर्मचारियों के संबंध में रियायतग्राही का कोई दायित्व नहीं होगा।

6.5.3 प्राधिकरण का उप महाप्रबंधक और उससे ऊपर के पद का वरिष्ठ प्रबंधन स्टाफ (“वरिष्ठ कार्मिक”) सीओडी से 3 (तीन) माह से अधिक की अवधि के लिए हवाई अड्डे पर प्रतिनियुक्त नहीं रहेगा।

- (i) ऐसी 3 (तीन) माह की अवधि समाप्त होने पर वरिष्ठ कार्मिक को हवाई अड्डे से बाहर स्थानांतरित कर प्राधिकरण द्वारा अन्यत्र तैनात किया जाएगा।
- (ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि वरिष्ठ कार्मिक के संबंध में होने वाली किसी भी लागत के लिए रियायतग्राही उत्तरदायी नहीं होगा; ऐसी लागत का पूर्ण वहन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

6.5.4 रियायतग्राही संयुक्त प्रबंधन अवधि और मानी गई प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए चयनित कर्मचारी लागत वहन करेगा।

6.5.5 खंड 6.5.4 के अधीन, रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा चयनित कर्मचारियों को देय परिलब्धियों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही पर जारी किए जाने वाले चालान में दर्शाई गई राशियों (“चयनित कर्मचारी लागत”) का मासिक आधार पर प्राधिकरण को भुगतान करना होगा।

- (i) रियायतग्राही, चयनित कर्मचारी लागत का भुगतान उस चालान के जारी होने की तारीख से 7 (सात) दिनों के भीतर करेगा।
- (ii) रियायतग्राही द्वारा ऐसा भुगतान किए जाने के पश्चात, प्राधिकरण द्वारा चयनित कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान न किए जाने के लिए रियायतग्राही जिम्मेदार नहीं होगा।
- (iii) रियायतग्राही की ओर से चयनित कर्मचारी लागत के भुगतान में विलंब होने की स्थिति में, रियायतग्राही विलंब की अवधि के लिए प्राधिकरण को बैंक दर से 2% (दो प्रतिशत) अधिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।
- (iv) चयनित कर्मचारी लागत समय-समय पर संबंधित सेवा नियमों के अनुसार कॉस्ट-टू-कंपनी आधार पर निर्धारित की जाएगी और, जैसा लागू हो, इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित लागत भी शामिल होगी।
- (v) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड 6.5.5 के अंतर्गत रियायतग्राही की देयता, स्वीकार करने वाले कर्मचारियों की सीमा तक कम हो जाएगी।

6.5.6 रोजगार प्रस्ताव संयुक्त प्रबंधन अवधि के दौरान किसी भी समय, किंतु सीओडी से 90 (नब्बे) दिनों के बाद नहीं, रियायतग्राही कम-से-कम 60% (साठ प्रतिशत) चयनित कर्मचारियों को रोजगार के प्रस्ताव (“रोजगार प्रस्ताव”) देगा।

- (i) यह स्पष्ट किया जाता है कि खंड 6.5.1 में निर्धारित तरीके से चयनित कर्मचारियों की संख्या में कमी होने की स्थिति में, जिन चयनित कर्मचारियों को रोजगार प्रस्ताव देना आवश्यक है, उनकी न्यूनतम संख्या भी उसी अनुपात में कम हो जाएगी तथा उसके अंश को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा।
- (ii) रोजगार प्रस्तावों की शर्तें, वेतन, पद और अन्य सेवा शर्तों के संबंध में, कॉस्ट-टू-कंपनी आधार पर चयनित कर्मचारियों की वर्तमान रोजगार शर्तों के समान होंगी।

6.5.7 रोजगार प्रस्ताव प्राप्त करने वाले कर्मचारी, रोजगार प्रस्ताव दिए जाने के 1 (एक) महीने के भीतर उसे स्वीकार या अस्वीकार करेंगे।

- (i) ऐसे चयनित कर्मचारी, रोजगार प्रस्ताव स्वीकार करने पर ("स्वीकार करने वाले कर्मचारी"), प्राधिकरण की सेवा से त्यागपत्र देंगे और प्राधिकरण के कर्मचारी नहीं रहेंगे।
- (ii) रियायतग्राही, स्वीकार करने वाले कर्मचारियों का नया नियोक्ता होगा और रियायतग्राही तथा ऐसे कर्मचारियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार उन्हें नियुक्त करेगा।

6.5.8 पहले रोजगार प्रस्ताव किए जाने की तारीख से 15 (पंद्रह) महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, किंतु सीओडी से 2 (दो) वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले, रियायतग्राही को आगे के रोजगार प्रस्ताव करने का अधिकार होगा। खंड 6.3.7 के प्रावधान ऐसे रोजगार प्रस्तावों पर, आवश्यक संशोधनों सहित, लागू होंगे।

6.5.9 मानी गई प्रतिनियुक्ति अवधि के अंत में, वे सभी चयनित कर्मचारी जो प्राधिकरण के साथ रोजगार जारी रखने का विकल्प चुनते हैं अथवा जिन्हें रोजगार प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, प्राधिकरण की सेवा में बने रहेंगे और प्राधिकरण द्वारा उन्हें हवाई अड्डे से स्थानांतरित कर अन्यत्र पुनः पदस्थ किया जाएगा।

6.5.10 यदि मानी गई प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर स्वीकार करने वाले कर्मचारियों की संख्या चयनित कर्मचारियों की 60% (साठ प्रतिशत) से कम है ("अपर्याप्त कर्मचारी"), तो रियायतग्राही, मानी गई प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति से, ऐसे कर्मचारियों की कमी के संबंध में प्राधिकरण द्वारा देय पारिश्रमिक की राशि, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को जारी चालान में दर्शाया जाए, मासिक आधार पर प्राधिकरण को भुगतान करेगा (**"कर्मचारी लागत में कमी"**)

- (i) जिन चयनित कर्मचारियों के संबंध में अपर्याप्त कर्मचारी लागत देय होगी, उनकी पहचान पक्षकारों द्वारा मानी गई प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति से कम-से-कम 3 (तीन) महीने पूर्व पारस्परिक रूप से की जाएगी।
- (ii) अपर्याप्त कर्मचारी लागत को वैमानिकी शुल्क के निर्धारण में पास-थ्रू के लिए विचार किया जाएगा।
- (iii) खंड 6.5.5(i), 6.5.5(ii), 6.5.5(iv) के प्रावधान, आवश्यक संशोधनों सहित, अपर्याप्त कर्मचारी लागत के भुगतान पर लागू होंगे।
- (iv) अपर्याप्त कर्मचारी लागत का भुगतान कमी वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या प्राधिकरण की सेवा से अन्य प्रकार से पृथक्करण, जो भी पहले हो, तक किया जाएगा।

7.1 रियायतग्राही के अभ्यावेदन और वारंटियाँ

रियायतग्राही प्राधिकरण के समक्ष यह अभ्यावेदन और वारंटी देता है कि:

- (क) यह भारत के कानूनों के अधीन विधिवत गठित और वैध रूप से विद्यमान है तथा इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों को निष्पादित करने और यहां परिकल्पित लेन-देन को पूरा करने के लिए पूर्ण शक्ति और अधिकार रखता है;
- (ख) इसने लागू कानूनों के अंतर्गत इस करार के निष्पादन और सुपुर्दगी को अधिकृत करने तथा इसके अंतर्गत अपने अधिकारों का वैध रूप से प्रयोग करने और अपने दायित्वों का पालन करने के लिए सभी आवश्यक कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्रवाई की है।
- (ग) चयनित बोलीदाता (जिसमें उसके सदस्य, यदि कोई हों, शामिल हैं) के पास परियोजना को इस करार की शर्तों के अनुसार सीओडी तक पूरा करने के लिए वित्तीय स्थिति और क्षमता, जिसमें वित्तीय क्षमता तथा तकनीकी क्षमता शामिल है, उपलब्ध है और सीओडी से 5 (पाँच) वर्ष की अवधि की समाप्ति तक ऐसी वित्तीय स्थिति एवं क्षमता बनी रहेगी।
- (घ) यह करार उसके लिए वैध, विधिसम्मत और बाध्यकारी दायित्व है तथा इसके अंतर्गत उसके दायित्व इस करार की शर्तों के अनुसार उसके विरुद्ध कानूनी रूप से वैध, बाध्यकारी और प्रवर्तनीय होंगे।
- (ङ) यह करार भारत के कानूनों के अधीन है और रियायतग्राही इस करार या इससे उत्पन्न किसी भी विषय के संबंध में, जिसमें इसके अंतर्गत कोई दायित्व, देयता या जिम्मेदारी अथवा क्षेत्राधिकार का प्रश्न शामिल है, किसी भी क्षेत्राधिकार में किसी भी उन्मुक्ति को स्पष्ट रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से त्यागता है।
- (च) चयनित बोलीदाता द्वारा बोली में प्रस्तुत की गई तथा इस करार की तारीख तक अद्यतन की गई जानकारी, इस करार की तारीख को सभी दृष्टियों से सत्य और सही है।
- (छ) इस करार का निष्पादन, सुपुर्दगी और पालन उसके जापन एवं संस्था के अंतर्नियमों, चयनित बोलीदाता के किसी सदस्य के ऐसे दस्तावेजों, किसी लागू कानून या किसी ऐसे वचन, अनुबंध, करार, व्यवस्था, समझ, डिक्री अथवा आदेश का उल्लंघन, चूक या त्वरित निष्पादन की आवश्यकता उत्पन्न नहीं करेगा, जिससे वह या उसकी कोई संपत्ति बाध्य या प्रभावित होती है।
- (ज) उसके विरुद्ध किसी न्यायालय या अन्य न्यायिक, अर्ध-न्यायिक अथवा अन्य प्राधिकरण के समक्ष कानून या इक्विटी में कोई कार्रवाई, वाद, कार्यवाही अथवा जांच लंबित नहीं है और उसकी जानकारी के अनुसार ऐसी कोई कार्यवाही लंबित होने की धमकी भी नहीं है, जिसका परिणाम इस करार का उल्लंघन हो सकता है या जो अकेले अथवा समग्र रूप से इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने की उसकी क्षमता में कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
- (झ) उसे किसी न्यायालय अथवा सरकारी संस्था के किसी आदेश, रिट, निषेधाज्ञा या डिक्री के संबंध में किसी उल्लंघन या चूक की जानकारी नहीं है, जिससे इस करार के अंतर्गत उसके दायित्वों को पूरा

करने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो और ऐसी कोई तथ्यात्मक या परिस्थितिजन्य स्थिति विद्यमान नहीं है जिससे ऐसी कार्यवाही उत्पन्न हो।

- (ज) न तो उसे और न ही चयनित बोलीदाता तथा उसके संबंधित सहयोगियों को, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है अथवा किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऐसा प्रतिकूल आदेश पारित किया गया है जिससे परियोजना को पूरा करने की उसकी क्षमता पर संदेह उत्पन्न हो।
- (ट) न तो उसे और न ही चयनित बोलीदाता (जिसमें उसके सदस्य, यदि कोई हों, शामिल हैं) तथा उनके संबंधित सहयोगियों को भारत की सुरक्षा और अखंडता से संबंधित मामलों में किसी सरकारी संस्था द्वारा आरोप-पत्रित किया गया है अथवा किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है।
- (ठ) उसके विरुद्ध, चयनित बोलीदाता तथा उसके संबंधित सहयोगियों के विरुद्ध अथवा उनके संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निदेशक, प्रबंधक या कर्मचारियों में से किसी के विरुद्ध किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई जांच लंबित नहीं है।
- (ड) उसने सभी लागू कानूनों का सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से अनुपालन किया है और उस पर ऐसे कोई जुर्माने, दंड, निषेधाज्ञात्मक राहत या अन्य दीवानी अथवा आपराधिक दायित्व नहीं हैं जिनका समग्र रूप से इस करार के अंतर्गत उसके दायित्वों को पूरा करने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो या पड़ सकता हो।
- (ढ) वह किसी भी समय खंड 5.3 के प्रावधानों के अनुसार ही स्वामित्व में कोई परिवर्तन करेगा या करने देगा।
- (ण) चयनित बोलीदाता और उसके सहयोगियों (जिसमें उसके सदस्य, यदि कोई हों, शामिल हैं), के पास आवश्यक इक्विटी उपलब्ध कराने तथा इस करार के अनुसार परियोजना को पूरा करने और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक ऋण जुटाने हेतु पर्याप्त वित्तीय स्थिति और संसाधन हैं।
- (त) चयनित बोलीदाता अपने गठन या पंजीकरण के क्षेत्राधिकार के कानूनों के अधीन विधिवत गठित और वैध रूप से विद्यमान है तथा उसने पुरस्कार पत्र के अनुसार प्राधिकरण से रियायतग्राही के साथ यह करार करने का अनुरोध किया है और इस करार में निर्धारित नियमों एवं शर्तों को स्वीकार किया है।
- (थ) हवाई अड्डे में उसके सभी अधिकार और हित लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अनुसार अंतरण तिथि पर बिना किसी अतिरिक्त कार्रवाई या दस्तावेज के प्राधिकरण को हस्तांतरित होकर उसमें निहित हो जाएंगे तथा सभी ग्रहणाधिकार, दावों और भारों से मुक्त होंगे; और परियोजना की कोई भी परिसंपत्ति उसके द्वारा अर्जित नहीं की जाएगी, सिवाय ऐसे करार के जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति हित, अन्य ग्रहणाधिकार या भार सुरक्षित रखा गया हो, जैसा कि इस करार में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है।
- (द) उसके द्वारा यहां या लागू अनुमतियों के संबंध में प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी संस्था को प्रस्तुत किसी अन्य दस्तावेज में दिया गया कोई अभ्यावेदन या वारंटी किसी महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में गलत या भ्रामक कथन नहीं रखता और न ही उसमें किसी ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है जो ऐसे अभ्यावेदन या वारंटी को भ्रामक न बनाने के लिए आवश्यक हो।

(ध) रियायत प्राप्त करने अथवा इस करार में प्रवेश करने के लिए या प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रभावित करने अथवा प्रभावित करने का प्रयास करने के लिए, बोली प्रक्रिया के दौरान या इस करार के संबंध में, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को शुल्क, कमीशन या अन्य किसी रूप में कोई धनराशि नकद या वस्तु के रूप में नहीं दी गई है और न दी जाएगी।

(न) चयनित बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव के अनुरोध के प्रत्युत्तर में अथवा अन्यथा उपलब्ध कराई गई सभी जानकारी, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से सत्य और सही है।

(न) प्रस्ताव के अनुरोध से उत्पन्न या अन्यथा रियायतग्राही के सभी वचन और दायित्व रियायतग्राही पर उसी प्रकार बाध्यकारी होंगे जैसे वे इस करार का हिस्सा हों।

7.2 प्राधिकरण के अभ्यावेदन और वारंटियाँ

प्राधिकरण रियायतग्राही के समक्ष यह अभ्यावेदन और वारंटी देता है कि:

(क) उसे भारत सरकार तथा अन्य लागू अनुमतियों के अधीन इस करार को निष्पादित, सुपुर्द और अपने दायित्वों का पालन करने, यहां परिकल्पित लेन-देन को पूरा करने तथा इस करार के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग और दायित्वों का पालन करने की पूर्ण शक्ति और अधिकार प्राप्त है तथा उसने इस करार को निष्पादित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की है।

(ख) उसने लागू कानूनों के अंतर्गत इस करार के निष्पादन, सुपुर्दगी और पालन को अधिकृत करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की है।

(ग) उसके पास इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय स्थिति और क्षमता है।

(घ) यह करार उसके लिए विधिसम्मत, वैध और बाध्यकारी दायित्व है तथा इसकी शर्तों के अनुसार उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय है।

(ङ) उसे किसी न्यायालय के आदेश, रिट, निषेधाज्ञा या डिक्री अथवा किसी सरकारी संस्था के विधिसम्मत रूप से बाध्यकारी आदेश के संबंध में किसी उल्लंघन या चूक की जानकारी नहीं है।

(च) उसने सभी लागू कानूनों का सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से अनुपालन किया है।

(छ) उसे रियायतग्राही के पक्ष में साइट को पट्टे पर देने की शक्ति और अधिकार प्राप्त है।

7.2 प्रकटीकरण

यदि कोई ऐसी घटना या परिस्थिति किसी पक्ष के संज्ञान में आती है जिससे उपर्युक्त किसी अभ्यावेदन या वारंटी के असत्य या गलत होने का पता चलता है, तो वह पक्ष तत्काल दूसरे पक्ष को इसकी सूचना देगा। ऐसी सूचना से उस अभ्यावेदन या वारंटी के उल्लंघन का उपचार नहीं माना जाएगा जो असत्य या गलत पाया गया है और न ही इससे इस करार के अंतर्गत किसी पक्ष के किसी अधिकार, उपचार या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा उसका परित्याग माना जाएगा।

अनुच्छेद 8. अस्वीकरण

8.1 अस्वीकरण

8.1.1 रियायतग्राही, अपनी ओर से तथा चयनित बोलीदाता की ओर से, यह स्वीकार करता है कि इस करार के निष्पादन से पूर्व, चयनित बोलीदाता और रियायतग्राही ने पूर्ण एवं सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल करने के पश्चात्, प्रस्ताव हेतु अनुरोध, परियोजना का कार्य-क्षेत्र, विनिर्देश एवं मानक, साइट, इस करार के अधीन अपने अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित लागू अनुज्ञप्तियों की आवश्यकताएँ, विद्यमान संरचनाएँ, स्थानीय परिस्थितियाँ, भूमि, अधोभूमि तथा भूविज्ञान की भौतिक विशेषताएँ, यातायात की मात्रा तथा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई अथवा अन्यथा प्राप्त, जुटाई या एकत्र की गई समस्त जानकारी का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया है तथा उक्त विषयों की यथार्थता अथवा अन्यथा तथा इस करार के अधीन अपने दायित्वों के पालन के दौरान उत्पन्न होने वाली अथवा जिनका उसे सामना करना पड़ सकता है, ऐसी कठिनाइयों, जोखिमों और खतरों की प्रकृति एवं सीमा का अपनी संतुष्टि के अनुसार निर्धारण किया है। प्राधिकरण द्वारा यहाँ या लागू विधियों के अधीन उपलब्ध कराए गए किसी भी आकलन, धारणा, कथन या जानकारी की यथार्थता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता और/या पूर्णता के संबंध में प्राधिकरण द्वारा कोई भी, चाहे व्यक्ति, निहित या अन्यथा, अभ्यावेदन नहीं किया जाता है और रियायतग्राही, अपनी ओर से तथा चयनित बोलीदाता की ओर से, पुष्टि करता है कि इस संबंध में उसका प्राधिकरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं होगा।

8.1.2 रियायतग्राही, अपनी ओर से तथा चयनित बोलीदाता की ओर से, उपर्युक्त खंड 8.1.1 में उल्लिखित किसी भी विषय में या उससे संबंधित अपर्याप्तता, भूल या त्रुटि के जोखिम को स्वीकार करता है और एतद्वारा स्वीकार एवं सहमत होता है कि इसके लिए प्राधिकरण किसी भी प्रकार से रियायतग्राही, चयनित बोलीदाता और उसके सहयोगियों अथवा उनमें से किसी के माध्यम से या उनके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

8.1.3 पक्षकार सहमत हैं कि उपर्युक्त खंड 8.1.1 में उल्लिखित किसी भी विषय में या उससे संबंधित कोई भूल या त्रुटि इस करार को प्रभावित नहीं करेगी और न ही इसे निरस्तनीय बनाएगी।

8.1.4 यदि किसी पक्षकार को उपर्युक्त खंड 8.1.1 में उल्लिखित किसी भी विषय में या उससे संबंधित किसी भूल या त्रुटि की जानकारी होती है, तो वह पक्षकार ऐसी भूल या त्रुटि का उल्लेख करते हुए दूसरे पक्षकार को तत्काल सूचित करेगा; परंतु यह कि इस खंड 8.1.4 के अधीन कोई सूचना देने में प्राधिकरण की विफलता से खंड 8.1.1 में निहित प्राधिकरण का अस्वीकरण किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा और न ही इस करार के अधीन रियायतग्राही द्वारा स्वीकार किए गए किसी जोखिम का भार किसी भी प्रकार से प्राधिकरण पर स्थानांतरित होगा।

8.1.5 इस करार में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, परियोजना से संबंधित सभी जोखिम रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे और ऐसे जोखिमों अथवा उनके परिणामों के लिए प्राधिकरण किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग III

विकास एवं प्रचालन

अनुच्छेद 9. कार्य-निष्पादन प्रतिभूति

9.1 निष्पादन प्रतिभूति

9.1.1 रियायतग्राही इस अनुबंध के अंतर्गत चरण-I के दौरान अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए, इस अनुबंध की तारीख से **120** (एक सौ बीस) दिनों के भीतर प्राधिकरण को बैंक द्वारा जारी एक बिना शर्त एवं अपरिवर्तनीय गारंटी, रु. **115,000,000** (रुपये एक सौ पंद्रह करोड़) की राशि के समतुल्य, अनुसूची-ई ("**निष्पादन प्रतिभूति**") में निर्धारित प्रारूप में प्रदान करेगा। जब तक रियायतग्राही द्वारा इस अनुबंध के अनुसार कार्य-निष्पादन प्रतिभूति प्रदान नहीं कर दी जाती और वह प्रभावी नहीं हो जाती, तब तक बोली प्रतिभूति वैध एवं प्रभावी बनी रहेगी। कार्य-निष्पादन प्रतिभूति प्रदान किए जाने पर प्राधिकरण बोली प्रतिभूति रियायतग्राही को जारी कर देगा।

9.1.2 इस अनुबंध में किसी विपरीत प्रावधान के होते हुए भी, यदि रियायतग्राही इस अनुबंध की तारीख से **120** (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के भीतर कार्य-निष्पादन प्रतिभूति प्रदान नहीं करता है, तो प्राधिकरण बोली प्रतिभूति को भुना सकता है और उससे प्राप्त राशि को हर्जाने के रूप में विनियोजित कर सकता है। इसके पश्चात इस अनुबंध के अंतर्गत या इससे उत्पन्न रियायतग्राही के सभी अधिकार, विशेषाधिकार, दावे और हित रियायतग्राही की सहमति से त्यागे हुए और समाप्त माने जाएंगे तथा यह अनुबंध पक्षकारों के पारस्परिक करार से समाप्त माना जाएगा।

9.1.3 चरण की पूर्णता के पश्चात कार्य-निष्पादन प्रतिभूति का मूल्य उस रियायत वर्ष में, जिसमें चरण पूर्णता तिथि आती है, उससे ठीक पूर्व वाले रियायत वर्ष में रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए गए वार्षिक रियायत शुल्क के **10%** (दस प्रतिशत) के बराबर राशि तक संशोधित किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक **5** (पाँच) रियायत वर्षों में रियायतग्राही द्वारा कार्य-निष्पादन प्रतिभूति का मूल्य बढ़ाकर तत्काल पूर्ववर्ती रियायत वर्ष में रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए गए वार्षिक रियायत शुल्क के **10%** (दस प्रतिशत) के बराबर किया जाएगा।

9.2 निष्पादन प्रतिभूति का समायोजन

रियायतग्राही के डिफॉल्ट होने या किसी पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करने में विफल रहने पर, प्राधिकरण को इस अनुबंध या लागू कानून के अंतर्गत अपने अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्य-निष्पादन प्रतिभूति से उस डिफॉल्ट अथवा पूर्ववर्ती शर्त को पूरा न करने के संबंध में देय राशि को भुनाने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। बोली प्रतिभूति या कार्य-निष्पादन प्रतिभूति, जैसा लागू हो, से राशि भुनाए/विनियोजित किए जाने के बाद रियायतग्राही **15** (पंद्रह) दिनों के भीतर, आंशिक विनियोजन की स्थिति में प्रतिभूति को उसके मूल स्तर तक पुनःपूर्ति करेगा और बोली प्रतिभूति या कार्य-निष्पादन प्रतिभूति की संपूर्ण राशि के विनियोजन की स्थिति में नई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करेगा। ऐसा न करने पर प्राधिकरण को अनुच्छेद **35** के अनुसार इस अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार होगा। नई/पुनःपूर्ति की गई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति प्रदान किए जाने पर रियायतग्राही को अपने डिफॉल्ट को दूर करने या किसी पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करने के लिए अतिरिक्त **60** (साठ) दिनों की उपचार अवधि मिलेगी। यदि रियायतग्राही इस उपचार अवधि में अपना डिफॉल्ट दूर नहीं करता या संबंधित पूर्ववर्ती शर्त पूरी नहीं करता, तो प्राधिकरण को ऐसी कार्य-निष्पादन प्रतिभूति को हर्जाने के रूप में भुनाने एवं विनियोजित करने तथा अनुच्छेद **35** के अनुसार इस अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार होगा।

9.3 कार्य-निष्पादन प्रतिभूति की विमुक्ति

कार्य-निष्पादन प्रतिभूति रियायत अवधि की समाप्ति तक लागू एवं प्रभावी रहेगी और ऐसी अवधि की समाप्ति के 3 (तीन) महीने बाद इसे जारी/विमुक्त किया जाएगा; परंतु यदि रियायतग्राही इस अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा हो, तो कार्य-निष्पादन प्रतिभूति विमुक्त नहीं की जाएगी। रियायतग्राही द्वारा कार्य-निष्पादन प्रतिभूति की विमुक्ति के लिए अनुरोध किए जाने तथा इस धारा 9.3 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति सिद्ध करने वाले विवरण प्रस्तुत किए जाने पर, प्राधिकरण कार्य-निष्पादन प्रतिभूति को तत्काल विमुक्त करेगा।

9.4 मानी गई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति

पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि प्रत्येक चरण के संबंध में, संबंधित चरण के निर्माण कार्यों की लागत (जैसा कि रियायतग्राही द्वारा निर्धारित की गई हो) के 2% (दो प्रतिशत) के बराबर राशि की एक अतिरिक्त कार्य-निष्पादन प्रतिभूति इस धारा 9.4 के अंतर्गत निर्मित मानी जाएगी ("मानी गई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति")। मानी गई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति बिना शर्त एवं अपरिवर्तनीय होगी और धारा 29.3 में किसी विपरीत प्रावधान के होते हुए भी, एस्क्रो खाते में उपलब्ध समतुल्य शेष राशि तथा प्राधिकरण को रियायतग्राही द्वारा देय एवं भुगतान योग्य सभी राशियों पर प्रथम एवं अनन्य प्रभार का गठन करेगी। प्राधिकरण को धारा 9.5 के प्रावधानों के अनुसार एस्क्रो खाते से निकासी करके अथवा रियायतग्राही द्वारा देय एवं भुगतान योग्य राशियों में से कटौती करके मानी गई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति को लागू करने का अधिकार होगा। पक्षकार सहमत हैं कि संभावित हर्जाने की ऐसी राशि, जो बाद की तारीख में देय हो सकती है, की सुरक्षा के लिए उक्त राशि एस्क्रो खाते में अलग से चिन्हित/अवरोधित रखी जाएगी और केवल वही राशि, जो रियायतग्राही के डिफॉल्ट होने पर वास्तव में देय एवं भुगतान योग्य हो गई हो, इस धारा के अंतर्गत विनियोजित की जा सकेगी। संबंधित चरण के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने पर मानी गई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति विमुक्त हो जाएगी।

9.5 मानी गई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति का विनियोजन

रियायतग्राही के डिफॉल्ट होने पर, प्राधिकरण को इस अनुबंध या कानून के अंतर्गत अपने अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबंधित चरण में निर्माण कार्यों के संबंध में रियायतग्राही के किसी डिफॉल्ट के लिए हर्जाने के रूप में मानी गई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित राशि विनियोजित करने का अधिकार होगा। पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि मानी गई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति के पूर्ण या आंशिक रूप से विनियोजित हो जाने पर, उसे विनियोजित राशि की सीमा तक पुनःपूर्ति किया हुआ माना जाएगा और ऐसी पुनःपूर्ति पर धारा 9.2 के अंतर्गत अतिरिक्त उपचार अवधि के प्रावधान लागू होंगे।

9.6 कार्य-निष्पादन प्रतिभूति के संदर्भ

इस अनुबंध में कार्य-निष्पादन प्रतिभूति के वे संदर्भ, जो रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को कार्य-निष्पादन प्रतिभूति प्रदान किए जाने से पूर्व की किसी अवधि के लिए अथवा, जैसा भी मामला हो, उसके समाप्त होने या विमुक्त किए जाने के बाद की किसी अवधि के लिए हैं, केवल रियायतग्राही द्वारा देय हर्जाने की राशि की गणना के प्रयोजन से माने जाएंगे। इस प्रकार निर्धारित राशि को, जैसा भी मामला हो, बोली प्रतिभूति या मानी गई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति से, या उस तारीख को उपलब्ध किसी अन्य प्रतिभूति से, विनियोजित किया जा सकेगा।

10.1 साइट

हवाई अड्डे की साइट में अनुसूची-ए में वर्णित अचल संपत्ति शामिल होगी, जिसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा इस अनुबंध के अंतर्गत और इसके अनुसार रियायतग्राही को पट्टे के रूप में मार्गाधिकार प्रदान किया जाएगा। यह स्वीकार एवं सहमत किया जाता है कि "साइट" के सभी संदर्भों का अर्थ अनुसूची-ए में वर्णित हवाई अड्डे के लिए आवश्यक अचल संपत्ति से होगा और इसमें सिटी साइड भी शामिल होगा।

10.2 पट्टा, पहुँच एवं मार्गाधिकार

10.2.1 प्राधिकरण, सुरक्षा प्रतिबंधों तथा इस अनुबंध की अन्य शर्तों के अधीन, रियायतग्राही को सीओडी से पूर्व ऐसे किसी भी सर्वेक्षण, जाँच-पड़ताल और मृदा परीक्षण आदि के लिए साइट तक पहुँच प्रदान करता है, जिन्हें रियायतग्राही आवश्यक समझे। यह स्पष्ट रूप से सहमत एवं समझा जाता है कि इस अनुबंध के अनुसार साइट पर या उसके आसपास रियायतग्राही द्वारा किए गए सर्वेक्षण, जाँच-पड़ताल एवं परीक्षण या किए गए कार्य के संबंध में समाप्ति या अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण की कोई देयता नहीं होगी।

10.2.2 मासिक रियायत शुल्क, इस अनुबंध तथा इसमें निहित रियायतग्राही के वचनों और वारंटियों के प्रतिफल में, प्राधिकरण इस अनुबंध में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार, सीओडी से प्रारंभ होकर, अनुसूची-ए में वर्णित एवं सीमांकित साइट की संपूर्ण भूमि (उस पर स्थित किसी भवन, निर्माण या अचल संपत्ति सहित) का, सभी भारों से मुक्त, पट्टा अधिकार रियायतग्राही को प्रदान करेगा, ताकि वह रियायत अवधि के दौरान इस अनुबंध के अंतर्गत अनुमत प्रयोजनों के लिए साइट का विकास, संचालन एवं अनुरक्षण कर सके। इसके साथ उक्त साइट से संबंधित सभी अधिकार, स्वतंत्रताएँ, विशेषाधिकार, सुखाधिकार एवं अन्य अनुषंगी अधिकार भी प्राप्त होंगे; इनका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

10.2.3 रियायतग्राही स्वीकार करता है कि उसने साइट का पूर्ण एवं सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के बाद स्वतंत्र रूप से पूरी साइट का मूल्यांकन किया है और उन कठिनाइयों, उन्नयन, आवश्यक इनपुट, लागत, समय, संसाधनों, जोखिमों एवं खतरों की प्रकृति और सीमा का निर्धारण किया है, जो इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं या जिनका उसे सामना करना पड़ सकता है तथा आवश्यक प्रयासों की सीमा और पद्धति भी निर्धारित की है। रियायतग्राही आगे स्वीकार करता है कि यदि बाद में साइट किसी भी प्रकार से अपर्याप्त पाई जाती है, तो उसका प्राधिकरण के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा। यदि कोई कमी पाई जाती है, तो रियायतग्राही अपने खर्च पर और प्राधिकरण पर बिना किसी लागत के, उसे दूर करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेगा।

10.2.4 इस अनुबंध के प्रयोजनों के लिए रियायतग्राही ने:

(क) साइट और उसके आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया है;

(ख) साइट की जलवायु, जलवैज्ञानिक एवं सामान्य भौतिक परिस्थितियों, भूमि एवं उप-मृदा की प्रकृति, साइट के स्वरूप एवं प्रकृति तथा इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए आवश्यक डिजाइन, कार्य एवं सामग्रियों की प्रकृति के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया है;

(ग) हवाई अड्डे तक संचार, पहुँच और आवास की उन व्यवस्थाओं के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया है, जिनकी उसे आवश्यकता हो सकती है अथवा जो इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए अन्यथा आवश्यक हो सकती हैं;

(घ) कार्यों, आकस्मिकताओं तथा अन्य सभी ऐसी परिस्थितियों के संबंध में आवश्यक जानकारी स्वयं प्राप्त कर ली है, जो रियायतग्राही तथा इस अनुबंध के अंतर्गत उसके अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित कर सकती हैं।

10.2.5 इस अनुबंध द्वारा रियायतग्राही को प्रदान किया गया पट्टा, पहुँच एवं मार्गाधिकार सदैव मौजूदा मार्गाधिकारों के अधीन रहेगा। रियायतग्राही अपने दायित्वों का निर्वहन इस प्रकार करेगा कि रियायत अवधि के दौरान हवाई अड्डा हर समय उपयोगकर्ताओं के लिए खुला रहे, सिवाय उन घंटों के दौरान जब प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी साधन/प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे को बंद रखने की अनुमति दी गई हो।

10.2.6 रियायतग्राही स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि इस अनुच्छेद 10 के उपर्युक्त प्रावधानों के संबंध में उसके द्वारा की गई किसी भूल या गलतफहमी की स्थिति में उसका प्राधिकरण के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा और प्राधिकरण ऐसी भूल या गलतफहमी के संबंध में किसी भी देयता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है।

10.2.7 यहाँ प्रदान किया गया पट्टा, इस अनुबंध के किसी भी कारण से समाप्ति पर, प्राधिकरण द्वारा पट्टा समाप्त करने के लिए कोई पृथक कार्रवाई किए बिना, स्वतः और तत्काल समाप्त हो जाएगा। साइट पर रियायतग्राही या उसके उप-लाइसेंसधारियों/उप-पट्टेदारों द्वारा निर्मित किसी अस्थायी या स्थायी संरचना के होते हुए भी, साइट, जिसमें हवाई अड्डा भी शामिल है, के संबंध में पट्टा इस अनुबंध की समाप्ति पर पक्षकारों की किसी अतिरिक्त कार्रवाई के बिना स्वतः समाप्त हो जाएगा।

10.2.8 रियायतग्राही इसके द्वारा प्राधिकरण (प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपने नामित प्रतिनिधि के माध्यम से) को अपना वास्तविक एवं वैध मुख्तार नियुक्त करता है, ताकि रियायत अवधि समाप्त होने के बाद या इस अनुबंध के अनुसार उससे पूर्व समाप्ति की स्थिति में, यदि उस समय लागू किसी लागू कानून के अनुसार आवश्यक हो, तो प्राधिकरण रियायतग्राही की ओर से यहाँ प्रदान किए गए पट्टे के हस्तांतरण या समर्पण का निष्पादन एवं हस्ताक्षर कर सके। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के किसी विधिवत अधिकृत अधिकारी की घोषणा पर्याप्त प्रमाण होगी और रियायतग्राही इस प्रयोजन के लिए ऐसे पंजीकरण के लिए सहमति देता है।

10.2.9 यह स्पष्ट रूप से सहमत है कि साइट पर सभी वृक्ष प्राधिकरण की संपत्ति होंगे; तथापि, रियायत अवधि के दौरान और लागू परमिटों के अनुसार रियायतग्राही को उन पर उपभोगाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

10.3 साइट का अधिप्राप्ति/हस्तांतरण

10.3.1 धारा 4.1.2 में निर्दिष्ट नोटिस के अनुसार, प्राधिकरण और रियायतग्राही परस्पर सहमत तारीख और समय पर साइट का निरीक्षण करेंगे तथा साइट की सूची वाला एक ज्ञापन तैयार करेंगे, जिसमें भार-मुक्त भूमि, भवन,

संरचनाएँ, सड़क कार्य, वृक्ष तथा साइट पर या उससे जुड़े अन्य सभी अचल संपत्तियों की सूची शामिल होगी। पक्षकारों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने पर (जिसकी प्रत्येक प्रति मूल मानी जाएगी), धारा 10.2.2 के प्रावधानों के अधीन, यह रियायत अवधि के दौरान भार-मुक्त साइट के निर्बाध उपयोग और विकास के लिए तथा इस अनुबंध के अनुसार, और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं, रियायतग्राही को वैध पट्टा एवं मार्गाधिकार प्रदान किया जाना माना जाएगा।

10.3.2 धारा 10.3.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पक्षकार सहमत हैं कि सीओडी के दिन या उससे पहले प्राधिकरण हवाई अड्डे के लिए आवश्यक साइट के कुल क्षेत्रफल के **100%** (एक सौ प्रतिशत) के संबंध में खाली प्रवेश, मार्गाधिकार और पट्टा प्रदान कर चुका होगा।

10.3.3 धारा 10.3.1 में उल्लिखित ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद और हस्तांतरण तिथि तक, रियायतग्राही साइट पर चौबीसों घंटे निगरानी रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि वहाँ कोई अतिक्रमण या कब्जा न हो। यदि साइट के किसी भाग पर कोई अतिक्रमण या कब्जा होता है, तो रियायतग्राही इसकी सूचना प्राधिकरण को देगा।

10.3.4 [उपयोग नहीं किया गया]

10.3.5 [उपयोग नहीं किया गया]

10.3.6 यदि साइट में सम्मिलित भूमि के स्वामित्व और/या उस भूमि पर प्राधिकरण के अधिकारों में किसी दोष से उत्पन्न किसी पक्षकार द्वारा किसी भी प्रकार के वाद, कार्यवाही, कार्यवाई, मांग और/या दावे के कारण रियायतग्राही साइट के किसी भाग के पट्टे और/या मार्गाधिकार से वंचित हो जाता है, तो प्राधिकरण ऐसी वंचना की तारीख से **90** (नब्बे) दिनों के भीतर रियायतग्राही को पक्षकारों की पारस्परिक संतुष्टि के अनुरूप वैकल्पिक भूमि का पट्टा और/या मार्गाधिकार उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रयास करेगा। यदि प्राधिकरण उक्त अवधि के भीतर पक्षकारों की पारस्परिक संतुष्टि के अनुरूप ऐसी भूमि और/या मार्गाधिकार उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो धारा **40.1.2** के प्रावधान लागू होंगे।

परंतु इस धारा 10.3.6 के अंतर्गत प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा, जहाँ ऐसा कोई दावा, वाद, कार्यवाही और/या मांग रियायतग्राही, उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, ठेकेदारों, कर्मचारियों या एजेंटों के किसी लापरवाह कृत्य या चूक, इस अनुबंध या किसी संबंधित अनुबंध के किसी प्रावधान के अंतर्गत उसके दायित्वों के उल्लंघन अथवा वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुई हो।

10.4 साइट का भार-मुक्त/ बाधा-मुक्त होना

धारा 10.3 के प्रावधानों के अधीन, प्राधिकरण इस अनुबंध के अनुसार साइट को सभी भारों से मुक्त रूप में रियायतग्राही को उपलब्ध कराएगा और रियायत अवधि के दौरान ऐसी साइट के अधिग्रहण एवं उपयोग के लिए रियायतग्राही को प्राधिकरण को किसी लागत, मुआवजे, व्यय या शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा, सिवाय इसके कि इस अनुबंध में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान किया गया हो। यह सहमति है कि साइट से संबंधित मार्गाधिकार, सुखाधिकार, विशेषाधिकार, स्वतंत्रताएँ एवं अनुषंगी अधिकार भार नहीं माने जाएंगे। यह भी सहमति है कि रियायतग्राही साइट की अपर्याप्तता या भौतिक स्थिति से उत्पन्न सभी जोखिमों को स्वीकार करेगा और वहन करेगा।

10.5 भारों से साइट की सुरक्षा

रियायत अवधि के दौरान रियायतग्राही साइट को किसी भी प्रकार के कब्जे, अतिक्रमण या भार से सुरक्षित रखेगा तथा साइट या परियोजना परिसंपत्तियों के संपूर्ण या किसी भाग पर अथवा इस अनुबंध के अंतर्गत रियायतग्राही के किसी अधिकार पर कोई भार या सुरक्षा हित न तो स्वयं स्थापित या सृजित करेगा और न ही किसी संविदाकार या अन्य व्यक्ति को, जो रियायतग्राही के माध्यम से या उसके अधीन दावा करता हो, ऐसा करने की अनुमति देगा, सिवाय इसके कि इस अनुबंध में स्पष्ट रूप से अन्यथा निर्धारित किया गया हो।

10.6 विशेष/ अस्थायी मार्गाधिकार

साइट तक पहुँच के संबंध में रियायतग्राही को आवश्यक किसी विशेष या अस्थायी मार्गाधिकार के सभी खर्च एवं शुल्क रियायतग्राही वहन करेगा। रियायतग्राही अपने खर्च पर साइट के अंदर या बाहर ऐसी सुविधाएँ प्राप्त करेगा, जो हवाई अड्डे के प्रयोजनों तथा इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए आवश्यक हों।

परंतु, यदि रियायतग्राही को वैमानिकी परिसंपत्तियों के प्रयोजन के लिए अनुसूची-ए में प्राधिकरण के लिए आरक्षित क्षेत्र में आने वाली किसी भूमि की आवश्यकता होती है, तो प्राधिकरण अपने विवेकाधिकार से, भारत सरकार की पूर्व लिखित स्वीकृति के अधीन, उसे बिना किसी अतिरिक्त लागत के रियायतग्राही को उपलब्ध करा सकता है।

10.7 प्राधिकरण की पहुँच

10.7.1 रियायतग्राही प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधियों, वरिष्ठ ऋणदाताओं और स्वतंत्र अभियंता, तथा किसी सरकारी साधन या नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्तियों और उनके संबंधित कर्मचारियों, एजेंटों एवं परामर्शदाताओं को हर समय साइट तक निःशुल्क प्रवेश की अनुमति देगा, ताकि वे निर्माण कार्यों और हवाई अड्डे का निरीक्षण कर सकें तथा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी विषय की जाँच कर सकें। रियायतग्राही ऐसे सभी व्यक्तियों को उनके संबंधित कर्तव्यों एवं कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक उचित सहायता प्रदान करेगा।

10.7.2 किसी उपयोगिता या सड़क के संचालन एवं अनुरक्षण के प्रयोजन से, जो अनुच्छेद 11 में निर्दिष्ट है, रियायतग्राही संबंधित उपयोगिता या सड़क के नियंत्रणकारी निकाय के अधिकृत व्यक्तियों और वाहनों को हर समय साइट तक निःशुल्क पहुँच की अनुमति देगा।

10.8 भूवैज्ञानिक एवं पुरातात्विक खोजें

यह स्पष्ट रूप से सहमत है कि खनन, भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक अधिकार रियायतग्राही को इस अनुबंध के अंतर्गत दिए गए पट्टे का हिस्सा नहीं हैं। रियायतग्राही स्वीकार करता है कि उसे अंतर्निहित खनिजों, जीवाश्मों, पुरावशेषों, संरचनाओं या अन्य अवशेषों अथवा विशेष भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं पर कोई खनन अधिकार या हित नहीं होगा और साइट पर या उसके नीचे ऐसे अधिकार, हित एवं संपत्ति प्राधिकरण या संबंधित सरकारी साधन में निहित एवं उसके स्वामित्व में होंगे। रियायतग्राही अपने श्रमिकों या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी वस्तु या संपत्ति को हटाने या क्षति पहुँचाने से रोकने के लिए सभी उचित सावधानियाँ बरतेगा और ऐसी खोज होने पर तत्काल प्राधिकरण को सूचित करेगा तथा प्राधिकरण या संबंधित सरकारी साधन द्वारा युक्तिसंगत रूप से दिए गए निर्देशों का पालन करेगा। इस संबंध में रियायतग्राही द्वारा किए गए किसी भी उचित व्यय की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। यह भी सहमत है कि प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित सरकारी साधन द्वारा इस संबंध में निर्देश उचित अवधि के भीतर जारी किए जाएँ, ताकि रियायतग्राही आवश्यक समझे गए संशोधनों के साथ अपने निर्माण कार्य जारी रख सके।

10.9 पट्टा अधिकार

इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए रियायतग्राही को इस अनुबंध के अधीन एवं इसके अनुसार साइट का एकमात्र पट्टेदार होने के नाते उसके उपयोग का अधिकार होगा और इस उद्देश्य से वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार तथा उनके अधीन तृतीय पक्षों द्वारा हवाई अड्डे में प्रवेश और उसके उपयोग को विनियमित कर सकता है।

10.10 संपत्ति कर/सेवा शुल्क एवं अन्य शुल्क

10.10.1 सीओडी से और उसके बाद संपत्ति कर रियायतग्राही द्वारा संबंधित प्राधिकरण, नगर निकाय या किसी अन्य संबंधित सरकारी साधन को, लागू कानूनों के अनुसार समय-समय पर लागू दरों पर देय होगा।

10.10.2 लागू कानूनों के अनुसार साइट के संबंध में कोई शुल्क और कर यदि प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाता है, तो रियायतग्राही प्राधिकरण से आवश्यक विवरण सहित नोटिस प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर ऐसी राशि की प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति करेगा।

10.10.3 लागू कानूनों के अंतर्गत साइट पर निर्मित क्षेत्र के संबंध में प्राधिकरण और संबंधित सरकारी साधन को देय सभी शुल्कों का भुगतान करने के लिए रियायतग्राही उत्तरदायी होगा।

10.11 उप-पट्टे पर देने पर प्रतिबंध

रियायतग्राही साइट के संपूर्ण या किसी भाग को हस्तांतरित या उप-पट्टे पर नहीं देगा, सिवाय इसके कि इस अनुबंध में स्पष्ट रूप से ऐसा प्रावधान किया गया हो। परंतु यहाँ निहित किसी बात का अर्थ रियायतग्राही के इस अधिकार को प्रतिबंधित करना नहीं होगा कि वह अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए संविदाकारनियुक्त कर सके, जिसमें हवाई अड्डे के संपूर्ण या किसी भाग का संचालन एवं अनुरक्षण भी शामिल है।

अनुच्छेद 11. उपयोगिताएँ और वृक्ष

11.1 विद्यमान उपयोगिताएँ

इसके विपरीत किसी प्रावधान के बावजूद, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि साइट के नीचे, ऊपर या उस पर स्थित उपयोगिताओं के स्वामी संबंधित निकाय उन्हें निरंतर संतोषजनक उपयोग में बनाए रखें। आवश्यकता होने पर संबंधित नियंत्रण निकाय और प्राधिकरण की अनुमति से उपयुक्त अस्थायी या स्थायी डायवर्जन उपलब्ध कराया जाएगा। रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर प्राधिकरण ऐसे डायवर्जन के लिए आवश्यक किसी राइट ऑफ वे के अधिग्रहण की कार्यवाही आरंभ करेगा।

11.2 बाधक उपयोगिताओं का स्थानांतरण

रियायतग्राही, लागू कानूनों के अधीन और प्राधिकरण की सहायता से, विद्युत लाइनों, जल पाइपों और टेलीफोन केबलों सहित किसी उपयोगिता को साइट के भीतर या बाहर उपयुक्त स्थान/संरक्षण पर स्थानांतरित करेगा, केवल तब जब ऐसी उपयोगिता हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन या विकास पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालती हो या डालने वाली हो। स्थानांतरण में संबंधित उपयोगिता-स्वामी की ओर से विलंब होने पर, उसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हुए दायित्व-उल्लंघन के लिए रियायतग्राही उत्तरदायी नहीं होगा। केवल हवाई अड्डे के उपयोग हेतु किसी उपयोगिता के स्थानांतरण की सभी लागतें और व्यय रियायतग्राही वहन करेगा।

11.3 नई उपयोगिताएँ

11.3.1 रियायतग्राही टेलीफोन लाइन, जल पाइप, विद्युत केबल या अन्य सार्वजनिक उपयोगिता बिछाने के लिए साइट तक पहुँच और उसके उपयोग की अनुमति दे सकता है, बशर्ते इससे हवाई अड्डे के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यदि ऐसी पहुँच/उपयोग से रियायतग्राही को वित्तीय हानि होती है, तो वह लागू कानूनों के अनुसार उपयोगकर्ता से क्षतिपूर्ति या हर्जाना माँग सकता है। साइट का ऐसा उपयोग रियायतग्राही को करार और लागू अनुमतियों के अनुसार हवाई अड्डे के विकास एवं रखरखाव के दायित्व से मुक्त नहीं करेगा और उससे हुई क्षति तत्काल बहाल की जाएगी।

11.3.2 [प्रयोग में नहीं]

11.4 वृक्षों की कटाई

प्राधिकरण, अपने द्वारा चिन्हित वृक्षों की कटाई के लिए लागू अनुमतियाँ प्राप्त करने में रियायतग्राही की सहायता करेगा, यदि ऐसे वृक्ष हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन या विकास पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालते हों। रियायतग्राही के नियंत्रण से बाहर कारणों से विलंब होने पर, उसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हुए दायित्व-उल्लंघन के लिए रियायतग्राही उत्तरदायी नहीं होगा। वृक्षों की कटाई की लागत और व्यय रियायतग्राही वहन करेगा तथा उससे प्राप्त राजस्व प्राधिकरण को दिया जाएगा। काटे गए वृक्षों का निपटान प्राधिकरण द्वारा लागू कानूनों के अनुसार निर्धारित तरीके और शर्तों पर किया जाएगा।

अनुच्छेद 12. हवाईअड्डे का विकास और विस्तार

12.1 निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व दायित्व

12.1.1 निर्माण कार्य शुरू करने से पहले रियायतग्राही:

- (क) प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को संबंधित चरण की पूर्णता के लिए विकास योजना, विस्तृत डिजाइन, आरेख, निर्माण पद्धति, गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाएँ तथा खरीद, इंजीनियरिंग और निर्माण समय-सारणी प्रस्तुत करेगा;
- (ख) प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता से संबंधित सभी मामलों के लिए विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करेगा;
- (ग) निर्माण शुरू होने से पहले इस करार, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अनुसार आवश्यक सभी कार्य, विलेख और कृत्य करेगा;
- (घ) लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अनुसार हवाई अड्डे के लिए आवश्यक सामग्री की ख़ुदाई/प्राप्ति और खरीद की व्यवस्था स्वयं करेगा।

12.2 मास्टर योजना

12.2.1 रियायतग्राही को हर समय यह सुनिश्चित करना होगा कि हवाई अड्डे का निर्माण और विकास मास्टर योजना के अनुसार हो। मास्टर योजना तैयार करने के दिशानिर्देश अनुसूची ए के अनुलग्नक II में दिए गए हैं।

12.2.2 हवाई अड्डे की मास्टर योजना सभी नियामक आवश्यकताओं और इस करार, विशेष रूप से अनुसूची सी, के अनुरूप होनी चाहिए। मास्टर योजना सभी प्रमुख हितधारकों के साथ पूर्ण परामर्श के बाद, लागू कानूनों और इस करार की शर्तों के अनुसार तैयार की जाएगी।

12.2.3 इस करार में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, पक्षकार एतद्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि यह सुनिश्चित करना एकमात्र जिम्मेदारी और दायित्व होगा कि प्रबंध योजना लागू कानूनों और इस करार की आवश्यकताओं का पूर्णतः अनुपालन करती है, और इसके अतिरिक्त, अन्य परियोजना समझौतों में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है और इस करार में किसी भी प्रकार से कोई बात रियायतकर्ता को इस दायित्व से मुक्त नहीं करती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अंतिम प्रबंध योजना किसी भी परियोजना करार के प्रावधानों और अन्य सभी दायित्वों के अनुरूप है।

12.2.4 रियायतग्राही इसके अलावा मास्टर योजना को समय-समय पर, हर 5 (पांच) साल में या आवश्यकतानुसार उससे पहले अद्यतन करने के लिए सहमत है।

12.2.5 रियायतग्राही द्वारा चरण 1 और बाद के चरणों की विकास योजना इस करार, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अनुसार तैयार की जाएगी।

12.2.6 रियायतग्राही हवाई अड्डे के भावी विस्तार के लिए निर्धारित किसी भी क्षेत्र का उपयोग हवाई अड्डे से संबंधित या उससे जुड़े अन्य उद्देश्यों के लिए तब तक कर सकता है, जब तक कि मास्टर प्लान में निर्दिष्ट विस्तार के लिए उस क्षेत्र की आवश्यकता न हो। यह इस शर्त के अधीन है कि ऐसे क्षेत्र में केवल अस्थायी संरचनाओं

का निर्माण किया जा सकता है और उनका उपयोग हर समय लागू कानूनों, लागू परमिटों और उत्तम उद्योग व्यवहार के अनुरूप होना चाहिए।

12.2.7 रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान मास्टर प्लान में संशोधन कर सकता है, जिसमें वैमानिकी सेवाओं में सुधार/वृद्धि या भीड़भाड़ कम करने/समाप्त करने हेतु हवाई अड्डे के किसी भाग का विस्तार शामिल है।

12.3 आरेख

12.3.1 रियायतग्राही उचित शीघ्रता से और चरण पूर्णता अनुसूची के अनुरूप क्रम में सभी रेखाचित्रों की एक (1) सॉफ्ट कॉपी और तीन (3) हार्ड कॉपी तैयार करके स्वतंत्र अभियंता, प्राधिकरण और/या किसी भी सरकारी संस्था को प्रस्तुत करेगा, जैसा कि लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार है।

12.3.2 स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को समीक्षा हेतु चित्र प्रस्तुत करके, रियायतग्राही को यह प्रमाणित करने का दायित्व ग्रहण किया हुआ माना जाएगा कि डिजाइन और अभियांत्रिकी, जिसमें संबंधित क्षेत्र निर्माण मानदंड भी शामिल हैं, परियोजना के दायरे, विनिर्देशों और मानकों, लागू कानूनों, लागू परमिटों और उत्तम उद्योग व्यवहार के अनुरूप हैं।

12.3.3 स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण, रेखाचित्र प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, उनकी समीक्षा करेंगे और परियोजना के दायरे, विनिर्देशों और मानकों के अनुरूपता या असंगति के संबंध में अपनी-अपनी टिप्पणियाँ रियायतग्राही को देंगे। रियायतग्राही उक्त 30 (तीस) दिनों की अवधि के बाद स्वतंत्र अभियंता या प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रेखाचित्रों पर टिप्पणियों की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं होगा और वह अपने विवेक और जोखिम पर निर्माण कार्य शुरू या जारी रख सकता है।

12.3.4 यदि स्वतंत्र अभियंता अथवा प्राधिकरण की उपर्युक्त टिप्पणियों से यह संकेत मिलता है कि ड्रॉइंग्स परियोजना के दायरे अथवा विनिर्देशों एवं मानकों के अनुरूप नहीं हैं, तो ऐसी ड्रॉइंग्स को रियायतग्राही द्वारा संशोधित किया जाएगा और समीक्षा हेतु पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण, यदि कोई टिप्पणियाँ हों, तो संशोधित ड्रॉइंग्स प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियाँ देंगे।

12.3.5 स्वतंत्र अभियंता अथवा प्राधिकरण द्वारा किसी ड्रॉइंग की समीक्षा और/या उस पर कोई टिप्पणी न किए जाने तथा/या किसी ड्रॉइंग की समीक्षा करने और/या उस पर अपनी टिप्पणियाँ संप्रेषित करने में उनकी विफलता से किसी भी प्रकार से इस अनुबंध के अंतर्गत रियायतग्राही के दायित्वों और देयताओं से उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसी प्रकार, स्वतंत्र अभियंता अथवा प्राधिकरण इसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे।

12.3.6 उपर्युक्त प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही अपने वैमानिकी परिसंपत्तियों और गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों से संबंधित ड्रॉइंग्स को समीक्षा एवं टिप्पणियों के लिए स्वतंत्र अभियंता तथा प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को ऐसी समीक्षा करने का अधिकार होगा, किंतु ऐसा करना उनका दायित्व नहीं होगा, तथा वे ऐसी ड्रॉइंग्स प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, यदि कोई टिप्पणियाँ हों, तो अपनी टिप्पणियाँ प्रदान कर सकते हैं। इस धारा 12.3 के प्रावधान यहाँ की जाने वाली समीक्षा एवं टिप्पणियों पर आवश्यकतानुसार यथोचित रूप से लागू होंगे।

12.3.7 किसी भी चरण के पूर्ण होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर, रियायतग्राही प्राधिकरण को पूर्ण रूप से तैयार की गई एज़-बिल्ट आरेख का एक पूरा सेट प्रस्तुत करेगा, जिसकी 2 (दो) हार्ड कॉपी तथा संपादन योग्य डिजिटल प्रारूप में प्रतिलिपि अथवा प्राधिकरण द्वारा स्वीकार्य किसी अन्य माध्यम एवं तरीके में उपलब्ध कराई जाएगी। इन

ड्राइंग्स में हवाई अड्डे को उसके वास्तविक रूप से डिजाइन, इंजीनियर एवं निर्मित स्वरूप में दर्शाया जाएगा। इसमें एक एज़-बिल्ट जांच भी शामिल होगा, जिसमें हवाई अड्डे का लेआउट तथा, यदि कोई हों, तो परियोजना सुविधाओं का हिस्सा बनने वाले भवनों एवं संरचनाओं की सेटबैक लाइनों को दर्शाया गया होगा।

12.4 टर्मिनल भवन

12.4.1 टर्मिनल भवन और/या हवाई अड्डे के किसी भी भाग का निर्माण शुरू करने से पहले, रियायतग्राही प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को निम्नलिखित वास्तुशिल्पीय मापदंड, नियंत्रण, भवन प्रोफाइल, अग्रभाग, आयाम, डिजाइन, निर्माण सामग्री, विनिर्देश, मात्रा का बिल और लागत अनुमान ("वास्तुकला डिजाइन") प्रस्तुत करेगा। स्वतंत्र अभियंता और/या प्राधिकरण द्वारा इसकी समीक्षा और टिप्पणी किए जाने के बाद ही, रियायतग्राही इसे किसी भी सहायक प्रस्तुति के रूप में या अन्यथा किसी भी सरकारी संस्था को लागू कानूनों, लागू परमिटों के अनुपालन के उद्देश्य से और/या संबंधित लागू परमिट प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराएगा।

12.4.2 वास्तु डिजाइन प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण और/या स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियाँ देंगे। यदि प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता की टिप्पणियाँ (प्राधिकरण के माध्यम से प्रस्तुत) यह दर्शाती हैं कि वास्तु डिजाइन परियोजना के दायरे या विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप नहीं है, तो रियायतग्राही द्वारा इसे संशोधित किया जाएगा और प्राधिकरण की टिप्पणियों की प्राप्ति की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर समीक्षा के लिए प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण और/या स्वतंत्र अभियंता संशोधित वास्तु डिजाइन की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियाँ (यदि कोई हो) देंगे।

12.4.3 यदि धारा 12.4.1 के अंतर्गत और उसके अनुसार वास्तु डिजाइन में कोई संशोधन निर्धारित किया गया हो, तो वास्तु डिजाइन को उस सीमा तक संशोधित माना जाएगा।

12.4.4 लागू परमिट प्राप्त होने की शर्त पर, रियायतग्राही को इस अनुबंध के तहत प्रस्तुत वास्तुशिल्प डिजाइन पर प्राधिकरण की टिप्पणियों की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। धारा 12.4.2 में निर्दिष्ट 30 (तीस) दिनों की अवधि से आगे प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, और वह अपने विवेक और जोखिम पर निर्माण कार्य शुरू कर सकता है। प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता द्वारा कोई समीक्षा और/या टिप्पणी न करने और/या वास्तुशिल्प डिजाइन पर अपनी टिप्पणियाँ न देने से रियायतग्राही इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों और देनदारियों से किसी भी तरह से मुक्त नहीं होगा और न ही प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता इसके लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी होंगे।

12.4.5 यदि रियायतग्राही या प्राधिकरण के बीच खंड 12.4.1 या खंड 12.4.2 के अनुसार कोई असहमति उत्पन्न होती है और प्राधिकरण दूसरे पक्ष को इसकी सूचना देता है, तो विवाद उत्पन्न माना जाएगा और इसके समाधान के लिए अनुच्छेद 41 के प्रावधान यथावश्यक रूप से लागू होंगे, बशर्ते कि खंड 41.3 के प्रावधानों के तहत नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ केवल अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित वास्तुकार ही होंगे। प्राधिकरण द्वारा ऐसे मध्यस्थों को देय शुल्क, यदि संशोधन रियायतग्राही द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो रियायतग्राही द्वारा प्रतिदिन 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये) की सीमा के अधीन प्रतिपूर्ति की जाएगी।

12.5 हवाईअड्डे का निर्माण

12.5.1 रियायतग्राही हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य अनुसूची ए, अनुसूची बी, अनुसूची सी में बताए गए विनिर्देशों एवं मानकों तथा मास्टर प्लान के अनुसार करेगा।

- (i) रियायतग्राही, चरण-I के निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित सभी लागू अनुमतियाँ प्राप्त करेगा, जिनमें अनुसूची-डी में विनिर्दिष्ट लागू अनुमतियाँ भी शामिल हैं, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। ये अनुमतियाँ बिना किसी शर्त के प्राप्त की जाएंगी अथवा यदि किसी अनुमति के साथ कोई शर्त निर्धारित हो, तो रियायतग्राही ऐसी सभी शर्तों का अनुसूची-घ में विनिर्दिष्ट तिथि तक तथा उसमें निर्धारित प्रारूप एवं रीति से पूर्णतः अनुपालन करेगा।
- (ii) इस करार की शर्तों के अनुसार विकास अवधि में अनुमोदित विस्तार/विस्तारों के अधीन, परियोजना के चरण-I के पूरा होने की निर्धारित तिथि वह तिथि होगी, जिसे रियायतग्राही खंड 4.1.3 (एच) के अनुसार इंगित करेगा ("निर्धारित पूर्णता तिथि")। रियायतग्राही सहमत होता है और यह वचन देता है कि हवाई अड्डे के चरण-I का निर्माण कार्य निर्धारित पूर्णता तिथि को या उससे पहले पूरा कर लिया जाएगा।
- (iii) परवर्ती चरणों के लिए निर्धारित पूर्णता तिथियाँ रियायतग्राही द्वारा स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से निर्धारित की जाएंगी। यह सहमति है कि परियोजना पूर्णता अनुसूची तथा निर्धारित पूर्णता तिथि सिटी-साइड विकास पर लागू नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, हवाई अड्डे के वाणिज्यिक प्रचालन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किए गए हैं।

12.5.2 रियायतग्राही हवाई अड्डे का निर्माण चरण पूर्णता समय-सारणी के अनुसार करेगा, जिसे स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से तैयार कर अनुसूची एफ में रखा जाएगा।

12.5.3 यदि रियायतग्राही अनुसूची एफ में किसी चरणगत माइलस्टोन के लिए निर्धारित तारीख से 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर, चरणगत माइलस्टोन के अनुसार किसी माइलस्टोन को प्राप्त करने में विफल रहता है, और ऐसी विफलता अप्रत्याशित घटना के कारण या प्राधिकरण के लिए उत्तरदायी कारणों से नहीं हुई है, तो रियायतग्राही को प्रत्येक दिन की देरी के लिए कार्य-निष्पादन प्रतिभूति की राशि के 0.1 प्रतिशत (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) की दर से परिकलित राशि के बराबर क्षतिपूर्ति प्राधिकरण को देनी होगी। यह क्षतिपूर्ति तब तक देय होगी जब तक कि चरण पूर्णता अनुसूची के अनुसार संबंधित माइलस्टोन प्राप्त नहीं कर लिया जाता। बशर्ते कि, यदि इस करार के प्रावधानों के अनुसार किसी चरण की पूर्णता अनुसूची के लिए निर्धारित किसी एक या सभी माइलस्टोन अथवा निर्धारित पूर्णता तारीख को बढ़ा दिया जाता है, तो अनुसूची एफ में निर्धारित तारीखों को तदनुसार संशोधित माना जाएगा और इस करार के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे, मानो अनुसूची एफ में उपर्युक्तानुसार संशोधन कर दिया गया हो। यह भी बशर्ते कि, यदि संबंधित चरण के लिए वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख उस चरण की निर्धारित पूर्णता तारीख को या उससे पहले प्राप्त कर ली जाती है, तो इस धारा 12.5.3 के अंतर्गत रियायतग्राही द्वारा भुगतान की गई क्षतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को वापस कर दी जाएगी, लेकिन उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यह सहमति है कि इस धारा 12.5.3 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली, इस करार के अंतर्गत प्राधिकरण के अधिकारों को प्रभावित किए बिना होगी, जिसमें करार समाप्त करने का अधिकार भी शामिल है।

12.5.4 यदि किसी चरण के संबंध में निर्धारित पूर्णता तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिन की अवधि के भीतर सीओडी प्राप्त नहीं होती है, और यह देरी पूर्णतः प्राधिकरण अथवा फोर्स मेज्योर से संबंधित कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से हुई है, तो प्राधिकरण को इस अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार होगा। उपरोक्त के बावजूद, रियायतग्राही पर लागू विधि के अनुसार देय अन्य राशियों के अतिरिक्त, वह चरण पूर्णता तिथि प्राप्त करने में हुई प्रत्येक दिन की देरी के लिए भी हर्जाना देने हेतु उत्तरदायी होगा, यदि यह अवधि अनुसूचित पूर्णता तिथि से 270 (दो सौ सत्तर) दिनों के भीतर हो।

12.6 परियोजना सुविधियों का विकास

12.6.1 धारा 12.5 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही अनुसूची-बी में निर्दिष्ट परियोजना सुविधियों का विकास करेगा तथा यह कार्य मानकों एवं विनिर्देशों, अनुसूची-सी, लागू विधियों और लागू अनुज्ञापत्रों के अनुरूप किया जाएगा।

12.6.2 हवाईअड्डे की समग्र रूपरेखा, अभिकल्प एवं परिवेश के अनुरूप परियोजना सुविधियों के विकास, परिवर्धन, संशोधन अथवा स्थानांतरण से संबंधित किसी भी विकास, उन्नयन, परिवर्तन या संशोधन को रियायतग्राही अपने व्यय पर कार्यान्वित करेगा तथा यह उपयोगकर्ताओं के सर्वोत्तम हित में होगा।

12.7 हवाईअड्डे का विस्तार

12.7.1 मुख्य योजना में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार तथा लागू विधियों द्वारा निर्धारित मानकों से कम न होते हुए, यदि हवाईअड्डे की क्षमता अपर्याप्त हो जाती है अथवा अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के दस्तावेजों एवं परिशिष्टों में निर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करती है, तो रियायतग्राही आवश्यक क्षमता वृद्धि एवं विस्तार करेगा, ताकि उक्त कमी को दूर किया जा सके। ऐसी स्थिति में रियायतग्राही सभी लागू अनुज्ञापत्र प्राप्त करेगा तथा उन शर्तों के अधीन, जिनमें अनुदान प्राधिकारी अथवा अन्य प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदन अपेक्षित हो, अपने व्यय पर और पूर्ण रूप से निर्धारित तिथि तक ऐसी क्षमता वृद्धि एवं विस्तार कार्यान्वित करेगा।

12.7.2 अनुच्छेद 12 के अन्य प्रावधानों को प्रभावित किए बिना, रियायतग्राही परियोजना सुविधियों का विस्तार वास्तुशिल्पीय एवं अभिकल्प संबंधी मुख्य योजना के अनुरूप तथा हवाईअड्डे के समग्र अभिकल्प एवं परिवेश के साथ सामंजस्य रखते हुए करेगा।

अनुच्छेद 13. निर्माण कार्य की निगरानी

13.1 त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट

निर्माण अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण को निष्पादित निर्माण कार्यों की प्रगति (भौतिक एवं वित्तीय दोनों) तथा आगामी तिमाही की निर्माण योजना, साथ ही प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अन्य संबंधित जानकारी सहित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

13.2 निरीक्षण

विकास अवधि के दौरान स्वतंत्र अभियंता हवाईअड्डा कार्यों के त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा करेगा। स्वतंत्र अभियंता प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार स्थल का निरीक्षण करेगा, ताकि निर्माण कार्यों की प्रगति तथा किसी भी दोष या कमी का पता लगाया जा सके। निरीक्षण योजना के अनुसार तथा परियोजना अनुसूची, परियोजना के विनिर्देशों एवं मानकों, लागू विधियों तथा लागू अनुज्ञापत्रों के अनुरूप निरीक्षण किया जाएगा। यदि निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों में कोई दोष या कमी पाई जाती है, तो स्वतंत्र अभियंता निरीक्षण प्रतिवेदन में उसका विवरण देगा तथा रियायतग्राही को पंद्रह (15) दिनों के भीतर ऐसे दोषों अथवा कमियों को दूर करने के लिए सूचित करेगा। यदि रियायतग्राही निरीक्षण प्रतिवेदन में वर्णित दोषों को निर्धारित समय के भीतर दूर नहीं करता है, तो स्वतंत्र अभियंता इस विषय को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा। पक्षकार सहमत हैं कि स्वतंत्र अभियंता के कार्यों में नगर-पार्श्व विकास भी सम्मिलित होगा।

13.3 परीक्षण

13.3.1 निर्माण कार्यों के विनिर्देशों एवं मानकों के अनुरूप होने का निर्धारण करने के लिए, स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही को, गुणवत्ता आश्वासन के प्रयोजनार्थ, समय-समय पर स्वतंत्र अभियंता द्वारा निर्दिष्ट समय, आवृत्ति एवं रीति से, उद्योग में प्रचलित उत्तम पद्धति, लागू विधियों, लागू अनुज्ञप्तियों एवं अनुमतियों तथा इस करार के अनुसार परीक्षण करने या करवाने के लिए अपेक्षित करेगा। ऐसे परीक्षणों के लिए नमूने का आकार, जहाँ तक संभव हो, किए गए कुल कार्य की मात्रा और/या संख्या के 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा। रियायतग्राही, समुचित तत्परता के साथ, स्वतंत्र अभियंता के निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी परीक्षण स्वयं करेगा या करवाएगा तथा उनके परिणाम स्वतंत्र अभियंता को प्रस्तुत करेगा। परंतु यह प्रावधान है कि, स्वतंत्र अभियंता, इसके अधीन निर्दिष्ट परीक्षण स्वयं करवाने के बजाय, अपने विकल्प पर, रियायतग्राही द्वारा अपने गुणवत्ता आश्वासन के लिए उद्योग में प्रचलित उत्तम पद्धति, लागू विधियों, लागू अनुज्ञप्तियों एवं अनुमतियों तथा इस करार के अनुसार किए जाने वाले किसी भी परीक्षण का निरीक्षण करने या उसमें भाग लेने का निर्णय ले सकता है। ऐसी स्थिति में, रियायतग्राही, स्वतंत्र अभियंता के साथ सहयोग करेगा तथा इस करार के अधीन उसके कार्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा।

13.3.2 यदि इस धारा 13.3 के अंतर्गत किए गए किसी परीक्षण के परिणामों से निर्माण कार्यों में कोई दोष या कमी स्थापित होती है, तो रियायतग्राही सुधारात्मक उपाय करेगा तथा इस संबंध में स्वतंत्र अभियंता को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही को यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण करने या करवाने हेतु अपेक्षित करेगा कि ऐसे सुधारात्मक उपायों के फलस्वरूप निर्माण कार्य विनिर्देशों एवं मानकों के अनुरूप हो गए हैं। जब तक निर्माण कार्य विनिर्देशों एवं मानकों के अनुरूप नहीं हो जाते, तब तक इस धारा 13.3 में निर्धारित प्रक्रिया को दोहराया जाता रहेगा।

13.3.3 यह सहमति है कि धारा 13.3 के अंतर्गत किए गए परीक्षण रियायतग्राही की गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके स्थान पर। रियायतग्राही उत्तम औद्योगिक प्रथा, लागू विधियों तथा लागू अनुज्ञापत्रों के अनुरूप अपने गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के अंतर्गत परीक्षण करता रहेगा। यह भी सहमति है कि ऐसे परीक्षणों के परिणामों की एक प्रति स्वतंत्र अभियंता को उपलब्ध कराई जाएगी।

13.4 निर्माण के दौरान विलंब

उपधारा 12.5.2 के प्रावधानों के अधीन, यदि रियायतग्राही चरण-1 पूर्णता तिथि तक स्वतंत्र अभियंता की यथोचित संतुष्टि के अनुसार अपेक्षित प्रगति प्राप्त नहीं करता है तथा यदि निर्माण कार्यों की प्रगति ऐसी है कि निर्माण कार्य निर्धारित चरण-1 पूर्णता तिथि तक पूर्ण होने की संभावना नहीं है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को इसकी सूचना देगा। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर रियायतग्राही 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण एवं स्वतंत्र अभियंता को स्वीकार्य कार्ययोजना प्रस्तुत करेगा, जिसमें चरण-1 पूर्णता तिथि के भीतर कार्य की प्रगति को तीव्र करने के उपाय सम्मिलित होंगे।

13.5 असुरक्षित निर्माण कार्यों का निलंबन

13.5.1 स्वतंत्र अभियंता की इस आशय की संस्तुति पर, प्राधिकरण, सूचना द्वारा, रियायतग्राही को निर्माण कार्य के संपूर्ण भाग अथवा उसके किसी भाग को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की अपेक्षा कर सकता है, यदि प्राधिकरण की युक्तियुक्त राय में ऐसा कार्य हवाई अड्डे पर या उसके आसपास उपयोगकर्ताओं अथवा किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है। परंतु, आपातकालीन स्थिति में, प्राधिकरण उपर्युक्त सूचना स्वयं जारी कर सकता है।

13.5.2 धारा 13.5.1 के अंतर्गत दी गई सूचना के अनुसरण में, रियायतग्राही, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक और विनिर्दिष्ट रीति से, निर्माण कार्य या उसके किसी भाग को निलंबित करेगा और तत्पश्चात् निलंबित कार्यों तथा जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय करेगा। रियायतग्राही, सूचना द्वारा, स्वतंत्र अभियंता से ऐसे उपचारात्मक उपायों का तत्काल निरीक्षण करने तथा प्राधिकरण को यह संस्तुति करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है कि क्या इस धारा के अधीन किया गया निलंबन समाप्त किया जा सकता है अथवा नहीं। स्वतंत्र अभियंता की संस्तुतियाँ प्राप्त होने पर, प्राधिकरण या तो ऐसे निलंबन को समाप्त करेगा या रियायतग्राही को ऐसे अन्य एवं अतिरिक्त उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश देगा, जो प्राधिकरण की युक्तियुक्त राय में आवश्यक हों। इस धारा 13.5 में निर्धारित प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाएगा, जब तक कि इस धारा के अधीन किया गया निलंबन समाप्त नहीं कर दिया जाता।

13.5.3 धारा 32.7 के प्रावधानों के अधीन, निलंबन की अवधि के दौरान निर्माण कार्य या उसके किसी भाग के अनुरक्षण एवं संरक्षण के लिए किए गए सभी युक्तियुक्त व्यय **“संरक्षण व्यय”** होंगे और उनका वहन रियायतग्राही द्वारा किया जाएगा। परंतु, यदि निलंबन प्राधिकरण द्वारा इस करार के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुआ है, तो संरक्षण व्यय का वहन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। विनियामक द्वारा निर्धारित किए जाने वाले **विमानन प्रभारों** के निर्धारण के प्रयोजनार्थ संरक्षण व्यय को विशेष रूप से अपवर्जित किया जाएगा।

13.5.4 यदि निर्माण कार्य का निलंबन ऐसे कारणों से हुआ है जो रियायतग्राही के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और जिनका रियायतग्राही द्वारा **उद्योग में प्रचलित उत्तम पद्धति** के अनुसार पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता

था तथा उन्हें टाला नहीं जा सकता था, तो स्वतंत्र अभियंता की संस्तुति पर प्राधिकरण, चरण पूर्णता अनुसूची में निर्धारित तिथियों के लिए ऐसे विस्तार का निर्धारण करेगा, जिसके लिए रियायतग्राही युक्तियुक्त रूप से हकदार है। यदि इसके अनुसरण में **निर्धारित पूर्णता तिथि** में विस्तार किया जाता है, तो **रियायत अवधि** को निर्धारित पूर्णता तिथि के विस्तार की अवधि के बराबर अवधि तक विस्तारित माना जाएगा।

13.6 वीडियो अभिलेखन

- 13.6.1 निर्माण अवधि** के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक कैलेंडर तिमाही के लिए प्राधिकरण को एक **वीडियो अभिलेख** उपलब्ध कराएगा, जिसे 3 (तीन) घंटे की अवधि वाली **डिजिटल वीडियो डिस्क** अथवा उसके किसी विकल्प के रूप में संकलित किया जाएगा और जिसमें उस तिमाही के दौरान किए गए निर्माण कार्यों की स्थिति एवं प्रगति को दर्शाया जाएगा। ऐसा पहला वीडियो अभिलेख **वाणिज्यिक परिचालन की तिथि** से 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाएगा और तत्पश्चात् प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा।
- 13.6.2** इस धारा 13.6 के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला वीडियो अभिलेख, रियायतग्राही द्वारा की गई गतिविधियों को **समान साप्ताहिक वितरण के आधार पर** सम्मिलित करेगा तथा संबंधित अभिलेखन अवधि के दौरान रियायतग्राही द्वारा की गई और संपादित गतिविधियों का यथार्थ प्रतिबिंब होगा।

अनुच्छेद 14 – चरण का पूर्ण होना

14.1 परीक्षण

14.1.1 संबंधित चरण के संभावित पूर्ण होने से कम से कम **30 (तीस) दिन पूर्व**, रियायतग्राही प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को संबंधित चरण पर **परीक्षण किए जाने के अपने आशय** की सूचना देगा। प्रत्येक परीक्षण की तारीख और समय रियायतग्राही द्वारा स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा तथा इसकी सूचना प्राधिकरण को दी जाएगी, जो परीक्षणों को देखने के लिए अपने प्रतिनिधि को नामित कर सकता है। यदि रियायतग्राही और स्वतंत्र अभियंता परीक्षण किए जाने की तारीखों पर पारस्परिक रूप से सहमत होने में विफल रहते हैं, तो रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता को कम से कम **15 (पंद्रह) दिन की पूर्व सूचना** देकर परीक्षणों की तारीखें निर्धारित करेगा। यह सहमति है कि इस **अनुच्छेद 14** के प्रावधान **शहर-पक्ष विकास** पर लागू नहीं होंगे।

14.1.2 सभी परीक्षण **अनुसूची-छ** के अनुसार रियायतग्राही की लागत और व्यय पर किए जाएंगे। स्वतंत्र अभियंता, परीक्षणों के परिणामों का निरीक्षण, अनुश्रवण और पुनरीक्षण करेगा, ताकि **हवाई अड्डे** का विनिर्देशों एवं मानकों तथा लागू अनुज्ञप्तियों/अनुमतियों के अनुपालन का निर्धारण किया जा सके। यदि किसी परीक्षण के दौरान स्वतंत्र अभियंता को यह युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित हो या निर्धारित हो जाए कि हवाई अड्डे का निष्पादन या उसका कोई भाग विनिर्देशों एवं मानकों के अनुरूप नहीं है, तो उसे ऐसे परीक्षण को स्थगित करने या विलंबित करने तथा रियायतग्राही को दोषों या कमियों का उपचार एवं सुधार करने की अपेक्षा करने का अधिकार होगा। प्रत्येक परीक्षण के पूरा होने पर, रियायतग्राही सभी परीक्षण आंकड़ों, जिसमें परीक्षण के विस्तृत परिणाम भी सम्मिलित हैं, की प्रतियां स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगा।

14.1.3 प्राधिकरण और/या स्वतंत्र अभियंता, विनिर्देशों एवं मानकों, लागू विधियों तथा लागू अनुज्ञप्तियों/अनुमतियों के साथ हवाई अड्डे के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए, **उद्योग में प्रचलित उत्तम पद्धति** के अनुसार, रियायतग्राही की लागत पर अतिरिक्त परीक्षण करने या करवाने की अपेक्षा कर सकता है, अथवा यदि **धावनपथ, टैक्सीमार्ग, विमान-खड़ा क्षेत्र, हवाई यातायात नियंत्रण सुविधा और यात्री टर्मिनल भवन** की भौतिक संरचना की सामर्थ्य की पर्याप्तता के संबंध में निम्नलिखित में से किसी कारण से युक्तियुक्त संदेह हो, तो ऐसे अतिरिक्त परीक्षण कराए जा सकते हैं:

- (क) कंक्रीट परीक्षण घनों के संपीड़न सामर्थ्य के परिणाम निर्दिष्ट सामर्थ्य से कम होना;
- (ख) शटरिंग को समय से पहले हटाया जाना;
- (ग) कंक्रीट का अपर्याप्त उपचार;
- (घ) संरचना या उसके किसी भाग के निर्माण के दौरान अत्यधिक भार डाला जाना;
- (ङ) मधुमक्खी के छत्ते के समान छिद्रयुक्त या क्षतिग्रस्त कंक्रीट की उपस्थिति, जो अभिकल्पित भार वहन करने के लिए संरचना की स्थिरता को प्रभावित कर सकती हो; या
- (च) कोई अन्य कारण, जिसके परिणामस्वरूप संरचना या उसका कोई भाग अपेक्षित सामर्थ्य से कम सामर्थ्य वाला हो सकता हो।

14.2 पूर्णता

इस करार के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्यों के पूरा हो जाने ("**पूर्णता**") और स्वतंत्र अभियंता द्वारा परीक्षणों को सफल घोषित किए जाने पर, रियायतग्राही प्राधिकरण को, जिसकी एक प्रति स्वतंत्र अभियंता को दी जाएगी, **पूर्णता रिपोर्ट** प्रस्तुत करेगा। पूर्णता रिपोर्ट में परीक्षण संबंधी आंकड़े, अपनाई गई प्रक्रियाएँ तथा परीक्षण के परिणाम सम्मिलित होंगे। स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही की पूर्णता रिपोर्ट के सत्यापन के पश्चात्, इस करार की शर्तों के अनुसार संबंधित चरण के भौतिक निर्माण की पूर्णता के लिए प्राधिकरण द्वारा **पूर्णता प्रमाण-पत्र**

जारी किए जाने की संस्तुति करेगा। रियायतग्राही, लागू विधियों के अनुसार वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने से पूर्व, सभी आवश्यक **लागू अनुज्ञप्तियाँ/अनुमतियाँ** प्राप्त करने के लिए बाध्य रहेगा।

14.3 अनंतिम पूर्णता

- 14.3.1** प्राधिकरण, रियायतग्राही के अनुरोध पर तथा स्वतंत्र अभियंता की संस्तुतियों के अधीन और **महानिदेशालय, नागर विमानन की अनुज्ञप्ति** सहित सभी आवश्यक लागू अनुज्ञप्तियाँ/अनुमतियाँ प्राप्त किए जाने के पश्चात्, निर्माण कार्य का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की अनुमति दे सकता है, यदि परीक्षण सफल हों और निर्माण कार्य को सुरक्षित एवं विश्वसनीय रूप से वाणिज्यिक परिचालन में लाया जा सकता हो, भले ही निर्माण कार्य का हिस्सा बनने वाले कुछ कार्य या मदें अभी शेष हों और पूर्ण न हुई हों ("**अनंतिम पूर्णता**"). ऐसी स्थिति में, स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही के परामर्श से, शेष मदों की एक सूची प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जिस पर बाद में प्राधिकरण, स्वतंत्र अभियंता और रियायतग्राही संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करेंगे ("**शेष कार्य सूची**").
- 14.3.2** इस करार के पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस धारा 14.3 के अंतर्गत परिचालन की अनुमति, रियायतग्राही के इस आशय के अनुरोध पर, हवाई अड्डे के किसी भाग के परिचालन के लिए भी दी जा सकती है, यदि धारा 14.3.1 के प्रावधानों के अनुसार उसे सुरक्षित एवं विश्वसनीय रूप से वाणिज्यिक परिचालन में लाया जा सकता हो। इस धारा 14.3 के अंतर्गत परिचालन की अनुमति दिए जाने पर, इस करार के प्रावधान हवाई अड्डे के ऐसे पूर्ण किए गए भाग पर लागू होंगे और ऐसे पूर्ण किए गए भाग के संबंध में रियायतग्राही के अधिकारों एवं दायित्वों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।
- 14.3.3** रियायतग्राही, निर्धारित अवधि के भीतर **शेष कार्य सूची** में सम्मिलित मदों को पूरा करने तथा लागू विधियों के अनुसार सभी आवश्यक लागू अनुज्ञप्तियाँ/अनुमतियाँ प्राप्त करने के लिए बाध्य रहेगा।

14.4 शेष कार्य सूची की मदों की पूर्णता

- 14.4.1** शेष कार्य सूची में सम्मिलित सभी मदें रियायतग्राही द्वारा **निर्धारित पूर्णता तिथि** से पहले पूरी की जाएँगी। इसके पश्चात् होने वाले किसी भी विलंब के लिए, सिवाय ऐसे विलंब के जो केवल प्राधिकरण के लिए उत्तरदायी हो या **अप्रत्याशित घटना** के कारण हुआ हो, प्राधिकरण रियायतग्राही से प्रत्येक दिन के विलंब के लिए, जब तक कि सभी मदें पूरी नहीं हो जातीं, **क्षतिपूर्ति** वसूल करने का हकदार होगा। क्षतिपूर्ति की गणना निम्नलिखित में से जो कम हो, उसके आधार पर की जाएगी: **(क)** कार्य-निष्पादन प्रतिभूति का **0.1%** (**शून्य दशमलव एक प्रतिशत**); या **(ख)** स्वतंत्र अभियंता द्वारा अनुमानित ऐसी मदों को पूरा करने की लागत का **0.2%** (**शून्य दशमलव दो प्रतिशत**)। ऐसी क्षतिपूर्ति के भुगतान के अधीन, रियायतग्राही शेष कार्य सूची की मदों को पूरा करने के लिए **120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक नहीं** की अतिरिक्त अवधि का हकदार होगा। यदि किसी मद की पूर्णता में विलंब केवल प्राधिकरण के लिए उत्तरदायी कारणों से या अप्रत्याशित घटना के कारण होता है, तो उसकी पूर्णता की तिथि स्वतंत्र अभियंता द्वारा **उद्योग में प्रचलित उत्तम पद्धति** के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
- 14.4.2** शेष कार्य सूची की सभी मदों के पूरा हो जाने पर, यदि अपेक्षित हो, तो रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता की उपस्थिति में लागू परीक्षण करेगा तथा अपनी **पूर्णता रिपोर्ट** प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को प्रस्तुत करेगा। यदि रियायतग्राही धारा 14.4.1 में निर्धारित अवधि के भीतर, अप्रत्याशित घटना की स्थिति या केवल प्राधिकरण के लिए उत्तरदायी कारणों के अतिरिक्त, किसी भी कारण से शेष कार्य सूची की सभी मदों को पूरा करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण इस करार को **समाप्त करने का हकदार होगा**।

14.5 पूर्णता प्रमाण-पत्र को रोके रखना

14.5.1 यदि स्वतंत्र अभियंता यह निर्धारित करता है कि हवाई अड्डा या उसका कोई भाग इस करार के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और उसे सुरक्षित एवं विश्वसनीय रूप से वाणिज्यिक परिचालन में नहीं लाया जा सकता है, तो वह तत्काल इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रतियाँ प्राधिकरण तथा रियायतग्राही को भेजेगा। स्वतंत्र अभियंता से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर और अपना स्वयं का निरीक्षण करने के पश्चात्, यदि प्राधिकरण की राय है कि हवाई अड्डा वाणिज्यिक सेवा के लिए उपयुक्त एवं सुरक्षित नहीं है, तो वह उपर्युक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के **7 (सात) दिनों के भीतर** रियायतग्राही को हवाई अड्डे में विद्यमान दोषों एवं कमियों की सूचना देगा तथा स्वतंत्र अभियंता को, यथास्थिति, **अनंतिम प्रमाण-पत्र या पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने से रोकने** का निर्देश देगा। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, रियायतग्राही ऐसे दोषों या कमियों का उपचार एवं सुधार करेगा और तत्पश्चात् इस अनुच्छेद **14** के अनुसार परीक्षण किए जाएंगे। इस प्रक्रिया को आवश्यकतानुसार तब तक दोहराया जाएगा, जब तक कि दोषों या कमियों का प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुसार सुधार नहीं कर दिया जाता।

14.5.2 धारा **14.5.1** में किसी प्रतिकूल प्रावधान के होते हुए भी, प्राधिकरण उस धारा के अंतर्गत स्वतंत्र अभियंता से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी समय स्वतंत्र अभियंता को धारा **14.3** के अंतर्गत **अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी करने** का निर्देश दे सकता है और ऐसे निर्देश का तत्काल अनुपालन किया जाएगा।

14.6 परीक्षणों का पुनर्निर्धारण

यदि स्वतंत्र अभियंता प्राधिकरण और रियायतग्राही को यह प्रमाणित करता है कि वह, ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों के कारण, जिनके परिणामस्वरूप परीक्षण आयोजित नहीं किए जा सके या उन्हें स्थगित करना पड़ा, यथास्थिति **पूर्णता प्रमाण-पत्र या अनंतिम प्रमाण-पत्र** जारी करने में असमर्थ है, तो रियायतग्राही परीक्षणों का **पुनर्निर्धारण** करने और उन्हें यथासंभव शीघ्र, युक्तियुक्त रूप से संभव समय पर आयोजित करने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 15. वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश

15.1 वाणिज्यिक परिचालन तिथि

15.1.1 इस रियायत की **वाणिज्यिक परिचालन तिथि** वह तिथि होगी, जिस दिन अनुच्छेद 4 के अनुसार सभी पूर्ववर्ती शर्तें पूरी हो जाती हैं और रियायतग्राही वित्तीय समापन प्राप्त कर लेता है। वाणिज्यिक परिचालन तिथि से रियायतग्राही हवाई अड्डे का परिचालन एवं प्रबंधन प्रारंभ करने का हकदार होगा तथा अनुच्छेद 28 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क की मांग करने और उसे वसूल करने का हकदार होगा।

15.1.2 रियायतग्राही एतद्वारा सहमत होता है और वचन देता है कि वह इस करार की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर वाणिज्यिक परिचालन तिथि प्राप्त कर लेगा। विलंब होने की स्थिति में, वह प्राधिकरण को प्रत्येक दिन के विलंब के लिए कार्य-निष्पादन प्रतिभूति के 0.2% (शून्य दशमलव दो प्रतिशत) की दर से परिकलित क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के अधीन, अधिकतम 90 (नब्बे) दिनों से अधिक की अतिरिक्त अवधि का हकदार होगा। परंतु, इसमें विनिर्दिष्ट क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रत्येक सप्ताह अग्रिम रूप से किया जाएगा और 90 (नब्बे) दिनों की अवधि केवल उतनी ही सीमा तक प्रदान की जाएगी, जितनी अवधि के लिए उक्त क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया हो। यह भी प्रावधानित है कि यदि वाणिज्यिक परिचालन तिथि में ऐसा विलंब धारा 4.1.2 में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति कराने में प्राधिकरण की किसी चूक या विलंब के परिणामस्वरूप हुआ हो अथवा अप्रत्याशित घटना के कारण हुआ हो, तो कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। संदेह के निवारणार्थ, इस धारा के अधीन देय क्षतिपूर्ति, धारा 4.2 के अधीन देय क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगी।

15.2 विलंब के कारण समाप्ति

इस करार में किसी प्रतिकूल प्रावधान के होते हुए भी, किंतु धारा 32.6.1 के अधीन, यदि किसी भी कारण से धारा 15.1 में निर्धारित अवधि के भीतर वाणिज्यिक परिचालन तिथि घटित नहीं होती है, तो इस करार के अंतर्गत या इससे उत्पन्न रियायतग्राही के सभी अधिकार, विशेषाधिकार, दावे और हकदारी, रियायतग्राही की सहमति से, उसके द्वारा परित्यक्त तथा समाप्त माने जाएंगे और रियायत करार पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से समाप्त माना जाएगा।

अनुच्छेद 16 – संक्रमणकालीन व्यवस्थाएँ

16.1 वित्तीय अंतरण

16.1.1 हवाई अड्डे के लिए और उससे संबंधित सभी राजस्व, प्राप्तियाँ, व्यय तथा अन्य वित्तीय लेन-देन, वाणिज्यिक परिचालन तिथि को 0000 (शून्य शून्य शून्य शून्य) बजे से प्राधिकरण से रियायतग्राही को अंतरित माने जाएंगे तथा इनके संबंध में सभी अधिकार, दायित्व और देयताएँ उक्त समय से अंतरण तिथि तक अनन्य रूप से रियायतग्राही में निहित रहेंगी।

वाणिज्यिक परिचालन तिथि से पूर्व प्राधिकरण द्वारा उपगत सभी देयताएँ, जिनमें कोई ऋण संबंधी दायित्व तथा प्राधिकरण या किसी तृतीय पक्ष को किए जाने वाले भुगतान भी सम्मिलित हैं, हर समय प्राधिकरण में ही निहित रहेंगे। प्राधिकरण, वाणिज्यिक परिचालन तिथि से पूर्व उत्पन्न किसी भी नवीनकृत करार या अनवीनकृत करार के अंतर्गत या उससे संबंधित किसी भी प्रकार और प्रकृति की हानि, क्षति, लागत और व्यय के लिए किए गए किसी भी वाद, कार्यवाही, कार्यवाई, मांग या दावे के संबंध में रियायतग्राही को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा, उसका प्रतिरक्षण करेगा तथा उसे सुरक्षित एवं दायित्वमुक्त रखेगा। परंतु, प्राधिकरण किसी ऐसे व्यक्तिगत दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसकी राशि ₹2,00,00,000 (रुपये दो करोड़) से कम हो। इसी प्रकार, किसी एक या सभी नवीनकृत करारों और/या अनवीनकृत करारों के अंतर्गत सभी दावों के लिए प्राधिकरण की कुल देयता, संबंधित ब्याज और प्रवर्तन लागत को छोड़कर, ₹20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़) के बराबर या उससे अधिक नहीं होगी।

16.1.2 हवाई अड्डे के लिए और उससे संबंधित सभी विद्यमान प्रतिभूति जमा, बयाना राशि जमा, बैंक गारंटी, कार्य-निष्पादन प्रतिभूतियाँ अथवा इसी प्रकार के अन्य लिखत, जिनमें सभी नवीनकृत करारों के प्रतिपक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई ऐसी प्रतिभूतियाँ भी सम्मिलित हैं, प्राधिकरण द्वारा संबंधित प्रतिपक्षकार को तब जारी कर दी जाएंगी, जब उक्त प्रतिपक्षकार द्वारा उन्हें रियायतग्राही को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यह कार्य वाणिज्यिक परिचालन तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर किया जाएगा।

16.2 गैर-विमानन परिसंपत्तियों का अंतरण

धारा 16.3 के अधीन, रियायतग्राही को वाणिज्यिक परिचालन तिथि से सभी गैर-विमानन परिसंपत्तियों का नियंत्रण ग्रहण किया हुआ माना जाएगा।

16.3 विमानन परिसंपत्तियों का अंतरण

रियायतग्राही को वाणिज्यिक परिचालन तिथि से सभी विमानन परिसंपत्तियों तथा यात्री टर्मिनल भवन का नियंत्रण ग्रहण किया हुआ माना जाएगा।

16.4 संयुक्त प्रबंधन के दौरान प्राधिकरण के दायित्व

16.4.1 प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा और आवश्यक व्यवस्था करेगा कि संयुक्त प्रबंधन अवधि के दौरान हवाई अड्डे पर कार्यरत उसके सभी कर्मचारी, रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार, अपनी-अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार तथा निष्ठा और दक्षता के साथ निर्वहन करें।

16.4.2 प्राधिकरण या उसके कर्मचारी संयुक्त प्रबंधन अवधि के दौरान किए गए किसी कार्य या किसी चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, सिवाय इसके कि ऐसा कार्य या चूक घोर उपेक्षा या जानबूझकर की गई चूक के कारण हुई हो।

16.4.3 रियायतग्राही, वाणिज्यिक परिचालन तिथि से 1 (एक) वर्ष के भीतर हवाई अड्डा अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा। इस करार में किसी प्रतिकूल प्रावधान के होते हुए भी, प्राधिकरण, लागू विधियों, जिनमें विमान नियम, 1937 तथा महानिदेशालय, नागर विमानन द्वारा जारी दिनांक 16 अक्टूबर, 2006 की नागर विमानन आवश्यकताओं के अनुच्छेद 7.3 भी सम्मिलित हैं, के अनुसार हवाई अड्डे के विमानपतन प्रचालक के रूप में कार्य करता रहेगा और रियायतग्राही को विमानपतन अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने तक हवाई अड्डे के परिचालन के लिए उत्तरदायी रहेगा। परंतु, इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली सभी देयताएँ रियायतग्राही की देयताएँ मानी जाएंगी।

16.4.4 यह स्पष्ट किया जाता है कि संयुक्त प्रबंधन अवधि के दौरान हवाई अड्डे के परिचालन, विकास और प्रबंधन के लिए रियायतग्राही पूर्णतः उत्तरदायी होगा और इस संबंध में प्राधिकरण का कोई दायित्व और/या अधिकार नहीं होगा, सिवाय इसके कि इस करार में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया हो।

16.5 वाणिज्यिक परिचालन तिथि से पूर्व प्रेक्षण अवधि

प्राधिकरण, वाणिज्यिक परिचालन तिथि से पूर्व 60 (साठ) दिनों की अवधि के लिए, रियायतग्राही तथा उसके द्वारा नामित सभी व्यक्तियों को हवाई अड्डे में प्रवेश करने तथा हवाई अड्डे पर कार्यरत कर्मचारियों, उपकरणों, प्रणालियों और सुविधाओं के कार्यकरण का प्रेक्षण करने की अनुमति देगा। प्राधिकरण अपने कर्मचारियों को रियायतग्राही तथा उसके द्वारा नामित व्यक्तियों के साथ सहयोग करने तथा वाणिज्यिक परिचालन तिथि के पश्चात् हवाई अड्डे के परिचालन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में उनकी सहायता करने का निर्देश देगा। परंतु, इस धारा 16.5 के प्रावधान तभी लागू होंगे, जब रियायतग्राही ने अनुच्छेद 9 के प्रावधानों के अनुसार कार्य-निष्पादन प्रतिभूति प्रदान कर दी हो।

17.1 कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन

17.1.1 इस करार में इसके विपरीत अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परियोजना के कार्य-क्षेत्र का भाग बनने वाले दायित्वों में किसी भी प्रकार का परिवर्धन या विलोपन, कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन ("कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन") माना जाएगा। कार्य-क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन इस अनुच्छेद 17 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

17.1.2 यदि रियायतग्राही किसी भी समय यह निर्धारित करता है कि उपयोगकर्ताओं को अधिक सुरक्षित और बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है, तो वह लिखित सूचना द्वारा प्राधिकरण से ऐसे कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन पर विचार करने का अनुरोध करेगा। प्राधिकरण, ऐसी सूचना की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, ऐसे कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन को, यदि कोई हो तो संशोधनों सहित, स्वीकार करेगा और इस अनुच्छेद 17 के अनुसार उसके संबंध में कार्यवाही आरंभ करेगा अथवा ऐसे कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन को स्वीकार न करने के अपने कारणों से रियायतग्राही को लिखित रूप में अवगत कराएगा।

17.1.3 इस अनुच्छेद 17 के अनुसार कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन के रूप में किए गए कोई भी कार्य या प्रदान की गई सेवाएँ हवाईअड्डे का भाग होंगी और इस करार के उपबंध ऐसे कार्यों या सेवाओं पर आवश्यक उपांतरणों सहित लागू होंगे।

17.1.4 रियायतग्राही यह स्वीकार करता है और सहमत है कि इस करार के उपबंधों के अनुपालन के लिए आवश्यक वैमानिक परिसंपत्तियों और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों का कोई भी विस्तार, कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन का भाग नहीं होगा और ऐसा विस्तार रियायतग्राही की लागत एवं व्यय पर किया जाएगा।

17.2 कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया

17.2.1 यदि प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है, तो वह रियायतग्राही को एक सूचना जारी करेगा, जिसमें उसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों और सेवाओं का युक्तिसंगत रूप से पर्याप्त विवरण विनिर्दिष्ट होगा ("कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन की सूचना")।

17.2.2 कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन की सूचना प्राप्त होने पर, रियायतग्राही सम्यक् तत्परता के साथ प्राधिकरण को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जो निम्नलिखित के समर्थन में आवश्यक हो, साथ ही प्रारंभिक दस्तावेज भी प्रस्तुत करेगा:

(क) यदि विकास अवधि के दौरान कार्यों या सेवाओं को किया जाना अपेक्षित है, तो कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन का चरण-समापन अनुसूची पर पड़ने वाला, यदि कोई हो, प्रभाव; और

(ख) प्रस्तावित कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन को कार्यान्वित करने के विकल्प तथा ऐसे प्रत्येक विकल्प का उससे संबंधित लागत और समय पर पड़ने वाला, यदि कोई हो, प्रभाव।

17.2.3 खंड 17.2.2 में निर्दिष्ट जानकारी प्राप्त होने पर, यदि प्राधिकरण कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने का निर्णय करता है, तो वह रियायतग्राही को अपना पसंदीदा विकल्प सूचित करेगा और पक्षकार, स्वतंत्र अभियंता की सहायता से, तत्पश्चात् कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन को कार्यान्वित करने की रीति पर सद्भावपूर्वक सहमति प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। सहमति हो जाने पर, प्राधिकरण एक आदेश ("कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन

आदेश") जारी करेगा, जिसके द्वारा रियायतग्राही को उसके कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाएगा। यदि पक्षकारों के बीच सहमति नहीं हो पाती है, तो प्राधिकरण कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन आदेश जारी करके, विवाद के समाधान तक, रियायतग्राही को उसके कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दे सकता है।

17.2.4 इस करार के वे उपबंध, जो निर्माण कार्यों और परीक्षाओं से संबंधित हैं, आवश्यक उपांतरणों सहित, इस अनुच्छेद 17 के अधीन कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन के रूप में रियायतग्राही द्वारा किए गए कार्यों पर लागू होंगे।

17.2.5 ऐसा कोई भी कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन इस अनुच्छेद 17 के उपबंधों के अनुसार, विनियामक के अनुमोदन के अधीन, किया जाएगा, जिसमें वैमानिक प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विनियामक का निर्णय भी शामिल है। प्राधिकरण, कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन का भाग बनने वाले कार्यों या सेवाओं के संबंध में रियायतग्राही को कोई भुगतान नहीं करेगा।

17.3 कार्यों और सेवाओं को करने की प्राधिकरण की शक्ति

17.3.1 इस अनुच्छेद 17 में इसके विपरीत अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण रियायतग्राही को सूचना देने और उस पर उसके उत्तर पर विचार करने के पश्चात्, कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन का भाग बनने वाले किसी भी कार्य या सेवा को खुली प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सौंप सकता है, बशर्ते कि रियायतग्राही को ऐसे कार्यों या सेवाओं की अनुमानित लागत के 2.50% (दो दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत) का प्राधिकरण को भुगतान करने के अधीन, बोली प्रक्रिया में भाग लेने का विकल्प प्राप्त हो। रियायतग्राही ऐसे एकमात्र अवसर का प्रयोग तभी करने का हकदार होगा, जब उसने बोली प्रक्रिया में भाग लिया हो और उसकी बोली उसमें प्रथम स्थान प्राप्त बोली से 10% (दस प्रतिशत) के भीतर हो। यदि रियायतग्राही ऐसे किसी कार्य या सेवा को कार्यान्वित नहीं कर रहा है, तो रियायतग्राही उस व्यक्ति को, जो इसके अधीन ऐसे कार्य या सेवाएँ करता है, पहुँच, सहायता और सहयोग प्रदान करेगा।

17.3.2 इस खंड 17.3 के अनुसार किए गए कार्य या सेवाएँ विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप होंगी तथा उन्हें इस प्रकार किया जाएगा कि हवाईअड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास में न्यूनतम व्यवधान हो। इस करार के वे उपबंध, जो निर्माण कार्यों और परीक्षाओं से संबंधित हैं, आवश्यक उपांतरणों सहित, इस खंड 17.3 के अधीन किए गए कार्यों पर लागू होंगे।

17.4 कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन के कार्यान्वयन की लागत

इस अनुच्छेद 17 के अनुसार कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन का भाग बनने वाले कार्यों या सेवाओं को रियायतग्राही को सौंपे जाने या अन्यथा किए जाने के बावजूद, प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में किए गए किसी भी व्यय की जानकारी प्राधिकरण द्वारा ऐसे कार्यों या सेवाओं के पूरा होने पर रियायतग्राही को दी जाएगी। रियायतग्राही ऐसी लागतों का विवरण वैमानिक प्रभारों के निर्धारण हेतु विनियामक को प्रस्तुत किए जाने वाले अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा और ऐसी सभी राशियों का भुगतान प्राधिकरण को 6 (छह) समान मासिक किस्तों में करेगा।

18.1 रियायतग्राही का प्रचालन और अनुरक्षण दायित्व

18.1.1 रियायत अवधि के दौरान, रियायतग्राही इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार स्वयं या प्रचालन और प्रबंधन ठेकेदारों के माध्यम से विमानपत्तन का संचालन और अनुरक्षण करेगा, और यदि आवश्यक हो, तो इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए विमानपत्तन में संशोधन, मरम्मत या अन्यथा सुधार करेगा, और विनिर्देशों और मानकों तथा उत्तम उद्योग प्रथा के अनुरूप कार्य करेगा। इसके अंतर्गत रियायतग्राही के दायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

(क) वैमानिक सेवाएं, गैर-वैमानिक सेवाएं और ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करना, जो इस समझौते की शर्तों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार आवश्यक हैं;

(ख) सामान्य परिचालन स्थितियों के दौरान विमानपत्तन पर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षित, सुचारु और निर्बाध आवाजाही और यातायात के प्रवाह की अनुमति देना, जिसमें किसी भी प्रकार की हानि या क्षति की रोकथाम शामिल है;

(ग) शुल्क एकत्र करना और उसका विनियोग करना;

(घ) विमानपत्तन के सुरक्षित उपयोग को प्रभावित करने वाली दुर्घटनाओं या अन्य घटनाओं की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करके और राज्य की आपातकालीन सेवाओं के साथ संपर्क बनाए रखकर एयरसाइड, टर्मिनल भवन और लैंड साइड सहित विमानपत्तन के संचालन में व्यवधान को न्यूनतम करना;

(ङ) विमानपत्तन का आवधिक निवारक अनुरक्षण करना;

(च) यह सुनिश्चित करना कि रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और पहुंच क्षेत्रों सहित वैमानिक संपत्तियों का रखरखाव और संचालन लागू कानूनों, लागू परमिटों और प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि रनवे के लिए स्ट्रिप्स, शोल्डर, स्टॉप वे और रनवे एंड सेफ्टी एरिया सहित रनवे, और टैक्सीवे तथा आइसोलेशन बे के लिए स्ट्रिप्स व शोल्डर का रखरखाव लागू कानूनों, लागू परमिटों और प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि विमानपत्तन की बाधा सीमा सतहें तथा पहुंच और टेक-ऑफ क्षेत्र बाधाओं से मुक्त हैं या बाधाएं लागू कानूनों, लागू परमिटों और प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों में निर्दिष्ट अनुमेय सीमाओं तक सीमित रहेंगी;

(झ) दरारों, जोड़ों, जल निकासी प्रणालियों, तटबंधों, संरचनाओं, भवनों, पेवमेंट चिह्नों, सिग्नलिंग सिस्टम, संचार प्रणाली, प्रकाश व्यवस्था, साइनेज और अन्य उपकरणों की त्वरित मरम्मत सहित नियमित अनुरक्षण करना;

(ञ) प्रमुख अनुरक्षण जैसे कि संरचनाओं की मरम्मत, उपकरणों का नवीनीकरण, सिग्नलिंग व संचार प्रणाली की मरम्मत और उपकरणों की प्रमुख ओवरहालिंग करना;

(ट) यह सुनिश्चित करना कि सीएनएस/एटीएम उपकरणों और सुविधाओं के संचालन के लिए प्राधिकरण या नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा पहचाने गए संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को किसी भी बाधा से मुक्त रखा जाए, और ऐसी किसी भी बाधा की अनुमति नहीं दी जाएगी जो इन उपकरणों व सुविधाओं की सुरक्षा या कार्यप्रणाली को बाधित कर सकती है या विमान संचालन की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है;

(ठ) लागू कानूनों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार विमानपत्तन के अंदर और आसपास पक्षियों तथा जानवरों के कारण होने वाली परेशानी को रोकने के लिए उचित व्यवस्था और सावधानियां बरतना सुनिश्चित करना;

(ड) लागू कानूनों, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों, और नागर विमानन महानिदेशालय की नागर विमानन आवश्यकताओं, जिन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जा सकता है, तथा प्रासंगिक कोड और मानकों के अनुसार एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम और मुख्य व स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति प्रणालियों का रखरखाव करना;

- (ढ) संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से विमानपतन पर किसी भी अतिक्रमण, अनधिकृत प्रवेश या अनधिकृत उपयोग को रोकना;
- (ण) पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण करना और इसके लिए उपकरण तथा सामग्री प्रदान करना;
- (त) वैमानिक सेवाओं और गैर-वैमानिक सेवाओं के कुशल संचालन व प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी संचार, नियंत्रण और प्रशासनिक प्रणालियों का संचालन तथा अनुरक्षण करना;
- (थ) उपयोगकर्ताओं, सरकारी संस्थाओं, मीडिया और अन्य एजेंसियों से संपर्क करने और उनके सुझावों पर ध्यान देने के लिए लागू कानूनों के अनुसार एक जनसंपर्क इकाई बनाए रखना, ताकि पर्याप्त जानकारी प्रदान की जा सके;
- (द) अनुच्छेद 18 के अनुसार सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करना;
- (ध) सभी परियोजना संपत्तियों का पूर्ण निष्ठा एवं कुशलतापूर्वक तथा उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार संचालन और रखरखाव करना;
- (न) विमानपतन के संचालन में समयबद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखना;
- (प) किसी उपयुक्त स्थान पर सभी प्रकार के अपशिष्ट के निपटान सहित विमानपतन पर स्वच्छता और साफ-सफाई के उच्च मानक बनाए रखना;
- (फ) प्रासंगिक आईसीएओ मानकों या उचित अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों, लागू कानूनों, लागू परमिटों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार अग्नि संबंधी सावधानियों से जुड़े सभी उपाय करना;
- (ब) सभी आवश्यक जानकारी, डेटा, संचालन संबंधी आंकड़े आदि प्रदान करना, जैसा कि समय-समय पर प्राधिकरण, किसी भी सरकारी संस्था, नागर विमानन महानिदेशालय, राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा आवश्यक हो।

18.1.2 रियायतग्राही विमानपतन से सभी अतिरिक्त निर्माण मशीनरी और सामग्री, अपशिष्ट पदार्थ (खतरनाक सामग्री और अपशिष्ट जल सहित), कूड़ा-कचरा और अन्य मलबा (दुर्घटना के मलबे सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) को तुरंत हटाएगा और विमानपतन को एक साफ, सुव्यवस्थित स्थिति में रखेगा, जो लागू कानूनों, लागू परमिटों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुरूप होगा।

18.1.3 रियायतग्राही, अनुच्छेद 1 के अनुसार उत्तम उद्योग प्रथा के अनुरूप, पहुंच सड़कों, ओवर-ब्रिज, अंडर-ब्रिज, ओवर-पास, अंडर-पास या साइट पर स्थित अन्य संरचनाओं या सुविधाओं के सभी हिस्सों का रखरखाव करेगा।

18.2 अनुरक्षण अपेक्षाएं

रियायतग्राही विमानपतन के अनुरक्षण में हर समय लागू कानून का अनुपालन करेगा और लागू कानूनों, लागू परमिटों, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों में निर्धारित मानकों तथा उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार इसे सुचारू परिचालन व मरम्मत की स्थिति में बनाए रखेगा, और यथोचित आवश्यकता की सीमा तक विमानपतन का नवीनीकरण, प्रतिस्थापन और उन्नयन करेगा। सभी अनुरक्षण, मरम्मत और अन्य कार्य इस तरह से किए जाएंगे कि विमानपतन के उपयोगकर्ताओं को कम से कम असुविधा हो।

18.3 सुरक्षा, खराबी और दुर्घटनाएं

18.3.1 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित स्थितियां सुनिश्चित करेगा, और असुरक्षित स्थितियों, रनवे या टैक्सीवे को होने वाली क्षति, एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में व्यवधान, खराबी और दुर्घटनाओं की स्थिति में, वह प्रासंगिक मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करेगा और बिना किसी विलंब के बाधाओं तथा मलबे को हटाएगा। ऐसी प्रक्रियाएं इस समझौते, लागू कानूनों, लागू परमिटों, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों में निर्धारित मानकों तथा उत्तम उद्योग प्रथा के प्रावधानों के अनुरूप होंगी। इस संबंध में, रियायतग्राही यहाँ अनुसूची 1 में सुरक्षा के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का भी पालन करेगा।

18.3.2 विमानपतन पर बचाव कार्यों के लिए रियायतग्राही की जिम्मेदारी में किसी विशेष घटना की प्रारंभिक प्रतिक्रिया के रूप में प्रभावित क्षेत्र से सभी उपयोगकर्ताओं और कर्मचारियों की सुरक्षित निकासी शामिल होगी, और इसमें मलबे या किसी अन्य बाधा को तुरंत हटाना भी शामिल होगा, जो उपयोगकर्ताओं के यातायात और आवाजाही के सुचारु प्रवाह को खतरे में डाल सकता है या बाधित कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए, वह बचाव उपकरणों से लैस चौबीसों घंटे चलने वाले 2 बचाव वाहनों का रखरखाव और संचालन करेगा तथा दुर्घटना स्थल तक त्वरित पहुंच की अनुमति देने वाले तरीके से वाहनों को तैनात करेगा।

18.4 आपातकाल के कारण सेवा से हटाना

18.4.1 यदि कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है जो संपूर्ण या विमानपतन के किसी हिस्से को सेवा से हटाने और बंद करने की मांग करती है, तो रियायतग्राही, प्राधिकरण या नामित भारत सरकार की एजेंसी की सलाह के अनुसार, संपूर्ण या विमानपतन के किसी हिस्से को उपयोगकर्ताओं के लिए तब तक बंद करने और सेवा से हटाने का हकदार होगा जब तक कि ऐसी आपात स्थिति और उसके परिणाम इसकी मांग करते हों; बशर्ते कि इस तरह की सेवा से हटाने और उसके विवरण को रियायतग्राही द्वारा बिना किसी देरी के प्राधिकरण को अधिसूचित किया जाएगा, और रियायतग्राही ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी यथोचित निर्देश का तत्परता से पालन करेगा।

18.4.2 जिन परिस्थितियों के कारण सेवा बंद की गई थी, उनके समाप्त होने या कम हो जाने के बाद, रियायतग्राही यथाशीघ्र विमानपतन या उसके प्रभावित हिस्से को फिर से चालू करेगा और बिना किसी देरी के इसकी सूचना प्राधिकरण को देगा।

18.4.3 विमानपतन के किसी भी हिस्से की सेवा बंद और उसे फिर से चालू करने की सूचना, यथाशीघ्र, सार्वजनिक घोषणाओं/नोटिस के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों के ध्यान में लाई जाएगी।

18.4.4 आपातकाल के दौरान या राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के कारणों से विमानपतन या उसके किसी भाग की सेवा से हटाने या प्रतिबंधित उपयोग के कारण रियायतग्राही को कोई दावा या मुआवजा देय नहीं होगा।

18.5 खंड का समापन

खंड 18.6 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, रियायतग्राही प्राधिकरण की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना और प्रभावित खंड में आरक्षित सेवाएं प्रदान कर रही नामित भारत सरकार की एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय के बिना नियमित और निवारक अनुसंधान या मरम्मत कार्य करने के लिए विमानपतन के किसी भी हिस्से को बंद नहीं करेगा। इस तरह की स्वीकृति रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को किए जाने वाले लिखित अनुरोध के माध्यम से मांगी जाएगी, जो कि ऐसे हिस्से के प्रस्तावित बंद होने से कम से कम 7 दिन पहले मांगी जाएगी और इसके साथ आवश्यक विवरण संलग्न होंगे। ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, प्राधिकरण ऐसी संशोधनों के साथ अनुमति प्रदान करेगा जो वह उचित और आवश्यक समझे तथा ऐसी अनुमति की एक प्रति रियायतग्राही को भेजी जाएगी। ऐसी किसी भी परिस्थिति में नोटम जारी करने की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा जो विमान/विमानपतन के संचालन को प्रभावित कर सकती है। आवश्यक होने पर रियायतग्राही नोटम जारी करने के लिए आवश्यक समय की अनुमति देगा।

18.6 प्राधिकरण के सर्वोपरि अधिकार

18.6.1 यदि प्राधिकरण की यथोचित राय में, रियायतग्राही इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का महत्वपूर्ण उल्लंघन कर रहा है और इस तरह के उल्लंघन से उपयोगकर्ताओं को गम्भीर कठिनाई या खतरा होने की संभावना है, तो प्राधिकरण, टर्मिनेशन सहित इस समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नोटिस द्वारा रियायतग्राही से ऐसी कठिनाई या खतरे को दूर करने के लिए तुरंत उचित उपाय करने की मांग कर सकता है।

18.6.2 इस स्थिति में कि रियायतग्राही, खंड 18.6.1 के तहत नोटिस मिलने पर, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अवधि के भीतर किसी भी कठिनाई या खतरे को दूर करने में विफल रहता है, प्राधिकरण इस खंड 18.6 के तहत अध्यारोही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और रियायतग्राही के किन्हीं भी या सभी दायित्वों के निष्पादन का कार्य उस सीमा तक अपने हाथ में ले सकता है, जिसे वह ऐसी कठिनाई या खतरे को दूर करने के लिए आवश्यक समझता है, बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी अध्यारोही शक्तियों का प्रयोग यथोचित आवश्यकता से अधिक दायरे का और अधिक अवधि का नहीं होगा; आगे यह भी कि इसके तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में प्राधिकरण द्वारा किया गया कोई भी खर्च प्रचालन और प्रबंधन व्यय माना जाएगा, और प्राधिकरण इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही से उन्हें वसूल करने का हकदार होगा। इस प्रकार वसूल की गई राशि को वैमानिक शुल्क के निर्धारण में 'पास-थ्रू' के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

18.6.3 राष्ट्रीय आपातकाल, नागरिक अशांति या खंड 32.3 में निर्दिष्ट किसी अन्य स्थिति में, प्राधिकरण स्वयं या किसी नामित भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से रियायतग्राही के किन्हीं भी या सभी दायित्वों का निष्पादन उस सीमा तक अपने हाथ में ले सकता है जो उसे आवश्यक लगे, और विमानपतन पर ऐसा नियंत्रण स्थापित कर सकता है या रियायतग्राही को ऐसे निर्देश दे सकता है जो आवश्यक समझे जाएं, बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी अध्यारोही शक्तियों का प्रयोग उन परिस्थितियों में यथोचित रूप से आवश्यक दायरे या अवधि से अधिक का नहीं होगा जिनके कारण प्राधिकरण द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग किया गया। यह सहमति है कि ऐसी कार्रवाई के परिणामों को अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा। इस बात पर भी सहमति है कि रियायतग्राही उन निर्देशों का अनुपालन करेगा जो प्राधिकरण इस खंड 18.6 के प्रावधानों के अनुसार जारी कर सकता है, और इसके तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए प्राधिकरण को हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान करेगा।

18.7 विमानपतन की हानि या क्षति की भरपाई

इस समझौते में स्पष्ट रूप से अन्यथा दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, यदि रियायत अवधि के दौरान किसी भी कारण से विमानपतन या उसके किसी हिस्से को कोई नुकसान या क्षति पहुँचती है, तो रियायतग्राही अपनी लागत और खर्च पर ऐसी हानि या क्षति को तुरंत ठीक करेगा ताकि विमानपतन इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप रहे। यदि इस समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के निष्पादन में किसी उल्लंघन या चूक के कारण ऐसी हानि या क्षति हुई है, तो ऐसी हानि या क्षति की मरम्मत या सुधार पर रियायतग्राही द्वारा खर्च की गई लागत को वैमानिक शुल्क के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

18.8 विमानपतन में बदलाव

18.8.1 विमानपतन के चरणबद्ध विकास और ऐसे विकासात्मक कार्यों के कारण आवश्यक परिणामी परिवर्तनों के संबंध में इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, रियायतग्राही विकास अवधि के बाद किसी भी समय विमानपतन में कोई भी भौतिक बदलाव नहीं करेगा। हालांकि, रियायतग्राही ऐसे कोई भी संशोधन कर सकता है, जहाँ ऐसे संशोधन मास्टर प्लान, विनिर्देशों और मानकों, उत्तम उद्योग प्रथा, लागू कानूनों, लागू परमिटों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप विमानपतन के संचालन के लिए आवश्यक हों; बशर्ते कि रियायतग्राही ऐसे संशोधनों पर कार्य शुरू करने से कम से कम 30 दिन पहले प्राधिकरण को प्रस्तावित संशोधनों और उसके विवरण के साथ सूचित करेगा और प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर दिए गए किसी भी सुझाव पर यथोचित विचार करेगा। यहां किए गए सभी संशोधन सुरक्षा आवश्यकताओं, विनिर्देशों और मानकों, लागू कानूनों, लागू परमिटों, उत्तम उद्योग प्रथा और इस समझौते के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।

18.8.2 किसी भी समय, ऐसे संशोधन विमानपतन के मौजूदा व परिचालन भागों तथा उपयोगकर्ताओं के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

18.8.3 इस समझौते के प्रावधान, जहां तक वे निर्माण कार्यों और परीक्षणों से संबंधित हैं, विमानपतन के संशोधन का हिस्सा बनने वाले सभी निर्माण कार्यों पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

18.8.4 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, खंड 18.8.1 के तहत किया गया कोई भी संशोधन 'स्कोप में परिवर्तन' नहीं माना जाएगा।

18.9 दायित्वों के निष्पादन से छूट

रियायतग्राही को इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन में नहीं माना जाएगा यदि विमानपतन का कोई भी हिस्सा उसकी अवधि के दौरान निम्नलिखित में से किसी भी कारण से उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है:

(क) अप्रत्याशित घटना ;

(ख) विमानपतन के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए उपाय, सिवाय इसके जब असुरक्षित स्थितियां रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता के कारण उत्पन्न हुई हों; या

(ग) प्राधिकरण के अनुरोध या किसी भी सरकारी संस्था के निर्देशों का अनुपालन, जिसका प्रभाव संपूर्ण विमानपतन या उसके किसी भी हिस्से को बंद करना हो। बशर्ते कि ऐसी गैर-उपलब्धता और उसके विवरण को रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को बिना किसी देरी के अधिसूचित किया जाएगा। बशर्ते यह भी कि रियायतग्राही विमानपतन के सभी अप्रभावित हिस्सों को सामान्य संचालन के लिए खुला रखेगा, बशर्ते उन्हें सुरक्षित रूप से संचालित किया जा सके।

18.10 अवरोध और मार्ग-परिवर्तन

प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि रियायत अवधि के दौरान, आपातकाल, राष्ट्रीय सुरक्षा, या कानून और व्यवस्था के कारणों को छोड़कर, किसी भी सरकारी संस्था द्वारा विमानपतन पर कोई अवरोध या बाधा न खड़ी की जाए या न रखी जाए। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास भी करेगा कि कोई भी सरकारी संस्था, आपातकाल, राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून और व्यवस्था के कारणों को छोड़कर, विमानपतन तक पहुँचने वाली सड़कों पर कोई मार्ग-परिवर्तन या उन्हें बंद करने का कार्य नहीं करेगी जिससे विमानपतन तक आने-जाने पर कोई सामग्री प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हो।

18.11 रक्षा बलों द्वारा और कुछ अन्य अत्यावश्यकताओं के दौरान विमानपतन का उपयोग

18.11.1 रियायतग्राही यह स्वीकार करता है और सहमत है कि रक्षा बलों को हर समय किसी भी प्रकार के प्रतिबंध या बाधा के बिना विमानपतन और उसकी सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार होगा।

18.11.2 खंड 18.3.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आपातकाल के दौरान एयरस्पेस के आवंटन और बंद करने तथा विमानपतन के उपयोग के संबंध में रक्षा बलों के प्रति रियायतग्राही के दायित्वों का निर्धारण समय-समय पर भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, और उस सीमा तक रियायतग्राही विमानपतन के नागरिक उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा।

18.11.3 कहीं और निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, रियायतग्राही:

- (क) भारत सरकार के यूनियन वॉर बुक के प्रावधानों के अनुसार युद्ध, प्राकृतिक आपदा/संकट, आंतरिक अशांति आदि जैसी अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए विमानपतन और परियोजना सुविधाओं को निःशुल्क और आवश्यक सीमा तक उपलब्ध कराएगा;
- (ख) रक्षा और अन्य अर्धसैनिक विमानों के लिए निःशुल्क लैंडिंग और पार्किंग सुविधाएं निर्बाध रूप से प्रदान करेगा, और रक्षा कार्यों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सुविधाएं एवं उपकरण भी उपलब्ध कराएगा;
- (ग) सुरक्षा एजेंसियों को साइट और विमानपतन पर आवधिक और औचक निरीक्षण के लिए पहुंच उपलब्ध कराएगा;
- (घ) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के किसी भी पद पर वरिष्ठ निर्णय लेने वाले पदों के लिए विदेशी नागरिकों को नियुक्त करने हेतु संबंधित सरकारी संस्थाओं की स्वीकृति प्राप्त करेगा;
- (ङ) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और डीजीसीए द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करेगा;
- (च) साइट और विमानपतन पर निर्माण, ग्राउंड हैंडलिंग या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए लगाई जाने वाली विदेशी फर्मों की साख का पूर्व सत्यापन प्राप्त करेगा;
- (छ) यदि आवश्यक हो, तो संबंधित सरकारी संस्थाओं से विमानपतन के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमाओं के संबंध में मंजूरी प्राप्त करेगा, और नियंत्रण या स्वामित्व में कोई भी परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा मंजूरी के अधीन होगा;
- (ज) उन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और चालक दल को संभालने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करेगा जिन्हें आप्रवासन और सीमा शुल्क से गुजरना होगा; तथा
- (झ) विमानपतन पर स्वास्थ्य सेवाओं और संयंत्र संगरोध के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

18.12 बिजली, दूरसंचार सेवाएं, जल और अन्य उपयोगिताएं

18.12.1 रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार शुल्क का भुगतान करके संबंधित स्थानीय उपयोगिताओं से विमानपतन के संचालन के लिए आवश्यक बिजली, दूरसंचार सेवाएं, जल और अन्य उपयोगिताएं प्राप्त करेगा।

18.12.2 रियायतग्राही परियोजना के उद्देश्यों के लिए बिजली प्राप्त करने, उत्पन्न करने या वितरण के प्रयोजनों हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियमों व विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

18.13 पर्यावरण लेखापरीक्षा और रिपोर्ट

18.13.1 रियायतग्राही सहमत है और प्राधिकरण को आश्वस्त करता है कि वह सभी शर्तों का अनुपालन करेगा विमानपतन और साइट से संबंधित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित तथा समय-समय पर विमानपतन के संचालन, प्रबंधन और विकास के दौरान जारी की जाने वाली अन्य अनुमतियों और स्वीकृतियों का अनुपालन करेगा। रियायतग्राही प्राधिकरण को तिमाही आधार पर उसमें बताई गई आवश्यकताओं के अनुसार सभी डेटा और रिपोर्ट के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

18.13.2 रियायतग्राही समय-समय पर संबंधित सरकारी संस्था द्वारा यथा आवश्यक वायु गुणवत्ता, ध्वनि और अन्य पर्यावरणीय मापदंडों को मापने के लिए सुविधाओं और सेवाओं को प्राप्त करेगा तथा संबंधित सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उक्त डेटा का रखरखाव और अद्यतनीकरण भी करेगा।

18.13.3 रियायतग्राही, चरण 1 की पूर्णता तिथि के 1 वर्ष के भीतर, एक स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा विमानपतन का पूर्ण पर्यावरण लेखापरीक्षा करवाना सुनिश्चित करेगा और ऐसे लेखापरीक्षा की एक प्रति प्राधिकरण को प्रदान करेगा। ऐसा स्वतंत्र विशेषज्ञ प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।

18.13.4 पर्यावरण लेखापरीक्षा से प्राप्त जानकारी के आधार पर, रियायतग्राही आगे 6 महीनों की अवधि के भीतर विमानपत्तन के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन रणनीति तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा, जिसमें विमानपत्तन की पर्यावरणीय स्थिति के प्रबंधन के लिए रणनीतियों और कार्रवाइयों को निर्धारित किया जाएगा तथा एक पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम शामिल होगा जो समय के साथ विमानपत्तन की पर्यावरणीय स्थिति का आकलन करता है।

18.13.5 रियायतग्राही पर्यावरण प्रबंधन रणनीति के तहत प्रगति की समीक्षा वार्षिक रूप से या संबंधित सरकारी संस्था द्वारा निर्धारित अंतराल पर करेगा और समय-समय पर उक्त पर्यावरण प्रबंधन रणनीति को अद्यतन करेगा। रियायतग्राही पर्यावरण प्रबंधन रणनीति के तहत प्रगति के संबंध में प्राधिकरण के साथ-साथ संबंधित सरकारी संस्था को अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करेगा।

18.13.6 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि समाप्ति के समय और हस्तांतरण तिथि पर, विमानपत्तन की पर्यावरणीय स्थिति पर्यावरणीय मंजूरी और वन मंजूरी में बताए अनुसार सभी वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करती है।

18.14 स्लॉट आवंटन दिशानिर्देश

रियायतग्राही विमानपत्तन पर विमानों के उतरने और समय-सारणी स्लॉटों का प्रबंधन और आवंटन करेगा, और एयरलाइंस के परामर्श से तथा आईएटीए स्लॉट आवंटन दिशानिर्देशों और प्रासंगिक नामित भारत सरकार की एजेंसी और/या प्राधिकरण द्वारा जारी तथा समय-समय पर अद्यतन दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत तरीके से ऐसे स्लॉट आवंटित करेगा।

18.15 सुरक्षा आवश्यकताएं

18.15.1 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं और विमानपत्तन पर या उसके आसपास अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के प्रावधानों का पालन करेगा तथा उत्तम उद्योग प्रथा के अनुरूप कार्य करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि विमानपत्तन पर या उसके आसपास होने वाली दुर्घटनाओं के कारण जीवन या संपत्ति की क्षति या चोट/मृत्यु की संख्या शून्य या न्यूनतम हो, चाहे दोष किसी भी व्यक्ति का हो। विशेष रूप से, रियायतग्राही विमानपत्तन पर या उसके आसपास एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए एक निगरानी और सुरक्षा कार्यक्रम विकसित, कार्यान्वित और प्रशासित करेगा, जहां तक वे उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा से संबंधित हैं, जिसमें सुरक्षित आवाजाही, सुरक्षा प्रबंधन, सुरक्षा उपकरण, अग्नि सुरक्षा, प्रवर्तन और आपातकालीन प्रतिक्रिया से जुड़े उपाय शामिल हैं, और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार निम्नलिखित में निर्धारित सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करेगा:

(क) लागू कानून और लागू परमिट;

(ख) इस समझौते के प्रावधान; और

(ग) प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेज और अनुलग्नक, डीजीसीए के लागू दिशानिर्देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कोडों में निहित अन्य प्रासंगिक मानक/दिशानिर्देश।

18.15.2 सुरक्षा आवश्यकताएं संचालन, प्रबंधन और विकास के सभी चरणों में लागू होंगी, जिसमें दुर्घटनाओं से जुड़े कारकों की पहचान, उन पर विचार करने और उपयुक्त उपचारात्मक उपायों को लागू करने पर जोर दिया जाएगा।

18.15.3 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के लिए एक निगरानी और सुरक्षा कार्यक्रम विकसित, कार्यान्वित और प्रशासित करेगा, जिसमें विमान के अपहरण पर प्रतिक्रिया, सुरक्षा उल्लंघनों और कमियों का सुधार तथा इस समझौते के अनुसार सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्रवाइयां शामिल हैं।

18.15.4 रियायतग्राही वाणिज्यिक परिचालन तिथि से कार्यात्मक होने के लिए एक विमानपतन सुरक्षा प्रबंधन इकाई की स्थापना करेगा, और अपने अधिकारियों में से एक को एसएमयू का प्रभारी नामित करेगा। ऐसे अधिकारी को इस विषय पर किसी प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम में भाग लेकर विमानपतन प्रणाली की सुरक्षा में विशेषज्ञ ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

18.15.5 रियायतग्राही विमानपतन पर होने वाली किसी भी दुर्घटना के संबंध में पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति रखेगा। इसके अलावा, रियायतग्राही पुलिस द्वारा दर्ज न किए गए दुर्घटनाओं के सभी मामलों का डेटा भी एकत्र करेगा। इस प्रकार एकत्र की गई जानकारी को इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संक्षेपित किया जाएगा। रियायतग्राही रूट मैप पर प्रत्येक दुर्घटना का सटीक स्थान भी दर्ज करेगा। उपर्युक्त डेटा प्रत्येक तिमाही के अंत में प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

18.15.6 रियायतग्राही प्रत्येक वर्ष 31 मई से पहले प्राधिकरण को एक वार्षिक रिपोर्ट (दस प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, पिछले लेखा वर्ष की सभी दुर्घटनाओं की विस्तृत सूची और विश्लेषण तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को टालने या कम करने के लिए रियायतग्राही द्वारा उठाए गए उपायों की जानकारी शामिल होगी।

18.15.7 सुरक्षा आवश्यकताओं से उत्पन्न या उससे संबंधित सभी लागतों और खर्चों का वहन रियायतग्राही द्वारा किया जाएगा, और नियामक द्वारा इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार वैमानिक शुल्क का निर्धारण या संशोधन करते समय विमानपतन के उद्देश्यों के लिए रियायतग्राही द्वारा किए गए खर्चों के हिस्से के रूप में इस पर विचार किया जा सकता है।

18.16 अनुरक्षण नियमावली

18.16.1 निर्धारित पूर्णता तिथि से कम से कम 90 दिन पूर्व, रियायतग्राही, स्वतंत्र इंजीनियर के परामर्श से, विनिर्देशों और मानकों, अनुरक्षण आवश्यकताओं, सुरक्षा आवश्यकताओं, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों में निर्धारित मानकों, लागू कानूनों, डीजीसीए द्वारा समय-समय पर अधिसूचित लागू दिशानिर्देशों तथा उत्तम उद्योग प्रथा के अनुरूप विमानपतन के नियमित और निवारक अनुरक्षण के लिए एक मरम्मत, परिचालन और अनुरक्षण नियमावली तैयार करेगा और उसकी 5 प्रतियां प्राधिकरण को तथा 2 प्रतियां स्वतंत्र इंजीनियर को प्रदान करेगा। अनुरक्षण नियमावली को प्रत्येक 3 वर्षों में एक बार संशोधित और अद्यतन किया जाएगा और इस खंड 18.16 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे संशोधन पर लागू होंगे। इस खंड 18.16 के प्रावधान सिटी साइड विकास पर लागू नहीं होंगे।

18.16.2 खंड 18.16.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुरक्षण नियमावली में, विशेष रूप से, परियोजना परिसंपत्तियों के रखरखाव के प्रावधान शामिल होंगे और इसमें जीवन चक्र अनुरक्षण, नियमित अनुरक्षण और प्रतिक्रियात्मक अनुरक्षण का प्रावधान होगा जो परियोजना परिसंपत्तियों के रखरखाव और मरम्मत के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो सकता है, जिसमें उनका प्रतिस्थापन भी शामिल है, ताकि उनकी समग्र स्थिति उत्तम उद्योग प्रथा, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुरूप रहे।

18.17 अनुरक्षण कार्यक्रम

18.17.1 वाणिज्यिक परिचालन तिथि पर या उससे पहले तथा रियायत अवधि के दौरान प्रत्येक लेखा वर्ष की शुरुआत से कम से कम 45 दिन पूर्व, रियायतग्राही अनुरक्षण आवश्यकताओं, अनुरक्षण नियमावली और सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए प्राधिकरण और स्वतंत्र इंजीनियर को निवारक, अत्यावश्यक और अन्य अनुसूचित अनुरक्षण का अपना प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम ("अनुरक्षण कार्यक्रम") प्रदान करेगा। ऐसे अनुरक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) निवारक अनुरक्षण अनुसूची

(ख) अत्यावश्यक मरम्मत करने की व्यवस्था और प्रक्रियाएं;

(ग) अनुरक्षण आवश्यकताओं को तय करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड;

(घ) विमानपतन के सभी घटकों का निरीक्षण करने के लिए अंतराल और प्रक्रियाएं;

(ङ) वे अंतराल जिन पर रियायतग्राही आवधिक अनुरक्षण करेगा;

(च) सुरक्षा संबंधी उपायों को लागू करने की व्यवस्था और प्रक्रियाएं; और

(छ) प्रमुख अनुरक्षण कार्यों के लिए अंतराल और उसका दायरा।

18.17.2 अनुरक्षण कार्यक्रम प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, स्वतंत्र इंजीनियर और प्राधिकरण उसकी समीक्षा करेंगे और विशेष रूप से अनुरक्षण आवश्यकताओं, अनुरक्षण नियमावली और सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ इसकी अनुरूपता के संदर्भ में अपनी टिप्पणियां रियायतग्राही को देंगे।

18.17.3 रियायतग्राही परिस्थितियों में यथोचित रूप से अनुरक्षण कार्यक्रम में संशोधन कर सकता है, और खंड 18.17.1 तथा 18.17.2 में निर्दिष्ट प्रक्रिया आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे संशोधनों पर लागू होगी।

18.18 अनुरक्षण दायित्वों के उल्लंघन के लिए हर्जाना

18.18.1 यदि रियायतग्राही उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुरक्षण आवश्यकताओं में निर्धारित किसी भी त्रुटि या कमी की मरम्मत या सुधार करने में विफल रहता है, तो उसे इस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा और प्राधिकरण क्षतिपूर्ति/हर्जाने के रूप में, जिसका आकलन और भुगतान उल्लंघन ठीक होने तक विलंब के प्रत्येक दिन के लिए किया जाएगा, स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा अनुमानित ऐसी मरम्मत या सुधार की लागत का 0.1% वसूल करने का हकदार होगा। ऐसे हर्जाने की वसूली इस समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकारों, जिसमें इसके समापन का अधिकार भी शामिल है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

18.18.2 खंड 18.18.1 में निर्धारित हर्जाने की राशि का आकलन और निर्धारण स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा तुरंत किया जा सकता है, बशर्ते कि प्राधिकरण, अपने विवेक से, हर्जाने के रूप में छोटी राशि की मांग कर सकता है, यदि उसकी राय में, उल्लंघन को तुरंत ठीक कर दिया गया है और रियायतग्राही अन्यथा इसके तहत अपने दायित्वों का अनुपालन कर रहा है। रियायतग्राही तुरंत ऐसे हर्जाने का भुगतान करेगा और यदि वह ऐसे हर्जाने को चुनौती देता है, तो विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

18.19 उपचारात्मक उपाय करने का प्राधिकरण का अधिकार

18.19.1 इस स्थिति में कि रियायतग्राही अनुरक्षण आवश्यकताओं, अनुरक्षण नियमावली या अनुरक्षण कार्यक्रम, जैसा भी मामला हो, के अनुरूप संपूर्ण विमानपतन या उसके किसी भाग का रखरखाव और/या मरम्मत नहीं करता है, और प्रचालन और प्रबंधन निरीक्षण रिपोर्ट या प्राधिकरण या स्वतंत्र इंजीनियर, जैसा भी मामला हो,

से इस संबंध में नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपचारात्मक कार्य शुरू करने में विफल रहता है, प्राधिकरण, इस समझौते के तहत अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (समापन का अधिकार भी शामिल है), रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर ऐसे उपचारात्मक उपाय करने और रियायतग्राही से अपनी लागत वसूल करने का हकदार होगा। उपरोक्त लागत की वसूली के अतिरिक्त, ऐसी लागत के 20% के बराबर राशि रियायतग्राही द्वारा हर्जाने के रूप में प्राधिकरण को दी जाएगी। इस खंड 18.19.1 के तहत प्राधिकरण का अधिकार खंड 18.18 के तहत प्रदान किए गए उसके अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

18.19.2 प्राधिकरण के पास अधिकार होगा, और रियायतग्राही इसके द्वारा स्पष्ट रूप से प्राधिकरण को अधिकार प्रदान करता है कि वह खंड 18.19.1 में निर्दिष्ट लागत और हर्जाने को सीधे एस्क्रो खाते से वसूल करे, मानो ऐसी लागत और हर्जाना प्रचालन और प्रबंधन व्यय थे, और उस उद्देश्य के लिए, रियायतग्राही इसके द्वारा इस खंड 18.19.2 के तहत प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार एस्क्रो खाते से भुगतान करने और उसे प्रचालन और प्रबंधन व्यय में नामे करने के लिए एस्करो बैंक को अपरिवर्तनीय निर्देश देने के लिए सहमत होता है।

अनुच्छेद 19 परिचालन एवं अनुरक्षण सेवाएं

19.1 वैमानिक परिसंपत्तियां

19.1.1 इस समझौते में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू परमिटों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार वैमानिक परिसंपत्तियों का संचालन और प्रबंधन करेगा।

19.1.2 रियायतग्राही अनुसूची ग में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों तथा डीजीसीए और आईसीए या उनके किसी उत्तराधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मानकों के अनुसार वैमानिक परिसंपत्तियों का संचालन करेगा। इस अनुच्छेद 19 की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि वैमानिक परिसंपत्तियां हर समय साइट पर उपयोगकर्ताओं, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित नियमों का अनुपालन करती हैं।

19.1.3 इस समझौते में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, रियायतग्राही तीसरे पक्षों द्वारा वैमानिक परिसंपत्तियों के उपयोग को विनियमित करेगा और लागू कानूनों, लागू परमिटों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार सभी उपयोगकर्ताओं को गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करेगा। उपयोगकर्ताओं की पहचान की गई श्रेणियों के लिए सेवाओं के विभिन्न स्तरों का प्रावधान इसके तहत भेदभाव नहीं माना जाएगा।

19.1.4 रियायतग्राही हर समय विमानों के संचालन और उपयोग के लिए बने सभी क्षेत्रों को बाधाओं से मुक्त रखेगा।

19.1.5 रियायतग्राही, आईसीएओ द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जाने वाले साइनेज के मानकों की अनुरूपता के अधीन, वैमानिक परिसंपत्तियों के सुरक्षित और कुशल उपयोग के लिए दिशा-निर्देश, चिह्न और संकेत प्रदान करेगा।

19.1.6 आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक स्थान और पहुंच रियायतग्राही द्वारा खंड 20.7 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

19.2 ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं

रियायतग्राही लागू कानूनों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार, अपनी लागत और खर्च पर, विमानपत्तन पर उपयोगकर्ताओं जैसे कि विमानों, यात्रियों और कार्गो के लिए आवश्यक ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा या करवाएगा, जिसमें रैंप हैंडलिंग, ट्रेफिक हैंडलिंग, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग, एयरक्राफ्ट सफाई, लोडिंग और अनलोडिंग ("ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं") शामिल होंगी। इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार ऐसे बुनियादी ढांचे में सामान कन्वेयर बेल्ट, कंप्यूटर टर्मिनल, सूचना प्रौद्योगिकी रीढ़ और संबद्ध सुविधाएं शामिल होंगी।

19.3 विमान ईंधन भरने की सेवाएं

रियायतग्राही पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से विमानपत्तन पर सभी विमानों के लिए समान पहुंच के आधार पर ईंधन भरने की सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा, या करवाएगा।

ऐसे बुनियादी ढांचे में इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार टैंक फार्म और संबद्ध सुविधाएं शामिल होंगी।

19.4 कार्गो सुविधाएं

19.4.1 (क) रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू परमिटों, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार कार्गो सुविधाओं का उन्नयन, विकास, संचालन और रखरखाव करेगा।

(ख) इस खंड 19.4 और खंड 23.5 में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, यह स्पष्ट किया जाता है कि, जहां अनुसूची 'क' में एएआईसीएलएएस के लिए कार्गो सुविधाएं चिह्नित की गई हैं:

(i) रियायतग्राही उनके संचालन, विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, और न ही रियायतग्राही इस खंड 19.4 में अन्यत्र निर्धारित दायित्वों से बाध्य होगा; और

(ii) एएआईसीएलएएस को रियायतग्राही द्वारा बिना किसी शुल्क (निःशुल्क) के एयरसाइड तक पहुंच प्रदान की जाएगी।

(ग) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, जहां अनुसूची 'क' में एएआईसीएलएएस के लिए कार्गो सुविधाएं चिह्नित की गई हैं, वहां रियायतग्राही द्वारा कार्गो सुविधाओं के उन्नयन और/या विकास पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जिसमें विमानपत्तन पर कार्गो की मात्रा, व्यावसायिक क्षमता या एएआईसीएलएएस के लिए चिह्नित कार्गो सुविधाओं पर ऐसी अतिरिक्त सुविधाओं के प्रभाव के आधार पर भी शामिल है।

19.4.2 रियायतग्राही:

(क) यह सुनिश्चित करने का उचित प्रयास करेगा कि कार्गो सुविधाओं में पर्याप्त कार्गो एवं पार्सल स्थान, हैंडलिंग उपकरण, शीघ्र नष्ट होने वाले कार्गो एवं खतरनाक सामान का भंडारण एवं रखरखाव, कार्गो एजेंटों एवं ग्राहकों के लिए स्थान, निरीक्षण क्षेत्र, कार्यालय स्थान, ऑटोमेशन प्रणाली, स्क्रीनिंग उपकरण, भंडारण सुविधाएं, तथा डाक हैंडलिंग एवं कूरियर प्रेषण के लिए सुविधाएं इस समझौते के प्रावधानों एवं उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार शामिल हों;

(ख) इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार कार्गो सुविधाओं का संचालन एवं रखरखाव करेगा तथा एयरलाइंस एवं प्रेषकों को संबद्ध सेवाएं प्रदान करेगा;

(ग) अपने वैधानिक कार्यों के निर्वहन के लिए, यथास्थिति, सीमा शुल्क, सुरक्षा, संगरोध और अन्य नामित भारत सरकार की एजेंसियों को उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार संचालन स्थान और अन्य सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करेगा;

(घ) सभी रणनीतिक स्थानों पर, जहां भी कार्गो सुविधाओं का किसी भी प्रकार से रखरखाव या संचालन किया जा रहा है, वेब-कैम स्थापित करेगा और उन्हें अच्छी कार्य स्थिति में चालू रखेगा।

19.5 कार्गो सुविधाओं के उपयोग पर प्रतिबंध

19.5.1 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि मास्टर प्लान में कार्गो सुविधाओं के लिए एक क्षेत्र चिह्नित किया जाए, और ऐसे क्षेत्र का उपयोग केवल कार्गो के रखरखाव और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए ही किया जाएगा।

19.5.2 रियायतग्राही खंड 5.2 और खंड 38.2 के प्रावधानों के अनुसार छोड़कर, कार्गो सुविधाओं के किसी भी हिस्से को न तो सौंपेगा और न ही उस पर किसी भी प्रकार का प्रभार/भार सृजित करेगा।

19.6 टर्मिनल भवन

19.6.1 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू परमिटों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार टर्मिनल भवन का संचालन और प्रबंधन करेगा। इस अनुच्छेद 19 की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि टर्मिनल भवन के भीतर के स्थानों का उपयोग अनुसूची 'ख' में निर्दिष्ट संबंधित उद्देश्यों के लिए किया जाए।

19.6.2 रियायतग्राही अनुसूची 'ग' में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों तथा आईएटीए या उसके किसी उत्तराधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मानकों के अनुसार टर्मिनल भवन का संचालन करेगा।

19.6.3 रियायतग्राही लागू कानूनों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार टर्मिनल भवन के उपयोग को विनियमित करेगा और सभी उपयोगकर्ताओं को गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करेगा। उपयोगकर्ताओं की पहचान की गई श्रेणियों के लिए सेवाओं के विभिन्न स्तरों का प्रावधान इसके तहत भेदभाव नहीं माना जाएगा।

19.6.4 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं द्वारा आवागमन और उपयोग के लिए निर्धारित सभी क्षेत्रों को हर समय बाधाओं से मुक्त रखेगा।

19.6.5 रियायतग्राही सामान दावा क्षेत्रों के आसानी से पहुंच योग्य स्थानों पर और टर्मिनल भवन के प्रवेश बिंदुओं पर कुशल सामान ट्रॉलियों की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करेगा और उसका रखरखाव करेगा। पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि ट्रॉलियों पर विज्ञापन प्रदर्शित किए जा सकते हैं।

19.6.6 रियायतग्राही मांग के आधार पर उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान पर कुली सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

19.6.7 रियायतग्राही मास्टर प्लान के अनुसार टर्मिनल भवन के भीतर मुफ्त पीने का पानी, बैठने की जगह, प्रतीक्षालय, अधिकतम खुदरा मूल्य पर बोतल बंद पानी और लोकप्रिय पेय पदार्थों के वितरण के लिए वेंडिंग मशीन आदि से संबंधित सुविधाएं हर समय प्रदान करेगा या करवाएगा।

19.6.8 रियायतग्राही, समय-समय पर आईसीएओ द्वारा निर्दिष्ट साइनेज के मानकों की अनुरूपता के अधीन, उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए दिशा-निर्देश, चिह्न, संकेत, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली और पूछताछ काउंटर प्रदान करेगा ताकि उन्हें एयरलाइंस काउंटरों, यात्रा सुविधाओं, सुख-सुविधाओं और कार्गो सुविधाओं तक पहुंचने में सहायता मिल सके।

19.6.9 वाणिज्यिक परिचालन तिथि से 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने की तिथि से प्रारंभ होकर, रियायतग्राही विमानपत्तन पर आईएटीए सेवा स्तर 'ऑप्टिमम' प्राप्त करने के लिए सहमत होता है और वचन देता है। यदि यह देखा जाता है कि किसी रियायत वर्ष में किसी भी तिमाही के दौरान व्यस्ततम समय में सेवा का स्तर आईएटीए सेवा स्तर 'ऑप्टिमम' से कम है और रियायतग्राही किसी भी रियायत वर्ष में सेवा के स्तर में ऐसी गिरावट के 90 दिनों के भीतर इसमें सुधार नहीं करता है, तो रियायतग्राही प्राधिकरण को हर्जाने/क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा, जिसका निर्धारण ठीक पिछली तिमाही के शुल्क से प्राप्त कुल राजस्व के 0.5% की दर से किया जाएगा।

19.6.10 रियायतग्राही खंड 23.10 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता चार्टर को प्रकाशित और कार्यान्वित करेगा।

19.7 विशेष सहायता की आवश्यकता वाले उपयोगकर्ता

19.7.1 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि टर्मिनल भवन बुजुर्ग व्यक्तियों, तथा शारीरिक या दृष्टि से अक्षम/दिव्यांग उपयोगकर्ताओं और आगंतुकों की यात्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करे, जिसमें रैंप मार्ग, संशोधित शौचालय, व्हीलचेयर और विशेष सहायता की आवश्यकता वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उत्तम उद्योग प्रथा के अनुरूप और ऐसे उपयोगकर्ताओं एवं आगंतुकों के लिए बिना किसी शुल्क के चिह्नित पार्किंग स्थान शामिल हैं।

19.7.2 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के लिए बिना किसी शुल्क के टर्मिनल भवन के भीतर शिशु देखभाल कक्ष और सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करेगा।

19.7.3 रियायतग्राही खंड 5.11 में निर्दिष्ट तरीके से टर्मिनल भवन के भीतर प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं स्थापित करेगा और उनका संचालन करेगा।

19.8 आरक्षित क्षेत्र

19.8.1 निम्नलिखित निकायों/संस्थाओं या उद्देश्यों के लिए स्थान टर्मिनल भवन में आरक्षित क्षेत्र का गठन करेगा:

(क) प्राधिकरण

(ख) सुरक्षा

(ग) वीआईपी लाउंज

(घ) इमिग्रेशन/अध्यागमन

(ङ) कस्टम्स/सीमा शुल्क

(च) संगरोध/क्वारेन्टाइन

(छ) स्वास्थ्य

19.8.2 आरक्षित क्षेत्र पर नियंत्रण संबंधित प्राधिकरण या नामित भारत सरकार की एजेंसियों में निहित होगा जो उन कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार हैं जिनके लिए खंड 19.8.1 के तहत स्थान चिह्नित किया जाएगा या खंड 19.8.1 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के समान किसी अन्य उद्देश्य के लिए होगा। आरक्षित क्षेत्रों के संबंध में रियायतग्राही के दायित्व और उस तक उसकी पहुंच केवल आरक्षित क्षेत्र के हिस्से के रूप में नागरिक कार्यों, संरचनाओं और उपकरणों के रखरखाव तक सीमित होगी, बशर्ते कि आपात स्थिति, आग या अन्य समान घटना के मामले में उसे वहां अप्रतिबंधित पहुंच प्राप्त होगी।

19.8.3 रियायतग्राही टर्मिनल भवन के भीतर आरक्षित क्षेत्र में अपनी लागत और खर्च पर बिजली और पानी की आपूर्ति करेगा।

19.8.4 जिस सीमा तक टर्मिनल भवन में केंद्रीय वातानुकूलन स्थापित और संचालित है, रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र को इसके लाभ से वंचित नहीं करेगा, बशर्ते कि यह दायित्व उन घंटों तक विस्तारित नहीं होगा जब लाउंज और टर्मिनल भवन के भीतर अन्य सामान्य क्षेत्रों के लिए सामान्य वातानुकूलन बंद रहता है।

19.8.5 इस खंड 19.8 में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, प्राधिकरण और/या नामित भारत सरकार की एजेंसियां, जैसा भी मामला हो, रियायतग्राही की सहमति से, ऐसे नियमों और शर्तों पर जैसा कि सहमत हो, आरक्षित क्षेत्र या उसके किसी भाग को रियायतग्राही को हस्तांतरित कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में, रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र में एक सुरक्षित और कुशल वातावरण प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण और/या नामित भारत सरकार की एजेंसियों (इसके द्वारा नामित एजेंसियों सहित) के साथ सहयोग करने का सर्वोत्तम प्रयास करेगा।

19.8.6 यदि खंड 19.8.1 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, तो रियायतग्राही, संबंधित नामित भारत सरकार की एजेंसी के परामर्श से, ऐसे नियमों और शर्तों पर जैसा कि सहमत हो, आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा बनने के लिए अतिरिक्त स्थान प्रदान करेगा।

19.9 वीआईपी लाउंज

रियायतग्राही भारत सरकार, नामित भारत सरकार की एजेंसियों, राज्य सरकार और/या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर रियायतग्राही को अधिसूचित किए जाने वाले अतिथियों और कर्मियों के उपयोग और आराम के लिए टर्मिनल भवन में हर समय वीआईपी लाउंज प्रदान करेगा और उनका रखरखाव करेगा।

19.10 चेक-इन सेवाएं

19.10.1 रियायतग्राही प्रस्थान करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए और उनके संबंध में विमानपत्तन पर चेक-इन सेवाओं ("चेक-इन सेवाएं") के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा अपनी लागत और खर्च पर प्रदान करेगा या करवाएगा। इस समझौते के प्रावधानों, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए लागू डीजीसीए नियमों सहित लागू कानूनों, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार ऐसे बुनियादी ढांचे में काउंटर, स्वयं-सेवा चेक-इन कियोस्क, सामान कन्वेयर बेल्ट, कंप्यूटर टर्मिनल, आईटी बैकबोन और संबद्ध सुविधाएं शामिल होंगी।

19.10.2 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार एयरलाइंस की ओर से और उनके लिए उपयोगकर्ताओं को चेक-इन सेवाएं प्रदान करेगा या करवाएगा।

19.10.3 इस खंड 19.10 में दिए गए किसी भी विपरीत प्रावधान के बावजूद, रियायतग्राही प्रत्येक एयरलाइन को, उस एयरलाइन के विकल्प पर, परस्पर सहमत राशि पर रियायतग्राही को सेवा शुल्क का भुगतान करके उस एयरलाइन के उपयोगकर्ताओं को चेक-इन सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

19.11 निर्दिष्ट क्षेत्रों का व्यावसायिक उपयोग

19.11.1 इस समझौते और लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही व्यावसायिक उद्देश्यों, जैसे कि यात्रा सुविधाओं, उपयोगकर्ताओं के लिए सुख-सुविधाओं, रेस्तरां, आवास और खुदरा के लिए टर्मिनल भवन का उपयोग कर सकता है।

19.11.2 रियायतग्राही खंड 5.2 और खंड 38.2 के प्रावधानों के अनुसार छोड़कर विमानपत्तन के किसी भी हिस्से को न तो सौंपेगा और न ही उस पर किसी भी प्रकार का प्रभार/भार सृजित करेगा।

19.11.3 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि उसके लाइसेंसधारी और/या उप-पट्टेदार अत्यधिक शोर या खाना पकाने की गंध सहित सार्वजनिक उपद्रव पैदा न करें; व्यवसाय के लिए दलाली न करें, और बिक्री के लिए नकली/कूटरचित सामान की पेशकश न करें, तथा वे लागू कानूनों, लागू परमिटों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार अपनी संबंधित गतिविधियों का निष्पादन करें।

19.12 पार्किंग

19.12.1 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, मास्टर प्लान, लागू कानूनों, लागू परमिटों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार पार्किंग का विकास, संचालन और रखरखाव करेगा या करवाएगा।

19.12.2 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ताओं या विमानपत्तन के आगंतुकों द्वारा पार्किंग के उपयोग को विनियमित करेगा और सभी यात्रियों और आगंतुकों को इसके गैर-भेदभावपूर्ण उपयोग की अनुमति देगा, बशर्ते कि रियायतग्राही खंड 19.12.3(एच) के अनुसार पार्किंग के उपयोग के लिए शुल्क ले सकता है।

19.12.3 रियायतग्राही:

- (क) यात्रियों की आसानी और सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाहन पार्किंग स्थान की योजना बनाएगा और प्रवेश तथा निकास इस तरह से तैयार किए जाएंगे कि वाहनों की सुचारु/निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो सके;
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि दोपहिया वाहनों, कारों, निजी टैक्सियों, नियमित टैक्सियों, बसों, ऑटो-रिक्शा आदि के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान प्रदान किया जाए;
- (ग) अल्पकालिक, दीर्घकालिक और रात भर की पार्किंग जैसे विभिन्न उपयोगों के लिए पार्किंग प्रदान करेगा;

- (घ) आरक्षित पार्किंग तथा प्राधिकरण, नामित भारत सरकार की एजेंसी और राज्य सरकार के कर्मचारियों की पार्किंग के लिए अलग से मुफ्त पार्किंग स्थान प्रदान करेगा;
- (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि पार्किंग का उपयोग केवल मोटर वाहनों की पार्किंग के लिए किया जाए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए न हो, केवल विज्ञापनों और उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाओं तथा सुख-सुविधाओं के प्रावधान को छोड़कर;
- (च) खंड 5.2 और खंड 38.2 के प्रावधानों के अनुसार छोड़कर पार्किंग के किसी भी हिस्से पर प्रभार/भार सृजित नहीं करेगा;
- (छ) पार्किंग क्षेत्रों सहित विमानपत्तन पर लागू अग्नि और सुरक्षा मानदंडों के तहत सभी प्रावधानों का पालन करेगा और उन्हें लागू करेगा; और
- (ज) पार्किंग के उपयोग के लिए ऐसी दरों पर शुल्क लगाएगा जो वह अपने विवेक से निर्धारित कर सकता है।

19.12.4 रियायतग्राही एक आरक्षित पार्किंग ("आरक्षित पार्किंग") विकसित, संचालित और बनाए रखेगा, और छूट प्राप्त व्यक्तियों तथा वीआईपी लाउंज का उपयोग करने के हकदार व्यक्तियों द्वारा इसके मुफ्त उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा। छूट प्राप्त व्यक्तियों के साथ-साथ, निम्नलिखित व्यक्ति भी मुफ्त पार्किंग के हकदार होंगे:

- (क) वे व्यक्ति जो कानून और व्यवस्था के रखरखाव में लगे हुए हैं और अपनी आधिकारिक क्षमता में ड्यूटी पर विमानपत्तन या उसके किसी भी भाग का दौरा कर रहे हैं;
- (ख) अग्निशमन कर्मी और आपातकालीन चिकित्सा सेवा में लगे व्यक्ति, अपनी आधिकारिक क्षमता में ड्यूटी पर; और
- (ग) वे व्यक्ति जो अपनी आधिकारिक क्षमता में ड्यूटी पर इसके निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए टर्मिनल भवन में प्रवेश करते हैं।

19.12.5 रियायतग्राही हर समय कार पार्क में निम्नलिखित में से कम से कम सभी सुविधाएं प्रदान करेगा या करवाएगा:

- (क) सुविधाजनक स्थानों पर निःशुल्क पीने के पानी के आउटलेट;
- (ख) सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित भोजन के स्टॉल / वेंडिंग मशीनें, जो बोतलबंद पानी और लोकप्रिय पेय पदार्थों (गर्म और ठंडे) के लिए हों, जिनकी कीमत विमानपत्तन के बाहर बाजार में प्रचलित ऐसे प्रत्येक उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नहीं होगी।

19.12.6 रियायतग्राही, पार्किंग के प्रवेश या निकास बिंदु के निकट, ड्राइवरो के लिए एक प्रतीक्षालय प्रदान करेगा, जिसमें पार्किंग में पर्याप्त बैठने की सुविधाएं और शौचालय हों और यात्रियों तथा आगंतुकों के लिए अपने संबंधित ड्राइवरो को टर्मिनल भवन में निर्दिष्ट बिंदुओं पर बुलाने के लिए सार्वजनिक घोषणा प्रणाली भी प्रदान करेगा। ऐसे प्रतीक्षालय और शौचालय सुविधाजनक स्थानों पर स्थित होंगे और ऐसे प्रतीक्षालय,

शौचालय तथा अन्य सुविधाओं का उपयोग करने वाले आगंतुकों/ड्राइवरों से ऐसे उपयोग के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।

19.12.7 रियायतग्राही किसी भी ऐसे वाहन को हटा सकता है जो पार्किंग के लिए चिह्नित या अधिकृत न किए गए स्थान पर पार्क किया गया है, और ऐसे वाहन को पार्किंग में पार्क कर सकता है। यदि रियायतग्राही किसी कारण से वाहन को पार्किंग में स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं है, तो वह वाहन को उस स्थान पर या उसके पास अचल कर सकता है जहां वह पार्क किया गया है। रियायतग्राही ऐसे वाहन के लिए शुल्क वसूल करने का हकदार होगा और वाहन को अचल करने या पार्किंग में ले जाने के पूर्व-निर्धारित और सहमत लागत के रूप में शुल्क के 5 गुना के बराबर राशि भी वसूल कर सकता है। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि इस खंड 19.12.7 के प्रावधानों के तहत वाहनों का कोई भी स्थानांतरण या अचल किया जाना इस तरीके से किया जाए जिससे ऐसे वाहनों को कोई नुकसान न पहुंचे।

19.12.8 रियायतग्राही उन वाहनों (निजी या वाणिज्यिक) के संबंध में लागू कानूनों का अनुपालन करेगा जो टर्मिनल भवन या कार्गो सुविधाओं के किसी भी हिस्से से गुजरने के लिए पहुंच मार्ग का उपयोग करते हैं।

अनुच्छेद 20. आरक्षित सेवाएं

20.1 आरक्षित सेवाएं

20.1.1 रियायतग्राही यह स्वीकार करता है और सहमत होता है कि केवल नामित भारत सरकार की एजेंसियां ही विमानपत्तन पर निम्नलिखित सेवाएं ("आरक्षित सेवाएं") संचालित करने के लिए अधिकृत हैं:

- (क) सीएनएस/एटीएम सेवाएं
- (ख) सुरक्षा सेवाएं
- (ग) मौसम संबंधी सेवाएं
- (घ) अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाएं
- (ङ) सीमा शुल्क नियंत्रण
- (च) इमिग्रेशन/अध्यागमन सेवाएं
- (छ) संगरोध/क्वारंटाइन सेवाएं
- (ज) कोई अन्य सेवाएं, जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं।

परंतु यह कि, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अधीन रहते हुए, इस समझौते की कोई भी बात प्राधिकरण को ऐसे नियमों और शर्तों पर, जो पक्षकारों के बीच परस्पर सहमत हों, रियायतग्राही से किसी भी या सभी आरक्षित सेवाओं को संचालित करने की अपेक्षा करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी।

20.1.2 प्राधिकरण समय-समय पर रियायतग्राही से लागू कानूनों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार आरक्षित सेवाओं के निष्पादन के लिए नामित भारत सरकार की किसी भी या सभी एजेंसियों के साथ द्विपक्षीय समझौते करने की अपेक्षा कर सकता है। पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि आरक्षित सेवाओं के प्रावधानों के संबंध में रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले लागत में किसी भी पर्याप्त वृद्धि की स्थिति में (संबंधित अवधि के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण होने वाली वृद्धि को छोड़कर), नियामक के पूर्व अनुमोदन से शुल्कों में वृद्धि के माध्यम से रियायतग्राही द्वारा इसकी वसूली की जा सकेगी।

20.1.3 जहां आरक्षित सेवाओं के संबंध में रियायतग्राही द्वारा उपयोगकर्ताओं से कोई शुल्क एकत्र करना आवश्यक हो, वहां रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार ऐसा करेगा।

20.2 सीएनएस/एटीएम सेवाएं

20.2.1 प्राधिकरण, रियायतग्राही द्वारा लागू नियमों और शर्तों की पूर्ति करने पर, रियायतग्राही के अनुरोध पर, प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच एक समझौते के निष्पादन का प्रबंध करेगा, जो मुख्य रूप से अनुसूची 'द' में निर्धारित प्रारूप ("सीएनएस/एटीएम करार") के अनुसार होगा। यह करार शिकागो कन्वेंशन के तहत समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार तथा भारत के अन्य समान विमानपत्तनों पर लागू सेवाओं के समान शर्तों पर और डीजीसीए के निर्देशों के अनुपालन में, सम्पूर्ण रियायत अवधि के दौरान विमानपत्तन पर सीएनएस/एटीएम सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करेगा। यदि सीएनएस/एटीएम करार का प्रारूप इस समझौते की तिथि के बाद लेकिन रियायतग्राही द्वारा इसके निष्पादन से पहले प्राधिकरण द्वारा

अपने एकमात्र विवेक से बदला या संशोधित किया जाता है, तो रियायतग्राही ऐसे बदले हुए या संशोधित प्रारूप में सीएनएस/एटीएम करार का निष्पादन करेगा।

20.2.2 नामित भारत सरकार की एजेंसी, अपनी लागत पर, मार्गस्थ और टर्मिनल एयर नेविगेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कोई भी राडार, उपकरण या सुविधाएं विमानपत्तन पर स्थापित कर सकती है और रियायतग्राही एतद्वारा इसके संबंध में सभी आवश्यक नागरिक अवसंरचना तथा आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान करने का वचन देता है।

20.3 विमानपत्तन सुरक्षा

20.3.1 रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार नामित भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से विमानपत्तन पर आतंकवाद, अपहरण, तोड़फोड़ तथा/या इसी तरह के कृत्यों या घटनाओं की रोकथाम सहित सुरक्षा का प्रावधान प्राप्त करेगा।

20.3.2 रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि विमानपत्तन, उपयोगकर्ताओं, विमानपत्तन पर काम करने वाले व्यक्तियों तथा विमानपत्तन पर अन्य व्यक्तियों या संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियां और प्रक्रियाएं बीसीएस (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो) या नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगी।

20.3.3 नामित भारत सरकार की एजेंसी विमानपत्तन के संचालन को अनुचित या अकारण रूप से बाधित किए बिना, विमानपत्तन का निरीक्षण और तलाशी लेने तथा स्थल में प्रवेश करने वाले या वहां से बाहर जाने वाले किसी भी व्यक्ति या वाहन की तलाशी लेने की हकदार होगी।

20.3.4 रियायतग्राही नामित भारत सरकार की एजेंसी के कार्यों से उत्पन्न होने वाले अपने परिचालन में व्यवधान या क्षति या नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, केवल नामित भारत सरकार की एजेंसी के जानबूझकर या गंभीर लापरवाही वाले कृत्यों या चूकों से होने वाले नुकसान को छोड़कर।

20.4 पुलिस सहायता

लागू कानूनों और इस समझौते के अनुसार विमानपत्तन के उपयोग को विनियमित करने के लिए, प्राधिकरण रियायतग्राही को पुलिस से सहायता प्राप्त करने में मदद करेगा, जिसमें रियायतग्राही द्वारा विमानपत्तन पर एक पुलिस सहायता पोस्ट की स्थापना करना शामिल है।

20.5 मौसम संबंधी सेवाएं

प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि विमानपत्तन पर सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए मौसम संबंधी सुविधाएं और सेवाएं नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा शिकागो कन्वेंशन के तहत समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार और उसी शर्त पर प्रदान की जाएं जैसा कि भारत में अन्य समान विमानपत्तनों पर प्रदान की जा रही हैं। रियायतग्राही, अपनी लागत और खर्च पर, तथा प्राधिकरण पर बिना किसी लागत के, आवश्यक उपकरणों/संयंत्रों की स्थापना और आवश्यक मौसम संबंधी सेवाओं के प्रावधान के लिए परिचालन क्षेत्र में स्थान या कार्यालय स्थापित करने के लिए स्थान और अवसंरचना प्रदान करेगा।

20.6 आरक्षित सेवाओं के संबंध में दायित्व

रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि वह संपूर्ण रियायत अवधि के दौरान हर समय:

- (क) सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए एटीसी सुविधा नामित भारत सरकार की एजेंसी को उपलब्ध कराएगा;
- (ख) इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए आरक्षित क्षेत्र उपलब्ध कराएगा;
- (ग) विमानपत्तन की सुरक्षा के संबंध में बीसीएस या नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा निर्धारित सभी नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करेगा और विमानपत्तन के चारों ओर बाउंड्री फेंसिंग या अन्य उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करेगा तथा उसका रखरखाव करेगा;
- (घ) बीसीएस या नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा समय-समय पर तर्कसंगत रूप से आवश्यक सभी सुरक्षा उपकरण प्रदान करेगा और उनका रखरखाव करेगा;
- (ङ) विमानपत्तन के भीतर और आसपास सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्राधिकरण और/या नामित भारत सरकार की एजेंसी के किसी भी निर्देश का पालन करेगा और उसे लागू करेगा तथा प्राधिकरण और/या नामित भारत सरकार की एजेंसी को विमानपत्तन के संचालन में अनुचित या अकारण बाधा डाले बिना, उनके द्वारा तर्कसंगत रूप से आवश्यक समझे जाने वाले कदम उठाने की अनुमति देगा;
- (च) यह सुनिश्चित करेगा और प्राप्त करेगा कि निम्नलिखित घटनाओं के लिए एक प्रभावी और कुशल प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक उपकरण और जनशक्ति लागू कानूनों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार उपलब्ध हो:
 - (i) रनवे से क्षतिग्रस्त/अक्षम विमान को हटाना;
 - (ii) किसी भी विमान या विमानपत्तन को बम की धमकी;
 - (iii) विमानपत्तन और उसके आसपास विमान दुर्घटनाएं;
 - (iv) गैर-अनुसूचित विमान की विमानपत्तन पर आपातकालीन/बाध्यकारी लैंडिंग;
 - (v) विमानपत्तन पर आग लगना;
 - (vi) प्राकृतिक आपदाएं और विपत्तियां;
 - (vii) विमानपत्तन पर हड़ताल;
 - (viii) नागर विमानन के साथ गैर-कानूनी हस्तक्षेप और
 - (ix) विमानपत्तन पर कोई अन्य आपात स्थिति;
- (छ) इस अनुच्छेद 20 के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में नामित भारत सरकार की एजेंसियों को सहायता और सहयोग प्रदान करेगा;

- (ज) ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जो प्राधिकरण और नामित भारत सरकार की एजेंसी आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए तर्कसंगत रूप से मांग सकते हैं;
- (झ) अपनी स्वयं की लागत और खर्च पर बिजली, दूरसंचार सेवाओं, पानी और अन्य ऐसी सुविधाओं की निरंतर आपूर्ति प्रदान करेगा जो आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए नामित भारत सरकार की एजेंसियों को आवश्यक हो सकती हैं; और
- (ञ) आपात स्थिति को छोड़कर, समय-समय पर पक्षकारों के बीच परस्पर सहमत होने वाली परिचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, विमानपत्तन पर किसी भी अवसंरचना या सुविधाओं के किसी भी प्रस्तावित बंद होने या वापस लेने के 7 दिन पूर्व प्राधिकरण और नामित भारत सरकार की एजेंसी को सूचित करेगा।

20.7 आरक्षित क्षेत्र

20.7.1 खंड 19.8 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, रियायतग्राही यह वचन देता है कि वह संपूर्ण रियायत अवधि के दौरान हर समय प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्तियों को विमानपत्तन पर ऐसा आरक्षित क्षेत्र, पहुंच और सुविधाएं प्रदान करेगा जो इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित सेवाओं का निष्पादन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही प्राधिकरण के लिए टर्मिनल भवन में कॉनकोर्स में अलग से अधिकतम 500 वर्ग फुट का एक संलग्न वातानुकूलित स्थान चिह्नित करेगा और प्रदान करेगा।

20.7.2 आरक्षित क्षेत्र का उपयोग प्राधिकरण या उसके नामितों द्वारा उस रूप और तरीके से किया जाएगा जैसा कि वह उचित समझे, और रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय रियायतग्राही के लिए यह किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपलब्ध या उपयोग योग्य नहीं होगा। आरक्षित क्षेत्र पर नियंत्रण और प्रबंधन प्राधिकरण या उसके नामितों में निहित होगा जो उन कार्यों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार हैं जिनके लिए ऐसा क्षेत्र चिह्नित किया गया है। आरक्षित क्षेत्र और वहां तक पहुंच के संबंध में रियायतग्राही के दायित्व केवल आरक्षित क्षेत्र के हिस्से के रूप में नागरिक कार्यों, संरचनाओं और उपकरणों के रखरखाव तक सीमित होंगे, बशर्ते कि आपात स्थिति, आग या अन्य समान घटना के मामले में उसे वहां अप्रतिबंधित पहुंच प्राप्त होगी।

20.7.3 रियायतग्राही, आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण या उसके नामितों को प्रदान की गई पहुंच, स्थान और सुविधाओं को कम या प्रतिबंधित नहीं करेगा, केवल प्राधिकरण या उसके नामितों, जैसी भी स्थिति हो, की पूर्व सहमति से ही ऐसा किया जा सकेगा।

20.7.4 इस खंड 20.7 में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, प्राधिकरण रियायतग्राही की सहमति से ऐसे नियमों और शर्तों पर, जैसा कि सहमत हो, आरक्षित क्षेत्र या उसके किसी भाग को रियायतग्राही को हस्तांतरित कर सकता है। ऐसी स्थिति में, रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र में एक सुरक्षित और कुशल वातावरण प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण (इसके द्वारा नामित एजेंसियों सहित) के साथ सहयोग करने का सर्वोत्तम प्रयास करेगा।

20.7.5 आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी स्थान या सुविधाओं के स्थानांतरण या पुनर्रचना की आवश्यकता वाले विमानपत्तन के किसी भी विस्तार के मामले में, रियायतग्राही प्राधिकरण या उसके नामितों को सूचित करेगा और इसके संबंध में आवश्यक संशोधनों को परस्पर निर्धारित करेगा।

20.7.6 यदि आरक्षित क्षेत्र में निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, तो प्राधिकरण या उसके नामित, रियायतग्राही की सहमति से, आरक्षित क्षेत्र वाले स्थान को बढ़ा सकते हैं।

अनुच्छेद 21. प्रचालन एवं रखरखाव की निगरानी

21.1 विमानपत्तन प्रचालक का डेटाबेस

रियायतग्राही एक विमानपत्तन प्रचालन डेटाबेस स्थापित करेगा, जिसमें विमानपत्तन प्रचालन डेटाबेस, संचार परत और दृश्य प्रणाली शामिल होगी जो विमानपत्तन की विभिन्न प्रणालियों को आपस में जोड़ती है। एओडीबी को विमानपत्तन पर सभी परिचालन डेटा प्रदान करने होंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकता और टर्मिनल भवन के सेवा स्तर को परिभाषित करने वाले मापदंडों से संबंधित डेटा तथा इस समझौते के अनुसरण में प्राधिकरण और/या नामित भारत सरकार की किसी एजेंसी द्वारा अपेक्षित ऐसी अन्य जानकारी शामिल है, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। एओडीबी इस समझौते की आवश्यकताओं के अनुसार दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट उत्पन्न करेगा। एओडीबी प्रणाली रणनीतिक निर्णय लेने में सहायता करने के साथ-साथ विभिन्न अनुपालन आवश्यकताओं के लिए रियायतग्राही की सहायता हेतु ऐतिहासिक और वास्तविक समय का डेटा प्रदान करने में सक्षम होनी चाहिए। रियायतग्राही आवधिक समीक्षा और रिपोर्ट जनरेशन के लिए प्राधिकरण को एओडीबी तक पहुंच प्रदान करेगा।

21.2 स्थिति रिपोर्ट

21.2.1 संपूर्ण रियायत अवधि के दौरान हर समय, रियायतग्राही प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 7 दिनों के भीतर, प्राधिकरण को स्वीकार्य प्रारूप में एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन या अन्य बातों सहित विमानपत्तन की स्थिति और किसी भी घटना के घटित होने का विवरण पर्याप्त रूप से दिया जाएगा, तथा प्राधिकरण द्वारा मांगी गई ऐसी अन्य प्रासंगिक जानकारी तुरंत प्रदान की जाएगी। विशेष रूप से, ऐसी रिपोर्ट में उन दोषों और कमियों को अलग से पहचाना जाएगा और पर्याप्त विस्तार से बताया जाएगा जिनमें सुधार की आवश्यकता है।

21.2.2 संपूर्ण रियायत अवधि के दौरान हर समय, रियायतग्राही प्रत्येक तिमाही समाप्त होने के 10 दिनों के भीतर प्राधिकरण को एक तिमाही प्रबंधन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो निम्नलिखित का सारांश होगी:

(क) तिमाही में प्राप्त किए गए प्रमुख प्रदर्शन सूचक , साथ ही विफलताओं के कारणों का विश्लेषण (यदि कोई हो) और उन्हें ठीक करने के प्रस्ताव;

(ख) मुख्य परिचालन बाधाएं और आगामी तिमाही में अपेक्षित डिलिवरेबल्स, साथ ही उनसे निपटने और विमानपत्तन के परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने की रणनीतियां;

(ग) तिमाही बजट के विरुद्ध बेंचमार्क किए गए तिमाही के प्रमुख वित्तीय पैरामीटर, कमी के कारण (यदि कोई हो), और उन्हें ठीक करने के प्रस्ताव; तथा

(घ) आगामी तिमाही के लिए तिमाही बजट, साथ ही विमानपत्तन के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार की रणनीतियां।

21.2.3 रियायतग्राही नियमित आधार पर प्राधिकरण को निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा:

(क) तिमाही गतिविधि रिपोर्ट (यात्री यातायात, विमान आवाजाही, कार्गो आदि);

(ख) तिमाही वित्तीय खाते;

(ग) वार्षिक बजट;

(घ) व्यावसायिक योजना का नवीनतम अद्यतन;

(ङ) वार्षिक रखरखाव कार्यक्रम;

(च) भारत सरकार, राज्य सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, डीजीसीए, प्राधिकरण, आईसीएओ या आईएटीए सहित किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा अपेक्षित अन्य परिचालन आंकड़े; तथा

(छ) विमानपत्तन के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के संबंध में ऐसी अन्य रिपोर्ट/जानकारी (या उसका विश्लेषण), जिसकी प्राधिकरण समय-समय पर मांग कर सकता है।

21.3 सेवा स्तर का अनुश्रवण

रियायतग्राही:

(क) संपूर्ण रियायत अवधि के दौरान, विमानपत्तन पर यातायात प्रवाह का नियमित अनुश्रवण करेगा और विमानपत्तन पर सेवा के स्तरों की नियमित जांच करेगा;

(ख) व्यावसायिक परिचालन तिथि प्राप्त करने के बाद, विमानपत्तन पर विमानों में सवार होने और उतरने वाले व्यस्ततम समय के यात्रियों की नियमित अनुश्रवण और गिनती करेगा;

(ग) प्रत्येक तिमाही के अंत के बाद 7वें दिन तक, प्राधिकरण को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करेगा: (i) यह पुष्टि करते हुए कि पिछली तिमाही (या उसके हिस्से) के दौरान विमानपत्तन पर सेवा का स्तर कभी भी आईएटीए सेवा स्तर 'ऑप्टिमम' से नीचे नहीं गिरा या उन तिथियों या समयावधियों का वर्णन करते हुए जिनके दौरान सेवा का स्तर आईएटीए सेवा स्तर 'ऑप्टिमम' से नीचे गिर गया था, और (ii) रिपोर्टिंग तिमाही के दौरान विमानपत्तन पर प्रत्याशित सेवा स्तर का अपना विश्लेषण (किसी भी और सभी सहायक डेटा के साथ) प्रस्तुत करेगा, जिसमें ऐसी कोई भी समयावधि शामिल है जब विमानपत्तन पर सेवा का स्तर आईएटीए सेवा स्तर 'ऑप्टिमम' से नीचे गिरने का अनुमान है; तथा

(घ) यदि वह किसी भी समय यह निर्धारित करता है कि विमानपत्तन पर सेवा का स्तर आईएटीए सेवा स्तर 'ऑप्टिमम' से नीचे गिरने का अनुमान है या गिर गया है, तो वह तुरंत प्राधिकरण को लिखित रूप में सूचित करेगा और ऐसी कमी की शमन योजना के साथ-साथ ऐसे निर्धारण से संबंधित सभी डेटा प्राधिकरण को प्रदान करेगा।

21.4 असामान्य घटना की रिपोर्ट

रियायतग्राही प्रत्येक दिन की समाप्ति से पूर्व, फैक्स और ई-मेल द्वारा उपयोगकर्ताओं एवं विमानपत्तन की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित विमानपत्तन पर हुई दुर्घटनाओं और असामान्य घटनाओं को बताते हुए प्राधिकरण और नामित भारत सरकार की एजेंसी को एक रिपोर्ट अधिसूचित करेगा। ऐसी रिपोर्टों का एक

साप्ताहिक और मासिक सारांश भी प्रत्येक सप्ताह और महीने की समाप्ति के 3 (तीन) दिनों के भीतर भेजा जाएगा। इस खंड 21.4 के प्रयोजनों के लिए, विमानपत्तन पर दुर्घटनाओं और असामान्य घटनाओं में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट;
- (ख) क्षतिग्रस्त या विस्थापित स्थिर उपकरण;
- (ग) विमानपत्तन पर कोई भी क्षति या बाधा, जिसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जा रही सेवाओं में धीमी गति आती है;
- (घ) रनवे, एप्रन, या टैक्सीवे, पर कोई क्षति या बाधा;
- (ङ) विमानपत्तन पर हवाई यातायात भीड़भाड़, जिसके कारण अनुसूचित विमान परिचालनों में अत्यधिक देरी होती है या टर्मिनल भवन में भीड़भाड़ होती है;
- (च) एअरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में कोई विफलता या दोष;
- (छ) आरक्षित सेवाओं के प्रावधान में कोई बाधा या अत्यधिक भीड़भाड़;
- (ज) विमानपत्तन पर बिजली की आपूर्ति या पानी की आपूर्ति में रुकावट या विफलता;
- (झ) टर्मिनल भवन में वातानुकूलन सुविधाओं का ठप होना या विफल होना;
- (ञ) विमानपत्तन पर किसी भी क्लोज-सर्किट टेलीविजन प्रणाली का निष्क्रिय होना;
- (ट) विमानपत्तन के संचालन को प्रभावित करने वाली संचार विफलता;
- (ठ) परिचालन क्षेत्र, रनवे और टैक्सीवे के भीतर और आसपास बर्ड हिट, नियर बर्ड हिट या जानवरों द्वारा उपद्रव की कोई भी घटना;
- (ड) विमानपत्तन पर चोरी या डकैती की कोई भी घटना;
- (ढ) विमानपत्तन पर सुरक्षा उल्लंघन की कोई भी घटना;
- (ण) धुआं या आग, विमानपत्तन में जलभराव/बाढ़;
- (त) परियोजना सुविधाओं में से किसी को भी भारी नुकसान या विनाश; तथा
- (थ) ऐसी अन्य प्रासंगिक जानकारी जो प्राधिकरण द्वारा तर्कसंगत रूप से आवश्यक हो।

21.5 निरीक्षण

प्राधिकरण या उसकी नामित एजेंसी, यदि आवश्यक हो, रियायतग्राही को पूर्व सूचना देकर वर्ष में कम से कम एक बार विमानपतन का निरीक्षण कर सकती है। यह इस समझौते की आवश्यकताओं, लागू कानूनों, लागू परमिटों, प्रासंगिक आईसीएओ और आईएटीए मानकों, नियामक द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुपालन, किसी भी दोष या कमियों को स्पष्ट रूप से बताते हुए ऐसे निरीक्षण की एक रिपोर्ट ("ओएंडएम निरीक्षण रिपोर्ट") तैयार करेगी, और ऐसे निरीक्षण के 7 (सात) दिनों के भीतर उसकी एक प्रति रियायतग्राही को भेजेगी।

21.6 सुधारात्मक उपाय

21.6.1 रियायतग्राही खंड 21.5 में संदर्भित ओएंडएम निरीक्षण रिपोर्ट में निर्धारित दोषों या कमियों (यदि कोई हो) की मरम्मत या सुधार करेगा और ओएंडएम निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर प्राधिकरण को इसके संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा; परंतु जहां ऐसे दोषों या कमियों को ठीक करने में 15 दिनों से अधिक समय लगने की संभावना है, वहां रियायतग्राही मरम्मत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सप्ताह में एक बार तब तक जमा करेगा जब तक कि ऐसे कार्य इस समझौते के अनुरूप पूरे नहीं हो जाते।

21.6.2 प्राधिकरण रियायतग्राही से अपनी लागत पर यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण करने या करवाने की अपेक्षा करेगा कि ऐसे सुधारात्मक उपायों ने विमानपतन को इस समझौते के अनुपालन में ला दिया है और इस खंड 21.6 में निर्धारित प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि विमानपतन इस समझौते के अनुरूप न हो जाए।

21.7 प्रबंधन तक पहुंच

प्राधिकरण, रियायतग्राही को उचित सूचना देने के बाद, उचित समय पर विमानपतन के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक समय-समय पर उचित पहुंच का हकदार होगा।

21.8 सिटी साइड विकास

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अनुच्छेद 21 की कोई भी बात सिटी साइड विकास पर लागू नहीं होगी।

अनुच्छेद 22. यातायात विनियमन एवं गणना

22.1 रियायतग्राही द्वारा यातायात विनियमन

22.1.1 रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार और इस संबंध में लागू कानूनों के तहत सशक्त नामित भारत सरकार की एजेंसियों या उनके विकल्प के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन, विमानपत्तन के भीतर और विमानपत्तन तक पहुंचने वाली सड़कों पर वाहन यातायात को विनियमित करेगा।

22.1.2 रियायतग्राही उत्तम उद्योग प्रथा पर आधारित एक ऐसी प्रणाली विकसित और प्रचारित करेगा, जिससे विमानपत्तन के उपयोग में किसी भी उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ताओं की श्रेणी के साथ कोई भेदभाव न हो या अनुचित लाभ न दिया जाए।

22.1.3 रियायतग्राही को कॉमन कैरियर आधार पर विमानपत्तन का प्रबंधन, संचालन और नियमन करने का अधिकार और दायित्व है, जो सभी व्यक्तियों को गैर-भेदभावपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है।

22.2 सेंसस

रियायतग्राही विमानपत्तन के माध्यम से एयरसाइड और लैंडसाइड यात्रियों और कार्गो यातायात से संबंधित डेटा एकत्र करेगा। ऐसे डेटा का एक मासिक विवरण रियायतग्राही द्वारा तुरंत प्राधिकरण को स्वीकार्य प्रारूप में संकलित और प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक मासिक यातायात विवरण में दैनिक आधार पर व्यस्ततम समय में यात्रियों की संख्या, विमान आवाजाही और कार्गो टन भार अन्य बातों के साथ शामिल होंगे।

22.3 कंप्यूटर प्रणाली और नेटवर्क

रियायतग्राही यातायात के कुशल और पारदर्शी विनियमन और प्रबंधन के लिए उपयोगी या आवश्यक डेटा और सूचना के आदान-प्रदान के लिए प्राधिकरण, नामित भारत सरकार की एजेंसियों और अन्य संबंधित संस्थाओं, जैसी भी स्थिति हो, के नेटवर्क से 24 घंटे कनेक्शन के साथ एक कंप्यूटर प्रणाली स्थापित, संचालित और बनाए रखेगा। इस प्रयोजन के लिए यह इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के लिए ऐसे प्रोटोकॉल का पालन करेगा जो प्राधिकरण या नामित भारत सरकार की एजेंसी समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकती है। यह सहमति व्यक्त की जाती है कि खंड 28.9 में निर्दिष्ट फॉर्म को ईडीआई की आवश्यकताओं और आउटपुट के अनुरूप बनाने के लिए प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 23. प्रमुख निष्पादन सूचक

23.1 प्रमुख निष्पादन सूचक

23.1.1 इस समझौते में निर्दिष्ट दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यावसायिक परिचालन तिथि से 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने की तिथि से प्रारंभ करते हुए, रियायतग्राही विमानपत्तन का संचालन इस प्रकार करेगा कि यह इस अनुच्छेद 23 में निर्दिष्ट निष्पादन सूचकों तथा अनुसूची एच में निर्दिष्ट सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं ("प्रमुख निष्पादन सूचक") को प्राप्त करे या उससे अधिक प्रदर्शन करे।

23.1.2 रियायतग्राही इसमें अनुसूची एच के तहत पहचाने गए मापदंडों पर सेवा की गुणवत्ता की निगरानी और मापन करेगा। रियायतग्राही मापन तंत्र तथा मापन आवृत्ति/आवधिकता पर विवरण प्रदान करते हुए एक निष्पादन मापन योजना जमा करेगा। निष्पादन मापन योजना रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों, नियामक ढांचे और अनुसूची H के तहत प्रदान किए गए मार्गदर्शन के अनुसार तैयार की जाएगी।

23.2 वैमानिक परिसंपत्तियों का संचालन

23.2.1 रियायतग्राही वैमानिक परिसंपत्तियों का संचालन इस प्रकार करेगा कि व्यावसायिक परिचालन तिथि से 1 (एक) वर्ष की अवधि समाप्त होने की तिथि से प्रारंभ करते हुए, यह इस खंड 23.2 और अनुसूची एच में निर्दिष्ट प्रमुख निष्पादन सूचकों के अनुरूप हो।

23.2.2 रियायतग्राही, रियायत अवधि के दौरान हर समय, रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एअरफील्ड लाइटिंग सिस्टम का रखरखाव प्रासंगिक आईसीएओ मानकों, डीजीसीए के दिशानिर्देशों, लागू कानूनों, लागू परमिटों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार करेगा।

23.3 टर्मिनल भवन का प्रचालन

23.3.1 रियायतग्राही टर्मिनल भवन का संचालन और रखरखाव इस प्रकार करेगा कि व्यावसायिक परिचालन तिथि से 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने की तिथि से प्रारंभ करते हुए, यह इस खंड 23.3 और अनुसूची एच में निर्दिष्ट प्रमुख निष्पादन सूचकों के अनुरूप हो।

23.3.2 रियायतग्राही, रियायत अवधि के दौरान हर समय, यह सुनिश्चित करेगा कि:

(क) टर्मिनल भवन और इसके शौचालय स्वच्छ, स्वच्छतापूर्ण और गंधमुक्त रहें;

(ख) अनुसूची सी के अनुसार विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप टर्मिनल भवन के भीतर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था हो;

(ग) उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार बाहरी तापमान के संबंध में टर्मिनल भवन के भीतर सामान्य क्षेत्रों में तापमान आरामदायक स्तर पर बनाए रखा जाए;

(घ) सभी प्रवेश और निकास बिंदु, मार्ग, परिसंचरण क्षेत्र और वाहन यातायात को इस प्रकार प्रबंधित किया जाए कि 95% समय में 5 मिनट से अधिक प्रतीक्षा समय वाली कतार न लगे;

(ड) सभी लिफ्ट, एस्केलेटर, वॉकेलेटर, उड़ान सूचना प्रणाली, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और प्रकाश व्यवस्था कुशलतापूर्वक कार्य करें और उनकी उपलब्धता 98% से कम न हो; तथा

(च) कार्यालय समय और निर्धारित परिचालन समय के दौरान सभी फोन कॉल में से 75% का उत्तर 30 सेकंड के भीतर दिया जाए।

23.4 वाहन पार्किंग का संचालन

23.4.1 रियायतग्राही पार्किंग का संचालन और प्रबंधन इस प्रकार करेगा कि व्यावसायिक परिचालन तिथि से 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने की तिथि से प्रारंभ करते हुए, यह प्रमुख निष्पादन सूचकों के अनुरूप हो।

23.4.2 रियायतग्राही, व्यावसायिक परिचालन तिथि से 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने की तिथि से प्रारंभ करते हुए, हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि:

(क) वाहन पार्क में प्रवेश करने से लेकर खाली स्थान पर पार्किंग तक लिया गया औसत समय, शुल्क के भुगतान के समय सहित, इसके कम से कम 95% उपयोगकर्ताओं के लिए 5 मिनट से अधिक नहीं होगा;

(ख) पार्किंग स्थान से निकास द्वार तक प्रस्थान करने में लिया गया औसत समय, शुल्क के भुगतान के समय सहित, इसके कम से कम 95% (उपयोगकर्ताओं के लिए 5 (पांच) मिनट से अधिक नहीं होगा; तथा

(ग) स्थान एवं उपकरणों का प्रावधान और उनका उपयोग ऐसा हो कि उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप वाहनों का रखरखाव और संचालन सुरक्षित एवं कुशल हो।

23.4.3 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि पार्किंग को स्वच्छ और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के साथ रखा जाए।

23.4.4 रियायतग्राही पार्किंग में सुविधाजनक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में शौचालयों की व्यवस्था करेगा तथा उन्हें स्वच्छ और स्वच्छ स्थिति में रखेगा।

23.5 कार्गो सुविधाओं का संचालन

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि इस समझौते के खंड 19.4 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा विकसित, संचालित और अनुरक्षित कार्गो सुविधाएं:

(क) स्वच्छ और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के साथ रखी जाएं;

(ख) उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सुविधा प्रदान और संचालित करें;

(ग) ऐसी कार्गो सुविधाओं के उपयोगकर्ताओं को उत्तम उद्योग प्रथाओं के समकक्ष कुशल और किफायती सेवाएं प्रदान करें; तथा

(घ) कार्गो सुविधाओं में पर्याप्त संख्या में शौचालय प्रदान करें और उन्हें स्वच्छ और स्वच्छ स्थिति में रखें।

23.6 आईएसओ प्रमाणीकरण

23.6.1 रियायतग्राही चरण 1 की समाप्ति तिथि से 24 महीनों के भीतर, रियायतग्राही द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित विमानपत्तन की सभी सुविधाओं के लिए क्यूएमएस आईएसओ 9001:2008, ईएमएस आईएसओ 14001:2004 और ओएचएसएस आईएसओ 18001:2007 प्रमाणीकरण एवं अन्य लागू प्रमाणीकरण या इसका कोई विकल्प प्राप्त करेगा और उसके बाद पूरी रियायत अवधि के दौरान इसे बनाए रखेगा, तथा इसकी एक प्रमाणित प्रति तुरंत प्राधिकरण को प्रदान करेगा।

23.6.2 खंड 23.6.1 में निर्दिष्ट प्रमाणीकरण प्राप्त करने में व्यतिक्रम की स्थिति में, रियायतग्राही उसके 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को एक कार्य योजना प्रस्तुत करेगा जिसमें रियायतग्राही द्वारा अपनी कमियों को सुधारने और विमानपत्तन की सभी सुविधाओं के लिए ऐसा प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्यों का विवरण होगा।

23.6.3 यदि इस खंड 23.6 के तहत आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त करने में व्यतिक्रम की अवधि लगातार 3 महीने की अवधि से अधिक हो जाती है, तो रियायतग्राही 3 महीने की उपरोक्त अवधि से परे व्यतिक्रम के प्रत्येक 1 (एक) महीने के लिए शुल्क से प्राप्त कुल मासिक राजस्व का 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) के बराबर राशि का हर्जाना प्राधिकरण को देगा।

23.7 लक्ष्य रेटिंग एवं उपयोगकर्ता सर्वेक्षण

23.7.1 रियायतग्राही एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल या इसके किसी भी विकल्प द्वारा प्रत्येक तिमाही में आयोजित एएसक्यू के उपयोगकर्ता सर्वेक्षण में भाग लेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि विमानपत्तन व्यावसायिक परिचालन तिथि से 5 वर्षों के भीतर 5.0 में से कम से कम 4.5 की रेटिंग प्राप्त करे और बनाए रखे और/या दुनिया में अपनी श्रेणी के सभी विमानपत्तनों के शीर्ष 20% में स्थान प्राप्त करे, तथा शेष संपूर्ण रियायत अवधि के दौरान इसे बनाए रखेगा।

23.7.2 रियायतग्राही प्रत्येक कैलेंडर तिमाही की समाप्ति के 21 दिनों के भीतर, ठीक पूर्ववर्ती तिमाही के लिए एएसक्यू के उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के परिणामों पर एक लिखित रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रदान करेगा, साथ ही परिणामों के अपने विश्लेषण और उपयोगकर्ता संतुष्टि में सुधार के लिए प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण भी देगा।

23.7.3 खंड 23.7.1 में निर्दिष्ट उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के अलावा, प्राधिकरण रियायतग्राही द्वारा इस अनुच्छेद 23 के प्रावधानों के अनुपालन को निर्धारित करने के लिए अपने खर्च पर, प्रति कैलेंडर तिमाही में एक बार उपयोगकर्ता संतुष्टि का एक नमूना सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी को नियुक्त कर सकता है। उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण की प्रकृति और सामग्री प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के परामर्श से निर्धारित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परिणाम निष्पक्ष हों और उपयोगकर्ताओं के एक प्रतिनिधि वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हों। यह सहमति व्यक्त की जाती है कि उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण तैयार करने में, प्राधिकरण उत्तम उद्योग प्रथा पर भरोसा करेगा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर वर्तमान में आयोजित एएसक्यू सर्वेक्षणों जैसे समय-समय पर किए जाने वाले समान सर्वेक्षणों के अनुरूप होगा।

23.7.4 यदि उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण से पता चलता है कि सर्वेक्षण किए गए 20% से अधिक उपयोगकर्ता रियायतग्राही के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं और सेवाओं को औसत से नीचे का दर्जा देते हैं, तो प्राधिकरण नियामक ढांचे के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए नियामक को ऐसे उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण के निष्कर्षों की रिपोर्ट देगा। ऐसी स्थिति में, ऐसे उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण की लागत का पुनर्भुगतान रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को किया जाएगा।

23.8 स्थिति रिपोर्ट

रियायत अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 7 दिनों के भीतर, इस अनुच्छेद 23 और अनुसूची H में निर्दिष्ट सभी प्रमुख निष्पादन सूचकों के अनुपालन का उल्लेख करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, साथ ही विफलताओं के कारणों का विश्लेषण (यदि कोई हो), और उनसे निपटने एवं विमानपत्तन के परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने की रणनीतियों का विवरण प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट में खंड 23.9 के अनुसार गणना किए गए हर्जाने का परिमाणीकरण शामिल होगा।

23.9 प्रदर्शन में कमी के लिए हर्जाना

रियायतग्राही इस अनुच्छेद 23 में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रमुख निष्पादन सूचक के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा और एक तिमाही के दौरान औसत प्रदर्शन में किसी भी कमी के लिए वह हर्जाने का दायी होगा। ऐसे किसी भी हर्जाने का निर्धारण नियामक के परामर्श से किया जाएगा और निर्दिष्ट अवधि के लिए वैमानिक प्रभागों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

23.10 उपयोगकर्ता चार्टर

रियायतग्राही अनुसूची जे में निर्दिष्ट रूप में उपयोगकर्ताओं के अधिकारों और अपेक्षाओं को स्पष्ट करने वाला एक चार्टर ("उपयोगकर्ता चार्टर") प्रकाशित और कार्यान्वित करेगा। रियायतग्राही उपयोगकर्ता चार्टर और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार हर समय उपयोगकर्ताओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होगा।

23.11 प्रमुख निष्पादन सूचकों से छूट

यदि किसी प्रमुख निष्पादन सूचक के अनुपालन में व्यतिक्रम इस समझौते के तहत प्राधिकरण द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण है, तो रियायतग्राही को ऐसे व्यतिक्रम के लिए छूट दी जाएगी।

प्रौद्योगिकी, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं आदि में परिवर्तनों के साथ, रियायतग्राही और प्राधिकरण अनुसूची एच में निर्दिष्ट निष्पादन सूचकों और मानकों में बदलाव का प्रस्ताव कर सकते हैं ताकि विमानपत्तन के प्रदर्शन से संबंधित नए निष्पादन सूचकों की पहचान की जा सके और उपयुक्त निष्पादन उपाय निर्धारित किए जा सकें; मौजूदा सूचकों के लिए निष्पादन मानकों को संशोधित किया जा सके, या नवीनतम प्रगति के अनुरूप सूचकों के लिए मापन तंत्र को अद्यतन किया जा सके।

किसी भी पक्ष द्वारा ऐसे बदलावों का प्रस्ताव करने पर, प्राधिकरण ऐसे प्रस्ताव पर नियामक और उपयोगकर्ताओं के साथ परामर्श करेगा। परामर्श के 60 दिनों के भीतर दोनों पक्ष प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियों

के साथ-साथ नियामक और उपयोगकर्ताओं के साथ परामर्श से प्राप्त सुझावों पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे।

ऐसी बैठक के 30 दिनों के भीतर, प्राधिकरण नियामक और/या उपयोगकर्ताओं से प्राप्त परामर्श सुझावों के साथ-साथ दोनों पक्षों की टिप्पणियों को शामिल करने के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तावित करेगा। प्राधिकरण तदनुसार रियायतग्राही को अनुसूची एच में प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में सूचित करेगा। ऐसे परिवर्तनों को समझौते के हिस्से के रूप में शामिल माना जाएगा और प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को अधिसूचना की तिथि के कम से कम 60 दिनों के बाद शुरू होने वाली कैलेंडर तिमाही की शुरुआत से लागू होंगे।

इस खंड 23.11 के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले मामलों में पक्षों के बीच किसी भी मतभेद या असहमति की स्थिति में, विवाद निवारण प्रक्रिया लागू होगी।

23.12 वि नियामक द्वारा निष्पादन मानकों की समीक्षा

इस अनुच्छेद 23 में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, नियामक समय-समय पर प्रमुख निष्पादन सूचकों की पूर्ति के संबंध में रियायतग्राही के प्रदर्शन की समीक्षा कर सकता है और नियामक ढांचे के तहत अपनी शक्तियों और कार्यों के प्रयोग में ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

23.13 सिटी साइड विकास

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अनुच्छेद 23 की कोई भी बात सिटी साइड विकास पर लागू नहीं होगी।

अनुच्छेद 24. स्वतंत्र अभियंता

24.1 स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति

24.1.1 प्राधिकरण और रियायतग्राही अनुसूची के में निर्धारित चयन मानदंडों के मुख्य रूप से अनुसार एक परामर्शदाता इंजीनियरिंग फर्म को इस समझौते के तहत स्वतंत्र परामर्शदाता ("स्वतंत्र अभियंता") के रूप में नियुक्त करेंगे। स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति अनुसूची के, के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

24.1.2 स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति इस समझौते के निष्पादन की तिथि के 90 दिनों के भीतर की जाएगी, और ऐसी नियुक्ति 3 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगी। उक्त नियुक्ति की समाप्ति या निरसन पर, प्राधिकरण अनुसूची के, के प्रावधानों के अनुसार 3 वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक स्वतंत्र अभियंता नियुक्त करेगा, और प्रत्येक नियुक्ति की समाप्ति के बाद यह प्रक्रिया दोहराई जाएगी।

24.2 कर्तव्य और कार्य

24.2.1 स्वतंत्र अभियंता अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन मुख्य रूप से अनुसूची एल में निर्धारित संदर्भ शर्तों के अनुसार करेगा।

24.2.2 स्वतंत्र अभियंता अनुसूची एल में निर्धारित अपने कर्तव्यों और कार्यों के संबंध में प्राधिकरण को नियमित आवधिक रिपोर्ट (कम से कम महीने में एक बार) जमा करेगा।

24.2.3 प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र अभियंता को और स्वतंत्र अभियंता द्वारा प्राधिकरण को भेजे गए सभी संचारों की एक सत्य प्रतिलिपि स्वतंत्र अभियंता द्वारा रियायतग्राही को तुरंत भेजी जाएगी।

24.2.4 स्वतंत्र अभियंता द्वारा रियायतग्राही को भेजे जाने के लिए अपेक्षित सभी संचार प्राधिकरण के माध्यम से किए जाएंगे।

24.3 पारिश्रमिक

24.3.1 स्वतंत्र अभियंता के पारिश्रमिक, लागत और व्यय का भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, और ऐसे सभी पारिश्रमिक, लागत और व्यय का पुनर्भुगतान रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण से व्यय विवरण प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को किया जाएगा। स्वतंत्र अभियंता को भुगतान की गई किसी भी राशि को नियामक द्वारा वैमानिक प्रभारों के निर्धारण के लिए पास-थ्रू प्रत्यक्ष अंतरण) माना जाएगा।

24.4 नियुक्ति का निरसन/समाप्ति

24.4.1 प्राधिकरण अपने विवेकानुसार, किसी भी समय स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति को समाप्त कर सकता है, लेकिन केवल खंड 24.1 के अनुसार किसी अन्य स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति के बाद ही।

24.4.2 यदि रियायतग्राही के पास यह विश्वास करने का कारण है कि स्वतंत्र अभियंता निष्पक्ष, कुशल और लगनशील तरीके से अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो वह प्राधिकरण को एक लिखित अभ्यावेदन दे सकता है और स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति को समाप्त करने की मांग कर सकता है। ऐसा

अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकरण विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए रियायतग्राही और स्वतंत्र अभियंता के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक करेगा, और यदि प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच कोई मतभेद या असहमति अनसुलझी रहती है, तो विवाद का निपटारा विवाद निवारण प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति समाप्त होने की स्थिति में, प्राधिकरण खंड 24.1 के अनुसार तुरंत दूसरा स्वतंत्र अभियंता नियुक्त करेगा।

24.5 विवाद निवारण

यदि कोई भी पक्ष स्वतंत्र अभियंता की किसी सलाह, निर्देश, निर्णय या आदेश, अथवा जैसी भी स्थिति हो, क्षेत्राधिकार के दावे या क्षेत्राधिकार का दावा करने में विफलता पर विवाद करता है, तो विवाद को विवाद निवारण प्रक्रिया के अनुसार हल किया जाएगा।

24.6 अंतरिम व्यवस्था

ऐसी स्थिति में जब प्राधिकरण ने स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति नहीं की है, या इस प्रकार नियुक्त स्वतंत्र अभियंता ने अपने कार्यों को त्याग दिया है या उनके निर्वहन में व्यतिक्रम किया है, तो प्राधिकरण अंतरिम रूप से, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र अभियंता के कार्यों का निर्वहन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नामित और अधिकृत कर सकता है, सिवाय इसके कि ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र अभियंता के लिए और उसके संबंध में इस समझौते में यथा-निर्दिष्ट अनुमोदन से संबंधित किसी भी कार्य का प्रयोग नहीं करेगा, और ऐसे कार्यों का निर्वहन इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार तब किया जाएगा जब एक स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति हो जाएगी। हालांकि, शर्त यह है कि इस खंड 24.6 में निहित कुछ भी इस समझौते के प्रावधानों का अनुपालन लागू करने के प्राधिकरण के अधिकारों को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 25: सिटी साइड विकास

25.1 सिटी साइड का विकास

25.1.1 रियायतग्राही अनुसूची ए में निर्दिष्ट भूमि पर, अनुसूची बी और अनुसूची सी में निर्धारित शर्तों के अधीन, सिटी साइड विकास करने और करार (ओं) के माध्यम से इसके किसी या सभी भागों को उप-पट्टे पर देने के अधिकार के साथ वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए ऐसे विकास का दोहन करने का हकदार होगा, जिसे समझौते के मूल्य की परवाह किए बिना और इसमें निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद एक परियोजना करार माना जाएगा।

25.1.2 रियायतग्राही अपने खर्च पर और इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू परमिटों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार सिटी साइड विकास के हिस्से के रूप में सड़कों, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी प्रणालियों जैसे बुनियादी ढांचे का विकास और रखरखाव करेगा या करवाएगा।

25.2 सिटी साइड विकास का परिचालन और रखरखाव

रियायतग्राही सिटी साइड विकास के संचालन, प्रबंधन और विकास में इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू परमिटों और उत्तम उद्योग प्रथाओं का पालन करेगा और इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के प्रावधानों के अधीन इसका वाणिज्यिक उपयोग करेगा।

25.3 लागत, कर और राजस्व

25.3.1 व्यावसायिक परिचालन तिथि से, संपत्ति पर करों सहित सिटी साइड विकास से संबंधित सभी लागत, व्यय, कर, शुल्क और प्रभार रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे या प्राधिकरण को पुनर्भुगतित किए जाएंगे, जैसा भी मामला हो। रियायतग्राही द्वारा किए गए किसी भी विकास के कारण प्राधिकरण द्वारा देय संपत्ति पर किसी भी कर का भुगतान प्राधिकरण द्वारा लागू कानूनों के अनुसार किया जाएगा और आवश्यक विवरणों के साथ प्राधिकरण से नोटिस प्राप्त होने के 60 दिनों की अवधि के भीतर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को पुनर्भुगतित किया जाएगा।

25.3.2 सिटी साइड विकास से प्राप्त होने वाले सभी राजस्व रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के प्रावधानों और लागू कानूनों के अनुसार विनियोजित किए जाएंगे।

25.4 सिटी साइड विकास और भूमि उपयोग पर प्रतिबंध

25.4.1 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि सिटी साइड विकास और उसका भूमि उपयोग हर समय लागू कानूनों के अनुरूप हो और निम्नलिखित के निर्माण को बाहर रखे:

(क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत प्रदूषणकारी उद्योग;

(ख) आवासीय इकाइयाँ, समूह आवास समितियाँ, या आवासीय विकास का कोई भी रूप; तथा

(ग) विमानन/हवाई परिचालनों को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि।

25.4.2 रियायतग्राही इस खंड 25.4.1 के तहत निर्दिष्ट गतिविधियों को छोड़कर किसी भी प्रकार का विकास कर सकता है।

25.4.3 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वह खंड 25.6 के प्रावधानों के अनुसार छोड़कर सिटी साइड विकास के किसी भी भाग पर उप-पट्टा, समनुदेशन या किसी भी प्रकार का प्रभार/विबंध नहीं बनाएगा।

25.5 फ़्लोर स्पेस इंडेक्स पर प्रतिबंध

मास्टर प्लान के प्रावधानों के अधीन, सिटी साइड विकास का फ़्लोर स्पेस इंडेक्स लागू कानूनों के तहत स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। सिटी साइड विकास पर बनाए जाने वाले किसी भी ढांचे की ऊंचाई आमतौर पर हवाई अड्डे से सटे विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्राधिकरण या भारत सरकार की नामित एजेंसी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी। एफएसआई की गणना मास्टर प्लान में सिटी साइड विकास के रूप में चिह्नित कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में की जाएगी, लेकिन सड़कों, पार्कों और अन्य सामान्य सुविधाओं एवं उपयोगिताओं के लिए आरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर।

25.6 सिटी साइड विकास का उप-पट्टा देना

25.6.1 खंड 5.2 और इस अनुच्छेद 25 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही सिटी साइड विकास की परियोजना परिसंपत्तियों को उप-पट्टे पर दे सकता है, ताकि ऐसे उप-पट्टे की अवधि और वैधता खंड 25.7 में निर्दिष्ट अवधि से आगे न बढ़े।

25.6.2 इस समझौते में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, रियायतग्राही सिटी साइड विकास का हिस्सा बनने वाली किसी भी परियोजना परिसंपत्ति पर उप-पट्टा, समनुदेशन या किसी भी प्रकार का प्रभार/विबंध बना सकता है।

25.6.3 रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि सिटी साइड विकास के किसी भी हिस्से पर उप-पट्टे, समनुदेशन या अन्य प्रभार के संबंध में, वह मासिक शुल्क, प्रभार, किराया या राजस्व अंश, जैसा भी मामला हो, प्राप्त करने का हकदार है और सुरक्षा, जमा, ऋण, अग्रिम या किसी भी अन्य मद के रूप में ऐसी कोई अन्य राशि स्वीकार नहीं करेगा जो ऐसे उप-पट्टे, समनुदेशन या अन्य प्रभार के संबंध में शुल्क, प्रभार, किराया या राजस्व अंश के रूप में अगले 3 (तीन) वर्षों के लिए रियायतग्राही को देय भुगतान से अधिक हो। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत है कि किसी भी उप-पट्टे, समनुदेशन या अन्य प्रभार के लिए उसे देय प्रतिफल रियायत अवधि के दौरान समान रूप से अर्जित होगा और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार देय होगा, बशर्ते कि इस अनुच्छेद 25 में कुछ भी रियायतग्राही को रियायत अवधि के दौरान अनुदान प्राप्तकर्ता के राजस्व या लाभ में उतार-चढ़ाव के अनुपात में प्रतिफल के पूरे या किसी भी हिस्से को समायोजित करने से या ऐसे प्रतिफल में वार्षिक वृद्धि निर्दिष्ट करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा।

25.6.4 इस खंड 25.6 के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले मामलों में पक्षों के बीच किसी भी मतभेद या असहमति की स्थिति में, विवाद निवारण प्रक्रिया लागू होगी।

25.7 निलंबन पर प्रतिपक्ष के अधिकार

25.7.1 पक्ष स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि रियायतग्राही अपने विवेकानुसार, सिटी साइड विकास से संबंधित, उससे उत्पन्न या आनुषंगिक मामलों के संबंध में किसी भी व्यक्ति के साथ समझौते, अनुबंध, उप-पट्टा, उप-लाइसेंस और कोई भी अन्य महत्वपूर्ण समझौते या अनुबंध (चाहे अनुबंध का प्रतिफल रु 25,00,00,000/- वार्षिक से कम हो) खंड 3.1.1 के तहत अनुमेय अधिकतम अवधि तक कर सकता है।

25.7.2 पक्ष आगे सहमत होते हैं कि ऐसी अधिकतम अनुमेय अवधि की समाप्ति से पहले निरसन की स्थिति में, खंड 25.7.1 में संदर्भित अनुबंधों की अवधि जारी रहेगी मानो अनुबंध प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए थे, और प्राधिकरण प्रत्येक अनुबंध की शेष अवधि के लिए ऐसे अनुबंध में कदम रखकर अनुबंध का अनुदानकर्ता माना जाएगा। उदाहरण के रूप में, यदि रियायत अवधि 50 वर्ष है और रियायत करार उस अवधि से पहले समाप्त हो जाता है, तो ऐसा अनुबंध ऐसे अनुबंध में निर्दिष्ट अवधि या व्यावसायिक परिचालन तिथि की 50वीं वर्षगांठ में से जो भी पहले हो, तक विस्तारित होगा।

25.8 लागू कानूनों का अनुपालन

रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि वह सिटी साइड विकास के संबंध में, इमारतों, संरचनाओं, सड़क कार्यों, खुले स्थानों, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, सीवरेज और अन्य समान मामलों से संबंधित लागू कानूनों और उनके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों या उप-नियमों का हर समय अनुपालन करेगा।

25.9 वाणिज्यिक विज्ञापन या प्रदर्शन

रियायतग्राही लागू कानूनों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप सिटी साइड विकास पर वाणिज्यिक विज्ञापन या प्रदर्शन कर सकता है या करवा सकता है।

भाग IV

वित्तीय प्रसंविदाएं

अनुच्छेद 26. वित्तीय समापन

26.1 वित्तीय समापन

26.1.1 रियायतग्राही इसके द्वारा यह सहमति व्यक्त करता है और वचन देता है कि वह इस समझौते के निष्पादन की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर वित्तीय समापन प्राप्त कर लेगा। विलंब की स्थिति में, वह अधिकतम 90 (नब्बे) दिनों की अतिरिक्त अवधि का हकदार होगा, बशर्ते कि ऐसी अवधि विस्तार की मांग के कारणों का विवरण देते हुए कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया जाए और प्रत्येक विलंब के दिन के लिए कार्य-निष्पादन प्रतिभूति के 0.05% (शून्य दशमलव शून्य पांच प्रतिशत) की दर से परिकलित हर्जाने का भुगतान प्राधिकरण को किया जाए; बशर्ते कि यहां निर्दिष्ट हर्जाना प्रति सप्ताह अग्रिम रूप से देय होगा और उक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक की अवधि केवल उसी सीमा तक प्रदान की जाएगी जिसके लिए हर्जाने का भुगतान किया गया है। बशर्ते यह भी कि यदि वित्तीय क्लोज में ऐसा विलंब खंड 4.1.2 में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने में प्राधिकरण द्वारा किसी डिफॉल्ट या विलंब के परिणामस्वरूप हुआ है या अपरिहार्य घटना के कारण हुआ है, तो कोई हर्जाना देय नहीं होगा। रियायतग्राही द्वारा यहां देय हर्जाना, खंड 4.2 के प्रावधानों के तहत देय हर्जाने (यदि कोई हो) के अतिरिक्त होगा।

26.1.2 रियायतग्राही, वित्तीय क्लोज होने पर, प्राधिकरण को तत्काल सूचित करेगा और प्राधिकरण को उसके तहत निष्पादित वित्तीय समझौतों की 3 (तीन) सच्ची प्रतियां प्रदान करेगा, जो रियायतग्राही के एक निदेशक द्वारा विधिवत सत्यापित होंगी।

26.2 वित्तीय समापन प्राप्त करने में विफलता के कारण समापन

26.2.1 इस समझौते में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, लेकिन खंड 32.6.1 के अधीन, यदि किसी भी कारण से खंड 26.1.1 में निर्धारित अवधि या उसके तहत प्रदान की गई विस्तारित अवधि के भीतर वित्तीय क्लोज नहीं होता है, या जब तक कि पक्षों के बीच अन्यथा सहमति न हो, इस समझौते के तहत या इससे उत्पन्न होने वाले रियायतग्राही के सभी अधिकार, विशेषाधिकार, दावे और पात्रताएं रियायतग्राही की सहमति से छोड़ी गई और समाप्त मानी जाएंगी और यह समझौता पक्षों की आपसी सहमति से समाप्त माना जाएगा। बशर्ते, हालांकि, यदि पक्षों ने आपसी सहमति से वित्तीय क्लोज से पहले सीओडी निर्धारित किया है, तो इस खंड 26.2.1 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

26.2.2 खंड 26.2.1 के तहत समापन पर, प्राधिकरण उपलब्ध बोली प्रतिभूति या कार्य-निष्पादन प्रतिभूति को भुनाने और उसकी प्राप्तियों को हर्जाने के रूप में विनियोजित करने का हकदार होगा; बशर्ते, हालांकि, यदि वित्तीय समापन अपरिहार्य घटना के कारण या खंड 4.2 के तहत प्राधिकरण द्वारा अपने किसी दायित्व के उल्लंघन के परिणामस्वरूप नहीं हुआ है, तो वह समापन पर, स्थिति के अनुसार, बोली प्रतिभूति या कार्य-निष्पादन प्रतिभूति को खंड 4.2 के तहत देय हर्जाने के साथ तत्काल जारी कर देगा। यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की गई है कि यदि बोली प्रतिभूति को कार्य-निष्पादन प्रतिभूति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, तो प्राधिकरण उसमें से बोली प्रतिभूति के बराबर राशि भुनाने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 27. रियायत शुल्क

27.1 मासिक रियायत शुल्क

27.1.1 खंड 27.3 के अधीन, रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान प्राधिकरण को निम्नानुसार परिकलित मासिक रियायत शुल्क (मासिक रियायत शुल्क) देने के लिए सहमत है:

मासिक रियायत शुल्क = (अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क × उस महीने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात) + (घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क × उस महीने के लिए घरेलू यात्री यातायात)

जहाँ:

“घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क” का अर्थ है 160 रुपये (रुपये एक सौ साठ), जिसे खंड 27.3 के अनुसार संशोधित किया जा सकता है;

“अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क” का अर्थ है घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क का 2 (दो) गुना;

“घरेलू यात्री यातायात” का अर्थ कुल किसी भी महीने के लिए घरेलू यात्री यातायात (बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग यात्री) होगा जो प्राधिकरण द्वारा आगामी महीने के 7वें (सातवें) दिन तक उस रूप और तरीके से प्रदान किया जाएगा जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए;

“अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात” का अर्थ कुल किसी भी महीने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात (बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग यात्री) होगा जो प्राधिकरण द्वारा आगामी महीने के 7वें (सातवें) दिन तक उस रूप और तरीके से प्रदान किया जाएगा जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए;

बशर्ते यह भी कि, रियायत अवधि के पहले और अंतिम महीनों में, अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात और घरेलू यात्री यातायात को सीओडी या हस्तांतरण तिथि के संबंध में गणना किए गए महीनों के दिनों की संख्या के अनुसार यथानुपात किया जाएगा।

27.1.2 इस समझौते की शर्तों के तहत और उनके अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान किया गया/देय मासिक रियायत शुल्क विमानन सेवाओं के प्रावधान की लागत के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा और इसके संबंध में कोई पास-थ्रू उपलब्ध नहीं होगा।

27.2 यात्री यातायात का सत्यापन

प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात और/या घरेलू यात्री यातायात को सत्यापित करने और/या हवाई अड्डे पर वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात और घरेलू यात्री यातायात का पता लगाने के लिए, हवाई अड्डे और रियायतग्राही के कार्यालयों में अपने प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त कर सकता है, और ऐसे अन्य उपाय और कार्रवाइयां कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे। प्राधिकरण इन उद्देश्यों के लिए रियायतग्राही से कोई भी और सभी डेटा, जानकारी, लॉग, शीट, दस्तावेज़ या विवरण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, जैसा कि प्राधिकरण उचित और आवश्यक समझे।

27.3 प्रति यात्री शुल्क का संशोधन

27.3.1 इसके पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क सीओडी से लागू होंगे और सीपीआई (आईडब्ल्यू) में भिन्नता को ध्यान में रखने के लिए सीओडी की प्रत्येक वर्षगांठ पर सालाना संशोधित किए जाएंगे।

(क) पहले 15 (पंद्रह) रियायत वर्षों में घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संशोधित किया जाएगा:

घरेलू यात्रियों (सीवाई) के लिए प्रति यात्री शुल्क = घरेलू यात्रियों (सीवाई-1) के लिए प्रति यात्री शुल्क $\times$ (1 + उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) [सीपीआई (आईडब्ल्यू)] में परिवर्तन का 85%)

(ख) शेष रियायत वर्षों में घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संशोधित किया जाएगा:

घरेलू यात्रियों (सीवाई) के लिए प्रति यात्री शुल्क = घरेलू यात्रियों (सीवाई-1) के लिए प्रति यात्री शुल्क $\times$ (1 + उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) [सीपीआई (आईडब्ल्यू)] में परिवर्तन का 50%)

जहाँ:

“प्रति यात्री शुल्क (सीवाई)” का अर्थ नए रियायत वर्ष में रियायतग्राही द्वारा भुगतान किया जाने वाला संशोधित घरेलू प्रति यात्री शुल्क है;

“प्रति यात्री शुल्क (सीवाई -1)” का अर्थ पिछले रियायत वर्ष में रियायतग्राही द्वारा भुगतान किया जा रहा प्रति यात्री शुल्क है;

“डेल्टा सीपीआई (आईडब्ल्यू)” की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

[गणना की तिथि के अनुसार नवीनतम उपलब्ध मासिक सीपीआई (आईडब्ल्यू) - ऐसे नवीनतम उपलब्ध मासिक सीपीआई (आईडब्ल्यू) से 12 महीने पहले का सीपीआई (आईडब्ल्यू)] / [ऐसे नवीनतम उपलब्ध मासिक सीपीआई (आईडब्ल्यू) से 12 महीने पहले का सीपीआई (आईडब्ल्यू)]

बशर्ते कि, यदि पहले रियायत वर्ष के पूरा होने के बाद किसी भी रियायत वर्ष में डेल्टा सीपीआई (डेल्टा सीपीआई) नकारात्मक है, तो उस वर्ष के लिए डेल्टा सीपीआई को 0 (शून्य) माना जाएगा।

27.3.2 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क को खंड 27.1.1 में निर्धारित तरीके से संशोधित किया जाएगा।

27.4 मासिक रियायत शुल्क का भुगतान

27.4.1 खंड 27.2 के अनुसरण में, प्राधिकरण रियायतग्राही को मासिक रियायत शुल्क के भुगतान के लिए एक बीजक प्रस्तुत करेगा, जिस बीजक में जीएसटी की राशि भी शामिल होगी जो लागू कानून के तहत मासिक रियायत शुल्क के भुगतान पर लेवी योग्य है, जो आगामी महीने के 15वें (पंद्रहवें) दिन से बाद की नहीं होगी।

27.4.2 रियायतग्राही लागू कानूनों के तहत प्राधिकरण को मासिक रियायत शुल्क के भुगतान पर लेवी योग्य किसी भी जीएसटी का वहन करेगा और प्राधिकरण को खंड 27.4.1 के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा उठाए गए बीजक में निर्दिष्ट जीएसटी की राशि का भुगतान करेगा।

27.4.3 रियायतग्राही प्राधिकरण को मासिक रियायत शुल्क का भुगतान करते समय लागू कानूनों के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करने का हकदार होगा।

27.4.4 आगे, खंड 35.11 के अधीन और उसके अनुसार, इस खंड 27.4 के अनुसार मासिक रियायत शुल्क के भुगतान में किसी भी विलंब की स्थिति में, रियायतग्राही प्राधिकरण को विलंब के प्रत्येक दिन के लिए कार्य-निष्पादन प्रतिभूति के 0.05% (शून्य दशमलव शून्य पांच प्रतिशत) की दर से परिकलित राशि का भुगतान करेगा।

27.5 मासिक रियायत शुल्क का वार्षिक मिलान

27.5.1 किसी भी रियायत वर्ष के लिए रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय संचयी मासिक रियायत शुल्क निम्नानुसार होगा:

$\sum (i=1 \text{ से } 12)$ किसी भी रियायत वर्ष में महीने i के लिए भुगतान किया गया मासिक रियायत शुल्क

27.5.2 किसी भी रियायत वर्ष के लिए रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए गए संचयी मासिक रियायत शुल्क की तुलना उस रियायत वर्ष के लिए देय वार्षिक रियायत शुल्क से की जाएगी। इस खंड के उद्देश्य के लिए, "वार्षिक रियायत शुल्क" की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी: वार्षिक रियायत शुल्क = (रियायत वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क × रियायत वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात) + (रियायत वर्ष के लिए घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क × रियायत वर्ष के लिए घरेलू यात्री यातायात) रियायत वर्ष के लिए रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए गए संचयी मासिक रियायत शुल्क और उस रियायत वर्ष के वार्षिक रियायत शुल्क में किसी भी अंतर के प्रति समायोजन संतुलन भुगतान के हिस्से के रूप में किया जाएगा जो मिलान के पूरा होने के तुरंत बाद खंड 31.4 के अनुसार देय और भुगतान योग्य हो जाता है।

27.6 यात्री यातायात में गिरावट के कारण समापन

27.6.1 उपरोक्त के होते हुए भी, यदि यात्री यातायात परिवर्तन लगातार 2 (दो) रियायत वर्षों की अवधि के लिए 20% (बीस प्रतिशत) या अधिक नकारात्मक रहता है, तो इस समझौते को रियायतग्राही द्वारा ऐसे दूसरे रियायत वर्ष की समाप्ति के 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर, 30 (तीस) दिनों का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

जहाँ:

“कुल यात्री यातायात” का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात और घरेलू यात्री यातायात का कुल योग है; “यात्री यातायात परिवर्तन”, जिसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, की गणना निम्नानुसार की जाती है: $[(\text{वर्तमान रियायत वर्ष के लिए कुल यात्री यातायात} - \text{पिछले रियायत वर्ष के लिए कुल यात्री यातायात}) / \text{पिछले रियायत वर्ष के लिए कुल यात्री यातायात}] \times 100$

27.6.2 ऐसे समापन पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समापन भुगतान के 70% (सत्तर प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

27.6.3 इसके द्वारा यह सहमति और स्वीकार किया गया है कि प्राधिकरण या उसके संबद्ध निकाय सीओडी से 10 (दस) वर्षों की समाप्ति से पहले हवाई अड्डे के 50 किलोमीटर के दायरे में एक नया हवाई अड्डा चालू नहीं करेंगे।

अनुच्छेद 28. शुल्क

28.1 रियायतग्राही द्वारा शुल्क का संग्रह

28.1.1 सीओडी से लेकर हस्तांतरण तिथि तक, रियायतग्राही के पास विमानन नियामक ढांचे और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार, जिसमें अनुसूची आर (समझौता जापन) में निर्धारित शर्तें शामिल हैं, विमानन सेवाओं और गैर-विमानन सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोगकर्ताओं से, जिसमें एयरलाइंस और यात्री शामिल हैं, शुल्क की मांग करने, संग्रह करने और विनियोजित करने का एकमात्र और विशिष्ट अधिकार है; बशर्ते कि रियायतग्राही लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार उपयोगकर्ताओं या उपयोगकर्ताओं की किसी भी श्रेणी के साथ सहमति के अनुसार कम दरों पर शुल्क निर्धारित और एकत्र कर सकता है।

28.1.2 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत है कि शुल्क के भुगतान पर, कोई भी उपयोगकर्ता हवाई अड्डे पर संबंधित निर्दिष्ट सुविधा का उपयोग करने का हकदार होगा, और रियायतग्राही लागू कानूनों, लागू परमिटों या इस समझौते के प्रावधानों में निर्दिष्ट सीमा को छोड़कर, ऐसे उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा या प्रतिबंध का कारण नहीं बनेगा।

28.1.3 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत है कि कोई भी उपयोगकर्ता, जो शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है, लागू कानूनों, लागू परमिटों या इस समझौते के प्रावधानों में निर्दिष्ट सीमा को छोड़कर, बिना किसी प्रतिबंध के हवाई अड्डे का उपयोग करने का हकदार होगा। इसके अलावा, रियायतग्राही लागू कानूनों, लागू परमिटों और इस समझौते के प्रावधानों के अधीन, हवाई अड्डे में मुफ्त प्रवेश के लिए अपने स्वयं के कर्मचारियों और ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों, एजेंटों और अन्य व्यक्तियों के कर्मचारियों को पास जारी कर सकता है।

28.1.4 पक्षकार सहमत हैं कि लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण या एक नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा हवाई अड्डा सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के शुल्क रियायतग्राही द्वारा यात्रियों से वसूल किए जाएंगे और प्राधिकरण या नामित भारत सरकार की एजेंसी को भुगतान किए जाएंगे।

28.2 आरक्षित शुल्कों का संग्रह

28.2.1 नामित भारत सरकार की एजेंसी उनके द्वारा प्रदान की गई या दी गई सुविधाओं और सेवाओं के लिए शुल्क लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने की हकदार होगी, जिसमें एयरलाइंस से मार्ग दिक्कालन सुविधा शुल्क और टर्मिनल दिक्कालन लैंडिंग शुल्क शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। किसी भी एयरलाइन द्वारा ऐसे शुल्कों का भुगतान करने में विफलता की स्थिति में, नामित भारत सरकार की एजेंसी उस एयरलाइन को ऐसी सेवा का प्रावधान निलंबित करने और एयरलाइन से शुल्क वसूली के लिए उचित कदम उठाने की हकदार होगी।

28.2.2 रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत है कि वह खंड 28.2.1 के प्रावधानों के अनुपालन को लागू करने के लिए नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा दिए जाने वाले ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा, जिसमें किसी भी अनुसूचित या गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन ऑपरेटर को ऐसी सेवा के प्रावधान के निलंबन के संबंध में निर्देश शामिल हैं।

28.3 विमानन शुल्कों के निर्धारण और संशोधन के सिद्धांत

28.3.1 इसके पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि कोई भी और सभी विमानन शुल्क जो रियायतग्राही किसी उपयोगकर्ता से लगा सकता है, एकत्र कर सकता है और विनियोजित कर सकता है, नियामक द्वारा, नियामक के एक आदेश के माध्यम से, नियामक ढांचे और इस समझौते के अनुसार निर्धारित और संशोधित किए जाएंगे, जिसमें लागू कानूनों के अनुसार पक्षों द्वारा दायर किए जाने वाले आवेदन/याचिका के अनुसरण में अनुसूची आर (समझौता जापन) में निर्धारित शर्तें शामिल हैं।

28.3.2 भारत सरकार ने 15 जून, 2016 की राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति के माध्यम से भारत के सभी हवाई अड्डों के लिए विमानन शुल्कों के निर्धारण और विनियमन के लिए 30% (तीस प्रतिशत) साझा-राजस्व ढांचे को मंजूरी दी है, और नियामक द्वारा इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार शुल्क/विमानन शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए तदनुसार विचार किया जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस समझौते के उद्देश्यों के लिए, साझा-राजस्व मंजूरी इस समझौते की तिथि से लागू होगी, भले ही ऐसी साझा-राजस्व मंजूरी में कोई भी बाद का संशोधन या सुधार क्यों न हो।

28.3.3 विमानन शुल्कों को इस समझौते की साझा-राजस्व मंजूरी शर्तों, जिसमें अनुसूची आर (समझौता जापन) में निर्धारित शर्तें शामिल हैं, और लागू कानूनों के अनुसार विनियमित और निर्धारित/पुनः निर्धारित किया जाएगा।

28.3.4 रियायतग्राही द्वारा किसी भी नामित सरकारी एजेंसी को सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर, हवाई अड्डे के भीतर सीमा शुल्क, आब्रजन, पादप संगरोध, पशु संगरोध, सेवाओं, मौसम संबंधी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए किए गए किसी भी भुगतान को विमानन शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्य से पास-थ्रू माना जाएगा।

28.3.5 अन्यत्र किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, रियायतग्राही खंड 15.1.1 के अनुसार सीओडी से हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं से नियामक द्वारा अनुमोदित टैरिफ की दरों पर विमानन शुल्क लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने का हकदार होगा। बशर्ते कि, यदि सीओडी के समय हवाई अड्डे के लिए नियामक द्वारा टैरिफ की दरें निर्धारित नहीं की गई हैं, तो रियायतग्राही सीओडी के समय प्राधिकरण द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ की दरों पर विमानन शुल्क लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने का हकदार होगा, जब तक कि नियामक टैरिफ की दरें निर्धारित नहीं कर देता।

28.3.6 विमानन शुल्कों के निर्धारण, लेवी, वसूली (कम या अधिक वसूली सहित) या विनियोजन से संबंधित किसी भी पहलू के संबंध में रियायतग्राही का प्राधिकरण के खिलाफ कोई सहारा नहीं होगा।

28.3.7 इस समझौते में अन्यत्र किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, यह स्पष्ट रूप से नोट और सहमति व्यक्त की गई है कि सिटी साइड डेवलपमेंट के संबंध में किसी भी उप-पट्टे, समनुदेशन या अन्य बाधाओं के संबंध में मासिक शुल्क, प्रभार, किराए या राजस्व शेयरों के रूप में रियायतग्राही प्राप्त करने का हकदार है, उसे उपरोक्त खंड 28.3.2 के अनुसार विमानन शुल्कों को निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए गैर-विमानन सेवाओं से राजस्व माना जाएगा।

28.3.8 यह स्पष्ट किया जाता है कि कानूनी सेवाओं के संबंध में रियायतग्राही द्वारा की गई लागतों पर नियामक द्वारा विमानन शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्य से विचार नहीं किया जाएगा।

28.4 विमानन शुल्कों के संशोधन पर प्रतिबंध

28.4.1 रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत है कि वह नियामक ढांचे और इस समझौते के अनुसार छोड़कर, प्राधिकरण, नियामक या किसी भी सरकारी निकाय से किसी भी रूप या तरीके से विमानन शुल्कों के किसी भी संशोधन या किसी अन्य राहत का हकदार नहीं है। इसके अनुसरण में, रियायतग्राही स्वीकार करता है, सहमत है और वचन देता है कि वह नियामक या अन्यथा से विमानन शुल्कों के किसी भी संशोधन की मांग नहीं करेगा, और यदि लागू कानूनों और/या इस समझौते के किसी प्रावधान के अनुसार ऐसा कोई संशोधन मांगा जाता है, तो यह हर समय उसमें निर्दिष्ट सीमा तक ही सीमित रहेगा।

28.4.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि रियायतग्राही भारतीय विमानन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 22 और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत उपयोगकर्ताओं पर कोई विकास शुल्क लगाने या लगाने का अधिकार मांगने का हकदार नहीं होगा, जिसमें भारतीय विमानन प्राधिकरण (प्रमुख हवाई अड्डे) विकास शुल्क नियम, 2011 शामिल हैं।

28.4.3 पक्षकार सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि रियायतग्राही स्पष्ट रूप से विमानन शुल्कों में पास-थ्रू के रूप में ऐसी लागतों और/या खर्चों की मांग करने के अपने अधिकार को छोड़ देता है जिन्हें इस समझौते के तहत पास-थ्रू के रूप में मांगने से प्रतिबंधित किया गया है।

28.5 विमानन प्रभारों की समीक्षा

28.5.1 अनुच्छेद 28 के प्रावधानों के अनुसार लगाए जाने वाले, एकत्र किए जाने वाले और विनियोजित किए जाने वाले विमानन शुल्कों की समीक्षा नियामक द्वारा नियामक ढांचे और इस समझौते के अनुसार प्रत्येक 5 (पांच) वर्षों में एक बार की जाएगी; बशर्ते, हालांकि, ऐसी समीक्षा उन घटनाओं, घटनाओं, परिस्थितियों या आधारों पर निर्भर, जांच या विचार नहीं करेगी जिनके लिए विमानन शुल्कों में संशोधन, रियायत अवधि या किसी अन्य रूप में राहत या उपाय इस समझौते में प्रदान किए गए हैं।

28.5.2 कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, विनिर्देशों और मानकों में परिवर्तन, सुरक्षा आवश्यकताओं या लागू कानून का बल रखने वाले नए अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुपालन से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त लागतें, यदि कोई हों, या उसमें कमी की समीक्षा नियामक द्वारा विमानन शुल्कों के संशोधन के उद्देश्यों के लिए की जा सकती है। नियामक द्वारा की जाने वाली ऐसी किसी भी समीक्षा में परियोजना के लिए जारी किए गए लागू परमिटों के अनुसार विमानन सेवाओं के राजस्व पर विचार करना शामिल होगा।

28.5.3 खंड 28.5.1 के प्रावधानों के तहत विमानन शुल्कों की किसी भी समीक्षा में उन राजस्वों, समायोजनों, वसूलियों या भुगतानों (यदि कोई हो) पर विचार किया जाएगा जो पक्षों ने इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार वसूल किए हैं या किए हैं और नियामक यह निर्धारित कर सकता है कि क्या रियायतग्राही से कोई और वसूली या भुगतान देय है या प्राप्त होना है। नियामक, जहां तक संभव हो, नियामक ढांचे और इस समझौते के अनुसार विमानन शुल्कों की दर में और ऐसी अवधि के लिए उचित वृद्धि या कमी करके अपने निर्धारण को प्रभावी कर सकता है।

28.5.4 पक्षकार स्वीकार करते हैं कि इस खंड 28.5 के प्रावधानों के तहत विमानन शुल्कों की कोई भी समीक्षा लागू कानून के अनुसार की जाएगी और तदनुसार विनियमित और आगे बढ़ाई जाएगी।

28.6 विमानन शुल्कों में वृद्धि पर कुछ सीमाएं

28.6.1 खंड 28.5.2 के प्रावधानों के अनुसरण में किए जाने वाले किसी भी पूंजीगत व्यय की स्थिति में, रियायतग्राही प्रभावित उपयोगकर्ताओं या उनके प्रतिनिधि निकायों के साथ परामर्श में इसकी संवीक्षा के लिए नियामक को विनिर्देशों और लागतों को प्रस्तुत करेगा। ऐसी संवीक्षा और परामर्श पूरा होने पर, नियामक विमानन शुल्कों को निर्धारित करने के लिए ऐसी प्रस्तुतियों पर विचार करेगा।

28.6.2 रियायतग्राही नियामक और अन्य सरकारी निकायों द्वारा दी गई मंजूरी और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार आगामी चरणों के लिए निर्माण कार्यों को शुरू करेगा और पूरा करेगा और निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान इस खंड 28.6 के अनुसरण में किए गए निर्माण कार्यों पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

28.6.3 इस खंड 28.6 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय को संबंधित निर्माण कार्यों के पूरा होने पर, रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों और इस समझौते की शर्तों के अनुसार वसूल किया जाएगा, जिसमें नियामक के लागू टैरिफ दिशानिर्देश शामिल हैं।

28.7 शुल्क की चोरी के लिए जुर्माना

28.7 यदि कोई उपयोगकर्ता देय शुल्कों के भुगतान के बिना हवाई अड्डे का उपयोग करता है, तो रियायतग्राही लागू कानूनों और लागू परमिटों के अधीन, देय शुल्क का निर्धारण और संग्रह करने का हकदार होगा। उस व्यक्ति से देय शुल्क तथा विमानपतन के अनधिकृत उपयोग के प्रयास के लिए हर्जाने के रूप में उसकी दोगुनी राशि तक वसूल करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि ऐसे शुल्कों और हर्जाने का निर्धारण और संग्रहण रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर होगा तथा प्राधिकरण इस खाते में किसी भी प्रकार के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

28.8 वैमानिक प्रभारों का प्रदर्शन

28.8.1 रियायतग्राही अपनी वेबसाइट और अपने कार्यालय पर उपभोक्ताओं/उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए वैमानिक शुल्कों की लागू दरों को बनाए रखेगा और उपलब्ध कराएगा।

28.8.2 रियायतग्राही, समय-समय पर, प्राधिकरण को लागू वैमानिक शुल्कों के संबंध में सूचित करेगा।

28.8.3 रियायतग्राही विनियामक द्वारा अनुमोदित वैमानिक शुल्कों की दरों से अधिक किसी भी राशि का संशोधन, प्रदर्शन या संग्रहण नहीं करेगा।

28.9 मासिक विवरण

रियायतग्राही, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से प्रभावी, प्रत्येक माह के पूरा होने के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण को निम्नलिखित सूचना/आंकड़ों का एक विवरण ("मासिक विवरण") प्रस्तुत करेगा:

- (i) यातायात डेटा जिसके अंतर्गत अनुसूचित विमान संचलन, गैर-अनुसूचित विमान संचलन, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों की संख्या (आगमन, प्रस्थान और पारगमन), अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कार्गो की मात्रा (आने वाले, जाने वाले और ट्रांसशिपमेंट) शामिल हैं;
- (ii) वित्तीय डेटा जिसके अंतर्गत राजस्व (उचित शीर्षों में पृथक्कृत), परिचालन व्यय, प्रभार, दरें आदि शामिल हैं; और
- (iii) सेवा की गुणवत्ता से संबंधित आंकड़े।

ऐसी सूचना/आंकड़े रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों के तहत आवश्यक प्रारूप में, या प्राधिकरण को स्वीकार्य प्रारूप में, प्राधिकरण द्वारा तार्किक रूप से अनुरोध किए गए अन्य सभी विवरणों के साथ तत्काल संकलित और प्रस्तुत किए जाएंगे।

28.10 शुल्क संविदाकार

रियायतग्राही, अपनी ओर से शुल्क एकत्र करने के लिए किसी शुल्क संविदाकार या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है; बशर्ते कि ऐसी नियुक्ति के बावजूद, रियायतग्राही इस समझौते के अनुसार शुल्कों के संग्रहण, उसे एस्क्रो खाते में जमा करने तथा इस समझौते के प्रावधानों के अनुपालन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी और जिम्मेदार बना रहेगा।

28.11 संसृजित प्रारंभिक आरएबी

28.11.1 रियायतग्राही अगले लागू नियंत्रण अवधि के लिए लागू विनियामक ढांचे के अनुसार विनियामक से वैमानिक शुल्कों में संशोधन की मांग करेगा।

उपरोक्त के बावजूद, रियायतग्राही के पास वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से वैमानिक शुल्कों में ऐसे संशोधन की मांग करने के लिए 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों से कम का समय नहीं होगा।

28.11.2 प्राधिकरण:

(क) ऐसे संशोधन की मांग के लिए रियायतग्राही द्वारा आवश्यक डेटा और जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा;

(ख) इस संबंध में रियायतग्राही से नोटिस प्राप्त होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर, रियायतग्राही को वह सभी जानकारी प्रस्तुत करेगा जो विनियामक द्वारा ऐसे संशोधन के उद्देश्य से तार्किक रूप से आवश्यक हो; और

(ग) विनियामक द्वारा ऐसे संशोधन के उद्देश्य से पूछे गए किसी भी प्रश्न का तुरंत उत्तर देगा और ऐसे उत्तरों की प्रतियां रियायतग्राही को प्रदान करेगा।

28.11.3 (क) पक्षों द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई है कि रियायतग्राही प्राधिकरण को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के अनुसार वैमानिक परिसंपत्तियों में प्राधिकरण द्वारा किए गए निवेश के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसे विनियामक द्वारा विनियामक परिसंपत्ति आधार के हिस्से के रूप में माना गया है, जो विनियामक द्वारा ऐसे निवेश की मात्रा के आवश्यक मिलान, सत्यापन और अंतिम निर्धारण के अधीन होगा ("संसृजित प्रारंभिक आरएबी")

(ख) 31 मार्च, 2018 तक विमानपत्तन में वैमानिक परिसंपत्तियों में प्राधिकरण द्वारा किए गए निवेश का अनुमानित मूल्यहास मूल्य 69,00,00,000 रुपये (उनहतर करोड़ रुपये) है ("अनुमानित संसृजित प्रारंभिक आरएबी")। पक्षों द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई है कि अनुमानित संसृजित प्रारंभिक आरएबी रियायतग्राही द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर प्राधिकरण को देय होगा।

28.11.4 अनुमानित संसृजित प्रारंभिक आरएबी के भुगतान के बाद, और धारा 28.11.3(क) के तहत निवेश की मात्रा के विनियामक द्वारा मिलान, सत्यापन और अंतिम निर्धारण के उपरांत, संसृजित प्रारंभिक आरएबी के संबंध में अनुमानित संसृजित प्रारंभिक आरएबी में कोई भी अधिशेष या घाटा संतुलन भुगतान के हिस्से के रूप

में समायोजित किया जाएगा जो विनियामक द्वारा ऐसे अंतिम निर्धारण के 15 (पंद्रह) दिनों की समाप्ति के बाद खंड 31.4 के अनुसार देय हो जाता है, जिसमें निम्नलिखित के लिए उचित समायोजन किया जाएगा ("समायोजित संसृजित प्रारंभिक आरएबी"):

(क) वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक प्राधिकरण द्वारा वैमानिक राजस्व की अधिक वसूली, यदि कोई हो, की सीमा तक कम किया जाएगा, जिसे विनियामक अगली नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक शुल्कों का निर्धारण करते समय नीचे की ओर समायोजन के रूप में प्रदान करेगा; या

(ख) वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक प्राधिकरण द्वारा वैमानिक राजस्व की कम वसूली, यदि कोई हो, की सीमा तक बढ़ाया जाएगा, जिसे विनियामक अगली नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक शुल्कों का निर्धारण करते समय ऊपर की ओर समायोजन के रूप में प्रदान करेगा।

प्राधिकरण या रियायतग्राही द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि समायोजित संसृजित प्रारंभिक आरएबी का वर्तमान मूल्य होगी, जिसकी गणना वाणिज्यिक प्रचालन तिथि समायोजित संसृजित प्रारंभिक आरएबी के वास्तविक भुगतान की तिथि तक की समयावधि के लिए विनियामक द्वारा निर्धारित प्रतिफल की उचित दर का उपयोग करके की जाएगी।

28.11.5 रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति किए जाने पर, संसृजित प्रारंभिक आरएबी को विनियामक द्वारा वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्य से, रियायतग्राही द्वारा किए गए निवेशों के अतिरिक्त, ध्यान में रखा जाएगा।

(क) प्राधिकरण विनियामक द्वारा ऐसे विचार और निर्धारण के लिए विनियामक को आवश्यक सहायक प्रस्तुतियाँ देने का वचन देता है।

(ख) पक्ष विनियामक के समक्ष आवेदन करेंगे और अनुरोध करेंगे कि मूल्यहास, आवश्यक प्रतिफल आदि पर विचार करने के संबंध में वैमानिक शुल्कों के भविष्य के निर्धारण में संसृजित प्रारंभिक आरएबी की अलग से पहचान की जाए।

28.11.6 इस खंड 28.11 के उद्देश्य के लिए, "नियंत्रण अवधि" और "विनियामक परिसंपत्ति आधार" का वही अर्थ होगा जो विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (विमानपत्तन प्रचालकों के लिए शुल्क के निर्धारण के नियम और शर्तें) दिशानिर्देश, 2011 में निर्धारित है।

28.12 प्रारंभिक गैर-वैमानिक निवेश

28.12.1 पक्षों द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई है कि रियायतग्राही प्राधिकरण को गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों के विकास की दिशा में वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के अनुसार विमानपत्तन में प्राधिकरण द्वारा किए गए निवेश के अनुमानित मूल्यहास मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करेगा ("प्रारंभिक गैर-वैमानिक निवेश")।

28.12.2 विमानपत्तन में गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों के विकास की दिशा में प्राधिकरण द्वारा किए गए निवेश का अनुमानित मूल्यहास मूल्य 31 मार्च, 2018 तक 12,71,00,000 रुपये (बारह करोड़ इकहत्तर लाख रुपये) है ("अनुमानित प्रारंभिक गैर-वैमानिक निवेश")। पक्षों द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई है कि अनुमानित प्रारंभिक गैर-वैमानिक निवेश रियायतग्राही द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर प्राधिकरण को देय होगा।

28.12.3 अनुमानित प्रारंभिक गैर-वैमानिक निवेश के भुगतान के बाद, और स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्रारंभिक गैर-वैमानिक निवेश की मात्रा के अंतिम निर्धारण के उपरांत, प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को या रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान की जाने वाली कोई भी अधिशेष या घाटे की राशि, जैसी भी स्थिति हो, संतुलन भुगतान के हिस्से के रूप में समायोजित की जाएगी जो ऐसे अंतिम निर्धारण से 15 (पंद्रह) दिनों की समाप्ति के बाद खंड 31.4 के अनुसार देय हो जाती है।

28.12.4 खंड 28.12.3 के अनुसरण में प्राधिकरण या रियायतग्राही द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि उसका वर्तमान मूल्य होगी, जिसकी गणना वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से ऐसी राशि के वास्तविक भुगतान की तिथि तक की समयावधि के लिए विनियामक द्वारा निर्धारित प्रतिफल की उचित दर का उपयोग करके की जाएगी।

अनुच्छेद 29. एस्क्रो खाता

29.1 एस्क्रो खाता

29.1.1 रियायतग्राही, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पहले, इस समझौते के अनुसार और एस्क्रो समझौते के साथ पढ़ते हुए एक बैंक ("एस्क्रो बैंक") के साथ एक एस्क्रो खाता खोलेगा और स्थापित करेगा।

29.1.2 एस्क्रो खाते की प्रकृति और कार्यक्षेत्र का पूर्ण विवरण उस समझौते ("एस्क्रो समझौता") में दिया गया है जो रियायतग्राही, प्राधिकरण, एस्क्रो बैंक और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के माध्यम से वरिष्ठ ऋणदाताओं के बीच किया जाएगा, जो मुख्य रूप से अनुसूची M में दिए गए प्रारूप में होगा।

29.2 एस्क्रो खाते में जमा

रियायतग्राही एस्क्रो खाते में निम्नलिखित अंतर्वाह और प्राप्तियां जमा करेगा या जमा करवाएगा:

- (क) बैंकों, वरिष्ठ ऋणदाताओं, अन्य ऋणदाताओं, शेयरधारकों, बीमा कंपनियों या किसी अन्य व्यक्ति से या अन्यथा परियोजना के संबंध में प्राप्त सभी धन;
 - (ख) विमानपत्तन, परियोजना, परियोजना सुविधाओं और परियोजना परिसंपत्तियों से या उनके संबंध में प्राप्त सभी शुल्क और अन्य सभी राजस्व, जिसमें किसी भी किराये, जमा, पूंजीगत प्राप्तियों, बीमा दावों आदि से प्राप्त राशियां शामिल हैं;
 - (ग) किसी भी बकाया मासिक रियायत शुल्क की कटौती के बाद प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी भुगतान; और
 - (घ) प्रस्थान/समापन भुगतान;
- बशर्ते कि वरिष्ठ ऋणदाता वित्तीय समझौतों में इस संबंध में निहित स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार ईपीसी संविदाकारको सीधे संवितरण कर सकते हैं।

29.3 निकासी

29.3.1 रियायतग्राही, एस्क्रो खाता खोलने के समय, एस्क्रो समझौते के माध्यम से एस्क्रो बैंक को अपरिवर्तनीय निर्देश देगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया जाएगा कि एस्क्रो खाते में जमा राशियों का विनियोजन हर महीने निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा, या आवश्यकतानुसार कम अंतराल पर किया जाएगा, और यदि किसी महीने में देय नहीं है तो उस महीने में आनुपातिक रूप से विनियोजित किया जाएगा और एस्क्रो खाते में रखा जाएगा और देय होने वाले महीने में वहां से भुगतान किया जाएगा:

- (क) वैधानिक भुगतान, विमानपत्तन के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य सभी कर;
- (ख) प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य मासिक रियायत शुल्क;
- (ग) इस समझौते के अनुसरण में प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य सभी भुगतान और/या प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित हर्जाना जो इस समझौते के तहत रियायतग्राही द्वारा उसे देय और भुगतान योग्य है;
- (घ) एक लेखा वर्ष में देय ऋण सेवा का मासिक आनुपातिक प्रावधान;
- (ङ) शेष राशि, यदि कोई हो, रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार।

29.3.2 रियायतग्राही प्राधिकरण की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना खंड 29.3.1 में निर्दिष्ट भुगतान के क्रम में किसी भी तरह से संशोधन नहीं करेगा।

29.4 निलंबन पर निकासी

29.4.1 इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, एस्क्रो खाते की जमा राशि में मौजूद सभी राशियां, निलंबन पर, निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की जाएंगी:

(क) पेट्रोल बकाया और उससे संबंधित वैधानिक भुगतान, विमानपत्तन के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य सभी कर;

(ख) बकाया मासिक रियायत शुल्क;

(ग) अन्य सभी राशियां जो समापन की तिथि के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान के लिए बकाया हैं;

(घ) इस समझौते के अनुसरण में प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य सभी भुगतान और/या प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित हर्जाना जो रियायतग्राही द्वारा उसे देय और भुगतान योग्य है; और

(ङ) बकाया ऋण सेवा जिसमें देय ऋण की शेष राशि शामिल है;

(एफ) शेष राशि, यदि कोई हो, रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार।

29.4.2 इस अनुच्छेद 29 के प्रावधान और एस्करो समझौते में निहित निर्देश तब तक पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेंगे जब तक कि खंड 29.4.1 में निर्धारित दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन नहीं हो जाता।

30.1 बीमा दायित्व

रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान अपनी लागत पर, वित्तीय समझौतों और लागू कानूनों के तहत आवश्यक अधिकतम राशियों के लिए ऐसा बीमा और उद्योग के अच्छे तौर-तरीकों के अनुसार आवश्यक या विवेकपूर्ण बीमा कराएगा और बनाए रखेगा। रियायतग्राही ऐसा बीमा भी कराएगा और बनाए रखेगा जो उन जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक हो सकता है जो रियायतग्राही के किसी कार्य या चूक के परिणामस्वरूप प्राधिकरण पर आ सकते हैं। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बीमा पॉलिसी में प्राधिकरण एक सह-बीमित हो और बीमाकर्ता बीमा की राशि एस्क्रो खाते में भुगतान करे। पक्ष सहमत हैं कि वरिष्ठ ऋणदाताओं के देय अंशों के पूर्ण भुगतान के बाद रियायतग्राही द्वारा बनाए रखे जाने वाले बीमा का स्तर उन्हीं सिद्धांतों पर निर्धारित किया जाएगा जो वरिष्ठ ऋणदाताओं के देय अंशों के ऐसे पुनर्भुगतान से पहले बीमा के स्तर को निर्धारित करने के लिए लागू होते हैं।

30.2 बीमा कवर

खंड 30.1 में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान बीमा कवर प्राप्त करेगा और बनाए रखेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- (क) प्रतिस्थापन मूल्य पर प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को सौंपी गई संपत्तियों सहित परियोजना परिसंपत्तियों की हानि, क्षति या विनाश;
- (ख) व्यापक तृतीय पक्ष दायित्व बीमा, जिसमें प्राधिकरण के कर्मियों या अन्य लोगों की चोट या मृत्यु शामिल है जो विमानपतन में प्रवेश कर सकते हैं;
- (ग) रियायत से उत्पन्न होने वाला रियायतग्राही का सामान्य दायित्व;
- (घ) माल या संपत्ति के नुकसान के लिए तृतीय पक्षों के प्रति दायित्व;
- (ङ) कर्मकार मुआवजा बीमा और
- (च) कोई अन्य बीमा जो रियायतग्राही और उसके कर्मचारियों की रक्षा के लिए आवश्यक हो सकता है, जिसके अंतर्गत सभी अपरिहार्य परिस्थितियां शामिल हैं और जो उपरोक्त मद (क) से (ङ) में शामिल नहीं हैं।

30.3 प्राधिकरण को नोटिस

रियायत अवधि शुरू होने से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले, रियायतग्राही नोटिस द्वारा प्राधिकरण को उन बीमाओं के संबंध में तार्किक विस्तार से जानकारी प्रस्तुत करेगा जिन्हें वह इस अनुच्छेद 30 के अनुसार कराने और बनाए रखने का प्रस्ताव करता है। ऐसा नोटिस प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण रियायतग्राही से ऐसे अन्य बीमा कराने और बनाए रखने की मांग कर सकता है जो इसके अनुसरण में आवश्यक हों, और किसी भी ऐसे बीमा से संबंधित किसी भी मतभेद या असहमति की स्थिति में, विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

30.4 बीमा कवर का साक्ष्य

इस अनुच्छेद 30 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राप्त किए गए सभी बीमा उद्योग के अच्छे तौर-तरीकों के अनुरूप शर्तों पर बीमाकर्ताओं के पास बनाए रखे जाएंगे। कोई भी बीमा कवर प्राप्त करने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, रियायतग्राही प्राधिकरण को बीमा के प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) की प्रमाणित प्रतियां, बीमा पॉलिसियों की प्रतियां और ऐसे बीमा के संबंध में प्रीमियम भुगतान की रसीदें प्रस्तुत करेगा, और ऐसा कोई भी बीमा तब तक रद्द, संशोधित या समाप्त होने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे प्रस्तावित रद्दीकरण, संशोधन

या गैर-नवीनीकरण का नोटिस रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को दिए जाने के बाद कम से कम 45 (पैंतालीस) दिन समाप्त न हो गए हों।

30.5 बीमा करने में विफलता का उपाय

यदि रियायतग्राही उन सभी बीमाओं को कराने और लागू रखने में विफल रहता है जिनके लिए वह इसके अनुसरण में जिम्मेदार है, तो प्राधिकरण के पास या तो किसी भी ऐसे बीमा को लागू रखने और ऐसे प्रीमियम का भुगतान करने तथा रियायतग्राही से उसकी लागत वसूल करने का विकल्प है, या समापन भुगतान की गणना के मामले में, बीमा कवर के बराबर की राशि को रियायतग्राही द्वारा प्राप्त माना जाएगा।

30.6 प्रत्यासन का अधित्याग

इस अनुच्छेद 30 के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा प्राप्त बीमा के संबंध में सभी बीमा पॉलिसियों में बीमाकर्ताओं के प्रत्यासन या वसूली के किसी भी और सभी अधिकारों का अधित्याग शामिल होगा, अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकरण, और उसके समनुदेशितियों, उत्तरधिकारियों, उपक्रमों और उनकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, कर्मचारियों, बीमाकर्ताओं और बीमांककों के खिलाफ, और बीमाकर्ताओं के किसी भी सेट-ऑफ या प्रतिदावे या किसी अन्य कटौती के अधिकार का, चाहे कुर्की द्वारा या अन्यथा, ऐसी किसी नीति के तहत बीमित व्यक्ति के किसी भी दायित्व के संबंध में या बीमा की ऐसी पॉलिसियों द्वारा कवर की गई किसी भी हानि, दायित्व या दायित्व से जुड़ा हो।

30.7 रियायतग्राही का अधित्याग

रियायतग्राही इसके द्वारा प्राधिकरण और उसके समनुदेशितियों, उपक्रमों और उनकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, कर्मचारियों, उत्तरधिकारियों, बीमाकर्ताओं और बीमांककों के खिलाफ प्रत्यासन या वसूली के किसी भी और सभी अधिकारों को मुक्त करता है, सौंपता है और उसका अधित्याग करता है, जो इस समझौते के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा बनाए रखी गई या बनाए रखी जाने वाली बीमा पॉलिसियों (तृतीय पक्ष दायित्व बीमा पॉलिसियों के अलावा) द्वारा कवर किए गए किसी भी नुकसान, दायित्व या दायित्व से जुड़े हों या ऐसी किसी बीमा पॉलिसी की सीमाओं की अपर्याप्तता के कारण हों।

30.8 बीमा राशि का अनुप्रयोग

जीवन और चोट को छोड़कर, सभी बीमा दावों से प्राप्त राशि रियायतग्राही को एस्क्रो खाते में जमा करके भुगतान की जाएगी और खंड 29.3 में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, वह ऐसी प्राप्तियों का उपयोग विमानपतन की किसी भी आवश्यक मरम्मत, पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना, प्रतिस्थापन या सुधार के लिए करेगा और शेष बची राशि, यदि कोई हो, वित्तीय समझौतों में इस संबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार लागू की जाएगी।

30.9 बीमा पॉलिसियों की शर्तों का अनुपालन

रियायतग्राही स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार की गई बीमा पॉलिसियों के तहत लगाई गई शर्तों का पालन करने में रियायतग्राही की विफलता से उत्पन्न होने वाले सभी नुकसानों और दावों के लिए प्राधिकरण को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है।

अनुच्छेद 31. लेखा और लेखापरीक्षा

31.1 लेखापरीक्षित खाते

31.1.1 रियायतग्राही अपनी प्राप्तियों (इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के अनुसार एकत्र किए गए सभी राजस्व और हवाई अड्डे और/या इसके उपयोग से या उसके खाते में प्राप्त/एकत्रित अन्य राजस्व, आय, व्यय, भुगतान (एस्क्रो खाते से किए गए भुगतानों सहित), आस्तियों और देयताओं को रिकॉर्ड करने वाली लेखा पुस्तकें इस समझौते, उत्तम उद्योग प्रथा, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार बनाए रखेगा। रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार प्रचलित लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार की गई अपनी तुलन पत्र, नकदी प्रवाह विवरण और लाभ-हानि खाते की 2 (दो) प्रतियां, अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ, उस वित्तीय वर्ष/लेखांकन वर्ष की समाप्ति के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रदान करेगा जिससे वे संबंधित हैं। स्पष्ट रूप से इसके विपरीत प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर, ऐसे लेखापरीक्षित खाते इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष द्वारा किए जाने वाले भुगतानों का आधार बनेंगे। प्राधिकरण को स्वयं या अपने किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, कार्यालय समय के दौरान रियायतग्राही के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने और भुगतानों के आधार के सत्यापन के लिए प्राधिकरण को प्रदान की जाने वाली वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखा पुस्तकों के प्रासंगिक उद्धरणों की प्रतियों की मांग करने का अधिकार है। किसी भी विसंगति या त्रुटि पाए जाने की स्थिति में, उसे सुधारा जाएगा और ऐसा संशोधित खाता इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष द्वारा भुगतानों का आधार बनेगा।

31.1.2 रियायतग्राही, प्रत्येक लेखांकन वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण को पूर्ववर्ती तिमाही के संबंध में अपने अपरीक्षित वित्तीय परिणाम उस रीति और प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा तिमाही परिणामों के प्रकाशन के लिए निर्धारित है।

31.1.3 प्रत्येक लेखांकन वर्ष के जुलाई के 31वें (इकतीसवें) दिन या उससे पहले, रियायतग्राही प्राधिकरण को पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष के लिए अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित एक विवरण प्रदान करेगा, जिसमें निम्नलिखित संक्षिप्त जानकारी होगी: (क) हवाई अड्डे का उपयोग करने वाले और उसके लिए शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी उपयोगकर्ताओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए यातायात गणना, (ख) लगाया गया और प्राप्त किया गया शुल्क, इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के अनुसार एकत्र किया गया राजस्व, और हवाई अड्डे से प्राप्त अन्य राजस्व, और (ग) ऐसी अन्य जानकारी जिसकी प्राधिकरण उचित रूप से मांग कर सकता है।

31.2 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

31.2.1 प्राधिकरण रियायतग्राही को छह (6) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्मों का एक पैनल निर्देशित/नामित करेगा ("चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का पैनल"), ऐसी सूची मुख्य रूप से अनुसूची एन में निर्धारित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। रियायतग्राही को ऐसे नामितों में से एक या अधिक पर आपत्ति करने का अधिकार होगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह आपत्ति 3 (तीन) नामितों से अधिक नहीं होगी। रियायतग्राही चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पैनल में से अपने वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। वैधानिक लेखा परीक्षकों की सभी फीस और खर्च रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे।

31.2.2 रियायतग्राही कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार और प्राधिकरण की सहमति से अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि उनके स्थान पर प्रतिस्थापन वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पैनल में से की जाए।

31.2.3 इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण को यह अधिकार है, लेकिन यह उसका दायित्व नहीं है कि वह समय-समय पर और किसी भी समय अपने खर्च पर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पैनल में से एक अन्य फर्म ("प्राधिकरण नामित लेखा परीक्षक") को उन सभी मामलों, खर्चों, लागतों, वसूलियों और चीजों की लेखापरीक्षा और सत्यापन के लिए नियुक्त करे, जिन्हें करने, जिम्मा लेने या प्रमाणित करने की आवश्यकता इस समझौते के अनुसरण में वैधानिक लेखा परीक्षकों से होती है।

31.2.4 [उपयोग में नहीं है]।

31.3 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दावों का प्रमाणन

प्राधिकरण को रियायतग्राही द्वारा प्राप्तियों, आय, भुगतानों, लागतों, व्ययों, खातों या लेखापरीक्षा (ऑडिट) से संबंधित या उसके संबंध में प्रदान किया गया कोई भी दावा या दस्तावेज़, और उससे संबंधित कोई भी प्रासंगिक मामला केवल तभी वैध और प्रभावी होगा यदि वह इसके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित हो। व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए ऐसे प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें खंड 28.9 के तहत मासिक विवरण प्रस्तुत करना शामिल है।

31.4 समाधान

31.4.1 प्रत्येक तिमाही में, संतुलनकारी भुगतान (प्रतिपूर्ति, समायोजन या अन्यथा देय और भुगतान योग्य राशियों की शुद्धता, या नुकसान/हर्जाने के रूप में जो भुगतान नहीं किए गए हैं, या कार्य-निष्पादन प्रतिभूति या बोली प्रतिभूति से वसूल नहीं किए गए हैं, जैसी भी स्थिति हो, इस समझौते के तहत प्रतिबिंबित हो) ("संतुलनकारी भुगतान") की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी, जो प्रत्येक लेखा वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अंत के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर रियायतग्राही को अपनी गणना और विवरण सौंपेगा। किसी भी संदेह से बचने के लिए, इस खंड 31.4.1 के तहत गणना किए गए संतुलनकारी भुगतान में ऐसी गणना के लिए मासिक रियायत शुल्क को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, लेकिन इसमें खंड 27.5 के अनुसरण में कोई भी समायोजन शामिल होगा।

31.4.2 खंड 31.4.1 के तहत प्राधिकरण का विवरण प्राप्त होने पर, रियायतग्राही के पास (क) अनुमोदन करने या (ख) पुनर्गणना और संशोधनों की मांग करने के लिए 20 (बीस) दिनों का समय होगा। दोनों पक्ष खंड 31.4.1 के तहत किए गए प्राधिकरण के सभी विवरणों के सत्यापन को सक्षम करने के लिए पर्याप्त रिकॉर्ड बनाए रखेंगे। उपरोक्त 20 (बीस) दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकरण के किसी भी विवरण पर टिप्पणी करने में रियायतग्राही की विफलता को अनुमोदन माना जाएगा।

31.4.3 यदि प्राधिकरण किसी लेखा वर्ष की किसी तिमाही के समाप्त होने के 10 (दस) दिनों के भीतर संतुलनकारी भुगतान की गणना प्रस्तुत नहीं करता है, तो रियायतग्राही ऐसी गणना प्रस्तुत करने का हकदार होगा, साथ ही दावा की गई सभी राशियों के उचित रूप से समर्थित साक्ष्य संलग्न करेगा, और ऐसी स्थिति में, ऊपर दिए गए खंड 31.4.2 के प्रावधान पक्षों पर विपरीत रूप से लागू होंगे।

31.5 विवाद समाधान

प्राधिकरण द्वारा नामित लेखापरीक्षकों के निष्कर्षों और सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणन के बीच कोई अंतर होने की स्थिति में, पक्ष मतभेदों को सुलझाने के लिए बैठक करेंगे और यदि वे इसे सुलझाने में असमर्थ रहते हैं, तो ऐसे विवाद को पक्षों द्वारा विवाद निवारण प्रक्रिया का सहारा लेकर सुलझाया जाएगा।

भाग V

अप्रत्याशित घटना एवं समापन

अनुच्छेद 32. अप्रत्याशित घटना

32.1 अप्रत्याशित घटना

इस अनुबंध में यथाप्रयुक्त, अभिव्यक्ति “अप्रत्याशित घटना” या “अप्रत्याशित घटना की परिस्थिति” से, जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, भारत में घटित होने वाली खंड 32.2, खंड 32.3 और खंड 32.4 में क्रमशः यथापरिभाषित किसी भी या सभी 'गैर-राजनीतिक घटना', 'अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना' और 'राजनीतिक घटना' अभिप्रेत होगी, बशर्ते यह उस पक्षकार (“प्रभावित पक्षकार”) द्वारा इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन को प्रभावित करती हो जो अपरिहार्य घटना के लाभ का दावा कर रहा है, और जो कार्य या घटना: (क) प्रभावित पक्षकार के उचित नियंत्रण से परे है, और (ख) प्रभावित पक्षकार उचित तत्परता बरतने तथा उत्तम उद्योग प्रथा (गुडक इंडस्ट्री प्रैक्टिस) का पालन करके भी जिसे रोक या टाल नहीं सकता था, और (ग) जिसका प्रभावित पक्षकार पर सारवान प्रतिकूल प्रभाव (मटेरियल एडवर्स इफेक्ट) पड़ता है।

32.2 गैर-राजनीतिक घटना

एक गैर-राजनीतिक घटना से निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कार्य या घटनाएं अभिप्रेत होंगी:

(क) दैवीय आपदा, महामारी, अत्यधिक प्रतिकूल मौसम की स्थिति, बिजली गिरना, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण या आयनकारी विकिरण, आग या विस्फोट (उस सीमा तक संदूषण या विकिरण या आग या विस्फोट जो स्थल के बाहरी स्रोत से उत्पन्न हो);

(ख) हड़ताल या बहिष्कार (रियायतग्राही (कन्सेशनेयर), ठेकेदारों या उनके संबंधित कर्मचारियों/प्रतिनिधियों से जुड़े तथा उनमें से किसी के भी कृत्य या चूक के कारण होने वाले हड़ताल या बहिष्कार को छोड़कर) जिसके कारण विमानपत्तन के लिए आपूर्ति और सेवाएं किसी लेखा वर्ष (अकाउंटिंग ईयर) में निरंतर 24 (चौबीस) घंटे की अवधि और कुल मिलाकर 7 (सात) दिनों से अधिक की अवधि के लिए बाधित होती हैं, और जो खंड 32.3 में उल्लिखित अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना न हो;

(ग) सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी भी न्यायालय या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही (कन्सेशनेयर) के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही में पारित कोई भी निर्णय या आदेश, जो निम्नलिखित कारणों के अलावा अन्य कारणों से दिया गया हो: (i) रियायतग्राही द्वारा किन्हीं भी लागू कानूनों (एप्लीकेबल लॉज़) या लागू परमिटों का अनुपालन करने में विफलता, या (ii) किन्हीं भी लागू कानूनों या लागू परमिटों या किसी अनुबंध के उल्लंघन के कारण, या (iii) इस अनुबंध के प्रवर्तन (एन्फोर्समेंट) के कारण, या (iv) प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा इस अनुबंध के तहत अपने किसी भी अधिकार के प्रयोग के कारण;

(घ) स्थल (साइट) पर भूवैज्ञानिक स्थितियों, विषाक्त संदूषण या पुरातात्विक अवशेषों की खोज, जिसकी स्थल निरीक्षण के माध्यम से खोजे जाने की यथोचित रूप से अपेक्षा नहीं की जा सकती थी; या

(ङ) उपरोक्त में से किसी के भी समरूप प्रकृति की कोई भी घटना या परिस्थितियां।

32.3 अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना

एक अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना से निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कार्य या घटनाएं अभिप्रेत होंगी:

(क) युद्ध का कृत्य (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का कृत्य, नाकेबंदी (ब्लॉकेड), प्रतिबंध (एम्बार्गो), दंगा, विद्रोह, आतंकवादी या सैन्य कार्रवाई, नागरिक अशांति या राजनीतिक रूप से प्रेरित तोड़फोड़ (सैबोटाज);

(ख) कोई भी राजनीतिक या आर्थिक उथल-पुथल, अशांति, आंदोलन, संघर्ष या इसी तरह की घटना जिसका किसी विवेकशील व्यक्ति द्वारा पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था और जिसके कारण परियोजना का संचालन, प्रबंधन या विकास वित्तीय रूप से अव्यवहारिक या अन्यथा व्यवहार्य नहीं रह जाता है;

(ग) उद्योग-व्यापी या राज्य-व्यापी हड़ताल या औद्योगिक कार्रवाई जो निरंतर 24 (चौबीस) घंटे की अवधि के लिए (चौबीस) घंटे और एक लेखा वर्ष में कुल 7 (सात) दिनों की अवधि से अधिक;

(घ) कोई भी नागरिक अशांति, बहिष्कार या राजनीतिक आंदोलन जो रियायतग्राही द्वारा एक लेखा वर्ष में कुल 7 (सात) दिनों से अधिक की अवधि के लिए वैमानिक शुल्कों के संग्रह को रोकता है;

(ङ) भूगर्भीय या पुरातात्विक खोजों के बाद निर्माण कार्यों को रोके जाने की स्थिति में, प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को संशोधनों के साथ या उसके बिना निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति देने में विफलता;

(च) किसी संविदाकारकी कोई विफलता या देरी जो किसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के कारण हुई हो और जिसके परिणामस्वरूप ऐसे संविदाकारद्वारा या उसकी ओर से रियायतग्राही को कोई प्रतिसंतुलनकारी मुआवजा देय न हो;

(छ) कोई भी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना जो एक गैर-राजनीतिक घटना का कारण बनती है; या

(ज) पूर्वगामी में से किसी के भी समरूप प्रकृति की कोई घटना या परिस्थितियाँ।

32.4 राजनीतिक घटना

एक राजनीतिक घटना से तात्पर्य किसी भी सरकारी तंत्र द्वारा या उसके कारण होने वाले निम्नलिखित कृत्यों या घटनाओं में से एक या अधिक से होगा:

(क) राष्ट्रीय हित में अनिवार्य अधिग्रहण या किसी भी परियोजना आस्तियों का हरण या रियायतग्राही या ठेकेदारों के अधिकारों का अपहरण;

(ख) इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए रियायतग्राही या किसी भी संविदाकार द्वारा आवश्यक किसी भी मंजूरी, पट्टे, लाइसेंस, परमिट, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमति, अनुमोदन या छूट को वैध कारण के बिना, गैर-कानूनी या अनधिकृत या क्षेत्राधिकार के बिना रद्द करना, या नवीनीकरण करने या प्रदान करने से इनकार करना; बशर्ते कि ऐसी देरी, संशोधन, इनकार, अस्वीकृति या रद्दीकरण रियायतग्राही या किसी भी संविदाकारकी अक्षमता या ऐसी मंजूरी, पट्टे, लाइसेंस, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, छूट, सहमति, अनुमोदन या परमिट के अनुदान, रखरखाव या नवीनीकरण से संबंधित किसी भी शर्त का पालन करने में विफलता का परिणाम न हो;

- (ग) किसी संविदाकारकी कोई विफलता या देरी, लेकिन केवल उसी सीमा तक जो किसी अन्य राजनीतिक घटना के कारण हुई हो और जिसके परिणामस्वरूप ऐसे संविदाकारद्वारा या उसकी ओर से रियायतग्राही को कोई प्रतिसंतुलनकारी मुआवजा देय न हो; या
- (घ) पूर्वगामी में से किसी के भी समरूप प्रकृति की कोई घटना या परिस्थिति।

32.5 अपरिहार्य घटना की रिपोर्ट करने का कर्तव्य

32.5.1 अपरिहार्य घटना के घटित होने पर, प्रभावित पक्ष तत्काल नोटिस द्वारा दूसरे पक्ष को ऐसी घटना की रिपोर्ट करेगा। इसके अनुसरण में किसी भी नोटिस में निम्नलिखित का पूरा विवरण शामिल होगा:

- (क) प्रत्येक अपरिहार्य घटना की प्रकृति और सीमा जो इस अनुच्छेद 32 के तहत राहत के किसी भी दावे का विषय है, उसके समर्थन में साक्ष्य के साथ;
- (ख) अनुमानित अवधि और वह प्रभाव या संभावित प्रभाव जो ऐसी अपरिहार्य घटना का इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के प्रभावित पक्ष के निष्पादन पर पड़ रहा है या पड़ेगा;
- (ग) प्रभावित पक्ष द्वारा ऐसे अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर इवेंट) के प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे या किए जाने के लिए प्रस्तावित उपाय; और
- (घ) प्रभावित पक्ष के दावे से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी।

32.5.2 प्रभावित पक्ष किसी अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर इवेंट) के लिए या उसके संबंध में किसी भी राहत का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसने दूसरी पार्टी को अप्रत्याशित घटना के घटित होने की सूचना यथाशीघ्र व्यावहारिक रूप से न दे दी हो, और किसी भी स्थिति में प्रभावित पक्ष को इसके घटित होने की जानकारी होने या उचित रूप से जानकारी होनी चाहिए थी, उसके 7 (सात) दिनों के भीतर सूचित न किया हो, और इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन पर अप्रत्याशित घटना के संभावित भौतिक प्रभाव का विवरण न दे दिया हो।

32.5.3 जब तक प्रभावित पक्ष ऐसी अप्रत्याशित घटना से भौतिक रूप से प्रभावित होने का दावा करना जारी रखता है, तब तक वह दूसरी पार्टी को नियमित (और साप्ताहिक से कम नहीं) रिपोर्ट प्रदान करेगा जिसमें खंड 32.5.1 के तहत आवश्यक जानकारी शामिल होगी, और ऐसी अन्य जानकारी प्रदान करेगा जो दूसरी पार्टी प्रभावित पक्ष से प्रदान करने के लिए उचित रूप से अनुरोध कर सकती है।

32.6 रियायत (कन्सेशन) पर अप्रत्याशित घटना का प्रभाव

32.6.1 सीओडी (वाणिज्यिक परिचालन तिथि) से पहले किसी भी अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर, वित्तीय बंद (फाइनेंशियल क्लोज) प्राप्त करने या पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने की अवधि को अप्रत्याशित घटना की अवधि के बराबर अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

32.6.2 सीओडी के बाद किसी भी समय, यदि कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती है:

- (a) ऐसी चरण (फेज) की पूर्णता तिथि से पहले, तो ऐसे चरण के लिए विकास अवधि (डेवलपमेंट पीरियड) को उस अवधि के बराबर बढ़ाया जाएगा जिसके लिए ऐसी अप्रत्याशित घटना बनी रहती है; या
- (b) ऐसी चरण की पूर्णता तिथि के बाद, जिसके परिणामस्वरूप रियायतग्राही (कन्सेशनेयर) सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वैमानिकी शुल्क (एरोनॉटिकल चार्जस) वसूलने में असमर्थ रहता है या उसे प्राधिकरण (अथॉरिटी) या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा ऐसी अप्रत्याशित घटना के बने रहने के दौरान उसकी वसूली को निलंबित करने

का निर्देश दिया जाता है, तो नियामक (रेगुलेटर) ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना के प्रभाव पर विचार करेगा और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उचित उपचार प्रदान करेगा।

32.7 अप्रत्याशित घटना से उत्पन्न होने वाली लागतों का आवंटन

32.7.1 सीओडी से पहले किसी भी अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर, पक्षकार (पार्टीज) अपनी-अपनी लागत वहन करेंगे और किसी भी पक्षकार को दूसरे पक्षकार को उसकी कोई लागत देने की आवश्यकता नहीं होगी।

32.7.2 सीओडी के बाद अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर, ऐसी घटना के कारण उत्पन्न होने वाली और सीधे वैमानिकी सेवाओं से संबंधित लागतें ("अप्रत्याशित घटना लागत" / "फोर्स मेज्योर कॉस्ट्स") को निम्नानुसार आवंटित और भुगतान किया जाएगा:

(क) एक गैर-राजनीतिक घटना के घटित होने पर, पक्षकार अपनी-अपनी अप्रत्याशित घटना लागत वहन करेंगे और किसी भी पक्षकार को दूसरे पक्षकार को उसकी कोई लागत देने की आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) एक अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के घटित होने पर, ऐसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के कारण उत्पन्न होने वाली सभी अप्रत्याशित घटना लागतें, जो ऐसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के लिए स्वीकृत और भुगतान किए गए बीमा कवर से अधिक न हों, रियायतग्राही द्वारा वहन की जाएंगी, और यदि अप्रत्याशित घटना लागत ऐसे स्वीकृत और भुगतान किए गए बीमा कवर से अधिक हो जाती है, तो ऐसी अतिरिक्त राशि का आधा हिस्सा प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को प्रतिपूर्ति किया जाएगा; और

(ग) किसी राजनीतिक घटना के घटित होने पर, ऐसी राजनीतिक घटना के कारण होने वाली सभी अपरिहार्य परिस्थितिजन्य लागतें प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को प्रतिपूर्ति की जाएंगी।

अपरिहार्य परिस्थितिजन्य लागतों में ऋण पर ब्याज भुगतान, ओएंडएम व्यय (संचालन एवं रखरखाव व्यय), मुद्रास्फीति के कारण निर्माण कार्यों की लागत में कोई भी वृद्धि और अपरिहार्य परिस्थितिजन्य घटना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी अन्य सभी लागतें शामिल हो सकती हैं, लेकिन इसमें वैमानिक शुल्कों से राजस्व की हानि या ऋण पुनर्भुगतान दायित्व शामिल नहीं होंगे।

32.7.3 इस अनुच्छेद 32 में स्पष्ट रूप से दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, कोई भी पक्ष किसी भी अपरिहार्य परिस्थितिजन्य घटना के घटित होने या अस्तित्व में होने, या इसके अनुसरण में किसी अधिकार के प्रयोग से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत, व्यय, दावों, मांगों और कार्यवाहियों के संबंध में दूसरे पक्ष के प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

32.8 अपरिहार्य परिस्थितिजन्य घटना के लिए समापन सूचना

यदि कोई अपरिहार्य परिस्थितिजन्य घटना 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों की निरंतर अवधि के भीतर 180 (एक सौ अस्सी) दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए बनी रहती है, तो कोई भी पक्ष इस अनुच्छेद 32 में दिए गए प्रावधानों के अलावा, किसी भी तरह से उत्तरदायी हुए बिना, दूसरे पक्ष को समापन सूचना जारी करके अपने विवेक से इस समझौते को समाप्त कर सकता है, और ऐसी समापन सूचना जारी होने पर, इसमें किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, यह समझौता तत्काल समाप्त माना जाएगा; बशर्ते कि ऐसी समापन सूचना जारी करने से पहले, समापन सूचना जारी करने का इरादा रखने वाला पक्ष दूसरे पक्ष को अपने इस इरादे की सूचना देगा और अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा, और ऐसे 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद, चाहे उसे ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हो या नहीं, वह अपने पूर्ण विवेक से समापन सूचना जारी कर सकता है।

32.9 अपरिहार्य परिस्थितिजन्य घटना के लिए समापन भुगतान

32.9.1 यदि समापन किसी गैर-राजनीतिक घटना के कारण होता है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को समापन भुगतान की 70% (सत्तर प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जिसमें से स्वीकृत और भुगतान किए गए बीमा कवर को घटा दिया जाएगा।

32.9.2 यदि समापन किसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के कारण होता है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को समापन भुगतान की 100% (एक सौ प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जिसमें से स्वीकृत और भुगतान किए गए बीमा कवर को घटा दिया जाएगा।

32.9.3 यदि समापन किसी राजनीतिक घटना के कारण होता है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को उतनी ही राशि का भुगतान करेगा जितनी प्राधिकरण की चूक के कारण होने वाले समापन पर देय होगी।

32.10 विवाद समाधान

यदि पक्षकार सद्भावपूर्वक किसी अपरिहार्य परिस्थितिजन्य घटना के घटित होने या अस्तित्व के बारे में सहमत होने में असमर्थ रहते हैं, तो ऐसे विवाद का अंतिम निपटारा विवाद समाधान प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा; बशर्ते कि ऐसी अपरिहार्य परिस्थितिजन्य घटना के घटित होने या अस्तित्व के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने का दायित्व उस पक्ष पर होगा जो ऐसी अपरिहार्य परिस्थितिजन्य घटना के कारण राहत और/या छूट का दावा कर रहा है।

32.11 दायित्वों के निष्पादन से छूट

यदि प्रभावित पक्ष किसी अपरिहार्य परिस्थितिजन्य घटना के कारण इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में पूरी तरह से या आंशिक रूप से असमर्थ हो जाता है, तो उसे उस सीमा तक अपने ऐसे दायित्वों के निष्पादन से छूट दी जाएगी, जिस सीमा तक वह ऐसी अपरिहार्य परिस्थितिजन्य घटना के कारण निष्पादन करने में असमर्थ है, बशर्ते कि:

- (क) कार्य-निष्पादन का ऐसा निलंबन अप्रत्याशित द्वारा आवश्यक सीमा और अवधि से अधिक का नहीं होगा;
- (ख) प्रभावित पक्ष ऐसी बल प्रयुक्त घटना की उपस्थिति या घटित होने के परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष को होने वाली क्षति को कम या सीमित करने और पूरी तत्परता के साथ उसका उपचार करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा; और
- (ग) जब प्रभावित पक्ष इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का निष्पादन फिर से शुरू करने में सक्षम हो जाता है, तो वह दूसरे पक्ष को इस आशय का नोटिस देगा और तुरंत अपने दायित्वों का निष्पादन शुरू कर देगा।

32.12 अप्रत्याशित घटनाओं के लिए राहत

32.12.1 इस समझौते में शामिल या संदर्भित न की गई किसी अप्रत्याशित घटना, स्थिति या समान परिस्थितियों के उत्पन्न होने और जारी रहने पर, जिसे एक सतर्क और परिश्रमी व्यक्ति द्वारा पहले से नहीं देखा जा सकता था ("अप्रत्याशित घटना"), कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने की सूचना लिखित रूप में दे सकता है, जिसमें उसका विवरण और परियोजना की लागत, व्यय और राजस्व पर उसके प्रभावों का उल्लेख हो। ऐसे नोटिस के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, पक्षकार सद्भावना से बैठक करेंगे और यह निर्धारित करने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसी अप्रत्याशित घटना घटित हुई है और जारी है, और इसके घटित होने पर सहमति बनने के बाद, इस क्लॉज़ 32.12 के प्रावधानों के अनुसार इसका समाधान करेंगे।

32.12.2 अप्रत्याशित घटना के घटित होने और जारी रहने के निर्धारण पर, पक्षकार इसे एक सुलह न्यायाधिकरण को संदर्भित करेंगे, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके व्यक्तियों में से एक-एक सदस्य नामांकित किया जाएगा और इस प्रकार नामांकित मध्यस्थ मिलकर एक अध्यक्ष का चयन करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो।

32.12.3 क्लॉज़ 32.12.2 में संदर्भित सुलह न्यायाधिकरण अपनी कार्यवाही अनुच्छेद 41 के प्रावधानों के अनुसार संचालित करेगा, मानो यह उस अनुच्छेद के तहत एक मध्यस्थता कार्यवाही हो, सिवाय इसके कि जैसा इस क्लॉज़ 32.12 में प्रदान किया गया है।

32.12.4 इस क्लॉज़ 32.12 में संदर्भित सुलह न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक कार्यवाही संचालित करेगा कि:

(क) एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई है;

(ख) ऐसी अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को किसी ऐसे उपचार या राहत के बिना कम नहीं किया जा सकता है जो समझौते में परिकल्पित नहीं है; और

(ग) अप्रत्याशित घटना या उसके प्रभाव किसी भी पक्ष द्वारा अपने किसी कार्य या लोप के कारण नहीं हुए हैं, और यदि सुलह न्यायाधिकरण संतुष्ट है कि उपर्युक्त विनिर्दिष्ट शर्तों में से प्रत्येक पूरी होती है, तो वह इस आशय का एक आदेश जारी करेगा और इस क्लॉज़ 32.12 के तहत आगे की कार्यवाही संचालित करेगा।

32.12.5 इस क्लॉज़ 32.12 में संदर्भित सुलह कार्यवाही पूरी होने पर, सुलह न्यायाधिकरण एक सकारण आदेश द्वारा सिफारिशें कर सकता है और संदर्भ की शर्तें निर्धारित कर सकता है, जो:

(क) एक निष्पक्ष और पारदर्शी औचित्य पर आधारित होंगी;

(ख) अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक सीमा से अधिक नहीं होंगी;

(ग) अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक अवधि से अधिक समय के लिए नहीं होंगी; और

(घ) राहत या उपचार के संदर्भ में परिमाणित और प्रतिबंधित होंगी।

32.12.6 क्लॉज़ 32.12.5 में संदर्भित आदेश और संदर्भ की शर्तें प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, पक्षकार मिलेंगे और सुलह न्यायाधिकरण द्वारा अनुशंसित राहत या उपचार को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने और उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सद्भावना से प्रयास करेंगे। ऐसे समझौते की शर्तें प्रभावी होंगी मानो वे इस समझौते का हिस्सा हों, और यदि आवश्यक हो, तो इस समझौते की संबंधित शर्तों को संशोधित माना जाएगा।

अनुच्छेद 33. समझौते के उल्लंघन के लिए मुआवजा

33.1 रियायतग्राही द्वारा चूक के लिए मुआवजा

क्लॉज़ 33.4 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के किसी महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक की स्थिति में, वह प्राधिकरण को मुआवजे के रूप में ऐसे महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक के परिणामस्वरूप प्राधिकरण द्वारा वहन की गई प्रत्यक्ष लागत का भुगतान मांग पत्र प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर आवश्यक विवरणों के साथ करेगा; बशर्ते कि इस अनुच्छेद 33 के तहत ऐसे किसी उल्लंघन के लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा जिसके लिए इस समझौते के तहत स्पष्ट रूप से हर्जाना निर्दिष्ट और देय है, या प्राधिकरण को हुए किसी परिणामी नुकसान के लिए।

33.2 प्राधिकरण द्वारा चूक के लिए मुआवजा

क्लॉज़ 33.4 के प्रावधानों के अधीन, वाणिज्यिक संचालन तिथि के बाद किसी भी समय प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक की स्थिति में, वह रियायतग्राही को मुआवजे के रूप में ऐसे महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक के परिणामस्वरूप वहन की गई प्रत्यक्ष लागत का भुगतान मांग पत्र प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर आवश्यक विवरणों के साथ करेगा, बशर्ते कि ऐसा कोई मुआवजा देय नहीं होगा जिसके लिए इस समझौते में स्पष्ट रूप से हर्जाना निर्दिष्ट किया गया है।

संदेह निवारण के लिए, देय मुआवजे में ऋण पर ब्याज भुगतान, ओएंडएम (संचालन एवं रखरखाव) व्यय, मुद्रास्फीति के कारण पूंजीगत लागत में वृद्धि और अन्य सभी लागतें शामिल हो सकती हैं जो सीधे ऐसे महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक के कारण हुई हैं, लेकिन इसमें राजस्व का नुकसान, ऋण पुनर्भुगतान दायित्व या अन्य परिणामी नुकसान शामिल नहीं होंगे।

33.3 रियायत अवधि का विस्तार

क्लॉज़ 33.4 के प्रावधानों के अधीन, इस स्थिति में कि क्लॉज़ 33.2 में निर्धारित समझौते के महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक के कारण किसी भी चरण के वाणिज्यिक संचालन तिथि (COD) को प्राप्त करने में देरी होती है या निलंबन होता है, प्राधिकरण क्लॉज़ 33.2 के तहत मुआवजे के भुगतान के बदले रियायत अवधि को बढ़ाने पर विचार कर सकता है। रियायत अवधि में ऐसे विस्तार की अवधि पर प्राधिकरण द्वारा उस समय विचार और निर्धारण किया जाएगा।

33.4 लागत और क्षति को कम करना

प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा समझौते के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली लागत और क्षति को कम या सीमित करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा।

33.5 मुआवजा अतिरिक्त होगा

ऊपर बताए गए के अलावा, इस अनुच्छेद 33 के तहत देय मुआवजा समझौते की समाप्ति सहित इस समझौते के तहत पक्षों के अन्य अधिकारों और उपचारों के अतिरिक्त और उनके पूर्वाग्रह के बिना होगा।

अनुच्छेद 34. रियायतग्राही के अधिकारों का निलंबन

34.1 रियायतग्राही की चूक पर निलंबन

रियायतग्राही की चूक की स्थिति में, प्राधिकरण इस समझौते के तहत अपने अन्य अधिकारों और उपचारों (समाप्ति के अधिकारों सहित) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, (a) इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों को निलंबित करने का हकदार होगा जिसमें शुल्क और अन्य राजस्व एकत्र करने का अधिकार शामिल है, और (b) इस निलंबन ("निलंबन") के दौरान स्वयं ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने और दायित्वों का निष्पादन करने या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत करने का हकदार होगा। इसके तहत निलंबन प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को नोटिस जारी होने के तुरंत बाद प्रभावी होगा और नोटिस जारी होने की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक की अवधि तक नहीं बढ़ेगा, बशर्ते कि रियायतग्राही और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण उक्त 180 दिनों की अवधि को 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा देगा।

34.2 रियायतग्राही की ओर से कार्य करने का प्राधिकरण

34.2.1 निलंबन की अवधि के दौरान, प्राधिकरण रियायतग्राही की ओर से इस समझौते के अनुसार सभी शुल्क और राजस्व एकत्र करेगा और उसे एस्क्रो खाते में जमा करेगा। प्राधिकरण ओएंडएम खर्चों को पूरा करने और निलंबन के कारणों के उपचार और सुधार के लिए वहन की गई लागतों को पूरा करने के लिए, और उसके बाद क्लॉज़ 29.3 में निर्दिष्ट खर्चों के भुगतान के लिए एस्क्रो खाते से निकासी करने का हकदार होगा।

34.2.2 निलंबन की अवधि के दौरान, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही में निहित सभी अधिकार और दायित्व रियायतग्राही में निहित रहेंगे और प्राधिकरण द्वारा इस समझौते और परियोजना समझौतों के अनुसार रियायतग्राही के दायित्वों के निर्वहन के लिए किए गए सभी कार्य या व्यय रियायतग्राही की ओर से किए गए माने जाएंगे और रियायतग्राही इस अवधि के दौरान वहन की गई सभी लागतों के लिए प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। रियायतग्राही इसके द्वारा प्राधिकरण या इस अनुच्छेद 34 के तहत अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को हवाई अड्डे और उसके संचालन, प्रबंधन, डिजाइन, इंजीनियरिंग और विकास के संबंध में रियायतग्राही की बौद्धिक संपदा का उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है।

34.3 निलंबन का प्रतिसंहरण

यदि प्राधिकरण ने क्लॉज़ 34.1 में निर्धारित अवधि के भीतर निलंबन के कारण को ठीक या दूर कर दिया है, तो वह तुरंत निलंबन को रद्द कर देगा और इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों को बहाल कर देगा। पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि प्राधिकरण अपने विवेक से किसी भी समय निलंबन रद्द कर सकता है, चाहे निलंबन का कारण ठीक किया गया हो या नहीं।

34.4 रियायतग्राही का प्रतिस्थापन

क्लॉज़ 38.5 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण के हस्तक्षेप अधिकारों के प्रयोग के अधीन, निलंबन की अवधि के दौरान किसी भी समय, वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऋणदाताओं के प्रतिनिधि प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के हकदार होंगे, और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि से नोटिस प्राप्त होने पर प्राधिकरण निलंबन की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अनधिक की अवधि के लिए समाप्ति को रोक कर रखेगा ताकि ऋणदाताओं के प्रतिनिधि प्रतिस्थापन के अधिकार का प्रयोग कर सकें।

34.5 निलंबन

34.5.1 इस अनुच्छेद 34 के तहत निलंबन की अवधि के दौरान किसी भी समय, रियायतग्राही नोटिस द्वारा प्राधिकरण से निलंबन रद्द करने और समाप्ति नोटिस जारी करने की मांग कर सकता है। इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के प्रतिस्थापन के अधिकार के अधीन, प्राधिकरण ऐसा नोटिस प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर इस समझौते को अनुच्छेद 35 के तहत समाप्त कर देगा मानो यह रियायतग्राही की चूक हो।

34.5.2 इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, यदि निलंबन की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर या बढ़ाई गई अवधि के भीतर निलंबन वापस नहीं लिया जाता है, तो यह समझौता उक्त अवधि की समाप्ति पर पक्षों की पारस्परिक सहमति से समाप्त माना जाएगा और इस समझौते के सभी प्रावधान लागू होंगे।

अनुच्छेद 35. निलंबन

35.1 रियायतग्राही की चूक के कारण समाप्ति

35.1.1 इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए के अलावा, इस स्थिति में कि नीचे निर्दिष्ट चूकों में से कोई भी घटित हुई हो, और रियायतग्राही नीचे दी गई उपचार अवधि के भीतर या जहां कोई उपचार अवधि निर्दिष्ट नहीं है, वहां 60 (साठ) दिनों की उपचार अवधि के भीतर चूक को ठीक करने में विफल रहता है, तो रियायतग्राही को इस समझौते की चूक में माना जाएगा ("रियायतग्राही की चूक"), जब तक कि चूक प्राधिकरण द्वारा समझौते के किसी उल्लंघन या बल प्रयुक्त घटना के कारण न हुई हो। संदर्भित चूकों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को क्लॉज़ 9.2 के अनुसार भुनाया और विनियोजित किया गया है और रियायतग्राही 15 (पंद्रह) दिनों की उपचार अवधि के भीतर नई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी प्रदान करने में विफल रहता है;
- (ख) क्लॉज़ 9.2 के अनुसार नई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी प्रस्तुत करने के बाद, रियायतग्राही 120 (एक सौ बीस) दिनों की उपचार अवधि के भीतर किसी शर्त को पूरा करने या रियायतग्राही की चूक को ठीक करने में विफल रहता है;
- (ग) रियायतग्राही क्लॉज़ 12.5.2 और अनुसूची च के प्रावधानों के अनुसार देय नवीनतम चरण मील का पत्थर प्राप्त नहीं करता है और 120 दिनों की उपचार अवधि के दौरान चूक में बना रहता है;
- (घ) रियायतग्राही प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना हवाई अड्डे के निर्माण या संचालन को छोड़ देता है या छोड़ने का इरादा प्रकट करता है;
- (ङ) किसी चरण का पूरा होना क्लॉज़ 12.5.4 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं होता है;
- (च) पंच सूची की वस्तुएं क्लॉज़ 14.4.1 में निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं हुई हैं;
- (छ) खंड 19.6.9 के अनुसार रियायत वर्ष के लिए रियायतग्राही द्वारा देय हर्जाने की राशि पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के वार्षिक रियायत शुल्क के 2% (दो प्रतिशत) या उससे अधिक के बराबर है;
- (ज) रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान किसी भी निरंतर 6 (छह) महीनों की अवधि में अनुसूची H में निर्दिष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) की महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं के 2/3 (दो-तिहाई) से अधिक का उल्लंघन करता है;
- (झ) रियायतग्राही चरण I की पूर्णता तिथि से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के भीतर क्लॉज़ 23.6 के अनुसार आईएसओ और अन्य प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफल रहता है;
- (ञ) रियायतग्राही इस समझौते में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राधिकरण को कोई भी भुगतान करने में विफल रहा है;
- (ट) एक एस्क्रो चूक हुई है और रियायतग्राही 15 (पंद्रह) दिनों की उपचार अवधि के भीतर चूक को ठीक करने में विफल रहता है;
- (ठ) वित्तीय चूक के घटित होने पर, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि ने नोटिस द्वारा प्राधिकरण से प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार निलंबन या समाप्ति करने की मांग की है और रियायतग्राही विनिर्दिष्ट उपचार अवधि के भीतर चूक को ठीक करने में विफल रहता है;
- (ड) रियायतग्राही द्वारा किसी भी परियोजना समझौते के उल्लंघन के कारण सामग्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;
- (ढ) रियायतग्राही इस समझौते के उल्लंघन में कोई भार/बंधक बनाता है;
- (ण) रियायतग्राही इस समझौते को अस्वीकार करता है या अन्यथा कोई ऐसी कार्रवाई करता है या इरादा प्रदर्शित करता है कि वह समझौते से बाध्य नहीं रहना चाहता;
- (त) स्वामित्व में परिवर्तन या कोई अन्य परिवर्तन क्लॉज़ 5.3 के प्रावधानों के उल्लंघन में हुआ है;

- (थ) कानून के अनुसार या तो (i) परियोजना समझौतों में से किसी के तहत रियायतग्राही के अधिकारों और/या दायित्वों का, या (ii) रियायतग्राही की संपत्ति या उपक्रम के सभी या किसी हिस्से का हस्तांतरण होता है, और ऐसा हस्तांतरण सामग्री पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है;
- (द) रियायतग्राही की किसी भी संपत्ति पर की गई कुर्की/अमल के कारण सामग्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;
- (ध) रियायतग्राही को दिवालिया या शोधन अक्षम घोषित किया जाता है, या यदि रियायतग्राही के लिए या उसकी पूरी या महत्वपूर्ण संपत्ति के लिए कोई ट्रस्टी या रिसीवर नियुक्त किया जाता है जिसका परियोजना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है;
- (न) रियायतग्राही का परिसमापन, विघटन, समापन, समामेलन या पुनर्गठन इस तरह से किया गया है या किया जा रहा है जिससे प्राधिकरण की उचित राय में सामग्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;
- (न) रियायतग्राही के समापन का प्रस्ताव पारित किया जाता है, या सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा समापन की याचिका स्वीकार की जाती है और एक अंतरिम परिसमापक या रिसीवर नियुक्त किया जाता है और ऐसा आदेश 90 दिनों के भीतर रद्द नहीं किया गया है; या यदि रियायतग्राही को अदालत द्वारा बंद करने का आदेश दिया जाता है, सिवाय समामेलन या पुनर्गठन के उद्देश्यों के;
- (प) रियायतग्राही का कोई भी प्रतिनिधित्व या वारंटी जो यहां निहित है, भौतिक रूप से असत्य, गलत या भ्रामक पाई जाती है;
- (फ) रियायतग्राही प्राधिकरण को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई भी विवरण, नोटिस या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है, जिसका प्राधिकरण के अधिकारों पर भौतिक प्रभाव पड़ता है।
- (ब) रियायतग्राही इस समझौते में विनिर्दिष्ट किसी भी ऐसे दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है, जिसके विफल होने पर समापन निर्धारित किया गया है;
- (भ) रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए समापन सूचना जारी करता है; या
- (म) रियायतग्राही इस समझौते के किसी अन्य प्रावधान का पालन करने में चूक करता है, यदि ऐसी चूक से प्राधिकरण पर कोई तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

35.1.2 इस समझौते के तहत प्राधिकरण को प्राप्त किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही की चूक होने पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को एक समापन सूचना जारी करके इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा; बशर्ते कि समापन सूचना जारी करने से पहले, प्राधिकरण एक नोटिस द्वारा रियायतग्राही को समापन सूचना जारी करने के अपने इरादे से अवगत कराएगा और रियायतग्राही को प्रतिनिधित्व करने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा, और ऐसे 15 (पंद्रह) दिनों की समाप्ति के बाद, चाहे उसे ऐसा प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ हो या नहीं, क्लॉज 35.1.3 के प्रावधानों के अधीन समापन सूचना जारी कर सकता है।

35.1.3 प्राधिकरण, यदि वरिष्ठ ऋणदाता हों, तो क्लॉज 35.1.2 में संदर्भित समापन सूचना जारी करने के अपने इरादे के नोटिस की एक प्रति ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को सूचित करने के लिए भेजेगा और वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने का इरादा बताते हुए प्रतिनिधित्व करने के लिए ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा। इस स्थिति में, यदि प्राधिकरण को वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऐसा प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, तो वह अपने विवेक से, ऐसे प्रतिनिधित्व की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक की अवधि के लिए समापन को रोक कर रखेगा या निलंबन के अपने अधिकार का प्रयोग करेगा, जैसा भी मामला हो, ताकि ऋणदाताओं का प्रतिनिधि प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रतिस्थापन के अधिकार का प्रयोग कर सके:

बशर्ते कि ऋणदाताओं का प्रतिनिधि, वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रतिस्थापन के अधिकार का प्रयोग करने के बजाय, यह सुनिश्चित कर सकता है कि नोटिस में निर्दिष्ट चूक को उक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि के भीतर सुधारा जाए, और इस तरह के सुधार पर, प्राधिकरण ऊपर संदर्भित अपने नोटिस को वापस ले लेगा और रियायतग्राही के सभी अधिकारों को बहाल कर देगा।

बशर्ते आगे कि ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण उक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि को 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक की ऐसी और अवधि के लिए बढ़ाएगा, जैसा कि प्राधिकरण उचित समझे।

35.2 प्राधिकरण की चूक के कारण समापन

35.2.1 इस स्थिति में कि नीचे निर्दिष्ट चूकों में से कोई भी चूक हुई हो, और प्राधिकरण ऐसी चूक को 90 (नब्बे) दिनों की उपचार अवधि के भीतर या इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई लंबी अवधि के भीतर सुधारने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण को इस समझौते की चूक में माना जाएगा ("प्राधिकरण की चूक") जब तक कि यह चूक रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप या अप्रत्याशित घटना के कारण न हुई हो। यहाँ संदर्भित चूकों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (a) प्राधिकरण इस समझौते के किसी भी प्रावधान का पालन करने में तात्त्विक चूक करता है और ऐसी चूक का रियायतग्राही पर तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;
- (b) प्राधिकरण इस समझौते का परित्याग करता है या अन्यथा कोई ऐसी कार्रवाई करता है जो इस समझौते से बाध्य न होने के अपरिवर्तनीय इरादे के समान है या उसे प्रकट करती है।

35.2.2 प्राधिकरण की चूक होने पर रियायतग्राही को इस समझौते के तहत प्राप्त किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही, प्रतिस्थापन समझौते के प्रावधानों के अधीन, प्राधिकरण को एक समापन सूचना जारी करके इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा; बशर्ते कि समापन सूचना जारी करने से पहले, रियायतग्राही एक नोटिस द्वारा प्राधिकरण को समापन सूचना जारी करने के अपने इरादे से अवगत कराएगा और प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व करने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा, और ऐसे 15 (पंद्रह) दिनों की समाप्ति के बाद, चाहे उसे ऐसा प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ हो या नहीं, समापन सूचना जारी कर सकता है।

35.3 समापन भुगतान

35.3.1 प्राधिकरण की चूक के कारण समापन होने पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समापन भुगतान के 120% (एक सौ बीस प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

35.3.2 रियायतग्राही की चूक के कारण समापन होने पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समापन भुगतान के 70% (सत्तर प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जिसमें से स्वीकृत और भुगतान किया गया बीमा कवर घटा दिया जाएगा।

35.3.3 समय बीतने के कारण रियायत अवधि की समाप्ति पर समापन होने पर:

(क) प्राधिकरण रियायतग्राही को निम्नलिखित में से जो भी कम हो, उसके 50% (पचास प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा:

- (i) नगर पक्षीय विकास का हिस्सा बनने वाली ऐसी परियोजना आस्तियों का अवमूल्यित बही मूल्य यदि कोई हो, जिन्हें वाणिज्यिक संचालन तिथि की 30वीं वर्षगांठ तक रियायतग्राही के बही-खातों में पूंजीकृत किया गया हो; और
- (ii) नगर पक्षीय विकास का हिस्सा बनने वाली ऐसी परियोजना आस्तियों का मूल्य, जिन्हें वाणिज्यिक संचालन तिथि की 30वीं वर्षगांठ तक रियायतग्राही के बही-खातों में पूंजीकृत किया गया हो, जैसा कि एक अनुमोदित

मूल्यांकक द्वारा निर्धारित किया गया हो, जिसे हस्तांतरण तिथि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा चुना और नियुक्त किया जाएगा, और जो अपनी नियुक्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर अपना निर्धारण प्रस्तुत करेगा।

(ख) हस्तांतरण तिथि के अनुसार रियायतग्राही द्वारा वैमानिक आस्तियों गैर-वैमानिक आस्तियों (नगर पक्षीय विकास का हिस्सा बनने वाली आस्तियों को छोड़कर) और किसी भी कार्य-प्रगति के लिए प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को कोई समापन भुगतान नहीं किया जाएगा। संदेह निवारण के लिए, सभी वैमानिक आस्तियां, गैर-वैमानिक आस्तियां (नगर पक्षीय विकास का हिस्सा बनने वाली आस्तियों को छोड़कर) और हस्तांतरण तिथि पर रियायतग्राही द्वारा की जा रही कोई भी कार्य-प्रगति हस्तांतरण तिथि पर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क सौंप दी जाएगी।

35.3.4 पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि क्लॉज 27.6, 32.9, 35.3 और 39.3 के अनुसरण में किया गया समापन भुगतान:

(a) रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण से आवश्यक विवरणों के साथ मांग किए जाने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर देय और भुगतान योग्य हो जाएगा, और किसी भी देरी की स्थिति में, प्राधिकरण समापन भुगतान की अदत्त राशि पर बैंक दर (Bank Rate) से 3% (तीन प्रतिशत) अधिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

(b) इस समझौते के समापन के कारण रियायतग्राही के सभी दावों का पूर्ण और अंतिम निपटान होगा, और इसके तहत प्राधिकरण अपने भुगतान दायित्वों से मुक्त हो जाएगा, और रियायतग्राही या उसके किसी भी शेरधारक के पास किसी भी कानून, संधि, अभिसमय, अनुबंध या अन्यथा के तहत कोई और अधिकार या दावा नहीं होगा।

35.4 प्राधिकरण के अन्य अधिकार और दायित्व

किसी भी कारण से समापन होने पर, प्राधिकरण तुरंत:

(क) हवाईअड्डे का कब्जा और नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा;

(ख) स्थल पर या उसके आस-पास की सभी सामग्रियों, भंडारों, उपकरणों, निर्माण संयंत्रों और मशीनरी का कब्जा और नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा;

(ग) रियायतग्राही और रियायतग्राही के माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थल या परियोजना के किसी भी हिस्से में प्रवेश करने से रोकने का हकदार होगा;

(घ) रियायतग्राही से अनुच्छेद 36 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं का पालन करने की अपेक्षा करेगा; और

(ङ) प्राधिकरण द्वारा चयन किए जाने पर, रियायतग्राही द्वारा किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता के बिना, ऐसे परियोजना समझौतों (के तहत रियायतग्राही के हितों का उत्तराधिकारी होगा जिन्हें प्राधिकरण अपने विवेक से उपयुक्त समझे...

35.5 अधिकारों का बने रहना

इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, लेकिन क्लॉज 35.3 के प्रावधानों के अधीन, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार कोई भी समापन किसी भी पक्ष के अर्जित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, जिसमें धन क्षतिपूर्ति बीमा लाभ, सुरक्षा जमा और अन्य अधिकार और उपचार का दावा करने और वसूलने का अधिकार शामिल है, जो उसे कानून या अनुबंध में प्राप्त हो सकता है।

अनुच्छेद 36. अधिकारों और हितों का विनिवेश

36.1 विनिवेश अपेक्षाएं

36.1.1 निलंबन होने पर, रियायतग्राही निम्नलिखित विनिवेश आवश्यकताओं का अनुपालन और पालन करेगा:

- (क) प्राधिकरण (अथॉरिटी) को तत्काल सभी परियोजना आस्तियों (प्रोजेक्ट एसेट्स) के स्थान और विवरण के बारे में सूचित करेगा;
- (ख) विमानपत्तन (एयरपोर्ट) का वास्तविक या रचनात्मक कब्जा तत्काल सौंपेगा, जो सभी विल्लंगमों (एन्कम्ब्रन्सेस) से मुक्त और साफ हो, सिवाय उस सीमा के जो प्रतिस्थापन समझौते (सबस्टीट्यूशन एग्रीमेंट) में निर्धारित की गई हो;
- (ग) सभी परियोजना आस्तियों के सभी दोषों और कमियों को दूर करेगा ताकि विमानपत्तन इस समझौते के अनुरूप हो, बशर्ते कि विकास अवधि (डेवलपमेंट पीरियड) के दौरान समापन की स्थिति में, सभी परियोजना आस्तियों को सुरक्षित स्थिति में लाने के बाद 'जैसा है जहाँ है' के आधार पर सौंपा जाएगा;
- (घ) विमानपत्तन और उसके संचालन, प्रबंधन, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और विकास से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड, रिपोर्ट, बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) और अन्य लाइसेंस सौंपेगा और स्थानांतरित करेगा, जिसमें मास्टर प्लान और उससे संबंधित सभी कार्यक्रम और नियमावलियां (मैनुअल), तथा हस्तांतरण तिथि (ट्रांसफर डेट) तक के पूर्ण 'एज-बिल्ट' (यथा-निर्मित) रेखाचित्र (ड्राइंग्स) शामिल हैं। रियायतग्राही यह अभ्यावेदन और वारंटी देता है कि इसके तहत सौंपी गई बौद्धिक संपदा विमानपत्तन के संचालन, प्रबंधन, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और विकास के लिए पर्याप्त और पूर्ण होगी तथा प्राधिकरण को किसी भी विल्लंगम से मुक्त सौंपी जाएगी;
- (ङ) लागू कानूनों (एप्लीकेबल लॉज़) के तहत अनुमेय सीमा तक सभी लागू परमिटों (एप्लीकेबल परमिट्स) को स्थानांतरित और वितरित करेगा;
- (च) परियोजना आस्तियों में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, हक और हितों को हस्तांतरित करने, विनिवेश करने और सौंपने के लिए प्राधिकरण द्वारा आवश्यक ऐसे प्रलेखों (डीड्स ऑफ़ कन्वेंस), दस्तावेजों और अन्य दस्तावेजों को निष्पादित करेगा, जिसमें किसी भी संयंत्र या उपकरण के संबंध में निर्माताओं की वारंटी और प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य सीमा तक बकाया बीमा दावों को प्राप्त करने का अधिकार पूर्ण रूप से प्राधिकरण या उसके नामांकित व्यक्ति को शामिल है; और
- (छ) विमानपत्तन में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, हक और हितों के विनिवेश और समनुदेशन (असाइनमेंट) को सभी विल्लंगमों से मुक्त रूप से प्राधिकरण या उसके नामांकित व्यक्ति को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए लागू कानूनों के तहत निर्धारित या आवश्यक अन्य सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

36.1.2 इस समझौते या किसी भी परियोजना समझौते के तहत प्राधिकरण द्वारा किसी तीसरी पार्टी से रियायतग्राही के दायित्वों का निष्पादन कराने या प्राप्त करने के अपने अधिकारों के प्रयोग के अधीन रहते हुए, दोनों पक्ष इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का निष्पादन जारी रखेंगे, भले ही कोई समापन नोटिस जारी किया गया हो, जब तक कि इस समझौते का समापन इसकी शर्तों के अनुसार प्रभावी नहीं हो जाता।

36.2 निरीक्षण और सुधार

समापन से 90 (नब्बे) दिन पहले से पहले नहीं बल्कि ऐसे समापन की प्रभावी तिथि से 15 (पंद्रह) दिन पहले तक, प्राधिकरण या उसका कोई भी नामांकित व्यक्ति, रियायतग्राही को ऐसे सत्यापन और निरीक्षण के समय,

तिथि और स्थान को निर्दिष्ट करते हुए उचित नोटिस देने के बाद, रियायतग्राही द्वारा इस समझौते की शर्तों के अनुपालन का सत्यापन करेगा, और यदि आवश्यक हो, तो इस उद्देश्य के लिए रियायतग्राही की लागत पर उचित परीक्षण करवाएगा।

इस अनुच्छेद 36 के अधीन त्रुटियों या कमियों को सुधारने के संबंध में, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

36.3 परियोजना के हस्तांतरण पर सहयोग और सहायता

36.3.1 पक्षकार सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर सहयोग करेंगे और सद्भावनापूर्वक वे सभी आवश्यक उपाय करेंगे, जिससे इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार परियोजना का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके, ताकि उपयोगकर्ताओं, जनता के अन्य सदस्यों या स्थल के किसी भी हिस्से के वैध अधिभोगियों की सुरक्षा की जा सके और उन्हें होने वाले अनुचित विलंब या असुविधा से बचाया जा सके।

36.3.2 समय बीतने के कारण समापन की स्थिति में हस्तांतरण तिथि से 9 (नौ) महीने पूर्व, और किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को समापन सूचना जारी करने के अपने इरादे से अवगत कराने की स्थिति में तत्काल, जैसा भी मामला हो, पक्षकार एक-दूसरे को हस्तांतरण तिथि के बाद हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए प्रस्तावित व्यवस्थाओं के संबंध में व्यावहारिक रूप से संभव उतनी जानकारी और सलाह प्रदान करेंगे। रियायतग्राही आगे ऐसी उचित सलाह और सहायता प्रदान करेगा जो प्राधिकरण या उसके रियायतग्राही एजेंट को हस्तांतरण तिथि के बाद 6 (छह) महीने की समाप्ति तक परियोजना के संचालन के लिए उचित रूप से आवश्यक हो।

36.3.3 प्राधिकरण के पास रियायतग्राही से उचित बाजार मूल्य पर और किसी भी भार/बाधा से मुक्त, परियोजना के संबंध में उपयोग की जाने वाली संयंत्र और machinery के सभी या किसी भी हिस्से को खरीदने या किराए पर लेने का विकल्प होगा, जो खंड 36.1.1 में निर्दिष्ट परियोजना परिसंपत्तियों का हिस्सा नहीं है और परियोजना के संचालन के संबंध में उचित रूप से आवश्यक है।

36.4 निहितकरण प्रमाणपत्र

हवाई अड्डे में सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों का विनिवेश उस तिथि को पूर्ण माना जाएगा जब विनिवेश की सभी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हों, और प्राधिकरण, बिना किसी अनुचित विलंब के, इसके बाद अनुसूची 'ओ' में दिए गए प्रारूप में मूल रूप से एक प्रमाणपत्र जारी करेगा ("निहितकरण प्रमाणपत्र"), जो रियायतग्राही द्वारा हवाई अड्डे में अपने सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों के विनिवेश और इसके अनुसरण में प्राधिकरण में उनके निहित होने का साक्ष्य होगा।

36.5 विनिवेश लागत, आदि

36.5.1 समापन पर प्राधिकरण के पक्ष में परियोजना आस्तियों में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों के विनिवेश से जुड़े सभी प्रासंगिक खर्चों का वहन और भुगतान रियायतग्राही द्वारा किया जाएगा, जिसमें ऐसे विनिवेश के संबंध में रियायतग्राही द्वारा निष्पादित किसी भी विलेख या दस्तावेजों पर देय सभी स्टाम्प शुल्क शामिल हैं।

36.5.2 इस अनुच्छेद 36 के अंतर्गत आने वाले मामलों से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में, विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

अनुच्छेद 37. समापन के पश्चात त्रुटि दायित्व

37.1 समापन के पश्चात त्रुटियों के लिए दायित्व

रियायतग्राही, समापन के पश्चात 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के लिए हवाई अड्डे में सभी त्रुटियों और कमियों के लिए जिम्मेदार होगा, और उक्त अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा हवाईअड्डे में देखी गई सभी त्रुटियों और कमियों को अपनी लागत पर मरम्मत या ठीक करने के लिए बाध्य होगा। यदि रियायतग्राही प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किए गए नोटिस की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर ऐसी त्रुटि या कमी को सुधारने या ठीक करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर इसे सुधारने या ठीक कराने का हकदार होगा ताकि हवाई अड्डे को मुख्य प्रदर्शन संकेतकों और इस समझौते की शर्तों के अनुरूप बनाया जा सके। प्राधिकरण द्वारा इसके तहत किए गए सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति रियायतग्राही द्वारा मांग प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को की जाएगी, और ऐसी लागतों की प्रतिपूर्ति में चूक की स्थिति में, प्राधिकरण खंड 37.2 के प्रावधानों के तहत एस्क्रो खाते में रोकी गई धनराशि से या इसके तहत प्रदान की गई कार्य-निष्पादन गारंटी से इसे वसूल करने का हकदार होगा।

37.2 एस्क्रो खाते में रोक

37.2.1 इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, लेकिन खंड 37.2.3 के प्रावधानों के अधीन, हस्तांतरण तिथि से ठीक पहले के लेखा वर्ष के लिए खातों की परीक्षित बहियों के अनुसार रियायतग्राही के कुल कर-पूर्व सकल राजस्व के 5% (पांच प्रतिशत) के बराबर की राशि खंड 35 के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले दायित्वों, यदि कोई हों, को पूरा करने के लिए समापन के बाद 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के लिए एस्क्रो खाते में रोकी जाएगी।

37.2.2 खंड 37.2.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण स्वयं या अपने नामित व्यक्ति के माध्यम से, समापन से 210 (दो सौ दस) और 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के बीच किसी भी समय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेगा, और यदि यह सिफारिश करता है कि हवाई अड्डे की स्थिति ऐसी है कि खंड 37.2.1 में निर्धारित राशि से बड़ी राशि एस्क्रो खाते में और उपरोक्त 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक की अवधि के लिए रोकी जानी चाहिए, तो प्राधिकरण या स्वतंत्र इंजीनियर (Independent Engineer) द्वारा अनुशंसित राशि उसके द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए एस्क्रो खाते में रोकी जाएगी।

37.2.3 रियायतग्राही, इस अनुच्छेद 37 के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए, प्राधिकरण को किसी बैंक से एक गारंटी प्रदान कर सकता है जो स्थिति के अनुसार खंड 37.2.1 या खंड 37.2.2 के तहत निर्धारित राशि के बराबर हो, और उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए हो, जो मुख्य रूप से अनुसूची 'ई' ('कार्य-निष्पादन गारंटी') में निर्धारित प्रपत्र में होगी, जिसे इस उद्देश्य के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित संशोधित किया जाएगा। प्राधिकरण, इस समझौते के तहत या कानून में अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अनुच्छेद 37 के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर मरम्मत या सुधार करने के लिए कार्य-निष्पादन गारंटी से आवश्यक राशियों को भुनाने और विनियोजित करने का हकदार होगा। इस खंड 37.2.3 के तहत कार्य-निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने पर, स्थिति के अनुसार खंड 37.2.1 या खंड 37.2.2 के नियमों के तहत एस्क्रो खाते में धनराशि को रोकने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 37. समाप्ति के पश्चात त्रुटि दायित्व

37.1 समाप्ति के पश्चात त्रुटियों के लिए दायित्व

रियायतग्राही समाप्ति के पश्चात 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के लिए हवाई अड्डे में सभी त्रुटियों और कमियों के लिए जिम्मेदार होगा, और उसके पास उक्त अवधि के दौरान हवाई अड्डे में प्राधिकरण द्वारा देखी गई सभी त्रुटियों और कमियों की अपने खर्च पर मरम्मत या सुधार करने की बाध्यता होगी। यदि रियायतग्राही इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर ऐसी त्रुटि या कमी की मरम्मत या सुधार करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर उसकी मरम्मत या सुधार कराने का हकदार होगा ताकि हवाई अड्डे को मुख्य निष्पादन सूचकांकों और इस समझौते की शर्तों के अनुरूप बनाया जा सके। प्राधिकरण द्वारा इसके तहत किए गए सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति रियायतग्राही द्वारा उसकी मांग प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को की जाएगी, और ऐसी लागतों की प्रतिपूर्ति में विफलता की स्थिति में, प्राधिकरण खंड 37.2 के प्रावधानों के तहत एस्क्रो खाते में रखी गई धनराशि से या इसके तहत प्रदान की गई निष्पादन गारंटी से वसूल करने का हकदार होगा।

37.2 एस्क्रो खाते में प्रतिधारण

37.2.1 इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, लेकिन खंड 37.2.3 के प्रावधानों के अधीन, हस्तांतरण तिथि से ठीक पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के लिए रियायतग्राही के लेखापरीक्षित खातों की पुस्तकों के अनुसार कुल कर-पूर्व सकल राजस्व के 5% (पाँच प्रतिशत) के बराबर राशि खंड 35 के प्रावधानों से या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले दायित्वों (यदि कोई हो) को पूरा करने के लिए समाप्ति के बाद 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के लिए एस्क्रो खाते में रखी जाएगी।

37.2.2 खंड 37.2.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण स्वयं, या अपने नामांकित व्यक्ति के माध्यम से, समाप्ति से पूर्व 210 (दो सौ दस) और 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के बीच किसी भी समय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेगा, और यदि वह सिफारिश करता है कि हवाई अड्डे की स्थिति ऐसी है कि खंड 37.2.1 में निर्धारित राशि से अधिक राशि एस्क्रो खाते में रखी जानी चाहिए और उपरोक्त 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक अवधि के लिए रखी जानी चाहिए, तो प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता द्वारा अनुशंसित राशि उसके द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए एस्क्रो खाते में रखी जाएगी।

37.2.3 रियायतग्राही, इस अनुच्छेद 37 के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए, प्राधिकरण को यथास्थिति खंड 37.2.1 या खंड 37.2.2 के तहत निर्धारित राशि के बराबर राशि के लिए और उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए, अनुसूची 'ई' (निष्पादन गारंटी) में निर्धारित प्रपत्र में मुख्य रूप से एक बैंक से गारंटी प्रदान कर सकता है, जिसे इस उद्देश्य के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित संशोधित किया जाएगा; और प्राधिकरण, इसके तहत या कानून में अपने अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अनुच्छेद 37 के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर मरम्मत या सुधार करने के लिए निष्पादन गारंटी से आवश्यक राशियों को भुनाने और विनियोजित करने का हकदार होगा। इस खंड 37.2.3 के तहत निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने पर, यथास्थिति खंड 37.2.1 या खंड 37.2.2 के संदर्भ में एस्क्रो खाते में धनराशि के प्रतिधारण को समाप्त कर दिया जाएगा।

ભાગ VI

અન્ય પ્રાવધાન

अनुच्छेद 38. समनुदेशन और प्रभार

38.1 समनुदेशन और प्रभार पर प्रतिबंध

38.1.1 खंड 38.2 और खंड 38.3 के अधीन, यह समझौता रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण की लिखित पूर्व सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को समनुदेशित नहीं किया जाएगा, जिस सहमति को प्राधिकरण बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का हकदार होगा।

38.1.2 खंड 38.2 और खंड 25.6 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही कोई भी विलंगम न तो सृजित करेगा और न ही बने रहने की अनुमति देगा, या अन्यथा इस समझौते या किसी भी परियोजना समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार और लाभों को हस्तांतरित या निपटान नहीं करेगा, जिसमें रियायतग्राही एक पक्षकार है।

38.2 अनुमत समनुदेशन और प्रभार

खंड 38.1 में निर्धारित प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

- (क) हवाई अड्डे के सामान्य व्यवसाय के दौरान लागू कानूनों के संचालन द्वारा (या उसी को साक्ष्य बनाने वाले समझौते द्वारा) उत्पन्न होने वाले धारणाधिकार;
- (ख) परियोजना परिसंपत्तियों (प्राप्य राशियों को छोड़कर) के अलावा अन्य वस्तुओं/परिसंपत्तियों और उनके संबंधित स्वामित्व दस्तावेजों का दृष्टिबंधन/गिरवी, जो हवाई अड्डे के सामान्य व्यवसाय के दौरान उत्पन्न या सृजित होते हैं, और केवल वित्तपोषण समझौतों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रति ऋणग्रस्तता के लिए और/या हवाई अड्डे के लिए कार्यशील पूंजी व्यवस्था के लिए सुरक्षा के रूप में। वरिष्ठ ऋणदाता इस समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकारों के अधीन और उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एस्करो खाते पर धारणाधिकार सृजित करने के हकदार होंगे; और
- (ग) वित्तपोषण समझौतों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा प्रदान किए गए वित्तपोषण के लिए सुरक्षा के रूप में स्थानापन्न समझौते के तहत और उसके अनुसार नामांकित व्यक्ति के रूप में तथा वरिष्ठ ऋणदाताओं के लाभ के लिए ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के पक्ष में रियायतग्राही के अधिकारों, हितों और दायित्वों का समनुदेशन।

38.3 स्थानापन्न समझौता

38.3.1 ऋणदाताओं का प्रतिनिधि, वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से, रियायतग्राही के प्रतिस्थापन के समझौते ('स्थानापन्न समझौता') के अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थानापन्न समझौता ऐसे समय में किया जाना है जैसा कि रियायतग्राही द्वारा अनुरोध किया जाए, और यह रियायतग्राही, प्राधिकरण और वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के बीच मुख्य रूप से अनुसूची P में निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा। हालांकि, शर्त यह है कि यदि वरिष्ठ ऋणदाता, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करते हुए, स्थानापन्न समझौते की शर्तों के अनुसार किसी भी नामांकित कंपनी (Nominated Company) के साथ रियायतग्राही की पहचान या प्रतिस्थापन करने में सक्षम नहीं हैं, तो प्राधिकरण के पास रियायतग्राही को इस तरह से प्रतिस्थापित करने का अधिकार होगा कि प्राधिकरण स्थानापन्न समझौते के उद्देश्यों के लिए एक नामांकित कंपनी हो, और नामांकित कंपनी के किसी भी संदर्भ का अर्थ प्राधिकरण होगा तथा स्थानापन्न समझौते के अन्य सभी नियमों और शर्तों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

38.3.2 स्थानापन्न समझौते के तहत और उसके अनुसार रियायतग्राही के प्रतिस्थापन पर, रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने वाली नामांकित कंपनी को इस समझौते के तहत रियायतग्राही माना जाएगा और वह इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों का आनंद लेगी और सभी दायित्वों के लिए जिम्मेदार होगी मानो वह रियायतग्राही हो, शर्त यह है कि जहां रियायतग्राही ऐसे प्रतिस्थापन की तारीख पर इस समझौते का उल्लंघन कर रहा है, वहां प्राधिकरण नोटिस द्वारा रियायतग्राही को ऐसे उल्लंघन को ठीक करने के लिए 120 (एक सौ बीस) दिनों की उपचार अवधि (Cure Period) प्रदान करेगा।

38.4 प्राधिकरण द्वारा समनुदेशन

इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, रियायतग्राही को 60 (साठ) दिनों का नोटिस देने के पश्चात, इस समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार और लाभों और/या दायित्वों को किसी ऐसे समनुदेशिनी को समनुदेशित और या हस्तांतरित कर सकता है जो प्राधिकरण की तर्कसंगत राय में, इस समझौते के तहत प्राधिकरण के उस समय के सभी बकाया दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है।

38.5 हस्तक्षेप अधिकार

38.5.1 आपात स्थिति (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अपने एकमात्र विवेक में लिखित रूप में सूचित किया गया हो) की स्थिति में, प्राधिकरण को स्वयं या किसी नामांकित सरकारी तंत्र/निकाय के माध्यम से रियायतग्राही के स्थान पर हवाई अड्डे का नियंत्रण अस्थायी रूप से ग्रहण करने का अधिकार है। उस अवधि के दौरान जिसमें हवाई अड्डे पर नियंत्रण प्राधिकरण या नामांकित सरकारी तंत्र द्वारा ग्रहण किया जाता है, प्राधिकरण को उस सीमित अवधि के लिए इस समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों का निर्वहन करने के उद्देश्य से रियायतग्राही माना जाएगा। ऐसी अवधि के दौरान रियायतग्राही के कर्तव्यों और दायित्वों को निलंबित रखा जाएगा और प्राधिकरण या उसका नामांकित सरकारी तंत्र इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे का संचालन और रखरखाव करेगा। हालांकि, शर्त यह है कि उपरोक्त आपात स्थिति और उसके किसी भी प्रभाव के समाप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर, या आपात स्थिति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जो भी लंबी अवधि उचित हो, प्राधिकरण या उसका नामांकित सरकारी तंत्र, यथास्थिति, हवाई अड्डे को (जैसा कि वह उस तारीख को है) रियायतग्राही को वापस सौंप देगा, ताकि इसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार इसका संचालन और प्रबंधन किया जा सके।

38.5.2 ऐसी अवधि के दौरान प्राधिकरण या उसके नामांकित सरकारी तंत्र द्वारा वैमानिक सेवाओं या गैर-वैमानिक सेवाओं के प्रावधान के संबंध में लगाया गया और एकत्र किया गया कोई भी प्रभार, रियायतग्राही के लिए और उसकी ओर से धारित किया जाएगा तथा नीचे दिए गए खंड 38.5.3 के अधीन रियायतग्राही को दिया जाएगा।

38.5.3 रियायतग्राही प्राधिकरण या उसके नामांकित सरकारी तंत्र को, जैसी भी स्थिति हो, हस्तक्षेप की अवधि के दौरान हवाई अड्डे के संचालन और रखरखाव से संबंधित उसके द्वारा किए गए किसी भी और सभी लागतों और खर्चों की प्रतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति करेगा, जिन लागतों और खर्चों को प्राधिकरण या उसके नामांकित सरकारी तंत्र द्वारा ऊपर खंड 38.5.2 के तहत प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को देय राशियों से समायोजित किया जा सकता है।

38.5.4 यदि हस्तक्षेप की अवधि 3 (तीन) महीने से अधिक हो जाती है, तो इसे खंड 32.4 के तहत अप्रत्याशित घटना की राजनीतिक घटना माना जाएगा और तदनुसार निपटा जाएगा।

अनुच्छेद 39. विनियामक सिद्धांत में परिवर्तन

39.1 यह स्पष्ट किया जाता है कि, इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, वाणिज्यिक संचालन तिथि से 7 (सात) वर्षों की समाप्ति के बाद नियामक दर्शन में परिवर्तन होने पर, पक्षकार संयुक्त रूप से यह निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष को नियुक्त करेंगे कि क्या ऐसा परिवर्तन रियायतग्राही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालेगा ताकि इसके कारण होने वाला वित्तीय बोझ या नुकसान 5,00,00,000/- रुपये (पांच करोड़ रुपये) और तुरंत पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में अपने लेखापरीक्षित खातों की पुस्तकों के अनुसार रियायतग्राही के कर-पूर्व सकल राजस्व के 0.5% (शून्य दशमलव पांच प्रतिशत) में से जो भी अधिक हो, उतना हो।

39.2 यदि ऐसा तीसरा पक्ष यह निर्धारित करता है कि परिवर्तन से रियायतग्राही पर यथापूर्वोक्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो पक्षकार इस समझौते में संशोधनों पर चर्चा करने और सहमत होने के लिए बैठक करेंगे ताकि रियायतग्राही को उसी वित्तीय स्थिति में रखा जा सके जो वह ऐसा परिवर्तन न होने की स्थिति में प्राप्त करता। पक्षकारों की बैठक के 30 (तीस) दिनों के भीतर ऐसा कोई समझौता न होने की स्थिति में, रियायतग्राही को अपने एकमात्र विवेक पर, 30 (तीस) दिनों का नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त करने की अनुमति होगी।

39.3 ऐसी समाप्ति पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान के 70% (सत्तर प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अनुच्छेद 40. दायित्व और क्षतिपूर्ति

40.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

40.1.1 रियायतग्राही प्राधिकरण और उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों, सरकारी तंत्रों, भारत सरकार की नामित एजेंसियों और प्राधिकरण के स्वामित्व वाले और/या नियंत्रित संस्थाओं/उद्यमों ('सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्ति') को तीसरे पक्ष के किसी भी और सभी दावों, मुकदमों, कार्यवाही, मांगों और मुकदमों से बचाएगा, क्षतिपूर्ति करेगा और निरपराध रखेगा, जो इस समझौते या किसी संबंधित समझौते के तहत रियायतग्राही के अपने किसी भी दायित्व के उल्लंघन से उत्पन्न होते हैं या रियायतग्राही द्वारा दायित्वों के निष्पादन में किसी त्रुटि या कमी के कारण या अनुबंध या अपकृत्य के तहत रियायतग्राही की किसी लापरवाही के कारण, या धोखाधड़ी या लापरवाही के आधार पर, या किसी अन्य आधार पर उत्पन्न होते हैं; सिवाय उस सीमा के जहां ऐसे दावे, मुकदमे, कार्यवाही, मांगें सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्तियों की ओर से किसी जानबूझकर किए गए लापरवाहीपूर्ण कार्य या चूक, या इस समझौते के उल्लंघन या व्यतिक्रम के कारण उत्पन्न हुए हों।

40.1.2 खंड 10.3.6 के अधीन, प्राधिकरण रियायतग्राही को तीसरे पक्ष के किसी भी और सभी मुकदमों, कार्यवाहियों, कार्रवाइयों, मांगों और दावों से बचाएगा, क्षतिपूर्ति करेगा और निरपराध रखेगा, जो (क) स्थल में शामिल भूमि पर प्राधिकरण के अधिकार और/या स्वामित्व में त्रुटि, और/या (ख) प्राधिकरण द्वारा इस समझौते या किसी संबंधित समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व का उल्लंघन, जो रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, से उत्पन्न होते हैं; सिवाय इसके कि जहां ऐसा कोई दावा, मुकदमा, कार्यवाही, कार्रवाई और/या मांग रियायतग्राही, उसकी सहायक कंपनियों, सम्बद्धों, ठेकेदारों, कर्मचारियों या एजेंटों की ओर से किसी लापरवाहीपूर्ण कार्य या चूक, या इस समझौते या किसी संबंधित समझौते के किसी प्रावधान के तहत उसके दायित्वों के उल्लंघन और/या वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुई है, तो वह रियायतग्राही का दायित्व होगा।

40.2 रियायतग्राही द्वारा क्षतिपूर्ति

40.2.1 अनुच्छेद 37 की व्यापकता को सीमित किए बिना, रियायतग्राही प्राधिकरण और सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्तियों को निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी नुकसान और/या क्षति के विरुद्ध पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा, निरपराध रखेगा और उनका बचाव करेगा:

(क) रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों और लागू अनुमतियों का पालन करने में विफलता;

(ख) रियायतग्राही के ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और प्रतिनिधियों की आय या अन्य करों के संबंध में रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले करों का भुगतान; या

(ग) रियायतग्राही या उसके किसी भी संविदाकारको प्रदान की गई सामग्रियों या सेवाओं के परिणामस्वरूप देय राशियों का भुगतान न करना जो रियायतग्राही या उसके किसी भी संविदाकारद्वारा देय हैं।

40.2.2 इस अनुच्छेद 40 के प्रावधानों की व्यापकता को सीमित किए बिना, रियायतग्राही सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्तियों को किसी भी और सभी मुकदमों, कार्यवाहियों, कार्रवाइयों, दावों, मांगों, दायित्वों और क्षतियों से पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा, निरपराध रखेगा और उनका बचाव करेगा, जो सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्तियों को रियायतग्राही द्वारा या ठेकेदारों द्वारा रियायतग्राही के दायित्वों को पूरा करने में उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री, जानकारी, डिजाइन या प्रक्रिया के संबंध में किसी भी घरेलू या विदेशी पेटेंट अधिकारों, कॉपीराइट या अन्य बौद्धिक संपदा, स्वामित्व या गोपनीयता अधिकारों के उल्लंघन के दावों से उत्पन्न होने

वाली मांगों, दावों, मुकदमों या कार्यवाहियों के कारण भुगतना या भुगतान करना पड़ सकता है। यदि ऐसे किसी मुकदमे, कार्रवाई, दावे या कार्यवाही में, कोई अस्थायी रोक आदेश या प्रारंभिक व्यादेश (preliminary injunction) दिया जाता है, तो रियायतग्राही एक संतोषजनक बांड देकर या अन्यथा व्यादेश या रोक आदेश को रद्द या निलंबित करने के लिए हर उचित प्रयास करेगा।

यदि, ऐसे किसी मुकदमे, कार्रवाई, दावे या कार्यवाही में, हवाई अड्डे, या उसके किसी हिस्से को उल्लंघन माना जाता है और इसके उपयोग पर स्थायी रूप से रोक लगा दी जाती है, तो रियायतग्राही तुरंत प्राधिकरण के लिए बिना किसी लागत के एक लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए हर उचित प्रयास करेगा, जो उल्लंघनकारी कार्य के निरंतर उपयोग को अधिकृत करता हो। यदि रियायतग्राही निर्धारित समय के भीतर ऐसा लाइसेंस सुरक्षित करने में असमर्थ है, तो रियायतग्राही, अपने खर्च पर, और विनिर्देशों और मानकों को प्रभावित किए बिना, या तो प्रभावित कार्य, या भाग, या उसकी प्रक्रिया को गैर-उल्लंघनकारी कार्य या भाग या प्रक्रिया से बदल देगा, या उसमें इस तरह संशोधन करेगा कि वह गैर-उल्लंघनकारी बन जाए।

40.3 दावों की सूचना और विरोध

घटना में कि किसी भी पक्ष को किसी तीसरे पक्ष से ऐसा दावा या मांग प्राप्त होती है जिसके संबंध में वह इस अनुच्छेद 40 के तहत क्षतिपूर्ति का लाभ पाने का हकदार है ('क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष'), तो वह दावा या मांग प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर दूसरे पक्ष ('क्षतिपूर्तिकर्ता पक्ष') को सूचित करेगा और क्षतिपूर्तिकर्ता पक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना दावे का निपटान या भुगतान नहीं करेगा, जिसकी स्वीकृति अनुचित रूप से नहीं रोकी जाएगी या विलंबित नहीं की जाएगी। यदि क्षतिपूर्तिकर्ता पक्ष दावे या मांग का विरोध या विवाद करना चाहता है, तो वह क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष के नाम पर कार्यवाही संचालित कर सकता है, जो क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष के तर्कसंगत संतोष के अनुसार इसमें शामिल किसी भी लागत के विरुद्ध सुरक्षित होने के अधीन होगा।

40.4 दावों का बचाव

40.4.1 क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष के पास किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा ऐसे पक्ष के खिलाफ आरोपित या पोषित किसी भी दावे, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही का विरोध करने, बचाव करने और मुकदमा लड़ने का अधिकार है, लेकिन बाध्यता नहीं है, जो किसी भी ऐसे मामले से संबंधित है या उत्पन्न होता है जिसके लिए वह इसके तहत क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है, और उसकी उचित लागत और खर्चों की क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्तिकर्ता पक्ष द्वारा की जाएगी। यदि क्षतिपूर्तिकर्ता पक्ष लिखित रूप में इस अनुच्छेद 40 द्वारा प्रदान की गई पूरी सीमा तक नुकसान के संबंध में क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष की क्षतिपूर्ति करने के अपने दायित्व को स्वीकार करता है, तो क्षतिपूर्तिकर्ता पक्ष अपने विकल्प पर, अपने खर्च पर और क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष के नाम पर अपनी पसंद के वकील के माध्यम से ऐसे दावे, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही, दायित्वों, भुगतानों और दायित्वों के बचाव को संभालने और नियंत्रित करने का हकदार होगा, यदि ऐसा आवश्यक हो, शर्त यह है कि वह क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष को ऐसा करने के अपने इरादे की त्वरित सूचना दे और क्षतिपूर्तिकर्ता पक्ष द्वारा ऐसे बचाव को संभालने से पहले क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष द्वारा किए गए उचित लागत और खर्चों की प्रतिपूर्ति करे। क्षतिपूर्तिकर्ता पक्ष क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी दावे, मांग, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही का निपटान या समझौता करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि क्षतिपूर्तिकर्ता पक्ष क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष को ऐसी सुरक्षा प्रदान न करे जो क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष द्वारा इस तरह से समझौते या निपटान की सीमा तक क्षतिपूर्ति किए जाने वाले नुकसान को सुरक्षित करने के लिए तर्कसंगत रूप से आवश्यक हो।

40.4.2 यदि क्षतिपूर्तिकर्ता पक्ष ने खंड 40.3 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग किया है, तो क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष क्षतिपूर्तिकर्ता पक्ष की पूर्व लिखित सहमति (जिस सहमति को अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा) के बिना किसी भी दावे, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही का निपटान या समझौता करने का हकदार नहीं होगा।

40.4.3 यदि क्षतिपूर्तिकर्ता पक्ष खंड 40.3 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, तो क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष को फिर भी अपना वकील नियुक्त करने का अधिकार होगा, और ऐसा वकील ऐसी कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन ऐसे वकील की फीस और खर्च क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष के खर्च पर होंगे, जब और जैसे भी वे किए जाते हैं, जब तक कि:

- (क) ऐसे पक्ष द्वारा वकील के नियोजन को क्षतिपूर्तिकर्ता पक्ष द्वारा लिखित रूप में अधिकृत न किया गया हो;
 - (ख) क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष तर्कसंगत रूप से इस निष्कर्ष पर न पहुंचा हो कि ऐसी कार्रवाई के बचाव के संचालन में क्षतिपूर्तिकर्ता पक्ष और क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष के बीच हितों का टकराव हो सकता है;
 - (ग) c) क्षतिपूर्तिकर्ता पक्ष ने, वास्तव में, ऐसी कार्रवाई के बचाव को संभालने के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष के लिए तर्कसंगत रूप से संतोषजनक स्वतंत्र वकील नियुक्त न किया हो और क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष द्वारा उसे ऐसा सूचित न किया गया हो; या
 - (घ) क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष तर्कसंगत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हो और विशेष रूप से क्षतिपूर्तिकर्ता पक्ष को निम्नलिखित में से किसी एक की सूचना दी हो:
 - (1) कि उसके पास विशिष्ट बचाव उपलब्ध हो सकते हैं जो क्षतिपूर्तिकर्ता पक्ष को उपलब्ध बचावों से भिन्न या अतिरिक्त हैं; या
 - (2) कि ऐसे दावे, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही में इस समझौते के दायरे से परे उस पर प्रतिकूल प्रभाव शामिल है या हो सकता है:
- शर्त यह है कि यदि इस खंड 40.4.3 के उप-खंड (ख), (ग) या (घ) लागू होते हैं, तो क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष के वकील के पास क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष की ओर से ऐसे दावे, मांग, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही के बचाव को निर्देशित करने का अधिकार है, और ऐसे वकील की उचित फीस और संवितरण इसके तहत कानूनी या अन्य खर्चों का गठन करेंगे।

40.5 कोई अप्रत्यक्ष/परिणामी दावा नहीं

इस अनुच्छेद 40 में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, इसमें प्रदान की गई क्षतिपूर्ति में अप्रत्यक्ष, आकस्मिक या परिणामी प्रकृति के किसी भी लागत, खर्च, हानि या क्षति के संबंध में कोई दावा या वसूली शामिल नहीं होगी, जिसमें लाभ की हानि भी शामिल है, जैसा कि इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है।

40.6 निलंबन पर अस्तित्व

इस अनुच्छेद 40 के प्रावधान निलंबन के बाद भी लागू रहेंगे।

अनुच्छेद 41. विवाद समाधान

41.1 विवाद समाधान

41.1.1 पक्षकारों के बीच इस समझौते के तहत या उससे उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में (इसके अर्थान्वयन सहित) किसी भी प्रकृति का कोई भी विवाद, अंतर या विवाद और किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित रूप में सूचित किया गया ('विवाद') पहली बार में, खंड 41.2 में निर्धारित सुलह प्रक्रिया के अनुसार सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास किया जाएगा।

41.1.2 पक्षकार इस समझौते के तहत या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को तुरंत, न्यायसंगत और सद्भावना से हल करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत होते हैं, और किसी भी विवाद से संबंधित सभी गैर-विशेषाधिकार प्राप्त अभिलेखों, सूचनाओं और डेटा तक सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान एक दूसरे को तर्कसंगत पहुँच प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं।

41.2 सुलह

पक्षकारों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, कोई भी पक्ष विकास अवधि के दौरान स्वतंत्र अभियंता और रियायत अवधि के दौरान एक उद्योग विशेषज्ञ को मध्यस्थता करने और सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुँचने में पक्षकारों की सहायता करने के लिए कह सकता है। यथास्थिति स्वतंत्र इंजीनियर या उद्योग विशेषज्ञ द्वारा मध्यस्थता में विफलता पर, या ऐसे स्वतंत्र इंजीनियर या उद्योग विशेषज्ञ के हस्तक्षेप के बिना, कोई भी पक्ष ऐसे विवाद को सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक और रियायतग्राही के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के पास भेजने की आवश्यकता कर सकता है, और ऐसे संदर्भ पर, उक्त व्यक्ति चर्चा करने और विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करने के लिए संदर्भ की तारीख से 7 (सात) दिनों के भीतर मिलेंगे। यदि ऐसी बैठक 7 (सात) दिनों की अवधि के भीतर नहीं होती है या बैठक के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं होता है या खंड 41.1.1 में संदर्भित लिखित नोटिस के 30 (तीस) दिनों के भीतर समझौते की लिखित शर्तों पर हस्ताक्षर द्वारा साक्ष्य के रूप में विवाद का समाधान नहीं होता है या ऐसी लंबी अवधि के भीतर जैसा कि पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की जाए, तो कोई भी पक्ष खंड 41.3 के प्रावधानों के अनुसार विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकता है।

41.3 मध्यस्थता

41.3.1 उसमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार विवादों पर निर्णय लेने के लिए नियामक की शक्ति और अधिकार से संबंधित नियामक ढांचे के प्रावधानों के अधीन, कोई अन्य विवाद जो खंड 41.2 में यथा उपबंधित सुलह द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं होता है, खंड 41.3.2 के अनुसार एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता के संदर्भ द्वारा अंतिम रूप से तय किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी, और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अधीन होगी। ऐसी मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा और मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।

41.3.2 3 (तीन) मध्यस्थों को मिलाकर एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण होगा, जिनमें से प्रत्येक पक्ष 1 (एक) का चयन करेगा, और तीसरा मध्यस्थ इस प्रकार चयनित 2 (दो) मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और दो मध्यस्थों के बीच असहमति की स्थिति में, नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।

41.3.3 मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक सकारण पंचाट (reasoned Award) देगा। इस अनुच्छेद 41 के अनुसरण में आयोजित किसी भी मध्यस्थता में दिया गया कोई भी पंचाट दिए जाने की तारीख से पक्षकारों के

लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा, और रियायतग्राही और प्राधिकरण बिना किसी देरी के ऐसे पंचाट को पूरा करने का वचन देते हैं और सहमति व्यक्त करते हैं।

41.3.4 रियायतग्राही और प्राधिकरण सहमत हैं कि एक पंचाट को यथास्थिति रियायतग्राही और/या प्राधिकरण के खिलाफ, और उनकी संबंधित परिसंपत्तियों के खिलाफ लागू किया जा सकता है जहां कहीं भी वे स्थित हों।

41.3.5 यह समझौता और पक्षकारों के अधिकार और दायित्व इसके तहत किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही में पंचाट के लंबित रहने तक पूर्ण प्रभाव में रहेंगे।

41.4 न्यायाधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन

इस अनुच्छेद 41 में अन्यथा इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, विशिष्ट रूप से या अन्यथा सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचे से उत्पन्न होने वाले विवादों से निपटने के लिए रियायतग्राही और प्राधिकरण के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करने की शक्तियों के साथ एक वैधानिक न्यायाधिकरण या अन्य मंच के गठन की स्थिति में, ऐसे गठन के बाद उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का न्यायनिर्णयन खंड 41.3 के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के बजाय लागू कानूनों के अनुसार ऐसे न्यायाधिकरण या अन्य मंच द्वारा किया जाएगा और विवाद समाधान प्रक्रिया के सभी संदर्भों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 42. प्रकटीकरण

42.1 प्रकटीकरण

रियायत प्राप्तकर्ता अपने पंजीकृत कार्यालय में और विमानपत्तन पर सभी कार्य दिवसों में सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए इस समझौते और सुरक्षा आवश्यकताओं की प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। रियायत प्राप्तकर्ता टर्मिनल भवन में प्रमुखता से सार्वजनिक नोटिस प्रदर्शित करेगा, जिसमें ऐसे निरीक्षण के लिए इस समझौते की उपलब्धता का उल्लेख होगा, और 'बिना लाभ बिना हानि' के आधार पर प्रतिलिपि शुल्क का भुगतान करने पर किसी भी व्यक्ति को इसकी प्रतियां प्रदान करेगा।

42.2 सुरक्षा से संबंधित दस्तावेजों का प्रकटीकरण

रियायत प्राप्तकर्ता, रियायत प्राप्तकर्ता के पंजीकृत कार्यालय में और विमानपत्तन पर सभी कार्य दिवसों में सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान, विमानपत्तन की सुरक्षा से संबंधित सभी दस्तावेजों और डेटा की प्रतियां किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। रियायत प्राप्तकर्ता 'बिना लाभ बिना हानि' के आधार पर प्रतिलिपि शुल्क का भुगतान करने पर किसी भी व्यक्ति को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराएगा।

42.3 संरक्षित दस्तावेजों का प्रकटीकरण रोकना

अनुच्छेद 39 और खंड 42.2 के प्रावधानों के बावजूद, प्राधिकरण समय-समय पर रियायत प्राप्तकर्ता को पूर्वोक्त खंडों के अनुसरण में किसी भी व्यक्ति को संरक्षित दस्तावेजों के प्रकटीकरण को रोकने का निर्देश देने का हकदार होगा, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है या जिन्हें रोका गया है।

अनुच्छेद 43. सार्वजनिक शिकायतों का निवारण

43.1 शिकायत रजिस्टर

43.1.1 रियायत प्राप्तकर्ता विमानपत्तन में एक जनसंपर्क कार्यालय बनाए रखेगा जहाँ वह किसी भी व्यक्ति ("शिकायतकर्ता") द्वारा शिकायतों को दर्ज करने के लिए हर समय जनता की पहुँच के लिए एक रजिस्टर ("शिकायत रजिस्टर") खुला रखेगा। शिकायत रजिस्टर की उपलब्धता और उस तक पहुँच से संबंधित जानकारी रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा टर्मिनल भवन में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी ताकि इसे सभी उपयोगकर्ताओं के ध्यान में लाया जा सके।

43.1.2 शिकायत रजिस्टर सुरक्षित रूप से बाइंड होगा और उसका प्रत्येक पृष्ठ विधिवत क्रमांकित होगा। इसमें शिकायत संख्या, दिनांक, शिकायतकर्ता का नाम और पता, शिकायत का सार और रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई सहित उपयुक्त कॉलम होंगे। शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद, रियायत प्राप्तकर्ता शिकायतकर्ता को तारीख और शिकायत संख्या बताते हुए एक रसीद देगा।

43.1.3 खंड 43.1.1 और खंड 43.1.2 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, रियायत प्राप्तकर्ता के परामर्श से, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शिकायतें करने और उस पर प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया निर्दिष्ट कर सकता है।

43.2 शिकायतों का निवारण

43.2.1 रियायत प्राप्तकर्ता प्रतिदिन शिकायत रजिस्टर का निरीक्षण करेगा और प्रत्येक शिकायत के निवारण के लिए त्वरित और उचित कार्रवाई करेगा। की गई कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण शिकायत रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उसका विवरण देते हुए एक उत्तर रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा डाक प्रमाणपत्र के तहत शिकायतकर्ता को भेजा जाएगा।

43.2.2 प्रत्येक माह की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर, रियायत प्राप्तकर्ता प्राधिकरण को शिकायत रजिस्टर के उन सभी पृष्ठों की एक-एक सत्य प्रतिलिपि भेजेगा जिन पर ऐसे माह के दौरान कोई प्रविष्टि दर्ज की गई है। इसके अवलोकन पर, प्राधिकरण, अपने विवेक से, रियायत प्राप्तकर्ता को किसी भी शिकायत के निष्पक्ष और न्यायसंगत निवारण के लिए ऐसी आगे की कार्रवाई करने की सलाह दे सकता है जिसे प्राधिकरण उचित समझे। रियायत प्राप्तकर्ता ऐसी सलाह पर विचार करेगा और प्राधिकरण को उस पर अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा, और यदि प्राधिकरण की राय है कि शिकायतकर्ता आगे की राहत का हकदार है, तो वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत इसके निपटान के लिए मामले को सक्षम मंच को संदर्भित कर सकता है, और शिकायतकर्ता को अपने जोखिम और लागत पर शिकायत को आगे बढ़ाने की सलाह दे सकता है।

अनुच्छेद 44. विविध

44.1 शासी कानून और क्षेत्राधिकार

इस समझौते का अर्थ और व्याख्या भारत के कानूनों के अनुसार की जाएगी और यह भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा, और नई दिल्ली की अदालतों के पास इस समझौते से उत्पन्न या उससे संबंधित मामलों पर अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

44.2 उन्मुक्ति का परित्याग

प्रत्येक पक्ष बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

1. सहमत है कि उसके द्वारा इस समझौते का निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किए गए और निष्पादित वाणिज्यिक कृत्यों का गठन करता है;
2. सहमत है कि, यदि इस समझौते या इस समझौते द्वारा परिकल्पित किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में उसके या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के खिलाफ कोई कार्यवाही लाई जाती है, तो पक्ष द्वारा या उसकी ओर से उसकी परिसंपत्तियों के संबंध में ऐसी कार्यवाही से कोई उन्मुक्ति (चाहे संप्रभुता के कारण हो या अन्यथा) का दावा नहीं किया जाएगा;
3. उन्मुक्ति के किसी भी अधिकार का परित्याग करता है जो उसके पास या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के पास अभी है, भविष्य में प्राप्त हो सकता है या जिसे किसी भी क्षेत्राधिकार में इसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है; और
4. ऐसी कार्यवाही के संबंध में उसके खिलाफ किसी भी निर्णय या पंचाट (award) के प्रवर्तन के संबंध में सामान्य रूप से राहत देने या किसी भी क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रक्रिया के जारी करने के लिए सहमति देता है (जिसमें इसके साथ दिए गए या दिए जाने वाले किसी भी आदेश या निर्णय के उपयोग या इच्छित उपयोग की परवाह किए बिना किसी भी संपत्ति या राजस्व के खिलाफ निष्पादन शामिल है)।

44.3 अवमूल्यन/मूल्यहास

लागू कानूनों के तहत मूल्यहास के प्रयोजनों के लिए, परियोजना परिसंपत्तियों में रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए पूंजीगत निवेश का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति को रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा अधिग्रहित और स्वामित्व वाला माना जाएगा। लागू कानूनों के तहत रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा किए जाने वाले मूल्यहास के किसी भी दावे के संबंध में प्राधिकरण किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

44.4 विलंबित भुगतान

44.4.1 इसके पक्ष सहमत हैं कि इस समझौते के प्रावधानों के तहत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय भुगतान उसमें निर्धारित अवधि के भीतर, और यदि ऐसी कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं है, तो आवश्यक विवरण के साथ मांग प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर किया जाएगा। जब तक कि इस समझौते में विशेष रूप से अन्यथा प्रदान न किया गया हो, ऐसी अवधि से अधिक की देरी के मामले में, डिफॉल्ट करने वाला पक्ष बैंक दर से 2% (दो प्रतिशत) अधिक दर पर गणना की गई देरी की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करेगा, और

उसकी वसूली इस समझौते के तहत पक्षों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी जिसमें इसकी समाप्ति भी शामिल है।

44.4.2 जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस समझौते के तहत देय कोई भी ब्याज दैनिक बकाया आधार पर अर्जित होगा और त्रैमासिक विश्राम के आधार पर चक्रवृद्धि किया जाएगा।

44.4.3 खंड 27.6.2, 34.1 या 35.3 के अनुसार समाप्ति के कारण प्राधिकरण से रियायत प्राप्तकर्ता को देय सभी भुगतान स्थानांतरण तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के बाद नहीं किए जाएंगे.

44.5 परित्याग

44.5.1 इस समझौते के किसी भी प्रावधान या दायित्वों के पालन और प्रदर्शन में दूसरे पक्ष द्वारा किसी भी डिफॉल्ट का किसी भी पक्ष द्वारा परित्याग (छूट), जिसमें आंशिक या सशर्त परित्याग शामिल है:

(क) इसके अन्य या बाद के डिफॉल्ट के या इस समझौते के तहत अन्य प्रावधानों या दायित्वों के परित्याग के रूप में संचालित या व्याख्यायित नहीं किया जाएगा;

(ख) प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह लिखित रूप में न हो और पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न किया गया हो; और

(ग) किसी भी तरह से इस समझौते की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा।

44.5.2 किसी भी अवसर पर इस समझौते के नियमों, शर्तों और प्रावधानों या उसके तहत किसी भी दायित्व के प्रदर्शन पर किसी भी पक्ष द्वारा जोर न देना और न ही एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई समय या अन्य ढील को ऐसे उल्लंघन के परित्याग या किसी बदलाव की स्वीकृति या इसके तहत ऐसे किसी भी अधिकार के त्याग के रूप में माना जाएगा।

44.6 दस्तावेजों और चित्रों की समीक्षा के लिए देनदारी

इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई सीमा को छोड़कर:

(क) रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत किसी भी परियोजना समझौते, दस्तावेज या ड्राइंग के प्राधिकरण द्वारा कोई समीक्षा, टिप्पणी या अनुमोदन नहीं और न ही विमानपतन के संचालन, प्रबंधन या विकास का कोई अवलोकन या निरीक्षण और न ही इसके तहत समीक्षा, अनुमोदन, टिप्पणी, अवलोकन या निरीक्षण करने में विफलता रियायत प्राप्तकर्ता को इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के तहत उसके दायित्वों, कर्तव्यों और देनदारियों से मुक्त या दोषमुक्त करेगी; और

(ख) प्राधिकरण ऊपर उप-खंड (क) में संदर्भित किसी भी समीक्षा, टिप्पणी, अनुमोदन, अवलोकन या निरीक्षण के कारण रियायत प्राप्तकर्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

44.7 निहित वारंटियों आदि का अपवर्जन

यह समझौता स्पष्ट रूप से कानून द्वारा या रिवाज द्वारा निहित किसी भी वारंटी, शर्त या अन्य उपक्रम को बाहर करता है या पक्षों के बीच किसी अन्य समझौते से उत्पन्न होता है या किसी भी पक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है जो दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित एक बाध्यकारी कानूनी समझौते में निहित नहीं है।

44.8 उत्तरजीविता

44.8.1 निलंबन:

(क) रियायत प्राप्तकर्ता या प्राधिकरण को, जैसा भी मामला हो, इसके तहत किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से इसकी समाप्ति के बाद भी जीवित रहते हैं, और

(ख) इस समझौते के किसी भी प्रावधान में स्पष्ट रूप से किसी भी पक्ष की देनदारी को सीमित करने वाले प्रावधान को छोड़कर, किसी भी पक्ष को ऐसी समाप्ति के प्रभावी होने से पहले ऐसे पक्ष के कृत्यों या लोपों के कारण होने वाली हानि या क्षति के लिए या ऐसी समाप्ति से उत्पन्न होने वाले दायित्वों या देनदारियों से मुक्त नहीं करेगी।

44.8.2 समाप्ति के बाद जीवित रहने वाले सभी दायित्व ऐसी समाप्ति की तारीख के बाद केवल 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए जीवित रहेंगे।

4.9 संपूर्ण समझौता

यह समझौता और अनुसूचियां मिलकर इसके विषय पर पक्षों के बीच समझौते की शर्तों का एक पूर्ण और अनन्य कथन गठित करते हैं, और इसमें कोई भी संशोधन या रूपांतरण तब तक वैध और प्रभावी नहीं होगा जब तक कि ऐसा संशोधन या रूपांतरण पक्षों द्वारा लिखित रूप में सहमत न हो और संबंधित पक्षों द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त व्यक्तियों द्वारा विधिवत निष्पादित न किया गया हो। इस समझौते से संबंधित हर प्रकार के सभी पूर्व लिखित या मौखिक समझ, प्रस्ताव या अन्य संचार रद्द और वापस ले लिए गए हैं। इसके पक्ष सहमत हैं कि प्रस्ताव के लिए अनुरोध से उत्पन्न रियायत प्राप्तकर्ता के किसी भी दायित्व को, जैसा भी मामला हो, इस समझौते का हिस्सा माना जाएगा और ऐसा माना जाएगा।

44.10 पृथक्करणीयता

यदि किसी भी कारण से, इस समझौते का कोई भी प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय है या बन जाता है या किसी सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी, और पक्ष एक या अधिक प्रावधानों पर सहमत होने के उद्देश्य से सद्भावना से बातचीत करेंगे जिन्हें ऐसे अमान्य, अप्रवर्तनीय या अवैध प्रावधानों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ऐसे किन्हीं प्रावधानों पर सहमत होने में विफलता इस समझौते के तहत निर्धारित विवाद निवारण प्रक्रिया के अधीन नहीं होगी।

44.11 कोई साझेदारी नहीं

इस समझौते की व्याख्या या अर्थ पक्षों के बीच एक एसोसिएशन, संयुक्त उद्यम या साझेदारी बनाने के लिए नहीं किया जाएगा, या किसी भी पक्ष पर कोई साझेदारी दायित्व या देनदारी थोपने के लिए नहीं किया जाएगा, और किसी भी पक्ष के पास दूसरे पक्ष के लिए या उसकी ओर से कार्य करने, या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने या दूसरे पक्ष को बाध्य करने के लिए कोई अधिकार, शक्ति या अधिकार नहीं होगा।

44.12 तृतीय पक्ष

यह समझौता पूरी तरह से पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत असाइनियों के लाभ के लिए है, और इस समझौते में कुछ भी इस समझौते के पक्षकार न होने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई कर्तव्य, देखभाल का मानक या कोई देनदारी बनाने के लिए नहीं समझा जाएगा।

44.13 उत्तराधिकारी और समनुदेशिती

यह समझौता बाध्यकारी होगा, और पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों के लाभ के लिए लागू होगा।

44.14 नोटिस

इस समझौते द्वारा परिकल्पित मामलों के संबंध में या उनके संबंध में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस या अन्य संचार लिखित रूप में होगा और:

(क) रियायत प्राप्तकर्ता के मामले में, फैक्स या ईमेल द्वारा और नीचे दिए गए व्यक्ति के ध्यान आकर्षित करने के लिए दिए गए पते पर हाथ से दिए गए पत्र द्वारा दिया जाएगा या ऐसे अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा जिसे रियायत प्राप्तकर्ता समय-समय पर प्राधिकरण को नोटिस देकर नामित कर सकता है...

ध्यानार्थ: मुख्य विमानपत्तन अधिकारी

पदनाम: सीएओ

पता: अडानी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, वैष्णो देवी सर्कल के पास, एस.जी. हाईवे, खोडियार, अहमदाबाद-382421, गुजरात, भारत

ईमेल: cao.guwahatiaiirport@adani.com

(ख) प्राधिकरण के मामले में, फैक्स या ईमेल द्वारा और नीचे दिए गए पते पर हाथ से दिए गए पत्र द्वारा दिया जाएगा और नीचे नामित व्यक्ति को संबोधित किया जाएगा जिसकी एक प्रति प्राधिकरण या ऐसे अन्य व्यक्ति को वितरित की जाएगी जिसे प्राधिकरण समय-समय पर रियायत प्राप्तकर्ता को नोटिस देकर नामित कर सकता है...

ध्यानार्थ: अध्यक्ष

पता : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली-110003

फैक्स सं.: +91-11-24641088

ईमेल: chairman@aai.aero

(ग) एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को इसके अनुसार दिया गया कोई भी नोटिस या संचार तब वितरित माना जाएगा जब डाक के सामान्य क्रम में इसे वितरित किया जाना चाहिए था और अन्य सभी मामलों में, इसे वितरण की वास्तविक तिथि और समय पर वितरित माना जाएगा...

44.15 कानून में परिवर्तन

कानून में कोई भी परिवर्तन रियायत प्राप्तकर्ता के पक्ष में इस समझौते से बहने वाले किसी भी अधिकार और दायित्वों या इसकी किसी भी शर्त में किसी भी बदलाव या संशोधन का आधार नहीं होगा। इसके तहत अधिकार और दायित्व कानून में किसी भी परिवर्तन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे।

44.16 भाषा

एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिए जाने वाले सभी आवश्यक नोटिस और अन्य सभी संचार, दस्तावेजीकरण और कार्यवाहियाँ जो इस समझौते के लिए किसी भी तरह से प्रासंगिक हैं, लिखित में और अंग्रेजी भाषा में होंगे।

44.17 स्टांप शुल्क

इस समझौते के निष्पादन या वितरण पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाएगा।

44.18 प्रतिरूप

यह समझौता दो प्रतिरूपों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक, जब निष्पादित और वितरित किया जाता है, इस समझौते का एक मूल गठन करेगा।

इसके साक्ष्य में, पक्षों ने अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है:

के लिए और की ओर से हस्ताक्षरित:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा:

नाम: एन.वी. सुब्बारायुडू

पदनाम: कार्यकारी निदेशक, सामरिक पहल

इकाई/टैरिफ

साक्षी 1: नाम: इशरत हुसैन

पदनाम: उप महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग-SIU)

के लिए और की ओर से हस्ताक्षरित:

अडानी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा:

नाम: बहनाद ज़ांदी

पदनाम: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अडानी

एयरपोर्ट्स

साक्षी 2: नाम: उत्पल बरुआ

पदनाम: मुख्य विमानपत्तन अधिकारी

अनुसूचियां

अनुसूची ए

विमानपत्तन का स्थल (खंड 10.1 का संदर्भ लें)

1. स्थल

1.1 विमानपत्तन के स्थल का वर्णन इस अनुसूची क के अनुलग्नक I में किया गया है।

1.2 भूमि, भवनों, संरचनाओं, सड़क कार्यों, वृक्षों और स्थल पर या उससे जुड़ी किसी भी अन्य अचल संपत्ति सहित स्थल की एक सूची प्राधिकरण और रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी, और ऐसी सूची समझौते के खंड 10.3.1 में संदर्भित ज्ञापन का हिस्सा बनेगी।

1.3 स्थल के लिए परिप्रेक्ष्य योजना, जैसा कि वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है, इस अनुसूची क के अनुबंध II में प्रदान की गई है।

1.4 विमानपत्तन के लिए चिन्हित स्थल, वैमानिकीय के साथ-साथ गैर-वैमानिकीय परिसंपत्तियों के संबंध में सभी भूमि उपयोग को समायोजित करता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि रियायत प्राप्तकर्ता, प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के साथ, सिटी साइड डेवलपमेंट के लिए चिन्हित भूमि का उपयोग वैमानिकीय सेवाओं और/या गैर-वैमानिकीय सेवाओं को शुरू करने के उद्देश्य से कर सकता है, और इसके विपरीत, इस शर्त के अधीन कि सिटी साइड डेवलपमेंट के उद्देश्य से रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा उपयोग किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल इसके तहत उसी के लिए चिन्हित कुल क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा (जैसा कि इसके अनुलग्नक III में विशेष रूप से निर्धारित किया गया है)।

2. विमानपत्तन के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि

2.1 रियायत प्राप्तकर्ता इसके द्वारा स्वीकार करता है, पुष्टि करता है और स्वीकार करता है कि स्थल का हिस्सा बनने वाली भूमि परियोजना के विकास और कार्यान्वयन को शुरू करने के लिए सभी मापदंडों से अच्छी और पर्याप्त है।

2.2 प्राधिकरण पर न तो कोई दायित्व है और न ही रियायत प्राप्तकर्ता परियोजना के विकास या कार्यान्वयन के किसी भी हिस्से को शुरू करने के लिए रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय किसी अतिरिक्त भूमि की मांग करने का हकदार होगा। किसी भी वैमानिकीय सेवाओं के प्रावधान और/या किसी भी एयरसाइड गतिविधियों को शुरू करने के लिए वाणिज्यिक संचालन तिथि के बाद प्राधिकरण के पक्ष में अधिग्रहित विमानपत्तन के संबंध में कोई भी भूमि अनिवार्य रूप से प्राधिकरण द्वारा रियायत प्राप्तकर्ता को उन्हीं नियमों और शर्तों पर पेश की जाएगी जिन पर ऐसी भूमि प्राधिकरण के पक्ष में अधिग्रहित की गई है।

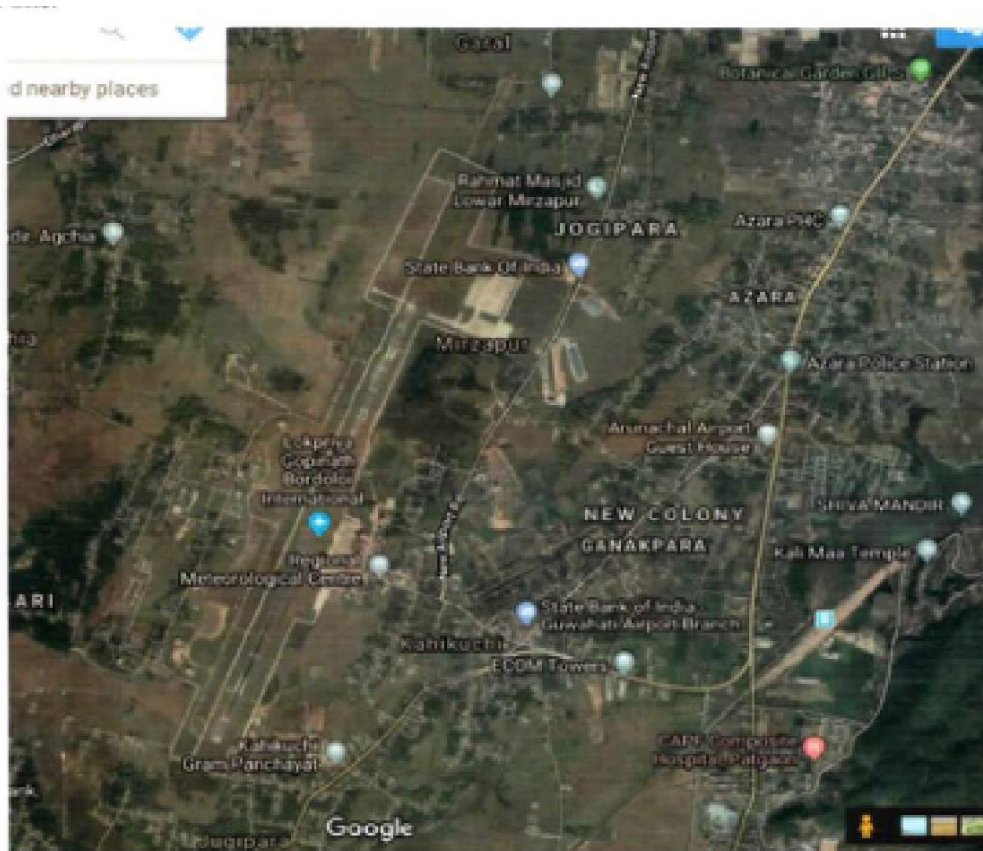
अनुलग्नक I

(अनुसूची क)

विमानपत्तन के लिए स्थल

पृष्ठभूमि:

- गुवाहाटी विमानपत्तन की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी और गुवाहाटी भारत के पूरे उत्तर-पूर्वी भाग का प्रवेश द्वार है। 23 अगस्त 1998 को इसका नाम बदलकर "लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन" कर दिया गया।
- 16 फरवरी 2001 को एस.ओ. 546(ई) के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया गया था।
- यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है। यह क्षेत्र समृद्ध चाय और पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया में काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है।
- यह क्षेत्र महत्वपूर्ण पर्यटक आधार है और गुवाहाटी क्षेत्र के सभी सात राज्यों के लिए प्रवेश द्वार है। आईआईटी, आईआईएम, जीयू, एनईएचयू, मेडिकल कॉलेजों जैसे विभिन्न संस्थानों के लिए छात्रों का शैक्षणिक केंद्र है।
- लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में जाना जाने वाला गुवाहाटी विमानपत्तन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित किया जाता है और यह भारतीय वायु सेना के अड्डे के रूप में भी कार्य करता है। विमानपत्तन में 823.23 एकड़ भूमि है जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से सड़क मार्ग से 23 किमी की दूरी पर स्थित है जिसका आईसीएओ/आईएटीए कोड वीईजीटी/जीएयू है और एरोड्रोम संदर्भ कोड 4डी है।
- वर्तमान टर्मिनल भवन को वर्ष 1998 में चालू किया गया था।



गुवाहाटी हवाईअड्डे पर प्रचालनरत एयरलाइनें

घरेलू (दैनिक अनुसूचित आवाजाही-162 सं. और गैर-अनुसूचित 27 सं.)
एअर इंडिया लिमिटेड
एलाइंस एअर
इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो)
जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड
गो एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड
एयर एशिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
टाटा सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड (विस्तारा)
स्पाइसजेट लिमिटेड
अंतर्राष्ट्रीय
डुक एयर कंपनी लिमिटेड (रॉयल भूटान एयरलाइंस)



गुवाहाटी से राष्ट्रीय उड़ान कनेक्टिविटी



गुवाहाटी से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी



गुवाहाटी से अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी

एयरलाइंस (घरेलू)

परिचालनकर्ता एयरलाइंस / प्रकार	उड़ान आवागमन सप्ताह /	प्रत्यक्ष संपर्क गंतव्य /
इंडिगो (ए320)	476	सीसीयू, डीईएल, आईएमएफ, एचवाईडी, बीएलआर, आईएक्सए, बीओएम, आईएक्सबी, आई एक्सएस, एम. ए. ए., डी. आई. बी., जे. आर. एच., एल. के. ओ., वी. एन. एस
गो (ए320)	42	सीसीयू, आईएक्सबी, डीईएल
जेट (बी737/738)	210	सीसीयू, डीईएल, आईएक्सएस, बीओएम, एजेएल, जेआरएच, बीएलआर, आईएक्सबी
स्पाइस (738/डीएच8डी)	142	पीएटी, एमएए, एचवाईडी, सीसीयू, डेल, आईएक्सएस, जेएएल, पीएटी, डीआईबी
एअर इंडिया (ए319/ए320/ए321)	106	सीसीयू, डीईएल, आईएमएफ
एयर एशिया (ए320)	84	डीईएल, बीएलआर, आईएमएफ
अलायंस एयर (एटीआर 72)	28	आईएक्सटी, टीईजेड, सीसीयू
विस्तारा (ए320)	28	डीईएल, आईएक्सबी

विमानपत्तन (एयरपोर्ट) पर विद्यमान सुविधाएं/संपत्तियाँ

रन वे सं.	उन्नयन)Elevation) मीटर में)THR)	TOR A (मीटर (	TOD A (मीटर (	ASD A (मीटर (	LDA (मीटर (	अनुदैर्घ्य प्रवणता)Long . Slope)	अनुप्रस्थ प्रवणता)Trans. Slope):	अनुप्रस्थ प्रवणता : शोल्डर से बेसिक स्ट्रिप तक
02	161.7) फीट(	3103	3103	3103	3103	शून्य)NIL)	%1	%2
20	162)फीट(	3103	3103	3103	3103	शून्य)NIL)	%1	%2

विमानपत्तन पर वर्तमान में उपलब्ध हवाई यातायात सेवाएं, निगरानी (सर्वेलेंस) और नेविगेशन सहायक सुविधाएं नीचे दी गई हैं:

हवाई यातायात सेवाएं)Air Traffic Services)	हवाई यातायात नियंत्रण सेवाएं क्षेत्र नियंत्रण सेवाएं), दृष्टिकोणएप्रोच नियंत्रण सेवाएं और एयरोड्रोम / नियंत्रणसेवाएं(
	उड़ान सूचना सेवा)Flight Information Service)
	सतर्कता सेवाएं)Alerting Services)
निगरानी)Surveillance)	एप्रोच सर्वेलेंस राडार)ASR)
	रूट सर्वेलेंस राडार)RSR)
नेविगेशन सुविधाएं)Navigation Aids)	D-VOR/DME, DME, ILS
	RWY02, लोकेटर, NDB
	लोकलाइज़र 02

वर्तमान विमानपत्तन में निम्नलिखित माप के टैक्सिवे (Taxiways) और एप्रन (Aprons) हैं:

टैक्सिसे एवं एप्रन का क्षेत्रफल विवरण

टैक्सिसे एवं एप्रन	वर्ग मीटर में क्षेत्रफल	विमाणं (Dimensions)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अभ्युक्तियां (Remarks)
टैक्सिसे L1	-	-	-	भारतीय वायु सेना (IAF) के पास
टैक्सिसे L2	-	-	-	भारतीय वायु सेना (IAF) के पास
टैक्सिसे L3	-	-	-	भारतीय वायु सेना (IAF) के पास
टैक्सिसे L4	-	-	-	भारतीय वायु सेना (IAF) के पास
टैक्सिसे E	2990	130 मी × 23 मी	2990	भा.वि.प्रा. (AAI) के पास
टैक्सिसे F	2990	130 मी × 23 मी	2990	भा.वि.प्रा. (AAI) के पास
टैक्सिसे G	10350	450 मी × 23 मी	10350	भा.वि.प्रा. (AAI) के पास
टैक्सिसे H	2875	125 मी × 23 मी	2875	भा.वि.प्रा. (AAI) के पास
टैक्सिसे J	2875	125 मी × 23 मी	2875	भा.वि.प्रा. (AAI) के पास
एप्रन-I	41870	395 मी × 106 मी	41870	भा.वि.प्रा. (AAI) के पास
एप्रन-II	68944	248 मी × 278 मी	68944	भा.वि.प्रा. (AAI) के पास

टर्मिनल क्षेत्रफल एवं काउंटरों की संख्या

टर्मिनल	वर्ग मीटर में क्षेत्रफल	काउंटरों की संख्याइन-चेक :	काउंटरों की संख्या: इमिग्रेशन/कस्टम्स	काउंटरों की संख्या: सुरक्षा (Security)
एकीकृत (Integrated)	20,300	34CUTE काउंटर एवं 07 CUSS काउंटर	8 इमिग्रेशन / 4 कस्टम्स	8 सं. घरेलू एवं 1 सं. अंतर्राष्ट्रीय (कुल 9 सं.)

टर्मिनल भवन में उपलब्ध अन्य यात्री सुविधाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. होटल काउंटर, प्रीपेड टैक्सी काउंटर
2. पर्यटक सूचना काउंटर, रेलवे बुकिंग काउंटर
➤ PCO, वाई-फाई, IBS सुविधा
➤ सुलभ कॉम्प्लेक्स (सिटी साइड), कार पार्किंग क्षेत्र में ई-शौचालय
➤ यात्रियों के लिए समाचार पत्र डेस्क
बेबी स्ट्रॉलर आदि
आगमन/प्रस्थान/SHA/प्रवेश और गेटों पर रैम्प
व्हील चेयर
लिफ्टों में ब्रेल अभिलेख
शारीरिक रूप से अक्षम यात्रियों के लिए पृथक वॉशरूम
मानवीय सहायता
एलिवेटर, एस्केलेटर
सिटी साइड पर चिह्नित पार्किंग
दृष्टिबाधित यात्री के लिए स्पर्शनीय (टैक्टाइल) टाइलें

अन्य यात्री सुविधाएँ

प्रवेश द्वार	
घरेलू मौजूदा(TB)	प्रस्थान :03 (1 आपातकालीन निकास(
अंतरराष्ट्रीय मौजूदा(TB)	आगमन :03 (01-ट्रॉली और 01-आपातकालीन निकास(
एकसरे सामान सुविधा-	एकीकृत टर्मिनल भवन
घरेलू	
अंतरराष्ट्रीय	6) के लिए (घरेलू/अंतरराष्ट्रीय) - X-BIS) और 4-हैंड बैगेज
खरीदारी सुविधा	1हैंड बैगेज -
घरेलू मौजूदा(TB)	
कार पार्किंग	
मौजूदा TB	क्षेत्रफल 8860 वर्ग मीटर, M/s SS Enterprise, Mumbai द्वारा संचालित मौजूदा टर्मिनल भवन) (में

यात्री सुविधाएँ	
यात्री सुविधाएँ	CUSS कियोस्क; मे आई हेल्प यू; शिशु देखभाल कक्ष; आरक्षित लाउंज; चिकित्सा निरीक्षण कक्ष; पैकेज्ड चाय बिक्री दुकान; हथकरघा एवं हस्तशिल्प स्टॉल; स्पा एवं सैलून; बिज़नेस लाउंज; चाय कॉफी वैंडिंग मशीन; विदेशी मुद्रा विनिमय; बैंक एटीएम, स्नैक्स बार; यात्री आवश्यक वस्तुएँ/उपहार -सह-दुकान।
नया एकीकृत टर्मिनल भवन	निर्माणाधीन संक्षिप्त विवरण के लिए कृपया) -संलग्नक। देखें(

विमानपत्तन भूमि विवरण

वर्तमान हवाई अड्डा वर्ष 1958 से प्रचालनरत है।

परियोजना के लिए भूमि के कब्जे की स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई एकड़ (लगभग)	मूल्य (लगभग)INR में	टिप्पणियाँ
हवाई अड्डा क्षेत्र	700.543	732.88 करोड़	भूमि का भौतिक सत्यापन प्रगति पर है। अंतिम गणना प्रतीक्षित है।
प्राधिकरण के स्वामित्व वाली भूमि	826.243	823 करोड़	सिटी साइड क्षेत्र अर्थात् 125.7 एकड़ + लगभग 700.543 एकड़ सम्मिलित है) भूमि का भौतिक सत्यापन प्रगति पर है। अंतिम गणना प्रतीक्षित है।

टिप्पणी:

क) हवाई अड्डा क्षेत्र:- 700.543 एकड़ (लगभग)

ख) हवाई अड्डा क्षेत्र के बाहर: 125.7 एकड़ (लगभग)

कुल AAI भूमि (क+ख)= 826.243 एकड़ (लगभग)

भौतिक सत्यापन और सर्वेक्षण प्रगति पर है।

अनुलग्नक II
(अनुसूची क)
(खंड 12.2.1 का संदर्भ लें)

स्थल हेतु मास्टर प्लान (मुख्य योजना)

1. लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को पर्यटन और व्यावसायिक बाजारों की सेवा करने वाले तथा भारत में हवाई यात्रा की मांग में वृद्धि के साथ तालमेल बनाए रखने वाले एक अत्याधुनिक विमानपत्तन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

2. चरण I विकास

रियायत अवधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से विमानपत्तन का विकास करने का प्रस्ताव है। रियायतग्राही इस करार में यथा प्रावधानित सभी चरणों के लिए विमानपत्तन हेतु मास्टर प्लान समय-समय पर तैयार और अद्यतन करेगा।

रियायतग्राही विमानपत्तन के चरण I की योजना और विकास करार में निर्धारित तरीके से करेगा, तथा अपनी मांग अनुमानों के अनुसार आनुषंगिक सुविधाओं के साथ-साथ वार्षिक यात्री निपादन क्षमता (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) एवं वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

3. उत्तरवर्ती चरणों के दौरान विकास

क. उत्तरवर्ती चरणों के लिए विकास योजनाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, मुख्य कार्यप्रदर्शन सूचकों की निरंतर प्राप्ति से जुड़ी विशिष्ट पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को शुरू करने का प्रावधान होगा।

ख. रियायतग्राही चरण 1 के बाद उत्तरवर्ती चरणों के लिए विकास योजना, मास्टर प्लान में यथा परिभाषित ऐसे चरण के निर्माण कार्यों के प्रारंभ की नियोजित तिथि से कम से कम 3 (तीन) महीने पहले जमा करेगा।

ग. रियायतग्राही चरण 1 के बाद उत्तरवर्ती चरणों के लिए निर्माण कार्य, पूर्ववर्ती 6 (छह) महीने की अवधि में देखी गई यातायात वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए, विमानपत्तन की डिजाइन क्षमता की तुलना में किसी भी लेखा वर्ष में विमानपत्तन में वास्तविक पीक आवर यात्री यातायात और वार्षिक यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध तरीके से शुरू करेगा।

घ. उपर्युक्त आवश्यकताओं का पालन करते हुए, रियायतग्राही किसी भी चरण के लिए अपनी विकास गतिविधियों और निर्माण कार्यों की योजना इस प्रकार बनाएगा कि मुख्य कार्यप्रदर्शन सूचकों, आईएटीए (IATA) सेवा स्तर C (इष्टतम मानक), सुरक्षा आवश्यकताओं और लागू कानूनों के तहत किसी भी अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का कोई उल्लंघन न हो, जिनका पालन विमानपत्तन के परिचालन के लिए आवश्यक है।

4. रियायतग्राही निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार इसके साथ प्रदान किए गए परिप्रेक्ष्य योजना (परिप्रेक्ष्य योजना देखें) का उपयोग करके मास्टर प्लान तैयार करेगा:

- रियायतग्राही को करार के प्रावधानों के अधीन सुविधाओं की योजना बनाने और डिजाइन करने की लचीलापन/छूट प्राप्त है।
- मास्टर प्लान डीजीसीए, आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों, तथा उत्तम उद्योग प्रथाओं द्वारा निर्धारित नागर विमानन आवश्यकताओं के अनुसार होगा।
- टर्मिनल भवन के लिए सेवा का स्तर - आईएटीए सेवा स्तर "C" (इष्टतम मानक) के अनुरूप। टर्मिनल भवन का डिजाइन वर्तमान परिचालन और मौजूदा बुनियादी ढांचे पर न्यूनतम प्रभाव के साथ क्रमिक विस्तार में सक्षम होना चाहिए।

- सिटी साइड विकास करार के प्रावधानों और लागू कानून के अनुसार होगा।
- रियायतग्राही, उपर्युक्त दिशानिर्देशों तथा इस अनुसूची क, अनुसूची ख और ग में उल्लेखित प्रावधानों के आधार पर मास्टर प्लान तैयार करेगा। मास्टर प्लान में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. समग्र विकास रणनीति और दर्शन का विवरण;
2. यातायात पूर्वानुमान का विवरण और प्रत्येक परियोजना सुविधाओं के विकास के लिए यातायात ट्रिगर, जो यातायात वृद्धि से जुड़े हैं;
3. इस बात की दृष्टि (विज़न) कि प्रत्येक चरण में विमानपत्तन और उसका प्रत्येक परिसर कैसा दिखेगा और उस अवधि के अंत में विमानपत्तन की अंतिम दृष्टि जब यह अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच जाएगा;
4. विमानपत्तन तथा एप्रोच एवं टेक-ऑफ क्षेत्रों के लिए बाधा सीमा सतह;
5. चरणबद्ध तरीके से विमानपत्तन के विकास की चित्रमय प्रस्तुति प्रदान करना;
6. अवधारणाओं और विकल्पों की तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय जांच के माध्यम से प्रस्तावित विकास;
7. ऐसे अन्य मामले जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

गुवाहाटी हवाई अड्डा: सांकेतिक परिप्रेक्ष्य योजना

6. प्रत्येक चरण के लिए विकास योजना ("विकास योजना") निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी:

क. विकास योजना निम्नलिखित के अनुपालन में होगी:

- i. मास्टर प्लान;
- ii. इसकी अनुसूची A, अनुसूची B और अनुसूची C में निर्धारित अपेक्षाएँ;
- iii. अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) के अनुसार
- iv. नागर विमानन महानिदेशालय, भारत सरकार (DGCA) द्वारा यथाविहित दिशानिर्देश, यह करार तथा उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप

ख. विकास योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i. चिह्नित परियोजना सुविधाओं में से प्रत्येक के लिए इंजीनियरी डिज़ाइन और ड्राइंग;
- ii. मात्रा और लागत प्राक्कलन;
- iii. विनिर्देश और मानक
- iv. समापन अनुसूची;
- v. वित्तपोषण योजना; और
- vi. कोई अन्य मानदंड, जो प्राधिकरण या किसी संबंधित सरकारी संस्था द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

6. रियायतग्राही COD से आरंभ करते हुए प्रत्येक 5 (पाँच) वर्ष में मास्टर प्लान को अद्यतन करेगा।

7. रियायतग्राही वैमानिक सेवाओं में सुधार या संवर्धन करने के लिए अथवा भीड़भाड़ को न्यूनतम करने या समाप्त करने हेतु हवाई अड्डे के किसी भाग का विस्तार करने के लिए मास्टर प्लान को उपांतरित कर सकेगा।

8. चरण I के पश्चात्तर्वर्ती चरणों का निर्माण करार के खंड 12.7 में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।

अनुलग्नक III
(अनुसूची क)
(खंड 25 का संदर्भ में)

सिटी साइड विकास

वाणिज्यिक विकास के लिए उपलब्ध भूमि 60 एकड़ है, जिसका उपयोग आर्थिक क्रियाकलापों के संचालन के लिए किया जा सकेगा। सिटी साइड विकास के लिए भूमि उपयोग योजना उपाबंध II (अनुसूची क) में दी गई परिप्रेक्ष्य योजना में दर्शाई गई है।

अनुबंध IV
(अनुसूची क)
(खंड 10.1 देखें)
पृथक की गई संपत्तियाँ और क्षेत्र

यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थल (Site) और परियोजना संपत्तियों में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे:

क्र.सं.	संपत्ति (ASSET)	वर्ग मीटर (लगभग)
	विद्यमान एटीसी टॉवर (EXISTING ATC TOWER)	1,650
2.	भा.वि.प्रा. कार्यालय (पुराना भा.वि.प्रा. कार्यालय + एकीकृत कार्यालय परिसर)	21,200
3.	आईओसीएल कर्मचारी आवास (IOCL STAFF QUARTERS)	15,100
4.	मौसम कार्यालय (MET OFFICE)	6,100
5.	अस्थायी कार्गो शेड (TEMPORARY CARGO SHED)	850
6.	सामान्य उपयोग घरेलू कार्गो टर्मिनल (CUDCT)	2,400
7.	प्रस्तावित CUDCT-2 परिसर	6,000
8.	एआईडीसी शीघ्र नष्ट होने वाले कार्गो केंद्र (CPC) (असम औद्योगिक विकास निगम)	4,050
9.	सीपीसी (CPC) हेतु आवश्यक अतिरिक्त भूमि	4,050
10.	विद्यमान एयरलाइन कार्गो	1,300
11.	एमएसएसआर राडार (MSSR RADAR)	3,400
12.	प्रस्तावित एटीसी सह तकनीकी ब्लॉक	8,150
13.	प्रस्तावित भा.वि.प्रा. कॉलोनी (PROPOSED AAI COLONY)	40,500
	कुल	1,14,750 वर्ग मीटर (28.4 एकड़)

अनुसूची बी
विमानपत्तन का विकास
(खंड 2.1 का संदर्भ लें)

1. विमानपत्तन का विकास

एक अच्छी तरह से विकसित विमानपत्तन की प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नियोजन अवधारणा विभिन्न चरणों के लिए अनुमानित भावी यातायात के आधार पर एयरसाइड, टर्मिनल विकास और अन्य सुविधा आवश्यकताओं को स्थापित करने की होनी चाहिए। पूरे नियोजन काल के दौरान प्रासंगिक पूर्वानुमान आंकड़ों पर तकनीकी और सेवा स्तर के मानकों के अनुप्रयोग का परिणाम सुविधा आवश्यकताएं होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विमानपत्तन के सीओडी (COD) से रियायत अवधि के अंत तक अनुमानित यातायात मात्रा को समायोजित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

उपयोगकर्ताओं के लिए समग्र विमानपत्तन क्षमता और सेवा के स्तर को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियां रनवे/टैक्सिवे प्रणाली और यात्री टर्मिनल भवन (तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विभाजन), साथ ही एप्रन स्टैंड और संपर्क द्वारों की संख्या हैं। चरणों में विमानपत्तन का विकास अनुसूची क में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार होगा।

इसके अलावा, सुविधाओं को समय-समय पर बनाए रखने और उन्नत करने, उपकरणों को बदलने और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित निवेश की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विमानपत्तन का बुनियादी ढांचा इस करार में निर्धारित सेवा स्तर के मानकों को पूरा करते हुए अनुमानित यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

2. विकास सिद्धांत

किसी भी नियोजन प्रयास का उद्देश्य अनुमानित मांग का समर्थन करने के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्धारण करना है, जिसमें निकट-अवधि के नियोजन का उपयोग आवश्यक प्रारंभिक विकास की पहचान करने के साधन के रूप में किया जाता है। हालांकि, यह भी अनिवार्य है कि नियोजन प्रयास ऐसे विकास को शुरू न करें जो विमानपत्तन के बाद के चरणों को विकसित करने की क्षमता को रोकता है या महत्वपूर्ण रूप से जटिल बनाता है। इसके अतिरिक्त, नियोजन प्रयास के परिणामस्वरूप एक ऐसी योजना बननी चाहिए जो लचीली बनी रहे और साथ ही निश्चित रूप से विमानपत्तन के विशिष्ट तत्वों की क्रमिक वृद्धि के लिए एक समन्वित योजना स्थापित करे।

3. सततता (पर्यावरण संधारणीयता)

स्थल के लिए प्रस्तावित सभी कार्यों के लिए पर्यावरण संरक्षण विचार का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मास्टर प्लान विभिन्न दृष्टिकोणों से इस पर विचार करेगा, जिसमें समग्र स्थल की सततता को ध्यान में रखा जाएगा कि परियोजना स्थल पर कैसे स्थित है, यह स्थल की सीमाओं के भीतर और आसपास के क्षेत्र को कैसे प्रभावित करती है, उदाहरण के लिए परिवहन और स्थल के प्रकाश (Lighting) के माध्यम से।

- **जल:** जल की मांग को कैसे प्रबंधित किया जाता है, और स्थल पर पानी का उपचार कैसे किया जाता है? सतत, स्थल-व्यापी जल रणनीतियों को सबसे पहले भवन उपयोग, सिंचाई और अग्नि सुरक्षा के लिए जल मांग के प्रबंधन के माध्यम से मांग में कमी को बढ़ावा देना चाहिए। भवनों की जल मांग को जल-कुशल फिक्स्चर, यानी सिंक और शौचालय प्रदान करके प्रबंधित किया जाना चाहिए। सुखा-सहनशील स्थानीय प्रजातियों के उपयोग से सिंचाई आवश्यकताओं को न्यूनतम किया जाना चाहिए। ऐसी रणनीतियों का पालन किया जाना चाहिए जो गैर-पेय उपयोगों, जिनमें सिंचाई और विमान की धुलाई शामिल है, के लिए ग्रे-वाटर और वर्षाजल के संग्रहण को बढ़ावा देती हैं।
- **ऊर्जा:** स्थल पर टिकाऊ तरीकों से ऊर्जा कैसे प्रदान या वितरित की जाती है, और संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता वाले भवन निकाय कितने कुशल हैं? विमानपत्तन का अंतिम ईपीआई (ऊर्जा

प्रदर्शन सूचकांक) समय-समय पर संशोधित उद्योग औसत से कम होगा। स्थल पर भवनों को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा परिवहन प्रणालियों, उपकरणों, विशेष प्रणालियों (जैसे बैगेज हैंडलिंग प्रणाली/Baggage Handling), और एचवीएसी (HVAC)/प्रकाश व्यवस्था के लिए आवश्यक होता है। विशेष रूप से एचवीएसी और प्रकाश भार में सौर शेडिंग (उदाहरण के लिए सनशेड के उपयोग के माध्यम से) और दिन के उजाले के उपयोग से कमी आने की संभावना है। इन रणनीतियों को प्रत्येक आनुषंगिक भवनों के साथ-साथ यात्री टर्मिनल में लागू किया जाना चाहिए। यह अपेक्षा की जाती है कि आधुनिक नियंत्रण तकनीकों और ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था से जुड़े सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गुणांक के साथ सबसे ऊर्जा कुशल एयर कंडीशनिंग प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।

- **सामग्री/संसाधन:** स्थल पर कचरे का प्रबंधन कैसे किया जाता है, निर्माण के दौरान और दैनिक परिचालन के दौरान, और क्या नई सामग्रियों का चयन और स्थापना टिकाऊ तरीकों से की जाती है? स्थल के कार्यों, यात्री टर्मिनल भवन और आनुषंगिक संरचनाओं के निर्माण पर उपयोग के लिए निर्दिष्ट सामग्रियां होनी चाहिए: कम विषैली, टिकाऊ, कम रखरखाव वाली, और पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग करने वाली (अधिकतम संभव सीमा तक)। जहां क्षेत्रीय उत्पाद और सामग्रियां उपलब्ध हैं जो उल्लिखित प्रदर्शन मापदंडों को पूरा करती हैं, उन उत्पादों के उपयोग पर विचार किया जाना चाहिए।
- **अपशिष्ट प्रबंधन:** स्थल पर अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे किया जाता है? एक अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति विकसित की जानी चाहिए जो निर्माण अपशिष्ट को कम से कम करे, जिससे सामग्री को स्थल तक लाने और अपशिष्ट को स्थल से ले जाने में खर्च होने वाली परिवहन ऊर्जा की मात्रा कम हो जाएगी। एक बार सुविधाएं पूरी हो जाने के बाद, यदि संभव हो तो जैविक कचरे के पुनर्चक्रण और कम्पोस्टिंग को बढ़ावा देकर, दैनिक परिचालन के दौरान श्रमिकों और यात्रियों द्वारा उत्पन्न लैंडफिल कचरे को सीमित करने के लिए एक रणनीति विकसित की जानी चाहिए।
- **इनडोर पर्यावरण गुणवत्ता:** क्या स्वच्छ हवा और दिन के उजाले तक निवासियों की पहुंच को अधिकतम करने के लिए भवन प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है; क्या ध्वनिक चिंताओं को कम किया गया है? सभी भवनों को यांत्रिक रूप से वातानुकूलित किया जाएगा और कम-VOC सामग्रियों का चयन इनडोर क्षेत्र की उच्च गुणवत्ता को प्रोत्साहित करेगा। भवनों के आंतरिक भागों में बाहरी विमान और वाहनों के शोर के प्रभाव को कम करने में मदद के लिए विशेष ग्लेज़िंग और अन्य ध्वनिक सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए; यात्रियों और कार्य गतिविधियों द्वारा उत्पन्न आंतरिक शोर को नियंत्रित करने के लिए भी इसी तरह के उपाय किए जाने चाहिए।

निम्नलिखित न्यूनतम स्थल सततता लक्ष्यों और उद्देश्यों का सारांश प्रस्तुत करता है: 3.1

- स्ट्रीट और पार्किंग लॉट की कम से कम 25% (पच्चीस प्रतिशत) लाइटों के लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली प्रदान करना।
- स्थल पर उत्पन्न होने वाले सभी वर्षाजल अपवाह (Storm water runoff) के कम से कम 30% (तीस प्रतिशत) का वर्षाजल संचयन (Rainwater harvesting) प्रदान करना। ऐसे पानी का उपयोग एक्विफर को रिचार्ज करने या सिंचाई के पानी के रूप में किया जा सकता है।
- उपयोगिता सहायता भवनों के लिए सौर ऊर्जा या पुनर्चक्रण योग्य ऊर्जा के अन्य रूपों का उपयोग करना, यानी बिजली उत्पादन के लिए मीथेन गैस।

- सभी उपचारित सीवेज पानी का पुनः उपयोग या तो चिलर मेक-अप वॉटर या सिंचाई के पानी के रूप में करना, और
- स्थल पर मौजूद जितने भी मौजूदा पेड़ हैं उन्हें बचाना और/या व्यावसायिक विकास क्षेत्रों में उपयोग के लिए उन्हें स्थानांतरित करना।

3. विमानपत्तन

3.1 विमानपत्तन के विकास में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) इस अनुसूची B में वर्णित और इस अनुसूची B के अनुबंध I में सूचीबद्ध विभिन्न संपत्तियों का निर्माण और खरीद, जिसमें आवश्यकतानुसार, रनवे, टैक्सिवे, एप्रन, विमान पार्किंग बे, हवाई यातायात नियंत्रण टॉवर, कार्गो सुविधाएं, पार्किंग, उड़ान रसोई (Flight Kitchens), एमआरओ (MRO) सुविधाएं, भंडारण सुविधाएं, एयरलाइन कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय और संबंधित सुविधाएं शामिल हैं;
- (ii) टर्मिनल भवन और सुविधाओं का निर्माण और खरीद; और (iii) आवश्यक पहुंच मार्गों (Approach Roads) का निर्माण।

3.2 विमानपत्तन का निर्माण रियायतग्राही द्वारा मास्टर प्लान और अनुसूची ग में निर्धारित विशिष्टताओं और मानकों के अनुरूप किया जाएगा।

4. आरक्षित क्षेत्र

रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र को चिह्नित और आवंटित करेगा।

5. सिटी साइड विकास

5.1 सिटी साइड विकास अनुसूची क के अनुलग्नक III में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार और उनके अधीन किया जाएगा।

5.2 सिटी साइड विकास अनुसूची ग में निर्धारित विशिष्टताओं और मानकों के अनुरूप किया जाएगा।

अनुलग्नक I

(अनुसूची ख)

परिसंपत्तियों/परियोजना सुविधाओं का विवरण

इस अनुसूची का उद्देश्य विमानपत्तन में प्रदान की जाने वाली विभिन्न परियोजना सुविधाओं का व्यापक विवरण और आवश्यकताएं प्रदान करना है। रियायतग्राही इस करार के प्रावधानों के अनुसार परियोजना सुविधाओं का संचालन, प्रबंधन और विकास करेगा।

1. संपत्तियाँ:

- क. एयरोड्रोम नियंत्रण सेवाएं
- ख. एयरफील्ड
- ग. एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग
- घ. रनवे
- ङ. एप्रन और रोड लाइटिंग
- च. रैपिड एग्जिट टैक्सिसे सहित टैक्सिसे
- छ. विमान बचाव एवं अग्निशमन (एआरएफएफ)
- ज. यातायात संकेतों, संकेतकों और निगरानी सहित एयरसाइड और लैंडसाइड पहुंच मार्ग तथा फोरकोर्ट
- झ. सुरक्षा जांच बिंदु (Security Check Points)
- ञ. अधिकृत प्रदाताओं द्वारा विमान ईंधन भरने की सेवाओं के लिए सामान्य हाइड्रेंट बुनियादी ढांचा
- ट. एप्रन क्षेत्र
- ठ. एप्रन नियंत्रण और विमान बे का आवंटन
- ड. मैनुव्रिंग क्षेत्र (Manoeuvring Areas)
- ढ. एयरफील्ड संकेतक और एयरफील्ड चिह्नांकन
- ण. पक्षी भगाने की व्यवस्था (Bird Scaring)
- त. कार्गो टर्मिनल
- थ. विमान में ईंधन भरने हेतु 'इन-टू-द-प्लेन' सेवाएं
- द. विमानपत्तन परिचालन नियंत्रण केंद्र (एओसीसी)
- ध. स्थल पर निर्मित और संचालित की जाने वाली संबद्ध सुविधाएं जैसे सीवेज संग्रह और पुनर्चक्रण/जल उपचार/वर्षाजल नियोजन
- न. ग्राउंड सर्विस उपकरण (जीएसई) रखरखाव भवन और पार्किंग क्षेत्र
- प. सामान्य विमानन सेवाएं (यात्रियों या कार्गो या दोनों को ले जाने वाली व्यावसायिक हवाई परिवहन सेवाओं के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाओं के अलावा)

बीबी. टैक्सी किराए पर लेने और परिवहन की सुविधाएं

सीसी. बैंक और विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधाएं

डीडी. सार्वजनिक पहुंच टेलीफोन

ईई. वृक्षारोपण और भू-दृश्य निर्माण

एफएफ. पोर्टर सेवा (कुली सेवा)

जीजी. डाक सेवाएं

एचएच. विमानपत्तन कार्यालय **टर्मिनल भवन के परिष्करण और अन्य लेआउट तत्व:**

टर्मिनल भवन के परिष्करण और अन्य लेआउट तत्वों में न्यूनतम रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i. टर्मिनल भवन में उपयुक्त क्षेत्रों में संपूर्ण वातानुकूलन;
- ii. टर्मिनल में इष्टतम लेआउट वाले विश्राम कक्ष और जल बचत उपकरणों आदि के उपयोग पर बल देने वाले परिष्करण;
- iii. टर्मिनल में इष्टतम लेआउट वाले एस्केलेटर;
- iv. टर्मिनल में इष्टतम लेआउट वाले लिफ्ट;
- v. उपयुक्त क्षमता वाले सार्वजनिक बैठने के क्षेत्र;
- vi. यात्री टर्मिनलों में पर्याप्त संख्या में स्क्रीन और फ्लैट पैनल बोर्डों के साथ सार्वजनिक उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली
- vii. सूचनात्मक, दिशात्मक और आपातकालीन संबंधित साइनेज।

विमानपत्तन आईसीटी प्रणाली:

विमानपत्तन आईसीटी प्रणाली में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

- i. वायरलेस सहित डेटा संचार नेटवर्क;
- ii. विमानपत्तन प्रचालन डेटाबेस सहित विमानपत्तन सूचना प्रबंधन प्रणाली;
- iii. बैगेज मिलान प्रणाली ;
- iv. नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने की क्षमता वाली विमानपत्तन और एयरलाइन प्रणालियां;
- v. सूचना कियोस्क;
- vi. सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली;
- vii. विमानपत्तन की निगरानी हेतु क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) सुरक्षा प्रणाली; तथा

viii. स्वचालित ट्रे पुनर्प्राप्ति प्रणाली

बैगेज हैंडलिंग प्रणाली : रियायतग्राही एक सुरक्षित और कुशल विमानपत्तन बैगेज हैंडलिंग प्रणाली प्रदान करेगा और उसका रखरखाव करेगा, जिसमें शामिल हैं:

i. टर्मिनल में स्थान की कमी (यदि कोई हो) के अधीन, आईसीएओ अनुलग्नक 17 एसएआरपी की न्यूनतम आवश्यकताओं और विमानपत्तन पर सुरक्षा प्रदान करने या उसकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार संबंधित सरकारी तंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए होल्ड बैगेज की 100% (एक सौ प्रतिशत) सुरक्षा स्क्रीनिंग प्रदान करने वाली इन-लाइन बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली;

ii. चेक-इन और आगमन, स्थानांतरण तथा बड़े आकार के सामान की हैंडलिंग;

iii. बैगेज क्लेम सुविधाएं; तथा

iv. खोए हुए सामान की हैंडलिंग और भंडारण।

यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां विमानपत्तन पर वर्तमान में इन-लाइन बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली मौजूद नहीं है, वहां रियायतग्राही मौजूदा टर्मिनल भवन में ऐसी प्रणाली प्रदान करने का हकदार होगा, लेकिन बाध्य नहीं होगा। यह और स्पष्ट किया जाता है कि नए टर्मिनल भवन के निर्माण की स्थिति में, उसके संबंध में एक इन-लाइन बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली प्रदान की जाएगी।

टर्मिनल भवन की क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार होगी, जिसे रियायतग्राही द्वारा आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों, डीजीसीए नागर विमानन आवश्यकताओं और उत्कृष्ट उद्योग प्रथाओं के अनुपालन में मास्टर प्लान के हिस्से के रूप में अद्यतन किया जाएगा।

3. विनिर्देश और मानक

सभी परिसंपत्तियां (टर्मिनल भवन सहित) अनुसूची 'ग' में निर्दिष्ट विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप होंगी।

अनुसूची 'सी'

विनिर्देश और मानक

(खंड 2.1 का संदर्भ लें)

1. विमानपत्तन

रियायतग्राही विमानपत्तन पर रियायतग्राही द्वारा या उसकी ओर से किए गए निर्माण कार्य (परंतु अनुबंध के खंड 6.4.5 में उल्लिखित प्रगतिरत कार्यों को छोड़कर) के लिए इस अनुसूची 'ग' में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों का अनुपालन करेगा।

2. अनिवार्य मानक और आवश्यकताएं

रियायतग्राही निम्नलिखित (समय-समय पर यथा अद्यतन) में निर्दिष्ट निर्माण मानकों और अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करेगा:

(क) नागर विमानन आवश्यकताएं (सीएआर), विमानपत्तन मानक और वायु यातायात सेवाएं, भाग I, खंड 4, श्रृंखला 'ख' (नवंबर 2009)

(ख) विमानपत्तन लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में डीजीसीए सीएआर खंड 4 - विमानपत्तन मानक और वायु यातायात सेवाएं: श्रृंखला 'एफ' भाग I

(ग) आईसीएओ अंतर्राष्ट्रीय मानक और अनुशंसित पद्धतियां, विमानपत्तन, संदर्भित किए जाने वाले मानकों में निम्नलिखित शामिल होंगे, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

i. आईसीएओ अनुलग्नक 9 - सुगमीकरण;

ii. आईसीएओ अनुलग्नक 12 - खोज और बचाव;

iii. आईसीएओ अनुलग्नक 14 - विमानपत्तन डिजाइन और प्रचालन;

iv. आईसीएओ अनुलग्नक 15 - वैमानिक सूचना सेवाएं;

v. आईसीएओ अनुलग्नक 16 - पर्यावरण संरक्षण;

vi. आईसीएओ अनुलग्नक 17 - सुरक्षा;

vii. आईसीएओ अनुलग्नक 18 - वायु मार्ग से खतरनाक वस्तुओं का सुरक्षित परिवहन

(घ) आईसीएओ विमानपत्तन डिजाइन मैनुअल (प्रलेख 9157);

(ङ) आईसीएओ विमानपत्तन सेवा मैनुअल (प्रलेख 9137);

(च) आईसीएओ विमानपत्तन नियोजन मैनुअल (प्रलेख 9184-AN/902);

(छ) कोई अन्य आईसीएओ मैनुअल और मानक, जो लागू हों;

- (ज) विमानपत्तन टर्मिनल भवनों, ईंधन भरने वाले रैंप जल निकासी और लोडिंग वॉकवे पर यूएस नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन (एनएफपीए) के मानक;
- (झ) इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) एयरपोर्ट डेवलपमेंट रेफरेंस मैनुअल, 10वां संस्करण, मार्च 2014;
- (ञ) एप्रन मार्किंग और साइन्स हैंडबुक पर एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) की सिफारिशें;
- (ट) भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016;
- (ठ) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित प्रासंगिक भारतीय मानक कोड;
- (ड) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, 2007, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया हो;
- (ढ) सांविधिक एजेंसी आवश्यकताएं, जिनमें डीजीसीए, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, रक्षा मंत्रालय, सीमा शुल्क एवं आब्रजन प्राधिकरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शामिल हैं;
- (ण) ईएन मानक
- (त) लागू कानून तथा
- (थ) ऊपर असूचीबद्ध कोई अन्य लागू नियमावली, मानक, विनिर्देश, दिशानिर्देश।
- (द) स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी प्रकार के टकराव (विरोध) की स्थिति में, डीजीसीए की आवश्यकताएं और मानक, आईएटीए या आईसीएओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के किन्हीं भी मानकों और आवश्यकताओं पर अधिभावी होंगे।

अनुसूची 'डी'
सांकेतिक लागू अनुमतियां
(खंड 4.1.3 का संदर्भ लें)

रियायतग्राही, आवश्यकताओं के अधीन, प्रासंगिक गतिविधि के प्रारंभ होने से पूर्व निम्नलिखित लागू अनुमतियां प्राप्त करेगा:

- (क) खदान से पत्थर/बोल्डर निकालने के लिए राज्य सरकार की अनुमति;
- (ख) क्रशर स्थापित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति;
- (ग) विस्फोटकों के उपयोग के लिए लाइसेंस;
- (घ) पेट्रोलियम की विभिन्न श्रेणियों के भंडारण, उपयोग और परिवहन के लिए लाइसेंस;
- (ङ) नदी/जलाशय से पानी निकालने के लिए राज्य सरकार की अनुमति;
- (च) बैचिंग प्लांट स्थापित करने के लिए कारखाना निरीक्षक या अन्य सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस;
- (छ) बैचिंग प्लांट स्थापित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति/स्वीकृति;
- (ज) डामर (एस्फाल्ट) प्लांट के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति/स्वीकृति;
- (झ) डीजल जनरेटर (डीजी) सेटों की स्थापना के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति/स्वीकृति;
- (ञ) टर्मिनल भवन, कार्गो परिसर, विमान में ईंधन भरने और अन्य संरचनाओं जैसे कि अग्निशमन, बीसीएस, पेट्रोलियम आदि के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक स्वीकृतियां;
- (ट) वृक्षों की कटाई के लिए राज्य सरकार की अनुमति;
- (ठ) लागू कानूनों के तहत आवश्यक कोई अन्य परमिट या स्वीकृतियां;
- (ड) हवाई अड्डे के लिए सीएनएस/एटीएम प्रचालनों के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ करार;
- (ढ) कार्गो प्रचालनों के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड से स्वीकृतियां; तथा
- (ण) यदि कोई विदेशी प्रोपराइटर/भागीदार शामिल है, तो गृह मंत्रालय, भारत सरकार से आवश्यक सुरक्षा मंजूरी/स्वीकृतियां।

अनुसूची 'ई' कार्यनिष्पादन प्रतिभूति

(खंड 9.1 का संदर्भ लें)

[उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना है]

सेवा में,

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

राजीव गांधी भवन, तीसरी मंजिल, सी-ब्लॉक,

सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110003, भारत

जबकि :

क. [•] ("रियायतग्राही") और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ("प्राधिकरण") ने दिनांक [•] का एक रियायत करार ("करार") निष्पादित किया है, जिसके तहत प्राधिकरण ने रियायतग्राही को [उस राज्य का नाम जहां हवाई अड्डा स्थित है दर्ज करें] राज्य में स्थित [हवाई अड्डे का नाम दर्ज करें] के प्रचालन, प्रबंधन और विकास का कार्य करने के लिए उसके प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार प्राधिकृत किया है।

ख. करार के तहत रियायतग्राही को करार के अनुसरण में अपने दायित्वों के उचित और निष्ठापूर्वक निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में प्राधिकरण को रु. [•] (रुपये [•] करोड़) ("गारंटी राशि") की कार्यनिष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

ग. हम, [बैंक का नाम दर्ज करें], अपनी [शाखा का नाम दर्ज करें] स्थित शाखा के माध्यम से ("बैंक") कार्यनिष्पादन प्रतिभूति की शर्तों के अनुसार कार्यनिष्पादन प्रतिभूति के रूप में यह बैंक गारंटी ("गारंटी") प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुए हैं।

अब, इसलिए, बैंक एतद्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से निम्नानुसार गारंटी देता है और पुष्टि करता है:

1. बैंक एतद्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से यह गारंटी देता है और वचन देता है कि वह करार के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार रियायतग्राही के सभी या किसी भी दायित्व के उचित और निष्ठापूर्वक निष्पादन में किसी भी विफलता या चूक के होने पर, प्राधिकरण की पहली लिखित मांग पर, बिना किसी आपत्ति, संकोच, आरक्षण, सहारा, विवाद या विरोध के, और रियायतग्राही के किसी संदर्भ के बिना, गारंटी राशि की कुल सीमा तक ऐसी राशि या राशियों का भुगतान करेगा जिसकी प्राधिकरण मांग करेगा,

जिसके लिए प्राधिकरण को अपनी मांग और/या उसमें विनिर्दिष्ट राशि के लिए आधार या कारण साबित करने या दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. [•] के पद से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत प्राधिकरण का एक पत्र, जिसमें यह कहा गया हो कि रियायतग्राही से कोई राशि देय और बकाया है, या रियायतग्राही ने करार के तहत अपने सभी या किन्हीं दायित्वों के उचित और निष्ठापूर्वक निष्पादन में चूक की है, बैंक पर निर्णायक, अंतिम और बाध्यकारी होगा। बैंक आगे सहमत होता है कि प्राधिकरण इस बात का एकमात्र निर्णायक होगा कि क्या रियायतग्राही करार के तहत अपने दायित्वों के उचित और निष्ठापूर्वक निष्पादन में चूक कर रहा है और इस संबंध में उसका निर्णय बैंक पर अंतिम और बाध्यकारी होगा, भले ही प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच कोई मतभेद हो, या उनके बीच कोई विवाद किसी अदालत, अधिकरण, मध्यस्थों या किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के समक्ष लंबित हो, या किसी भी कारण से रियायतग्राही का दायित्वमुक्ति हुई हो।

3. इस गारंटी को प्रभावी करने के लिए, प्राधिकरण इस प्रकार कार्य करने का हकदार होगा मानो बैंक मुख्य देनदार हो और रियायतग्राही और/या बैंक के गठन में कोई भी परिवर्तन, चाहे किसी अन्य निकाय या निगम में उनके संविलियन द्वारा या अन्यथा हो, इस गारंटी के तहत बैंक के दायित्व या बाध्यता को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा।

4. प्राधिकरण के लिए इस गारंटी के तहत बैंक के समक्ष अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले रियायतग्राही के विरुद्ध कार्रवाई करना आवश्यक नहीं होगा, और बैंक एतद्वारा ऐसी किसी भी आवश्यकता का अधित्यजन करता है।

5. प्राधिकरण को यह स्वतंत्रता होगी कि वह इस गारंटी के तहत बैंक के दायित्व को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना, करार के नियमों और शर्तों में किसी भी समय बदलाव कर सकता है या करार में निहित रियायतग्राही के सभी या किन्हीं दायित्वों के अनुपालन, पूर्ति और/या निष्पादन के लिए समय या अवधि बढ़ा सकता है या प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के विरुद्ध प्रयोग की जाने वाली किन्हीं भी शक्तियों और अधिकारों को समय-समय पर स्थगित कर सकता है, और करार में निहित किन्हीं भी नियमों और शर्तों तथा/या प्राधिकरण को उपलब्ध प्रतिभूतियों को लागू करने या लागू करने से विरत रहने का निर्णय ले सकता है, और बैंक पूर्वोक्त मामलों के संदर्भ में प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्रता के प्रयोग

के कारण, या रियायतग्राही को समय दिए जाने या प्राधिकरण की ओर से किसी अन्य सहनशीलता, रियायत, कृत्य या लोप के कारण अपने दायित्व और बाध्यता से मुक्त नहीं होगा, और बैंक एतद्वारा ऐसे किसी भी कानून के तहत अपने सभी अधिकारों का त्याग करता है।

6. यह गारंटी करार के संबंध में या करार के तहत रियायतग्राही के सभी या किन्हीं दायित्वों के अनुपालन, पूर्ति और/या निष्पादन के लिए वर्तमान में या भविष्य में प्राधिकरण द्वारा रखी गई किसी अन्य गारंटी या प्रतिभूति के अतिरिक्त है, न कि उसके स्थान पर।

7. पूर्वगामी में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, इस गारंटी के तहत बैंक का दायित्व गारंटी राशि तक सीमित है और यह गारंटी करार में निर्धारित अवधि के लिए प्रभावी रहेगी, और जब तक कि इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से 3 (तीन) महीने के भीतर प्राधिकरण द्वारा बैंक पर इस गारंटी के तहत लिखित में कोई मांग या दावा नहीं किया जाता है, तब तक इस गारंटी के तहत प्राधिकरण के सभी अधिकार जब्त हो जाएंगे और बैंक इसके तहत अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा।

8. कार्यनिष्पादन प्रतिभूति करार में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद प्रभावी नहीं रहेगी, जिसके बाद 3 (तीन) महीने की दावा अवधि होगी। रियायतग्राही के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित इसके तहत अपेक्षित विवरणों के साथ कार्यनिष्पादन प्रतिभूति को मुक्त करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किए गए अनुरोध पर, प्राधिकरण इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से 3 (तीन) महीने की अवधि के बाद कार्यनिष्पादन प्रतिभूति को तत्काल मुक्त करेगा।

9. बैंक अपनी वैधता के दौरान इस गारंटी को रद्द न करने का वचन देता है, सिवाय लिखित में प्राधिकरण की पूर्व स्पष्ट सहमति के, और घोषित करता है और वारंटी देता है कि उसके पास यह गारंटी जारी करने की शक्ति है और अधोहस्ताक्षरी के पास बैंक की ओर से ऐसा करने की पूर्ण शक्तियां हैं।

10. इसके तहत अनुरोध, मांग या अन्यथा किसी भी प्रकार की सूचना डाक द्वारा बैंक को उसकी उपर्युक्त शाखा के पते पर भेजी जा सकती है, जिसे ऐसी सूचना प्राप्त करने और उसके तहत तत्काल भुगतान करने के लिए विधिवत अधिकृत माना जाएगा, और यदि डाक द्वारा भेजी जाती है तो इसे उस समय दिया गया माना जाएगा जब इसे डाक के सामान्य क्रम में वितरित किया जाना चाहिए था।

आज दिनांक [•] 20[•] को [स्थान] पर हस्ताक्षरित और मुहरबंद:

बैंक की ओर से और उसके लिए हस्ताक्षरित, मुहरबंद एवं वितरित:

(हस्ताक्षर) : _____

(नाम): _____

(पदनाम): _____

(कोड संख्या): _____

(पता): _____

नोट :

(क) बैंक गारंटी में गारंटी पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी/अधिकारियों का नाम, पदनाम और कोड नंबर होना चाहिए।

(ख) बैंक के प्रधान कार्यालय के साथ-साथ जारीकर्ता शाखा का पता, टेलीफोन नंबर और अन्य विवरण जारीकर्ता शाखा के कवरिंग लेटर पर उल्लिखित होना चाहिए।

अनुसूची 'एफ'

चरण पूर्णता अनुसूची

(खंड 12.5.2 का संदर्भ लें)

1. चरण पूर्णता अनुसूची

1.1 विकास अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक चरणबद्ध मील के पत्थर के लिए इस अनुसूची F में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

1.2 प्रत्येक चरण के संबंध में चरणबद्ध मील के पत्थर और अनुसूचित पूर्णता तिथि, प्रत्येक ऐसे चरण के निर्माण कार्यों के प्रारंभ होने से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से रियायतग्राही द्वारा निर्धारित की जाएगी।

1.3 रियायतग्राही विकास अवधि के दौरान किए जाने वाले संपूर्ण निर्माण कार्यों को मापने योग्य समय इकाई (दिन/सप्ताह/माह/वर्ष) ("चरण पूर्णता अनुसूची") में विभाजित करेगा, और इसे विकास अवधि के दौरान पूरी की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों से जोड़ेगा। इन प्रमुख गतिविधियों को विभिन्न कार्यों में उप-विभाजित किया जा सकता है और प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए समय अवधि परिभाषित की जाएगी।

1.4 समय अवधि के साथ निर्माण कार्यों का यह विवरण बार चार्ट या किसी उपयुक्त आरेख के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो कार्यों और गतिविधियों के बीच संबंधों और अन्योन्याश्रयता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता हो।

1.5 रियायतग्राही, विकास योजना के एक भाग के रूप में, प्रत्येक चरण के संबंध में चरण पूर्णता अनुसूची प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

2. चरण का महत्वपूर्ण पड़ाव

रियायतग्राही प्रत्येक चरण के लिए अनुसूचित पूर्णता तिथि को या उससे पहले पूरे किए जाने वाले निर्माण कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति के संदर्भ में परियोजना के प्रत्येक चरण के लिए प्रमुख मील के पत्थरों ("चरणबद्ध मील का पत्थर") की पहचान करेगा। रियायतग्राही प्रत्येक चरण के संबंध में प्राधिकरण को चरण पूर्णता अनुसूची प्रदान करेगा।

3. अनुसूचित पूर्णता तिथि से पूर्व पूर्णता

चरण I की अनुसूचित पूर्णता तिथि को या उससे पहले, रियायतग्राही इस करार के अनुसार हवाई अड्डे के चरण I का निर्माण कार्य पूर्ण कर लेगा।

4. अवधि का विस्तार

इस करार के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार, चरणबद्ध मील के पत्थरों में से किसी एक या सभी अथवा यथास्थिति अनुसूचित पूर्णता तिथि के विस्तार पर, चरण पूर्णता अनुसूची को तदनुसार संशोधित माना जाएगा।

अनुसूची 'जी'

परीक्षण

(खंड 14.1.2 का संदर्भ लें)

1. परीक्षणों की अनुसूची

1.1 रियायतग्राही, हवाई अड्डे के प्रासंगिक चरण के संभावित पूरा होने से कम से कम 90 (नब्बे) दिन पहले, स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को प्रासंगिक चरण को परीक्षणों के अधीन करने के अपने इरादे की सूचना देगा, और परीक्षणों की वास्तविक तारीख से कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले, स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को हवाई अड्डे का हिस्सा बनने वाले सभी कार्यों और उपकरणों की विस्तृत सूची और विवरण प्रस्तुत करेगा।

1.2 रियायतग्राही ऐसी सूचना की तारीख से 7 (सात) दिनों के बाद किसी भी समय हवाई अड्डे के प्रासंगिक चरण को परीक्षणों के अधीन करने की अपनी तत्परता की सूचना स्वतंत्र अभियंता को देगा, और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही के परामर्श से प्रत्येक परीक्षण के लिए तारीख और समय निर्धारित करेगा तथा प्राधिकरण को इसकी सूचना देगा, जो परीक्षणों को देखने (साक्षी बनने) के लिए अपने प्रतिनिधि को नामित कर सकता है। रियायतग्राही इसके बाद अनुच्छेद 14 और इस अनुसूची छ के अनुसार स्वतंत्र अभियंता की उपस्थिति में परीक्षण आयोजित करेगा।

2. परीक्षण

इस करार के खंड 14.1.2 के प्रावधानों के अनुसरण में, रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता की उपस्थिति में निम्नलिखित परीक्षण आयोजित करेगा:

2.1 दृश्य और भौतिक परीक्षण

2.1.1 रियायतग्राही यह निर्धारित करने के लिए हवाई अड्डे की एक दृश्य और भौतिक जांच करेगा कि उसके सभी कार्य और उपकरण इस करार के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

2.1.2 धावनमार्ग (रनवे), टैक्सीवे, एप्रन, एटीसी सुविधा और टर्मिनल भवन को पूर्ण संरचनाओं या उसके भाग के गैर-विनाशकारी परीक्षण के अधीन किया जाएगा, जो भारतीय मानक (आईएस-13311), प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों तथा डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

2.2 उपकरणों के लिए परीक्षण

रियायतग्राही विनिर्देशों और मानकों तथा संरक्षा आवश्यकताओं के साथ सभी उपकरणों के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों, डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार परीक्षण आयोजित करेगा।

2.3 प्रचालन तत्परता के लिए परीक्षण

रियायतग्राही वैमानिक परिसंपत्तियों, टर्मिनल भवन और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों सहित हवाई अड्डे के विनिर्देशों और मानकों, रखरखाव आवश्यकताओं, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों, डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों और संरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए हवाई अड्डे का परीक्षण प्रचालन आयोजित करेगा।

2.4 पर्यावरणीय लेखापरीक्षा:

रियायतग्राही लागू कानूनों और लागू अनुमतियों में निर्धारित पर्यावरणीय आवश्यकताओं के साथ हवाई अड्डे की अनुरूपता निर्धारित करने के लिए एक जांच करेगा।

2.5 अन्य अनिवार्य परीक्षण:

रियायतग्राही यह प्रबंध और सुनिश्चित करेगा कि डीजीसीए द्वारा हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान करने के लिए लागू कानूनों के अनुसार आयोजित किए जाने वाले सभी वैधानिक परीक्षण सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) से कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले आयोजित और पूरे किए जाएं।

3. परीक्षण आयोजित करने वाली एजेंसी

इस अनुसूची जी में निर्धारित सभी परीक्षण रियायतग्राही द्वारा या ऐसी अन्य एजेंसी या व्यक्ति द्वारा आयोजित किए जाएंगे जिसे वह प्राधिकरण के परामर्श से विनिर्दिष्ट करे, जो स्वतंत्र अभियंता और/या प्राधिकरण की उपस्थिति में होंगे।

4. संरक्षा प्रमाणन के लिए परीक्षण

संरक्षा आवश्यकताओं के साथ हवाई अड्डे की अनुरूपता का निर्धारण करने के लिए परीक्षण उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार तथा लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अनुरूप आयोजित किए जाएंगे।

5. पूर्णता / अनंतिम रिपोर्ट

परीक्षणों के सफल समापन पर, स्वतंत्र अभियंता अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के अनुसार, यथास्थिति, पूर्णता या अनंतिम पूर्णता के संबंध में प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

6. निर्माण के दौरान परीक्षण

इस अनुसूची जी के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान परीक्षण खंड 13.3.1 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे।

अनुसूची 'एच'

सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं

(खंड 23.1.1 देखें)

1. सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं

रियायतग्राही, सीओडी से 1 (एक) वर्ष की तारीख से प्रारंभ करते हुए, हर समय यह प्रबंध और सुनिश्चित करेगा कि वह इस अनुसूची एच के अनुलग्नक 1 में निर्धारित सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं को प्राप्त करे।

2. मासिक अनुपालन रिपोर्ट

रियायतग्राही प्रत्येक कैलेंडर माह की समाप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुपालन पर एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3. अनुसूची एच का प्रदर्शन

रियायतग्राही अनुच्छेद 43 में निर्धारित शिकायत पुस्तिका के साथ टर्मिनल भवन में इस अनुसूची एच की एक प्रति प्रदर्शित करेगा।

**अनुलग्नक I (अनुसूची एच)
सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं**

रियायतग्राही सीओडी से 1 (एक) वर्ष की तारीख से प्रारंभ करते हुए, हर समय यह प्रबंध और सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डे पर प्रदान की जाने वाली सेवाएं अनुसूची एच के इस अनुलग्नक I में विनिर्दिष्ट प्रमुख निष्पादन संकेतकों ("सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं") के अनुरूप हों।

1.1 वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता पैरामीटर और बेंचमार्क

क्र.सं.	निष्पादन संकेतक	निष्पादन माप)	न्यूनतम निष्पादन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण
1	कार पार्किंग	क) पार्किंग शुल्क के भुगतान या टिकट संग्रह में लगने वाले समय सहित पार्किंग स्थल खोजने में लगने वाला औसत समय; ख) पार्किंग शुल्क के भुगतान के समय सहित पार्किंग स्लॉट से निकास द्वार तक लगने वाला औसत समय।	क) 95% चालकों को 5 मिनट से कम समय लगता है; ख) 95% चालकों को 5 मिनट से कम समय लगता है।	उन ग्राहकों की संख्या जहाँ औसत कतार समय निर्धारित मानक के भीतर है, कतार में कुल ग्राहकों के प्रतिशत के रूप में। कार पार्किंग कतार में यात्रियों के लिए औसत कतार समय उस समय से मापा जाएगा जब यात्री कतार में शामिल होता है और कार पार्क में पार्किंग की जगह खोजने के समय तक मापा जाएगा तथा इसकी गणना इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.b के तहत निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार	निष्पादन मापन योजना के आधार पर	क) नहीं ख) नहीं

				की जाएगी। कार पार्क से बाहर निकलने वाले यात्रियों के लिए औसत कतार समय उस समय से मापा जाएगा जब यात्री पार्किंग स्थल छोड़ता है और निकास द्वार छोड़ने के समय तक मापा जाएगा तथा इसकी गणना इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.b के तहत निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार की जाएगी।		
--	--	--	--	---	--	--

क्र.सं .	निष्पादन संकेतक	निष्पादन माप	न्यूनतम निष्पादन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति
2	सुरक्षा जांच	कतार में प्रतीक्षा समय	व्यस्ततम घंटे के 95% यात्री 5 मिनट से कम प्रतीक्षा करते हैं।	कतार में कुल ग्राहकों के प्रतिशत के रूप में उन ग्राहकों की संख्या जहाँ औसत कतार समय निर्धारित मानक के भीतर है। सुरक्षा कतार में यात्रियों के लिए औसत कतार समय उस समय से मापा जाएगा जब यात्री	अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों यात्रियों के लिए, कार्यनिष्पादन मापन योजना के आधार पर।

				कतार में शामिल होता है और प्रसंस्करण काउंटर तक पहुंचने के समय तक मापा जाएगा तथा इसकी गणना इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.b के तहत निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार की जाएगी।	
3	चेक-इन	कतार में प्रतीक्षा समय	क) 95% बिजनेस क्लास यात्री 5 मिनट से कम प्रतीक्षा करते हैं; ख) 95% इकोनॉमी क्लास यात्री 20 मिनट से कम प्रतीक्षा करते हैं।	कतार में कुल यात्रियों के प्रतिशत के रूप में उन यात्रियों की संख्या जहाँ औसत कतार समय निर्धारित मानक के भीतर है। चेक-इन कतार में यात्रियों के लिए औसत कतार समय उस समय से मापा जाएगा जब यात्री कतार में शामिल होता है और प्रसंस्करण काउंटर/डेस्क तक पहुंचने के समय तक मापा जाएगा तथा इसकी गणना इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.b के तहत निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार की जाएगी।	अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों यात्रियों के लिए, कार्यनिष्पादन मापन योजना के आधार पर।

4	अप्रवासन	कतार में प्रतीक्षा समय	क) 95% यात्री 10 मिनट से कम प्रतीक्षा करते हैं।	कतार में कुल यात्रियों के प्रतिशत के रूप में उन यात्रियों की संख्या जहाँ औसत कतार समय निर्धारित मानक के भीतर है। आव्रजन कतार में यात्रियों के लिए औसत कतार समय उस समय से मापा जाएगा जब यात्री कतार में शामिल होता है और प्रसंस्करण काउंटर तक पहुंचने के समय तक मापा जाएगा तथा इसकी गणना इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.बी के तहत निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार की जाएगी।	कार्यनिष्पादन मापन योजना के आधार पर।
---	----------	------------------------	---	--	--------------------------------------

5	बैगेज सुपुर्दगी - घरेलू	विमान आगमन से बैगेज सुपुर्दगी में लगने वाला समय	क) पहला बैग विमान के ऑन-ब्लॉक समय के 10 मिनट के भीतर बैगेज बेल्ट पर पहुंचेगा; तथा ख) अंतिम बैग कोड सी विमान के लिए विमान ऑन-ब्लॉक समय के 30 मिनट के भीतर और कोड ई विमान के लिए 45 मिनट के भीतर बैगेज बेल्ट पर पहुंचेगा।	विमान के ऑन-ब्लॉक समय से बैगेज बेल्ट पर पहले बैग के आने तक बैगेज सुपुर्दगी के लिए लिया गया अधिकतम समय। विमान के ऑन-ब्लॉक समय से बैगेज बेल्ट पर अंतिम बैग के आने तक बैगेज सुपुर्दगी के लिए लिया गया अधिकतम समय। पहले बैग और अंतिम बैग दोनों के लिए लिया गया अधिकतम समय निर्धारित मानक के भीतर होगा।	सभी घरेलू उड़ानों के लिए, कार्यनिष्पादन मापन योजना के आधार पर।
6	बैगेज सुपुर्दगी - घरेलू	उपलब्ध समय प्रतिशत	क) प्रत्येक बैगेज बेल्ट कम से कम 95% समय उपलब्ध होनी चाहिए।	प्रत्येक बैगेज बेल्ट के लिए उपलब्ध समय मापा जाना है, जिसमें महीने में कुल नियोजित परिचालन घंटों के प्रतिशत के रूप में महीने में वास्तविक परिचालन घंटों का उपयोग किया जाएगा (नियोजित रखरखाव समय को छोड़कर)। उपलब्धता को इस अनुलग्नक के पैरा	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत कार्यनिष्पादन मापन योजना

				1.2.a में दिए गए सूत्र के संदर्भ में मापा जाएगा।	पर आधारित होगा।
7	बैगेज सुपुर्दगी - अंतर्राष्ट्रीय	विमान आगमन से बैगेज सुपुर्दगी में लगने वाला समय	क) पहला बैग विमान के ऑन-ब्लॉक समय के 15 मिनट के भीतर बैगेज बेल्ट पर पहुंचेगा; तथा ख) अंतिम बैग कोड सी विमान के लिए 40 मिनट के भीतर और कोड ई विमान के लिए 45 मिनट के भीतर बैगेज बेल्ट पर पहुंचेगा।	विमान के ऑन-ब्लॉक समय से बैगेज बेल्ट पर पहले बैग के आने तक बैगेज सुपुर्दगी के लिए लिया गया अधिकतम समय। विमान के ऑन-ब्लॉक समय से बैगेज बेल्ट पर अंतिम बैग के आने तक बैगेज सुपुर्दगी के लिए लिया गया अधिकतम समय। पहले बैग और अंतिम बैग दोनों के लिए लिया गया अधिकतम समय निर्धारित मानक के भीतर होगा।	सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए, कार्यनिष्पादन मापन योजना के आधार पर।
8	बैगेज सुपुर्दगी - अंतर्राष्ट्रीय	उपलब्ध समय प्रतिशत	क) प्रत्येक बैगेज बेल्ट कम से कम 95% समय उपलब्ध होनी चाहिए।	प्रत्येक बैगेज बेल्ट के लिए उपलब्ध समय मापा जाना है, जिसमें महीने में कुल नियोजित परिचालन घंटों के प्रतिशत के रूप में महीने में वास्तविक परिचालन घंटों का उपयोग किया जाएगा (नियोजित	महीने के हाँ प्रत्येक दिन (Yes) हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत कार्यनिष्पादन

				रखरखाव समय को छोड़कर)। उपलब्धता को इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.a में दिए गए सूत्र के संदर्भ में मापा जाएगा।	मापन योजना पर आधारित होगा।	
9	यात्री आगमन प्रक्रिया	विमान आगमन से कर्बसाइड तक लगने वाला समय	क) अंतर्राष्ट्रीय: 95% यात्री 45 मिनट से कम समय लेते हैं; ख) घरेलू: 95% यात्री 35 मिनट से कम समय लेते हैं।	कुल यात्रियों के प्रतिशत के रूप में उन यात्रियों की संख्या जहाँ लिया गया औसत समय निर्धारित मानक के भीतर है। यात्रियों के लिए औसत समय यात्री विमान के आगमन के समय से कर्बसाइड (फुटपाथ/निकास छोर) तक पहुंचने के समय तक मापा जाएगा और इसकी गणना इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.b के तहत निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार की जाएगी।	अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों यात्रियों के लिए, कार्यनिष्पादन मापन योजना के आधार पर।	हाँ (Yes)
10	यात्री बोर्डिंग ब्रिज	उपलब्ध समय प्रतिशत तथा एयरलाइन अनुरोध पूरा करने हेतु विमान आवागमन के लिए उपलब्धता	क) प्रत्येक यात्री बोर्डिंग ब्रिज कम से कम 95% समय उपलब्ध होना चाहिए। ख) यात्री बोर्डिंग	प्रत्येक यात्री बोर्डिंग ब्रिज के लिए उपलब्ध समय को महीने में कुल नियोजित परिचालन घंटों के प्रतिशत के रूप में महीने में वास्तविक परिचालन घंटों का उपयोग करके मापा	क) महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए।	क) हाँ (Yes) ख) हाँ (Yes)

			ब्रिज B737/A320 या बड़े विमानों से यात्रा करने वाले 90% अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और 90% घरेलू यात्रियों के लिए उपलब्ध होने चाहिए, जब तक कि एयरलाइनों द्वारा इसकी आवश्यकता न हो।	जाना है (नियोजित रखरखाव समय को छोड़कर)। उपलब्धता को नीचे पैरा 1.2.a में दिए गए सूत्र के संदर्भ में मापा जाएगा। उपलब्धता को ऐसे विमान आवागमनों की संख्या के संदर्भ में मापा जाएगा जिनके लिए यात्री बोर्डिंग ब्रिज (एयरोब्रिज) की आवश्यकता पूरी की गई थी, कुल विमान आवागमनों के प्रतिशत के रूप में जिनके लिए एयरलाइनों द्वारा एयरोब्रिज की आवश्यकता थी।	(ख) मौजूदा टर्मिनलों के किसी भी विस्तार या नए टर्मिनल भवनों के निर्माण के पूरा होने से शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्री टर्मिनलों के लिए मापन किया जाएगा। डेटा स्रोत कार्यनिष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	
11	पार्किंग बे	उपलब्ध समय प्रतिशत	क) प्रत्येक पार्किंग बे स्टैंड कम से कम 99% समय उपलब्ध होना चाहिए।	प्रत्येक पार्किंग बे के लिए उपलब्ध समय मापा जाना है, जिसमें महीने में कुल नियोजित परिचालन घंटों के प्रतिशत के रूप में महीने में वास्तविक परिचालन घंटों का उपयोग किया जाएगा (नियोजित रखरखाव समय को	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत कार्यनिष्पादन मापन योजना	हाँ (Yes)

				छोड़कर)। उपलब्धता को इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.a में दिए गए सूत्र के संदर्भ में मापा जाएगा।	पर आधारित होगा।	
12	उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली की उपलब्धता	उपलब्ध समय प्रतिशत	क) प्रत्येक एफआईडीएस (FIDS) कम से कम 98% समय उपलब्ध होना चाहिए।	प्रत्येक एफआईडीएस के लिए उपलब्ध समय मापा जाना है, जिसमें महीने में कुल नियोजित परिचालन घंटों के प्रतिशत के रूप में वास्तविक परिचालन घंटों का उपयोग किया जाएगा (नियोजित रखरखाव समय को छोड़कर)। उपलब्धता को इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.a में दिए गए सूत्र के संदर्भ में मापा जाएगा।	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत कार्यनिष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	
13	बैगेज ट्रॉलियों की उपलब्धता	उपलब्ध समय प्रतिशत	क) बैगेज ट्रॉलियां 100% समय उपलब्ध होनी चाहिए।	निर्दिष्ट स्थानों पर न्यूनतम उपलब्ध खाली बैगेज ट्रॉलियां 25 से कम नहीं होनी चाहिए। निर्दिष्ट स्थानों की पहचान रियायतग्राही द्वारा उद्योग प्रथाओं के अनुरूप की जाएगी।	कार्यनिष्पादन मापन योजना के आधार पर।	
14	व्हीलचेयर की आवश्यकता	सहायता प्रदान करने के लिए प्रतीक्षा समय	क) व्हीलचेयर की आवश्यकता वाले 100% प्रस्थान करने वाले यात्रियों	सहायता के अनुरोधों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में उन सहायता अनुरोधों की संख्या जहाँ	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों	

	वाले यात्री		को 5 मिनट से अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।	अनुरोध के समय से सहायता प्रदान किए जाने के समय तक किया गया मापन निर्धारित मानक के भीतर है।	की अवधि के लिए। डेटा स्रोत कार्यनिष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।
15	पारगमन / स्थानांतरण यात्री	पारगमन/स्थानांतरण यात्रियों के लिए न्यूनतम कनेक्ट समय: (i) घरेलू/घरेलू या (ii) घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय या (iii) अंतर्राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	क) 80% घरेलू/घरेलू यात्रियों के लिए न्यूनतम कनेक्ट समय 60 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए; ख) 80% घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए न्यूनतम कनेक्ट समय 75 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए; ग) 80% अंतर्राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए न्यूनतम कनेक्ट समय 60	न्यूनतम कनेक्टिंग समय (MCT) को आईएटीए संकल्प 765 (IATA Resolution 765) के अनुसार परिभाषित और मापा जाएगा, जहाँ इसे 'एक विशिष्ट स्थान पर एक उड़ान से कनेक्टिंग उड़ान में यात्री और उसके सामान को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक सबसे कम समय अंतराल' के रूप में परिभाषित किया गया है।	अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों पारगमन यात्रियों के लिए, कार्यनिष्पादन मापन योजना के आधार पर।

			मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए।			
16	एस्केलेटर, लिफ्ट और ट्रेवलेटर	उपलब्ध प्रतिशत समय	क) एस्केलेटर, लिफ्ट और ट्रेवलेटर 98% समय उपलब्ध होने चाहिए।	प्रत्येक एस्केलेटर, लिफ्ट और ट्रेवलेटर के लिए उपलब्ध समय मापा जाना है, जिसमें कुल नियोजित परिचालन घंटों के प्रतिशत के रूप में वास्तविक परिचालन घंटों का उपयोग किया जाएगा (नियोजित रखरखाव समय को छोड़कर)। उपलब्धता को इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.a में दिए गए सूत्र के संदर्भ में मापा जाएगा।	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत कार्यनिष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं

17	स्वचालित सेवाएं	उपलब्ध प्रतिशत समय	क) स्वचालित सेवाएं 98% समय उपलब्ध होनी चाहिए। 'स्वचालित सेवाओं' में इनबाउंड बैगेज सिस्टम, आउटबाउंड बैगेज	प्रत्येक स्वचालित सेवा के लिए उपलब्ध समय मापा जाना है, जिसमें कुल नियोजित परिचालन घंटों के प्रतिशत के रूप में वास्तविक परिचालन घंटों का उपयोग किया जाएगा (रियायतग्राही द्वारा	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत कार्यनिष्पादन	नहीं
----	-----------------	--------------------	--	---	--	------

			सिस्टम, एक्स-रे मशीनें और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली शामिल होंगी किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।	नियोजित रखरखाव समय को छोड़कर)। उपलब्धता को इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.a में दिए गए सूत्र के संदर्भ में मापा जाएगा।	मापन योजना पर आधारित होगा।	
18	सूचना शिकायत डेस्क	/ सूचना/शिकायत डेस्क पर कर्मियों की उपलब्धता	क) सूचना/शिकायत डेस्क पर 100% समय कर्मचारी तैनात होने चाहिए।	परिचालन घंटों के दौरान सूचना/शिकायत डेस्क पर कर्मियों की उपलब्धता।	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत कार्यनिष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं
19	यात्री टर्मिनलों में परिवेशी स्थितियां	यात्री टर्मिनलों में परिवेशी स्थितियों का रखरखाव	क) यात्री क्षेत्रों में परिचालन घंटों के दौरान यात्री टर्मिनल में तापमान सीमा 21-25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए; तथा ख) सापेक्ष आर्द्रता	मापन वास्तविक परिचालन घंटों के दौरान यात्री टर्मिनल में औसत तापमान और आर्द्रता के स्तर के संदर्भ में होगा।	सप्ताह के सभी दिनों को कवर करते हुए महीने में यादृच्छिक रूप से चुने गए दिनों के दौरान हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के	नहीं

			का स्तर - निर्दिष्ट तापमान सीमा से सहसंबंधित सापेक्ष आर्द्रता।		लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों यात्री टर्मिनलों के लिए मापन किया जाएगा। डेटा स्रोत कार्यनिष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	
20	धावनमार्ग परिचालन संरक्षा	रनवे अतिक्रमण की संख्या	क) रनवे अतिक्रमणों की रिकॉर्डिंग, जांच और उन्हें न्यूनतम करना।	विमान के उतरने और उड़ान भरने के लिए निर्दिष्ट सतह के संरक्षित क्षेत्र पर किसी विमान, वाहन या व्यक्ति की गलत उपस्थिति से संबंधित प्रति हजार संचलनों में घटनाओं की संख्या, जिसे एक वर्ष के दौरान मापा जाता है। गंभीरता और विशिष्ट कारणात्मक एवं सहायक कारकों की पहचान करने के लिए पर्याप्त विस्तार से सभी रनवे अतिक्रमणों की रिपोर्ट की जानी चाहिए	कार्यनिष्पादन मापन योजना के आधार पर।	हाँ

				और जांच की जानी चाहिए।		
21	विमान बचाव एवं अग्निशमन	घटना पर प्रतिक्रिया समय	क) आईसीएओ (ICAO) द्वारा निर्दिष्ट अनुसार: इष्टतम दृश्यता और सतह की स्थितियों में प्रत्येक परिचालन रनवे के किसी भी बिंदु पर 3 मिनट से अनधिक और संचलक्षेत्र के किसी भी अन्य भाग पर 4 मिनट से अनधिक का प्रतिक्रिया समय प्राप्त करना; ख) फोम के निरंतर अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अग्निशामक एजेंटों को पहुंचाने हेतु आवश्यक कोई भी अन्य वाहन पहले प्रतिक्रिया देने वाले वाहन(नों) के 1	प्रतिक्रिया समय को एआरएफएफ (ARFF) सेवा को प्रारंभिक कॉल और उस समय के बीच का समय माना जाना चाहिए जब पहला प्रतिक्रिया देने वाला वाहन हवाई अड्डे की श्रेणी के लिए निर्दिष्ट निर्वहन दर के कम से कम 50% की दर से फोम लगाने की स्थिति में हो। इष्टतम दृश्यता और सतह की स्थिति को दिन का समय, अच्छी दृश्यता, सतह संदूषण (जैसे पानी) से मुक्त सामान्य प्रतिक्रिया मार्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है।	कार्यनिष्पादन मापन योजना के आधार पर।	हाँ

			मिनट के भीतर पहुंचना चाहिए।			
22	टैक्सी की उपलब्धता	कतार में प्रतीक्षा समय (Waiting time in queue)	क) 95% यात्रियों के लिए टैक्सियों के लिए कतार का समय 5 मिनट से अधिक नहीं होगा।	कतार में कुल यात्रियों के प्रतिशत के रूप में उन यात्रियों की संख्या जहाँ औसत कतार समय निर्धारित मानक के भीतर है। टैक्सी कतार में यात्रियों के लिए औसत कतार समय उस समय से मापा जाएगा जब यात्री कतार में शामिल होता है और टैक्सी प्राप्त करने के समय तक मापा जाएगा तथा इसकी गणना नीचे पैरा 1.2.b के तहत निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार की जाएगी।	अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों आने वाले यात्रियों के लिए, कार्यनिष्पादन मापन योजना के आधार पर।	नहीं
23	शिकायतों का निपटान	निर्दिष्ट समय के भीतर उत्तर दी गई शिकायतों का प्रतिशत	क) 100% शिकायतों का उत्तर 2 कार्य दिवसों के भीतर दिया जाएगा।	प्राप्त कुल शिकायतों के प्रतिशत के रूप में उन शिकायतों की कुल संख्या जहाँ शिकायत प्राप्त होने के समय और पहली प्रतिक्रिया के बीच का अंतर निर्धारित मानक के भीतर है। इसमें डाक/ईमेल या शिकायत/सुझाव पुस्तिका के माध्यम से प्राप्त शिकायतें शामिल होंगी।	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत कार्यनिष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं

24	मरम्मत पूर्णता समय	निर्दिष्ट समय के भीतर की गई मरम्मत प्रतिशत	क) 95% उच्च प्राथमिकता वाले मरम्मत कार्यों को 4 घंटे के भीतर हल किया जाना चाहिए; ख) अन्य के 95% को 24 घंटे के भीतर हल किया जाना चाहिए।	दर्ज की गई मरम्मत की कुल आवश्यकताओं के प्रतिशत के रूप में उन मरम्मत कार्यों की कुल संख्या जहाँ मरम्मत की आवश्यकता दर्ज करने (या तो शिकायतों के माध्यम से या आवधिक निरीक्षण के माध्यम से) और पहली प्रतिक्रिया के बीच का अंतर निर्धारित मानक के भीतर है।	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत कार्यनिष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं
25	स्वच्छता	स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान रेटिंग	क) सभी निरीक्षणों के 95% के लिए एक संतोषजनक स्वच्छता रेटिंग प्राप्त करना।	स्थापित उद्योग प्रथाओं के अनुसार आवधिक स्वच्छता सर्वेक्षणों के दौरान प्राप्त संतोषजनक स्वच्छता रेटिंग।	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत कार्यनिष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं
26	गेट लाउंज	बैठने की उपलब्धता (Seating availability)	क) आईएटीए इष्टतम सेवा स्तर (IATA Optimum Level of	उन गेटों के पास उपलब्ध सीटों की कुल संख्या, जहाँ से संबंधित विमान में सवार होना है।	चरण 1 पूर्णता तिथि के पूरा होने से, अथवा मौजूदा टर्मिनलों के	नहीं

			Service) के अनुसार।		किसी भी विस्तार या नए टर्मिनल भवनों के निर्माण के पूरा होने से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों यात्री टर्मिनलों के लिए मापन किया जाएगा। डेटा स्रोत कार्यनिष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	
27	बग्गी सेवाएं	बग्गियों की उपलब्धता	क) बग्गी सेवाएं 98% समय उपलब्ध होनी चाहिए।	उद्योग प्रथाओं के अनुरूप न्यूनतम उपलब्धता। निर्दिष्ट स्थानों की पहचान रियायतग्राही द्वारा उद्योग प्रथाओं के अनुरूप की जाएगी।	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत कार्यनिष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं

1.2 वस्तुनिष्ठ निष्पादन पैरामीटरों का मापन तंत्र

क) "पार्किंग बे", "यात्री बोर्डिंग ब्रिज", "बैगेज डिलीवरी", "उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली की उपलब्धता", "एस्केलेटर, लिफ्ट और ट्रैवलेटर", तथा "स्वचालित सेवाएं" पैरामीटरों पर निष्पादन का मापन तंत्र:

प्रत्येक पैरामीटर के उपलब्धता माप को प्रत्येक पैरामीटर के अंतर्गत शामिल परिसंपत्तियों की संख्या और प्रकार के संदर्भ में मापा जाएगा तथा इसकी गणना निम्नलिखित के अनुसार की जाएगी:

(i) प्रत्येक पैरामीटर के अंतर्गत परिसंपत्तियों की कुल संख्या की गणना करें, उदाहरण के लिए एस्केलेटरों की संख्या, और प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए आवश्यक कुल उपलब्ध समय और कुल अनुपलब्ध समय से गुणा करें। सभी परिसंपत्तियों के लिए आवश्यक कुल उपलब्ध समय और कुल अनुपलब्ध समय का कुल योग ज्ञात करें, जिसे निम्नानुसार व्यक्त किया गया है:

$$\text{आवश्यक कुल उपलब्ध समय} = \sum_{k=1}^n T_{\{k,j\}}$$

$$\text{कुल अनुपलब्ध समय} = \sum_{k=1}^n U_{\{k,j\}}$$

जहाँ:

- n पैरामीटर i में शामिल परिसंपत्तियों की कुल संख्या है;
- k पैरामीटर i में शामिल एक विशिष्ट परिसंपत्ति को दर्शाता है, जहाँ $k = 1, 2, \dots, n$;
- $T_{\{k,j\}}$ माह j में परिसंपत्ति k के लिए कुल नियोजित उपलब्ध समय है (अर्थात नियोजित रखरखाव के समय की कटौती के बाद);
- $U_{\{k,j\}}$ वह समय है जब माह j में परिसंपत्ति k अनुपलब्ध रहती है।

(ii) माह j में पैरामीटर i के लिए उपलब्धता की गणना निम्नानुसार करें:

$$\text{उपलब्धता (Availability)} = 100 \times \left(1 - \frac{\sum_{k=1}^n U_{\{k,j\}}}{\sum_{k=1}^n T_{\{k,j\}}}\right)$$

जहाँ: उपलब्धता (Availability) माह j में पैरामीटर i की प्रतिशत उपलब्धता है।

ख) "कार पार्किंग", "सुरक्षा जांच", "चेक-इन", "आव्रजन", "यात्री आगमन प्रक्रिया", और "टैक्सी के लिए प्रतीक्षा समय" पैरामीटरों पर निष्पादन का मापन तंत्र:

मापन कतारों की संख्या के लिए इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे यात्रियों का सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नमूना कवर हो सके। कतार में प्रतीक्षा समय निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

(i) किसी माह के प्रत्येक यादृच्छिक रूप से चयनित दिन के लिए, दिन के "सबसे व्यस्त घंटे" (busiest hour) को, जिस पर प्रदर्शन मापा जाना है, संबंधित घंटे में xx:00, xx:10, xx:20, xx:30, xx:40, xx:50, और xx:60 से शुरू होने वाले "10 मिनट के समय अंतरालों" में विभाजित किया जाएगा।

प्रत्येक "10 मिनट के समय अंतराल" के लिए, औसत कतार समय (Average Queuing Time) की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

$$\text{औसत कतार समय} = \{\text{Num}\}/\{A\}$$

जहाँ:

- A उस 10 मिनट के समय अंतराल में कतार छोड़ने वाले यात्रियों की प्रति मिनट औसत संख्या है;
- Num उस 10 मिनट के समय अंतराल में कतार में उपस्थित यात्रियों की प्रति मिनट औसत संख्या है।

(ii) निर्धारित मानक के लिए प्रदर्शन प्रतिशत आंकड़ों की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

1. यह पहचानना कि सबसे व्यस्त घंटों में कितने यात्रियों को ऐसे समय अंतराल में संसाधित किया गया जहाँ मापा गया औसत कतार समय निर्धारित मानक से अधिक नहीं है; तथा
2. उपर्युक्त संख्या को उन सबसे व्यस्त घंटों में संसाधित कुल यात्रियों की संख्या से विभाजित करके प्रतिशत की गणना करना।

एक घंटे को क्लॉक घंटा (clock hour) के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो घंटे के 00 मिनट से शुरू होकर 59 मिनट पर समाप्त होता है या कोई अन्य पूर्व-परिभाषित परंपरा जिसे रियायतग्राही चुनता है (पूर्व-परिभाषित ताकि नमूना घंटे का निर्धारण करते समय घंटे की परिभाषा किसी अन्य कारक से प्रभावित न हो सके)।

1.3 व्यक्तिपरक सेवा गुणवत्ता पैरामीटर और बेंचमार्क

क) व्यक्तिपरक निष्पादन पैरामीटरों का मापन

रियायतग्राही सीओडी (COD) से पूर्व एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल का सदस्य बन जाएगा। सीओडी से छह महीने के भीतर, रियायतग्राही एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (ACI ASQ) सर्वेक्षण में भाग लेना शुरू कर देगा, जिसके माध्यम से प्रस्थान करने वाले यात्रियों का हवाई अड्डे पर उनके उस दिन के अनुभव के बारे में साक्षात्कार लिया जाएगा।

यदि रियायतग्राही की सदस्यता ऐसी अवधि के भीतर एसीआई द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, तो वह (1) एक प्रश्नावली तैयार करने और एक सर्वेक्षण प्रक्रिया संचालित करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी को अनुबंधित करेगा जो 5-अंकों के पैमाने (5-point scale) पर व्यक्तिपरक प्रदर्शन मानकों को मापने का आधार प्रदान करती है तथा ऐसी प्रश्नावली और सर्वेक्षण प्रक्रिया पर प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करेगी, और (2) त्रैमासिक आधार पर यात्रियों की प्रतिक्रियाओं को मापेगी।

एसीआई-एसक्यू सर्वेक्षण के माध्यम से या स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से आयोजित यात्री सर्वेक्षण में प्राप्त रेटिंग व्यक्तिपरक प्रदर्शन मानकों के लिए माप होगी।

ख) उपर्युक्त निर्दिष्ट यात्री सर्वेक्षण में एसीआई एसक्यू के अनुसार मापे जाने वाले सभी पैरामीटर शामिल होंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- (i) हवाई अड्डे से समग्र संतुष्टि
- (ii) हवाई अड्डे तक/से भू-परिवहन
- (iii) पार्किंग सुविधाओं की उपलब्धता
- (iv) पार्किंग सुविधाओं का मूल्य सार्थकता / किफायती होना
- (v) बैगेज कार्ट/ट्रॉलियों की उपलब्धता
- (vi) चेक-इन कतार में प्रतीक्षा समय
- (vii) चेक-इन कर्मचारियों की दक्षता
- (viii) चेक-इन कर्मचारियों की विनम्रता और सहयोग
- (ix) पासपोर्ट/व्यक्तिगत पहचान पत्र निरीक्षण पर प्रतीक्षा समय
- (x) निरीक्षण कर्मचारियों की विनम्रता और सहयोग
- (xi) सुरक्षा कर्मचारियों की विनम्रता और सहयोग
- (xii) सुरक्षा निरीक्षण की गहनता

- (xiii) सुरक्षा निरीक्षण पर प्रतीक्षा समय
- (xiv) सुरक्षित और संरक्षित महसूस करने का अहसास
- (xv) हवाई अड्डे पर रास्ता खोजने में आसानी
- (xvi) उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली
- (xvii) टर्मिनल के भीतर चलने की दूरी
- (xviii) अन्य उड़ानों से कनेक्ट करने में आसानी
- (xix) हवाई अड्डे के कर्मचारियों की विनम्रता और सहयोग - चेक-इन, पासपोर्ट नियंत्रण और सुरक्षा को छोड़कर
- (xx) रेस्तरां / खानपान सुविधाएं
- (xxi) रेस्तरां/खानपान सुविधाओं का मूल्य सार्थकता / किफायती होना
- (xxii) बैंक / एटीएम सुविधाओं / मनी चेंजर्स की उपलब्धता
- (xxiii) खरीदारी की सुविधाएं
- (xxiv) खरीदारी सुविधाओं का मूल्य सार्थकता
- (xxv) इंटरनेट का उपयोग / वाई-फाई
- (xxvi) बिजनेस / एक्जीक्यूटिव लाउंज
- (xxvii) प्रसाधन कक्ष / शौचालयों की उपलब्धता
- (xxviii) प्रसाधन कक्ष / शौचालयों की स्वच्छता
- (xxix) प्रतीक्षा / गेट क्षेत्रों का आराम
- (xxx) हवाई अड्डा टर्मिनल की स्वच्छता
- (xxxi) हवाई अड्डे का परिवेश / वातावरण
- (xxxii) पासपोर्ट / व्यक्तिगत पहचान पत्र निरीक्षण
- (xxxiii) बैगेज सुपुर्दगी सेवा की गति
- (xxxiv) सीमा शुल्क निरीक्षण

ग) लक्ष्य रेटिंग रियायत करार के खंड 23.7 में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

अनुसूची 'आई'

सुरक्षा दिशानिर्देश

(खंड 18.3.1 का संदर्भ लें)

1. सुरक्षित आवागमन

हवाई अड्डे के प्रचालन, विकास एवं प्रबंधन में उपयोगकर्ताओं तथा विमानों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। विमानों के संबंध में संरक्षा मानक नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) के अनुसार प्रदान किए जाएंगे। संरक्षा सेवाओं का प्रावधान जैसे कि बचाव एवं अग्निशमन, एप्रन प्रबंधन, वन्यजीव प्रहार जोखिम न्यूनीकरण, विमानपतन वाहन प्रचालन, विमानपतन बाड़बंदी एवं प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसमें आपात स्थिति के मामले में सुरक्षित एवं कुशल निकासी की सुविधाएं भी सम्मिलित होंगी।

2. प्रणाली की अखंडता

विद्युत आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था (लाइटिंग), सिग्नलिंग, संचार एवं सुरक्षा उपकरणों के डिज़ाइन में विफलता की संभावित घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। सेवाओं को निरंतर प्रचालनरत रखने के लिए आवश्यक निवारक रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा।

3. सेवा की पुनर्बहाली

हवाई अड्डे की रूपरेखा (डिज़ाइन) इस प्रकार की जाएगी कि किसी खराबी की स्थिति में, जहां तक संभव हो प्रभावित क्षेत्र या उपकरण को पृथक करके कुछ ही मिनटों के भीतर सीमित सेवा प्रदान की जा सके। द्वितीयक विद्युत आपूर्ति संबंधी आवश्यकताएं सीएआर के अनुरूप प्रदान की जाएंगी।

4. आकस्मिकता एवं संरक्षा प्रबंधन

4.1 रियायतग्राही यह प्रबंध एवं सुनिश्चित करेगा कि प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों तथा डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं से निपटने हेतु हवाई अड्डे पर उपयुक्त आकस्मिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हों:

- (क) धावनमार्ग (रनवे) तथा टैक्सीवे से असक्षम/दुर्घटनाग्रस्त विमान को हटाना;
- (ख) किसी विमान अथवा हवाई अड्डे पर बम की धमकी या आतंकवाद का कोई भी कृत्य;
- (ग) हवाई अड्डे के आसपास अथवा उसके निकटवर्ती क्षेत्र में विमान दुर्घटनाएं;
- (घ) गैर-अनुसूचित विमान का हवाई अड्डे पर उतरने के लिए विवश होना;
- (ङ) हवाई अड्डे पर आग लगना;
- (च) प्राकृतिक आपदाएं एवं विपदाएं;

- (छ) हवाई अड्डे पर हड़ताल;
- (ज) मार्गपरिवर्तनों का प्रबंधन;
- (झ) नागर विमानन के संचालन में विधि-विरुद्ध हस्तक्षेप; तथा
- (ञ) हवाई अड्डे पर कोई अन्य आपातकालीन स्थिति।

4.2 प्रत्येक तिमाही में एक बार रियायतग्राही द्वारा एक संरक्षा विवरण तैयार किया जाएगा, जिसमें विभिन्न परिसंपत्तियों के निरीक्षण एवं रखरखाव सहनशीलता की प्रबंधन प्रणाली तथा उसके अनुपालन को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। इस विवरण में ऐसे निरीक्षणों एवं सहिष्णुताओं से निपटने के संबंध में कर्मचारियों के प्रशिक्षण/जागरूकता के स्वरूप तथा सीमा का भी उल्लेख होगा। विकास अवधि के दौरान, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उक्त विवरण की 2 (दो) प्रतियां स्वतंत्र अभियंता को भेजी जाएंगी।

5. संरक्षा उपकरण

हवाई अड्डे पर निम्नलिखित संरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे:

- (क) हवाई अड्डे के उपयुक्त स्थानों पर अग्निशामक यंत्र एवं अग्नि अलार्म;
- (ख) पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस, एम्बु-लिफ्ट, स्ट्रेचर तथा मानक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स;
- (ग) पैरामेडिकल स्टाफ सहित चिकित्सा सुविधा; तथा
- (घ) प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों, डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों तथा उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप अपेक्षित ऐसे अन्य उपकरण।

6. आपात स्थिति

- (क) विभिन्न आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन प्रक्रियाओं का एक संकलन तैयार किया जाएगा तथा प्रचालन कर्मचारियों को आवधिक सिम्युलेटेड अभ्यासों के माध्यम से ऐसी आपात स्थितियों के दौरान उचित प्रतिक्रिया देने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा, जैसा कि विमानपतन आपातकालीन योजना (जिसमें विमान आपात स्थिति, तोड़फोड़/सैबोटेज, बम की धमकियां, विधि-विरुद्ध हस्तक्षेप, खतरनाक वस्तुएं/सामग्री, भवन में आग, प्राकृतिक आपदा और लोक स्वास्थ्य आपात स्थिति शामिल हैं) में निर्धारित है, जिसे रियायतग्राही द्वारा सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) से पूर्व तैयार और प्रकाशित किया जाएगा। रियायतग्राही सीओडी से पूर्व प्राधिकरण को विमानपतन आपातकालीन योजना की 5 (पांच) प्रतियां प्रस्तुत करेगा;
- (ख) आपातकालीन प्रचालन केंद्र की स्थापना तथा कमांड पोस्ट की उपलब्धता;
- (ग) टर्मिनल भवन में एवं एयरसाइड पर चिकित्सा आपात स्थितियों का प्रबंधन।

7. अग्नि सुरक्षा

- 7.1 रियायतग्राही हवाई अड्डा टर्मिनल भवनों, ईंधन भरने वाले रैंप की जल निकासी तथा लोडिंग वॉकवे पर यूएस नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन में विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करेगा।
- 7.2 यात्री क्षेत्रों में आग की रोकथाम के लिए, रियायतग्राही इनके निर्माण में अग्निरोधी सामग्रियों का उपयोग करेगा तथा ऐसी सामग्रियों के उपयोग से बचेगा जो कुछ हद तक ज्वलनशील हों या जो जलने पर धुआं और हानिकारक गैसों उत्सर्जित करती हों।
- 7.3 आपातकालीन निकास बिना किसी बाधा के सुलभ होना चाहिए तथा चाबियों, औजारों या विशेष जानकारी के बिना अंदर से तुरंत खुलने योग्य होना चाहिए। ऐसा उपकरण जो केवल बाहर से लॉक होता है, जैसे कि पैनिक बार अनुमत है। आपातकाल की स्थिति में निकास द्वारों को टर्मिनल भवन के भीतर से खोलना सुगम होना चाहिए।
- 7.4 निकास मार्गों को सही दिशा में तीरों द्वारा स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा तथा किसी भी अस्पष्ट/गूढ़ प्रतीकों का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस खंड 7.4 के प्रावधानों का अनुपालन करते समय, धुएं के कारण दृश्यता कम होने की संभावना को सम्यक रूप से ध्यान में रखा जाएगा। सभी सूचनाएं एवं संकेतक एकसमान और मानकीकृत होंगे।
- 7.5 प्रासंगिक डीजीसीए सीएआर एवं आईसीएओ दस्तावेजों तथा अनुलग्नकों के प्रावधानों के अनुसार बचाव एवं अग्निशमन सेवाओं की उपयुक्त श्रेणियां उपलब्ध कराई जाएंगी और उनका रखरखाव किया जाएगा।

8. उपयोगकर्ता संरक्षा एवं सूचना प्रणाली

- 8.1 रियायतग्राही यात्री क्षेत्रों तथा टर्मिनल भवन के पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ एएसएमयू प्रदान करेगा, तथा उपयोगकर्ताओं को दृश्य सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। रियायतग्राही पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम (सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली) के माध्यम से टर्मिनल भवन में उपयोगकर्ताओं को एकतरफा संचार भी प्रदान करेगा। आपात स्थितियों में उपयोगकर्ताओं को एएसएमयू से संपर्क करने की सुविधा हेतु 'उपयोगकर्ता कॉल पॉइंट' सुविधाजनक स्थानों पर स्थित होने चाहिए।
- 8.2 उपयोगकर्ता सूचना प्रणाली में गतिशील दृश्य प्रदर्शन और लाउडस्पीकर शामिल होंगे।

अनुसूची 'जे' उपयोगकर्ता चार्टर

(खंड 23.10 देखें)

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

1 सुरक्षा सहित सेवा

हमारा उद्देश्य पूर्ण ग्राहक संतुष्टि के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना के माध्यम से हवाई अड्डा प्रबंधन में संरक्षा और गुणवत्ता प्रदान करना है। यह चार्टर हमारे हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं और वे हमसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं, इसे स्पष्ट करता है।

2 विषय-सूची

- (क) प्रस्तावना
- (ख) यात्री सेवा के लिए हमारे मानक
- (ग) सूचना की उपलब्धता
- (घ) सहायता की आवश्यकता वाले यात्री
- (ङ) टिकट खरीदना
- (च) खोया हुआ सामान / संपत्ति
- (छ) आपके विचारों को सुनना
- (ज) हमारी वचनबद्ध प्रतिक्रिया समय-सीमा

2.1 प्रस्तावना

ग्राहकों की संतुष्टि ही हमारा ध्येय है! हवाई अड्डा प्रबंधन का यह उद्देश्य है कि वह अपने प्रशिक्षित जनशक्ति एवं संविदाकारों के माध्यम से इस हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करे। हमारा लक्ष्य निम्नलिखित प्रदान करना है:

- (क) हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं के लिए संरक्षा एवं सुरक्षा
- (ख) स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद वातावरण
- (ग) विश्वसनीय एवं समझने में आसान सूचना
- (घ) विनम्र, ग्राहक-अनुकूल और सहयोगी कर्मचारी
- (ङ) सुखद एवं उचित खरीदारी तथा खानपान का अनुभव
- (च) आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता

2.2 यात्री सेवा के लिए हमारे मानक

हम अपने हवाई अड्डे पर आपको एक विश्वसनीय एवं आरामदायक सेवा प्रदान करने के लिए अपने कार्यनिष्पादन में सुधार हेतु निरंतर कठिन परिश्रम करेंगे।

2.2.1 हवाई अड्डे तक पहुंच मार्ग

हम हवाई अड्डा क्षेत्र के भीतर आपके सुगम एवं सुविधाजनक आगमन के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमारी यातायात योजनाएं इस प्रकार निर्धारित की जाएंगी जिससे हवाई अड्डा क्षेत्र में सुगम प्रवेश और निकास संभव हो सके। आपकी पहुंच को सुगम बनाने के लिए, हम हवाई अड्डा क्षेत्र के भीतर पहुंच मार्ग (अप्रोच रोड) पर अनधिकृत रूप से खड़े किए गए वाहनों को हटा देंगे।

2.2.2 टर्मिनल भवन में प्रवेश

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि टर्मिनल भवन में प्रवेश बाधा रहित हो और जहां एक से अधिक प्रवेश द्वार उपलब्ध हों, वहां विशिष्ट एयरलाइनों के लिए समर्पित प्रवेश द्वारों पर उपयुक्त रूप से सूचना प्रदर्शित की जाएगी।

टर्मिनल भवन में प्रवेश गैर-भेदभावपूर्ण होगा। तथापि, यात्रियों के साथ आने वाले आगंतुकों को निर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार आगंतुकों के प्रवेश को समय-समय पर सीमित या निलंबित किया जा सकता है।

2.2.3 सामान / बैगेज

हम उन सभी यात्रियों के लिए सामान ट्रॉलियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे जिन्हें इनकी आवश्यकता है। आपकी सुविधा के लिए सशुल्क कुली सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

2.2.4 वाहनों की पार्किंग

विभिन्न वाहनों जैसे कार, स्कूटर, बस आदि की पार्किंग के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थल प्रदान करना हमारा प्रयास होगा। पार्किंग सुविधाओं का उपयोग निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगा, जो वाहनों और उपयोग किए जाने वाले पार्किंग के प्रकार के अनुसार भिन्न हो सकता है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपको अपना वाहन पार्क करने/निकालने में 5 (पांच) मिनट से अधिक समय न लगे।

2.2.5 कतार की लंबाई

पर्याप्त संख्या में चेक-इन काउंटर, एक्स-रे बैगेज मशीनें, कन्वेयर बेल्ट आदि उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि कतारों में लगने वाला समय न्यूनतम रहे।

2.2.6 सुविधाएं

आप शौचालय, स्वच्छ पेयजल, लिक्विड सोप, पेपर ग्लास और शिशु देखभाल कक्ष जैसी निःशुल्क सुविधाओं के हकदार हैं। अन्य सभी सुविधाएं सशुल्क आधार पर उपलब्ध होंगी। यात्रियों की आवश्यकताओं के अनुरूप खान-पान और खरीदारी की सभी आवश्यक सुविधाएं एक सुखद वातावरण में उपलब्ध होंगी। उचित मूल्य पर बुनियादी पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सुविधाजनक स्थानों पर वेंडिंग मशीनें स्थापित की जाएंगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से संबंधित कानूनों के अनुसार अपनी वस्तुओं की कीमत तय करें। यात्रियों को प्रतिस्पर्धा और विकल्प उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्पर्धी विक्रेताओं की वेंडिंग मशीनें प्रदान की जाएंगी। हम टर्मिनल भवन की स्वच्छता और आरोग्यता भी सुनिश्चित करेंगे ताकि आप अपना समय सुकून भरे और सुखद वातावरण में व्यतीत कर सकें।

हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकांश सेवाओं के लिए आपको 5 (पांच) मिनट से अधिक समय तक और अपने सामान/बैगेज के लिए 20 (बीस) मिनट से अधिक समय तक कतार में न खड़ा रहना पड़े।

2.2.7 बैठने की व्यवस्था

उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतीक्षालय क्षेत्र की योजना इस प्रकार बनाई जाएगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि व्यस्ततम घंटे की क्षमता के कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) उपयोगकर्ताओं को आरामदायक सीटें उपलब्ध हों।

आपकी सुविधा के लिए पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी और जब बाहरी तापमान 40°C से नीचे होगा, तो टर्मिनल भवन के भीतर का तापमान 25°C पर बनाए रखा जाएगा। अन्य मामलों में, टर्मिनल भवन के बाहर के तापमान और टर्मिनल भवन के अंदर के तापमान के बीच का अंतर 15°C से कम नहीं होगा। शीत ऋतु के दौरान, तापमान 15°C से कम नहीं होगा।

2.2.8 टैक्सियां

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके आगमन पर प्रीपेड टैक्सियां उपलब्ध हों। कम से कम 95% (पिंचानवे प्रतिशत) समय के लिए प्रतीक्षा अवधि 5 (पांच) मिनट से अधिक नहीं होगी।

2.2.9 नियोजित/अनियोजित इंजीनियरिंग कार्य

हम सुनिश्चित करेंगे कि जब भी कोई संशोधन/मरम्मत कार्य किया जाए, तो वह क्षेत्र पर्याप्त रूप से परिरक्षित हो, स्पष्ट संकेतक उपलब्ध हों और हवाई अड्डे का सामान्य कामकाज किसी भी तरह प्रभावित न हो।

2.3 सूचना की उपलब्धता

सूचना ही शक्ति है।

हम उड़ानों के आगमन और प्रस्थान के समय के संबंध में समय पर सूचना प्रदान करेंगे। टर्मिनल भवन में प्रवेश करने से पहले भी सूचना उपलब्ध होगी ताकि किसी भी देरी की स्थिति में आप अपने रिश्तेदारों/मित्रों के साथ अधिक समय बिता सकें। हम टर्मिनल भवन के भीतर स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाले सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत संकेतक भी प्रदान करेंगे, ताकि आप किसी की सहायता लिए बिना सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

तथापि, यदि आपको किसी भी सहायता की आवश्यकता होती है, तो हमारे प्रशिक्षित कर्मचारी आपकी सहायता के लिए उपस्थित रहेंगे। उड़ानों के समय की सटीकता और असामान्य विलंब काफी हद तक एयरलाइनों के सहयोग पर निर्भर करता है। हम एयरलाइनों के साथ समन्वय स्थापित करने और सूचना प्राप्त होते ही उसे तुरंत अद्यतन करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

2.4 सहायता की आवश्यकता वाले यात्री

हम दिव्यांग यात्रियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हैं। हम निम्नलिखित प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं:

- 2.4.1 **यात्रियों को सहायता:** एक बार जब आप हमारे प्रशिक्षित कर्मचारियों के संज्ञान में अपनी आवश्यकता लाएंगे, तो वे आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे।
- 2.4.2 **प्रसाधन कक्ष:** हम दिव्यांगजनों के अनुकूल सुगम उपयोग वाले शौचालय उपलब्ध कराएंगे।
- 2.4.3 **रैंप:** जहाँ भी संभव होगा, व्हील चेयर वाले यात्रियों के लिए रैंप की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- 2.4.4 **प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं:** किसी भी अप्रत्याशित चिकित्सा आपात स्थिति से निपटने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा योग्य पेशेवरों द्वारा प्राथमिक उपचार प्रदान किया जाएगा।

2.5 टिकट खरीदना

हमारे हवाई अड्डे पर टिकट खरीदना बहुत आसान और सुविधाजनक है। हवाई अड्डे पर सभी प्रमुख एयरलाइनों के पर्याप्त टिकट काउंटर उपलब्ध कराए जाएंगे। वे हवाई मार्ग से आने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए खुले रहेंगे और किसी अन्य गंतव्य के लिए आगे जाने वाले यात्री टर्मिनल भवन से बाहर निकले बिना भी अपने टिकट खरीद सकते हैं।

2.6 खोई हुई संपत्ति

हवाई अड्डे पर कुछ खो गया है? आप इसे टर्मिनल भवन में स्थित खोई हुई संपत्ति कार्यालय से वापस प्राप्त कर सकते हैं।

सभी खोई और पाई गई वस्तुएं खोई संपत्ति प्रभारी अधिकारी को भेजी जाएंगी। आप अपनी खोई हुई वस्तुओं की पुनर्प्राप्ति के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनसे ईमेल पते अर्थात् [] पर संपर्क किया जा सकता है।

2.7 आपके विचारों को सुनना

ग्राहक सदैव सही होता है। ग्राहक संतुष्टि ही हमारा ध्येय है। निरंतर सुधार हमारा लक्ष्य है।

हमारी सेवा के विभिन्न पहलुओं पर उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण का आवधिक विश्लेषण किया जाएगा। आपके सुझावों/शिकायतों को दर्ज करने के लिए विभिन्न स्थानों पर सुझाव पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आप पत्राचार अथवा हमारे फोन नंबरों या हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।

2.8 हमारी वचनबद्ध प्रतिक्रिया समय-सीमा

जब आप हमें पत्र लिखते हैं, तो आपको सात कार्य दिवसों के भीतर हमारी प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए।

- (क) यदि पूर्ण उत्तर देने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, तो हम आपको 7 (सात) कार्य दिवसों के भीतर एक पावती भेजेंगे और 25 (पच्चीस) कार्य दिवसों के भीतर उत्तर देंगे।
- (ख) यदि 25 (पच्चीस) कार्य दिवसों के भीतर पूर्ण उत्तर नहीं दिया जा सकता है, तो हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको स्थिति से अवगत कराएंगे।
- (ग) हवाई अड्डे पर विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में कई एजेंसियां शामिल हैं। ऊपर उल्लिखित हमारे द्वारा किए गए कुछ वादों में उन एजेंसियों के साथ बातचीत और समन्वय शामिल हो सकता है जो मुख्य रूप से सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस मामले में, हम आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।

यदि आप हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो हम आपको अपने प्रत्युत्तर से संतुष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कृपया हमें अवगत कराएं। इससे हमें कमियों की पहचान करने और अपने कार्यप्रदर्शन में निरंतर सुधार करने में मदद मिलेगी।

अनुसूची 'के'

स्वतंत्र अभियंता का चयन

(खंड 24.1 का संदर्भ लें)

1. स्वतंत्र अभियंता का चयन

- 1.1 प्राधिकरण के भीतर समान कार्यों के लिए एक अभियंता के चयन की प्रक्रिया रियायत करार के तहत एक स्वतंत्र अभियंता के चयन के लिए लागू होगी। बशर्ते कि स्वतंत्र अभियंता के रूप में चुनी जाने वाली संस्था एक अनुभवी फर्म होनी चाहिए और रियायत करार के तहत परिकल्पित कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी शर्त है कि प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कोई भी संस्था इसके तहत स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।
- 1.2 प्राधिकरण हवाई अड्डा विकास और पर्यवेक्षण में विशेषज्ञता रखने वाले कम से कम 6 (छह) ऐसे अभियंताओं का एक पैनल नामित करेगा, जो सीधे तौर पर कार्य की आवश्यकताओं से प्रासंगिक हों, जिनका रियायतग्राही के साथ कोई हित-संघर्ष न हो। रियायतग्राही को ऐसे एक या अधिक नामित व्यक्तियों पर आपत्ति करने का अधिकार होगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह 3 (तीन) नामितों से अधिक नहीं होगा। प्राधिकरण उन नामित व्यक्तियों में से किसी एक को, जिस पर रियायतग्राही ने आपत्ति नहीं की है, स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्त करेगा।
- 1.3 पैरा 1.1 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त स्वतंत्र अभियंता की सेवाएं समाप्त होने की स्थिति में, प्राधिकरण तत्काल तकनीकी सलाहकारों की एक अन्य फर्म नियुक्त करेगा अथवा इस अनुसूची 'के' के पैरा 4 के प्रावधानों के अनुसार सरकार के स्वामित्व वाली किसी संस्था को अनुबंधित कर सकता है।
- 1.4 रियायतग्राही, अपने विवेकानुसार, इस अनुसूची 'के' के तहत प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि नामित कर सकता है।
- 1.5 स्वतंत्र अभियंता के लिए संदर्भ की शर्तें काफी हद तक अनुसूची 'एल' के अनुरूप होंगी।

2. शुल्क और व्यय

- 2.1 सीओडी से पूर्व की अवधि, विकास अवधि और रियायत अवधि के दौरान स्वतंत्र अभियंता द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों और सेवाओं की प्रकृति और मात्रा का निर्धारण करने में, प्राधिकरण यह प्रयास करेगा कि शुल्क और व्यय के मद में स्वतंत्र अभियंता को किए जाने वाले भुगतान प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित किए जाएं।

- 2.2** स्वतंत्र अभियंता के पारिश्रमिक, लागत और व्यय का भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, और ऐसे सभी पारिश्रमिक, लागत और व्यय की प्रतिपूर्ति रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण से व्यय विवरण प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को की जाएगी।
- 2.3** स्वतंत्र अभियंता को भुगतान की गई कोई भी राशि विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (ऐरा) द्वारा वैमानिक प्रभारों के निर्धारण के लिए निकासी (पास-थ्रू) के रूप में मानी जाएगी।

3. प्रत्येक तीन वर्ष में चयन

इस अनुसूची 'के' के पैरा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति की तिथि से 3 (तीन) वर्ष के भीतर, और उसके बाद प्रत्येक 3 (तीन) वर्ष में, प्राधिकरण एक अन्य फर्म को अनुबंधित करेगा, जो इस अनुसूची 'के' में निर्धारित मानदंडों के अनुसार एक स्वतंत्र अभियंता के रूप में कार्य करेगी।

4. स्वतंत्र अभियंता के रूप में सरकारी संस्था की नियुक्ति

इस अनुसूची 'के' में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण अपने विवेकानुसार सरकार के स्वामित्व वाली किसी संस्था को स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी संस्था एक निगमित निकाय हो, जिसका एक प्राथमिक कार्य इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए परामर्श, सलाह और पर्यवेक्षण सेवाएं प्रदान करना हो; बशर्ते यह भी कि राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कोई सरकारी संस्था स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।

अनुसूची 'एल'

स्वतंत्र अभियंता के लिए संदर्भ की शर्तें

(खंड 24.2 का संदर्भ लें)

1. कार्य-क्षेत्र

- 1.1 स्वतंत्र अभियंता के लिए ये संदर्भ की शर्तें ("टीओआर") दिनांक [] के रियायत करार के अनुसरण में विनिर्दिष्ट किए जा रहे हैं, ("करार") जो प्राधिकरण और [राज्य का नाम जहां हवाई अड्डा स्थित है दर्ज करें] राज्य के [उस शहर का नाम जहां हवाई अड्डा स्थित है दर्ज करें] में स्थित हवाई अड्डे के लिए [] ("रियायतग्राही") के बीच निष्पादित किया गया है, और जिसकी एक प्रति इसके साथ अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है तथा इस टीओआर का अभिन्न अंग है।
- 1.2 यह टीओआर हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास पर लागू होगा।

2. परिभाषाएं और व्याख्या

- 2.1 इस टीओआर में प्रयुक्त बड़े अक्षरों से प्रारंभ होने वाले या बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्द और अभिव्यक्तियां, जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं किंतु करार में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें करार में क्रमशः दिया गया है, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो।
- 2.2 इस टीओआर में अनुच्छेदों, खंडों और अनुसूचियों के संदर्भ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, करार के अनुच्छेदों, खंडों और अनुसूचियों के संदर्भ माने जाएंगे, तथा पैराग्राफों के संदर्भ इस टीओआर के पैराग्राफों के संदर्भ माने जाएंगे।
- 2.3 करार के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में उल्लिखित विवेचन के नियम, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस टीओआर पर लागू होंगे।

3. स्वतंत्र अभियंता की भूमिका और कार्य

- 3.1 स्वतंत्र अभियंता की भूमिका और कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:
- (क) पैरा 4 में निर्धारित किए अनुसार डिज़ाइनों, रेखाचित्रों (drawings) और दस्तावेजों की समीक्षा करना;
 - (ख) पैरा 4 में निर्धारित किए अनुसार निर्माण कार्यों की समीक्षा, निरीक्षण और निगरानी करना;
 - (ग) पैरा 4 में निर्धारित किए अनुसार निर्माण पूरा होने पर परीक्षणों की समीक्षा करना और उनका प्रत्यक्षदर्शी / साक्षी बनना तथा पूर्णता प्रमाण पत्र / अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करने में प्राधिकरण की सहायता करना;

- (घ) पैरा 5 में निर्धारित किए अनुसार प्रचालन एवं रखरखाव की समीक्षा, निरीक्षण और निगरानी करना;
- (ङ) पैरा 6 में निर्धारित किए अनुसार विनिवेश आवश्यकताओं की समीक्षा, निरीक्षण और निगरानी करना;
- (च) करार के तहत यथापेक्षित, किसी भी कार्य या सेवाओं की लागत और/या उनकी तर्कसंगतता का निर्धारण करना;
- (छ) करार के तहत यथापेक्षित, किसी भी कर्तव्य या दायित्व के निष्पादन हेतु समयावधि या उसके किसी विस्तार का निर्धारण करना;
- (ज) पैरा 8 में निर्धारित किए अनुसार विवादों के समाधान में पक्षों की सहायता करना;
- (झ) करार के अनुसार अन्य सभी कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करना; तथा
- (ञ) पैरा 9 में निर्धारित किए अनुसार प्राधिकरण को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- (ञ) पूर्णता तिथियों और चरणबद्ध माइलस्टोन्स के निर्धारण में रियायतग्राही की सहायता करना।

3.2 स्वतंत्र अभियंता अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्ष, निष्पक्षतापूर्ण एवं कुशल तरीके से करेगा, जो व्यावसायिक सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप होगा।

4. विकास अवधि

4.1 विकास अवधि के दौरान, स्वतंत्र अभियंता भू-तकनीकी एवं जल-वैज्ञानिक जांच, भराव क्षेत्रों और खदान स्थलों से प्राप्त सामग्रियों की विशेषताओं, स्थलाकृतिक सर्वेक्षणों और यातायात सर्वेक्षणों सहित सहायक डेटा के साथ रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले डिज़ाइनों और रेखाचित्रों की विस्तृत समीक्षा करेगा। स्वतंत्र अभियंता ऐसी समीक्षा पूरी करेगा और ऐसी विकास योजना तथा रेखाचित्र प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां/प्रेक्षण प्राधिकरण तथा रियायतग्राही को भेजेगा। विशेष रूप से, ऐसी टिप्पणियों में परियोजना के कार्य-क्षेत्र तथा विनिर्देशों एवं मानकों के साथ विकास योजना और ऐसे रेखाचित्रों की अनुरूपता अथवा अन्यथा का उल्लेख होगा।

4.2 इस चरण में स्वतंत्र अभियंता के संक्षिप्त कार्य-क्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

4.2.1 सभी डिज़ाइन, रेखाचित्रों, विनिर्देशों एवं खरीद दस्तावेजों की समीक्षा:

- (क) डिज़ाइन का आधार;
- (ख) डिज़ाइन, रेखाचित्रों, मात्राओं और लागत पर टिप्पणियां प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएंगी;

- (ग) विकास मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार सभी डिज़ाइन और विनिर्देशों की समीक्षा की जाएगी;
- (घ) रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अधिप्राप्ति दस्तावेजों की मात्रा बिल में मदों की सूची और सभी मदों की मात्राओं का सत्यापन करना और यदि आवश्यक हो, तो वित्तीय प्रभाव के साथ उसमें संशोधन प्रस्तावित करना।

4.2.2 रियायतग्राही द्वारा कार्यो और वाणिज्यिक अनुबंधों के आवंटन की समीक्षा:

- (क) तकनीकी (डिज़ाइन, निर्माण, पूर्णता और कमीशनिंग) एवं वाणिज्यिक शर्तों के लिए अनुबंध दस्तावेज की समीक्षा की जाएगी;
 - (ख) ठेकेदारों की क्षमता की समीक्षा करना और उस पर टिप्पणी करना;
 - (ग) रियायतग्राही द्वारा अपनाई गई निविदा और अनुबंध आवंटन की प्रक्रिया की समीक्षा करना।
- 4.3 स्वतंत्र अभियंता प्राधिकरण द्वारा उसे भेजे गए किसी भी संशोधित रेखाचित्र या सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करेगा और ऐसे रेखाचित्र या दस्तावेज प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।
- 4.4 स्वतंत्र अभियंता अनुसूची 'I' के अनुसार रेखाचित्रों की समीक्षा करेगा और ऐसे रेखाचित्र प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को उस पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।
- 4.5 स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही द्वारा तैयार किए गए तथा प्राधिकरण द्वारा उसे भेजे गए विस्तृत डिज़ाइन, निर्माण कार्यपद्धति, गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं और खरीद, इंजीनियरिंग एवं निर्माण समय-सारणी की समीक्षा करेगा तथा उसकी प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।
- 4.6 प्राधिकरण द्वारा संदर्भ दिए जाने पर, स्वतंत्र अभियंता ईपीसी अनुबंध या हवाई अड्डे के प्रासंगिक चरण के निर्माण के लिए किसी अन्य अनुबंध की समीक्षा करेगा और उस पर टिप्पणी करेगा, तथा प्राधिकरण से ऐसा संदर्भ प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।
- 4.7 स्वतंत्र अभियंता निम्नलिखित के संबंध में रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण को अपनी टिप्पणियां भेजेगा:
- (क) विकास योजना, रेखाचित्रों, विनिर्देशों और मानकों का अनुपालन;
 - (ख) यह सुनिश्चित करना कि रियायतग्राही द्वारा तैयार की गई रिपोर्टें विकास योजना और करार की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं;
 - (ग) कार्यो की मात्रा और उन्हें पूरा करने की समय-सीमा की समीक्षा एवं आकलन करना;

- (घ) विनिर्देशों और मानकों के अनुसार आवश्यकताओं के संबंध में रिपोर्ट में उल्लिखित सभी विकास कार्यों का धरातल पर भौतिक रूप से समीक्षा और सत्यापन करना;
- (ङ) कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा करना और अपनी टिप्पणियां प्रदान करना तथा कार्य पूरा होने से पहले सुधारे जाने वाले किसी भी कार्य या कार्य के हिस्से की पहचान करना; तथा
- (च) एक परियोजना नियंत्रण परिप्रेक्ष्य की समीक्षा करना और उसे अपनाना, संसाधनों की पर्याप्तता जो लागत और अनुसूची को एकीकृत करती है, संभावित प्रवृत्तियों (नकारात्मक और सकारात्मक दोनों) और दावों का प्रक्षेपण करना जो स्वीकृत निर्माण लागत को प्रभावित कर सकते हैं।

- 4.8** स्वतंत्र अभियंता प्रत्येक माह में एक बार निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगा, अधिमानतः रियायतग्राही से मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, किंतु किसी भी मामले में प्रत्येक माह के 20वें (बीसवें) दिन से पहले, और ऐसे निरीक्षण की एक रिपोर्ट ("**निरीक्षण रिपोर्ट**") तैयार करेगा जिसमें निर्माण की स्थिति, प्रगति, गुणवत्ता और संरक्षा का अवलोकन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें अपनाई गई कार्यपद्धति, प्रयुक्त सामग्री और उनके स्रोत, तथा परियोजना के कार्य-क्षेत्र और विनिर्देशों एवं मानकों के साथ निर्माण कार्यों की अनुरूपता शामिल होगी। निरीक्षण रिपोर्ट के एक अलग खंड में, स्वतंत्र अभियंता हवाई अड्डे के निर्माण में अपने द्वारा देखी गई चूकों, दोषों या कमियों का उचित विस्तार से वर्णन करेगा। स्वतंत्र अभियंता निरीक्षण के 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण और रियायतग्राही को भेजेगा।
- 4.9** यदि किसी चूक, दोष या कमी के कारण ऐसा निरीक्षण आवश्यक हो तो स्वतंत्र अभियंता एक महीने में एक से अधिक बार हवाई अड्डे का निरीक्षण कर सकता है।
- 4.10** यह निर्धारित करने के लिए कि निर्माण कार्य विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप हैं, स्वतंत्र अभियंता गुणवत्ता आश्वासन के लिए उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार स्वतंत्र अभियंता द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले नमूना आधार पर रियायतग्राही से परीक्षण कराने या करवाए जाने की अपेक्षा करेगा। इस पैरा 4.10 के प्रयोजनों के लिए, संरचनाओं, भवनों और उपकरणों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रासंगिक पुस्तिकाओं ("**गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली**") में विनिर्दिष्ट परीक्षण या उसके किसी संशोधन/प्रतिस्थापन को गुणवत्ता आश्वासन हेतु उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप परीक्षण माना जाएगा। स्वतंत्र अभियंता यह सुनिश्चित करने के लिए रियायतग्राही को आवश्यक निर्देश जारी करेगा कि परीक्षण निष्पक्ष और कुशल तरीके से आयोजित किए जाएं, और उनके परिणामों की निगरानी और समीक्षा करेगा।
- 4.11** पैरा 4.10 के तहत स्वतंत्र अभियंता द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले परीक्षणों का नमूना आकार, गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली में प्रत्येक श्रेणी या प्रकार के परीक्षणों के लिए निर्धारित परीक्षणों की मात्रा या संख्या का 10% (दस प्रतिशत) होगा, बशर्ते कि स्वतंत्र अभियंता, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, कुछ श्रेणियों या प्रकार के परीक्षणों के लिए पूर्वोक्त नमूना आकार को 10% (दस प्रतिशत) तक बढ़ा सकता है।

- 4.12** पैरा 4.10 में उल्लिखित परीक्षाओं का समय, और उनके परिणामों की स्वीकृति/अस्वीकृति के मानदंड गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली के अनुसार स्वतंत्र अभियंता द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। परीक्षण यादृच्छिक नमूना आधार पर किए जाएंगे और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार रियायतग्राही द्वारा अपने स्वयं के गुणवत्ता आश्वासन के लिए किए जाने वाले परीक्षणों के अतिरिक्त और उससे स्वतंत्र होंगे।
- 4.13** यदि रियायतग्राही किसी भी दोष या कमी को दूर करने या सुधारने के लिए कोई उपचारात्मक कार्य करता है, तो स्वतंत्र अभियंता यह निर्धारित करने के लिए रियायतग्राही से परीक्षण कराने या करवाए जाने की अपेक्षा करेगा कि ऐसे उपचारात्मक कार्यों ने निर्माण कार्यों को विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप बना दिया है, और इस पैरा 4 के प्रावधान ऐसे परीक्षणों पर लागू होंगे।
- 4.14** यदि रियायतग्राही चरणबद्ध माइलस्टोन्स में से किसी को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो स्वतंत्र अभियंता निर्माण की प्रगति की समीक्षा करेगा और संभावित विलंबों की पहचान करेगा, यदि कोई हो। यदि स्वतंत्र अभियंता यह निर्धारित करता है कि करार में निर्दिष्ट समय के भीतर हवाई अड्डे का निर्माण पूरा करना संभव नहीं है, तो वह प्राधिकरण के माध्यम से, रियायतग्राही से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्रगति में तेजी लाने के लिए प्रस्तावित कदमों और उस अवधि को इंगित करने की अपेक्षा करेगा जिसके भीतर पूर्णता प्राप्त की जाएगी। प्राधिकरण से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, स्वतंत्र अभियंता उसकी समीक्षा करेगा और अपनी टिप्पणियां तत्काल प्राधिकरण को भेजेगा।
- 4.15** यदि विकास अवधि के दौरान किसी भी समय, स्वतंत्र अभियंता यह निर्धारित करता है कि रियायतग्राही ने निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है, या कोई कार्य इस तरह से किया जा रहा है जिससे श्रमिकों और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को खतरा है, तो वह निर्माण कार्यों के पूर्ण या किसी हिस्से की पहचान करते हुए तत्काल प्राधिकरण को सिफारिश करेगा जिसे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निलंबित किया जाना चाहिए।
- 4.16** यदि रियायतग्राही निलंबित कार्यों और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय करता है, तो प्राधिकरण लिखित सूचना द्वारा, स्वतंत्र अभियंता से ऐसे कार्यों का निरीक्षण करने की अपेक्षा कर सकता है, और ऐसी सूचना प्राप्त होने के 3 (तीन) दिनों के भीतर, स्वतंत्र अभियंता निलंबित कार्यों का निरीक्षण करेगा और प्राधिकरण को तत्काल एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें सिफारिश की जाएगी कि प्राधिकरण द्वारा ऐसा निलंबन रद्द किया जाए या नहीं।
- 4.17** यदि निर्माण कार्यों का निलंबन ऐसे कारणों से है जो रियायतग्राही के कारण नहीं हैं, तो स्वतंत्र अभियंता चरण। और आगामी चरणों के लिए चरण पूर्णता अनुसूची में निर्धारित तिथियों के विस्तार की सिफारिश करेगा, जिसका रियायतग्राही उचित रूप से हकदार है, और प्राधिकरण को इसकी सूचना देगा।
- 4.18** स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही द्वारा किए जा रहे सभी परीक्षणों का प्रत्यक्षदर्शी / साक्षी बनेगा और अनुसूची 'जी' में विनिर्दिष्ट परीक्षणों के परिणाम के आधार पर, यथास्थिति, पूर्णता या अनंतिम

पूर्णता पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस पैरा 4.18 के तहत अपने कार्यों और उससे संबंधित सभी मामलों के निष्पादन के लिए, स्वतंत्र अभियंता अनुच्छेद 14 और अनुसूची 'जी' के प्रावधानों के तहत और उसके अनुसार कार्य करेगा।

- 4.19** प्राधिकरण से संदर्भ प्राप्त होने पर, स्वतंत्र अभियंता अनुच्छेद 17 में निर्धारित सूचना, कार्य और सेवाएं प्रदान करने की लागत का निष्पक्ष और उचित मूल्यांकन करेगा और प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को भुगतान के लिए ऐसी लागतों की तर्कसंगतता को प्रमाणित करेगा।

5. रियायत अवधि

- 5.1** रियायत अवधि के दौरान स्वतंत्र अभियंता द्वारा अपनी समीक्षा और टिप्पणियों के लिए प्राप्त रेखाचित्रों, दस्तावेजों और रिपोर्टों के संबंध में, पैरा 4 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- 5.2** स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रखरखाव कार्यक्रम की समीक्षा करेगा और रखरखाव कार्यक्रम प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को उस पर अपनी टिप्पणियां भेजेगा।
- 5.3** स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत मासिक और त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को उस पर अपनी टिप्पणियां भेजेगा।
- 5.4** स्वतंत्र अभियंता प्रत्येक माह में एक बार हवाई अड्डे का निरीक्षण करेगा, अधिमानतः रियायतग्राही से मासिक और त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, किंतु किसी भी मामले में प्रत्येक माह के 20वें (बीसवें) दिन से पहले, और एक प्रचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें प्रमुख निष्पादन संकेतकों, रखरखाव आवश्यकताओं और संरक्षा आवश्यकताओं के साथ इसकी अनुरूपता सहित प्रचालन एवं रखरखाव की स्थिति, गुणवत्ता और सुरक्षा का एक अवलोकन निर्धारित किया जाएगा। ओएंडएम निरीक्षण रिपोर्ट के एक अलग खंड में, स्वतंत्र अभियंता हवाई अड्डे के ओएंडएम में उसके द्वारा देखी गई चूकों, दोषों या कमियों का उचित विस्तार से वर्णन करेगा। स्वतंत्र अभियंता निरीक्षण के 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी ओएंडएम निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण और रियायतग्राही को भेजेगा।
- 5.5** यदि कोई चूक, दोष या कमी के कारण ऐसे निरीक्षण की आवश्यकता हो, तो स्वतंत्र अभियंता एक महीने में एक से अधिक बार हवाई अड्डे का निरीक्षण कर सकता है।
- 5.6** स्वतंत्र अभियंता अपनी ओएंडएम निरीक्षण रिपोर्ट में उन परीक्षणों को विनिर्दिष्ट करेगा, यदि कोई हो, जो रियायतग्राही यह निर्धारित करने के प्रयोजन से करेगा या करवाएगा कि हवाई अड्डा रखरखाव आवश्यकताओं के अनुरूप है। वह ऐसे परीक्षणों के परिणामों और इस संबंध में रियायतग्राही द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों की निगरानी और समीक्षा करेगा।

- 5.7 अनुसूची 'I' के पैरा 3 में उल्लिखित किसी भी दोष या कमी के संबंध में, स्वतंत्र अभियंता उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप विनिर्देशों और मानकों के संदर्भ में विचलन या क्षरण की अनुमेय सीमा विनिर्दिष्ट करेगा और अनुमेय सीमा से परे किसी भी विचलन या क्षरण की मरम्मत या सुधार के लिए समय-सीमा भी विनिर्दिष्ट करेगा।
- 5.8 स्वतंत्र अभियंता यह निर्धारित करेगा कि करार के अनुसार मरम्मत या उपचारात्मक कार्यों को पूरा करने में कोई विलंब हुआ है या नहीं, और ऐसे विलंब के लिए देय नुकसानी, यदि कोई हो, का भी निर्धारण करेगा।
- 5.9 स्वतंत्र अभियंता यातायात में व्यवधान को न्यूनतम करने की आवश्यकता और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार ऐसे रखरखाव/मरम्मत को पूरा करने के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए, हवाई अड्डे के रखरखाव/मरम्मत के लिए उसे बंद करने के रियायतग्राही के अनुरोध की जांच करेगा।
- 5.10 यदि रियायतग्राही हवाई अड्डे में किए जाने वाले किसी संशोधन के बारे में प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को सूचित करता है, तो स्वतंत्र अभियंता उसकी समीक्षा करेगा और प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियां भेजेगा।
- 5.11 स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही द्वारा स्थापित प्रणालियों की सटीकता की जांच के लिए कम से कम महीने में एक बार उनका ऑडिट करेगा।
- 5.12 स्वतंत्र अभियंता रियायत अवधि (विस्तार सहित, यदि कोई हो) के अंत में रियायतग्राही से प्राधिकरण को परियोजना परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर सहायता प्रदान करेगा और करार की शर्तों के अनुसार रियायतग्राही को निहित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियों को शुरू करने में प्राधिकरण की सहायता करेगा।

6. निष्कासन

- 6.1 निष्कासन से 90 (नब्बे) दिन पहले से अधिक नहीं, किंतु ऐसे निष्कासन से 15 (पंद्रह) दिन पहले के बाद नहीं, किसी भी समय, स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही के एक प्रतिनिधि की उपस्थिति में अनुच्छेद 36 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं के रियायतग्राही द्वारा अनुपालन का निर्धारण करने के लिए हवाई अड्डे का निरीक्षण करेगा और, यदि आवश्यक हो, तो ऐसे अनुपालन का निर्धारण करने के लिए रियायतग्राही के खर्च पर परीक्षण करवाएगा। यदि स्वतंत्र अभियंता यह निर्धारित करता है कि हवाई अड्डे की स्थिति ऐसी है कि इसकी मरम्मत और सुधार के लिए खंड 37.2 में निर्धारित राशि से अधिक राशि की आवश्यकता होगी, तो वह एस्करो खाते में अपेक्षित राशि रोके रखने और उसके रोके रखने की अवधि की सिफारिश करेगा।
- 6.2 स्वतंत्र अभियंता उसमें निर्दिष्ट दोषों या कमियों के संबंध में अनुच्छेद 37 के तहत रियायतग्राही के दायित्व का निर्धारण करने के लिए निष्कासन के बाद 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के दौरान प्रत्येक 15 (पंद्रह) दिनों में एक बार हवाई अड्डे का निरीक्षण करेगा। यदि स्वतंत्र अभियंता को ऐसा

कोई दोष या कमी मिलती है, तो वह उचित विवरण के साथ एक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे तत्काल प्राधिकरण और रियायतग्राही को भेजेगा।

7. लागत और समय का निर्धारण

- 7.1 स्वतंत्र अभियंता उन लागतों, और/या उनकी तर्कसंगतता का निर्धारण करेगा, जिनका निर्धारण करार के तहत उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
- 7.2 स्वतंत्र अभियंता उस अवधि, या उसके किसी विस्तार का निर्धारण करेगा, जिसका निर्धारण करार के तहत उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

8. विवाद समाधान में सहायता

- 8.1 किसी भी विवाद की स्थिति में किसी भी पक्ष द्वारा बुलाए जाने पर, स्वतंत्र अभियंता मध्यस्थता करेगा और पक्षों को एक सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने में सहायता करेगा।
- 8.2 करार के किसी भी प्रावधान में निर्धारित उत्तम उद्योग प्रथाओं के अर्थ, कार्य-क्षेत्र और प्रकृति के संबंध में पक्षों के बीच किसी भी असहमति की स्थिति में, स्वतंत्र अभियंता उत्तम उद्योग प्रथाओं और प्रामाणिक साहित्य पर भरोसा करते हुए एक तर्कसंगत लिखित विवरण जारी करके ऐसे अर्थ, कार्य-क्षेत्र और प्रकृति को विनिर्दिष्ट करेगा।

9. अन्य कर्तव्य और कार्य

स्वतंत्र अभियंता करार में विनिर्दिष्ट अन्य सभी कर्तव्यों और कार्यों का निष्पादन करेगा।

10. विविध

- 10.1 स्वतंत्र अभियंता प्राधिकरण और रियायतग्राही को अपने निरीक्षण कार्यक्रम की सूचना देगा, जो अपने विवेकानुसार, निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहने के लिए अपने संबंधित प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त कर सकते हैं।
- 10.2 स्वतंत्र अभियंता अपने द्वारा प्राप्त सभी रेखाचित्रों और दस्तावेजों की कम से कम 1 (एक) प्रति अपने पास रखेगा, जिसमें 'यथा-निर्मित रेखाचित्र' भी शामिल हैं, और उन्हें अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।
- 10.3 इसके तहत अपने कार्य के पूरा होने पर, स्वतंत्र अभियंता सभी रेखाचित्रों, दस्तावेजों, परीक्षणों के परिणामों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को विधिवत वर्गीकृत और सूचीबद्ध करेगा, और उन्हें प्राधिकरण या ऐसे अन्य व्यक्ति को सौंप देगा जिसे प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, और उसकी लिखित रसीद प्राप्त करेगा। उक्त दस्तावेजों की 2 (दो) प्रतियां उनके संपादन योग्य डिजिटल प्रारूप में या ऐसे अन्य माध्यम या तरीके से भी प्रस्तुत की जाएंगी जो प्राधिकरण को स्वीकार्य हो।

10.4 जहां कहीं भी स्वतंत्र अभियंता द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है, स्वतंत्र अभियंता उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक दक्षता और तात्कालिकता के साथ कार्य करेगा।

अनुसूची 'एम'

एस्क्रो करार

(खंड 29.1 का संदर्भ लें)

यह एस्क्रो करार ("करार") आज दिनांक [] को [स्थान] पर निम्नलिखित के बीच निष्पादित किया गया:

पक्षकार:

[कंपनी अधिनियम, 2013] के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्या [] है और जिसका पंजीकृत कार्यालय [] पर स्थित है (इसके बाद इसे "रियायतग्राही" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिती और स्थानापन्न शामिल होंगे);

तथा

[ऋणदाता प्रतिनिधि का नाम और विवरण दर्ज करें] और जिसका पंजीकृत कार्यालय [] पर स्थित है, जो इस करार से उत्पन्न होने वाले या इसके संबंध में मामलों के संबंध में वरिष्ठ ऋणदाताओं के विधिवत अधिकृत एजेंट के रूप में उनके लिए और उनकी ओर से कार्य कर रहा है (इसके बाद इसे "ऋणदाता प्रतिनिधि" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे);

तथा

[एस्क्रो बैंक का नाम और विवरण दर्ज करें], जिसका पंजीकृत कार्यालय [] पर है और अन्य स्थानों के अलावा, [] पर एक शाखा कार्यालय है (इसके बाद इसे "एस्क्रो बैंक" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे);

तथा

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निगमित निकाय है और जिसका निगमित मुख्यालय राजीव गांधी भवन, तीसरी मंजिल, सी-ब्लॉक, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003, भारत में स्थित है (इसके बाद इसे "प्राधिकरण" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे);

जबकि:

ए. प्राधिकरण ने रियायत करार में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, [उस राज्य का नाम जहां हवाई अड्डा स्थित है दर्ज करें] राज्य के [उस शहर का नाम जहां हवाई अड्डा स्थित है दर्ज करें] में हवाई अड्डे के लिए रियायतग्राही के साथ दिनांक [] का एक रियायत करार ("रियायत करार")

निष्पादित किया है, और जिसकी एक प्रति इसके साथ अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है तथा इस करार का अभिन्न अंग है।

- B. वरिष्ठ ऋणदाता वित्तीय करारों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए सहमत हुए हैं।
- C. रियायत करार के तहत रियायतग्राही को अन्य बातों के साथ-साथ उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों पर एक एस्क्रो खाता स्थापित करने की आवश्यकता है।

इसलिए अब, पूर्वगामी और इस करार में निर्धारित संबंधित वचनों और समझौतों के प्रतिफल में, जिसकी प्राप्ति और पर्याप्तता को एतद्वारा स्वीकार किया जाता है, और कानूनी रूप से बाध्य होने के इरादे से, पक्षकार निम्नानुसार सहमत हैं:

1. परिभाषाएं और विवेचन

1.1 परिभाषाएं

इस करार में, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, क्रमशः निम्नानुसार होगा:

"करार" से तात्पर्य इस एस्करो करार और इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार किए गए किसी भी संशोधन से है;

"रियायत करार" से तात्पर्य ऊपर प्रारंभिक कथन 'ए' में उल्लिखित और अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न रियायत करार से है, और इसमें इसके सभी प्रारंभिक कथन और अनुसूचियां तथा इसमें इस संबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार किए गए कोई भी संशोधन शामिल होंगे;

"रियायतग्राही" से तात्पर्य पूर्वगामी प्रारंभिक कथनों में रियायतग्राही के रूप में संदर्भित व्यक्ति/संस्था से है;

"उपचार अवधि" से तात्पर्य रियायतग्राही द्वारा इस करार के किसी भी प्रावधान के किसी उल्लंघन या चूक को सुधारने के लिए इस करार में विनिर्दिष्ट अवधि से है, और यह उस तिथि से प्रारंभ होगी जिस दिन प्राधिकरण या ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा रियायतग्राही को ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट उल्लंघन या चूक को सुधारने के लिए नोटिस दिया जाता है;

"एस्करो खाता" से तात्पर्य इस करार के तहत और इसके संदर्भ में स्थापित एक एस्करो खाते से है, और इसमें उप-खाते शामिल होंगे;

"एस्करो बैंक" से तात्पर्य पूर्वगामी प्रारंभिक कथनों में एस्करो बैंक के रूप में संदर्भित बैंक से है;

"एस्करो चूक" का वही अर्थ होगा जो इसे खंड 6.1.1 में दिया गया है;

"क्षतिपूरित पक्ष" का वही अर्थ होगा जो इसे खंड 9.2 में दिया गया है;

"क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष" का वही अर्थ होगा जो इसे खंड 9.2 में दिया गया है;

"ऋणदाता प्रतिनिधि" से तात्पर्य पूर्वगामी प्रारंभिक कथनों में ऋणदाता प्रतिनिधि के रूप में संदर्भित व्यक्ति से है;

"पक्षकार" से तात्पर्य सामूहिक रूप से इस करार के पक्षकारों से है और शब्द "पक्ष" से तात्पर्य व्यक्तिगत रूप से इस करार के किसी भी पक्ष से है;

"भुगतान तिथि" से तात्पर्य खंड 4.1 में विनिर्दिष्ट किसी भुगतान के संबंध में, ऐसे भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट तिथि(तिथियों) से है; तथा

"उप-खाते" से तात्पर्य एस्क्रो खाते के संबंधित उप-खातों से है, जिसमें खंड 4.1 में निर्दिष्ट धनराशि प्रत्येक माह जमा की जाएगी और यदि देय हो तो भुगतान किया जाएगा, और यदि किसी माह में देय नहीं है, तो ऐसे माह में आनुपातिक रूप से विनियोजित की जाएगी और संबंधित उप-खातों में बनाए रखी जाएगी और भुगतान तिथि(तिथियों) पर उसमें से भुगतान किया जाएगा।

1.2 विवेचन

1.2.1 ऋणदाता प्रतिनिधि के संदर्भों का अर्थ, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, वरिष्ठ ऋणदाताओं के लिए और उनकी ओर से कार्य करने वाले ऋणदाता प्रतिनिधि के संदर्भ होंगे।

1.2.2 बड़े अक्षरों से प्रारंभ होने वाले और इस करार में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें यहाँ दिया गया है, तथा इस करार में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं किंतु रियायत करार में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें रियायत करार में दिया गया है, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो।

1.2.3 खंडों के संदर्भ, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इस करार के खंडों के संदर्भ हैं।

1.2.4 रियायत करार के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में उल्लिखित विवेचन के नियम, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस करार पर लागू होंगे।

2. एस्क्रो खाता

2.1 एस्क्रो बैंक का ट्रस्टी के रूप में कार्य करना

2.1.1 रियायतग्राही एतद्वारा प्राधिकरण, ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिए इसके संबंध में ट्रस्टी के रूप में कार्य करने हेतु एस्क्रो बैंक को नियुक्त करता है, और एस्क्रो बैंक को ऐसे अधिकारों, शक्तियों, प्राधिकारों और विवेक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है जो विशेष रूप से इसके नियमों द्वारा एस्क्रो बैंक को सौंपे गए हैं, साथ ही ऐसे सभी अधिकार, शक्तियाँ, प्राधिकार और विवेक जो इसके प्रासंगिक रूप से उचित हैं, और एस्क्रो बैंक इसके नियमों के अनुसार ऐसी नियुक्ति को स्वीकार करता है।

2.1.2 रियायतग्राही एतद्वारा घोषित करता है कि एस्क्रो खाते में और उसके सभी अधिकार, स्वत्व और हित एस्क्रो बैंक में निहित होंगे और प्राधिकरण, ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिए ट्रस्ट

में रखे जाएंगे, और इस करार की शर्तों के अनुसार लागू किए जाएंगे। प्राधिकरण, ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को इस करार के तहत लाभार्थी के रूप में या तीसरे पक्ष के लाभार्थी के रूप में कोई अधिकार नहीं होगा।

2.2 एस्क्रो बैंक की स्वीकृति

एस्क्रो बैंक एतद्वारा इस रूप में कार्य करने और इस करार के प्रावधानों के अनुसरण में एस्क्रो बैंक को दिए जाने वाले और उसके द्वारा रखे जाने वाले सभी भुगतानों और अन्य राशियों को स्वीकार करने के लिए सहमत होता है। एस्क्रो बैंक इस करार की अवधि के दौरान एस्क्रो खाते को बनाए रखेगा और उसकी सुरक्षा करेगा तथा एस्क्रो खाते की राशि को रियायतग्राही, वरिष्ठ ऋणदाताओं या प्राधिकरण द्वारा एस्क्रो बैंक के पास जमा की गई धनराशि के रूप में मानेगा। इस करार के तहत अपने कार्यों और कर्तव्यों का पालन करने में, एस्क्रो बैंक इस करार के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण, ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही या उनके नामितों, उत्तराधिकारियों या समनुदेशितियों के लाभ के लिए ट्रस्ट में और एजेंट के रूप में कार्य करेगा।

2.3 एस्क्रो खाते की स्थापना और संचालन

- 2.3.1** इस करार की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर, और किसी भी मामले में सीओडी से पहले, रियायतग्राही एस्क्रो बैंक की [शाखा का नाम दर्ज करें] शाखा में एस्क्रो खाता खोलेगा और स्थापित करेगा। एस्क्रो खाता रुपये में होगा।
- 2.3.2** एस्क्रो बैंक इस करार की शर्तों और अपनी सामान्य प्रथाओं एवं लागू विनियमों के अनुसार एस्क्रो खाते का रखरखाव करेगा, और उक्त खाते में शेष राशि पर समय-समय पर समान ग्राहकों को देय अधिकतम ब्याज दर का भुगतान करेगा।
- 2.3.3** एस्क्रो बैंक और रियायतग्राही, ऋणदाता प्रतिनिधि के साथ परामर्श के बाद, एस्क्रो खाते के लिए विस्तृत अधिदेशों, नियमों और शर्तों और परिचालन प्रक्रियाओं पर सहमति व्यक्त करेंगे, लेकिन इस करार और ऐसे अधिदेशों, नियमों और शर्तों या प्रक्रियाओं के बीच किसी भी संघर्ष या विसंगति की स्थिति में, यह करार प्रभावी होगा।

2.4 एस्क्रो बैंक का शुल्क

एस्क्रो बैंक ऐसी राशि में और ऐसे समय पर अपने शुल्क और व्यय प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसा कि एस्क्रो बैंक और रियायतग्राही के बीच सहमति हो।

2.5 पक्षकारों के अधिकार

रियायत करार में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, एस्क्रो खाते में रखी गई धनराशि में प्राधिकरण, ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के अधिकार पूरी तरह से इस करार में निर्धारित

किए गए हैं और प्राधिकरण, ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही का एस्क्रो खाते की धनराशि के विरुद्ध या उसके संबंध में कोई अन्य अधिकार नहीं होगा।

2.6 रियायतग्राही का प्रतिस्थापन

इसके पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि प्रतिस्थापन करार के अनुसरण में नामित कंपनी के साथ रियायतग्राही के प्रतिस्थापन पर, इस करार के प्रयोजनों के लिए यह माना जाएगा कि नामित कंपनी इसकी एक पक्षकार है और नामित कंपनी तदनुसार रियायतग्राही के नामित कंपनी के साथ प्रतिस्थापन की तिथि से और उसके प्रभाव से इस करार के तहत रियायतग्राही के अधिकारों और दायित्वों की उत्तराधिकारी मानी जाएगी।

3. एस्क्रो खाते में जमा

3.1 रियायतग्राही द्वारा जमा

3.1.1 रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि वह एस्क्रो खाते में निम्नलिखित आगमों और प्राप्तियों को जमा करेगा या करवाएगा:

- (क) बैंकों, वरिष्ठ ऋणदाताओं, अन्य ऋणदाताओं, शेयरधारकों, बीमा कंपनियों या किसी अन्य व्यक्ति से या अन्यथा परियोजना के संबंध में प्राप्त सभी धनराशि;
- (ख) हवाई अड्डे, परियोजना, परियोजना सुविधाओं और/या परियोजना परिसंपत्तियों से या उनके संबंध में सभी शुल्क और अन्य सभी राजस्व, जिसमें किसी भी किराए, जमा, पूंजीगत प्राप्तियों, बीमा दावों आदि की आय शामिल है; तथा
- (ग) किसी भी बकाया मासिक रियायत शुल्क की कटौती के बाद, प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी भुगतान:

बशर्ते कि वरिष्ठ ऋणदाता वित्तीय करारों में इस संबंध में निहित स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार, ईपीसी संविदाकारको सीधे संवितरण कर सकते हैं।

3.1.2 रियायतग्राही किसी भी समय अपने अन्य फंडों को एस्क्रो खाते में जमा कर सकता है, बशर्ते कि इस करार के प्रावधान ऐसी जमाओं पर लागू होंगे।

3.2 प्राधिकरण द्वारा जमा

प्राधिकरण सहमत होता है और वचन देता है कि, जैसे ही देय और भुगतान योग्य होगा, वह निष्कासन भुगतानों को एस्क्रो खाते में जमा और/या क्रेडिट करेगा।

बशर्ते कि, खंड 4.1.1 के प्रावधानों के होते हुए भी, प्राधिकरण पूर्वोक्त राशियों में से रियायतग्राही द्वारा उसे देय और भुगतान योग्य किसी भी मासिक रियायत शुल्क को विनियोजित करने का हकदार होगा और शेष राशि एस्क्रो खाते में जमा की जाएगी।

3.3 वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा जमा

ऋणदाता प्रतिनिधि सहमत होता है, पुष्टि करता है और वचन देता है कि वरिष्ठ ऋणदाता परियोजना के संबंध में उनके द्वारा किए गए सभी संवितरणों को एस्क्रो खाते में जमा और/या क्रेडिट करेंगे, बशर्ते कि इस करार में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, वरिष्ठ ऋणदाता वित्तीय करारों में इस संबंध में निहित स्पष्ट प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार ईपीसी संविदाकारको सीधे भुगतान करने के हकदार होंगे।

3.4 जमा पर ब्याज

एस्करो बैंक सहमत होता है और वचन देता है कि एस्करो खाते की शेष राशि पर अर्जित सभी ब्याज एस्करो खाते में जमा किए जाएंगे, बशर्ते कि एस्करो बैंक एस्करो खाते के संबंध में रियायतग्राही से देय शुल्क और व्यय को उसमें से विनियोजित करने और शेष राशि को एस्करो खाते में जमा करने का हकदार होगा।

4. एस्करो खाते से आहरण

4.1 आहरण

4.1.1 प्रत्येक माह की शुरुआत में, या ऐसे छोटे अंतरालों पर जैसा कि ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही लिखित निर्देशों द्वारा निर्धारित करें, एस्करो बैंक एस्करो खाते से धनराशि निकालेगा और देय भुगतान करने के लिए प्रासंगिक उप-खातों में ऐसी धनराशि जमा करके निम्नलिखित क्रम में उन्हें विनियोजित करेगा, और यदि ऐसे भुगतान किसी महीने में देय नहीं हैं, तो ऐसे उप-खातों में ऐसी धनराशि बनाए रखेगा और भुगतान तिथि(तिथियों) पर उसमें से भुगतान करेगा:

- (क) वैधानिक भुगतान, हवाई अड्डे के संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य सभी कर;
- (ख) प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य मासिक रियायत शुल्क;
- (ग) रियायत करार के अनुसरण में प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य सभी भुगतान और/या रियायत करार के तहत रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य होने के रूप में प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित नुकसानी;
- (घ) एक लेखा वर्ष में देय ऋण सेवा का मासिक आनुपातिक प्रावधान; तथा
- (ङ) शेष राशि, यदि कोई हो, रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार।

4.1.2 प्रत्येक लेखा वर्ष के प्रारंभ से 60 (साठ) दिन पहले, रियायतग्राही ऋणदाता प्रतिनिधि के पूर्व लिखित अनुमोदन के साथ, इस खंड 4.1 में निर्धारित प्रत्येक भुगतान दायित्व के लिए आवश्यक होने वाली संभावित राशियों का विवरण एस्करो बैंक को प्रदान करेगा, बशर्ते कि ऐसी राशियों को बाद में

ऋणदाता प्रतिनिधि के पूर्व लिखित अनुमोदन के साथ संशोधित किया जा सकता है, यदि वर्ष के दौरान प्राप्त नई जानकारी ऐसे संशोधन को आवश्यक बनाती है।

4.2 निष्कासन पर आहरण

रियायत करार के निष्कासन पर, एस्क्रो खाते में जमा सभी राशियों को, इस करार में किसी भी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित क्रम में विनियोजित और निपटाया जाएगा:

- (क) वेतन बकाया और वैधानिक भुगतान, हवाई अड्डे के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य सभी कर;
- (ख) बकाया मासिक रियायत शुल्क;
- (ग) रियायत करार के निष्कासन की तारीख को रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान किए जाने वाले अन्य सभी बकाया राशियां;
- (घ) इस करार के अनुसरण में प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य सभी भुगतान और/या रियायतग्राही द्वारा देय होने के रूप में प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित नुकसानी;
- (ङ) बकाया ऋण सेवा, जिसमें देय ऋण की शेष राशि शामिल है; तथा
- (च) शेष राशि, यदि कोई हो, रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार।

बशर्ते कि इस खंड 4.2 के उप-खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट संवितरण केवल प्राधिकरण द्वारा निहित प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही किया जाएगा।

4.3 अपर्याप्त निधियों का उपयोग

एस्क्रो खाते में उपलब्ध निधियों का उपयोग, यथास्थिति, खंड 4.1 और 4.2 में निर्धारित प्राथमिकता के क्रमानुसार किया जाएगा। यदि उपलब्ध धनराशि सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो एस्क्रो बैंक ऐसी निधियों को उनके समाप्त होने तक प्राथमिकता के क्रमानुसार लागू करेगा।

4.4 बीमा राशि का उपयोग

इस करार में किसी भी बात के होते हुए भी, जीवन और व्यक्तिगत क्षति/चोट के दावों को छोड़कर, सभी बीमा दावों से प्राप्त राशि को एस्क्रो खाते में जमा और/या क्रेडिट किया जाएगा तथा हवाई अड्डे की किसी भी आवश्यक मरम्मत, पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार, प्रतिस्थापन या सुधार के लिए उपयोग किया जाएगा, और शेष बची हुई राशि, यदि कोई हो, को वित्तीय करारों में इस संबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार लागू किया जाएगा।

4.5 निलंबन के दौरान आहरण

इस करार में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण रियायत करार के अनुच्छेद 34 के तहत निलंबन की अवधि के दौरान रियायतग्राही के सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। ऐसी अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा एस्क्रो बैंक को दिए गए किसी भी निर्देश का उसी प्रकार अनुपालन किया जाएगा मानो ऐसे निर्देश इस करार के तहत रियायतग्राही द्वारा दिए गए हों, और इसके तहत प्राधिकरण की सभी कार्रवाइयों को रियायतग्राही के लिए और उसकी ओर से की गई माना जाएगा।

5. एस्क्रो बैंक के दायित्व

5.1 निधियों का पृथक्करण

इस करार के तहत एस्क्रो बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि और अन्य संपत्ति, जब तक कि इस करार के अनुसार उपयोग या लागू नहीं की जाती, एस्क्रो बैंक द्वारा उन प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट में रखी जाएगी जिनके लिए वे प्राप्त की गई थीं, और एस्क्रो बैंक के अन्य फंडों और संपत्ति से पृथक् रखी जाएंगी।

5.2 शेष राशि की अधिसूचना

प्रत्येक भुगतान तिथि से 7 (सात) कार्य दिवस पूर्व (और इस प्रयोजन के लिए एस्क्रो बैंक प्रासंगिक भुगतान तिथियों के संबंध में रियायतग्राही और/या ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा दिए गए प्रतिज्ञान पर भरोसा करने का हकदार होगा), एस्क्रो बैंक ठीक पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कारोबार की समाप्ति पर एस्क्रो खाते और उप-खातों में शेष राशि के बारे में ऋणदाता प्रतिनिधि को सूचित करेगा।

5.3 संचार और सूचनाएं

इसके तहत अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन में, एस्क्रो बैंक:

- (क) अपनी ओर से दुर्भावना या घोर लापरवाही के अभाव में, तथ्य के किन्हीं भी ऐसे मामलों के संबंध में, जिनके बारे में रियायतग्राही की जानकारी में होने की उचित अपेक्षा की जा सकती है, रियायतग्राही द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पर भरोसा कर सकता है;
- (ख) अपनी ओर से दुर्भावना या घोर लापरवाही के अभाव में, किसी भी ऐसे संचार या दस्तावेज की प्रामाणिकता पर भरोसा कर सकता है जिसे वह प्रामाणिक मानता है;
- (ग) प्राप्ति के 5 (पांच) कार्य दिवसों के भीतर, एस्क्रो बैंक के रूप में अपनी हैसियत से रियायतग्राही से, या इसके तहत या इसके संबंध में किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किसी भी नोटिस या दस्तावेज की एक प्रति ऋणदाता प्रतिनिधि को देगा; तथा
- (घ) प्राप्ति के 5 (पांच) कार्य दिवसों के भीतर, इसके संबंध में ऋणदाता प्रतिनिधि से प्राप्त किसी भी नोटिस या दस्तावेज की एक प्रति रियायतग्राही को देगा।

5.4 कोई समायोजन नहीं

एस्करो बैंक, एस्करो खाते में जमा राशियों के संबंध में समायोजन, बैंकर के ग्रहणाधिकार या किसी अन्य अधिकार अथवा उपचार का दावा या प्रयोग न करने के लिए सहमत होता है। एस्करो बैंक द्वारा एतद्द्वारा यह स्वीकार और सहमति दी जाती है कि एस्करो खाते में एस्करो बैंक द्वारा रखी गई धनराशि और संपत्तियों को एस्करो बैंक की परिसंपत्तियों का हिस्सा नहीं माना जाएगा और ट्रस्ट संपत्ति होने के कारण, एस्करो बैंक के दिवालिया होने या परिसमापन के मामले में, ऐसे दिवालियापन या परिसमापन में एस्करो बैंक की परिसंपत्तियों से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा।

5.5 विनियामकीय अनुमोदन

एस्करो बैंक, एस्करो खाते की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक सभी विनियामकीय अनुमोदनों को प्राप्त करने और उसके बाद उन्हें बनाए रखने और उनका अनुपालन करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा। एस्करो बैंक यह अभ्यावेदन और आश्वासन देता है कि वह ऐसे किसी कारण से अवगत नहीं है जिसके चलते ऐसे विनियामकीय अनुमोदन सामान्यतः एस्करो बैंक को प्रदान नहीं किए जाएंगे।

6. एस्करो चूक

6.1 एस्करो चूक

6.1.1 निम्नलिखित घटनाएं रियायतग्राही द्वारा चूक की घटना ("एस्करो चूक") मानी जाएंगी, जब तक कि ऐसी चूक की घटना अप्रत्याशित घटना या प्राधिकरण या ऋणदाता प्रतिनिधि के किसी कार्य या लोप के परिणामस्वरूप न हुई हो:

- (क) रियायतग्राही यहाँ दिए गए प्रावधान के अनुसार एस्करो खाते में कोई भी प्राप्ति जमा करने में विफल होकर इस करार का उल्लंघन करता है, और 5 (पांच) कार्य दिवसों की उपचार अवधि के भीतर एस्करो खाते में इसे जमा करके ऐसे उल्लंघन को सुधारने में विफल रहता है;
- (ख) रियायतग्राही इस करार की शर्तों के उल्लंघन में एस्करो बैंक से रियायतग्राही के किसी भी खाते में धनराशि स्थानांतरित करवाता है और 5 (पांच) कार्य दिवसों की उपचार अवधि के भीतर एस्करो खाते में प्रासंगिक धनराशि जमा करके ऐसे उल्लंघन को सुधारने में विफल रहता है; अथवा
- (ग) रियायतग्राही इस करार के प्रावधानों का कोई अन्य उल्लंघन करता है या करवाता है और 5 (पांच) कार्य दिवसों की उपचार अवधि के भीतर उसे सुधारने में विफल रहता है।

6.1.2 एस्करो चूक की स्थिति में, उसके परिणामों से रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा।

7. एस्करो करार की समाप्ति

7.1 एस्करो करार की अवधि

7.1.1 यह करार तब तक पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा जब तक कि वरिष्ठ ऋणदाताओं से प्राप्त ऋण, गारंटी या वित्तीय सहायता के संबंध में रियायतग्राही से कोई राशि अग्रिम की जानी शेष हो या बकाया हो, अथवा प्राधिकरण के प्रति उसके किसी दायित्व का निर्वहन किया जाना शेष हो, जब तक कि सभी पक्षों की सहमति से पहले ही समाप्त न कर दिया जाए या अन्यथा इस करार के प्रावधानों के अनुसार समाप्त न हो जाए।

7.1.2 ऊपर दिए गए खंड 7.1.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऊपर खंड 7.1.1 के अनुसार एस्करो करार की समाप्ति के साथ ही, रियायतग्राही निम्नलिखित संशोधनों के अधीन, उसी प्रारूप में एक नया एस्करो करार निष्पादित करने के लिए एतद्वारा सहमत होता है:

- (क) एस्करो करार के एक पक्षकार के रूप में ऋणदाता प्रतिनिधि को प्राधिकरण या उसके किसी भी नामित व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) प्राधिकरण या उसका कोई भी नामित व्यक्ति, उपर्युक्त (क) के अनुसार एस्करो करार का एक पक्षकार होने के नाते, वे सभी कार्य निष्पादित करेगा और उत्तरदायित्व उठाएगा, जो ऋणदाता प्रतिनिधि के नाम से निहित हैं;
- (ग) वरिष्ठ ऋणदाताओं और वित्तीय करारों तथा अन्य संबंधित शब्दों के सभी संदर्भों को प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा;
- (घ) ऐसा कोई भी एस्करो करार केवल रियायत करार के निष्कासन के बाद ही समाप्त किया जाएगा, और कम से कम उस अवधि के लिए वैध रहेगा जिसके लिए खंड 37.2 के अनुसार एस्करो खाते में कोई राशि रोके रखी जानी है; तथा
- (ङ) ऐसे अन्य परिवर्तन और संशोधन, जो उस समय प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किए जाएं।

7.1.3 ऊपर खंड 7.1.1 के अनुसार एस्करो करार की समाप्ति के अधिकतम 24 (चौबीस) घंटों की अवधि के भीतर ऊपर खंड 7.1.2 के अनुसार एस्करो करार का निष्पादन न करना, रियायत करार के तहत 'रियायतग्राही की चूक' माना जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकरण को उपलब्ध उपचारों में रियायत करार के निष्कासन का अधिकार भी शामिल होगा।

7.2 एस्करो बैंक का प्रतिस्थापन

7.2.1 रियायतग्राही, एस्करो बैंक, प्राधिकरण और ऋणदाता प्रतिनिधि को कम से कम 45 (पैंतालीस) दिन पूर्व नोटिस देकर, इस करार को समाप्त कर सकता है और एक नया एस्करो बैंक नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कि नया एस्करो बैंक ऋणदाता प्रतिनिधि को स्वीकार्य हो और उत्तराधिकारी एस्करो बैंक के साथ स्थापित एक नए एस्करो खाते में एस्करो खाते में जमा राशियों के हस्तांतरण के लिए ऋणदाता प्रतिनिधि के संतोषप्रद व्यवस्था की गई हो।

7.2.2 इस करार की समाप्ति केवल स्थानापन्न एस्करो बैंक के साथ एक एस्करो करार के लागू होने पर ही प्रभावी होगी।

7.3 एस्करो खाता बंद करना

एस्करो बैंक, खंड 4.2 में विनिर्दिष्ट भुगतानों सहित रियायत करार और वित्तीय करारों के तहत सभी बकाया राशियों के रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए जाने पर या उसके बाद रियायतग्राही और ऋणदाता प्रतिनिधि के अनुरोध पर, और ऐसे भुगतानों की प्राप्ति की पुष्टि होने पर, एस्करो खाते और उप-खातों को बंद कर देगा और उसमें जमा किसी भी राशि का भुगतान रियायतग्राही को कर देगा। इसके तहत एस्करो खाता बंद होने पर, एस्करो करार समाप्त माना जाएगा।

8. पूरक एस्करो करार

8.1 ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही, एस्करो बैंक के साथ एक पूरक एस्करो करार करने के हकदार होंगे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, खंड 4.1.1 के अनुसरण में उप-खातों से आहरण के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं और प्रलेखन के लिए, तथा इस करार के तहत कवर न किए गए मामलों के लिए प्रावधान होगा, जैसे कि वरिष्ठ ऋणदाताओं और अधीनस्थ ऋण के ऋणदाताओं के अधिकार और दायित्व, अधिशेष निधियों का निवेश, इस करार के उल्लंघन की स्थिति में या एस्करो चूक होने पर रियायतग्राही द्वारा आहरण पर प्रतिबंध, एस्करो खाते के संचालन और उससे आहरण से संबंधित प्रक्रियाएं, रिपोर्टिंग आवश्यकताएं और उससे संबंधित कोई भी मामला; बशर्ते कि ऐसे पूरक एस्करो करार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा जो इस करार के असंगत हो, और इस करार के प्रावधानों और ऐसे पूरक एस्करो करार के बीच किसी भी संघर्ष या विसंगति की स्थिति में, इस करार के प्रावधान प्रभावी होंगे।

9. क्षतिपूर्ति

9.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

9.1.1 रियायतग्राही द्वारा इस करार के तहत अपने किसी दायित्व के उल्लंघन के कारण या रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों और लागू अनुमतियों का पालन करने में विफलता के कारण होने वाली किसी भी हानि, क्षति, लागत और व्यय के लिए किसी भी और सभी कार्यवाहियों, कार्रवाइयों और तीसरे पक्ष के दावों से प्राधिकरण, एस्करो बैंक और ऋणदाता प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य कर रहे वरिष्ठ ऋणदाताओं को क्षतिपूर्ति करेगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें हानिरहित रखेगा।

9.1.2 प्राधिकरण द्वारा इस करार के तहत अपने किसी दायित्व को पूरा करने में विफलता से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि, क्षति, लागत और व्यय के लिए किसी भी और सभी कार्यवाहियों, कार्रवाइयों और तीसरे पक्ष के दावों से, जो रियायत करार या इस करार के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के निष्पादन को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, रियायतग्राही को क्षतिपूर्ति करेगा, उसका बचाव करेगा और उसे हानिरहित रखेगा; सिवाय प्राधिकरण, उसके अधिकारियों,

कर्मचारियों और एजेंटों द्वारा अपने वैध कार्यों के निर्वहन में किए गए कृत्यों से उत्पन्न होने वाली किसी हानि, क्षति, लागत और व्यय के।

- 9.1.3** एस्क्रो बैंक द्वारा इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि, क्षति, लागत और व्यय के लिए किसी भी और सभी कार्यवाहियों, कार्यवाइयों और तीसरे पक्ष के दावों से, जो रियायत करार के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के निष्पादन को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, रियायतग्राही को क्षतिपूरित करेगा, उसका बचाव करेगा और उसे हानिरहित रखेगा; सिवाय एस्क्रो बैंक, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों द्वारा अपने वैध कार्यों के निर्वहन में किए गए कृत्यों से उत्पन्न होने वाली किसी हानि, क्षति, लागत और व्यय के।

9.2 दावों की सूचना और विरोध

यदि इसके किसी पक्ष को किसी तीसरे पक्ष से ऐसा दावा प्राप्त होता है जिसके संबंध में वह खंड 9.1 के तहत क्षतिपूर्ति का लाभ पाने का हकदार है या जिसके संबंध में वह प्रतिपूर्ति का हकदार है ("क्षतिपूरित पक्ष"), तो वह इसके तहत ऐसे दावे की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार अन्य पक्ष ("क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष") को दावा प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर सूचित करेगा, और क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष के पूर्व अनुमोदन के बिना दावे का निपटान या भुगतान नहीं करेगा, जिस अनुमोदन को अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा। यदि क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष दावे का विरोध या विवाद करना चाहता है, तो वह क्षतिपूरित पक्ष के नाम से कार्यवाही कर सकता है और उसका विरोध करने में शामिल सभी खर्च वहन करेगा। क्षतिपूरित पक्ष किसी भी दावे का विरोध करने में पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेगा और ऐसे सभी दस्तावेजों और लिखतों पर हस्ताक्षर करेगा जिनकी क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष उचित रूप से अपेक्षा कर सकता है।

10. विवाद समाधान

10.1 विवाद समाधान

- 10.1.1** इस करार से उत्पन्न या इसके संबंध में कोई भी विवाद, मतभेद या दावा, जिसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जाता है, विवाद के प्रत्येक पक्ष के एक-एक नामित व्यक्ति से मिलकर बने मध्यस्थों के एक बोर्ड को नियुक्त करके मध्यस्थता के संदर्भ द्वारा अंतिम रूप से तय किया जाएगा, और जहां ऐसे नामितों की संख्या एक सम संख्या हो, वहां नामित व्यक्ति ऐसे बोर्ड में एक अन्य व्यक्ति का चुनाव करेंगे। ऐसी मध्यस्थता नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी, और समय-समय पर यथा-संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अधीन होगी।

- 10.1.2** मध्यस्थ एक तर्कसंगत अधिनिर्णय जारी करेंगे और ऐसा निर्णय पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान राज्य की राजधानी होगा और मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

11. विविध प्रावधान

11.1 शासन कानून और क्षेत्राधिकार

इस करार का अर्थ और विवेचन भारत के कानूनों के अनुसार किया जाएगा और यह भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा, और राज्य के न्यायालयों को इस करार से उत्पन्न या इससे संबंधित सभी मामलों पर क्षेत्राधिकार होगा।

11.2 सोवरेन इम्युनिटी से छूट

प्राधिकरण बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

- (क) सहमत होता है कि उसके द्वारा इस करार का निष्पादन, वितरण और निष्पादन व्यावसायिक प्रयोजन के लिए किए गए व्यावसायिक कृत्य हैं;
- (ख) सहमत होता है कि, यदि इस करार या इस करार द्वारा परिकल्पित किसी लेनदेन के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में उसके या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है, तो उसकी परिसंपत्तियों के संबंध में ऐसी कार्यवाहियों से प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से कोई उन्मुक्ति (चाहे संप्रभुता के कारण हो या अन्यथा) का दावा नहीं किया जाएगा;
- (ग) किसी भी क्षेत्राधिकार के तहत उन्मुक्ति के किसी भी अधिकार का अधित्यजन करता है जो उसके पास या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के पास अभी है, भविष्य में प्राप्त हो सकता है या जिसे उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है; तथा
- (घ) ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में किसी भी राहत देने या किसी भी प्रक्रिया को जारी करने के लिए उसके खिलाफ किसी भी निर्णय या अधिनिर्णय के प्रवर्तन के संबंध में सहमति देता है।

11.3 करारों की प्राथमिकता

रियायत करार और इस करार के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, रियायत करार में निहित प्रावधान इस करार पर प्रभावी होंगे।

11.4 शर्तों में परिवर्तन

इस करार में सभी परिवर्धन, संशोधन, रूपांतरण और भिन्नताएं तभी प्रभावी और बाध्यकारी होंगी जब वे लिखित रूप में हों और पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हों।

11.5 छूट

11.5.1 किसी भी पक्ष द्वारा इस करार के किसी प्रावधान या इसके तहत दायित्वों के पालन और निष्पादन में दूसरे पक्ष द्वारा की गई चूक का अधित्यजन:

- (क) इसके किसी अन्य या बाद की चूक या इस करार के तहत अन्य प्रावधानों या दायित्वों के अधित्यजन के रूप में संचालित या व्याख्यायित नहीं किया जाएगा;

(ख) तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह लिखित रूप में न हो और पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न किया गया हो; तथा

(ग) किसी भी तरह से इस करार की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा।

11.5.2 किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी अवसर पर इस करार के नियमों, शर्तों और प्रावधानों या इसके तहत किसी दायित्व के निष्पादन पर जोर देने में विफलता, और न ही किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई समय या अन्य छूट को ऐसे उल्लंघन का अधित्यजन या किसी रूपांतरण की स्वीकृति या इसके तहत ऐसे किसी अधिकार का परित्याग माना जाएगा।

11.6 कोई तीसरा पक्ष लाभार्थी नहीं

यह करार केवल पक्षों के लाभ के लिए है और किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इसके तहत कोई अधिकार नहीं होगा।

11.7 उत्तरजीविता

11.7.1 इस करार की समाप्ति:

(क) पक्षों को इसके तहत किसी भी ऐसे दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से इसके निष्कासन के बाद भी जीवित रहते हैं; तथा

(ख) किसी भी पक्ष के दायित्व को स्पष्ट रूप से सीमित करने वाले इस करार के किसी भी प्रावधान में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, ऐसे निष्कासन के प्रभावी होने से पहले या ऐसे निष्कासन से उत्पन्न होने वाले ऐसे पक्ष के कृत्यों या चूकों के कारण दूसरे पक्ष को हुए नुकसान या क्षति के लिए किसी भी दायित्व से किसी भी पक्ष को मुक्त नहीं करेगी।

11.7.2 इस करार के रद्दीकरण, समाप्ति या निष्कासन के बाद भी बने रहने वाले सभी दायित्व इस करार के ऐसे निष्कासन या समाप्ति की तारीख के बाद केवल 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए ही जीवित रहेंगे।

11.8 पृथक्करणीयता

यदि किसी भी कारण से, इस करार का कोई प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय है या हो जाता है या सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय द्वारा अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी, और पक्ष सद्भावपूर्वक बातचीत करेंगे।

11.9 उत्तराधिकारी और समनुदेशिती

यह करार पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों पर बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए लागू होगा।

11.10 सूचनाएं

इस करार के तहत दी जाने वाली या की जाने वाली सभी सूचनाएं या अन्य संचार लिखित रूप में होंगे और या तो व्यक्तिगत रूप से वितरित किए जाएंगे या कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाएंगे, जिसकी एक अतिरिक्त प्रति फैक्स या ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी। प्रत्येक पक्ष के लिए तामीली का पता, उसका फैक्स नंबर और ई-मेल पता इसके हस्ताक्षर पृष्ठों पर उसके नाम के तहत निर्धारित हैं।

11.11 भाषा

इस करार के तहत या इसके संबंध में सभी सूचनाएं, प्रमाण पत्र, पत्राचार और कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी।

11.12 अधिकृत प्रतिनिधि

प्रत्येक पक्ष, लिखित सूचना द्वारा, अपने संबंधित अधिकृत प्रतिनिधियों को नामित करेगा जिनके माध्यम से ही सभी संचार किए जाएंगे।

11.13 मूल दस्तावेज

यह करार चार प्रतियों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक, जब निष्पादित और वितरित की जाती है, तो इस करार का मूल रूप बनेगी।

जिसके साक्ष्य स्वरूप, पक्षकारों ने ऊपर सर्वप्रथम लिखित तिथि को इस करार को निष्पादित और वितरित किया है।

रियायतग्राही की सामान्य मुहर को [] को आयोजित अपनी बैठक में रियायतग्राही के निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में [] निदेशक की उपस्थिति में लगाया गया है, जिन्होंने इसके प्रतीक के रूप में इन उपस्थितियों पर हस्ताक्षर किए हैं और [] कंपनी सचिव / अधिकृत अधिकारी जिन्होंने इसके प्रतीक के रूप में प्रति-हस्ताक्षर किए हैं:

(हस्ताक्षर) (नाम) (पदनाम) (पता) (फैक्स सं.)

(ई-मेल पता)

वरिष्ठ ऋणदाताओं के लिए और उनकी ओर से ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा

हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित:

(हस्ताक्षर) (नाम) (पदनाम) (पता) (फैक्स सं.)

(ई-मेल पता)

प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठ ऋणदाताओं के लिए और उनकी ओर से
हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित:

(हस्ताक्षर) (नाम) (पदनाम) (पता) (फैक्स सं.)

(ई-मेल पता)

एस्क्रो बैंक द्वारा वरिष्ठ ऋणदाताओं के लिए और उनकी ओर से
हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित:

(हस्ताक्षर) (नाम) (पदनाम) (पता) (फैक्स सं.)

(ई-मेल पता)

निम्नलिखित की उपस्थिति में:

1.

2.

अनुसूची 'एन'
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का पैनल
(खंड 31.2.1 का संदर्भ लें)

1. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का पैनल

करार के खंड 31.2.1 के प्रावधानों के अनुसरण में, प्राधिकरण भारत में अपने पंजीकृत कार्यालय रखने वाली छह (6) चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्मों का एक पैनल नामित करेगा ("चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का पैनल")। ऐसा पैनल तैयार करने के मानदंड और इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस अनुसूची 'एन' में निर्धारित की जाएगी।

2. पैनल में शामिल करने के लिए आमंत्रण

2.1 प्राधिकरण चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की उन सभी प्रतिष्ठित फर्मों से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, अर्थात्:

- (क) फर्म ने कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013, जैसा भी मामला हो, के तहत पंजीकृत कम से कम एक सौ कंपनियों के वार्षिक खातों का वैधानिक लेखापरीक्षा किया हो, जिसमें उसका कोई पुनरिनियमन या संशोधन शामिल है, जिनमें से कम से कम दस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) होने चाहिए;
- (ख) फर्म के रोल पर कम से कम 5 (पांच) अभ्यास करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट होने चाहिए, जिनमें से प्रत्येक का पेशे में न्यूनतम 10 (दस) वर्ष का अनुभव हो;
- (ग) फर्म या उसके भागीदारों में से किसी को भी भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या काली सूची में न डाला गया हो; तथा
- (घ) फर्म का राज्य में या किसी निकटवर्ती राज्य में एक कार्यालय होना चाहिए, जिसमें ऐसे राज्य में उसके रोल पर कम से कम 2 (दो) अभ्यास करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट हों।

2.2 पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली इच्छुक फर्मों को अपने रोल पर सभी अभ्यास करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के बायो-डेटा सहित अपनी क्षमता का विवरण प्रस्तुत करना होगा। विशेष रूप से, प्रत्येक फर्म को रुपये 25,00,00,000 (पच्चीस करोड़ रुपये) से अधिक के वार्षिक टर्नओवर वाली उन सभी कंपनियों के नामों से संबंधित वर्ष-वार जानकारी प्रस्तुत करनी होगी, जिनके वार्षिक खातों का ऐसी फर्म द्वारा पूर्ववर्ती 5 (पांच) लेखा वर्षों में से किसी में भी ऑडिट किया गया था।

3. मूल्यांकन और चयन

3.1 प्रत्येक फर्म द्वारा प्रस्तुत जानकारी की प्राधिकरण द्वारा जांच और मूल्यांकन किया जाएगा और ऊपर पैरा 2.2 में निर्दिष्ट कंपनियों के प्रत्येक वार्षिक ऑडिट के लिए 1 (एक) अंक प्रदान किया जाएगा। (उदाहरण के तौर पर, जिस फर्म ने 5 (पांच) वर्षों के लिए ऐसी किसी कंपनी के वार्षिक खातों का ऑडिट किया है, उसे 5 (पांच) अंक दिए जाएंगे) ।

3.2 प्राधिकरण प्रत्येक ऐसी फर्म द्वारा प्राप्त अंकों के साथ सभी पात्र फर्मों की एक सूची तैयार करेगा और उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली 6 (छह) फर्मों की पहचान की जाएगी और उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के मसौदा पैनल में शामिल किया जाएगा।

4. रियायतग्राही के साथ परामर्श

प्राधिकरण संवीक्षा और टिप्पणियों के लिए फर्मों के पूर्वोक्त पैनल को रियायतग्राही को भेजेगा, यदि कोई हो। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण के प्रासंगिक अभिलेखों की जांच करने का हकदार होगा कि क्या फर्मों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है और वह पूर्वोक्त पैनल प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, भेजेगा।

5. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का पैनल

5.1 प्राधिकरण रियायतग्राही की टिप्पणियों, यदि कोई हो, सहित सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद, 6 (छह) फर्मों के एक पैनल को अंतिम रूप देगा और उसका गठन करेगा।

5.2 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पैनल को तैयार करने की तारीख से प्रत्येक 5 (पांच) वर्ष पूरे होने के बाद, या प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच सहमति के अनुसार ऐसी पूर्व अवधि के बाद, इस अनुसूची 'एन' के प्रावधानों के अनुसार एक नया पैनल तैयार किया जाएगा।

अनुसूची 'ओ' निहित प्रमाण पत्र

(खंड 36.4 का संदर्भ लें)

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा किया जा रहा है ("प्राधिकरण"), [उस राज्य का नाम जहां हवाई अड्डा स्थित है दर्ज करें] राज्य के [उस शहर का नाम जहां हवाई अड्डा स्थित है दर्ज करें] में स्थित हवाई अड्डे के लिए प्राधिकरण और [] ("रियायतग्राही") के बीच निष्पादित दिनांक [] के रियायत करार ("करार") का संदर्भ लेता है।
2. प्राधिकरण एतद्वारा इस आधार पर करार के अनुच्छेद 36 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं के रियायतग्राही द्वारा अनुपालन और पूर्ति को स्वीकार करता है कि इस निहित प्रमाण पत्र के जारी होने पर, यह माना जाएगा कि प्राधिकरण ने अधिग्रहण कर लिया है, तथा हवाई अड्डे में या उसके संबंध में रियायतग्राही के सभी स्वत्व एवं हित किसी भी प्रकार के भार, प्रभार और ग्रहणाधिकार से पूरी तरह मुक्त होकर प्राधिकरण में निहित हो गए हैं।
3. ऊपर इसमें इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, यह इस निहित प्रमाण पत्र की एक शर्त होगी कि इसमें निहित किसी भी बात का अर्थ रियायतग्राही के विनिवेश आवश्यकताओं में से किसी भी दोष या कमी को सुधारने और दूर करने के दायित्व से छूट प्राप्त करने और/या रियायतग्राही को किसी भी तरह से उससे मुक्त करने के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

दिनांक [] 201[] को हस्ताक्षरित ।

सहमत, स्वीकृत एवं हस्ताक्षरित:

हस्ताक्षरित, मुहरबंद एवं वितरित:

रियायतग्राही के लिए और उसकी ओर से:

प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से:

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

(नाम): _____

(नाम): _____

(पदनाम): _____

(पदनाम): _____

(पता): _____

(पता / Address): _____

निम्नलिखित की उपस्थिति में:

1. _____

2. _____

अनुसूची 'पी' प्रतिस्थापन करार

(खंड 38.3.1 देखें)

यह प्रतिस्थापन करार ("करार") आज दिनांक [] को [स्थान] पर निम्नलिखित के बीच निष्पादित किया गया:

पक्षकार:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निगमित निकाय है और जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय राजीव गांधी भवन, तीसरी मंजिल, सी-ब्लॉक, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003, भारत में स्थित है (इसके बाद इसे "प्राधिकरण" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे);

तथा

[], कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्या [] है और जिसका पंजीकृत कार्यालय [] पर स्थित है (इसके बाद इसे "रियायतग्राही" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिती और स्थानापन्न शामिल होंगे);

तथा

[ऋणदाता प्रतिनिधि का नाम और विवरण दर्ज करें] और जिसका पंजीकृत कार्यालय [] पर स्थित है, जो इस करार से उत्पन्न होने वाले या इसके संबंध में मामलों के संबंध में वरिष्ठ ऋणदाताओं के विधिवत अधिकृत एजेंट के रूप में उनके लिए और उनकी ओर से कार्य कर रहा है (इसके बाद इसे "ऋणदाता प्रतिनिधि" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे)।

जबकि:

- क. प्राधिकरण ने रियायत करार में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, [उस राज्य का नाम जहां हवाई अड्डा स्थित है दर्ज करें] राज्य के [उस शहर का नाम जहां हवाई अड्डा स्थित है दर्ज करें] में स्थित हवाई अड्डे के लिए रियायतग्राही के साथ दिनांक [] का एक रियायत करार ("रियायत करार") निष्पादित किया है, और जिसकी एक प्रति इसके साथ अनुलग्नक A के रूप में संलग्न है तथा इस करार का अभिन्न अंग है।
- ख. वरिष्ठ ऋणदाता वित्तीय करारों (Financing Agreements) में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए सहमत हुए हैं।

- ग. वरिष्ठ ऋणदाताओं ने इस करार और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार, किसी नामित कंपनी (Nominated Company) को रियायत के समनुदेशन (assignment), हस्तांतरण (transfer) और प्रतिस्थापन (substitution) के माध्यम से अपने हितों को सुरक्षित करने हेतु इस प्रतिस्थापन करार को निष्पादित करने के लिए प्राधिकरण से अनुरोध किया है।
- घ. परियोजना के प्रचालन, प्रबंधन और विकास सहित इसके कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए, प्राधिकरण इस करार और रियायत करार में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, रियायत को एक नामित कंपनी को हस्तांतरित और समनुदेशित करने के लिए सहमत हुआ है और वचनबद्ध हुआ है।

इसलिए, अब, पूर्वगामी और इस करार में निर्धारित संबंधित वचनों और समझौतों के प्रतिफल में, जिसकी प्राप्ति और पर्याप्तता को एतद्वारा स्वीकार किया जाता है, और कानूनी रूप से बाध्य होने के इरादे से, पक्षकार निम्नानुसार सहमत हैं:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस प्रतिस्थापन करार में, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, क्रमशः निम्नानुसार होगा:

"करार" से तात्पर्य इस प्रतिस्थापन करार और इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार किए गए किसी भी संशोधन से है;

"रियायत करार" का वही अर्थ होगा जो इसे प्रारंभिक कथन क में दिया गया है;

"वित्तीय चूक" से तात्पर्य वित्तीय करारों के नियमों और शर्तों के किसी तात्त्विक उल्लंघन का होना या रियायतग्राही द्वारा न्यूनतम 3 (तीन) महीने की अवधि के लिए ऋण सेवा में निरंतर चूक करना है;

"क्षतिपूरित पक्ष" का वही अर्थ होगा जो इसे नीचे खंड 7.2 में दिया गया है;

"क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष" का वही अर्थ होगा जो इसे नीचे खंड 7.2 में दिया गया है;

"ऋणदाता प्रतिनिधि" से तात्पर्य पूर्वगामी प्रारंभिक कथनों में ऋणदाता प्रतिनिधि के रूप में संदर्भित व्यक्ति से है;

"नामित कंपनी" से तात्पर्य वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा चयनित और इस करार में यथा-उपबंधित रियायत के समनुदेशन/हस्तांतरण के लिए प्राधिकरण को प्रस्तावित, कंपनी अधिनियम, 1956 (इसके किसी पुनरधिनियमन या संशोधन सहित) के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी से है;

"वित्तीय चूक की सूचना" का वही अर्थ होगा जो इसे खंड 3.2.1 में दिया गया है; तथा

"पक्षकार" से तात्पर्य सामूहिक रूप से इस करार के पक्षकारों से है, और "पक्ष" से तात्पर्य व्यक्तिगत रूप से इस करार के किसी भी पक्ष से होगा।

1.2 व्याख्या

- 1.2.1 ऋणदाता प्रतिनिधि के संदर्भों का अर्थ, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, वरिष्ठ ऋणदाताओं के लिए और उनकी ओर से कार्य करने वाले ऋणदाता प्रतिनिधि के संदर्भ होंगे।
- 1.2.2 खंडों के संदर्भ, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इस करार के खंडों के संदर्भ हैं।
- 1.2.3 बड़े अक्षरों से प्रारंभ होने वाले और इस करार में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें यहाँ दिया गया है, तथा इस करार में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं किंतु रियायत करार में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें रियायत करार में दिया गया है, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो।
- 1.2.4 रियायत करार के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में उल्लिखित विवेचन के नियम, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस करार पर लागू होंगे।

2. समनुदेशन

2.1 समनुदेशन

रियायतग्राही एतद्वारा वित्तीय करारों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा वित्तपोषण के संबंध में प्रतिभूति के रूप में, इस करार और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसरण में और उनके अनुसार, रियायत में अपने अधिकारों, स्वत्वों और हितों को ऋणदाता प्रतिनिधि के पक्ष में समनुदेशित करने के लिए सहमत होता है।

3. रियायतग्राही का प्रतिस्थापन

3.1 प्रतिस्थापन के अधिकार

- 3.1.1 खंड 2.1 के तहत समनुदेशित अधिकारों, स्वत्वों और हितों के अनुसरण में, ऋणदाता प्रतिनिधि इस करार और रियायत करार के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित नामित कंपनी द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने का हकदार होगा।
- 3.1.2 प्राधिकरण एतद्वारा इस करार के अनुसार ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा चयनित नामित कंपनी के पक्ष में रियायत करार पर पृष्ठांकन करके रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के लिए सहमत होता है। वरिष्ठ ऋणदाता या ऋणदाता प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से रियायतग्राही के रूप में हवाई अड्डे का प्रचालन और रखरखाव करने के हकदार नहीं होंगे।
- 3.1.3 इस करार या रियायत करार में अन्यत्र इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, पक्षकार एतद्वारा सहमत होते हैं कि यदि ऋणदाता प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य कर रहे वरिष्ठ ऋणदाता इस करार

की शर्तों के अनुसार किसी भी नामित कंपनी के साथ रियायतग्राही की पहचान करने या उसे प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं हैं, तो प्राधिकरण को इस प्रकार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने का अधिकार होगा कि इस करार के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण ही 'नामित कंपनी' होगा, और नामित कंपनी के किसी भी संदर्भ का अर्थ प्राधिकरण होगा तथा प्रतिस्थापन करार के अन्य सभी नियमों और शर्तों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

3.2 वित्तीय चूक होने पर प्रतिस्थापन

- 3.2.1** ऊपर खंड 2.1 के प्रावधानों के अधीन, किसी वित्तीय चूक के घटित होने पर, ऋणदाता प्रतिनिधि रियायतग्राही को उसके विवरण सहित एक नोटिस ("**वित्तीय चूक की सूचना**") जारी कर सकता है, और प्राधिकरण को उसकी सूचना एवं रिकॉर्ड के लिए एक प्रति भेज सकता है। इस खंड 3.2 के तहत वित्तीय चूक की सूचना ऐसी वित्तीय चूक का निर्णायक साक्ष्य होगी और यह इस करार के प्रयोजनों के लिए रियायतग्राही पर अंतिम और बाध्यकारी होगी।
- 3.2.2** इसके तहत वित्तीय चूक की सूचना जारी होने पर, ऋणदाता प्रतिनिधि, इस करार या वित्तीय करारों के तहत अपने किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस करार के प्रावधानों के अनुसार एक नामित कंपनी द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित कर सकता है।
- 3.2.3** ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा वित्तीय चूक की सूचना जारी करने के बाद किसी भी समय, वह नोटिस द्वारा प्राधिकरण से रियायतग्राही के सभी अधिकारों को निलंबित करने और रियायत करार के अनुच्छेद 34 के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के प्रचालन और रखरखाव को अपने हाथ में लेने की अपेक्षा कर सकता है, और ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर, प्राधिकरण रियायत करार के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार निलंबन करेगा। किसी नामित कंपनी द्वारा प्रतिस्थापन होने पर निलंबन रद्द कर दिया जाएगा, और यदि ऐसा प्रतिस्थापन ऐसे निलंबन की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर पूरा नहीं होता है, तो प्राधिकरण रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार निष्कासन नोटिस जारी करके रियायत करार को तत्काल समाप्त कर सकता है; बशर्ते कि ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की पूर्वोक्त अवधि को 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकता है। प्राधिकरण स्पष्ट रूप से सहमत होता है और वचन देता है कि इसके तहत निलंबन की तारीख से 270 (दो सौ सत्तर) दिनों के बाद किसी भी समय ऋणदाता प्रतिनिधि से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर वह रियायत करार को तत्काल समाप्त कर देगा।

3.3 रियायतग्राही की चूक होने पर प्रतिस्थापन

- 3.3.1** ऊपर खंड 2.1 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही की चूक होने पर, प्राधिकरण एक नोटिस द्वारा ऋणदाता प्रतिनिधि को निष्कासन नोटिस जारी करने के अपने इरादे की सूचना देगा और ऋणदाता प्रतिनिधि को किसी नामित कंपनी द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के इरादे का उल्लेख करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय प्रदान करेगा।

3.3.2 यदि ऋणदाता प्रतिनिधि खंड 3.3.1 में विनिर्दिष्ट 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकरण को यह बताते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है कि वह किसी नामित कंपनी द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने का इरादा रखता है, तो ऋणदाता प्रतिनिधि ऐसे अभ्यावेदन की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि के भीतर इस करार के प्रावधानों के अनुसार एक नामित कंपनी द्वारा रियायतग्राही के प्रतिस्थापन को शुरू करने और पूरा करने का हकदार होगा, और प्राधिकरण 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की पूर्वोक्त अवधि के लिए या तो निष्कासन को रोके रखेगा या निलंबन करेगा; बशर्ते कि ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की पूर्वोक्त अवधि को 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाएगा; बशर्ते यह भी कि ऋणदाता प्रतिनिधि किसी भी समय इसके तहत अपने अभ्यावेदन को वापस ले सकता है, और ऐसे वापस लेने पर रियायत करार इसके प्रावधानों के अनुसार समाप्त किया जा सकता है।

3.4 प्रतिस्थापन की प्रक्रिया

3.4.1 प्राधिकरण और रियायतग्राही एतद्वारा सहमत होते हैं कि वित्तीय चूक की सूचना की तिथि को या उसके बाद, अथवा यथास्थिति खंड 3.3.2 के तहत प्राधिकरण को अभ्यावेदन की तिथि को या उसके बाद, ऋणदाता प्रतिनिधि वरिष्ठ ऋणदाताओं के किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायत करार के तहत प्राधिकरण के प्रति और वित्तीय करारों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रति रियायतग्राही के दायित्वों और देनदारियों को नामित कंपनी द्वारा ग्रहण किए जाने पर, नामित कंपनी को रियायत सहित हवाई अड्डे के अधिग्रहण और हस्तांतरण के लिए निजी बातचीत या सार्वजनिक नीलामी या निविदाओं द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित कर सकता है, बातचीत कर सकता है और प्रस्ताव प्राप्त कर सकता है।

3.4.2 रियायतग्राही के स्थान पर प्रतिस्थापन के लिए पात्र होने हेतु, नामित कंपनी को उन पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होगा जो रियायत के आवंटन के लिए बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट करने हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए थे; बशर्ते कि ऋणदाता प्रतिनिधि प्राधिकरण को यह अभ्यावेदन दे सकता है कि परियोजना के हित में ऐसे सभी या किसी भी मानदंड में छूट दी जा सकती है, और यदि प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि ऐसी छूट का परियोजना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वह ऐसे सभी या किन्हीं पात्रता मानदंडों में छूट दे सकता है।

3.4.3 नामित कंपनी के चयन पर, ऋणदाता प्रतिनिधि प्राधिकरण से अनुरोध करेगा कि वह:

- (क) रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के अधिकार को नामित कंपनी को हस्तांतरित करने की सहमति दे;
- (ख) अवशिष्ट विकास अवधि या रियायत अवधि के लिए उन्हीं नियमों और शर्तों पर नामित कंपनी को रियायत पृष्ठांकित एवं हस्तांतरित करे; तथा

(ग) ऋणदाता प्रतिनिधि और नामित कंपनी के साथ उन्हीं शर्तों पर एक प्रतिस्थापन करार निष्पादित करे जो इस करार में निहित हैं।

3.4.4 यदि प्राधिकरण को इस करार के अनुसार नामित कंपनी के पक्ष में रियायत के हस्तांतरण पर कोई आपत्ति है, तो वह ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा दिए गए प्रस्ताव की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर ऋणदाता प्रतिनिधि की सुनवाई के बाद एक तर्कसंगत आदेश देगा। यदि प्राधिकरण द्वारा ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है, तो नामित कंपनी को स्वीकृत माना जाएगा। इसके बाद प्राधिकरण नामित कंपनी की स्वीकृति/मानी गई स्वीकृति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर रियायत को हस्तांतरित और पृष्ठांकित करेगा; बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी आपत्ति की स्थिति में, ऋणदाता प्रतिनिधि किसी अन्य नामित कंपनी का प्रस्ताव कर सकता है, जिसके बाद रियायतग्राही के स्थान पर ऐसी नामित कंपनी के प्रतिस्थापन के लिए इस खंड 3.4 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

3.4.5 नामित कंपनी को इसके तहत रियायत का हस्तांतरण, इस करार और रियायत करार में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, रियायतग्राही की इक्विटी का कम से कम 74% (चौहत्तर प्रतिशत) नामित कंपनी को हस्तांतरित करके किया जा सकता है, और इसके तहत ऐसे हस्तांतरण पर, रियायतग्राही को इस करार और रियायत करार के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार नामित कंपनी माना जाएगा।

3.5 चयन का बाध्यकारी होना

नामित कंपनी के चयन में ऋणदाता प्रतिनिधि और प्राधिकरण का निर्णय रियायतग्राही पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। रियायतग्राही इस करार के अनुसरण में की गई ऋणदाता प्रतिनिधि या वरिष्ठ ऋणदाताओं या प्राधिकरण की कार्रवाइयों को चुनौती देने के किसी भी अधिकार का अपरिवर्तनीय रूप से त्याग करता है, जिसमें नामित कंपनी के पक्ष में रियायत का हस्तांतरण/समनुदेशन भी शामिल है। रियायतग्राही सहमत होता है और पुष्टि करता है कि उसे परियोजना की परिसंपत्तियों या रियायतग्राही के शेयरों के पुनर्मूल्यांकन की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पक्षकारों द्वारा एतद्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि ऋणदाता प्रतिनिधि के अधिकार अपरिवर्तनीय हैं और किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष किसी भी कार्यवाही में उनका विरोध नहीं किया जाएगा और रियायतग्राही के पास प्राधिकरण या ऋणदाता प्रतिनिधि को ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध किए गए अनुसार प्रतिस्थापन और पृष्ठांकन द्वारा हस्तांतरण को प्रभावी करने या कराने से रोकने, बाधित करने या प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार या उपचार नहीं होगा।

4. परियोजना करार

4.1 परियोजना करारों में नामित कंपनी का प्रतिस्थापन

रियायतग्राही यह सुनिश्चित और प्रबंध करेगा कि प्रत्येक परियोजना करार में ऐसे प्रावधान शामिल हों जो नामित कंपनी द्वारा रियायत करार के तहत रियायतग्राही के दायित्वों और देनदारियों को ग्रहण करने की स्थिति में रियायतग्राही के स्थान पर और प्रतिस्थापन में ऐसे परियोजना करार में प्रवेश करने के हकदार बनाते हैं।

5. रियायत करार की समाप्ति

5.1 वित्तीय चूक होने पर निष्कासन

वित्तीय चूक की सूचना जारी होने के बाद किसी भी समय, ऋणदाता प्रतिनिधि लिखित नोटिस द्वारा प्राधिकरण से रियायत करार को तत्काल समाप्त करने की अपेक्षा कर सकता है, और ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर, प्राधिकरण रियायत करार के अनुच्छेद 34 के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार निष्कासन करेगा।

5.2 किसी नामित कंपनी का चयन न होने पर निष्कासन

यदि खंड 3.3.2 में निर्धारित 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि या उसके किसी विस्तार के भीतर ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा प्राधिकरण को स्वीकार्य किसी भी नामित कंपनी का चयन और सिफारिश नहीं की जाती है, तो प्राधिकरण रियायत करार को उसके प्रावधानों के अनुसार तत्काल समाप्त कर सकता है।

5.3 राशियों की वसूली

प्राधिकरण और रियायतग्राही एतद्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि, उनके किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणदाता प्रतिनिधि रियायतग्राही के किसी अन्य संदर्भ या सहमति के बिना, रियायत करार के निष्कासन पर वरिष्ठ ऋणदाताओं को देय राशियों को रियायतग्राही से प्राप्त करने का हकदार है।

6. करार की अवधि

6.1 करार की अवधि

यह करार इसके निष्पादन की तिथि से लागू होगा और निम्नलिखित में से जो भी घटना पहले घटित हो, समाप्त हो जाएगा:

(क) करार का निष्कासन; अथवा

(ख) वित्तीय करारों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं को कोई राशि अग्रिम की जानी शेष न हो और कोई राशि बकाया न हो।

7. क्षतिपूर्ति

7.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

- 7.1.1** रियायतग्राही द्वारा इस करार के तहत अपने किसी दायित्व के उल्लंघन के कारण या रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों और लागू अनुमतियों का पालन करने में विफलता के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की और किसी भी प्रकृति की हानि, क्षति, लागत और व्यय के लिए किसी भी और सभी कार्यवाहियों, कार्रवाइयों और तीसरे पक्ष के दावों से प्राधिकरण और ऋणदाता प्रतिनिधि को क्षतिपूर्ति करेगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें हानिरहित रखेगा।
- 7.1.2** प्राधिकरण द्वारा इस करार के तहत अपने किसी दायित्व को पूरा करने में विफलता से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि, क्षति, लागत और व्यय के लिए किसी भी और सभी कार्यवाहियों, कार्रवाइयों और तीसरे पक्ष के दावों से, जो रियायत करार या इस करार के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के निष्पादन को तात्त्विक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, रियायतग्राही को क्षतिपूर्ति करेगा, उसका बचाव करेगा और उसे हानिरहित रखेगा; सिवाय प्राधिकरण, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों द्वारा अपने वैध कार्यों के निर्वहन में किए गए कृत्यों से उत्पन्न होने वाली किसी हानि, क्षति, लागत और व्यय के।
- 7.1.3** ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि, क्षति, लागत और व्यय के लिए किसी भी और सभी कार्यवाहियों, कार्रवाइयों और तीसरे पक्ष के दावों से, जो रियायत करार के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के निष्पादन को तात्त्विक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, रियायतग्राही को क्षतिपूर्ति करेगा, उसका बचाव करेगा और उसे हानिरहित रखेगा; सिवाय ऋणदाता प्रतिनिधि, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों द्वारा अपने वैध कार्यों के निर्वहन में किए गए कृत्यों से उत्पन्न होने वाली किसी हानि, क्षति, लागत और व्यय के।

7.2 दावों की सूचना और विरोध

यदि इसके किसी पक्ष को किसी तीसरे पक्ष से ऐसा दावा प्राप्त होता है जिसके संबंध में वह खंड 7.1 के तहत क्षतिपूर्ति का लाभ पाने का हकदार है या जिसके संबंध में वह प्रतिपूर्ति का हकदार है ("क्षतिपूर्ति पक्ष"), तो वह इसके तहत ऐसे दावे की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार अन्य पक्ष ("क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष") को दावा प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर सूचित करेगा और क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष के पूर्व अनुमोदन के बिना दावे का निपटान या भुगतान नहीं करेगा, जिस अनुमोदन को अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा। यदि क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष दावे का विरोध या विवाद करना चाहता है, तो वह क्षतिपूर्ति पक्ष के नाम से कार्यवाही कर सकता है और उसका विरोध करने में शामिल सभी खर्च वहन करेगा। क्षतिपूर्ति पक्ष किसी भी दावे का विरोध करने में पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेगा और ऐसे सभी दस्तावेजों और लिखतों पर हस्ताक्षर करेगा जिनकी क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष उचित रूप से अपेक्षा कर सकता है।

8. विवाद समाधान

8.1 विवाद समाधान

- 8.1.1 इस करार से उत्पन्न या इसके संबंध में कोई भी विवाद, मतभेद या दावा, जिसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जाता है, प्राधिकरण, रियायतग्राही और ऋणदाता प्रतिनिधि के एक-एक नामित व्यक्ति से मिलकर बने मध्यस्थों के एक बोर्ड के माध्यम से मध्यस्थता के संदर्भ द्वारा तय किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी, और समय-समय पर यथा-संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अधीन होगी।
- 8.1.2 मध्यस्थ एक तर्कसंगत अधिनिर्णय जारी करेंगे और ऐसा निर्णय पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान राज्य की राजधानी होगा और मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

9. विविध प्रावधान

9.1 शासन कानून और क्षेत्राधिकार

इस करार का अर्थ और विवेचन भारत के कानूनों के अनुसार किया जाएगा और यह भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा, और राज्य के न्यायालयों को इस करार से उत्पन्न या इससे संबंधित सभी मामलों पर क्षेत्राधिकार होगा।

9.2 सोवरेन इम्यूनिटी से छूट

प्राधिकरण बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

- (क) सहमत होता है कि उसके द्वारा इस करार का निष्पादन, वितरण और निष्पादन व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए किए गए व्यावसायिक कृत्य हैं;
- (ख) सहमत होता है कि, यदि इस करार या इस करार द्वारा परिकल्पित किसी लेनदेन के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में उसके या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है, तो उसकी परिसंपत्तियों के संबंध में ऐसी कार्यवाहियों से प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से कोई उन्मुक्ति (चाहे संप्रभुता के कारण हो या अन्यथा) का दावा नहीं किया जाएगा;
- (ग) किसी भी क्षेत्राधिकार में उन्मुक्ति के किसी भी अधिकार का अधित्यजन करता है जो उसके पास या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के पास अभी है या भविष्य में प्राप्त हो सकता है या जिसे उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है; तथा
- (घ) ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में किसी भी राहत देने या किसी भी प्रक्रिया को जारी करने के लिए उसके खिलाफ किसी भी निर्णय या अधिनिर्णय के प्रवर्तन के संबंध में सामान्य रूप से सहमति देता है।

9.3 करारों की प्राथमिकता

रियायत करार और इस करार के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, रियायत करार में निहित प्रावधान इस करार पर प्रभावी होंगे।

9.4 शर्तों में परिवर्तन

इस करार में सभी परिवर्धन, संशोधन, रूपांतरण और भिन्नताएं तभी प्रभावी और बाध्यकारी होंगी जब वे लिखित रूप में हों और पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हों।

9.5 छूट

9.5.1 किसी भी पक्ष द्वारा इस करार के किसी प्रावधान या इसके तहत दायित्वों के पालन और निष्पादन में दूसरे पक्ष द्वारा की गई चूक का छूट:

(क) इसके किसी अन्य या बाद की चूक या इस करार के तहत अन्य प्रावधानों या दायित्वों के छूट के रूप में संचालित या व्याख्यायित नहीं किया जाएगा;

(ख) तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह लिखित रूप में न हो और पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न किया गया हो; तथा

(ग) किसी भी तरह से इस करार की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा।

9.5.2 किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी अवसर पर इस करार के नियमों, शर्तों और प्रावधानों या इसके तहत किसी दायित्व के निष्पादन पर जोर देने में विफलता, और न ही किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई समय या अन्य छूट को ऐसे उल्लंघन का अधित्यजन या किसी रूपांतरण की स्वीकृति या इसके तहत ऐसे किसी अधिकार का परित्याग माना जाएगा।

9.6 कोई तीसरा पक्ष लाभार्थी नहीं

यह करार केवल पक्षों के लाभ के लिए है और किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इसके तहत कोई अधिकार नहीं होगा।

9.7 उत्तरजीविता

9.7.1 इस करार की समाप्ति:

(क) पक्षों को इसके तहत किसी भी ऐसे दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से इसके निष्कासन के बाद भी जीवित रहते हैं; तथा

(ख) किसी भी पक्ष के दायित्व को स्पष्ट रूप से सीमित करने वाले इस करार के किसी भी प्रावधान में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, ऐसे निष्कासन के प्रभावी होने से पहले या ऐसे निष्कासन से उत्पन्न होने वाले ऐसे पक्ष के कृत्यों या चूकों के कारण दूसरे पक्ष को हुए नुकसान या क्षति के लिए किसी भी दायित्व से किसी भी पक्ष को मुक्त नहीं करेगी।

9.7.2 इस करार के रद्दीकरण, समाप्ति या निष्कासन के बाद भी बने रहने वाले सभी दायित्व इस करार के ऐसे निष्कासन या समाप्ति की तारीख के बाद केवल 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए ही जीवित रहेंगे।

9.8 पृथक्करणीयता

यदि किसी भी कारण से, इस करार का कोई प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय है या हो जाता है या सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय द्वारा अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी, और पक्ष सद्भावपूर्वक बातचीत करेंगे ताकि ऐसे अमान्य, अप्रवर्तनीय या अवैध प्रावधानों के स्थान पर एक या अधिक ऐसे प्रावधानों पर सहमति बन सके जो यथासंभव उसके निकटतम हों।

9.9 उत्तराधिकारी और समनुदेशिती

यह करार पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों पर बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए लागू होगा।

9.10 सूचनाएं

इस करार के तहत दी जाने वाली या की जाने वाली सभी सूचनाएं या अन्य संचार लिखित रूप में होंगे और या तो व्यक्तिगत रूप से वितरित किए जाएंगे या कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाएंगे, जिसकी एक अतिरिक्त प्रति फैक्स या ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी। प्रत्येक पक्ष के लिए तामीली का पता, उसका फैक्स नंबर और ई-मेल पता इसके हस्ताक्षर पृष्ठों पर उसके नाम के तहत निर्धारित हैं। एक सूचना उसकी वास्तविक प्राप्ति पर प्रभावी होगी, सिवाय इसके कि जहां यह किसी भी दिन शाम 5.30 (साढ़े पांच) बजे के बाद प्राप्त होती है, या ऐसे दिन प्राप्त होती है जो सार्वजनिक अवकाश है, तो सूचना को वास्तविक प्राप्ति की तारीख के बाद पहले कार्य दिवस पर प्राप्त माना जाएगा। पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, फैक्स या ई-मेल द्वारा सूचना या संचार देने या करने वाला पक्ष तुरंत उसकी एक प्रति व्यक्तिगत रूप से वितरित करेगा, या कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा ऐसे नोटिस या संचार के प्राप्तकर्ता को भेजेगा। एतद्वारा यह सहमति और स्वीकार किया जाता है कि कोई भी पक्ष नोटिस द्वारा उस पते को बदल सकता है जिस पर उसे ऐसे नोटिस और संचार वितरित या डाक द्वारा भेजे जाने हैं। ऐसा परिवर्तन तब प्रभावी होगा जब सभी पक्षों को इसकी सूचना मिल जाएगी।

9.11 भाषा

इस करार के तहत या इसके संबंध में सभी सूचनाएं, प्रमाण पत्र, पत्राचार और कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी।

9.12 अधिकृत प्रतिनिधि

प्रत्येक पक्ष, लिखित सूचना द्वारा, अपने संबंधित अधिकृत प्रतिनिधियों को नामित करेगा जिनके माध्यम से ही सभी संचार किए जाएंगे। इसके किसी पक्ष को इसी प्रकार के नोटिस द्वारा ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि को हटाने और/या प्रतिस्थापित करने या नई नियुक्ति करने का अधिकार होगा।

9.13 मूल दस्तावेज

यह करार तीन प्रतियों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक, जब निष्पादित और वितरित की जाती है, तो इस करार का मूल रूप बनेगी।

जिसके साक्ष्य स्वरूप, पक्षकारों ने ऊपर सर्वप्रथम लिखित तिथि को इस करार को निष्पादित और वितरित किया है।

रियायतग्राही की सामान्य मुहर को [] 201[] को आयोजित अपनी बैठक में रियायतग्राही के निदेशकों द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में [] निदेशक की उपस्थिति में लगाया गया है, जिन्होंने इसके प्रतीक के रूप में इन उपस्थितियों पर हस्ताक्षर किए हैं और [] कंपनी सचिव / अधिकृत अधिकारी जिन्होंने इसके प्रतीक के रूप में प्रति-हस्ताक्षर किए हैं:

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(पता)

(फैक्स सं.)

(ई-मेल पता)

प्राधिकरण के बोर्ड के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद एवं वितरित:

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(पता)

(फैक्स सं.)

(ई-मेल पता)

वरिष्ठ ऋणदाताओं के लिए और उनकी ओर से ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा

हस्ताक्षरित, मुहरबंद एवं वितरित:

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(पता)

(फैक्स सं.)

(ई-मेल पता)

निम्नलिखित की उपस्थिति में:

1. _____

2. _____

अनुसूची 'क्यू'
सीएनएस/एटीएम करार

(खंड 20.2.1 का संदर्भ लें)

विषय-सूची

अनुच्छेद / अनुसूची	विवरण	पृष्ठ
अनुच्छेद 1.	परिभाषाएं और विवेचन	2
अनुच्छेद 2.	वैधता और अवधि	4
अनुच्छेद 3.	अभ्यावेदन और आश्वासन	5
अनुच्छेद 4.	प्राधिकरण के दायित्व	5
अनुच्छेद 5.	रियायतग्राही के दायित्व	7
अनुच्छेद 6.	सुविधाओं और उपकरणों का विकास एवं विस्तार	8
अनुच्छेद 7.	संयुक्त समन्वय समिति	11
अनुच्छेद 8.	राजस्व और प्रभार	11
अनुच्छेद 9.	क्षतिपूर्ति	12
अनुच्छेद 10.	दायित्व	12
अनुच्छेद 11.	अप्रत्याशित घटना	12
अनुच्छेद 12.	निष्कासन	14
अनुच्छेद 13.	समनुदेशन	15
अनुच्छेद 14.	विवाद समाधान	16
अनुच्छेद 15.	बीमा	17
अनुच्छेद 16.	सूचनाएं	17
अनुच्छेद 17.	मानी गई सुपुर्दगी	18

अनुच्छेद 18.	विविध	18
अनुच्छेद 19.	शासन कानून	20
अनुच्छेद 20.	भाविप्रा द्वारा प्रसंविदाएं	20
अनुसूची 1.	भाविप्रा उपकरण और रियायतग्राही उपकरण	22
अनुसूची 2.	सीएनएस/एटीएम सेवाएं	23
अनुसूची 3.	कार्यालय और सुविधाएं	24
अनुसूची 4.	पृथक किए गए क्षेत्र	25
अनुसूची 5.	मौजूदा उपकरणों की सूची	26
अनुसूची 6.	हवाई अड्डे पर सीएनएस-एटीएम उपकरणों का भावी रोडमैप	27

लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने हेतु यह करार (यह "करार") आज दिनांक [] 2019 को [स्थान] पर निम्नलिखित के बीच निष्पादित किया गया:

पक्षकार:

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 ("अधिनियम") के तहत स्थापित है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है और जिसका प्रधान कार्यालय राजीव गांधी भवन, तीसरी मंजिल, सी-ब्लॉक, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003, भारत में स्थित है (इसके बाद इसे "प्राधिकरण" या "भाविप्रा" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे) - प्रथम पक्षकार; तथा
2. [], भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय [] पर स्थित है (इसके बाद इसे "रियायतग्राही" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिनी और स्थानापन्न शामिल होंगे) - दूसरा पक्षकार।

"भाविप्रा" और "रियायतग्राही" अभिव्यक्तियों का, जहाँ भी संदर्भ से अपेक्षित हो, अर्थ और समावेशन उनके संबंधित हित-उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों से होगा और उन्हें सामूहिक रूप से "पक्षकार" तथा व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा जाएगा।

जबकि:

- (क) रियायतग्राही ने असम राज्य में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए प्राधिकरण के साथ एक रियायत करार (यथा-नीचे परिभाषित) निष्पादित किया है।
- (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अनुसरण में, भाविप्रा भारतीय वायुक्षेत्र के भीतर और भारत के सभी सिविल हवाई अड्डों (सिविल विमानक्षेत्रों) पर वायु यातायात सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।
- (ग) उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार, भाविप्रा इस करार में निर्धारित नियमों और शर्तों पर हवाई अड्डे (यथा-नीचे परिभाषित) पर सेवाएं प्रदान करेगा।

इसलिए, अब, पूर्वगामी और इस करार में निर्धारित संबंधित प्रसंविदाओं और करारों के प्रतिफल में, जिसकी प्राप्ति और पर्याप्तता को एतद्वारा स्वीकार किया जाता है, और कानूनी रूप से बाध्य होने के इरादे से, पक्षकार निम्नानुसार सहमत हैं:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस करार में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

"भाविप्रा विकास उपकरण" का वही अर्थ होगा जो इसे खंड 6.4 में दिया गया है;

"भाविप्रा उपकरण" से तात्पर्य रियायतग्राही उपकरण के अलावा उन सभी उपकरणों और सुविधाओं से है, जो भाविप्रा को इस करार और प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों के अनुसार भाविप्रा सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए भाविप्रा द्वारा अपेक्षित हैं, और संदर्भ के अनुसार इसमें भाविप्रा विकास उपकरण भी शामिल होंगे;

"भाविप्रा सेवाएं" से तात्पर्य इस करार के तहत प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली और खंड 5.1 में निर्धारित सेवाओं से है;

"ऐरा" से तात्पर्य ऐरा अधिनियम के तहत स्थापित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण से है, और इसमें लागू कानूनों के अनुसार कोई भी उत्तराधिकारी संस्था शामिल होगी;

"प्रभावित पक्ष" का वही अर्थ होगा जो इसे खंड 11.1 में दिया गया है;

"संबद्ध संस्था" का वही अर्थ होगा जो इसे रियायत करार में दिया गया है;

"एयरफ़ील्ड प्रकाश प्रणाली" से तात्पर्य प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों के अनुसार प्रस्तावित विमान प्रचालनों के लिए आवश्यक धावनमार्ग (रनवे), टैक्सीवे, एप्रन और पहुंच के संबंध में हवाई अड्डे पर प्रकाश प्रणालियों से है;

"हवाई अड्डा" का वही अर्थ होगा जो इसे रियायत करार में दिया गया है;

"सीओडी" का वही अर्थ होगा जो इसे रियायत करार में दिया गया है (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि);

"शिकागो अभिसमय" का वही अर्थ होगा जो इसे रियायत करार में दिया गया है;

"सीएनएस/एटीएम प्रभार" का वही अर्थ होगा जो इसे खंड 8.1 में दिया गया है;

"सीएनएस/एटीएम उपकरण" से तात्पर्य सीएनएस/एटीएम सेवाओं के निष्पादन के लिए भाविप्रा द्वारा अपेक्षित सभी उपकरणों और सुविधाओं से है और इसमें रियायतग्राही उपकरण और भाविप्रा उपकरण शामिल हैं;

"सीएनएस/एटीएम सेवाएं" से तात्पर्य संचार, दिक्चालन और निगरानी, तथा हवाई अड्डे पर भाविप्रा द्वारा प्रदान की जाने वाली वायु यातायात प्रबंधन सेवाओं से है, जैसा कि इस करार और अनुसूची 2 में अधिक विस्तार से वर्णित है;

"रियायत करार" से तात्पर्य प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच निष्पादित दिनांक [] का रियायत करार है;

"रियायतग्राही उपकरण" से तात्पर्य अनुसूची 1 के भाग 1 में निर्धारित रियायतग्राही के उपकरणों और सुविधाओं से है, और संदर्भ के अनुसार इसमें रियायतग्राही विकास उपकरण भी शामिल होंगे;

"रियायतग्राही विकास उपकरण" का वही अर्थ होगा जो इसे खंड 6.3.1 में दिया गया है;

"डीजीसीए" से तात्पर्य नागर विमानन महानिदेशालय या उसके किसी स्थानापन्न से होगा;

"विवाद" का वही अर्थ होगा जो इसे खंड 14.1 में दिया गया है;

"विस्तार" से तात्पर्य रियायत करार के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार से है;

"अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना" का वही अर्थ होगा जो इसे खंड 6.2.1 में दिया गया है;

"उड़ान सूचना क्षेत्र" से तात्पर्य परिभाषित आयामों के एक ऐसे वायुक्षेत्र से है जिसके भीतर उड़ान सूचना सेवा और चेतावनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं;

"अप्रत्याशित घटना" का वही अर्थ होगा जो इसे खंड 11.2 में दिया गया है;

"भारत सरकार" से तात्पर्य भारत सरकार और नागर विमानन मंत्रालय के सीधे नियंत्रण और निर्देशन के तहत उसकी कोई भी विधिवत अधिकृत एजेंसी, प्राधिकरण (किसी भी नियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निरीक्षणालय, मंत्रालय या सांविधिक निकाय (चाहे स्वायत्त हो या नहीं) से है;

"घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया" से तात्पर्य घटनाओं और आपात स्थितियों की रिपोर्टिंग के लिए भाविप्रा और रियायतग्राही के बीच समय-समय पर सहमत होने वाली प्रक्रिया से है, जो प्रक्रिया प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार होगी तथा समग्र वायुक्षेत्र प्रबंधन और उस संबंधित उड़ान सूचना क्षेत्र (FIR) में रक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी जिसमें हवाई अड्डा स्थित है;

"क्षतिपूरित पक्ष" का वही अर्थ होगा जो इसे खंड 9.2 में दिया गया है;

"क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष" का वही अर्थ होगा जो इसे खंड 9.2 में दिया गया है;

"जेसीसी" से तात्पर्य खंड 7.1 में परिभाषित संयुक्त समन्वय समिति से है;

"प्रचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया" से तात्पर्य भाविप्रा सेवाओं और रियायतग्राही के दायित्वों के दिन-प्रतिदिन के निर्वहन के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के लिए भाविप्रा और रियायतग्राही के बीच समय-समय पर सहमत होने वाली प्रक्रिया से है, जो प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार होगी तथा समग्र वायुक्षेत्र प्रबंधन और प्रासंगिक उड़ान सूचना क्षेत्र में रक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी;

"प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना" का वही अर्थ होगा जो इसे खंड 6.1.2 में दिया गया है;

"परियोजना" का वही अर्थ होगा जो इसे रियायत करार में दिया गया है;

"मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभार" से तात्पर्य लागू कानूनों के अनुसार मार्ग दिक्चालन सुविधाएं प्रदान करने के लिए एयरलाइनों और/या विमान प्रचालकों से भाविप्रा द्वारा प्रभारित राशियों से है; तथा **"टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग प्रभार"** से तात्पर्य लागू कानूनों के अनुसार हवाई अड्डे पर टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एयरलाइनों या विमान प्रचालकों से भाविप्रा द्वारा प्रभारित की जाने वाली राशियों से है।

1.2 व्याख्या

- 1.2.1 बड़े अक्षरों से प्रारंभ होने वाले और इस करार में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें यहाँ दिया गया है, तथा इस करार में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं किंतु रियायत करार में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें रियायत करार में दिया गया है, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो।
- 1.2.2 इस करार के विवेचन को नियंत्रित करने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा है। किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाने वाली सभी आवश्यक सूचनाएं और अन्य सभी संचार एवं प्रलेखन जो इस करार के लिए किसी भी तरह से प्रासंगिक हैं और जो इस करार के निष्पादन, कार्यान्वयन और निष्कासन से संबंधित हैं, जिसमें किसी भी विवाद समाधान कार्यवाही शामिल है किंतु इसी तक सीमित नहीं है, अंग्रेजी भाषा में होंगे।
- 1.2.3 अनुच्छेदों, खंडों और अनुसूचियों के संदर्भ, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इस करार के अनुच्छेदों, खंडों और अनुसूचियों के संदर्भ हैं।
- 1.2.4 रियायत करार के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में उल्लिखित विवेचन के नियम, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस करार पर लागू होंगे।

2. वैधता और अवधि

- 2.1 इस करार के प्रावधान (अनुच्छेद 1, 2, 12 से 14 और 16 से 20 में निहित प्रावधानों को छोड़कर, जो इस करार की तारीख से पक्षों पर बाध्यकारी होंगे) और इस करार के तहत पक्षों के संबंधित अधिकार और दायित्व वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) से पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू होंगे।
- 2.2 रियायत करार की पूर्ववर्ती शर्तों के पूरा न होने के कारण रियायत करार के समाप्त होने की स्थिति में, यह करार बिना किसी पक्ष पर किसी दायित्व के तुरंत समाप्त हो जाएगा।
- 2.3 इस अनुच्छेद 2 की शर्तों के अधीन, यह करार, जब तक कि अनुच्छेद 12 के अनुसार समाप्त न हो जाए, रियायत की समाप्ति या पूर्व निष्कासन तक पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेगा।

3: अभ्यावेदन और आश्वासन

रियायत करार के अनुच्छेद 7 में उल्लिखित अभ्यावेदन और आश्वासन, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस करार पर लागू होंगे।

4: प्राधिकरण के दायित्व

4.1 भाविप्रा सेवाएं

4.1.1 भाविप्रा इस करार की अवधि के दौरान, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार अपने स्वयं के खर्च और लागत पर हर समय (प्रत्येक दिन 24 घंटे आवश्यकतानुसार मल्टी-शिफ्ट प्रचालनों के माध्यम से भी):

(क) अनुसूची 2 में विशेष रूप से दिए गए अनुसार सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करेगा;

(ख) भाविप्रा उपकरणों का आवधिक उड़ान अंशांकन और अन्य परीक्षण आयोजित करने सहित भाविप्रा उपकरणों का रखरखाव करेगा;

(ग) समय-समय पर आवश्यक होने पर भाविप्रा उपकरणों का उन्नयन और/या संवर्धन करेगा: (i) हवाई अड्डे पर प्रासंगिक भाविप्रा सेवाएं प्रदान करने में भाविप्रा को सक्षम बनाने के लिए; (ii) प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए; तथा (iii) विस्तार के परिणामस्वरूप; और

(घ) भाविप्रा सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक जनशक्ति की तैनाती करेगा।

4.1.2 विस्तार के कारण रियायतग्राही के अनुरोध पर भाविप्रा, रियायतग्राही की लागत और व्यय पर भाविप्रा उपकरणों को स्थानांतरित करेगा, बशर्ते कि इस तरह के स्थानांतरण से इस करार के तहत भाविप्रा के दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

परंतु भाविप्रा अपने विवेकानुसार भाविप्रा उपकरणों को स्थानांतरित कर सकता है, इस शर्त के अधीन कि इस तरह के स्थानांतरण से रियायत करार के तहत रियायतग्राही के दायित्वों और/या हवाई अड्डे के सुचारू प्रचालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

4.1.3 भाविप्रा वायु यातायात के सुरक्षित, त्वरित और व्यवस्थित प्रवाह के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा और संशोधन करेगा।

4.1.4 भाविप्रा रियायतग्राही को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक गतिविधियों के लिए वायु यातायात आवागमन के सभी आंकड़े ऐसे प्रारूप में, ऐसी आवृत्ति पर और वितरण के ऐसे तरीके से प्रदान करेगा जैसा कि पक्षों द्वारा समय-समय पर सहमति व्यक्त की जाए।

4.1.5 भाविप्रा ऐसी सूचनाओं का रिकॉर्ड प्रदान करेगा और रखेगा तथा रियायतग्राही और वैमानिकों को नोटिस जारी करेगा, जैसा कि प्रचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के तहत आवश्यक है, जिसमें भाविप्रा सेवाओं का बंद होना शामिल है।

- 4.1.6 भाविप्रा अपने खर्च और लागत पर, शिकागो अभिसमय, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों, डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं, और भाविप्रा तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार के बीच निष्पादित किसी भी समझौते के अनुसरण में समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार, भाविप्रा सेवाएं प्रदान करने हेतु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार से विमानन मौसम संबंधी सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त करेगा। रियायतग्राही अपने खर्च और लागत पर, तथा भाविप्रा या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार पर बिना किसी लागत के, उपकरण और/या यंत्रों की स्थापना तथा कार्यालय स्थापित करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अपेक्षित अवसंरचना और स्थल पर स्थान प्रदान करेगा।
- 4.1.7 भाविप्रा प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार हवाई अड्डे पर और हवाई अड्डे के निकटवर्ती वायुक्षेत्र में विमानों के सुरक्षित, त्वरित और व्यवस्थित प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक भाविप्रा सेवाओं से संबंधित ऐसी सभी प्रक्रियाओं, नियम-पुस्तिकाओं और चार्टों को तैयार और प्रकाशित करेगा।

4.2 मार्गस्थ वायु दिक्चालन एवं वायु यातायात प्रवाह प्रबंधन सेवाएं

- 4.2.1 यदि भाविप्रा को आवश्यकता हो, तो वह अपने खर्च और लागत पर, मार्गस्थ वायु दिक्चालन सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक किसी भी रडार, उपकरण, भवन, कार्य या सुविधाओं को हवाई अड्डे पर या स्थल पर स्थित रखना जारी रख सकता है (या आवश्यकतानुसार स्थानांतरित कर सकता है)।
- 4.2.2 भाविप्रा अपने खर्च और लागत पर, हवाई अड्डे पर मार्गस्थ वायु दिक्चालन सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपकरण या सुविधाएं स्थापित कर सकता है।
- 4.2.3 भाविप्रा अपने खर्च और लागत पर, रियायतग्राही के पूर्व अनुमोदन के अधीन, हवाई अड्डे पर और पूरे भारत में वायु यातायात प्रवाह प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपकरण या सुविधाएं स्थापित कर सकता है, जिस अनुमोदन को अनुचित रूप से रोका नहीं जाएगा।
- 4.2.4 यथास्थिति खंड 4.1.1 और/या 4.1.2 के अनुसरण में स्थानांतरण और/या स्थापना करते समय, भाविप्रा हवाई अड्डे के सामान्य प्रचालन में किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए उचित उपाय करेगा। ऐसे उपाय किए जाने के अधीन, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे स्थानांतरण और/या स्थापना के कारण हवाई अड्डे के सामान्य प्रचालन में किसी भी व्यवधान के लिए भाविप्रा को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

4.2.5 भाविप्रा यह सुनिश्चित करेगा कि समय-समय पर उसके द्वारा स्थापित सभी उपकरण, रडार, भवन, कार्य या सुविधाएं सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार संचालित और अनुरक्षित हों।

4.3 सेवा के मानक

4.3.1 भाविप्रा हर समय प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार भाविप्रा सेवाएं प्रदान करेगा, और रियायतग्राही से भाविप्रा सेवाओं या भाविप्रा उपकरणों के प्रावधान के संबंध में कोई खर्च उठाने की अपेक्षा नहीं करेगा।

4.3.2 भाविप्रा यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी रियायतग्राही की लागत पर, रियायतग्राही द्वारा शुरू किए गए किसी भी गुणवत्ता सुधार उपायों में भाग लें, और समान रनवे विन्यास और मौसम संबंधी स्थितियों के लिए यथोचित रूप से प्राप्त किए जा सकने वाले प्रति घंटे अधिकतम विमान आवागमन (जेट विमान आवागमन) को प्राप्त करने और बनाए रखने में रियायतग्राही की सहायता करेगा।

4.4 अहस्तक्षेप

भाविप्रा रियायत करार के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के निर्वहन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, रुकावट नहीं डालेगा या कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी और एजेंट भी ऐसा न करें, सिवाय इसके कि भाविप्रा सेवाएं प्रदान करने के लिए यह आवश्यक हो।

5: रियायतग्राही के दायित्व

5.1 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (क) रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और पहुंच का निर्माण और रखरखाव प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है और वे विमान प्रचालन के लिए उपलब्ध हैं।
- (ख) रनवे के लिए स्ट्रिप्स, शोल्डर, स्टॉप वे और रनवे इंड सेफ्टी एरिया (रेसा) तथा टैक्सीवे के लिए स्ट्रिप्स और शोल्डर का निर्माण और रखरखाव प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है।
- (ग) हवाई अड्डे की बाधा परिसीमा सतह तथा पहुंच एवं उड़ान भरने वाले क्षेत्र बाधाओं से मुक्त रखे जाएं, या कोई भी बाधा प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं में अनुमेय सीमा के अनुसार हो, और भाविप्रा के पूर्व अनुमोदन के अधीन हो।

- (घ) सीएनएस/एटीएम उपकरणों के लिए भाविप्रा द्वारा पहचाने गए संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को किसी भी बाधा से मुक्त रखा जाए, जो ऐसे उपकरणों के कामकाज में बाधा उत्पन्न कर सकती है और/या विमान प्रचालनों की संरक्षा को खतरे में डाल सकती है।
- (ङ) बचाव एवं अग्निशमन सेवाओं की उपयुक्त श्रेणी प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार उपलब्ध कराई जाए और उसका रखरखाव किया जाए।
- (च) प्रचालन क्षेत्र में और उसके आसपास पक्षियों/जानवरों के खतरे को रोकने के लिए हवाई अड्डे पर उपयुक्त व्यवस्थाएं मौजूद हों।
- (छ) निम्नलिखित घटनाओं से निपटने के लिए हवाई अड्डे पर उपयुक्त आकस्मिक व्यवस्थाएं मौजूद हों:
- (i) रनवे से असक्षम/दुर्घटनाग्रस्त विमान को हटाना;
 - (ii) विमान अथवा हवाई अड्डे पर बम की धमकी;
 - (iii) हवाई अड्डे के आसपास अथवा उसके निकटवर्ती क्षेत्र में विमान दुर्घटनाएं;
 - (iv) गैर-अनुसूचित विमान का हवाई अड्डे पर उतरने के लिए विवश होना;
 - (v) हवाई अड्डे पर आग लगना;
 - (vi) प्राकृतिक आपदाएं एवं विपदाएं;
 - (vii) हवाई अड्डे और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक अशांति/हड़ताल;
 - (viii) हवाई अड्डे पर अपहरण और/या नागर विमानन के साथ विधि-विरुद्ध हस्तक्षेप; तथा
 - (ix) हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन और/या किसी भी प्रचालन क्षेत्र पर उग्रवादी/आतंकी हमले।
- (ज) वायु यातायात सेवा परिसर को हवाई अड्डा प्रबंधक तथा अग्निशमन सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और पुलिस सहित हवाई अड्डे पर स्थित सभी आपातकालीन सेवाओं से जोड़ने के लिए आपातकालीन अलार्म घंटियां स्थापित की जाएं।
- (झ) भाविप्रा और उसके कर्मचारियों, वाहनों और एजेंटों को हवाई अड्डे और उसके सभी प्रचालन क्षेत्रों तक ऐसी पहुंच प्रदान की जाए जो भाविप्रा सेवाएं प्रदान करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो।
- (ञ) भाविप्रा और उसके कर्मचारियों तथा एजेंटों को ऐसी जानकारी प्रदान की जाए जो भाविप्रा सेवाएं निष्पादित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो।
- (ट) इसके कर्मचारी और एजेंट, प्रचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया या घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, जैसे ही उन्हें जानकारी मिले, तुरंत रिपोर्ट करें: (i) एयरफील्ड प्रकाश प्रणाली में कोई खराबी

या दोष; (ii) भाविप्रा को रियायतग्राही उपकरणों में से किसी की अनुपलब्धता; तथा (iii) रनवे, एप्रन, अप्रोच, टैक्सीवे या अन्य आवागमन क्षेत्रों पर कोई भी बाधा।

- (ठ) प्रचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, किसी भी रियायतग्राही उपकरण के किसी भी प्रस्तावित बंद होने या हटाए जाने की सूचना भाविप्रा को दी जाए।
- (ड) विमान के आगमन के अपेक्षित समय की प्राप्ति पर उसके लिए पार्किंग बे और एयरोब्रिज आवंटित किए जाएं, और भाविप्रा को इसकी सूचना दी जाए ताकि भाविप्रा तदनुसार विमान का मार्गदर्शन करने में सक्षम हो सके।

5.2 रियायतग्राही अपने खर्च और लागत पर:

- (क) अनुसूची 3 में निर्धारित कार्यालय स्थान/सुविधाएं भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के लिए भाविप्रा के कर्मचारियों और एजेंटों को हर समय उपलब्ध कराएगा।
- (ख) प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार एयरफील्ड प्रकाश प्रणाली और मुख्य एवं स्टैंडबाय विद्युत आपूर्ति प्रणालियों का रखरखाव करेगा।
- (ग) भाविप्रा के निर्देश पर, रनवे, एप्रन, अप्रोच, टैक्सीवे या अन्य आवागमन क्षेत्रों से किसी भी बाधा को हटाएगा।
- (घ) भाविप्रा उपकरणों को स्थानांतरित करेगा जहाँ ऐसा स्थानांतरण विस्तार के कारणों से है।
- (ङ) भाविप्रा सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुसूची 3 में निर्धारित कार्यालय स्थान सुविधाओं और भाविप्रा उपकरणों को उपयोगिता आपूर्ति (दोहरे विद्युत आपूर्ति स्रोत सहित बिजली की आपूर्ति) प्रदान करेगा।

5.3 यदि रियायतग्राही को प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं में निर्धारित आवश्यकताओं से अधिक भाविप्रा उपकरणों को अपग्रेड करने के लिए भाविप्रा की आवश्यकता होती है, तो जेसीसी द्वारा ऐसे उन्नयन को आवश्यक निर्धारित किए जाने के अधीन, भाविप्रा अपने स्वयं के खर्च और लागत पर ऐसा उन्नयन करेगा।

6: सुविधाओं और उपकरणों का विकास एवं विस्तार

6.1 सुविधाओं और उपकरणों के विकास और विस्तार की योजना

- 6.1.1 भाविप्रा और रियायतग्राही हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यातायात प्रवाह के कारण सीएनएस/एटीएम सेवाओं के लिए भविष्य की आवश्यकताओं का समय-समय पर मूल्यांकन करेंगे।
- 6.1.2 जिस तारीख को किसी पक्ष द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सीएनएस/एटीएम उपकरणों के अपर्याप्त होने का अनुमान लगाया जाता है, उससे कम से कम 24 (चौबीस) महीने पहले, ऐसा

पक्ष सीएनएस/एटीएम उपकरणों के आवश्यक विकास, उन्नयन और/या विस्तार के लिए एक योजना ("प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना") प्रस्तुत कर सकता है। प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल होंगे:

- (i) प्रक्षेपित यातायात प्रवाह पर सभी सहायक डेटा के साथ विश्लेषण;
- (ii) भाविप्रा सेवाओं और रियायतग्राही सेवाओं में वृद्धि की आवश्यकता;
- (iii) अतिरिक्त सीएनएस/एटीएम उपकरणों की आवश्यकता या भाविप्रा उपकरणों का उन्नयन (प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं में निर्धारित आवश्यकताओं से अधिक);
- (iv) सीएनएस/एटीएम उपकरणों के स्थानांतरण की आवश्यकता;
- (v) निम्नलिखित के संदर्भ में भाविप्रा और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार को रियायतग्राही द्वारा प्रदान की जाने वाली आवश्यक अवसंरचना:
 - (क) उपकरण/यंत्रों की स्थापना के लिए प्रचालन क्षेत्र में स्थान; तथा
 - (ख) कार्यालय स्थापित करने के लिए स्थान।
- (vi) भाविप्रा के कर्मचारियों और एजेंटों के लिए आवश्यक अतिरिक्त कार्यालय स्थान/सुविधाएं।

6.2 सुविधाओं या उपकरणों के विकास, विस्तार और रूपांतरण से निपटने की प्रक्रिया

6.2.1 किसी पक्ष द्वारा प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना प्रस्तुत करने के 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर, पक्षकार प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे और सीएनएस/एटीएम उपकरणों के विकास, उन्नयन और/या विस्तार के लिए एक योजना तथा उसकी समय-सारणी ("अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना") को अंतिम रूप देने का सद्भावपूर्वक प्रयास करेंगे। अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना को अंतिम रूप देने के संबंध में किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, इसे खंड 7.3 के अनुसार जेसीसी को संदर्भित किया जाएगा।

6.2.2 पक्षकार इस करार के तहत अपने संबंधित दायित्वों के अनुसार अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सुविधाएं, उपकरण, जनशक्ति और उपयोगिता आपूर्ति (दोहरे विद्युत आपूर्ति स्रोत सहित बिजली की आपूर्ति) अपनी लागत पर प्रदान करेंगे।

6.3 रियायतग्राही के विकास दायित्व

6.3.1 रियायतग्राही अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना की आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी लागत और व्यय पर, रियायतग्राही के दायरे में आने वाले ऐसे अतिरिक्त उपकरणों और सुविधाओं (कार्यालय सुविधाओं सहित) का डिज़ाइन, निर्माण, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और प्रचालन करेगा ("रियायतग्राही विकास उपकरण") ।

6.3.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि:

- (i) भाविप्रा किसी भी रियायतग्राही विकास उपकरण के परीक्षण और/या कमीशनिंग के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो रियायतग्राही की एकमात्र जिम्मेदारी होगी;
- (ii) रियायतग्राही को रियायतग्राही विकास उपकरण को अंशांकित (calibrate) करने में सक्षम बनाने के लिए भाविप्रा अंशांकन उड़ानों (calibration flights) का रियायतग्राही के साथ समन्वय करेगा; तथा
- (iii) रियायतग्राही विकास उपकरण का स्वामित्व रियायतग्राही के पास रहेगा।

6.3.3 रियायतग्राही:

- (i) भाविप्रा को भाविप्रा विकास उपकरण और रियायतग्राही विकास उपकरण के बीच इंटरफेस की पहचान कराएगा;
- (ii) भाविप्रा और उसके कर्मचारियों, एजेंटों और वाहनों को हवाई अड्डे तक ऐसी पहुंच और ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जो भाविप्रा सेवाओं को निष्पादित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो;
- (iii) रियायतग्राही विकास उपकरण के चालू होने की संभावित तिथि से कम से कम 60 (साठ) दिन पहले भाविप्रा को सूचित करेगा; तथा
- (iv) उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार अपने कार्यों की सुरक्षा और देखभाल के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

6.4 भाविप्रा के विकास दायित्व (AAI Development Obligations)

भाविप्रा:

- (i) अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना की आवश्यकताओं के अनुसार, अपने स्वयं के खर्च और लागत पर, भाविप्रा के दायरे में आने वाले ऐसे अतिरिक्त उपकरणों और सुविधाओं का डिजाइन, निर्माण, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और प्रचालन करेगा ("भाविप्रा विकास उपकरण")
- (ii) यह सुनिश्चित करेगा कि भाविप्रा विकास उपकरण उस तिथि से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले चालू हो जाएं, जिस तिथि को रियायतग्राही विकास उपकरण चालू होने की संभावना है;
- (iii) भाविप्रा विकास उपकरण और रियायतग्राही विकास उपकरण के बीच समन्वय करेगा और अनुकूलता सुनिश्चित करेगा, तथा इस संबंध में उपयुक्त इंटरफेसिंग सुनिश्चित करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसका खर्च रियायतग्राही द्वारा वहन किया जाएगा;

- (iv) रियायतग्राही के खर्च पर, रियायतग्राही विकास उपकरण के किसी भी अंशांकन और बेंचमार्क परीक्षण में भाग लेगा;
- (v) यह सुनिश्चित करेगा कि भाविप्रा विकास उपकरण प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं (CAR) के अनुसार भाविप्रा सेवाओं का निष्पादन कर सके;
- (vi) भाविप्रा विकास उपकरण को भाविप्रा द्वारा संचालित किसी भी प्रासंगिक वायु दिक्चालन और मौसम संबंधी उपकरणों और प्रणालियों के साथ एकीकृत (integrate) करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएगा;
- (vii) भाविप्रा विकास उपकरण को चालू करने के लिए आवश्यक अंशांकन उड़ानें आयोजित करेगा और जहाँ तक व्यावहारिक हो, रियायतग्राही के साथ समन्वय करेगा ताकि रियायतग्राही उसी समय रियायतग्राही विकास उपकरण का अंशांकन करने में सक्षम हो सके। संदेह के निवारण के लिए, रियायतग्राही द्वारा रियायतग्राही विकास उपकरण को अंशांकित करने के लिए किए गए खर्च के लिए भाविप्रा उत्तरदायी नहीं होगा। रियायतग्राही विकास उपकरण को अंशांकित करने के लिए भाविप्रा द्वारा किए गए किसी भी खर्च की वसूली रियायतग्राही से की जाएगी;
- (viii) उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार अपने कार्यों की संरक्षा और देखभाल के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

7: संयुक्त समन्वय समिति

- 7.1 पक्षकार स्वीकार करते हैं कि, इस करार के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए प्रत्येक पक्ष को दूसरे के साथ समन्वय करने की आवश्यकता होगी, और उस उद्देश्य के लिए पक्षकार सीओडी से 1 (एक) महीने के भीतर एक संयुक्त समन्वय समिति ("जेसीसी") स्थापित करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं। जेसीसी:
- (i) 4 (चार) सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें प्रत्येक पक्ष 2 (दो) सदस्यों को नामित और नियुक्त करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जेसीसी के सदस्य अपनी ओर से बैठकों में भाग लेने के लिए प्रॉक्सी नामित/प्रस्तावित कर सकते हैं;
 - (ii) रियायतग्राही के नामित व्यक्ति द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी;
 - (iii) हवाई अड्डे पर प्रत्येक माह कम से कम एक बार बैठक करेगी।
- 7.2 यह माना जाएगा कि पक्षकारों ने जेसीसी द्वारा विचार किए जाने वाले सभी मामलों के संबंध में संबंधित पक्ष का प्रतिनिधित्व करने और उसे बाध्य करने का पूर्ण अधिकार जेसीसी के सदस्यों को प्रत्यायोजित कर दिया है।

7.3 जेसीसी सीएनएस/एटीएम सेवाओं के संबंध में पक्षों की गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद और मतभेद को हल करना शामिल है।

(i) यदि जेसीसी किसी भी मामले पर पक्षों के लिए संतोषजनक तरीके से निर्णय लेने में असमर्थ है, तो कोई भी पक्ष ऐसे मामले को रियायतग्राही के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भाविप्रा के अध्यक्ष के संयुक्त विचार-विमर्श के लिए संदर्भित करने का हकदार होगा।

(ii) यदि उपर्युक्त उप-खंड (i) के अनुसरण में संदर्भ के 15 (पंद्रह) कार्य दिवसों के भीतर मामले का समाधान नहीं होता है, तो कोई भी पक्ष अनुच्छेद 14 के तहत समाधान के लिए मामला संदर्भित कर सकता है।

8. राजस्व और प्रभार

8.1 भाविप्रा सेवाओं के निष्पादन के प्रतिफल में, भाविप्रा एयरलाइनों से सीधे मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभार (आरएनएफसी) और टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग प्रभार (टीएनएलसी) (जिन्हें "सीएनएस/एटीएम प्रभार" कहा जाएगा) वसूल करने का हकदार होगा और रियायतग्राही पर ऐसे प्रभारों के संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा।

8.2 भाविप्रा द्वारा सीएनएस/एटीएम प्रभारों को वसूलने में विफलता, भाविप्रा सेवाओं के निष्पादन से भाविप्रा को किसी भी तरह से या किसी भी रूप में मुक्त नहीं करेगी।

8.3 यदि कोई व्यक्ति भाविप्रा को सीएनएस/एटीएम प्रभारों का भुगतान करने में चूक करता है, तो भाविप्रा को ऐसे व्यक्ति को भाविप्रा सेवाएं प्रदान न करने और बकाया राशियों की वसूली के लिए उचित समझे जाने वाले कदम उठाने का अधिकार होगा, और यह भाविप्रा सेवाओं के निष्पादन में भाविप्रा की ओर से चूक नहीं माना जाएगा।

8.4 इस करार के प्रावधानों के अनुसरण में, सीएनएस/एटीएम सेवाओं और हवाई अड्डे पर या अन्यथा उसके द्वारा प्रदान की जा रही अन्य सेवाओं के प्रावधान हेतु भाविप्रा द्वारा सीधे किए गए सभी व्यय और लागत, चाहे प्रचालन संबंधी हों या पूंजीगत प्रकृति के, उन प्रभारों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होंगे जो भाविप्रा ऐसी सेवाओं के लिए लगा सकता है। भाविप्रा द्वारा सीधे वहन की गई कोई भी लागत या व्यय रियायतग्राही द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी, और न ही वैमानिक प्रभारों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होगी जिन्हें रियायतग्राही द्वारा लगाया, एकत्र और विनियोजित किया जा सकता है।

8.5 इस करार के प्रावधानों के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा सीधे किए गए सभी खर्च और लागत, चाहे प्रचालन संबंधी हों या पूंजीगत प्रकृति के, ऐरा द्वारा वैमानिक प्रभारों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होंगे, जिन्हें रियायत करार के प्रावधानों के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा लगाया, एकत्र और विनियोजित किया जा सकता है। रियायतग्राही द्वारा

सीधे वहन की गई कोई भी लागत या व्यय भाविप्रा द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी, और न ही उन प्रभारों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होगी जिन्हें भाविप्रा द्वारा लगाया, एकत्र और विनियोजित किया जा सकता है।

9. क्षतिपूर्ति

9.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष और उसके संविदाकारों, प्रभारियों एवं एजेंटों को, किसी भी पक्ष के दायित्वों के निष्पादन (चाहे कृत्य द्वारा या चूक द्वारा) से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पूर्णतः या अंशतः उत्पन्न होने वाले तीसरे पक्षों के दावों के परिणामस्वरूप पीड़ित पक्ष और उसके संविदाकारों, प्रभारियों एवं एजेंटों पर लगाए गए, लागू किए गए या उनके द्वारा उठाए गए नुकसान, लागत, व्यय, दायित्व या क्षति के बराबर के किसी भी और सभी भुगतानों से क्षतिपूर्ति करेगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें हानिरहित रखेगा (अप्रत्याशित घटना के घटित होने की स्थिति को छोड़कर), जिसमें व्यक्तियों की मृत्यु या चोट के दावे अथवा संपत्ति की क्षति या हानि के दावे शामिल हैं।

9.2 दावों की सूचना और विरोध

यदि इसके किसी पक्ष को किसी तीसरे पक्ष से ऐसा दावा प्राप्त होता है जिसके संबंध में वह खंड 9.1 के तहत क्षतिपूर्ति का लाभ पाने का हकदार है या जिसके संबंध में वह प्रतिपूर्ति का हकदार है ("क्षतिपूर्ति पक्ष"), तो वह इसके तहत ऐसे दावे की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार अन्य पक्ष ("क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष") को दावा प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर सूचित करेगा, और क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष के पूर्व अनुमोदन के बिना दावे का निपटान या भुगतान नहीं करेगा, जिस अनुमोदन को अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा। यदि क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष दावे का विरोध या विवाद करना चाहता है, तो वह क्षतिपूर्ति पक्ष के नाम से कार्यवाही कर सकता है और उसका विरोध करने में शामिल सभी खर्च वहन करेगा। क्षतिपूर्ति पक्ष किसी भी दावे का विरोध करने में पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेगा और ऐसे सभी दस्तावेजों और लिखतों पर हस्ताक्षर करेगा जिनकी क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष उचित रूप से अपेक्षा कर सकता है।

10. दायित्व

पक्षकारों का यह आशय है कि इस करार में निहित अधिकार, दायित्व और देनदारियां इस करार से उत्पन्न या इसके संबंध में पक्षों के अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों का एक संपूर्ण विवरण होंगी। तदनुसार, इस करार और इसके अनुसरण में निष्पादित किसी भी दस्तावेज में स्पष्ट रूप से बताए गए उपचार, कानून या इक्यूटी में उपलब्ध किसी भी अन्य उपचार के होते हुए भी, इस करार के संबंध में दिए गए किसी भी अभ्यावेदन, वारंटी

या उपक्रम सहित, इस करार से उत्पन्न या इसके संबंध में एक-दूसरे के प्रति देनदारियों के लिए पक्षों के एकमात्र और अनन्य उपचार होंगे। भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के संबंध में प्राधिकरण का दायित्व सेवा में व्यवधान/आउटेज की अवधि और/या प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता में गिरावट के अनुरूप टर्मिनल दिक्कालन लैडिंग प्रभारों तक सीमित होगा।

11. अप्रत्याशित घटना

11.1 अप्रत्याशित घटना

अनुच्छेद 11 लागू होगा यदि इस करार के तहत किसी भी पक्ष ("प्रभावित पक्ष") द्वारा अपने दायित्वों का निष्पादन अप्रत्याशित घटना के कारण पूर्णतः या अंशतः बाधित, अवरुद्ध या विलंबित होता है।

11.2 अप्रत्याशित घटना की परिभाषा

11.2.1 इस करार में, "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ कोई भी ऐसा कृत्य, घटना या परिस्थिति अथवा कृत्यों, घटनाओं और परिस्थितियों का संयोजन है, जिसमें इस खंड 11.2 में संदर्भित घटनाएं शामिल हैं, जो प्रभावित पक्ष के उचित नियंत्रण से परे हैं और जिन्हें प्रभावित पक्ष उत्तम उद्योग प्रथाओं द्वारा या किसी भी सुविधा के निर्माण के संबंध में उचित कौशल और देखभाल का उपयोग करके रोक नहीं सकता था, और जो, या जिसके किसी भी परिणाम से, इस करार के तहत अपने दायित्वों के किसी भी पक्ष द्वारा निष्पादन को पूर्णतः या अंशतः बाधित, अवरुद्ध या विलंबित करता है।

11.2.2 "अप्रत्याशित घटना" में निम्नलिखित घटनाएं और परिस्थितियां इस सीमा तक शामिल हैं कि वे, या उनके परिणाम, उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:

(क) निम्नलिखित प्रकार के कृत्य, घटनाएं या परिस्थितियां:

- (i) हड़तालें, तालाबंदी या अन्य औद्योगिक कार्रवाई या श्रम विवाद जिसमें कोई भी पक्ष या उसके ठेकेदार, या उनके संबंधित उप-ठेकेदार, कर्मचारी या एजेंट शामिल हैं, जो भारत के भीतर कार्य निष्पादन या भारत के भीतर वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में नियोजित हैं;
- (ii) आकाशीय बिजली (तड़ित), भूकंप, तूफान, चक्रवात, हरीकेन, बवंडर, आंधी, बाढ़, जल-प्लावन, भूस्खलन, मृदा अपरदन, भूमि धंसना, सूखा या पानी की कमी, और अन्य असामान्य या अत्यधिक प्रतिकूल मौसम या पर्यावरणीय स्थितियां अथवा प्राकृतिक तत्वों की कार्रवाई, उल्कापिंड या विमान या अन्य हवाई उपकरणों से गिरने वाली वस्तुएं, सुपरसोनिक गति

से यात्रा करने वाले विमानों या अन्य हवाई उपकरणों के कारण उत्पन्न दबाव तरंगें, आग या विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण या आयनकारी विकिरण (उन परिस्थितियों को छोड़कर जहां विस्फोट या संदूषण या विकिरण का स्रोत या कारण प्रभावित पक्ष द्वारा या प्रभावित पक्ष द्वारा नियोजित या लगे व्यक्तियों द्वारा स्थल पर या उसके निकट लाया गया है, जब तक कि यह हवाई अड्डे के किसी भी हिस्से के निर्माण या प्रचालन के लिए आवश्यक न हो);

- (iii) हवाई अड्डे पर कोई दुर्घटना;
 - (iv) हवाई अड्डे में समावेशन के लिए किसी भी माध्यम से पारगमन के दौरान कार्गो की कोई आकस्मिक हानि या क्षति, जो सीओडी से पूर्व हुई हो;
 - (v) हवाई अड्डे को गंभीर आकस्मिक क्षति या हानि;
 - (vi) महामारी;
 - (vii) युद्ध का कृत्य (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का कृत्य, नाकाबंदी, प्रतिबंध, क्रांति, दंगा, बमबारी या नागरिक अशांति;
 - (viii) तोड़फोड़, आतंकवाद या ऐसे कृत्यों की धमकी;
 - (ix) दैवीय कृत्य; या
 - (x) पूर्वगामी के समान प्रकृति का कोई भी कृत्य, घटना या परिस्थिति।
- (ख) बशर्ते कि निम्नलिखित मामलों या उनके परिणामों में से कोई भी अप्रत्याशित घटना का गठन करने या उसका कारण बनने में सक्षम नहीं होगा:
- (i) कोई भी भुगतान करने में विफलता या असमर्थता; या
 - (ii) बाजार की स्थितियों के प्रभाव जब तक कि ऐसी बाजार स्थितियां स्वयं अप्रत्याशित घटना के कारण न हुई हों।
- (ग) और बशर्ते यह भी कि ऊपर खंड 11.2.2(क) में उल्लिखित कोई कृत्य, घटना या परिस्थिति जो मुख्य रूप से किसी तीसरे पक्ष या तीसरे पक्षों को प्रभावित करती है (जिसमें बिना किसी सीमा के, निर्माण संविदाकार या हवाई अड्डे के संचालक, किसी पक्ष का कोई सहयोगी या किसी पक्ष का उप-संविदाकार शामिल है) और जो किसी पक्ष को उसके दायित्वों के निष्पादन में रोकती है, बाधित करती है या विलंबित करती है, ऐसे पक्ष के संबंध में अप्रत्याशित घटना का गठन करेगी यदि और जिस सीमा तक यह उस तरह की प्रकृति की है कि, यदि यह उस पक्ष के

साथ हुई होती जो इस खंड पर भरोसा करना चाहता है, तो वह इस खंड 11 के तहत अप्रत्याशित घटना की परिभाषा के दायरे में आती।

11.3 अप्रत्याशित घटना के परिणाम

1.1.1

11.3.1 निष्पादन दायित्व:

प्रभावित पक्ष इस करार के तहत या इसके अनुसरण में किसी भी दायित्व का पालन करने में किसी भी विफलता, या पालन करने में देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और उसे उस सीमा तक अपने दायित्वों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी जिस सीमा तक ऐसी विफलता या देरी सीधे अप्रत्याशित घटना के कारण हुई हो, और विशेष रूप से, बिना किसी सीमा के, ऐसे किसी भी दायित्व के निष्पादन के लिए अनुमत समय तदनुसार बढ़ाया जाएगा।

1.1.2

11.3.2 अधिसूचना:

यदि प्रभावित पक्ष यह दावा करता है कि उसे अप्रत्याशित घटना के कारण इस करार के तहत अपने किसी दायित्व को पूरा करने से रोका गया है, तो वह दावे के आधार और परिणामों का उल्लेख करते हुए, लिखित रूप में जितनी जल्दी व्यावहारिक रूप से संभव हो, दूसरे पक्ष को सूचित करेगा।

1.1.3

11.3.3 शमन:

प्रभावित पक्ष अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा।

12 निष्कासन

12.1 रियायतग्राही की चूक की घटनाएं

भाविप्रा रियायतग्राही को निष्कासन नोटिस जारी करने का हकदार होगा, यदि:

- (i) रियायतग्राही इस करार के तहत भाविप्रा को देय किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है जब वह देय हो, और चूक को विनिर्दिष्ट करने वाले और उसे सुधारने की मांग करने वाले भाविप्रा के नोटिस की प्राप्ति के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर ऐसी विफलता का उपचार नहीं किया जाता है;

- (ii) रियायतग्राही के परिसमापन, दिवालियापन या विघटन के लिए कोई आदेश दिया जाता है या संकल्प पारित किया जाता है, जिसे उसके 90 (नब्बे) दिनों के भीतर निरस्त या रद्द नहीं किया जाता है; या
- (iii) रियायतग्राही इस करार में किसी भी दायित्व (धन भुगतान के दायित्व के अलावा) का पालन करने में उस सीमा तक विफल रहता है जिसका भाविप्रा के अधिकारों और दायित्वों पर तात्त्विक और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और यदि वह सुधार योग्य है, तो चूक को विनिर्दिष्ट करने और उसे सुधारने की मांग करने वाले भाविप्रा के नोटिस की प्राप्ति के बाद 30 (तीस) दिनों की अवधि तक ऐसी विफलता जारी रहती है।

बशर्ते कि, भाविप्रा ऐसा निष्कासन नोटिस जारी करने का हकदार नहीं होगा यदि रियायतग्राही द्वारा समय पर उपचारात्मक कार्रवाई भारत सरकार, असम सरकार या भाविप्रा द्वारा रोकी गई हो।

12.2 भाविप्रा की चूक की घटनाएं

रियायत करार में उपयुक्त संशोधन किए जाने के अधीन, रियायतग्राही उस स्थिति में भाविप्रा को निष्कासन नोटिस जारी करने का हकदार होगा यदि लागू कानून रियायतग्राही को सीएनएस/एटीएम सेवाएं निष्पादित करने की अनुमति देते हैं।

12.3 निष्कासन नोटिस का प्रभाव

यदि इस अनुच्छेद 12 के अनुसरण में किसी पक्ष द्वारा निष्कासन नोटिस दिया जाता है, तो ऐसे निष्कासन नोटिस की तारीख की तारीख के 90 (नब्बे) दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय, जब तक कि निष्कासन नोटिस जारी करने वाली परिस्थितियां पूरी तरह से समाप्त न हो गई हों या लागू होना बंद न हो गई हों, निष्कासन नोटिस जारी करने वाला पक्ष तत्काल प्रभाव से इस करार को समाप्त कर सकता है।

12.4 निष्कासन के परिणाम

- 12.4.1 यदि यह करार रियायतग्राही द्वारा खंड 12.2 के अनुसरण में समाप्त किया जाता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भाविप्रा सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण हवाई अड्डे का प्रचालन प्रभावित या निलंबित न हो, भाविप्रा तत्काल भारत सरकार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अनुसार तुरंत कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर "जैसा है जहां है" स्थिति में भाविप्रा सेवाओं के निष्पादन में भाविप्रा द्वारा तैयार किए गए सभी भाविप्रा उपकरण, नियमावली,

चार्ट और अन्य ज्ञापन सौंप देगा। भाविप्रा पूर्वोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

12.4.2 रियायतग्राही, अपने विवेकानुसार, उचित कदम उठाने और तीसरे पक्ष के माध्यम से भाविप्रा सेवाओं के समकक्ष सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार से परामर्श कर सकता है। भाविप्रा पूर्वोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रियायतग्राही को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

12.4.3 इस खंड 12.4 के प्रावधान इस करार के तहत उपलब्ध किसी भी पक्ष के अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

13 समनुदेशन

13.1 भाविप्रा द्वारा समनुदेशन

इस करार में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, भाविप्रा रियायतग्राही की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस करार के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्व को समनुदेशित या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा, बशर्ते कि भाविप्रा के अधिकारों या दायित्वों का ऐसा समनुदेशन या हस्तांतरण किसी कानून के अधिनियमन के अनुसरण में हो। ऐसा समनुदेशिनी या अंतरिनी इस करार के नियमों और शर्तों से बाध्य होगा।

13.2 रियायतग्राही द्वारा समनुदेशन

इस करार में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, किंतु खंड 18.6 के अधीन, रियायतग्राही भाविप्रा की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस करार के तहत अपने अधिकारों या दायित्वों के सभी या किसी भी हिस्से को समनुदेशित या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा;

परंतु रियायतग्राही, ऐसी पूर्व लिखित सहमति के बिना, किंतु भाविप्रा को पूर्व लिखित सूचना देकर:

- (i) इसके तहत अपने सभी या पर्याप्त रूप से सभी अधिकारों और दायित्वों को रियायतग्राही के किसी सहयोगी को हस्तांतरित कर सकता है;
- (ii) इसके तहत अपने सभी या किसी भी हिस्से के अधिकारों और दायित्वों को रियायतग्राही में स्वामित्व हितों के क्रेता को हस्तांतरित कर सकता है;
- (iii) किसी भी समझौते के तहत देय राशियों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में इस करार के तहत रियायतग्राही के अधिकारों को ऋणदाताओं को हस्तांतरित कर सकता है जिसके तहत रियायतग्राही ने धन उधार लिया है; अथवा

- (iv) रियायत करार की शर्तों के अनुसरण में भारत सरकार को इसके तहत अपने सभी या पर्याप्त रूप से सभी अधिकारों और दायित्वों को हस्तांतरित कर सकता है।

14 विवाद समाधान

14.1 बातचीत और सुलह

पक्षकार इस करार से उत्पन्न, इसके संबंध में या इसके संदर्भ में पक्षों के बीच किसी भी विवाद, मतभेद, दावे, प्रश्न या विवाद ("विवाद") को बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपने उचित प्रयासों का उपयोग करेंगे।

14.2 मध्यस्थ को संदर्भ

विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (ऐरा) की शक्ति और प्राधिकार से संबंधित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अधीन, कोई भी विवाद जिसे पक्षकार विवाद के अस्तित्व के बारे में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित अधिसूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर खंड 14.1 के अनुसरण में हल करने में असमर्थ हैं, उसे (भारतीय) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और/या इसके किसी वैधानिक संशोधन के अनुसार तथा यूनिसिट्रल (यूएनसीआईटीआरएएल) नियमों के अनुसार अधिनियम के अनुसार नियुक्त एकल मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से अंतिम रूप से तय किया जाएगा।

14.3 विविध

मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा। प्रत्येक पक्ष नियमों के अनुसार मध्यस्थता के खर्च का भुगतान करेगा और खर्चों के लिए अंतिम दायित्व मध्यस्थता अधिनिर्णय की शर्तों के अनुसार होगा। कोई भी मध्यस्थ किसी भी पक्ष का वर्तमान या पूर्व कर्मचारी, एजेंट, सलाहकार या वकील नहीं होगा अथवा किसी भी तरह से पक्षों से संबंधित या निकट से जुड़ा नहीं होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

14.4 निर्णय / अधिनिर्णय

इस अनुच्छेद 14 के अनुसरण में नियुक्त एकल मध्यस्थ अधिकरण का कोई भी निर्णय या अधिनिर्णय पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। पक्षकार सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा ऐसे अधिनिर्णय की अपील या किसी समीक्षा के किसी भी अधिकार का अधित्यजन करते हैं जहाँ तक ऐसा अधित्यजन वैध रूप से किया जा सकता है। पक्षकार सहमत होते हैं कि किए गए किसी भी मध्यस्थता अधिनिर्णय को पक्षों द्वारा प्रासंगिक पक्ष की परिसंपत्तियों के विरुद्ध लागू किया जा सकता है, जहाँ भी वे परिसंपत्तियां स्थित हैं या पाई जा सकती हैं।

15 बीमा

15.1 बीमा का रखरखाव

भाविप्रा हर समय अपने खर्च और लागत पर, अपनी संपत्ति के नुकसान या क्षति, तीसरे पक्ष के दायित्व, कामगार मुआवजा नीति और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार आवश्यक या विवेकपूर्ण माने जाने वाले किसी भी अन्य बीमा को कवर करने के लिए आवश्यक बीमा कराएगा और बनाए रखेगा।

15.2 पॉलिसियां

खंड 15.1 के तहत प्राप्त किए जाने वाले और बनाए रखे जाने वाले बीमा के संबंध में कोई भी बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, भाविप्रा रियायतग्राही को सूचित करेगा कि ऐसे बीमा प्राप्त कर लिए गए हैं और रियायतग्राही को ऐसे पॉलिसी प्रमाण पत्रों की प्रतियां, बीमा पॉलिसियों की प्रतियां और इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि ऐसे बीमा के संबंध में बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है। भाविप्रा द्वारा रियायतग्राही को ऐसे रद्दीकरण, संशोधन या नवीनीकरण न करने के नोटिस के कम से कम 45 (पैंतालीस) दिनों की समाप्ति तक कोई भी बीमा रद्द, संशोधित या समाप्त नहीं होने दिया जाएगा।

15.3 बीमा कराने में विफलता पर उपचार

यदि भाविप्रा उन सभी बीमाओं को प्रभावी करने और लागू रखने में विफल रहता है जिसके लिए वह इसके अनुसरण में जिम्मेदार है, तो रियायतग्राही के पास ऐसे किसी भी बीमा को लागू रखने, ऐसे प्रीमियम का भुगतान करने और भाविप्रा से उसकी लागत वसूलने का विकल्प होगा।

15.4 बीमा राशि का उपयोग

इस करार के तहत भाविप्रा को भुगतान किए गए सभी बीमा दावों का उपयोग क्षतिग्रस्त संपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा, सिवाय भौतिक क्षति से असंबंधित बीमा आय के।

16 सूचनाएं

16.1 लिखित संचार

प्रचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के संबंध को छोड़कर, इस करार के तहत दी जाने वाली या की जाने वाली सभी सूचनाएं या अन्य संचार लिखित रूप में होंगे और या तो व्यक्तिगत रूप से वितरित किए जाएंगे या कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाएंगे, जिसकी एक अतिरिक्त प्रति फैक्स या ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।

16.2 पता

इस करार के तहत या इसके संबंध में किए जाने वाले या दिए जाने वाले किसी भी संचार या दस्तावेज के लिए प्रत्येक पक्ष की तामिली का पता, उसका फैक्स नंबर और ई-मेल पता नीचे दिया गया है:

[रियायतग्राही का नाम]:

फैक्स सं.: [],

ई-मेल पता: [],

ध्यानार्थ: []

भाविप्रा:

राजीव गांधी भवन,

तीसरी मंजिल, सी-ब्लॉक,

सफदरजंग हवाई अड्डा,

नई दिल्ली-110003,

भारत

फैक्स: 011 24641088,

ई-मेल पता: [],

ध्यानार्थ: अध्यक्ष

अथवा कोई भी स्थानापन्न पता, फैक्स नंबर या विभाग या अधिकारी जिसे एक पक्ष कम से कम 5 (पांच) कार्य दिवसों के नोटिस द्वारा दूसरे पक्ष को सूचित कर सकता है।

17 मानी गई सुपुर्दगी

इस करार में अन्यथा प्रदान किए गए के अधीन, इस करार के तहत या इसके अनुसरण में कोई भी संचार प्राप्तकर्ता द्वारा (यदि फैक्स द्वारा भेजा गया है) उस स्थान पर जहां भेजा गया है अगले कार्य दिवस पर प्राप्त माना जाएगा या (किसी अन्य मामले में) जब खंड 16.2 के तहत आवश्यक पते पर छोड़ा गया हो या डाक शुल्क पूर्व-भुगतान करके पंजीकृत डाक द्वारा उस पते पर भेजे जाने के 10 (दस) ऐसे कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त माना जाएगा। इन प्रयोजनों के लिए, कार्य दिवस शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य दिन हैं। पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, फैक्स या ई-मेल द्वारा

सूचना या संचार देने या करने वाला पक्ष तुरंत व्यक्तिगत रूप से उसकी एक प्रति वितरित करेगा, या कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा ऐसे नोटिस या संचार के प्राप्तकर्ता को भेजेगा।

18 विविध

18.1 पृथक्करणीयता

यदि किसी भी कारण से, इस करार का कोई प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय है या हो जाता है या सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय द्वारा अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधानिकता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी, और पक्ष सद्भावपूर्वक बातचीत करेंगे ताकि ऐसे अमान्य, अप्रवर्तनीय या अवैध प्रावधानों के स्थान पर एक या अधिक ऐसे प्रावधानों पर सहमति बन सके जो यथासंभव उसके निकटतम हों।

18.2 संपूर्ण करार

यह करार, इसकी किसी भी अनुसूची या प्रदर्शों सहित, इस करार के विषय के संबंध में भाविप्रा और रियायतग्राही के बीच संपूर्ण करार को समाहित करता है और ऐसे विषय के संबंध में लिखित या मौखिक अन्य सभी समझौतों का स्थान लेता है।

18.3 शर्तों में परिवर्तन

इस करार में सभी परिवर्धन, संशोधन, रूपांतरण और भिन्नताएं तभी प्रभावी और बाध्यकारी होंगी जब वे लिखित रूप में हों और पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हों।

18.4 छूट

18.4.1 किसी भी पक्ष द्वारा इस करार के किसी प्रावधान या इसके तहत दायित्वों के पालन और निष्पादन में दूसरे पक्ष द्वारा की गई चूक का अधित्यजन:

- (i) इसके किसी अन्य या बाद की चूक या इस करार के तहत अन्य प्रावधानों या दायित्वों के अधित्यजन के रूप में संचालित या व्याख्यायित नहीं किया जाएगा;
- (ii) तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह लिखित रूप में न हो और पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न किया गया हो; तथा
- (iii) किसी भी तरह से इस करार की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा।

18.4.2 किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी अवसर पर इस करार के नियमों, शर्तों और प्रावधानों या इसके तहत किसी दायित्व के निष्पादन पर जोर देने में विफलता, और न ही किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई समय या अन्य छूट को ऐसे उल्लंघन का अधित्यजन या किसी रूपांतरण की स्वीकृति या इसके तहत ऐसे किसी अधिकार का परित्याग माना जाएगा।

18.5 अतिरिक्त दस्तावेज और कार्रवाईयां

प्रत्येक पक्ष इस करार द्वारा परिकल्पित लेनदेन को पूरा करने और इसके आशय को प्रभावी करने के लिए उचित रूप से आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेजों को निष्पादित करने और दूसरे पक्ष को वितरित करने, और ऐसी अतिरिक्त कार्रवाई करने तथा ऐसा सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत होता है।

18.6 विलंबित भुगतान के लिए ब्याज

इस करार के अनुसरण में किसी पक्ष को उचित रूप से देय कोई भी राशि जो भुगतान देय होने की तारीख के बाद भी अवैतनिक रहती है, उस पर ब्याज लगेगा (निर्णय से पहले और बाद दोनों में), ऐसा ब्याज भुगतान देय होने की तिथि से लेकर पूरी राशि के भुगतान तक दिन-प्रतिदिन के आधार पर समय-समय पर प्रभावी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की प्राइम लेंडिंग दर से 2 (दो) प्रतिशत अंक अधिक की दर से अर्जित होगा।

18.7 कोई साझेदारी नहीं

न तो यह करार, न ही कोई अन्य समझौता या व्यवस्था जिसका यह हिस्सा है, और न ही ऐसी किसी व्यवस्था के तहत पक्षों द्वारा अपने संबंधित दायित्वों का निष्पादन, पक्षों के बीच साझेदारी का गठन करेगा। किसी भी पक्ष को अपने एजेंट के रूप में या अन्यथा किसी अन्य पक्ष को बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

18.8 कोई तीसरा पक्ष लाभार्थी नहीं

यह करार केवल और अनन्य रूप से इसके पक्षकारों के लाभ के लिए है और इसके तहत ऋणदाताओं को स्पष्ट रूप से दिए गए अधिकारों को छोड़कर, किसी तीसरे पक्ष के साथ संविदात्मक संबंध नहीं बनाएगा।

18.9 उत्तरजीविता

18.9.1 इस करार की समाप्ति:

- (i) पक्षों को इसके तहत किसी भी ऐसे दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से इसके निष्कासन के बाद भी जीवित रहते हैं; तथा
- (ii) किसी भी पक्ष के दायित्व को स्पष्ट रूप से सीमित करने वाले इस करार के किसी भी प्रावधान में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, ऐसे निष्कासन के प्रभावी होने से पहले या ऐसे निष्कासन से उत्पन्न होने वाले ऐसे पक्ष के कृत्यों या चूकों के कारण दूसरे पक्ष को हुए नुकसान या क्षति के लिए किसी भी दायित्व से किसी भी पक्ष को मुक्त नहीं करेगी।

18.9.2 इस करार के रद्दीकरण, समाप्ति या निष्कासन के बाद भी बने रहने वाले सभी दायित्व इस करार के ऐसे निष्कासन या समाप्ति की तारीख के बाद केवल 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए ही जीवित रहेंगे।

18.10 उत्तराधिकारी और समनुदेशिती

यह करार पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों पर बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए लागू होगा।

18.11 मूल प्रतियां

यह करार एक या एक से अधिक प्रतियों में निष्पादित किया जा सकता है जिनमें से प्रत्येक को मूल माना जाएगा और वे सभी मिलकर एक ही करार माने जाएंगे।

18.12 समय का सार होना

उल्लिखित तिथियों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में और इस करार के अनुसार उनके स्थान पर प्रतिस्थापित की जाने वाली किसी भी तिथि, अवधि या दिन के समय के संबंध में समय इस करार का सार होगा।

18.13 समय की गणना

इस करार में संदर्भित समय भारतीय मानक समय (आईएसटी) में है। इस करार के तहत निर्धारित या अनुमत किसी भी समय की गणना करने में, उस कृत्य, घटना या चूक का दिन जिसमें से निर्दिष्ट समय अवधि शुरू होती है, शामिल किया जाएगा। यदि इस प्रकार गणना की गई अवधि का अंतिम दिन कोई कार्य दिवस नहीं है, तो वह अवधि अगले कार्य दिवस के अंत तक चलेगी।

19 शासन कानून

इस करार का अर्थ और विवेचन भारत के कानूनों के अनुसार किया जाएगा और यह भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा, और नई दिल्ली की अदालतों को इस करार से उत्पन्न या इससे संबंधित सभी मामलों पर क्षेत्राधिकार होगा।

20 भाविप्रा द्वारा प्रसंविदाएं

भाविप्रा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

- (i) सहमत होता है कि, यदि इस करार या इस करार द्वारा परिकल्पित किसी लेन-देन के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में उसके या उसकी परिसंपत्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है, तो उसकी परिसंपत्तियों के संबंध में या स्वयं की ओर से ऐसी कार्यवाहियों से किसी भी उन्मुक्ति का दावा नहीं किया जाएगा;

- (ii) किसी भी क्षेत्राधिकार में ऐसी किसी भी कार्यवाहियों में उसके विरुद्ध किसी भी निर्णय या अधिनिर्णय के प्रवर्तन के संबंध में सामान्यतः किसी भी राहत देने या ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में किसी भी प्रक्रिया को जारी करने के लिए सहमति देता है (जिसमें किसी भी संपत्ति के संबंध में, चाहे उसका उपयोग कुछ भी हो या उसका उद्देश्य कुछ भी हो, ऐसे किसी निर्णय या अधिनिर्णय या ऐसे किसी निर्णय या अधिनिर्णय से उत्पन्न किसी भी आदेश को बनाना, लागू करना या निष्पादित करना शामिल है)

जिसके साक्ष्य स्वरूप, पक्षकारों ने ऊपर सर्वप्रथम लिखित तिथि को इस करार को निष्पादित और वितरित किया है।

भाविप्रा की ओर से हस्ताक्षरित: _____

रियायतग्राही की ओर से हस्ताक्षरित: _____

साक्षी:

(1) _____ (2) _____

अनुसूची 1: भाविप्रा उपकरण और रियायतग्राही उपकरण

भाग 1: रियायतग्राही उपकरण

1.	रनवे
2.	रनवे प्रकाश व्यवस्था एवं चिन्हांकन
3.	टैक्सीवे
4.	टैक्सीवे प्रकाश व्यवस्था एवं चिन्हांकन
5.	संकेतक / साइनेज
6.	एप्रन

7.	एप्रन प्रकाश व्यवस्था एवं चिन्हांकन
8.	सुविधाएं
9.	भाविप्रा उपकरणों से संबंधित सिविल कार्य (केवल नींव)
10.	पीएपीआई और पहुंच प्रकाश व्यवस्था (एप्रोच लाइटिंग)
11.	विमानपतन बीकन (टॉवर पर स्थित)
12.	दिन एवं रात लैंडिंग चिन्हांकन
13.	वायु दिशा सूचक (प्रकाशयुक्त)
14.	पृथक्करण बे
15.	द्वितीयक विद्युत आपूर्ति
16.	एटीसी और हवाई अड्डा अग्निशमन दल के बीच हॉट लाइन्स
17.	क्रैश बेल, केबलिंग और सायरन
18.	एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था के लिए नियंत्रण पैनल एवं निगरानी प्रणाली
19.	दृश्य सहायक साधनों का उन्नयन (भावी)
20.	साइट हवाई अड्डा दिक्चालन सहायक साधनों/रडार के पहुंच मार्गों के अतिरिक्त प्रचालन क्षेत्र के लिए पहुंच मार्ग
21.	दिक्चालन सहायक साधनों/रडार प्रतिष्ठानों के लिए भवन
22.	प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार सिगनल क्षेत्र
23.	नया वायु यातायात सेवा परिसर (जिसमें नियंत्रण टॉवर, तकनीकी ब्लॉक, स्थल पर और/या स्थल से बाहर दिक्चालन सहायक साधनों/रडार के लिए भवन शामिल होंगे) जैसा कि अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना के अनुसार आवश्यक हो।

भाग 2: भाविप्रा उपकरण

भाविप्रा प्रस्तावित विमान प्रचालनों के लिए प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार सीएनएस-एटीएम सेवाएं प्रदान करने हेतु आवश्यक उपकरणों की खरीद करेगा और उन्हें

उपलब्ध कराएगा। ऐसे उपकरणों में निम्नलिखित शामिल होंगे, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

1. सहायक उपकरणों सहित वीएचएफ संचार सेट
2. डीवीओआर/डीएमई या एनडीबी
3. वॉयस रिकॉर्डर
4. आईएलएस उपकरण एवं इसके सहायक उपकरण
5. रडार एवं इसके सहायक उपकरण
6. एडीएस-बी एवं इसके सहायक उपकरण
7. एसएमजीसीएस एवं इसके सहायक उपकरण

अनुसूची 2: सीएनएस/एटीएम सेवाएं

भाविप्रा ऐसे वायुक्षेत्र की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं के भीतर वायुक्षेत्र विन्यास के अनुरूप हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सेवाओं का प्रावधान और समन्वय करेगा:

1. विमानपतन नियंत्रण सेवा, जिसमें सतह आवागमन नियंत्रण या ग्राउंड नियंत्रण शामिल है, किंतु एप्रन नियंत्रण सेवा शामिल नहीं है;
2. पहुंच नियंत्रण / पहुंच रडार नियंत्रण सेवा (यदि नियोजित हो);
3. क्षेत्र नियंत्रण / क्षेत्र रडार नियंत्रण सेवा (यदि नियोजित हो);
4. संबद्ध सेवाएं जैसे वैमानिक मोबाइल सेवा (एएमएस), वैमानिक स्थिर सेवाएं (एएफएस), वैमानिक सूचना सेवा (एआईएस), उड़ान सूचना सेवा (एफआईएस), परामर्शदात्री सेवा, चेतावनी सेवा और खोज एवं बचाव समन्वय सेवाएं यथायोग्य;

ये सभी प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार और प्रस्तावित विमान प्रचालनों के लिए आवश्यक रूप में प्रदान की जाएंगी।

अनुसूची 3: कार्यालय और सुविधाएं

रियायतग्राही भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान हेतु भाविप्रा और उसके कार्मिकों एवं एजेंटों को निम्नलिखित कार्यालय स्थान और सुविधाएं वातानुकूलन (नियंत्रण टॉवर में अलग वातानुकूलन के प्रावधान सहित, जैसा आवश्यक हो), बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति और हाउसकीपिंग के प्रावधान के साथ उपलब्ध कराएगा:

1. नियंत्रण टॉवर: रियायतग्राही आवश्यकतानुसार विभिन्न एटीएस इकाइयों, नेव-एड्स और रडार भवन के लिए 1650 वर्ग मीटर (यथा-लागू) क्षेत्र और तकनीकी ब्लॉक उपलब्ध कराएगा।
2. कार्यालय: रियायतग्राही 21,200 वर्ग मीटर का क्षेत्र उपलब्ध कराएगा।
3. कार पार्किंग: रियायतग्राही भाविप्रा के कार्मिकों और एजेंटों के उपयोग के लिए हवाई अड्डे पर 10 कार पार्किंग स्थल उपलब्ध कराएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि वातानुकूलन, बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति तथा हाउसकीपिंग का प्रावधान रियायतग्राही द्वारा अपने स्वयं के खर्च और लागत पर प्रदान किया जाएगा।

अनुसूची 4: पृथक किए गए क्षेत्र

अनुसूची 5: मौजूदा उपकरणों की सूची

1. डीवीओआर (डॉप्लर वीएचएफ सर्वदिशात्मक रेडियो रेंज)
2. लोकलाइज़र
3. लोकलाइज़र हट
4. एसएमआर (सतह आवागमन रडार)
5. एमएसएसआर (मोनोपल्स सेकेंडरी सर्विलांस रडार)
6. विद्यमान ग्लाइड पाथ एंटीना

क्र.सं.	परिसंपत्ति	क्षेत्र वर्ग मीटर (लगभग)
1.	विद्यमान एटीसी टॉवर	1,650
2.	भाविप्रा कार्यालय (पुराना भाविप्रा कार्यालय + एकीकृत कार्यालय परिसर)	21,200
3.	मौसम विज्ञान कार्यालय	6,100
4.	एमएसएसआर रडार	3,400
5.	प्रस्तावित एटीसी सह तकनीकी ब्लॉक	8,150
6.	प्रस्तावित भाविप्रा कॉलोनी	40,500
7.	कुल	79,350

अनुसूची 6: हवाई अड्डे पर सीएनएस-एटीएम उपकरणों का भावी रोडमैप

1. प्रस्तावित ग्लाइड पाथ मॉनिटर

2. प्रस्तावित ग्लाइड पाथ एंटीना
3. प्रस्तावित ग्लाइड पाथ हट
4. प्रस्तावित एटीसी सह तकनीकी ब्लॉक - 8,150 वर्ग मीटर
5. प्रस्तावित भाविप्रा कॉलोनी - 40,500 वर्ग मीटर

अनुसूची 'आर' समझौता ज़ापन

खंड 4.1.2(d)(ii) और खंड 4.1.3(i) देखें)

[उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना है]

यह समझौता ज़ापन ("एमओयू") आज दिनांक [] को [स्थान] पर निम्नलिखित के बीच निष्पादित किया गया:

पक्षकार:

1. भारत के राष्ट्रपति, जो भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के सचिव या भारत सरकार द्वारा इस संबंध में नामित किसी व्यक्ति के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (इसके बाद इसे "भारत सरकार" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल माने जाएंगे); तथा
2. [], कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्या [] है और जिसका पंजीकृत कार्यालय [] पर स्थित है (इसके बाद इसे "रियायतग्राही" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिनी और स्थानापन्न शामिल होंगे)।

संदर्भ के अनुसार, भारत सरकार और रियायतग्राही को इसके बाद सामूहिक रूप से "पक्षकार" और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा जाएगा।

जबकि:

- ए. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ("प्राधिकरण") ने रियायत करार में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, [उस राज्य का नाम जहां हवाई अड्डा स्थित है दर्ज करें] राज्य के [उस शहर का नाम जहां हवाई अड्डा स्थित है दर्ज करें] में स्थित हवाई अड्डे के लिए रियायतग्राही के साथ दिनांक [] का एक रियायत करार ("रियायत करार") निष्पादित किया है।
- बी. भारत सरकार स्वीकार करती है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए लागू कानूनों के अनुसार और इसके बाद निर्धारित किए गए अनुसार भारत सरकार द्वारा रियायतग्राही को निरंतर समर्थन और कुछ अधिकारों का अनुदान आवश्यक है, और यह परियोजना के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु एक आवश्यक पूर्व-शर्त है।
- सी. परियोजना के सुचारू संचालन और व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार यहाँ उल्लिखित अनुसार रियायतग्राही को कतिपय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है।

इसलिए, अब, एतद्द्वारा निम्नानुसार सहमति व्यक्त की जाती है:

1. परिभाषाएं और विवेचन

1.1 परिभाषाएं

इस समझौता ज्ञापन में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, और जब तक नीचे या इस समझौता ज्ञापन में अन्यत्र विशेष रूप से परिभाषित न किया गया हो, यहाँ प्रयुक्त (और यहाँ अपरिभाषित) अन्य बड़े अक्षरों से प्रारंभ होने वाले शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें रियायत करार में दिया गया है:

"पशु संगरोध सेवाएं" से तात्पर्य संगरोध सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 1 में निर्धारित है;

"पशु संगरोध सेवा प्रतिनिधि" से तात्पर्य पशु संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाए;

"लागू अनुमतियां" से तात्पर्य इस समझौता ज्ञापन के अस्तित्व के दौरान परियोजना के संबंध में भारत सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग/एजेंसी से प्राप्त किए जाने वाले और/या लागू कानूनों के तहत बनाए रखे जाने वाले सभी स्वीकृतियों, लाइसेंस, परमिट, प्राधिकरणों, अनापत्ति प्रमाण पत्रों (एनओसी), सहमतियों, अनुमोदनों और छूटों से है;

"मध्यस्थता अधिकरण" का वही अर्थ होगा जो इसे नीचे खंड 6.3.3 में दिया गया है;

"प्राधिकरण" का वही अर्थ होगा जो इसे प्रारंभिक कथन A में दिया गया है;

"प्राधिकरण प्रतिनिधि" से तात्पर्य प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

"रियायत करार" का वही अर्थ होगा जो इसे ऊपर प्रारंभिक कथन A में दिया गया है;

"रियायतग्राही" का वही अर्थ होगा जो इसे पक्षकारों के विवरण में दिया गया है या कोई अन्य पक्ष जिसे प्राधिकरण द्वारा परियोजना के लिए रियायतग्राही के रूप में स्वीकार किया जाए;

"रियायतग्राही प्रतिनिधि" से तात्पर्य कम से कम निदेशक स्तर का पद धारण करने वाले उस प्रतिनिधि(यों) से होगा, जिसे रियायतग्राही द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाए;

"सीमा शुल्क नियंत्रण" से तात्पर्य सीमा शुल्क संबंधी सेवाओं से होगा जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 3 में निर्धारित है;

"सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि" से तात्पर्य सीमा शुल्क नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाए;

"डीजीसीए" से तात्पर्य नागर विमानन महानिदेशालय या उसके किसी स्थानापन्न से होगा;

"प्रभावी तिथि" से तात्पर्य इसके अंतिम पक्षकार द्वारा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि से होगा और ऐसी तिथि रियायत करार में निर्धारित सीओडी (COD) से बाद की नहीं होगी;

"भारत सरकार" का वही अर्थ होगा जो इसे पक्षकारों के विवरण में दिया गया है;

"भारत सरकार की सहायता" का वही अर्थ होगा जो इसे इस समझौता ज्ञापन के खंड 2 में दिया गया है;

"स्वास्थ्य सेवाएं" से तात्पर्य अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 4 में निर्धारित है;

"स्वास्थ्य सेवा प्रतिनिधि" से तात्पर्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाए;

"आव्रजन सेवाएं" से तात्पर्य लागू कानून के अनुसार आव्रजन सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 5 में निर्धारित है;

"आव्रजन सेवा प्रतिनिधि" से तात्पर्य आव्रजन सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाए;

"संयुक्त समन्वय समिति" का वही अर्थ होगा जो इसे नीचे खंड 3.1.1 में दिया गया है;

"मौसम संबंधी सेवाएं" से तात्पर्य मौसम संबंधी सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 6 में निर्धारित है;

"मौसम सेवा प्रतिनिधि" से तात्पर्य मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाए;

"एमओसीए" का वही अर्थ होगा जो इसे नीचे खंड 2.6 में दिया गया है (नागर विमानन मंत्रालय);

"समझौता ज्ञापन" या **"यह एमओयू"** से तात्पर्य इस समझौता ज्ञापन से होगा;

"पादप संगरोध सेवाएं" से तात्पर्य संगरोध सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 7 में निर्धारित है;

"पादप संगरोध सेवा प्रतिनिधि" से तात्पर्य पादप संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाए;

"परियोजना" का वही अर्थ होगा जो इसे रियायत करार में दिया गया है;

"आरक्षित सेवाएं" का वही अर्थ होगा जो इसे खंड 2.3 में दिया गया है;

"सुरक्षा सेवाएं" से तात्पर्य सुरक्षा सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 8 में निर्धारित है;

"सुरक्षा सेवा प्रतिनिधि" से तात्पर्य सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाए;

"साझा टिल अनुमोदन" का वही अर्थ होगा जो इसे नीचे खंड 2.2.1 में दिया गया है; तथा

"अवधि" का वही अर्थ होगा जो इसे खंड 4 में दिया गया है।

1.2 विवेचन के नियम

1.2.1 बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) से प्रारंभ होने वाले और इस समझौता ज्ञापन में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें यहाँ दिया गया है, तथा इस समझौता ज्ञापन में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं किंतु रियायत करार में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें रियायत करार में दिया गया है, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो।

1.2.2 खंडों के संदर्भ, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इस समझौता ज्ञापन के खंडों के संदर्भ हैं।

1.2.3 रियायत करार के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में उल्लिखित विवेचन के नियम, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस समझौता ज्ञापन पर लागू होंगे।

2. भारत सरकार से सहायता

प्रभावी तिथि से, भारत सरकार एतद्वारा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित सहायता ("भारत सरकार से सहायता") प्रदान करने का वचन देती है:

2.1 लागू अनुमतियां

2.1.1 भारत सरकार, रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर और रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन, परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक ऐसी लागू अनुमतियां प्रासंगिक सांविधिक अवधि (यदि कोई हो) के भीतर रियायतग्राही को प्रदान

करने का प्रयास करेगी। पक्षकार सहमत होते हैं कि जहां कोई सांविधिक अवधि निर्धारित नहीं है, वहां भारत सरकार रियायतग्राही से ऐसा लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर परियोजना के संबंध में आवश्यक ऐसी लागू अनुमतियां प्रदान करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगी, बशर्ते कि रियायतग्राही लागू अनुमतियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट सभी मानदंडों को पूरा करता हो।

2.1.2 रियायतग्राही एतद्वारा वचन देता है कि लागू अनुमतियों को शीघ्र प्रदान करने के लिए, वह तत्परतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से:

- (क) संबंधित प्राधिकरणों के पास लागू कानून के पूर्ण अनुपालन में आवेदन तैयार करेगा और दाखिल करेगा;
- (ख) संबंधित प्राधिकरणों के साथ पूर्वोक्त आवेदनों का अनुवर्ती कार्रवाई करेगा; तथा
- (ग) अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण के सभी अनुरोधों का समय पर उत्तर देगा।

2.2 शुल्क के निर्धारण और संशोधन के सिद्धांत

2.2.1 भारत सरकार ने 15 जून, 2016 की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी) के माध्यम से भारत के सभी हवाई अड्डों के लिए वैमानिक प्रभारों के निर्धारण और विनियमन हेतु 30% (तीस प्रतिशत) शेयर्ड-टिल ढांचे को मंजूरी दी है ("शेयर्ड-टिल अनुमोदन"), और इस करार के प्रावधानों के अनुसरण में फीस/वैमानिक प्रभारों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए ऐसा द्वारा तदनुसार विचार किया जाएगा।

2.2.2 वैमानिक प्रभारों को साझा टिल अनुमोदन, रियायत करार की शर्तों और लागू कानूनों के अनुसार विनियमित और निर्धारित/पुनर्निर्धारित किया जाएगा।

2.2.3 हवाई अड्डे के भीतर सीमा शुल्क, आव्रजन, पादप संगरोध सेवाएं, पशु संगरोध सेवाएं, मौसम संबंधी सेवा, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा सेवाएं जैसी संप्रभु सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी सरकारी तंत्र/निकाय को रियायतग्राही द्वारा किए गए किसी भी भुगतान को वैमानिक प्रभारों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए पास-थ्रू माना जाएगा।

2.2.5 अन्यत्र निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, रियायतग्राही रियायत करार के खंड 15.1.1 के अनुसार सीओडी से हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं से ऐसा द्वारा अनुमोदित टैरिफ की दरों पर वैमानिक प्रभार लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने का हकदार होगा।

2.3 आरक्षित सेवाएं

2.3.1 भारत सरकार, पूरी अवधि के दौरान, हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं ("आरक्षित सेवाएं") प्रदान करेगी या करवाएगी:

- (क) सीमा शुल्क नियंत्रण;

- (ख) आब्रजन सेवाएं;
- (ग) पादप संगरोध सेवाएं;
- (घ) पशु संगरोध सेवाएं;
- (ङ) स्वास्थ्य सेवाएं;
- (च) मौसम संबंधी सेवाएं; तथा
- (छ) सुरक्षा सेवाएं।

2.3.2 रियायतग्राही हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि वह निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसियों को (क) हवाई अड्डे पर ऐसी पहुंच और सुविधाएं, और (ख) स्थान संबंधी आवश्यकताएं प्रदान करे, जो हवाई अड्डे पर आरक्षित सेवाओं का निष्पादन करने के लिए उनमें से किसी एक या सभी द्वारा अपेक्षित हों।

2.3.3 रियायतग्राही उस निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी की सहमति के बिना हवाई अड्डे पर किसी भी निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी को प्रदान किए गए स्थान और सुविधाओं को कम करने का हकदार नहीं होगा।

2.3.4 हवाई अड्डे पर किसी भी विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास की स्थिति में, जिसमें आरक्षित सेवाएं प्रदान करने या अन्यथा किसी भी निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी स्थान या सुविधाओं का स्थानांतरण या पुनर्गठन शामिल है, रियायतग्राही निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी को विधिवत सूचित करेगा और रियायतग्राही तथा वह निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी, हवाई अड्डे पर ऐसे विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के परिणामस्वरूप आवश्यक होने वाले उस निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी की स्थान संबंधी आवश्यकताओं में किसी भी परिवर्तन पर चर्चा करेंगे और सहमति व्यक्त करेंगे।

2.3.5 भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही और आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन के निष्पादन का प्रबंध करने का वचन देती है, जिसमें वे नियम और शर्तें निर्धारित की जाएंगी जिन पर संबंधित निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी द्वारा आरक्षित सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

2.4 भारत सरकार की एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन

भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही और इसके तहत आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक सरकारी एजेंसी/विभाग के बीच समझौता ज्ञापन के निष्पादन का प्रबंध करने का वचन देती है, जिसमें वे नियम और शर्तें निर्धारित की जाएंगी जिन पर प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों/विभागों द्वारा आरक्षित सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

2.5 द्विपक्षीय विमान सेवा करार

भारत सरकार के संप्रभु अधिकारों पर प्रभाव डाले बिना या किसी भी तरह से सीमित किए बिना, भारत सरकार हवाई अड्डे पर अनुसूचित विमान सेवाएं प्रदान करने के लिए उड़ान अधिकारों और सीट पात्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों से अनुरोध स्वीकार करेगी और उनकी समीक्षा करेगी। भारत सरकार / निर्दिष्ट भारत सरकार का प्राधिकरण, हवाई अड्डे पर सेवाएं प्रदान करने के लिए एयरलाइनों के अनुरोधों के आधार पर ऐसे देशों के साथ सभी मौजूदा विमान सेवा करारों को निष्पादित करने, संशोधित करने या नवीनीकृत करने का प्रयास करेगा। भारत सरकार हवाई अड्डे के संबंध में द्विपक्षीय विमान सेवा करारों में कोई अपवर्जन नहीं करेगी। हवाई अड्डे पर प्रचालन शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वाहकों को प्रोत्साहित करने हेतु, हवाई अड्डे पर उनकी अतिरिक्त आवृत्ति को द्विपक्षीय विमान सेवा करारों में नहीं गिना जाएगा। भारत सरकार हवाई अड्डे को प्रभावित करने वाले किसी भी मौजूदा विमान सेवा करार को रद्द या समाप्त न करने का प्रयास करेगी। भारत सरकार किसी अन्य देश या उसके निर्दिष्ट वाहक(कों) द्वारा ऐसे विमान सेवा करार के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफलता के कारण, या ऐसे विमान सेवा करार के दूसरे पक्ष द्वारा उल्लंघन या चूक के परिणामस्वरूप किसी भी विमान सेवा करार को रद्द या समाप्त करने की हकदार होगी।

2.6 सीमा शुल्क, आव्रजन और संगरोध

भारत सरकार अपने खर्च पर, हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क, आव्रजन और संगरोध प्रक्रियाओं को इस प्रकार स्थापित या अनुरक्षित (यथा-लागू) करेगी जिससे कि ऐसी किन्हीं या सभी सेवाओं के संबंध में भारत सरकार के किसी प्रत्यक्ष कारण से रियायतग्राही के प्रमुख निष्पादन संकेतक प्रभावित न हों। पक्षकारों का आशय इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले सीमा शुल्क और आव्रजन प्रक्रियाओं तथा संगरोध सेवाओं के संबंध में उपयुक्त सेवा स्तर मानकों पर सहमत होने के लिए उचित प्रयासों का उपयोग करना है, और नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ("एमओसीए") इस संबंध में रियायतग्राही द्वारा अनुरोध किए जाने पर तदनुसार सहायता करने का प्रयास करेगा।

2.7 सुरक्षा

- 2.7.1 भारत सरकार पुष्टि करती है कि जब तक इस समझौता ज्ञापन के तहत अन्यथा सहमति न हो, वह निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे पर सभी विमानन सुरक्षा प्रदान करेगी। बशर्ते कि, भारत सरकार और रियायतग्राही, पारस्परिक चर्चा के बाद और यदि लागू कानूनों के अनुसार अनुमत हो और यदि इसे उपयुक्त माना जाए, तो हवाई अड्डे पर संयुक्त रूप से विमानन सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था कर सकते हैं। पक्षकार स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक प्रस्थान करने

वाले यात्री पर सुरक्षा के लिए लगाया जाने वाला शुल्क समान आकार और संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ऐसे शुल्क के अनुरूप होगा और ऐसे शुल्क को सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए समान रूप से संशोधित किया जा सकता है।

2.7.2 इस समझौता ज्ञापन के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही हवाई अड्डे की सुरक्षा के संबंध में बीसीएएस (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो) और किसी अन्य निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी द्वारा स्थापित नियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा। बशर्ते कि यदि ऐसे नियम और विनियम समान या समरूप संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाई अड्डों पर सामान्यतः और निरंतर रूप से लागू नहीं होते हैं, तो रियायतग्राही ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

2.7.3 रियायतग्राही हवाई अड्डे पर सुरक्षा के प्रावधान के लिए बीसीएएस और किसी अन्य निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित ऐसे सभी सुरक्षा उपकरणों को प्रदान करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा, बशर्ते कि समान आकार और संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर समान दायित्व लगाए गए हों।

2.7.4 हवाई अड्डा भवन, यात्रियों, हवाई अड्डे पर काम करने वाले व्यक्तियों और हवाई अड्डे पर आने वाले अन्य आगंतुकों तथा विमान, माल ढुलाई (फ्रेट) और हवाई अड्डे पर अन्य संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं बीसीएएस और किसी अन्य निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी द्वारा निर्धारित अनुसार होंगी। रियायतग्राही बीसीएएस और किसी अन्य निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी द्वारा समय-समय पर जारी ऐसी सभी प्रक्रियाओं और निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा, बशर्ते कि ऐसी प्रक्रियाएं और निर्देश समान या समरूप संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाई अड्डों पर निरंतर लागू किए जाते हों।

2.7.5 रियायतग्राही हर समय निर्दिष्ट सुरक्षा एजेंसियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेगा।

2.8 मौसम संबंधी सेवा

2.8.1 भारत सरकार पुष्टि करती है कि वह भारत मौसम विज्ञान विभाग के माध्यम से या किसी अन्य निर्दिष्ट सरकारी एजेंसी के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय हवाई दिक्कालन हेतु मौसम संबंधी सेवा पर शिकागो अभिसमय के अनुसरण में समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार हवाई अड्डे पर मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करवाएगी।

2.8.2 भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा या किसी अन्य निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कार्य तथा इस खंड 2.8 के तहत रियायतग्राही द्वारा प्रदान की जाने वाली पहुंच और स्थान उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

2.9 भेदभाव रहित

समय-समय पर लागू कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संधि दायित्वों के अधीन, भारत सरकार हवाई अड्डे का उपयोग करने के लिए अनुमत वायु यातायात के वर्गों या विवरणों के संबंध में गैर-भेदभाव की नीति का पालन करेगी और उचित विनियमों के अधीन, हवाई अड्डे पर विमान के आवागमन पर कोई अनुचित सीमा न लगाने या अन्यथा हवाई अड्डे की क्षमता को प्रतिबंधित न करने का प्रयास करेगी।

3. संयुक्त समन्वय समिति

3.1 संयुक्त समन्वय समिति का गठन

3.1.1 आरक्षित सेवाओं का सुचारू और कुशल निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, पक्षकार एतद्वारा निम्नलिखित से मिलकर एक संयुक्त समन्वय समिति ("संयुक्त समन्वय समिति") गठित करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं:

- (क) प्राधिकरण प्रतिनिधि;
- (ख) एमओसीए का प्रतिनिधि;
- (ग) सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि;
- (घ) आव्रजन सेवा प्रतिनिधि;
- (ङ) मौसम सेवा प्रतिनिधि;
- (च) सुरक्षा सेवा प्रतिनिधि;
- (छ) पादप संगरोध सेवा प्रतिनिधि;
- (ज) पशु संगरोध सेवा प्रतिनिधि;
- (झ) स्वास्थ्य सेवा प्रतिनिधि; तथा
- (ञ) रियायतग्राही का प्रतिनिधि ।

3.1.2 नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार इस समिति का गठन करेगा और बैठकों की अध्यक्षता करेगा, जिसे आरक्षित सेवाओं के प्रावधान से संबंधित मुद्दों को हल करने का अधिदेश होगा।

3.2 बैठकें और सहायता

- 3.2.1 संयुक्त समन्वय समिति की अध्यक्षता सचिव, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा की जाएगी, और जब तक पक्षकारों द्वारा बाद की तारीख में बैठक आयोजित करने पर सहमति न हो, प्रभावी तिथि के 30 (तीस) दिनों के भीतर पहली बैठक के साथ हवाई अड्डे पर प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
- 3.2.2 भारत सरकार एतद्वारा हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के संबंध में भारत सरकार के नियंत्रण और निर्देशन के तहत प्रासंगिक एजेंसियों, प्राधिकरणों, विभागों, निरीक्षणालयों, मंत्रालयों के साथ संपर्क करने में रियायतग्राही को सहायता प्रदान करने का वचन देती है।

4. अवधि और निष्कासन

4.1 अवधि

- 4.1.1 यह समझौता ज्ञापन (MoU) प्रभावी तिथि से प्रभावी होगा।
- 4.1.2 यह समझौता ज्ञापन किसी भी कारण से रियायत करार के निर्धारण और/या समयपूर्व निष्कासन के साथ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा ("अवधि") ।

4.2 निष्कासन

- 4.2.1 यह समझौता ज्ञापन तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा और प्रभावी नहीं होगा, यदि रियायत करार की शर्तों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा सीओडी प्राप्त नहीं किया जाता है।
- 4.2.2 इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में रियायतग्राही को दिए गए अधिकार और लाभ, रियायत करार की शर्तों के अनुसार, रियायतग्राही के किसी भी उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती या किसी अन्य व्यक्ति (प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी उत्तराधिकारी सहित) को हस्तांतरित होंगे और उनके लाभ के लिए लागू होंगे, जो किसी भी समय हवाई अड्डे का प्रचालन कर सकते हैं।

5. अभ्यावेदन और आश्वासन

5.1 रियायतग्राही द्वारा

रियायतग्राही एतद्वारा भारत सरकार को यह अभ्यावेदन और आश्वासन देता है कि रियायत करार के तहत उसके द्वारा किए गए प्रत्येक अभ्यावेदन और आश्वासन, इस समझौता ज्ञापन के निष्पादन और वितरण के लिए इसकी शक्ति और अधिकार तथा अपेक्षित कॉर्पोरेट कार्रवाइयों सहित किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, उसमें निहित रूप और तरीके से इस समझौता ज्ञापन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित सत्य और सही होंगे।

5.2 भारत सरकार द्वारा

भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही को यह अभ्यावेदन और आश्वासन देती है कि उसके पास इस समझौता ज़ापन को निष्पादित करने का अधिकार, शक्ति और प्राधिकार है और उसने सभी आवश्यक कार्रवाइयां की हैं, तथा वह सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर इस समझौता ज़ापन के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करेगी और अपने कार्यों का निष्पादन करेगी।

6. शासन कानून और विवाद समाधान

6.1 शासन कानून

यह समझौता ज़ापन (इस खंड 6 सहित) और इसके विवेचन के सभी प्रश्नों का अर्थ भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार लगाया जाएगा।

6.2 क्षेत्राधिकार

नीचे खंड 6.3 के प्रावधानों के अधीन, नई दिल्ली की अदालतों को इस समझौता ज़ापन से उत्पन्न या इससे संबंधित मामलों पर अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

6.3 विवाद समाधान

6.3.1 पक्षकार सहमत होते हैं कि वे सद्भावपूर्ण परामर्श के माध्यम से इस समझौता ज़ापन के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा परामर्श किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को ऐसे परामर्श के लिए लिखित अनुरोध देने के तुरंत बाद शुरू होगा। बशर्ते कि यदि ऐसे सद्भावपूर्ण परामर्श शुरू होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं निकलता है, तो खंड 6.3.2 के प्रावधान लागू होंगे।

6.3.2 ऐरा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कोई भी विवाद, जिसे पक्षकारों द्वारा सौहार्दपूर्ण समाधान (जैसा कि ऊपर खंड 6.3.1 के तहत प्रदान किया गया है) के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सका, समय-समय पर यथा-संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा अंतिम रूप से तय किया जाएगा।

6.3.3 विवादों को 3 (तीन) मध्यस्थों के एक अधिकरण को संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता का प्रत्येक पक्ष 1 (एक) मध्यस्थ नियुक्त करेगा, और इस प्रकार नियुक्त 2 (दो) मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे, जो अधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा (जिन्हें संयुक्त रूप से "मध्यस्थता अधिकरण" कहा जाएगा)। मध्यस्थता की कार्यवाही नियमों के अनुसार संचालित की जाएगी।

6.3.4 ऐसी मध्यस्थता, जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, नई दिल्ली, भारत में आयोजित की जाएगी। ऐसी मध्यस्थता की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी।

6.3.5 मध्यस्थता अधिकरण का निर्णय पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

7. विविध

7.1 सूचना

- 7.1.1 इस समझौता ज्ञापन की शर्तों के तहत अपेक्षित या अनुमत या लागू कानूनों द्वारा अपेक्षित कोई भी सूचना (जब तक कि अन्यथा सहमति न हो) लिखित रूप में होगी और व्यक्तिगत रूप से वितरित की जाएगी, पंजीकृत डाक या एयर मेल द्वारा विधिवत पोस्ट और पूरी तरह से प्रीपेड लिफाफे में उचित रूप से संबोधित करके भेजी जाएगी या संबंधित पक्षों को निम्नानुसार फैक्स द्वारा भेजी जाएगी:

भारत सरकार:

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार / या भारत सरकार द्वारा इस संबंध में नामित व्यक्ति

ई-मेल: [],

फैक्स सं.: []

प्राधिकरण:

पता: [],

ध्यानार्थ: [],

ई-मेल: [],

फैक्स सं.: []

रियायतग्राही:

पता: [],

ध्यानार्थ: [],

ई-मेल: [],

फैक्स सं.: []

अथवा ऐसे अन्य पते या फैक्स नंबर पर जैसा कि इसके तहत समय-समय पर नोटिस द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

- 7.1.2 ऐसी कोई भी सूचना अंग्रेजी भाषा में होगी और उसे वास्तव में वितरित किए जाने के समय दिया गया माना जाएगा यदि हाथ से वितरित की गई हो, या फैक्स द्वारा भेजे जाने के

अगले कार्य दिवस पर या किसी अन्य स्थिति में पूर्वोक्त तरीके से डाक द्वारा भेजे जाने के 3 (तीन) दिनों के भीतर दी गई मानी जाएगी।

7.2 पृथक्करणीयता

यदि इस समझौता ज्ञापन में निहित नियमों, शर्तों या प्रावधानों में से कोई भी, या कोई हिस्सा किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी सीमा तक अमान्य, गैर-कानूनी या अप्रवर्तनीय निर्धारित किया जाता है, तो ऐसे नियम, शर्तें या प्रावधान उस सीमा तक शेष नियमों, शर्तों और प्रावधानों से पृथक् कर दिए जाएंगे, जो लागू कानून द्वारा अनुमत पूर्ण सीमा तक वैध और प्रवर्तनीय बने रहेंगे।

7.3 संपूर्ण करार

यह समझौता ज्ञापन, इसके सभी अनुलग्नकों सहित, इस समझौता ज्ञापन के विषय के संबंध में पक्षों के बीच संपूर्ण करार और समझ का प्रतिनिधित्व करता है और पक्षों के बीच लिखित या मौखिक किसी भी पूर्व समझौते या समझ का स्थान लेता है।

7.4 संशोधन

इस समझौता ज्ञापन का कोई भी परिवर्धन, संशोधन या रूपांतरण तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

7.5 समनुदेशन

इसकी प्रभावी तिथि के बाद लागू कानून में किसी भी परिवर्तन के होते हुए भी, जो अन्यथा इस समझौता ज्ञापन के समनुदेशन की अनुमति दे सकता है, कोई भी पक्ष इस समझौता ज्ञापन या इसके तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार या दायित्व अथवा इसके किसी लाभ या हित को समनुदेशित नहीं कर सकता है। परंतु पूर्वगामी के होते हुए भी, भारत सरकार एतद्वारा प्रतिस्थापन करार की शर्तों के अनुसरण में चयनित स्थानापन्न इकाई या परियोजना के संबंध में रियायतग्राही के रूप में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किसी अन्य इकाई के पक्ष में इस समझौता ज्ञापन को हस्तांतरित और नवीनीकृत करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है।

7.6 कोई रियायत नहीं

भारत सरकार या प्राधिकरण की ओर से इस समझौता ज्ञापन के तहत किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का प्रयोग करने में विफलता, और उनके द्वारा इसके प्रयोग में कोई विलंब, उसके रियायत के रूप में कार्य नहीं करेगा, और न ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का कोई एकल या आंशिक प्रयोग उसके किसी अन्य या आगे के प्रयोग अथवा किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार के प्रयोग को

रोकेगा। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस समझौता ज्ञापन में प्रदान किए गए अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार और उपचार संचयी हैं और किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार (चाहे कानून द्वारा प्रदान किए गए हों या अन्यथा) के अनन्य नहीं हैं।

अनुलग्नक 1

पशु संगरोध सेवाएं

क. आगमन से पूर्व:

- (i) पशु के आयात के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, सभी शेड और चारे के स्टोर को पूरी तरह से साफ किया जाता है, उपयुक्त कीटाणुनाशकों से कीटाणुरहित किया जाता है और धूमन भी किया जाता है;
- (ii) विभिन्न प्रजातियों के जानवरों के मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार, सभी जानवरों को एक उपयुक्त पशु वाहक में ले जाया जाता है;
- (iii) जानवरों के आगमन की निर्धारित तिथि से एक दिन पहले पशु वाहक को उचित रूप से कीटाणुरहित किया जाता है;
- (iv) आवश्यक नमूने एकत्र करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं।

ख. प्रवेश बिंदु पर आगमन पर:

- (i) आगमन के दिन और आयातक के साथ तय किए गए समय पर, क्षेत्रीय संगरोध अधिकारी और अन्य कर्मचारी हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं;
- (ii) पशु या उत्पादों की भौतिक रूप से पूरी तरह से जांच की जाती है;
- (iii) निर्दिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए जानवरों या उत्पादों के साथ आने वाले पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र की पूरी तरह से जांच की जाती है;
- (iv) यह सुनिश्चित करने के बाद कि जानवर चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ हैं और खेप के साथ आने वाले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सही हैं, सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात करने वाली एजेंसी को मामले के आधार पर अनंतिम संगरोध निकासी प्रमाण पत्र (आयात) या पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (आयात) जारी किया जाता है;
- (v) आयातित जीवित जानवरों को क्षेत्रीय/संगरोध अधिकारी की देखरेख में संगरोध केंद्र में लाया जाता है;

- (vi) जानवरों की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए जानवरों को 30 (तीस) दिनों के लिए या भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रोटोकॉल में निर्दिष्ट अनुसार संगरोध में रखा जाता है;
- (vii) पशुधन उत्पादों के मामले में, प्रतिनिधि नमूने लिए जाएंगे और स्वच्छता आयात परमिट में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रासंगिक प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाएगा।

अनुलग्नक 2

[अप्रयुक्त]

अनुलग्नक 3

सीमा शुल्क नियंत्रण

- (क) वॉकथ्रू चैनल पर सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ख) ग्रीन / रेड चैनल में बैगेज परीक्षण काउंटरों पर सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ग) बैगेज मॉल के भीतर बैगेज सहायक/उपायुक्त की सेवाओं का प्रावधान;
- (घ) रोके गए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ङ) गलत तरीके से प्रबंधित सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (च) कीमती सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (छ) पुनः लदान वाले सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ज) जब्त किए गए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (झ) निकास द्वार के पास गेट अधिकारी द्वारा तैनाती;
- (ञ) निर्यात प्रमाण पत्र जारी करना;
- (ट) सीमा शुल्क कार्यों के संबंध में प्रासंगिक अधिकारियों की सेवाएं;
- (ठ) वायु आसूचना इकाई (एआईयू) ।

अनुलग्नक 4

स्वास्थ्य सेवाएं

- (क) पक्षकार एतद्वारा यह दर्ज करते हैं कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) का यह उद्देश्य है कि वह हवाई अड्डा टर्मिनल पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने और निम्नलिखित गतिविधियों को शुरू करने का प्रयास करे ("स्वास्थ्य सेवाएं"):
- (i) यात्रियों, आगंतुकों, एयरलाइन कर्मचारियों, भारत सरकार, प्राधिकरण, रियायतग्राही और अन्य प्रासंगिक सरकारी विभागों के कर्मचारियों और अन्य कार्मिकों के लाभ के लिए दिन के सभी समय हवाई अड्डा टर्मिनल और कार्गो परिसर में चिकित्सा सुविधाएं;
 - (ii) डीजीएचएस द्वारा समय-समय पर निर्णय के अनुसार चिकित्सा अधिकारियों और अन्य डीजीएचएस कार्मिकों को हवाई अड्डा टर्मिनल पर तैनात किया जाना;
 - (iii) डीजीएचएस समय-समय पर कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करेगा और हवाई अड्डे पर/उसके आसपास चिकित्सा सुविधाओं का समय तय करेगा;
 - (iv) डीजीएचएस हवाई अड्डे पर ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित किए जाएं।
- (ख) यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि डीजीएचएस उपर्युक्त खंड (क)(i) में उल्लिखित सभी या किन्हीं स्वास्थ्य सेवाओं और/या सुविधाओं को प्रदान नहीं करता है, तो रियायतग्राही के प्रति उसका किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा। ऐसे किसी भी दायित्व को एतद्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया जाता है। रियायतग्राही एतद्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि उपर्युक्त खंड (क)(i) में उल्लिखित स्वास्थ्य सेवाओं या सुविधाओं में से किसी के गैर-प्रावधान या आंशिक प्रावधान के लिए उसके पास डीजीएचएस या किसी अन्य सरकारी निकाय के खिलाफ कोई अधिकार या उपाय नहीं होगा।

अनुलग्नक 5

आप्रवासन सेवाएं

लागू कानूनों के तहत हवाई अड्डे पर आव्रजन सुविधा और सेवाएं प्रदान करना तथा विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्य।

अनुलग्नक 6

मौसम संबंधी सेवाएं

इसमें आईसीएओ अनुलग्नक 3 और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तकनीकी प्रावधानों के अनुसार विमानन मौसम सेवाएं प्रदान करना शामिल है, साथ ही विमान प्रचालन की सुरक्षा के संबंध में निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी के मानक एवं अनुशंसित प्रथाएं तथा हवाई दिक्चालन अभिसमय शामिल हैं।

अनुलग्नक 7

पादप संरक्षण एवं संगरोध सेवाएं

ये कार्य विनाशकारी कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 और पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 तथा इसके संशोधनों के तहत विदेशी कीटों और बीमारियों के देश में प्रवेश के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए निष्पादित किए जाते हैं, जो भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ये प्रथाएं अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण अभिसमय (आईपीपीसी) के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हैं और डब्ल्यूटीओ के स्वच्छता और पादप-स्वच्छता समझौते के तहत मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- (क) विदेशी कीटों और बीमारियों के प्रवेश को रोकने के लिए आयातित कृषि वस्तुओं का निरीक्षण, परीक्षण, उपचार और रिलीज;
- (ख) निर्यात के लिए अभिप्रेत कृषि वस्तुओं का दृश्य परीक्षण और उपचार;
- (ग) निर्यात के लिए अभिप्रेत कृषि वस्तुओं के लिए पादप-स्वच्छता प्रमाण पत्र जारी करना;
- (घ) आयातित लकड़ी पैकेजिंग सामग्री का निरीक्षण और उपचार;
- (ङ) प्रवेशोत्तर संगरोध निरीक्षण; तथा
- (च) कृषि वस्तुओं का धूमन / विसंक्रमण / कीटाणुशोधन ।

अनुलग्नक 8

सुरक्षा सेवाएं

- (क) आईसीएओ के शिकागो सम्मेलन के अनुलग्नक 17 के अनुसार, हवाई अड्डा प्रचालकों, एयरलाइन प्रचालकों और एविएशन सुरक्षा (एवसेक) उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार उनकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए निर्दिष्ट सरकारी एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना;
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि निर्दिष्ट सरकारी एजेंसी और उसके सुरक्षा नियंत्रण लागू करने वाले कार्मिक उचित रूप से प्रशिक्षित हों और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक सभी दक्षताओं से युक्त हों;
- (ग) विमानन सुरक्षा मामलों की योजना और समन्वय; तथा
- (घ) सुरक्षा कर्मचारियों की व्यावसायिक दक्षता और सतर्कता का परीक्षण करने के लिए निर्दिष्ट सरकारी एजेंसी के माध्यम से औचक/डमी जांच करना तथा विभिन्न एजेंसियों की आकस्मिक योजनाओं और प्रचालन तत्परता की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए मॉक अभ्यास आयोजित करना ।

जिसके साक्ष्य स्वरूप, पक्षकारों ने ऊपर सर्वप्रथम लिखित दिन और वर्ष को अपने विधिवत अधिकृत अधिकारियों और प्रतिनिधियों द्वारा इस समझौता ज्ञापन को निष्पादित कराया है।

के द्वारा हस्ताक्षरित

भारत सरकार की ओर से

साक्षी: _____

हस्ताक्षरित: _____

रियायतग्राही की ओर से

साक्षी: _____

हस्ताक्षरित: _____

अनुसूची 'एस' चयनित कर्मचारी

यह दर्शाया गया है कि हवाई अड्डे पर चयनित कर्मचारी निम्नानुसार हैं:

समूह	संवर्ग (समग्र और नीचे)	कर्मचारी संख्या
क	प्रबंधक / वरिष्ठ प्रबंधक / सहा. महाप्रबंधक	25
ई3	वरिष्ठ प्रबंधक	13
ई4	सहायक महाप्रबंधक	7
ई5	उप महाप्रबंधक	5
ख-कार्यपालक	कनिष्ठ कार्यपालक / सहायक प्रबंधक	21
ई1	कनिष्ठ कार्यपालक	13
ई2	सहायक प्रबंधक	8
ख-गैर-कार्यपालक	अधीक्षक / वरिष्ठ अधीक्षक (एसजी)	46
एन9	वरिष्ठ अधीक्षक	12
एनएस	वरिष्ठ अधीक्षक (एसजी)	34
ग	कनिष्ठ सहायक / सहायक / वरिष्ठ सहायक / पर्यवेक्षक	46
एन4	कनिष्ठ सहायक	10
एन5	सहायक	2
एन6	वरिष्ठ सहायक	5
एन7	पर्यवेक्षक	15
एन8	अधीक्षक	7
एस6	सहायक-एसजी-एनई-6	
एस8	पर्यवेक्षक (एसजी)	7
घ	परिचर / वरिष्ठ परिचर	35

डी6	परिचर-एसजी-एनई-6	5
एन2	परिचर	8
एन3	वरिष्ठ परिचर	15
एस4	वरिष्ठ परिचर-एसजी-एनई4	7
एस5	वरिष्ठ परिचर-एसजी-एनई5	
कुल योग		173

अनुसूची 'टी' वर्तमान अनुबंध

हवाई अड्डे पर राजस्व अनुबंधों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	सुविधा का नाम	पार्टी का नाम	अनुबंध की अवधि (वर्षों में)	नियमित अनुबंध / तदर्थ या विस्तार, कृपया इंगित करें
1	वाहन पार्किंग	एस. एस. एंटरप्राइजेज	03 वर्ष, 26-10-2017 से 25-10-2020	नियमित
2	पैकेज्ड चाय बिक्री काउंटर (सीसी)	ग्रीन गोल्ड असम प्राइवेट लिमिटेड	03 वर्ष, 27-05-2014 से 26-05-2017	खुदरा श्रेणी / तदर्थ / विस्तार
3	स्नैक बार (सीसी)	मैसर्स किरणश्री पोटिको	05 वर्ष, 30-01-2011 से 29-01-2016	खानपान (F&B) / तदर्थ / विस्तार
4	कचरा निपटान अनुबंध	सुश्री निभा भट्टाचार्य	03 वर्ष, 01-08-2016 से 31-07-2019	नियमित
5	होटल आरक्षण काउंटर (एआरआर)	मैसर्स विश्वरत्न होटल	03 वर्ष, 07-07-2017 से 06-07-2020	नियमित
6	स्पा (सीसी)	मैसर्स ब्लश स्पा एंड सैलून	5 वर्ष, 22-07-2016 से 21-07-2021	नियमित
7	प्रीपेड टैक्सी सेवा (एआरआर)	मैसर्स बोरझार टूरिस्ट कैब एसोसिएशन	2 वर्ष, 01-05-2017 से 30-04-2019	नियमित
8	--	--	--	--

9	हस्तशिल्प एवं हथकरघा स्टॉल (CC)	असम पर्यटन विकास निगम (Assam Tourism Development Corpn.)	3 वर्ष, 19-06-2013 से 18-06-2016	--
10	इन-बिल्डिंग समाधान (IBS)	स्मार्टएक्स सर्विसेज लिमिटेड (Smartx Services Limited)	7 वर्ष (3 वर्ष विस्तार योग्य), 01-06-2018 से 31-05-2025	नियमित
11	एक्सक्यूटिव लाउंज (प्रस्थान)	पुष्पक एयर ट्रेवल (Pushpak Air Travel)	3 वर्ष, 01-08-2014 से 31-07-2017	विस्तार/तदर्थ; संशोधित आरेख के अनुसार एसएचए (SHA) में स्थानांतरण लंबित होने के कारण सामान्य निविदा लंबित
12	आंतरिक विज्ञापन अधिकार (Indoor Advertising Rights)	फास्ट ट्रैक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज	4 (+/-1) वर्ष, 29-10-2018 से 28-10-2022 (+6M)	नियमित
13	ब्रांडेड फुटवियर (Branded Footwear inside SHA)	पेवर्स इंग्लैंड लिमिटेड	01 वर्ष, 09-11-2014 से 08-11-2015	खुदरा / तदर्थ / विस्तार
14	यात्री आवश्यकता सह उपहार दुकान (Traveler requisite cum gift shop)	एवीए मर्चेंडाइजिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	5 वर्ष, 24-02-2015 से 23-02-2020	संशोधित नई नीति के अनुसार निविदा शीघ्र जारी की जाएगी
15	फूड कोर्ट (सिटी साइड) एयर इंडिया कार्गो के पास	आनंद टिफिन	5 वर्ष, 02-03-2015 से 01-03-2020	खानपान / तदर्थ / विस्तार
16	टर्मिनल भवन के बाहर विशेष विज्ञापन अधिकार	फास्ट ट्रैक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज	10 वर्ष, 26-03-2015 से 25-03-2025	नियमित
17	वैडिंग मशीन (CC/DEP/SHA/NEW SHA)	मैसर्स राज ग्रुप	3 वर्ष, 24-04-2015 से 23-04-2018	खानपान / तदर्थ / विस्तार
18	स्नैक बार (SHA - भूतल)	होटल प्रदीप	5 वर्ष,	खानपान

			05-08-2015 से 04-08-2020	
19	एटीएम - (इनसाइड)	केनरा बैंक	3 वर्ष, 22-02-2017 से 21-02-2020	नियमित
20	मुद्रा विनिमय काउंटर (ARR & DEP)	मैसर्स थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड	3 वर्ष, 07-12-2017 से 06-12-2020	नियमित
21	मास्टर रियायत - (खानपान)	होटल प्रदीप	7 वर्ष	नियमित
22	मास्टर रियायत - (खुदरा)	फ्र्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस लिमिटेड और ट्रैवल रिटेल सर्विस का कंसोर्टियम	7 वर्ष	नियमित
23	यात्रा बुकिंग काउंटर - (प्रस्थान)	मैसर्स शुभयात्रा	5 वर्ष, 24-09-2018 से 23-09-2023	नियमित
24	यात्रा बुकिंग काउंटर - (आगमन)	मैसर्स शुभयात्रा	5 वर्ष, 24-09-2018 से 23-09-2023	नियमित
25	घरेलू टूर ऑपरेटर 1	असम पुष्पक ट्रैवल एजेंसी	3 वर्ष, 26-08-2018 से 25-08-2021	नियमित
26	घरेलू टूर ऑपरेटर 2	सहारा टूर एंड ट्रेवल्स	3 वर्ष, 30-11-2018 से 29-11-2021	नियमित
27	विज्ञापन अधिकारों के बदले पीबीटी (PBTs) की पुनर्प्राप्ति	फास्ट ट्रैक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज	3 महीने, 01-11-2018 से 31-01-2019	अस्थायी व्यवस्था

हवाई अड्डे पर प्रचालन अनुबंधों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम और पता	अनुमानित राशि (रु.)	स्वीकृति तिथि	प्रारंभ तिथि	निविदा राशि (रु.)	अवधि
1	एमईएसएस (एलजीबीआई हवाई अड्डे पर यात्री टर्मिनल भवन का रखरखाव / Up keeping)	मैसर्स अपशॉट यूटिलिटी सर्विसेज, चेन्नई	3,94,38,794/-	10/01/2016	01/02/2016	3,08,11,849/-	03 वर्ष
2	ईएसएस (एलजीबीआई हवाई अड्डे पर सहायक भवन का रखरखाव)	वार्सद डिटेक्टिव एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, गुडगांव	76,12,200/-	28/02/2017	01/03/2017	55,25,370/-	03 वर्ष
3	आगमन आरक्षित लाउंज / प्रस्थान आरक्षित लाउंज और औपचारिक लाउंज के लिए अनुबंध	मैसर्स बंगाल प्रोटेक्टिव गार्ड प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता	19,96,784/-	17/05/2018	01/06/2018	19,76,904/-	01 वर्ष
4	सूचना डेस्क / विश्राम कक्ष / टर्मिनल प्रबंधक कार्यालय हेतु कार्य अनुबंध	एचआरडी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज प्रा. लि., करीमगंज	37,25,784/-	25/07/2018	01/08/2018	32,90,976/-	01 वर्ष
5	टर्मिनल एवं अन्य सहायक भवनों में एकीकृत कीट नियंत्रण उपचार	पेस्ट कंट्रोल एम. वाल्शे, नरीमन प्वाइंट, मुंबई	9,59,667/-	26/03/2018	01/04/2018	6,62,400/-	01 वर्ष
6	हवाई अड्डा प्रचालन नियंत्रण केंद्र (AOCC) में जनशक्ति आपूर्ति हेतु अनुबंध	मैसर्स वैनिटी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, इलाहाबाद	16,40,075/-	27/07/2018	01/08/2018	14,91,879.48/-	01 वर्ष
7	पक्षी एवं पशु खतरा नियंत्रण हेतु अनुबंध	एचआरडी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज प्रा. लि., करीमगंज	60,40,390/-	30/10/2018	03/11/2018	51,24,000/-	01 वर्ष

हवाई अड्डे पर रखरखाव अनुबंधों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	कार्य का नाम	संविदाकारका नाम और पता	स्वीकृत मूल्य (लाख रु.)	प्रारंभ तिथि	पूर्णता की निर्धारित तिथि
1	सजनपारा, बोरसिल्ला एवं मिर्जा पहाड़ियों पर एलईडी प्रकार (एसपीओएल) प्रणाली की निगरानी व सुरक्षा सहित वार्षिक व्यापक रखरखाव अनुबंध	मैसर्स एन.डी. एंटरप्राइजेज, अजरा, गुवाहाटी	7.34	01.06.2017	31.05.2018 / 31.12.2018
2	50 किलोवाट इमर्सन मेक सोलर इन्वर्टर और इसके बैटरी बैंक का वार्षिक व्यापक रखरखाव अनुबंध	मैसर्स वर्टिव एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता	2.39	05.10.2017	04.10.2018 / 04.01.2019
3	अग्नि अलार्म, ऑटो डायलर प्रणाली और फायर हाइड्रेंट प्रणाली का वार्षिक रखरखाव अनुबंध	मैसर्स एआरसी सर्विसेज, जैतपुर, बदरपुर, नई दिल्ली	10.89	01.12.2017	30.11.2018
4	वजन तराजू का वार्षिक व्यापक रखरखाव अनुबंध	मैसर्स नॉर्थ ईस्ट स्केल्स, उलूबाड़ी, गुवाहाटी	3.67	06.01.2018	05.01.2019
5	जल शोधन संयंत्र का वार्षिक रखरखाव अनुबंध	मैसर्स वृषभ इंडस्ट्रीज, जीएस रोड, गुवाहाटी	3.38	01.04.2018	31.03.2019
6	एसएचए में कोन (KONE) लिफ्ट का वार्षिक व्यापक रखरखाव अनुबंध	मैसर्स कोन एलिवेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी	12.58	01.07.2018	30.06.2023
7	सीसीआरएस एवं एएलसीएमएस प्रणाली का वार्षिक रखरखाव अनुबंध	मैसर्स नास् सिस्टम, दहिसर (पश्चिम), मुंबई	21.53	01.09.2018	31.08.2021
8	तकनीकी ब्लॉक, प्रचालन क्षेत्र, नेव-एड्स, एसएसआर-एमएसएसआर (रडार) और आउटर मार्कर के ई एंड एम (विद्युत एवं यांत्रिक) प्रतिष्ठानों का प्रचालन एवं रखरखाव अनुबंध	मैसर्स स्टर्लिंग एंड विल्सन प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता	228.09	01.04.2018	31.03.2020
9	आगमन एवं प्रस्थान कन्वेयर बेल्ट का वार्षिक प्रचालन एवं रखरखाव अनुबंध	मैसर्स गैमन डंकरली एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	113.43	10.04.2018	09.04.2021
10	5 वर्षों के लिए विभिन्न हवाई अड्डों पर ओटिस (OTIS) मेक लिफ्ट एवं एस्केलेटर का वार्षिक व्यापक रखरखाव अनुबंध (गुवाहाटी हवाई अड्डे के लिए लिफ्ट)	मैसर्स ओटिस एलिवेटर कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली	9.18	01.06.2018	31.05.2023
11	5 वर्षों के लिए यूटी मेक लिफ्ट एवं एस्केलेटर का वार्षिक व्यापक रखरखाव अनुबंध (गुवाहाटी हवाई अड्डे के लिए लिफ्ट)	मैसर्स यूटी लिमिटेड, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	6.09	01.06.2018	31.05.2023
12	3 वर्षों के लिए विभिन्न हवाई अड्डों पर जॉनसन मेक लिफ्ट एवं एस्केलेटर का वार्षिक व्यापक रखरखाव अनुबंध (गुवाहाटी हवाई अड्डे के एस्केलेटर)	मैसर्स जॉनसन लिफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अन्ना नगर, चेन्नई	20.51	01.08.2018	31.07.2021
13	वर्टिव मेक के 2 x 120 केवीए जीएलएफ यूपीएस का सीएमसी	मैसर्स वर्टिव एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, साल्ट लेक, कोलकाता	10.41	19.03.2015	18.03.2020

14	विभिन्न हवाई अड्डों पर पीबीबी (पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज) एवं वीडिजीएस/एवीडीजीएस का प्रचालन एवं एआईसीएमसी	मैसर्स श्री डी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड, गुडगांव, हरियाणा	189.02	01.08.2018	31.07.2021
15	विभिन्न हवाई अड्डों पर पीबीबी एवं एवीडीजीएस का प्रचालन एवं एआईसीएमसी	मैसर्स एडेलटे एयरपोर्ट टेक्नोलॉजीज	166.00	01.12.2018	30.11.2025
16	पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न हवाई अड्डों पर स्थापित कमिंस मेक डीजी सेटों का एएमसी (शाखा: गुवाहाटी हवाई अड्डा)	मैसर्स कमिंस इंडिया ऑफिस कैंपस, बालेवाड़ी, पुणे	86.26	01.08.2018	31.07.2021
17	एलजीबीआई हवाई अड्डे पर स्थापित टायर किलर और बोलाई प्रणाली का वार्षिक व्यापक रखरखाव अनुबंध	मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उलूबाड़ी, गुवाहाटी	61.03	07.03.2018	06.03.2021
18	पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित केओईएल मेक डीजी सेटों का वार्षिक रखरखाव अनुबंध (शाखा: एलजीबीआई हवाई अड्डा)	मैसर्स किल्स्कर ऑयल इंजनों लिमिटेड, पानबाजार, गुवाहाटी	3.96	01.09.2018	31.08.2021
19	33/11/0.433 केवी आउटडोर/इंडोर सबस्टेशन, टर्मिनल भवन, कार पार्क, पहुंच मार्ग एवं निकास मार्ग, एम.टी. वर्कशॉप, कार्गो भवन आदि पर संपूर्ण ई एंड एम (विद्युत एवं यांत्रिक) प्रतिष्ठानों का प्रचालन एवं रखरखाव	मैसर्स स्टर्लिंग एंड विल्सन प्राइवेट लिमिटेड, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता	160.94	16.04.2018	15.04.2020
20	एलजीबीआई हवाई अड्डे पर स्थापित 250 किलोवाट-पीक और 50 किलोवाट-पीक सौर ऊर्जा संयंत्र का वार्षिक व्यापक रखरखाव अनुबंध	मैसर्स प्रीमियर सोलर पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड, सिकंदराबाद, हैदराबाद	33.61	02.04.2018	01.04.2021
21	ब्लू स्टार मेक पीसीपीए इकाइयों और एयर-कूल्ड प्रशीतन इकाई का व्यापक रखरखाव (अर्थात एटीएस ऑटोमेशन केंद्र में पीसीपीए इकाई का संचालन)	मैसर्स ब्लू स्टार लिमिटेड, गुवाहाटी	45.96	01.08.2018	31.07.2021
22	एलजीबीआई हवाई अड्डे पर हाइड्रोलिक (आर्टिकुलेंटिंग प्रकार) बूम लिफ्ट कार्य सीढ़ी (एएमसी अनुबंध)	मैसर्स एमटीएंडटी (Mtandt) लिमिटेड, चेन्नई	1.25	11.08.2017	10.08.2022
23	एलजीबीआई हवाई अड्डे पर विंडो एसी और स्प्लिट एसी इकाइयों का व्यापक रखरखाव अनुबंध	मैसर्स स्टर्लिंग एंड विल्सन प्राइवेट लिमिटेड, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता	49.48	01.04.2018	31.03.2020
24	एलजीबीआई हवाई अड्डे पर केंद्रीकृत और पैकेज एसी संयंत्रों का प्रचालन और व्यापक रखरखाव अनुबंध (2018-21)	मैसर्स वोल्तास लिमिटेड, गोदरेज वाटर साइड, कोलकाता	244.40	01.05.2018	30.04.2021
25	एलजीबीआई हवाई अड्डे पर एसएसआर/एमएसएसआर की स्थापना (शाखा: प्रिसिजन एयर कंडीशनिंग एवं संबद्ध कार्य - 5 वर्ष सीएमसी)	मैसर्स निकोम इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	5.00	21.06.2018	20.06.2023
26	भाविप्रा/बीसीएस एकीकृत कार्यालय परिसर में स्थापित वीआरवी प्रणाली का वार्षिक व्यापक रखरखाव	मैसर्स एस अलायंस, गुवाहाटी	33.54	01.10.2017	30.09.2020

27	भाविप्रा/बीसीएस एकीकृत कार्यालय परिसर में 320 केवीए डीजी सेट का व्यापक रखरखाव अनुबंध (2017-20)	मैसर्स प्रताप टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड	2.48	10.02.2018	09.02.2021
28	आवासीय कॉलोनी में जल पंपिंग सेटों तथा हूंगर सबस्टेशन में ई एंड एम प्रतिष्ठानों का प्रचालन एवं रखरखाव (2018-2020)	मैसर्स जे.एच. एसोसिएट्स, गुवाहाटी	74.19	01.04.2018	31.03.2020
29	गुवाहाटी हवाई अड्डे पर एकीकृत कार्यालय परिसर में स्थापित ओमेगा मेक लिफ्टों का 5 वर्षों के लिए वार्षिक व्यापक रखरखाव अनुबंध	मैसर्स ओमेगा एलिवेटर्स, अहमदाबाद, भारत	10.11	01.08.2018	31.07.2023
30	भाविप्रा/बीसीएस एकीकृत कार्यालय परिसर में स्थापित ई एंड एम प्रतिष्ठानों का एएमसी	मैसर्स स्टर्लिंग एंड विल्सन लिमिटेड	55.75	01.10.2018	30.09.2020
31	पुराने आरईडी भवन, भाविप्रा आवासीय कॉलोनी एवं सीआईएसएफ बैरकों में ई एंड एम प्रतिष्ठानों का एएमसी	मैसर्स अभिषेक एसोसिएट्स, अहमदाबाद	98.79	01.11.2018	31.10.2020
32	भाविप्रा आवासीय कॉलोनी के मौजूदा पुराने जल शोधन संयंत्रों की एकमुश्त ओवरहालिंग और पांच वर्षीय व्यापक रखरखाव अनुबंध	मैसर्स वृषभ इंडस्ट्रीज, गुवाहाटी	34.55	23.08.2015	22.08.2020

प्रगतिरत / निमार्णाधीन पूंजीगत कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रु.)	प्रारंभ तिथि	करार अनुसार पूर्णता तिथि	30/06/201 9 तक संभावित भौतिक प्रगति (%)	30/06/2019 तक संभावित वित्तीय व्यय (करोड़ रु.)	टिप्पणियां
1	टर्मिनल भवन का संशोधन (सिविल साइड, वीआईपी लाउंज, एटीसी टॉवर आदि) - शाखा: विविध सिविल, विद्युत एवं सीएनएस कार्य	मैसर्स बिकाश एंटरप्राइजेज	2.150	22.11.2017	04.02.2018	100%	2.62	कार्य 14-08-2018 को पूर्ण। सीएनएस कार्य का अंतिम बिल तैयार किया जा रहा है।
2	एनटीबी (नए टर्मिनल भवन) में शौचालयों का नवीनीकरण	श्री पंकज कुमार दास	0.740	07.07.2017	06.07.2018	100%	0.88	कार्य 09-11-2018 को पूर्ण। अंतिम बिल प्रक्रियाधीन।
3	टर्मिनल भवन में आंतरिक साज-सज्जा का नवीनीकरण (प्रस्थान एवं आगमन वीआईपी लाउंज सहित)	मैसर्स राज वुडआर्ट इंटीरियर लिमिटेड	1.210	30.09.2017	28.12.2017	100%	1.18	कार्य 28.09.2018 को पूर्ण। अंतिम बिल तैयार किया जा रहा है।
4	आगमन पर आब्रजन काउंटरों की आपूर्ति एवं स्थापना	प्राइम प्रोग्रेशन आईकॉम (इंडिया) प्रा. लि.	0.114	16.01.2019	01.03.2019	100%	0.11	कार्य अभी स्वीकृत हुआ
5	इग्रेस टेबल और फ्रिस्किंग बूथ की आपूर्ति एवं स्थापना	मैसर्स चंदन साहू	0.184	27.01.2019	12.03.2019	100%	0.18	कार्य अभी स्वीकृत हुआ
6	टर्मिनल भवन विस्तार के कारण सिटी साइड क्षेत्र में एमएसएसआर, कार्गो एवं अन्य कार्यों के लंबित सिविल कार्य	मैसर्स फाल्कन इंटीरियर्स सॉल्यूशन (इंडिया) प्रा. लि.	1.000	12.01.2018	11.11.2018	100%	0.91	अंतिम बिल प्रक्रियाधीन।
7	विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक ई-शौचालयों की आपूर्ति, स्थापना एवं कमीशनिंग	मैसर्स परान ज्योति सैकिया	1.860	15.03.2018	14.06.2018	40%	0.60	कार्य समाप्त (foreclose) किया जाना है।
8	अतिरिक्त कार पार्किंग क्षेत्र का निर्माण	मैसर्स मुसद्दिक इकबाल हजारीका	0.538	04.06.2018	03.08.2018	100%	0.54	अंतिम बिल तैयार किया जा रहा है।
9	कॉमन यूजर डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल चरण-II का निर्माण (सिविल एवं विद्युत)	मैसर्स जय मां कामाख्या इंफ्रास्ट्रक्चर	6.797	13.08.2018	12.11.2019	40%	3.25	कार्य प्रगति पर है।
10	नए टर्मिनल भवन, एटीसी टॉवर, हंगर, फायर स्टेशन आदि का निर्माण (शाखा: ई एंड एम वर्कशॉप का निर्माण)	कॉम्पिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंसल्टिंग प्रा. लि.	3.798	07.01.2016	07.01.2017	100%	4.90	पूर्ण
11	अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल का नवीनीकरण/निर्माण	मैसर्स जय मां कामाख्या इंफ्रास्ट्रक्चर	1.259	08.07.2018	07.04.2019	100%	1.25	पूर्ण
12	टर्मिनल भवन के सामने टैसाइल फैब्रिक कैनोपी का विस्तार (चरण-II)	मैसर्स विनायक इंफ्रा साइन्स	2.188	23.08.2018	22.02.2019	0%	0.00	प्रगति शून्य
13	काहीकुची स्थित सीआईएसएफ परिसर में सीआईएसएफ बैरक और डॉग केनेल का निर्माण एवं संबद्ध कार्य	मैसर्स जय मां कामाख्या इंफ्रास्ट्रक्चर	6.530	--	--	20%	2.00	कार्य प्रगति पर
14	नए एग्रन पर एग्रन फलड लाइटिंग टावरों की मौजूदा फलड लाइट फिटिंग को गुवाहाटी	मैसर्स एम.एस. कंस्ट्रक्शन,	0.565	17.03.2018	16.07.2018	100%	0.56	पूर्ण

	एलईडी फिटिंग से बदलना तथा आइसोलेशन बे लाइट का प्रावधान							
15	कार पार्किंग क्षेत्र में हाई मास्ट लाइटिंग टावरों का प्रावधान	मैसर्स शर्मा ट्रेड एजेंसी, गुवाहाटी	0.255	03.08.2018	02.11.2018	100%	0.25	पूर्ण
16	विभिन्न स्थानों पर विविध विद्युत प्रतिष्ठानों की एसआईटीसी - नेव-एड्स के लिए अतिरिक्त विद्युत केबल का प्रावधान आदि	मैसर्स रीमा इलेक्ट्रिकल्स, गुवाहाटी	0.661	28.09.2018	27.01.2019	100%	0.66	पूर्ण
17	स्टैंडबाय 33केवी एचटी केबल की आपूर्ति और बिछाना	मैसर्स शर्मा ट्रेड एजेंसी, गुवाहाटी	0.249	24.06.2018	23.08.2018	100%	0.25	पूर्ण
18	वीआईपी विश्राम कक्षों का नवीनीकरण (शाखा: विद्युत कार्य)	मैसर्स एस एंड बी इलेक्ट्रिकल्स, दिसपुर	0.088	08.11.2018	05.02.2019	100%	0.09	पूर्ण
19	विभिन्न स्थानों के लिए पुरानी एसी इकाइयों, वाटर कूलर और प्यूरीफायर को बदलना	मैसर्स एस अलायंस प्रा. लि., गुवाहाटी	0.270	17.10.2018	16.02.2019	100%	0.27	पूर्ण
20	सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के मौजूदा पैनल, केबल और एचयू को बदलना	मैसर्स गंगा कंस्ट्रक्शन, गुवाहाटी	0.291	29.11.2018	28.03.2019	100%	0.29	पूर्ण
21	02 एंड अप्रोच और 02/20 एंड पीएपीआई लाइटिंग सिस्टम की खराब केबल को बदलना	मैसर्स बोस इंजीनियरिंग एंड मार्केटिंग कंपनी, कोलकाता	0.465	12.01.2019	11.05.2019	100%	0.46	पूर्ण
22	सीआईएसएफ बैरक में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रावधान	मैसर्स वृषभ इंडस्ट्रीज	0.179	14.01.2019	13.04.2019	100%	0.18	पूर्ण
23	आवासीय कॉलोनी में 11 केवी सब-स्टेशन का संवर्धन	मैसर्स नॉर्थ ईस्ट इंजीनियरिंग	1.225	13.01.2019	12.07.2019	90%	1.05	प्रगति पर
24	एप्रन ड्राइव ग्लास वॉल वाले पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज (17 PBB) एवं विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम का प्रावधान	मैसर्स एडेलटे एयरपोर्ट टेक्नोलॉजीज, बार्सिलोना, स्पेन	1.230	01.07.2016	30.06.2017	100%	3.43	पूर्ण
25	आवासीय कॉलोनी के लिए जल आपूर्ति पंपिंग सेट की एसआईटीसी	मैसर्स जे.एच. एसोसिएट्स, गुवाहाटी	0.130	05.10.2018	14.01.2019	100%	0.13	पूर्ण
26	पेट बॉटल श्रेडर की खरीद	मैसर्स आदित्य कॉपे., दिल्ली	0.040	27.12.2018	26.01.2019	100%	0.04	पूर्ण

प्रगतिरत कार्य - निगमित मुख्यालय योजनाएं

क्र.सं.	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रु.)	प्रारंभ तिथि	पूर्णता तिथि	भौतिक प्रगति	वित्तीय व्यय (करोड़ रु.)
1	क) एलजीबीआई हवाई अड्डे पर मौजूदा रनवे 02/20 का सुदृढीकरण। ख) शाखा: मृदा जांच	मैसर्स विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड / आईआईटी गुवाहाटी	44.770 0.420	30.10.2017 --	07.03.2019 --	100% 100%	44.78 0.42
2	गुवाहाटी हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	मैसर्स शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	859.860	21.03.2018	29.03.2021	25%	214.00

3	नए एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए अवधारणा से कमीशनिंग तक परियोजना प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति	मैसर्स एकाॅम एशिया कंपनी लिमिटेड	32.170	07.03.2017	29.03.2021	68%	22.80
कुल योग			973.440				305.88

अन्य कार्य

क्र.सं.	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	अवधि	स्वीकृत मूल्य
1	वर्ष 2018-19 के लिए औपचारिक लाउंज सहित टर्मिनल भवन की विविध सिविल मरम्मत एवं रखरखाव कार्य	मैसर्स जे.एच. एसोसिएट्स, गुवाहाटी, असम	12 महीने	रु. 60.00 लाख
2	वर्ष 2018-19 के लिए प्रचालन क्षेत्र, तकनीकी ब्लॉक एवं सहायक भवनों के विविध सिविल मरम्मत एवं रखरखाव कार्य	मैसर्स जे.एच. एसोसिएट्स, गुवाहाटी, असम	12 महीने	रु. 75.00 लाख
3	वर्ष 2018-19 के लिए कार पार्क, बिजली घर, इंजीनियरिंग कार्यालय, आरटीसी, डीजीसीए स्टोर, आउटर मार्कर आदि सहित सिटी साइड के सिविल कार्य	मैसर्स काजल दास, गुवाहाटी, असम	12 महीने	रु. 50.00 लाख

हवाई अड्डे पर भूमि पट्टा विवरण इस प्रकार है:

हवाई अड्डे पर भूमि पट्टों के विवरण में सरकारी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, तेल विपणन कंपनियों (एविएशन फ्यूलिंग स्टेशन - एएफएस), एयर इंडिया कार्गो/कार्यालयों, तथा अन्य एजेंसियों को आवंटित भूमि क्षेत्र (कुल लगभग 22,737.24 वर्ग मीटर एवं अन्य भूखंड) शामिल हैं, जिनकी लीज वैधता एवं सुरक्षा जमा विवरण प्रासंगिक अभिलेखों के अनुसार हैं।

अनुसूची 'यू'
प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	राशि (लाख रु.)	पूर्णता तिथि / संभावित पूर्णता तिथि (DOC/PDC)
योजना चरण				
1	एलजीबीआई हवाई अड्डे, गुवाहाटी पर रनवे 20 के आरंभ का विस्तार और एप्रन का सुदृढीकरण, नए टैक्सी-ट्रैक का निर्माण तथा समानांतर टैक्सीवे, आइसोलेशन बे, वाहन लेन और वर्षा जल निकासी (स्टॉर्म वाटर ड्रेन) सहित रनवे एवं लिंक टैक्सीवे (20 इंच) का सुदृढीकरण।	प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्रस्ताव	रु. 29,393 लाख (293.93 करोड़)	योजना चरण

अतिरिक्त नियोजित कार्य:

योजना चरण - क्षेत्रीय मुख्यालय

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	स्वीकृत राशि (यदि स्वीकृत हो)	निविदा आमंत्रण की स्थिति
1	एलजीबीआई हवाई अड्डे पर विविध लघु पूंजीगत सिविल कार्य	0.60	स्वीकृत (रु. 0.60 करोड़)	निविदा आमंत्रित की जा रही है
2	पावर हाउस एवं सब-स्टेशन क्षेत्र में छत की शीट को बदलना	0.15	--	योजना चरण
3	डीवीओआर के पास 9.60 एकड़ माप वाली रनवे-20 साइड की सीमा पर चारदीवारी का निर्माण	12.68	--	योजना चरण
4	नवनिर्मित चारदीवारी के साथ रनवे-02 की ओर परिधि मार्ग का निर्माण (शाखा: सिविल कार्य)	8.00	--	योजना चरण
5	मेटल रूफिंग सिस्टम की आपूर्ति और फिक्सिंग तथा गटर को बदलना	0.273	स्वीकृत (रु. 0.273 करोड़)	कार्य शीघ्र ही आवंटित होने की संभावना
6	विलय किए गए सिटी साइड कैनोपी भाग और टर्मिनल भवन के शेष प्रस्थान पक्ष की छत की शीट को बदलना	0.77	--	योजना चरण
7	ग्रेनाइट फ्लोरिंग, एसएस ग्लास पार्टिशन, संबद्ध कार्य एवं विविध सिविल कार्य	0.81	--	योजना चरण
8	टर्मिनल भवन के सुरक्षा होल्ड क्षेत्र में मौजूदा पारंपरिक ल्यूमिनेयर्स को एलईडी ल्यूमिनेयर्स से बदलना	0.07	--	स्वीकृति चरण (क्रेडेंशियल और ओपीबीजी की पुष्टि की प्रतीक्षा)

9	अग्नि अलार्म, ऑटो डायलर प्रणाली और फायर हाइड्रेंट प्रणाली का वार्षिक रखरखाव अनुबंध	0.24	--	फाइनल वित्तीय सहमति (FC) के लिए भेजी गई
10	पेयजल फव्वारों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग	0.39	--	निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं

योजना चरण - निगमित मुख्यालय

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	स्वीकृत राशि (यदि स्वीकृत हो)	निविदा आमंत्रण की स्थिति
1	एलजीबीआई हवाई अड्डे, गुवाहाटी पर रनवे 20 के आरंभ का विस्तार और एप्रन का सुदृढ़ीकरण, नए टैक्सी ट्रैक का निर्माण तथा समानांतर टैक्सीवे, आइसोलेशन बे एवं वाहन लेन सहित रनवे एवं लिंक टैक्सीवे (20 एंड) का सुदृढ़ीकरण	294.00	प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति स्वीकृत (रु. 294.00 करोड़)	टी-एस चरण
2	एटीसी टॉवर और तकनीकी ब्लॉक (ATC Tower and Technical Block)	92.36	इंजीनियरिंग परामर्श कार्य स्वीकृत लागत के 0.36% पर मैसर्स क्रिएटिव ग्रुप को आवंटित किया गया।	

अनुसूची 'वी'

संविदा नवीयन विलेख का प्रारूप

यह संविदा नवीयन विलेख ("नवीयन विलेख") आज दिनांक [] माह [], 201[] को निम्नलिखित के बीच निष्पादित किया गया: **पक्षकार:**

1. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निगमित निकाय है और जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110003, भारत में स्थित है (इसके बाद इसे "प्राधिकरण" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे); तथा
2. [], कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्या [] है और जिसका पंजीकृत कार्यालय [] पर स्थित है (इसके बाद इसे "रियायतग्राही" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिनी और स्थानापन्न शामिल होंगे); तथा
3. [], [लागू विधान दर्ज करें] के तहत [निगमित/पंजीकृत] एक [इकाई की प्रकृति दर्ज करें], जिसका पंजीकृत कार्यालय [] पर स्थित है (इसके बाद इसे "प्रतिपक्ष" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी शामिल होंगे)।

"प्राधिकरण", "रियायतग्राही" और "प्रतिपक्ष" को व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" और सामूहिक रूप से "पक्षकार" कहा जाएगा ।

जबकि:

- क. प्राधिकरण और प्रतिपक्ष ने दिनांक [] का एक करार निष्पादित किया था, जिसकी एक प्रति इस नवीयन विलेख के साथ **परिशिष्ट क** के रूप में संलग्न है (इसके बाद इसे "नवीनीकृत करार" कहा जाएगा);
- ख. प्राधिकरण ने [उस राज्य का नाम जहां हवाई अड्डा स्थित है दर्ज करें] राज्य के [उस शहर का नाम जहां हवाई अड्डा स्थित है दर्ज करें] में स्थित [हवाई अड्डे का नाम दर्ज करें] के प्रचालन, विकास और प्रबंधन के लिए रियायतग्राही के साथ दिनांक [] का एक रियायत करार ("रियायत करार") निष्पादित किया है;
- ग. रियायत करार में अन्य बातों के साथ-साथ, नवीनीकृत करार सहित प्राधिकरण के कतिपय अनुबंधों को रियायतग्राही के पक्ष में नवीनीकृत करने का प्रावधान है;
- घ. प्राधिकरण अपने सभी अधिकारों और दायित्वों को रियायतग्राही के पक्ष में नवीनीकृत करके नवीनीकृत करार का संविदा नवीयन (novation) करना चाहता है; तथा
- ङ. प्रतिपक्ष इस नवीयन विलेख में निर्धारित नियमों और शर्तों पर ऐसे संविदा नवीयन के लिए सहमत है।

इसलिए, अब, इस नवीयन विलेख में निर्धारित पारस्परिक वचनों के प्रतिफल में, पक्षकार एतद्वारा निम्नानुसार सहमत हैं:

1. सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि - जैसा कि रियायत करार में परिभाषित है) पर, नवीनीकृत करार इस प्रकार नवीनीकृत हो जाएगा कि:
 - (क) प्राधिकरण को रियायतग्राही द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ख) प्रतिपक्ष अब से नवीनीकृत करार के तहत प्राधिकरण के स्थान पर रियायतग्राही के विरुद्ध अपने अधिकारों को लागू करेगा और रियायतग्राही के लाभ के लिए अपने दायित्वों का पालन करेगा; तथा
 - (ग) रियायतग्राही अब से नवीनीकृत करार के तहत प्राधिकरण के सभी अधिकारों और दायित्वों को प्राप्त करेगा ।
2. रियायतग्राही और प्रतिपक्ष के बीच, नवीनीकृत करार खंड 1 में निर्धारित संविदा नवीयन को छोड़कर, पहले की तरह समान नियमों और शर्तों पर लागू रहेगा ।
3. प्रतिपक्ष ऐसे संविदा नवीयन के लिए सहमति देता है और प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को इसके नवीयन के विरुद्ध नवीनीकृत करार में किसी भी निषेध, प्रतिबंध या शर्तों का अधित्यजन (त्याग) करता है।
4. प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच, किंतु प्रतिपक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायत करार बाध्यकारी होगा, और रियायत करार तथा इस नवीयन विलेख के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, रियायत करार प्रभावी होगा ।
5. इस नवीयन विलेख के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार 3 (तीन) मध्यस्थों से मिलकर बने एक मध्यस्थता अधिकरण द्वारा मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा, जिसमें से 1 (एक) मध्यस्थ दावेदारों द्वारा सामूहिक रूप से और 1 (एक) मध्यस्थ उत्तरदाताओं द्वारा सामूहिक रूप से नियुक्त किया जाएगा तथा तीसरा मध्यस्थ इस प्रकार नियुक्त दोनों मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा और मध्यस्थता की कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी ।
6. खंड 5 के अधीन, नई दिल्ली की अदालतों को इस नवीयन विलेख से उत्पन्न या इससे संबंधित मामलों पर अनन्य क्षेत्राधिकार होगा ।

जिसके साक्ष्य स्वरूप, पक्षकारों ने ऊपर सर्वप्रथम लिखित दिन, माह और वर्ष को अपने हस्ताक्षर और मुहर लगा दिए हैं:

प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से:

हस्ताक्षर / मुहर: _____

रियायतग्राही के लिए और उसकी ओर से:

हस्ताक्षर / मुहर: _____

प्रतिपक्ष के लिए और उसकी ओर से:

हस्ताक्षर / मुहर: _____

परिशिष्ट 'क'

[यहाँ संबंधित नवीनीकृत करार की प्रति संलग्न की जानी है]

